UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186299

UNIVERSAL
LIBRARY

॥ श्रीः ॥

ऐक्ट ४५ सन् १८६० ईसवी

या

मजमूआ ताजीरातहिन्द

अर्थात्

हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह. ।

जिसमें

चारों हाईकोर्टोंकी नजीरें तथा समस्त संशोधन
व स्पष्टीकरण सम्मिलित हैं.

मुरादाबादनिवासी

स्वर्गीय पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा सम्पादित

जिसको

खेमराज श्रीकृष्णदासने

सबसे पिछले संशोधनों सहित,

मुम्बई

निज "श्रीवेङ्कटेश्वर" (स्टीम्) मुद्रणयन्त्रालयमें

तीसरी बार मुद्रित कर प्रकाशित किया।

संवत् १९९३ शके १८५८

All rights reserved by the Publisher.

CHECKED 1956

मुद्रक और प्रकाशक-

खेमराज श्रीकृष्णदास,

मालिक-"श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् प्रेस, बम्बई.

पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार "श्रीवेङ्कटेश्वर" यन्त्रालयाध्यक्षाधीन है।

भूमिका ।

सर्व साधारण महाशयगण इस बातको जानते हैं कि प्राचीन समयमें लेन देन, व्यापार व्यवहार, झगडे झंझट, क्लेश आनन्द जो कुछ भी कार्य होता था वह समस्तही वचनद्वारा निर्वाह होता था । परन्तु जैसे जैसे नई सभ्यता और नई रोशनीका जमाना आता गया वैसेही वैसे बात बातमें बेईमानी, विश्वासघातकता, कुटिलता, अनैक्यता, लडाई, झगडे, वध और क्रूरता इत्यादि कलियुगी बातोंका जोर होगया । बलवान् लोग दुर्बलोंपर अत्याचार करने लगे, महाजन लोग कर्जदारोंको बात बातमें सताने लगे, जिमींदार लोग अपनी पुत्रवत् प्रजाको बारंबार दुःख देने लगे, बदमाशोंका जोर होगया, शोरह पुश्तोंका शोर होगया । दीन लोग दारिद्रसे सताये जाकर दुःख पाने लगे, पतिव्रता स्त्रियोंको अपने सतीत्वकी रक्षा करना कठिन कार्य होगया; इन समस्त अत्याचारोंसे ऐसा कुलाहल हुआ कि ब्रिटिशगणोंने भारतवर्षमें आकर अपने अपूर्व और अद्भुत गुणोंसे शांतिराज्यका प्रचार किया, इस राज्यका आगमन होतेही बाघ और बकरी एक घाटपर पानी पीने लगे । अनाथ, दीन, दुःखी, आर्त्त और पीडित लोगोंको आराम मिला, किन्तु समयके प्रभावसे कहीं प्रगट और कहीं अप्रगट रीतिसे दुष्ट लोग अपने अत्याचारोंसे सर्वसाधारणको कष्ट पहुँचातेही रहे । दूरदर्शिनी ब्रिटिश सरकारने यह समाचार पातेही सम्पूर्ण मनुष्योंके लाभार्थ दीवानी और फौजदारीके अनेक कानून बनाये । दीवानीके कानूनोंसे स्थावर और अस्थावर धनका व्यवहार करनेवालोंको सुभीता हुआ और दुष्टोंको दण्ड देने तथा शांतिका प्रचार करनेके लिये फौजदारी कानून प्रचलित हुए । उन समस्त फौजदारी कानूनोंमें "ताजीरात हिन्द" मुख्य मान जाता है. पहले पहले अँगरेजी भाषामें समस्त कानून लिखे गये, और छपाए गये जिनके द्वारा केवल अँगरेजी जाननेवालोंने ही लाभ उठाया. इसके पीछे प्रत्येक प्रान्तकी प्रत्येक भाषामें कानूनोंका अनुवाद होकर प्रकाश हुआ । बंगालमें कोर्टकी दूसरी भाषा बंगाली हुई इसी कारणसे कानून भी बंगभाषामें छपे । महाराष्ट्रदेशमें महाराष्ट्री, गुजरातमें गुजराती और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें अभाग्यवश कचहरियोंमें उर्दूभाषा प्रचलित होनेके कारण उर्दूमें कानून छपे और प्रकाशित हुए । पश्चिमोत्तर प्रान्तमें जिसका नाम अब युक्तप्रदेश है बहुतायतसे हिन्दीभाषा बोली जाती है और अधिकांश मनुष्य नागरी अक्षरोंके जाननेवाले पाये जाते हैं, ईसाई लोगोंकी रिपोर्टसे यह बात प्रमाणित होगई है * कि हिन्दीभाषाके जाननेवाले समस्त प्रांतोंमें अधिकतासे वर्त्तमान है ऐसा होनेपर भी हिन्दीभाषामें कानूनोंका अनुवाद न होकर प्रकाशित न होना अत्यन्त ही लाजकी बात थी जब कि सोते बैठते, खाते पीते,

* वेंकटेश्वर समाचार ६ जून सन् १९०२ ई० तथा भ रतमित्र और वसुन्धराने इस रिपोर्टको विस्तारसे प्रकाशित किया है ।

चलते फिरते, कार रोजगार और लेन देन इत्यादि समस्त कार्योंमें ही कानून लागू हो जाता है तब प्रत्येक हिन्दीहितैषीको कानूनोंका पढ़ना लाभकारी हो सकता है, परन्तु बिचारे हिन्दी जाननेवालोंके अभाग्यसे सरकारने इस ओर किंचित् भी ध्यान नहीं दिया हाँ इतना तो अवश्य किया कि नागरी अक्षरोंमें फारसी भाषाके दो चार कानून प्रकाशित किये परन्तु समझमें न आनेके कारण हिन्दीभाषाके जाननेवालोंने उनसे किंचित् भी लाभ नहीं उठाया। कुछ दिन पीछे स्वर्गवासी मुन्शी नवलकिशोरजी स्वत्वाधिकारी "नवलकिशोर प्रेस लखनऊ" का इस बातके ऊपर ध्यान पहुँचा और उन्होंने ताजीरात हिन्दको हिन्दीभाषामें अनुवाद कराके अपने प्रेसमें छापा। तदुपरान्त आगरेके शिलायन्त्रमें और हरिद्वारसे टाइपमें छपकर ताजीरात हिन्द प्रकाशित हुआ परन्तु हिन्दीवालोंकी पूरी अभिलाषा किसीके द्वारा भी सिद्ध न हुई।

थोडे दिन हुए हैं कि "ला प्रेस छिन्दवाडे" के किसी वकील साहबने ताजीरात हिन्दकी एक सुन्दर आवृत्ति प्रकाशित की है। जिसमें उदाहरण स्पष्टीकरण नजायर इत्यादि अधिकतासे सम्मिलित हैं। इसके प्रकाशित होनेसे हिन्दीवालोंको अधिक लाभ पहुँचा परन्तु ४॥) रु० मूल्य अधिक होनेके कारण साधारण लोग कानूनी लाभ उठानेसे वंचित रह गये।

इस बातका विचार करके मैंने सोचा कि हिन्दीभाषामें सस्ता और समस्त आवश्यकीय लेखोंसे संयुक्त एक ऐसा ताजीरात हिन्द (हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह) प्रकाशित किया जावे जिसको धनी निर्धन सब ही अधिकताके साथ मोल लें और पढकर लाभ उठावें। ऐसा विचारनेके कुछही दिन पीछे श्रीमान् सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी स्वत्वाधिकारी "श्रीवेंकटेश्वर प्रेस व श्रीवेंकटेश्वर समाचार बंबई" ने एक ऐसे ताजीरात हिन्दके छापनेकी इच्छा प्रगट की जैसा कि मैं चाहता था। मैंने तत्काल उक्त सेठजी साहबकी आज्ञाका पालन करके एक वर्षमें ताजीरात हिन्द (हिन्दुस्थानके दंडसंग्रह) का अनुवाद कर डाला।

यह हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह ब्रिटिश इंडियामें लगभग ४२ वर्षसे प्रचलित है, तबसे कई बार इसमें संशोधन भी हो चुका है। इसही न्यायग्रन्थके अनुसार एक छोटेसे मजिस्ट्रेटसे लेकर हाईकोर्टके जजतक अपना न्याय कार्य पूरा करके अपराधियोंको दंडित करते हैं। इसहीके भयसे आज कोई धनी पुरुष किसी तुच्छातितुच्छ दरिद्रपर भी अत्याचार नहीं कर सकता है और जो करता है उसका सर्वनाश होजाता है। अतएव ऐसे कानूनका जानना और पढना प्रत्येक देशवासीका आवश्यकीय कार्य है।

प्रस्तुत अनुवादमें इस बातका अधिक ध्यान रक्खा गया है कि कहींपर कठिन शब्द न आवें इसमें प्रायः उन्हीं शब्दोंका अधिक प्रयोग किया गया है जो आजकल पश्चिमोत्तर प्रान्तकी बोलचालमें प्रचलित हैं। बरन् जो शब्द कठिन आभी गए हैं उनके आगे कोठें उर्दू शब्द लिख दिये हैं। न्यायालयोंमें विशेषतः उर्दूका अधिक प्रचार होनेके कारण कहीं कहीं उर्दूके शब्दोंका भी प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अनुवादमें जहातक संभव हुआ नजीरें (दृष्टांत या उदाहरण) अधिक लिखी हैं। चारों हाईकोर्ट यथा,—कलकत्ता, बंबई, मदरास और इलाहाबादकी नजीरोंके सिवाय चीफ कोर्ट पंजाब व जुडिशियल कमिश्नर मध्यप्रदेशकी भी नजीरोंको यथास्थानमें दर्ज किया गया है। पाठकगण! हिन्दी और उर्दू भाषामें अबतक कोई हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह इतने दृष्टान्तोंके सहित प्रकाशित नहीं हुआ।

इस पुस्तकके संपादन करनेमें मुरादाबादके प्रसिद्ध वकील चौधरी रामप्रसादजी साहब और लाला अम्बाप्रसादजी मुख्तार अदालतने अपनी सम्मति देकर मुझको अत्यन्तही अनुगृहीत किया है। अतएव उपरोक्त दोनों महाशयोंको बारम्बार आशीर्वाद देकर भूमिकाकी समाप्ति करताहूँ।

मुझको पूर्ण आशा है कि, हिन्दीभाषासे अनुराग रखनेवाले देशहितैषी महाशयगण तथा वकील, मुख्तार, पुलिस कर्मचारी व मजिस्ट्रेट आदि इसकी एक एक प्रति अपने यहां रखकर अवश्यही लाभ उठावेंगे।

मोहल्ला दीनदार पुरा
मुरादाबाद (युक्तप्रदेश)
१९।६।१९०२ ई०

कृपाकांक्षी—
बलदेव प्रसाद मिश्र.

हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अध्यायोंका-

सूचीपत्र ।

अध्याय.	आशय.	दफा.
पहिला	इस ऐक्टका नाम और इसके प्रचारकी अवधि... ...	१
दूसरा	साधारण अर्थप्रकाश ...	६
तीसरा	दण्डोंके विषयमें.... ...	५३
चौथा	साधारण छूट	७६
पांचवां	सहायताके वर्णनमें ...	१०७
पांचवां	(अ) दण्ड योग्य षड्यन्त्रके विषयमें... ...	१२० (ख)
छठा	राज्यविद्रोही अपराध करने तथा सहायता देनेके विषयमें ...	१२१
सातवां	जंगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें	१३१
आठवां	सर्व सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें	१४१
नवां	उन अपराधोंके वर्णनमें जो सरकारी नौकरोंसे हों या उनसे सम्बन्धित हों	१६१
दशवां	सर्व सम्बन्धी नौकरोंके नीतिपूर्वक अधिकारके अपमान करनेके विषयमें	१७२
ग्यारहवां	झूठी गवाही और सर्व सम्बन्धी न्यायमें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें ...	१९१
बारहवां	उन अपराधोंके बयानमें जो सिक्के और गवर्नमेंट स्टाम्पसे सम्बन्ध रखते हैं	२३०
तेरहवां	उन अपराधोंके वर्णनमें जो बाटों और पैमानोंसे सम्बन्ध रखते हैं	२६४
चौदहवां	उन अपराधोंके वर्णनमें जो सर्व सम्बन्धी आरोग्यता, कुशलता, सज्जनता और सुशीलतामें विघ्न डालनेवाले हैं ...	२६८
पन्द्रहवां	उन अपराधोंके विषयमें जो धर्म या मतसे सम्बन्ध रखते हैं	२९५
सोलहवां	उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्योंके तन अथवा जीवसे सम्बन्ध रखते हैं.... ...	२९९
सत्रहवां	उन अपराधोंके विषयमें जो मालसे सम्बन्ध रखते हैं ...	३७८
अठारहवां	उन अपराधोंके विषयमें जो दस्तावेजों और व्यापारके अथवा मालके चिह्नोंसे सम्बन्ध रखते हैं	४६३
उन्नीसवां	दण्ड योग्य नौकरीका कौल करार तोडनेके विषयमें ...	४९०
बीसवां	उन अपराधोंके विषयमें जो विवाहसे सम्बन्ध रखते हैं ...	४९३
इक्कीसवां	अपयश लगानेके विषयमें...	४९९
बाईसवां	दण्डयोग्य धमकी और अपमान व रंज दिलानेके विषयमें	५०३
तेईसवां	अपराध करनेके उद्योगके विषयमें	५११

हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहका धारानुसार-
सूचीपत्र।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	अध्याय १.
१	इस ऐक्टका नाम और इसके प्रचारकी अवधि।
२	दण्ड अपराधोंका जो उस अवधिके भीतर किये जाँय।
३	दण्ड अपराधोंका जो अवधिसे बाहर किये जांय परन्तु कानूनके अनुसार उनकी तजवीज उसी अवधिके भीतर होसकती हो।
४	संग्रहका राजकीय सीमाके बाहर किये गये अपराधोंपर प्रभाव।
५	विशेष कानून जिसपर इस संग्रहका प्रभाव न होगा।
	अध्याय २.
	साधारण अर्थप्रकाश.
६	इस संग्रहमें लक्षण (तारीफात) छूटोंके अधीन समझे जांयगे।
७	जिस शब्दका संकेत एकबार कर दिया गया है वह इस संग्रहभरमें उसी अभिप्रायसे वर्त्ता गया है।
८	लिंग।
९	संख्या।
१०	स्त्री पुरुष।
११	मनुष्य।
१२	सर्व सम्बन्धी।
१३	श्रीमती महारानी।
१४	श्रीमती महारानीका नौकर।
१५	ब्रिटिश इंडिया।
१६	गवर्नमेण्ट हिन्द।
१७	गवर्नमेण्ट।
१८	प्रेसीडेंसी।
१९	जज।
२०	कोर्ट ऑफ जस्टिस।
२१	सरकारी नौकर।
२२	स्थावर धन जायदाद मनकूला।
२३	अनीति प्राप्ति।
	" अनीति हानि।
	" अनीतिसे किसी वस्तुका रखलेना भी अनीतिमें गिना जायगा।
२४	अधर्म अर्थात् बेईमानीसे।
२५	छल छिद्रसे।
२६	निश्चय माननेका हेतु।
२७	वस्तु जो पत्नी अथवा गुमाश्ते अथवा नौकरके अधिकारमें हो।
२८	खोटा बनाना।
२९	लेख।
३०	दस्तावेज।
३१	वसीयतनामा।
३२	कर्त्तव्य कार्यसम्बन्धी शब्द कानूनविरुद्ध चूकोंसे भी सम्बन्ध रक्खेंगे।
३३	काम।
	" चूक।
३४	कोई मनुष्योंमेंसे प्रत्येक मनुष्य उस कामके बदले जो सबने मिलकर किया हो उसी योग्य होगा मानो उसीने वह काम किया।
३५	जब ऐसा कोई काम इसी हेतुसे अपराध

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	हो कि कुज्ञान अथवा कुप्रयोजनसे किया गया ।
३६	परिणाम कुछ तो करनेसे और कुछ चूकनेसे कराया जाय ।
३७	अपराधके अनेक कर्मोंमेंसे एक धर्मको करके साझी होना ।
३८	अनेक मनुष्य जो किसी अपराधको करें अलग अलग अपराधोंके कर्त्ता हो सकते हैं ।
३९	जानबूझकर ।
४०	अपराध ।
४१	विशेष कानून ।
४२	देशविशेषी कानून ।
४३	कानून विरुद्ध ।
	" कानूनानुसार अवश्य ।
४४	हानि ।
४५	जीव ।
४६	मृत्यु ।
४७	पशु ।
४८	जहाज ।
४९	वर्ष महीना ।
५०	दफा (धारा)
५१	शपथ ।
५२	शुद्धभावसे ।

अध्याय ३.

दण्डोंके वर्णनमें ।

दफा	संक्षिप्त विवरण.
५३	दण्ड
५४	वधके दण्डका बदला ।
५५	जन्मभरके लिये देश निकालेकी कैदका बदला ।
५६	युरोपियनों और अमेरिकनोंको देश निकालेके बदलेमें कठिन कैदका दण्ड दिये जानेकी आज्ञा ।
५७	दण्डकी अवधिके विभाग ।
५८	जिन अपराधियोंको देश निकालेकी दंडाज्ञा हुई हो वे देश निकाला होनेतक किस भांति रक्खे जायँगे ।
५९	कैदके बदले देश निकाला कब हो सकेगा ।
६०	कैदका कोई भाग कठिन अथवा साधारण हो सकता है ।
६१	धनकी जब्तीका दण्ड ।
६२	जब्ती ऐसे अपराधियोंके धनकी जो वधके या देश निकालेके या कैदके दंड योग्य हों।
६३	जुर्मानेकी तादाद ।
६४	कैदका दंड जब कि जुर्माना न चुकाया जाय ।
६५	जुर्माना न चुकाए जानेके बदलेमें कैदकी अवधि जब कि अपराध जुर्माने और कैद दोनोंके योग्य है ।
६६	जुर्माना न चुकनेके बदलेमें कैदका प्रकार ।
६७	जुर्माना न चुकाये जानेके बदले कैदकी मीआद जब कि अपराध केवल जुर्मानेके दण्ड योग्य हो ।
६८	ऐसी कैदका जुर्माना चुकातेही भुगतजाना।
६९	बीतना इस कैदका जब कि जुर्मानेका भाग चुका दिया जाय ।
७०	जुर्माना छः वर्षके भीतर अथवा कैदकी मीआदमें किसी समय वसूल हो सकेगा ।
	" अपराधीके जुर्मानेसे उसका माल मिलकियत छूट न जायगा ।
७१	उस अपराधीके दण्डकी मीयाद जो कई अपराध मिलकर बना हो ।
७२	दंड किसी मनुष्यको जो अपराधोंमेंसे एकका अपराधी ठहरे और हाकिमकी तजवीजमें लिखा हो कि निश्चय नहीं है कि इन अपराधोंमेंसे वह किस अपराधका अपराधी है ।
७३	एकान्त वास ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
७४	एकान्त वासकी अवधि ।
७५	दंड उन मनुष्योंको जो एक बेर अपराधी ठहरकर फिर किसी ऐसे अपराधके अपराधी ठहरें जो अध्याय १२ व १७ के अनुसार प्रमाणित हों ।
	अध्याय ४.
	साधारणछूट.
७६	वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिस पर उसका करना अवश्य हो,अथवा जो वृत्तान्तको न समझकर अपने ऊपर उसका करना कानूनानुसार अवश्य जानता हो ।
७७	जजका काम, जब कि वह अदालतका काम कर रहा हो ।
७८	काम जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी तजवीज या आज्ञाके अनुसार किया जावे ।
७९	काम जो कोई ऐसा मनुष्य करे, जो कानूनके अनुसार उसके करनेका अधिकारी है या जो सत्य बातकी गलत समझीसे अपनेको कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी समझ लिया हो ।
८०	उचित कामके करनेमें इत्तिफाकका आजाना ।
८१	काम जिससे हानिका पहुँचना सम्भव है परंतु किसी बुरे प्रयोजनके बिना और दूसरी हानि रोकनेके लिये किया जावे ।
८२	सात वर्षसे कम अवस्थाके बालकका काम ।
८३	सात वर्षसे अधिक और बारह वर्षसे कम अवस्थाके बालकका काम जो यथोचित पक्की बुद्धि न रखता हो ।
८४	उस मनुष्यका काम, जो सिडी हो ।
८५	उस मनुष्यका काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार करनेमें असमर्थ हो ।
८६	जिस अपराधके लिये किसी विशेष अभिप्रायकी आवश्यकता हो, उसको कोई मनुष्य नशेकी अवस्थामें करे ।
८७	काम जिससे मृत्यु अथवा भारी दुःखका अभिप्राय न हो और न उसका होना संभव हो और प्रसन्नतासे किया गया हो ।
८८	काम जो मृत्यु करनेके अभिप्राय विना शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी प्रसन्नतासे उसके भलेके लिये कियाजाय ।
८९	काम जो शुद्धभावसे किसी बालक अथवा सिडी मनुष्यके भलेके लिये उसके रक्षककी ओरसे अथवा प्रसन्नतासे किया जाय ।
९०	धोखे अथवा भयसे जो प्रसन्नता कराई गई ।
"	किसी बालक अथवा सिडी मनुष्यकी प्रसन्नता ।
९१	काम जो इस बातको छोडकर भी कि प्रसन्नता देनेवाले मनुष्यको उससे हानि पहुँची, आपही अपराध हो दफा ८४ व ८८ व ८९ की छूटोंमें न गिने जायँगे ।
९२	काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्यके भलेके लिये विना प्रसन्नताके किया जाय।
"	नियम ।
९३	शुद्धभावसे कुछ प्रगट करना ।
९४	काम जिसके करनेके लिये कोई मनुष्य धमकी द्वारा विवश किया जाय ।
९५	कोई काम, जिससे कुछ तुच्छ हानि हो ।
९६	कोई काम जो अपनी रक्षाके लिये किया जाय, अपराध न होगा ।
९७	तन और धनकी रक्षाके अधिकार ।
९८	अपनी रक्षाका अधिकार किसी सिडी मनुष्य आदिके कामसे ।
९९	काम जिनके रोकनेके लिये अपनी रक्षाका अधिकार न होगा ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
९९	इस अधिकारके वर्त्तावकी सीमा ।
१००	तनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्यु करनेतक कब हो सकेगा ।
१०१	यह अधिकार मृत्युको छोडकर दूसरी कोई हानि पहुँचानेतक कब हो सकेगा ।
१०२	तनकी निज रक्षाके अधिकारका आदि अन्त ।
१०३	धनकी निज रक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब होसकेगा ।
१०४	यह अधिकार मृत्युको छोडकर दूसरी कोई हानि कर देनेतक कब हो सकेगा ।
१०५	धनकी निज रक्षाके अधिकारका आदि और अंत ।
१०६	अपनी रक्षाके अधिकारमें मृत्युकारक आक्रमण रोकना उस अवस्थामें जब किसी निरपराधी मनुष्यको हानिका भय हो ।

अध्याय ५.

सहायताके विषयमें ।

१०७	किसी काममें सहायता करना ।
१०८	सहायक ।
१०९	सहायताका दण्ड जब कि वह काम जिसकी सहायता हुई उसी सहायता के कारण कियागया हो और उसके दंडका कोई स्पष्ट लेख न हो ।
११०	सहायताका दंड; जब कि सहायता पानेवाला मनुष्य अपराधके कामके सहायता करनेवालेके अभिप्रायसे सिवाय किसी और अभिप्रायसे करे ।
१११	दण्ड सहायता करनेवालेको जब एक काममें सहायता पहुँचाई जाय और उससे भिन्न दूसरे किसी काममें हो जाय।
११२	सहायक कब इस योग्य होगा कि जिस काममें उसने सहायता की और जो काम किया गया दोनोंमें दंड पावे ।
११३	उस परिणामके बदलेमें सहायकको दंड जो उसके किये हुए अभिप्रायसे बाहर हो ।
११४	अपराध होनेके समय सहायकका होना ।
११५	उस अपराधमें सहायता करना जिसका दंड वध अथवा देश निकालेका है यदि अपराध सहायताके कारण न हो ।
,,	यदि काम जिससे हानि पहुँचे सहायताके कारण कियाजाय ।
११६	उस अपराधमें सहायता करना, जिसका दण्ड कैद है, यदि, अपराध सहायताके कारण न हो ।
,,	यदि सहायक या सहायकता पानेवाला सरकारी नौकर हो, जिसपर उस अपराधके होनेका रोकना अवश्य है ।
११७	उस अपराधके होनेमें सहायता करना जिसको सर्वसाधारण अथवा दशसे अधिक मनुष्य करें ।
११८	उस अपराधके होनेके यत्नको छुपाना जिसका दण्ड वध अथवा देश निकाला है ।
,,	यदि अपराध हुआ हो ।
,,	यदि अपराध न हुआ हो ।
११९	सरकारी नौकर जो किसी अपराध होनेके यत्नको छिपाए जिसपर उस अपराधका रोकना अवश्य है ।
,,	यदि अपराध हुआ हो ।
,,	यदि अपराधका दण्ड वध आदि हो ।
,,	यदि अपराध न हुआ हो ।
,,	उस अपराधके होनेके यत्नको छुपाना जिसका दण्ड कैद है ।
१२०	यदि अपराध हुआ हो ।
,,	यदि अपराध न हुआ हो ।

अध्याय ५ (अ)

१२०	(अ) दण्डयोग्य षड्यन्त्रकी परिभाषा।
१२०	(ब) दण्डयोग्य षडयन्त्रके लिये दण्ड।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	अध्याय ६.
	राजविद्रोही अपराधोंके करनेके विषयमें।
१२१	श्रीमान् सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करना या उसका उद्योग या उसमें सहायता करना।
१२१	(अ) उन अपराधोंके करनेमें साजिश करना जो दफा १२१ के अनुसार दंड योग्य है।
१२२	श्रीमान् सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करनेके अभिप्रायसे हथियार आदि इकट्ठा करना
१२३	युद्ध करनेके यत्नको उसके सहज करनेके अभिप्रायसे छिपाना।
१२४	गवर्नर जनरल या गवर्नर आदिपर उचित अधिकारके प्रचलित करनेमें विवश करने या उसके रोक रखनेके अभिप्रायसे आक्रमण करना।
१२४	(अ) बुरे विचारोंका उत्पन्न करना।
१२५	किसी एशियाई रियासतके विरुद्ध युद्ध करना जो श्रीमान् सम्राट्से मेल जोल रखती हो।
१२६	किसी ऐसे राजाके राज्यमें लूटमार करना जो श्रीमान् सम्राट्से संधि रखता हो।
१२७	ऐसे मालको अपने अधिकारमें रखना जो दफा १२५ व १२६ के अनुसार उपरोक्त युद्ध या लूटमारके द्वारा प्राप्त किया गया हो।
१२८	सरकारी नौकर जो राज्य विद्रोही कैदी या युद्धके कैदीको अपनी चौकसीमेंसे जानबूझकर भाग जानेदे।
१२९	सरकारी नौकर जो राज्यविद्रोही कैदी अथवा युद्धके कैदीको अपनी चौकसीमेंसे असावधानीसे भाग जानेदे।
१३०	उपरोक्त कैदीके भागजानेमें सहायता करना अथवा उसको छुडाना या शरण देना।
	अध्याय ७.
	जंगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें।
१३१	विद्रोहमें सहायता करना अथवा किसी सिपाही या जहाजके खलासीको उसके कामसे बहँकानेका उद्योग करना।
१३२	विद्रोहमें सहायता करना, यदि विद्रोह उसी सहायताके कारण किया जाय।
१३३	उस आक्रमणकी सहायता जो कोई सिपाही या जहाजका खलासी अपने ऊपरके अफसरपर करे जब कि वह अपने ओहदेका काम कररहा हो।
१३४	सहायता उपरोक्त आक्रमणमें जब कि आक्रमण होजाय।
१३५	किसी सिपाही अथवा जहाजके खलासीको भागनेमें सहायता देना।
१३६	भागे हुए नौकरको आश्रय देना।
१३७	भागे हुए नौकरको किसी सौदागरी जहाजमें जहाजपतिकी असावधानीसे छिपा होना।
१३८	किसी सिपाही अथवा केवटको आज्ञाभंगके काममें सहायता देना।
१३९	जो मनुष्य जंगी कानूनके अधीन हैं इस संग्रहके अनुसार दण्ड दिये जानेके योग्य न होंगे।
१४०	सिपाहियोंका पहिरावा पहिरना।
	अध्याय ८.
	सर्वसम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।
१४१	अनीति जमाव।
१४२	किसी अनीति जमावमें साक्षी होना।
१४३	दण्ड।
१४४	मृत्युकारक हथियार लकर किसी अनीति जमावमें साक्षी होना।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
१४५	किसी अनीति जमावमें यह जानकर साझी होना अथवा साझी रहना कि उसके फैल फूट होजानेकी आज्ञा होचुकी है।
१४६	बल जो साझियोंके अभिप्रायके लिये एक साझीकी ओरसे वर्त्ता जाय।
१४७	बलवा करनेका दंड।
१४८	मृत्युकारक हथियार लेकर बलवा करना।
१४९	अनीति जमावका प्रत्येक साझी उस अपराधका अपराधी गिना जायगा। जो साझियोंका अभिप्राय प्राप्त करनेके लिये किया जाय।
१५०	किसी अनीति जमावमें मिलनेके लिये मनुष्योंका नौकर रखना अथवा नौकर रखनेमें सलाह देना।
१५१	पांच अथवा अधिक मनुष्योंके जमावमें यह जानबूझकर मिलना या रहना कि उसके फैल फूट होनेकी आज्ञा होचुकी है।
१५२	किसी सरकारी नौकर पर उस समय आक्रमण करना अथवा उसको रोकना जब कि वह बलवे आदिको दूर कर रहा हो।
१५३	बलवा करानेके अभिप्रायसे बिना बात क्रोध करानेका काम करना।
"	यदि बलवा होजावे।
"	यदि बलवा न हो।
१५३	(क)–भिन्न भिन्न जातियोंके परस्पर द्वेष पैदा करना।
१५४	उस धरतीका स्वामी या अधिकारी जिसपर कोई अनीति जमाव इकट्ठा हो।
१५५	उस मनुष्यका दण्ड योग्य होना जिसके लाभके लिये बलवा किया जाय।
१५६	उस स्वामी या अधिकारीके कारिन्देका दण्ड योग्य होना जिसके लाभके लिये बलवा हो।
१५७	उन मनुष्योंको जो किसी अनीति जमावके लिये नौकर रक्खे गये हों छिपा रखना।
१५८	किसी अनीति जमावमें तरफदारीके लिये नौकर रक्खा जाना।
"	या हथियार लिये हुए फिरना।
१५९	हंगामा (खानेजंगी)
१६०	हंगामेका दण्ड।

अध्याय ९.

अपराध जो सरकारी नौकरोंकी ओरसे किये जाँय अथवा जो उनसे सम्बन्ध रक्खें।

१६१	सरकारी नौकर जो अपने ओहदेके किसी कामके मध्ये सिवाय कानूनानुसार चाकरीके कुछ घूंसकी भाँति ले।
१६२	अनुचित उपायोंसे सरकारी नौकर पर दबाव डालनेके लिये घूंस लेना।
१६३	सरकारी नौकरके साथ निज वर्त्ताव काममें लानेके लिये घूंस लेना।
१६४	उस सहायताका दण्ड जो सरकारी नौकर उन अपराधोंमें करे जिनका वर्णन ऊपर किया गया है।
१६५	सरकारी नौकर किसी मनुष्यसे जो किसी मामले या मुकदमेसे सम्बन्ध रखता हो जिसको उस सरकारी नौकरने पूरा किया कोई मूल्यवान पदार्थ बिना बदला प्राप्त करे।
१६६	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे कानून विरुद्ध अनुरोध करे।
१६७	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूठे दस्तावेज तैयार करे।
१६८	सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिपर व्यापारसे सम्बन्ध रक्खे।
१६९	सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिपर कोई माल ले अथवा उसके लिये बोली बोले।
१७०	सरकारी नौकर बनना।
१७१	छलके अभिप्रायसे वह लिबास पहि-

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	रना या वह चिह्न लिये फिरना जिस को सरकारी नौकर काममें लाता हो ।
	अध्याय १०.
	सरकारी नौकरोंके उचित अधिकारोंके अपमानके विषयमें ।
१७२	सरकारी नौकरके जारी किये हुए सम्मन अथवा इत्तिलाअनामेसे बचनेके लिये छिप जाना ।
१७३	सम्मन अथवा और इत्तिलाअनामको अपने या औरके पास तक पहुँचनेको या उसके प्रगट किये जानेको रोकना ।
१७४	सरकारी नौकरकी आज्ञाके अनुसार हाजिर होनेमें चूकना ।
१७५	वह मनुष्य किसी सरकारी नौकरके सामने किसी दस्तावेजके पेश करनेमें चूक करे जिसपर उस दस्तावेजका पेश करना कानूनानुसार अवश्य है ।
१७६	वह मनुष्य सरकारी नौकरको इत्तिला या खबर देनेमें चूक करे जिसको इत्तिला या खबर देनी कानूनके अनुसार अवश्य है ।
१७७	झूठी खबर देना ।
१७८	शपथ करनेसे नाहीं करना जब कोई सरकारी नौकर कानूनानुसार शपथ करनेकी आज्ञा दे ।
१७९	किसी सरकारी नौकरको जो प्रश्न करनेका अधिकार रखता है उत्तर देनेसे नाहीं करना ।
१८०	बयानपर दस्तखत करनेसे नाहीं करना।
१८१	सरकारी नौकर या उस मनुष्यसे जो शपथ करानेका अधिकार रखता है शपथ करके झूठ बयान करना ।
१८२	इस अभिप्रायसे झूँठी खबर देना कि कोई सरकारी नौकर अपना उचित अधिकार वर्त्तकर किसी मनुष्यको हानि पहुँचावे ।
१८३	किसी मालके लिये जानेमें जो किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार लिया जाता हो रोक टोक करना ।
१८४	किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो, रोक टोक करना ।
१८५	कोई माल जो सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो कानूनविरुद्ध लेना अथवा उसके लिये बोली बोलना ।
१८६	सरकारी नौकरीके पूरा करनेमें सरकारी नौकरकी रोक टोक करनी ।
१८७	सरकारी नौकरको सहायता देनेमें चूक करना जब कि कानूनानुसार सहायता देना अवश्य हो ।
१८८	न मानना किसी आज्ञाको जो किसी सरकारी नौकरने कानूनानुसार प्रगट की हो ।
१८९	सरकारी नौकरको हानि पहुँचानेकी धमकी देना ।
१९०	हानि पहुँचानेकी धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरसे रक्षा मांगनेसे रुक जाय ।
	अध्याय ११.
	झूठी गवाही और सर्व सम्बन्धी न्यायमें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें ।
१९१	झूँठी गवाही देना ।
१९२	झूँठी गवाहीका बनाना ।
१९३	झूँठी गवाहीका दण्ड ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
१९४	दण्डवधके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूँठी गवाही देना अथवा बनाना ।
,,	यदि निरपराधी मनुष्य उसके कारणसे अपराधी प्रमाणित होजाए और दण्ड वध पाजाए ।
१९५	देशनिकालेके दण्डका अपराध अथवा कैदका अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूठी गवाही देना अथवा बनाना ।
१९६	काममें लाना एस प्रमाणका, जो जान लिया गया हो कि झूँठा है ।
१९७	झूठा सार्टीफिकट जारी करना अथवा उसपर दस्तखत करना ।
१९८	किसी सार्टीफिकटको जिसमें कोई आवश्यकीय बात झूठ जानी हुई हो सच्चे सार्टीफिकटकी रीतिसे काममेंलाना
१९९	झूँठा बयान किसी ऐसे इजहारमें जो कानूनानुसार प्रमाण (सबूत) की भांति लिया जा सकता हो ।
२००	किसी ऐसे इजहारको सच्चेकी भांति काममें लाना, जो जान लिया गया हो कि यह झूठा है ।
२०१	अपराधीको बचानेके लिये अपराधके प्रमाणको गुप्त कर देना अथवा उसके मध्ये झूठी खबर देना ।
,,	यदि अपराध वधके दण्ड योग्य हो ।
,,	यदि अपराध देश निकालेके दण्ड योग्यहो
,,	यदि अपराध दश वर्षसे कमकी कैदके योग्य हो ।
२०२	किसी अपराधका समाचार देनेमें वह मनुष्य जानबूझकर चूक करे जिसे समाचार देना अवश्य हो ।
२०३	होगये हुए अपराधके मध्ये झूठा समाचार देना ।
२०४	किसी दस्तावेजका नष्ट करदेना इसलिये कि वह प्रमाणकी रीतिपर काममें न आसके ।
२०५	किसी मुकद्दमेमें कुछ काम अथवा कार्रवाई करनेके लिये दूसरे मनुष्यका रूप धरना ।
२०६	किसी वस्तुका छल पूर्वक उठा लेजाना अथवा छिपा देना इस अभिप्रायसे कि कुर्की अथवा इजराय डिगरीमें उसका लिया जाना रुकजाय ।
२०७	किसी वस्तुपर छलपूर्वक दावा करना, इस अभिप्रायसे कि उसका लिया जाना कुर्कीमें अथवा इजराय डिगरीमें रुक जाए ।
२०८	अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी जारी होने देना ।
२०९	कोर्ट आफ जस्टिसमें अधर्मसे झूठा दावा करना ।
२१०	अनुचित रुपयेके लिये छलपूर्वक डिगरी प्राप्त करना ।
२११	हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे अपराधका झूठा दावा ।
२१२	अपराधीको आश्रय देना ।
,,	यदि वधके दण्ड योग्य हो ।
,,	यदि देशनिकालेके दंड अथवा कैदके दंड योग्य हो ।
२१३	अपराधीको दंडसे बचानेके लिये इनाम आदि लेना ।
,,	यदि वधके दंड योग्य हो ।
,,	यदि देश निकालेके दंड अथवा कैदके दंड योग्य हो ।
२१४	अपराधीको दण्डसे बचानेके बदलेमें इनाम देना अथवा कुछ वस्तु फेर देना ।
,,	यदि अपराध वधके दंड योग्य हो ।
,,	यदि अपराध देश निकालेके दंड योग्य अथवा कैदके दंड योग्य हो ।
२१५	चोरी इत्यादिका माल निकालनेमें सहायता देनेके बदले इनाम लेना ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२१६	ऐसे अपराधीको आश्रय देना जो हिरासत(चौकसी)से भागाहो अथवा जिसके पकडे जानेकी आज्ञा होचुकी हो।
,,	यदि अपराध वधके दण्ड योग्य हो।
,,	यदि अपराध देशनिकालेके दंड योग्य अथवा कैदके दंड योग्य हो।
२१७	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा मालको जब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे कानूनी आज्ञाको न माने।
२१८	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा मालको जब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे सरिश्तेके झूँठे कागज अथवा लेख बनावे।
२१९	सरकारी नौकर जो अदालती कार्रवाईमें कुप्रयोजनसे ऐसी आज्ञा दे अथवा ऐसी रिपोर्ट इत्यादि करे जिसे वह कानून विरुद्ध जानता हो।
२२०	जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्यको बंधन (कैद) में रक्खे अथवा तजवीज के लिये ऊपरके हाकिमको सौंपै यह जानबूझकर कि मैं कानूनके विरुद्ध करता हूँ।
२२१	जिस सरकारी नौकरपर किसीको पकडना कानूनानुसार अवश्य हो उसकी ओरसे पकडनेमें जानबूझकर चूक हो।
,,	दंड।
२२२	जिस सरकारी नौकरपर पकडना किसी मनुष्यका, जिसके मध्ये कोर्ट आफ जस्टिसने दंडकी आज्ञा की हो अवश्य हो उसकी ओरसे पकडनेमें जानबूझकर चूक हो।
,,	दंड।
२२३	सरकारी नौकर अपनी असावधानीसे किसीको बंधनसे भाग जाने दे।
२२४	जो कोई मनुष्य अपनी उचित गिरफ्तारीमें कुछ रोक टोक करे।
२२५	किसी और मनुष्यकी उचित गिरफ्तारीमें रोक टोक।
,,	दंड।
२२५ (अ)	ऐसी अवस्थाओंमें सरकारी नौकरकी ओरसे गिरफ्तारीमें चूक अथवा भाग जाने देना जिनके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो।
२२५ (ब)	ऐसी अवस्थाओंमें उचित रीतिपर गिरफ्तार किये जानेमें रोक टोक करना या भाग जाना या छुडा लेना जिनके मध्ये और प्रकारसे आज्ञा न हो।
२२६	अनीति रीतिपर देश निकालेसे लौट आना।
२२७	दंडकी मार्फीके नियमोंको तोडना।
२२८	जानबूझकर किसी सरकारी नौकरके अपमान करना अथवा उसके किसी काममें विघ्न डालना जब कि वह अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें इजलास कर रहा हो।
२२९	ज्यूरी अथवा असेसर बनाना।

अध्याय १२.

सिक्कों अथवा गवर्नमेन्टके स्टाम्प सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें।

२३०	सिक्का।
,,	श्रीमान् सम्राटका सिक्का।
२३१	खोटा सिक्का बनाना।
२३२	श्रीमान् सम्राटका खोटा सिक्का बनाना।
२३३	खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना।
२३४	श्रीमान् सम्राट्का खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना।
२३५	औजार वा सामानको खोटे सिक्के के लिये काममें लानेके अभिप्रायसे पास रखना।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२३६	हिन्दुस्थानमें रहकर हिन्दुस्थानके बाहर खोटे सिक्केकी सहायता करना ।
२३७	खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर ले जाना ।
२३८	श्रीमान् सम्राटके खोटे सिक्केका भीतर लाना या बाहर ले जाना ।
२३९	लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह खोटा है उसे किसी और के सिपुर्द करना ।
२४०	लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह श्रीमान् सम्राट्का खोटा सिक्काहै उसे किसी और के सिपुर्द करना।
२४१	ऐसे सिक्केको सच्चे सिक्केकी रीतिपर किसी और को देना, जिसको देनेवालेने पहिले अधिकारमें लेते समय न जाना हो कि, यह खोटा है ।
२४२	उस मनुष्यका खोटा सिक्का पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो ।
२४३	श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का उस मनुष्यका पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो।
२४४	वह मनुष्य किसी टकसालमें नियत हो सिक्केकी तौल अथवा धातुसे जो कानूनके अनुसार ठहराई गई हो, सिक्केकी दूसरी तौल अथवा धातुका बनावे ।
२४५	अनुचित रीतिपर टकसालसे सिक्का बनानेका ठप्पा लेजाना ।
२४६	छल या अधर्मसे किसी सिक्केकी तौल या धातुका बदलना ।
२४७	छल या अधर्मसे श्रीमान् सम्राट्के सिक्केकी तौल या धातु बदलना ।
२४८	किसी सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चल जावे ।
२४९	श्रीमान् सम्राट्के सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चलजावे ।
२५०	अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुआ है, उसे किसी औरके सिपुर्द करना ।
२५१	अधिकारमें लेते समय श्रीमान् सम्राट्के जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुआ है, उसे किसी और के सिपुर्द करना ।
२५२	उस मनुष्यका बदला हुआ सिक्का पास रखना, जिसने उसे अधिकारमें लेते समय जाना हो कि यह बदला हुआ है।
२५३	उस मनुष्यका श्रीमान् सम्राट्के सिक्के को पास रखना, जिसने उसे अधिकारमें लेते समय बदलाहुआ जाना हो ।
२५४	ऐसे सिक्केको असली सिक्केकी भांति किसी औरके सिपुर्द करना, जिसके सिपुर्द करनेवालेने पहिले अधिकार लेते समय बदला हुआ न जाना हो ।
२५५	गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनाना ।
२५६	गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा बनाने अभिप्रायसे कोई औजार या सामा पास रखना ।
२५७	गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा बनाने अभिप्रायसे औजार बनाना या बेचना
२५८	गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बेचना ।
२५९	गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्पको पास रखन
२६०	जाने हुए गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्प सच्चे स्टाम्पकी रीतिसे काममें लान
२६१	गवर्नमेंटको हानि पहुंचानेके अभि यसे किसी पदार्थसे जिसपर गवर्न स्टाम्प हो, कोई लेख मिटाना, किसी दस्तावेजसे वह स्टाम्प जो उस लिये काममें लाया गया है,दूर करन

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२६२	काममें लायेहुए गवर्नमेंटस्टाम्पको जानबूझकर काममें लाना ।
२६३	उस चिह्नको छीलना जिससे यह प्रगट होता है कि स्टाम्प काममें आचुका है ।

अध्याय १३.

नाप तोल सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें ।

२६४	तौलनेके झूँठे औजारको छलछिद्रसे काममें लाना ।
२६५	झूँठे वाट या पैमानोंको छलसे काममें लाना ।
२६६	झूँठे वाटों या पैमानोंको पास रखना ।
२६७	झूँठे वाट या पैमाने बनाना या बेचना ।

अध्याय १४.

सर्व सम्बन्धी आरोग्यता या कुशलता और सज्जनता अथवा सुशीलतामें विघ्न डालने वाले अपराधोंके विषयमें ।

२६८	सर्व सम्बन्धी बाधाका काम ।
२६९	असावधानीसे वह काम करना जिससे प्राणको भय पहुँचानेवाले किसी रोगके फैलनेकी सम्भावना है ।
२७०	दुर्भावका काम जिससे फैलना जीव-जोखिमके रोगका अति संभव हो ।
२७१	कारंटाइनके कायदेको न मानना ।
२७२	खाने या पीनेके पदार्थमें जिसके वेचनेका अभिप्राय हो मिलावट करना ।
२७३	खाने या पीनेके हानिकारक पदार्थको बेचना ।
२७४	दवाओंमें मिलावट करना ।
२७५	मिलावट की हुई दवाओंको वेचना ।
२७६	किसी दवाको दूसरी दवाके नामसे बेचना ।
२७७	सर्व सम्बन्धी सोते या कुण्डके पानीको बिगाडना ।
२७८	हवाको आरोग्यताके अयोग्य करना ।
२७९	किसी सर्वसंबंधी मार्गपर असावधानीसे गाडी चलाना या सवार होकर निकलना ।
२८०	असावधानीसे नावको चलाना ।
२८१	झूँठा प्रकाश या झूँठा चिह्न या पानीपर तैरनेवाला चिह्न दिखाना ।
२८२	किसी मनुष्यको पानीकी राह भाडेपर नावद्वारा लेजाना जिसमें बहुत अधिक बोझ लदाहो ।
२८३	जल या स्थलके सर्वसम्बन्धी मार्गपर जोखिम या रोक पहुँचाना ।
२८४	किसी विषैले पदार्थके मध्ये असावधानी करना ।
२८५	आग या आगवाले पदार्थके मध्ये असावधानी करना ।
२८६	भकसे उडजानेवाले पदार्थके मध्ये असावधानी करना ।
२८७	किसी कलके मध्ये जो अपराधीके पास हो अथवा उसके प्रबन्धमें असावधानी करना ।
२८८	किसी घर आदिके गिराने या उसकी मरम्मत करनेके मध्ये असावधानी करना
२८९	किसी पशुके मध्ये असावधानी करना ।
२९०	सर्व दुःखदायी कामका दण्ड ।
२९१	सर्व दुःखदायी कामके न करते रहनेकी आज्ञा पाकर उसे करते रहना ।
२९२	अश्लील पुस्तकका वेचना आदि ।
२९३	अश्लील पुस्तकोंको बेचने या दिखानेके लिये पास रखना ।
२९४	अश्लील गीत ।
२९४ (अ)	चिट्ठी डालनेके दफ्तरका रखना ।

अध्याय १५.

उन अपराधोंके बयानमें जो मतसे संबन्धरखतेहैं

२९५	किसी सम्प्रदायके मतकी निंदा करनेके अभिप्रायसे किसी पूजाके स्थानको हानि पहुँचाना या अपवित्र करना ।
२९६	किसी मत संबंधी समाजको कष्ट पहुँचाना ।
२९७	कबरस्तान आदि पर मदाखलत बजा करना ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२९८	जानबूझकर मतके मध्ये किसी मनुष्यका अन्तःकरण दुखानेके अभिप्रायसे बात इत्यादि मुँहसे निकालना।
	अध्याय १६.
	मनुष्यके तन सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें।
२९९	शातवत्घात (कतलइन्सान मुस्तलजिमसजा)
३००	ज्ञातघात (कत्ल अम्द)
	,, जब कि ज्ञातवत्घात ज्ञातघात नहीं है
३०१	ज्ञातवत्घात किसी ऐसे मनुष्यकी मृत्यु करनेसे जो उस मनुष्यसे जिसके मारडालनेका अभिप्राय था, भिन्नहो।
३०२	ज्ञातघातका दण्ड।
३०३	दण्ड उस ज्ञातघातका, जो कोई देश निकालेके दण्डवाला अपराधी करडाले।
३०४	ज्ञातवत् घातका दण्ड जो ज्ञातघात तक न पहुँचे।
३०४	(अ) असावधानीसे मृत्युका कारण होना
३०५	आत्मघातमें लडके अथवा पागलकी सहायता।
३०६	आत्मघातमें सहायता।
३०७	ज्ञातघातका उद्योग।
३०८	ज्ञातवत्घातका उद्योग।
३०९	आत्मघात करनेका उद्योग।
३१०	ठग।
३११	दण्ड।
	गर्भ गिराने और बिना जन्मे बालकोंको हानि पहुँचाने तथा जन्मे हुए बालकोंको बाहर डाल आने और जन्म छुपानेके विषयमें।
३१२	गर्भ गिराना।
३१३	स्त्रीकी बिना राजी गर्भ गिराना।
३१४	मृत्यु जिसका कारण वह काम हो, जो गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे किया गयाहै।
	,, यदि वह काम स्त्रीकी बिना राजी किया गया है।
३१५	काम जो बच्चेको जीवित न उत्पन्न होने देने अथवा उत्पन्न होनेके पश्चात् उसकी मृत्युका कारण होनेके अभिप्रायसे किया गया हो।
३१६	ऐसे कामसे जो शातवत् घातकी सीमा तक पहुँचता है, किसी जीव पडे हुए बालक की मृत्युका कारण होना।
३१७	माँ बाप अथवा किसी रक्षकका बारह वर्षसे कम अवस्थाके बच्चेको डाल देना और छोड देना।
३१८	जने हुए बालककी लोथको छुपाना।
	दुःख (जरर) के बयान
३१९	दुःख (जरर)
३२०	भारी दुःख (जरर शदीद)
३२१	जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३२२	जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३२३	जानबूझकर दुःख पहुँचानेका दण्ड।
३२४	जोखिमके हथियारों या यत्नोंसे जानबूझ कर दुःख पहुँचाना।
३२५	जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेका दंड।
३२६	जोखिमके हथियारों या यत्नोंसे जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३२७	बलपूर्वक मालके प्राप्त करने अथवा किसी अनुचित कामपर विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३२८	दुःख आदि पहुँचानेके अभिप्रायसे अचेत करनेवाली दवा खिलाना।
३२९	बलपूर्वक मालके प्राप्त करने अथवा किसी अनुचित कामपर विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना
३३०	दबाकर इकरार कराने या दबाकर मालके वापिस करदेनेको विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३३१	दबाकर इकरार कराने या दबाकर मालके वापिस करदेनेको विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३३२	सरकारी नौकरको सरकारी कामसे डराकर रोकरखनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
३३३	सरकारी नौकरको सरकारी कामके करनेसे डराकर रोक रखनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना ।
३३४	क्रोध दिलानेवाले कामके कारण जान बूझकर दुःख पहुँचाना ।
३३५	क्रोध दिलानेवाले कामके कारण जान-बूझकर भारी दुःख पहुँचाना ।
३३६	उस कामका दंड जो जीव या औरोंकी शारीरिक कुशलतामें विघ्न डाले ।
३३७	ऐसे कामसे दुःख पहुँचाना, जो जीव अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको विघ्नमें डाले ।
३३८	ऐसे कामसे भारी दुःख पहुँचाना, जो जीव अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको विघ्नमें डाले ।
	अनीति रोक और अनीतिबंधनके विषयमें ।
३३९	अनीति रोक (मुजाहिमत बेजा)
३४०	अनीतिबंधन (हब्सबेजा)
३४१	अनीतिरोकका दंड ।
३४२	अनीति बंधनका दंड ।
३४३	तीन अथवा अधिक दिनतक अनीतिबंधन
३४४	दश अथवा अधिक दिनतक अनीतिबंधन
३४५	उस मनुष्यका अनीतिबंधन, जिसके छुट-कारेके लिये आज्ञापत्र (हुक्म) जारी होचुका है ।
३४६	गुप्त अनीतिबंधन मखफी (हब्सबेजा)
३४७	दबाकर माल लेने या किसी अनुचित कामपर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीतिबंधन ।
३४८	दबाकर इकरार कराने या मालके वापिस कर देनेको विवश करनेके अभि-प्रायसे अनीतिबन्धन ।
	अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना) और आक्रमण (हमले) के विषयमें ।
३४९	बल (जब्र)
३५०	अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना)
३५१	आक्रमण (हमला)
३५२	भारी क्रोध दिलानेवाले कामके कारणके सिवाय और प्रकारपर अनीति बलका दण्ड ।
३५३	किसी सरकारी नौकरको अपने कर्तव्य कर्मसे डराकर रोक रखनेके लिये अनी-तिबलको काममें लाना ।
३५४	किसी स्त्रीकी लज्जा बिगाडनेके अभि-प्रायसे आक्रमण अथवा अनीति बल ।
३५५	भारी क्रोध दिलानेवाले कारणके अति-रिक्त और प्रकारपर किसी मनुष्यको बेइज्जत करनेके अभिप्रायसे आक्रमण या अनीतिबल ।
३५६	उस मालको चुरानेके उद्योगमें आक्रमण या अनीतिबल जिसको कोई मनुष्य लिये हुए हो ।
३५७	अनीतिबंधनके उद्योगमें आक्रमण या अनीतिबल ।
३५८	भारी क्रोध होनेकी अवस्थापर आक्र-मण या अनीतिबल ।
	मनुष्यको लेभागने और भगा ले जाने और दास बनाने तथा बेगार करानेके विषयमें ।
३५९	मनुष्यको ले भागना ।
३६०	ब्रिटिश इंडियासे मनुष्यको ले भागना।
३६१	योग्यरक्षककी रक्षामेंसे मनुष्यको ले भागना ।
३६२	मनुष्यको भगा ले जाना ।
३६३	मनुष्यको ले भागनेका दंड ।
३६४	ज्ञातघातके लिये मनुष्यको लेभागना या भगा लेजाना ।
३६५	किसी मनुष्यको गुप्त और अनीति बंधन करनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा ले जाना ।
३६६	किसी स्त्रीको व्याह आदिपर विवश कर-नेके लिये ले भागना या भगा लेजाना।
३६७	किसी मनुष्यको भारी दुःख पहुँचाने या दास बनानेके लिये ले भागना या भगा ले जाना ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
३६८	ले भागे हुए मनुष्यको छुपाना या बंधनमें रखना ।
३६९	दश वर्षसे कम अवस्थाके बालकको उसके शरीरपरसे स्थावर धन चुरालेनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा ले जाना।
३७०	किसी मनुष्यको गुलामकी रीतिपर मोल लेना अथवा उसको अपने अधिकारसे अलग करना ।
३७१	स्वभावसे ही दासोंका व्यापार करना ।
३७२	किसी नाबालिगको व्यभिचार आदिके अभिप्रायसे बेचना या भाडेपर चलाना।
३७३	नाबालिगको व्यभिचार आदिके अभिप्रायसे मोल लेना या अधिकारमें लाना।
३७४	अनुचित बेगारपर विवश करना ।
	बलपूर्वक व्यभिचारके विषयमें ।
३७५	बलपूर्वक व्यभिचार (जिना बिलजब्र)
३७६	बलपूर्वक व्यभिचारका दंड ।
	स्वभावके विरुद्ध अपराधोंके विषयमें ।
३७७	स्वभाव विरुद्ध अपराध ।
	अध्याय १७.
	माल सबन्धी अपराधोंके विषयमें ।
	चोरीका वर्णन ।
३७८	चोरी ।
३७९	चोरीका दंड ।
३८०	घर या डेरा या नावमें चोरी ।
३८१	जब कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने स्वामीके पाससे कोई वस्तु चुरावे ।
३८२	चोरी करनेके अभिप्रायसे मृत्यु करने अथवा भारी दुःख पहुँचानेकी तैयारी करनेके पश्चात् चोरी करना ।
	दबाकर लेनेके विषयमें ।
३८३	दबाकर लेना (इस्तेहसाल बिलजब्र)
३८४	दबाकर लेनेका दण्ड ।
३८५	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानिका भय दिखाना ।
३८६	किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुँचानेका डर दिखानेके द्वारा दबाकर कुछ प्राप्त करना ।
३८७	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःखका डर दिखाना।
३८८	किसी अपराधीके तुहमत लगानेकी धमकीसे दबाकर प्राप्त करना, जिसके बदलेमें मृत्यु अथवा देश निकाले आदिका दंड ठहराया गया है ।
३८९	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको अपराध लगानेका डर दिखाना ।
	बलपूर्वक चोरी व डकैतीके वर्णनमें ।
३९०	बलपूर्वक चोरी (सरका बिलजब्र)
,,	जिस अवस्थामें चोरी बलपूर्वक चोरी है।
,,	जिस अवस्थामें दबाकर लेना बलपूर्वक चोरी (जोरी) है ।
३९१	डकैती ।
३९२	बलपूर्वक चोरी (जोरी) का दंड ।
३९३	जोरी करनेका उद्योग ।
३९४	जोरी करनेके उद्योगमें जानबूझकर दुःख पहुँचाना ।
३९५	डकैतीका दंड ।
३९६	ज्ञातघातके साथ डकैती ।
३९७	जोरी अथवा डकैती मृत्यु करने या भारी दुःख पहुँचानेके उद्योगके साथ ।
३९८	घातक हथियार लेकर जोरी अथवा डकैती करनेका उद्योग ।
३९९	डकैती करनेके लिये तैयारी करना ।
४००	डकैतोंके झुंडमें साझी होनेका दंड ।
४०१	चोरोंके इधर उधर घूमनेवाले झुंडमें साझी होनेका दंड ।
४०२	डकैती करनेके लिये इकट्ठा होना ।
	मालके अनीतिव्ययके वर्णनमें ।
४०३	अधर्मसे मालका अनीतिव्यय ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
४०४	अधर्मसे उस मालका अनीतिव्यय जो मरनेके समय मृतक मनुष्यके अधिकारमें था ।
	दण्ड योग्य विश्वासघातके वर्णनमें ।
४०५	दंडयोग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना)
४०६	दण्डयोग्य विश्वासघातका दंड ।
४०७	माल पहुँचानेवाले या घटवाल आदिसे दंड योग्य विश्वासघातका होना ।
४०८	गुमाश्ते या नौकरसे दण्डयोग्य विश्वासघातका होना ।
४०९	सरकारी नौकर या महाजन या सौदागर या कारवारीसे दंड योग्य विश्वासघातका होना ।
	चोरीका माल लेनेके बयानमें ।
४१०	चोरीका माल ।
४११	अधर्मसे चोरीका माल लेना ।
४१२	अधर्मसे डकैतीके मालको लेना ।
४१३	स्वाभाविक चोरीके मालका कारोबार करना ।
४१४	चोरीके मालको छिपानेमें सहायता देना ।
	दगाके बयानमें (विश्वासघात)
४१५	दगा ।
४१६	दूसरा मनुष्य बनकर दगा करना ।
४१७	दगाका दंड ।
४१८	दगा इस जानकारीसे कि उससे अनुचित हानि किसी मनुष्यको पहुँचे, जिसके अधिकारकी रक्षा अपराधीपर अवश्यहै।
४१९	दूसरा मनुष्य बनकर दगा करनेका दंड ।
४२०	दगा और अधर्मसे मालको सिपुर्द करनेके लिये बहँकाना ।
	छलछिद्रसे लिखतमों और छलछिद्रसे माल अलग करनेके विषयमें ।
४२१	व्योहरोंमें बँट जानेसे बचानेके लिये मालको अलग कर देना या छुपाना ।
४२२	अपने किसी ऋण (कर्ज) अथवा तगादेको अपने व्योहरोंको मिलनेसे अधर्मके द्वारा रोकना ।
४२३	अधर्मसे बैनामें आदि दस्तावेजका लिखना,जिसमें मोलकी तादाद झूँठ लिखी हो।
४२४	मालको अधर्मसे दूर करना या छुपाना।
	हानि पहुँचानेके विषयमें ।
४२५	हानि पहुँचाना ।
४२६	हानि पहुँचानेका दंड ।
४२७	हानि पहुँचानेके द्वारा पचास रुपये तकका नुकसान पहुँचाना ।
४२८	दश रुपये तकका कोई पशु मार डालने आदिसे हानि पहुँचाना ।
४२९	पचास रुपये तकका कोई पशु मार डालने आदिसे हानि पहुँचाना ।
४३०	खेती आदिके लिये पानीकी कमी करके हानि पहुँचाना ।
४३१	सर्वसाधारणके आनेजानेके मार्ग या पुल या नदीको हानि पहुँचाकर हानि पहुँचाना ।
४३२	अहलाकरके अथवा पानीका निकास रोककर जिससे हानि होती हो, हानि पहुँचाना ।
४३३	लाइटहौस या समुद्री चिह्नको नष्ट करने या उसका स्थान बदलने या कुछ बिगाड देने आदिसे हानि पहुँचाना ।
४३४	धरतीका चिह्न जो सरकारी आज्ञासे बना हो, नष्ट करने अथवा उसके स्थानको बदलनेके द्वारा हानि पहुँचाना।
४३५	आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा सौ रुपये तककी हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना ।
४३६	आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा घर आदि नष्ट करनेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना ।
४३७	पटी हुई नाव या पांचसौ साठ ५६०

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	मनकी नावको नष्ट करना अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्न डालनेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना ।
४३८	ऊपरकी पिछली दफामें कहे हुए कामका दंड जब कि वह हानि आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा हो ।
४३९	चोरी आदि करनेके अभिप्रायसे नावको किनारेपर टकराना ।
४४०	मृत्यु या दुःख (जरर) पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् हानि पहुँचाना ।
	दण्ड योग्य मदाखलत बेजा(अनधिकार प्रवेश)
४४१	दण्ड योग्य मदाखलत बेजा ।
४४२	घरकी मदाखलत बेजा ।
४४३	गुप्त (मखफी) मदाखलत बेजा ।
४४४	रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा।
४४५	सेंध लगाना ।
४४६	रातके समय सेंध लगाना ।
४४७	दण्ड योग्य मदाखलत बेजाका दण्ड ।
४४८	घरकी मदाखलत बेजाका दण्ड ।
४४९	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड मृत्यु है, घरकी मदाखलत बेजा ।
४५०	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड देश निकाला है, घरकी मदाखलत बेजा ।
४५१	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड कैद है, घरकी मदाखलत बेजा ।
४५२	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् घरकी मदाखलत बेजा ।
४५३	गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोडनेका दंड ।
४५४	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड कैद है घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या सेंध लगाना ।
४५५	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् घरकी मदाखलत बेजा या सेंध लगाना ।
४५६	रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या सेंध लगानेका दण्ड ।
४५७	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड कैद है, रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोडना ।
४५८	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोडना ।
४५९	घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोडनेकी अवस्थामें भारी दुःख पहुँचाना ।
४६०	घर फोडने आदिमें सब साझी दण्डयोग्य हैं,मृत्यु या भारी दुःखके बदलेमें जिसका उनमेंसे कोई मनुष्य कारण हो।
४६१	कोई बन्द किया हुआ वर्त्तन तोडकर खोलना जिसमें माल है अथवा जो माल भरे हुएके समान है ।
४६२	उस अपराधका दण्ड जब कि रक्षक ही करै

अध्याय १७.

उन अपराधोंके विषयमें जो लिखतमों और व्यापार अथवा मालके चिह्नोंसे संबन्ध रखते हों ।

४६३	जालसाजी ।
४६४	झूंठी दस्तावेज बनाना ।
४६५	जालसाजीका दण्ड ।
४६६	कोर्ट ऑफ जस्टिसके सरिश्तेके कागज या बालकोंका जन्म लिखा जानेवाला रजिस्टर या सर्व साधारण रजिस्टर आदिको जाली बनाना ।
४६७	विफालतुलमाल या वसीअतनामेको जाली बनाना ।
४६८	दगाके लिये जालसाजी ।
४६९	किसी मनुष्यकी नेकनामी को हानि पहुँचानेके लिये जालसाजी ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
४७०	जाली दस्तावेज ।
४७१	जाली दस्तावेजको सच्ची दस्तावेजकी रीतिसे छलपूर्वक काममें लाना ।
४७२	जालसाजी करनेके अभिप्रायसे जो दफा ४६७ के अनुसार दंड योग्य है, खोटी मुहर आदि बनाना या पास रखना।
४७३	जालसाजी करनेके अभिप्रायसे जिसका दूसरा दंड नियत है, खोटी मुहर आदि बनाना या पास रखना ।
४७४	जानी हुई जाली दस्तावेजको सच्चीकी रीति पर काममें लानेके अभिप्रायसे पास रखना ।
४७५	चिह्न या निशानका खोटापन जो दफा ४६७ में कही हुई दस्तावेजकी तसदीकके लिये काममें आये अथवा खोटा चिह्न किये हुए पदार्थका पास रखना ।
४७६	चिह्न या निशानका खोटापन जो दफा ४६७ की दस्तावेजोंके और दस्तावेजोंकी तसदीकके लिये काममें आवे अथवा खोटा चिह्न किये हुए पदार्थका पास रखना ।
४७७	वसीअत नामेको काटना अथवा उसका नष्ट करना आदि ।

व्यापार और मालके चिह्नोंके विषयमें ।

४७८	व्यापारका चिह्न ।
४७९	मालका चिह्न ।
४८०	व्यापारका झूठा चिह्न काममें लाना ।
४८१	मालका झूठा चिह्न काममें लाना ।
४८२	किसी मनुष्यको धोखा देने या हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे व्यापार या मालके झूठे चिह्नको काममें लानेका दंड ।
४८३	हानि या नुकसान पहुँचानेके अभिप्रायसे व्यापार या मालके उस चिह्नका खोटापन जिसको कोई और मनुष्य काममें लाता है ।
४८४	मालका कोई ऐसा चिह्न जिसको कोई सरकारी नौकर काममें लाता हो अथवा ऐसा चिह्न जिसको वह किसी मालका तैयार होना आदि प्रगट करनेके लिये काममें लाता हो झूठ बनाना ।
४८५	कोई ठप्पा या चपरास या माल या व्यापारके किसी सर्व सम्बन्धी या विशेष चिह्नके खोटेपनका औजार छलपूर्वक बनाना या पास रखना ।
४८६	ऐसे असबाबको जानबूझकर बेचना जिसपर माल या व्यापारका झूठा चिह्न बना हो ।
४८७	किसी गठरी या बर्त्तनपर जिसमें असबाब हो झूठा चिह्न छलपूर्वक बनाना ।
४८८	किसी ऐसे झूठ चिह्नको काममें लानेका दंड
४८९	हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे कोई मालके चिह्नको बिगाडना ।

कारेंसी नोट और बेंक नोटोंके वर्णनमें ।

झूठा कारेंसी या बेंकनोट बनाना जाली या खोटे बेंकनोट या कारेंसी नोटको सच्चेकी रीतिपर काममें लाना ।

जाली या खोटे बकनोट या कारेंसी नोटोंको अपने अधिकारमें रखना ।

कारेंसी नोट या बेंक नोटको जाली या खोटा बनानेके अभिप्रायसे औजार या सामान बनाना या पास रखना ।

अध्याय १९.

दण्ड योग्य नौकरीका कौल करार तोडनेकी विषयमें ।

४९०	जल अथवा थलके सफरमें नौकरीका कौल करार तोडना ।
४९१	असमर्थ मनुष्यको सेवा करने और उसे आवश्यकीय पदार्थ पहुँचानेका कौल करार तोडना ।
४९२	किसी स्थानमें सेवा करनेका कौल करार

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	तोडना जहां नौकर स्वामीके खर्चसे पहुँचाया गया हो।
	अध्याय २०.
	उन अपराधोंके विषयमें जो व्याहसे सम्बन्ध रखते हैं।
४९३	संभोग जो किसी पुरुषने उचित व्याह होजानेका धोखा देकर किया हो।
४९४	पति अथवा स्त्रीके जीतेजी दूसरा व्याह करना।
४९५	वही अपराध पहिले व्याहका उससे जिसके साथ पिछला व्याह हुआ छिपाकर करना।
४९६	बिना करने उचित विवाहके छलके अभिप्रायसे व्याहकी रीतिका पूरा करना।
४९७	व्यभिचार।
४९८	बुरे अभिप्रायसे किसी व्याही स्त्रीको फुसला ले जाना या ले उडना या रोक रखना।
	अध्याय. २१.
	अपयश लगानेके विषयमें।
४९९	अपयश लगाना।
,,	किसी सच्ची बातकी तुहमत जिसका करना या प्रगट करना सर्वसाधारणके लाभके लिये अवश्य है।
,,	सरकारी नौकरका निजकर्तव्यकर्म करना।
,,	तुहमत जो कोई मनुष्य अपने स्वार्थकी रक्षाके लिये या सम्बन्धी सर्व दूसरोंके लाभके लिये नेक नियतीसे लगावे।
,,	सावधान करना जिसमें उस मनुष्यका लाभ हो कि जिसे सूचना दी गई हो अथवा जिससे सर्व साधारणका लाभ हो।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
५००	अपयश लगानेका दंड।
५०१	किसी वस्तुका छापना या खोदकर दिखाना यह जानकर कि वह अपयश लगानेवाला है।
५०२	बेचना किसी छपी हुई खुदी हुई वस्तुका, जिसमें अपयश लगानेवाली बात हो।
	अध्याय २२.
	दण्ड योग्य धमकी और अपमान व रंज दिलानेके विषयमें।
५०३	दण्ड योग्य धमकी (तखवीफ मजुरिमाना)
५०४	सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डालनेके अभिप्रायसे जानबूझकर अपमान करना।
५०५	वर्णन जो सर्वसाधारणकी हानिका कारण हो।
५०६	दण्ड योग्य धमकीका दण्ड।
,,	यदि मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुँचानेकी धमकी हो।
५०७	बिना नामकी मुखबिरीके करके दण्ड योग्य धमकी।
५०८	काम जो किसी मनुष्यको यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि उसपर ईश्वरका कोप होगा या कराया जावेगा।
५०९	किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे वचन कहना या सैन देना।
५१०	सर्व साधारणके सामने किसी नशा पिये हुए मनुष्यकी बदचलनी।
	अध्याय २३.
	अपराध करनेके उद्योगके विषयमें।
५११	उन अपराधोंके उद्योगका दण्ड जिनके लिये जन्म भरका देश निकाला या कैदका दण्ड ठहराया गया है।
	इति।

ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ईस्वी

अर्थात्

हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह ।

—:○:○:※:○:○:—

(जिसको श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरने ६ अक्टूबर सन् १८६० ई० को स्वीकार किया)

अध्याय पहिला १.

जो कि यह बात उचित है कि, भारतवर्षमें समस्त अंगरेजी राज्यके लिये एकही दण्ड-संग्रह बनाया जावे, इस वास्ते नीचे लिखी आज्ञा हुई कि:—

इस ऐक्टका सिरनामा और उसके प्रचारका फैलाव.

(१) शुद्ध किया गया ऐक्ट ६ सन् १८६१ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार इस ऐक्टका नाम हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह होगा और यह १ जनवरी सन् १८६२ ई० के आरंभसे उन देशोंमें प्रचलित किया जायगा कि, जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने सिंहासनपर बैठनेके २१ वें वा २२ वें सालवाले कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध ठीक करनेके निमित्त हुआ था, अब प्राप्त है, अथवा आगे प्राप्त हों ।

नोट--ऐक्ट नं० ५ सन् १८६७ के अनुसार हिंदुस्थानका दण्डसंग्रह स्टेट सेटलमेंटमें भी प्रचलित किया गया है ।

उन अपराधोंका दण्ड जो उपरोक्त देशोंमें किये जांय.

(२) शुद्ध किया गया ऐक्ट ६ सन् १८६१ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार—प्रत्येक मनुष्य जो उक्त देशोंमें पहली जनवरी सन् १८६२ ई० को या उसके पश्चात् किसी ऐसे अपराधका अपराधी हो, जो इस संग्रहके विरुद्ध हो, वह इसी संग्रहके अनुसार दण्डके योग्य होगा, किसी दूसरे कानूनके अनुसार नहीं ।

नोट-ऐक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० में यह आज्ञा है कि, जिन अपराधोंका दण्ड इस संग्रहके अनुसार हो सकता है, उन सबकी तहकीकात तथा दूसरी कार्रवाई ऐक्ट फौजदारीके अनुसार की जावेगी ।

(३) जो कोई मनुष्य किसी कानूनके अनुसार कि जिसको श्रीयुत गवर्नर जनरल बहादुर हिन्द बइजलास कौन्सलने चलाया हो, किसी ऐसे अपराधमें दण्डके योग्य हो कि, जो उपरोक्त देशोंकी सीमाके(हदके)बाहर हुआ है तो उस मनुष्यके साथ किसी अपराधके सम्बन्धमें कि जो उपरोक्त देशोंकी सीमाके बाहर हुआ हो इस संग्रहके लेखोंके अनुसार उसी प्रकार वर्ताव किया जावेगा कि मानों उसने वह अपराध उन देशोंके भीतर ही किया है ।

उन अपराधोंका दण्ड जो उपरोक्त देशोंके बाहर किये जांय, परन्तु उनकी जांच कानूनके अनुसार उन देशोंके भीतर होसकती है.

दण्डसंग्रहका राजकीय सीमाके बाहर किये गये अपराधोंपर प्रभाव ।

(४) इस संग्रहके लेखोंके अनुसार उन अपराधोंपर भी विचार होगा; जिनको कि—

(१) कोई सम्राट्की देशी हिन्दुस्थानी प्रजा बृटिश भारतके बाहर किसी स्थानमें करे।

(२)कोई अन्य बृटिश प्रजा भारत वर्षके किसी रजवाडे या देशी शासकके राज्यमें करे।

(३) कोई सम्राट्का नौकर चाहे वह बृटिश प्रजा हो या न हो, भारतवर्षके किसी देशी रजवाडे या देशी शास्त्रके राज्यमें करे ।

स्पष्टीकरण—इस धारामें "अपराध" शब्दसे बृटिश भारतके बाहर किये गये उन कामोंका भी तात्पर्य है, जो कि बृटिश भारतमें किये जानेपर इस संग्रहके अनुसार दण्डनीय हो सकते हैं ।

उदाहरण ।

(अ) एक कुलीने जो कि देशी हिन्दुस्थानी प्रजा है, उगाराडमें ज्ञातघातका अपराध किया, इस कुलीका विचार और दण्ड ज्ञातघात अपराधके लिये बृटिश भारतमें जहां कहीं वह पायाजाय वहीं हो सकताहै ।

(ब) एक योरोपीय बृटिश प्रजाने काश्मीरमें ज्ञातघात किया, उसका विचार और दंड ज्ञातघातके अपराधके लिये बृटिश भारतमें जहां कहीं वह मिले, वहीं होसकताहै ।

(स) एक विदेशीने जो कि पञ्जाब सरकारका नौकर है, रियासत झींदमें ज्ञातघात किया, उसका विचार और दंड ज्ञातघातके अपराधके लिये बृटिश भारतमें जहां वह पाया जाय,होसकता है।

(द) इन्दौरमें रहनेवाले एक बृटिश प्रजाजनने एक व्यक्तिको बम्बईमें ज्ञातघात करनेके लिये प्रेरित (उत्तेजित) (Instigate) किया; यह बृटिश प्रजा ज्ञातघातकी सहायता करनेका अपराधी है।

(५) * यह अभिप्राय नहीं है कि, इस संग्रहका कोई लेख नीचेलिखित कानूनोंकी किसी आज्ञाको पलटे अथवा न्यून करे या मिटावे अर्थात् अध्याय ८९ ऐक्ट आफ पार्लिमेंट कि जो महाराजा चतुर्थ विलियमके सिंहासनपर बैठनेपर ३ व ४ साल प्रचलित हुआ ।

मुख्य कानून कि जिनमें इस ऐक्टका कुछ प्रभाव न होगा.

अथवा कोई ऐक्ट आफ पार्लीमेंट जो उपरोक्त ऐक्टके पीछे प्रचलित जारी होकर सरकार ईस्टइंडिया कम्पनी या ऊपर कहे हुए देशों अथवा उपरोक्त देशोंके निवासियोंपर किसी प्रकारसे प्रचारित हुआ हो ।

---

* देखो दफा १ ऐक्ट नं० १४ सन् १८७० ई० ।

अथवा कोई ऐक्ट जो महाराज सम्राट्के नौकरों अफ्सरों और सिपाहियोंकी बगावत और नौकरीपरसे भागजानेके दण्डसे सम्बन्ध रखता हो।

अथवा कोई कानून किसी विशेष कार्यके लिये अथवा कोई कानून किसी विशेष स्थानके लिये।

अध्याय दूसरा २.

साधारणार्थ स्पष्टीकरणके विषयमें।

(६) इस समस्त संग्रहमें किसी अपराधका प्रत्येक लक्षण और प्रत्येक दण्डका नियम तथा उस लक्षण अथवा दण्डके नियमका प्रत्येक उदाहरण उन छूटोंके अधीन समझा जायगा। जो साधारण छूटोंके अध्यायमें लिखा हुआ है, चाहे प्रत्येक लक्षण या दण्डके नियम तथा उदाहरणमें उन उपरोक्त छूटोंका दूसरी बार वर्णन न हुआ हो।

इस संग्रहमें लिखी हुई तारीफें (लक्षण) छूटों के अधीन समझी जायँ.

उदाहरण।

(क) इस संग्रहकी उन दफोंमें जहाँ अपराधोंके लक्षण लिखे हैं, यह नहीं लिखा गया कि, सातवर्षसे न्यून अवस्थाका बालक इन अपराधोंका अपराधी नहीं हो सकता, परंतु उन लक्षणोंको उस साधारण छूटके अधीन समझना चाहिये, जिसमें यह नियत है कि, कोई काम जो सातवर्षसे कम अवस्थाका बालक करे, अपराध नहीं है।

(ख) यदि शिवशंकर कि जो पुलीसका नौकर है, बिना वारंटके रमाशंकरको कि जो अपराधी ज्ञातघात (कत्लअम्द) का है, कैद करे, तो इस अवस्थामें शिवशंकर अनीतिबंधन (हब्सबेजा) का अपराधी न गिना जायगा, क्योंकि रमाशंकरका कैद करना कानूनके अनुसार उसका कर्तव्य कर्म था, अतएव ऐसी अवस्था उस साधारण छूटके अधीन समझी जायगी कि जिसमें यह नियत हुआ है कि कोई काम अपराध नहीं है जो ऐसा मनुष्य करे कि जिसका करना कानूनके अनुसार उसका कर्तव्य कर्म है।

(७) प्रत्येक शब्द जिसका स्पष्टीकरण (तशरीह) इस संग्रहमें किसी एक स्थानपर हुआ है, उसी स्पष्टीकरणके अनुसार इस संग्रहके प्रत्येक स्थानपर उसी अर्थसे वर्त्ता गया है।

उन शब्दोंका अभिप्राय कि जो एकवार समझाये गये हैं.

(८) शब्द "वह" और उसके कारक प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री, वर्त्ते गये है।

लिंग.

(९) यदि प्रसंगमें कुछ विरुद्धता न प्रगट हो, तो एकवचनके अर्थ देनेवाले शब्दोंमें बहुवचन भी समझा जायगा और बहुवचनके अर्थ देनेवाले शब्दोंमें एकवचन.

एकवचन व बहुवचन.

(१०) पुरुष शब्दसे किसी अवस्थावाले मनुष्य-जातिके पुँल्लिङ्गसे अभिप्राय है
पुरुष व स्त्री. } और स्त्री शब्दसे किसी अवस्थावाली मनुष्य-जातिके स्त्रीलिंगसे।

(११) मनुष्य शब्दसे प्रत्येक कम्पनी और समाज तथा झुंड मनुष्योंका समझा
मनुष्य. } जाय-चाहे उनको सर्कारसे सनद मिली हो या न मिली हो।

(१२) सर्वसाधारणका शब्द सब मनुष्योंके प्रत्येक गिरोह और प्रत्येक मत
सर्वसाधारण. } (मजहब) से सम्मिलित है।

(१३) श्रीमती महारानीके शब्दसे समयके बादशाह ग्रेटबृटन और आयर्लैन्डकी
श्रीमतीमहारानी. } अधीश्वरीसे अभिप्राय है।

(१४) श्रीमती महारानीके नौकर इन शब्दोंका संकेत सब अहलकारों अथवा
श्रीमती महारानीके नौकर. } नौकरोंसे है, जो श्रीमती महारानीके राज्यके साल २१ व २२ की कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध सुधारनेके लिये हुआ था-नियत हुए हों, अथवा गवर्नमेण्ट हिंद या और किसी गवर्नमेण्टकी आज्ञासे हिन्दुस्थानमें नौकरीपर बने हों या नियत किये गये हों या कामपर लगाये गये हों।

(१५) शुद्ध हुए ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार ब्रिटिश इंडियाके
ब्रिटिश इंडिया. } शब्दसे उन देशोंका अभिप्राय है कि जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने राज्यके साल २१ व २२ की कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध सुधारनेके लिये हुआ था, अब प्राप्त है या आगे प्राप्त हों।

(१६) गवर्नमेंट हिंदके शब्दसे श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर हिंद
गवर्नमेंट हिंद. } बइजलास कौंसल और यदि श्रीमान् अपनी कौंसलमें न हों, तो प्रेजीडेंट बइजलास कौंसल या केवल नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर हिंदका अभिप्राय है, जैसा जिसका अधिकार कानूनके अनुसार हो।

(१७) गवर्नमेंट शब्दका अभिप्राय उस मनुष्य या उन मनुष्योंसे है, जो ब्रिटिश
गवर्नमेंट. } इन्डियाके किसी भागमें कानूनके अनुसार प्रबंध करनेके लिये स्वाधीन हों।

(१८) प्रेजीडेंसीके शब्दसे उन देशोंका अभिप्राय है, जो किसी एक प्रेजीडेंसीकी
प्रजीडेंसी. } गवर्नमेंटके अधीन हों।

(१९) जजके शब्दसे उसी मनुष्यका अभिप्राय नहीं है कि जो सर्कारी तौरपर
जज. } जज कहलाता हो, किंतु उस प्रत्येक मनुष्यसे भी है कि जो कानूनके अनुसार किसी दीवानी या फौजदारीके अभियोगमें ऐसा फैसला करनेका अधिकार रखता हो कि जो कतई (सम्पूर्णतः) हो, या यदि उसकी अपील न हो, तो कतई हो जावे, या जो फैसला किसी दूसरे हाकिमकी जाँच (तजवीज) से बहाल रहे, तो कतई हो या उन मनुष्योंके किसी ऐसे समूहमेंसे हो, जिसको कानूनके अनुसार ऐसे फैसलेके करनेका अधिकार हो।

उदाहरण।

(क) कोई कलक्टर जब कि वह किसी अभियोग (मुकदमा) में ऐक्ट नंबर १० सन् १८५९ ई० के अनुसार "अधिकार वर्त्ता हो" जज है।

(ख) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी ऐसे अपराधके संबन्धमें कार्रवाई कर रहा हो कि जिसमें उसको जुर्माना या कैदकी आज्ञा देनेका अधिकार है, जज है चाहे उसका फैसला अपीलके योग्य हो या न हो।

(ग) पंचायतका प्रत्येक मनुष्य कि जो मद्रासके कानून ७ सन् १८१६* ई० के अनुसार अभियोगोंका फैसला व तजवीज करनेका अधिकार रखता हो, जज है।

(२०) कोर्ट आफ जस्टिसके शब्दसे उस जजका अभिप्राय है, जिसको कानूनके
कोर्ट ऑफ जस्टिस. } अनुसार स्वयंही अकेले अदालतके काम करनेका अधिकार प्राप्त हो, अथवा जजोंके उस समूहसे अभिप्राय है कि-जिसको कानूनके अनुसार इकट्ठा होकर अदालतके काम करनेका अधिकार प्राप्त हो, उस अवस्थामें जब कि वह जज अथवा जजोंका समूह अदालतका काम कर रहाहो।

उदाहरण।

वह पंचायत कि जो मदरासके कानून ७ सन् १८१६ ई० के अनुसार वर्त रही हो और जिसको अभियोगोंके संबन्धमें तजवीज वा फैसला करनेका अधिकार प्राप्त है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है।

(२१) सरकारी नौकरके शब्दसे उस मनुष्यका अभिप्राय है कि जो नीचे लिखे
सरकारी नौकर } प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारमें हो अर्थात्—

पहिले—श्रीमान् सम्राट्का प्रत्येक प्रतिज्ञा किया हुआ नौकर।

दूसरे—प्रत्येक कमीशनदार अफ्सर जो महाराज सम्राट्की जंगी अथवा जहाजी सेनामें हो उस अवस्थामें कि जब वह गवर्नमेंट हिन्द या और किसी गवर्नमेंटके अधीन किसी कामपर नियत हो।

* ऐक्ट ३ सन् १८७३ ई० के अनुसार उपरोक्त कानून रद होगया है।

तीसरे–प्रत्येक जज ।

चौथे–कोर्ट ऑफ जस्टिसका प्रत्येक ओहदेदार, जिसपर उस ओहदेकी योग्यतासे उचित है कि वह किसी कानून सम्बन्धी बात अथवा किसी घटनाकी जांच करे या उसके सम्बन्धमें रिपोर्ट भेजै या कोई लेख बनावे या तसर्दीक करे या अपनी चौकसीमें रक्खे, या किसी मालको अपनी सिपुर्दगीमें ले या उसको अपने निकटसे दूर करे या अदालतके किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामे) की कार्रवाई करे या कोई शपथ (हल्फ) दे या अनुवादका काम करे या अदालतमें प्रबंध रक्खे और प्रत्येक मनुष्य जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिसकी ओरसे ऊपर लिखे कामोंमेंसे किसी कामके पूर्ण करनेका विशेष अधिकार प्राप्त हो ।

पांचवें–प्रत्येक मनुष्य ज्यूरी या प्रत्येक असेसर या प्रत्येक पंचायतका पच; उस अवस्थामें कि जब वह कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी सरकारी नौकरकी सहायता करता हो।

छठें–प्रत्येक पंच या कोई दूसरा मनुष्य जिसको किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमने किसी अभियोग या झगड़ेको निबटानेके लिये नियत किया हो ।

सातवें–प्रत्येक मनुष्य जो ऐसा ओहदा रखता हो कि, जिसके अधिकारसे वह किसी मनुष्यके कैद करने या कैद रखनेका अधिकारी हो ।

आठवें–प्रत्येक सरकारी ओहदेदार, जिसको अधिकार है कि वह अपराधोंका होना रोके और अपराधोंकी घटनाओंकी सूचना दे और अपराधियोंको अपने अपराधका उत्तर देनेके लिये कैद करावे और सर्व साधारणकी आरोग्यता कुशलता तथा सुगमताकी रक्षा करे।

नवें–प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वारा यह हो कि कोई माल गवर्नमेंटकी ओरसे अपने अधिकारमें लाये या अपनी सिपुर्दगीमें ले आया अपनी चौकसीमें रक्खे या खर्च करे या वह गवर्नमेंटकी ओरसे धरतीको नापे या लगान लगावे या कौल करार करे या वह सरिश्तेमालके किसी हुक्मनामेको जारी करे या किसी ऐसी बातकी जांच करे कि जिससे गवर्नमेंटका कुछ स्वार्थ रुपयेके मद्धे हो या उसके सम्बन्धमें कुछ लिखा पढी करे या कोई लेख कि जिसमें गवर्नमेंटका कुछ स्वार्थ रुपयेके मद्धे हो लिखे या तस्दीक करे, या उस लेखको अपनी चौकसीमें रक्खे, या रुपयेके मद्धे गवर्नमेंटके किसी स्वार्थकी रक्षाके लिये किसी कानूनके उल्लंघनको रोंके, और प्रत्येक ओहदेदार

जो सरकारका नौकर हो, या गवर्नमेंटसे अपनी नौकरीका हक पाता हो, या उसको किसी सरकारी कामके करनेके बदले फीस या कमीशन मिलती हो।

दशवें—प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वारा यह हो कि सर्व साधारणके लौकिक कामके लिये किसी गांव या कस्बा या शहर या जिलेके किसी मालको अपने अधिकारमें लाये या अपनी चौकसीमें ले या अपनी चौकसीमें रक्खे या खर्च करे या धरतीको नापै तथा लगान लगावे या किसी प्रकारकी रसूम व टैक्स उगाहे या किसी गांव अथवा कस्बे या जिलेके निवासियोंका अधिकार निश्चय करनेके लिये किसी लेखको लिखे या तस्दीक करे या चौकसीमें रक्खे।

उदाहरण।

म्युनिसिपल कमिश्नर सरकारी नौकर है।

पहिला स्पष्टीकरण—वे मनुष्य जो ऊपर लिखे हुए प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारमें हों, सरकारी नौकर हैं, चाहे गवर्नमेंटसे उन्होंने वह ओहदा पाया हो या नहीं।

दूसरा स्पष्टीकरण—जहां "सरकारी नौकर" के शब्द आवें, उनसे प्रत्येक ऐसा मनुष्य समझा जावेगा, जो किसी सरकारी नौकरीपर यथार्थमें ही नियत हो चाहे उस ओहदे पर होनेके लिये उसके अधिकारमें कैसी ही कानूनी खोटाई हो।।

१—"कनविक्ट वार्डर" अर्थात् कैदी चौकीदार दफा २२३ दण्डसंग्रह हिंदके अनुसार सरकारी नौकरमें गिनाजायगा (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ६३)

२—जो चपरासी महकमा कलक्टरीसे नियमित वेतन न पावे, बरन उसको उसके कामोंकी कुछ फीस दीजावे, वह इस २१ दफाके अनुसार सरकारी नौकर है (बंगालला रिपोर्ट जिल्द ४ पृष्ठ १४६ श्रीमती महारानी बनाम कृष्णदास)

३—एक इंजिनियर कि जिसका काम म्युनिसिपल फंडका रुपया लेकर दूसरोंको देनेका है इस दफाके अनुसार सरकारी नौकर कहा जायेगा, यद्यपि उसको ऐसे रुपयेके व्ययकी मंजूरी देनेका अधिकार नहीं है (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ६४ श्रीमती महारानी बनाम अनन्तराव आत्माराम)

४—ठेकेदार मौजा जो जङ्गलकी आमदनीका हिसाब रक्खे और उसमेंसे एक भाग सरकारको दे और शेष आप लें वह इस २१ दफाके अनुसार सरकारी नौकर नहीं है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १२ सफा १ श्रीमती महारानी बनाम रामाजी रावजी बाजीराव)

५—गाडीवाला या और कोई मजदूर जिसको गवर्नमेंटने नौकर रक्खा हो, सरकारी नौकर नहीं है (इंडियन ला रिपोर्ट सिलसिला. मद्रास जिल्द ७ सफा १८ श्रीमती महारानी बनाम बची मन्नी)

६—नायब नाजिर दण्डसंग्रह हिंदकी दफा ४०९ के अनुसार सरकारी नौकर है न कि नाजिरका (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा २९८ श्रीमती महारानी बनाम महमूदहुसेन)

(२२) स्थावर धन (माल मनकूला) इन शब्दोंका अभिप्राय सब प्रकारकी मूर्तिमान वस्तुसे है, सिवा धरती और उन पदार्थोंके जो पृथ्वीसे बँधे हों और ऐसे पदार्थोंके जो पृथ्वीसे बँधे हुए किसी पदार्थके साथ सदैवको दृढतापूर्वक लगे हों ।

स्थावर धन.

१—(क) बिना किसी अधिकार या आज्ञाके कई गाडी मिट्टी एक मौजाकी बिना तजवीज हुई धरतीसे खोदकर ले गया, तजवीज हुई कि (क) चोरीका अपराधी नहीं है। (सिलसिला बंबई जिल्द ११ हिस्सह ९ सितम्बर सन् १८८७ ई० सफा २५५ श्रीमती महारानी बनाम कोठा)

२—धरती और धरतीके समस्त पदार्थ पत्थर और धातु इत्यादि जब धरतीसे पृथक् किये जांय कि जिसमें वे लगे हैं, स्थावर धन हैं और चोरी होनेके योग्य हैं, जो कोई बदनियतीसे ऐसी मिट्टीको पृथ्वीसे अलग करता है, वह चोरीका अपराधी होगा । (इंडियन ला रिपोर्ट बंबई जिल्द १५ सफा ७०२ श्रीमती महारानी बनाम शिवराम)

(२३) अनीतिप्राप्त (इस्तहसाल नाजायज) वह प्राप्त किसी वस्तुका है, जो अनुचित रीतिसे कोई ऐसा मनुष्य प्राप्त करे कि जो कानूनके अनुसार उसका अधिकारी न हो ।

अनीतिप्राप्त.

अनीति हानि (जियान नाजायज) व हानि किसी वस्तुकी है, जो अनुचित रीतिसे की जावे और हानि उठानेवाला मनुष्य कानूनके अनुसार उस वस्तुका अधिकारी हो ।

अनीति हानि.

अनीतिप्राप्त केवल उसी अवस्थामें न कहा जायगा जब कि वह मनुष्य उस वस्तुको अनुचित रीतिसे प्राप्त करे, बरन उस अवस्थामें भी कहा जायगा, जब वह अनुचित रीतिसे अपने अधिकारमें रक्खे ।

किसी वस्तुको अनुचित रीतिसे रख छोडना अनीति प्राप्तमें गिना जायगा.

अनीतिहानि केवल उसी अवस्थामें न कही जायगी, जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेदखल रक्खा जावे, बरन उस अवस्थामें भी कही जायगी, जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेदखल किया जाय ।

किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेदखला रखना अनीति हानिमें गिना जायगा.

१—जब कोई साहूकार अपने कर्जदारका स्थावर धन उसके अधिकारसे जबरदस्ती (बलपूर्वक) इस नियतसे ले लेवे कि—उसका रुपया अदा करनेमें कर्जदारको दबाव पहुँचे, तो इस

अवस्थामें यह कहा जावेगा कि उपरोक्त साहूकारने इस अनके सम्बन्धमें चोरीका अपराध किया, जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफा ३७८ में किया गया है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २२ सफा १०१७)

अधर्मपने (बददियानती) से.

(२४) जब कोई मनुष्य इस नियतसे कोई काम करे कि वह किसी मनुष्यको अनीति प्राप्त करावे, या किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचावे तो कहा जायगा कि उसने वह काम अधर्मपन या बददियानतीसे किया।

१—जब कोई मुहर्रिर सर्कारी रुपयेको अपने (खर्च) में लावे और फिर हिसाबकी किताबमें झूठा रुपया इस नियतसे लिखे, कि मेरा उपरोक्त अपराध छिपजावे, तो तजवीज हुई कि झूठा रुपया जमा करना जालसाजीका अपराध नहीं है और इसलिये उसको इस संग्रहकी दफा ४६५ के अनुसार दण्ड देना अनुचित है (सिलसिला इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २२१ इ० ला० रि० श्रीमती महारानी बनाम जीवानंद)

२—(क) अपनी जीवित अवस्थामें (ख) का ऋणी था (क) के मरने पश्चात् (ख) ने बिना अदालतदीवानी कुछ बैल (क) के उसकी स्त्री (ग) से लेलिये, तजवीज हुई कि (ख) ने यह काम बददियानतीसे किया। (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ६८ श्रीमती महारानी बनाम परमात्मानाथ बनर्जी)

३—अपराधकी तजवीज जो इस संग्रहकी दफा ४७१ के अनुसार बाबत छल या बदनियतीसे जाली लेखको असली लेखके समान काममें लानेका था, यह तजवीज हुई कि चार रसीदें जाली लगानेके अदा होनेकी अपराधीने उस अवस्थामें बनाई थीं कि, जब उसकी चार रसीदें असली खो गई थीं—तजवीज हुई कि,अपराधीने इस संग्रहकी दफा २४ व २५ के अनुसार बदनीयतीसे उपरोक्त अपराध नहीं किया,इसलिये वह दफा ४७१ के अनुसार दण्डके योग्य भी नहीं हो सकता।(इ०ला०रि०इलाहाबाद जिल्द७ हिस्सा ६ सफा४५९श्रीमती महारानी बनाम शिवदयाल)।

४—एक हिस्सेदार साझेके मालमें बददियानती कर सकता है, यदि वह उपरोक्त मालको साझेके अधिकारसे निकालकर अपने अलग अधिकारमें कर लेवे। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफा १८६ श्रीमती बनाम नूरा)।

५—इन्ट्रैंस इम्तिहानके उम्मेदवारने सार्टीफिकेट अच्छे चालचलन आदिके इम्तिहानमें शामिल होनेके लिये हेडमास्टरके जाली दस्तखत बनाकर रजिष्टारके यहां भेज दिये और रजिष्टारने स्वीकार करके इम्तिहानकी आज्ञा भी दे दी-तजवीज हुई कि, अभियोग दफा ४१५ व ४७१ व ५११ के अनुसार चलाया जावे कि, उम्मेदवारकी नियत केवल इम्तिहानमें शामिल होनेके लिये थी, कोई छल या बददियानती दफा २४ या २५ के अनुसार नहीं की, इसलिये अपराधीने कोई भी अपराध नहीं किया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३८० श्रीमती महारानी बनाम हरध्यान ऊर्फ राखलदास घोष)।

६—जब हिन्दू लोगोंने परस्पर मिलकर एक बैल और दो गायोंको एक मुसलमानके अधिकारसे अपने अनीतिप्राप्त या चौपायोंके स्वामीको अनीतिहानिके अभिप्रायसे नहीं, वरन गायोंको वधसे बचानेके अभिप्रायसे दूर कर दिया, तो तजवीज हुई कि, इनके सम्बन्धमें डकैतीका अभियोग नहीं चल सकता, वरन केवल बलवेका चल सकता है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २२ श्रीमती महारानी बनाम रघुनाथराय)।

(२५) जब कोई मनुष्य कोई काम इस नियतसे करे कि वह किसीको किसी मार्ग छलछिद्रसे. } या अधिकारसे छलछिद्र द्वारा बेदखल करे, तो इस अवस्थामें कहा जायगा कि उस मनुष्यने वह काम छल छिद्रसे ही किया।

१—एक खेतका नम्बर यथार्थमें २७२ था और लेखमें जो अपराधियोंने अदालतमें पेश किया, वह नम्बर भूलसे १० लिखा गया, अपराधियोंने नम्बर १० के स्थानपर २७२ बना दिया और इसी लिये सेशनजजने उन्हें दफा ४७१ के अनुसार जाली लेखको असली लेखके स्थानपर काममें लानेके लिये दोषी प्रमाणित किया तजवीज हुई कि जो कि नम्बर बदनीयतीसे इस संग्रहकी दफा २४ के अनुसार व छलछिद्रसे इस संग्रहकी दफा २५ के अनुसार नहीं पलटा गया और न उससे किसीको अनीतिप्राप्त तथा अनीतिहानि हुई थी, इसलिये उनपर दफा ४६५ के अनुसार जाली लेख बनानेका दोष नहीं हो सकता था और न उपरोक्त लेख दफा ४७० के अनुसार जाली लेख कहा जा सकता था और न उसको अदालतमें पेश करनेसे अपराधी दफा ४७१ के अनुसार दोषी प्रमाणित हो सकते थे इस लिये उनपर दफा ४७१ का अपराध नहीं हो सकता और जो कि इस संग्रहकी दफा १९२ के अनुसार लेखके किसी भूलको सही कर देना झूठे लेख या झूठे बयानमें नहीं प्रमाणित होसकता, इस लिये वह अपराधी निर्दोष है। (वीक्ली नोटिस किताब माह नवम्बर सन् १८८२ई० सफा २२८ श्रीमती महारानी बनाम फतह आदि)।

(२६) यदि किसी बातके निश्चय करनेका पूरा कारण किसी मनुष्यके सामने निश्चय माननेका हेतु. } वर्त्तमान हो, तो इस अवस्थामें कहा जायगा कि वह मनुष्य उस बातका निश्चय करनेका कारण रखता है न कि किसी दूसरी अवस्थामें।

(२७) जब कोई वस्तु किसी मनुष्यकी ओरसे उसकी स्त्री या मुहर्रिर या नौकरके वस्तु जो स्त्री, मुहर्रिर या नौकरके अधिकारमें हो. } अधिकारमें हो, तो इस संग्रहके अर्थानुसार उपरोक्त वस्तु उपरोक्त ही मनुष्यके अधिकारमें समझी जायगी।

स्पष्टीकरण—जो कोई मनुष्य थोडे दिनोंके लिये या किसी मुख्य आवश्यकतापर मुहर्रिर या नौकरके अधिकारपर रक्खा जाय, तो वह मनुष्य इस दफाके अनुसार मुहर्रिर या नौकर है।

(२८) शुद्ध हुआ दफा ९ ऐक्ट १ सन् १८८९ ई० के अनुसार—जब कोई खोटा बनाना. } मनुष्य एक पदार्थको दूसरे पदार्थके समान इस अभिप्रायसे बनाये कि, वह उस समानताके द्वारा धोखा दे या इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा धोखा चल जाना सम्भव है, तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने खोटा पदार्थ बनाया।

स्पष्टीकरण १—खोटा पदार्थ बनानेके लिये यह अवश्य नहीं कि समानता ठीक ही ठीक हो।

स्पष्टीकरण २—जब कोई मनुष्य किसी पदार्थको किसी पदार्थके समान बनाये और समानता ऐसी हो कि उससे किसी मनुष्यको धोखा होसकता हो, तो उससे जबतक इसके विरुद्ध प्रमाणित न हो, निश्चय किया जायगा कि जो मनुष्य उक्त भांतिपर एक पदार्थको दूसरे पदार्थके समान बनाता है, वह उस समानताके द्वारा धोखा देनेकी इच्छा रखता है या यह जानता है कि उसके द्वारा धोखा होना सम्भव है।

(२९) लेखके शब्दोंसे किसी ऐसी लिखावटका अभिप्राय है, जो किसी पदार्थ पर अक्षरों या अंकों या चिह्नोंके द्वारा या उनमेंसे दो या तीनोंके द्वारा प्रगट या वर्णित किया गया हो, चाहे उन अक्षरों या अंकों या चिह्नोंको प्रमाण (सबूत) के लिये काममें लानेकी नियत हो चाहे ऐसा हो कि—वह सबूतमें काम आसके।

लेख (दस्तावेज)

स्पष्टीकरण १—इस बातकी कुछ विशेषता नहीं है कि, किन वसीलोंसे या किस वस्तुपर वे अक्षर या अंक या चिह्न बनाये जांय, या यह कि, किसी कोर्ट ऑफ जस्टिसमें प्रमाणकी रीतिपर काममें लानेकी नियत हो, या न हो, या वह प्रमाणका कारण काममें आवे, या न आवे।

उदाहरण।

वह लिखत कि जिसमें किसी कौल करारके नियत लिखे हों और जो उस कौल करारके लिये प्रमाणकी भांति काममें आसके, लेख (दस्तावेज) है।

चिक अर्थात् रुक्का किसी महाजनका लेख है।

मुख्तारनामा लेख है।

पृथ्वीका नक्शा या इमारतका नक्शा जो प्रमाण (सबूत) की भांति काममें आनेके अभिप्रायसे या काममें आनेके योग्य बनाया जाय, लेख है।

जिस लिखौटमें कोई हुक्म व हिदायतें हों, वह लेख है।

स्पष्टीकरण २—जो अभिप्राय अक्षर या अंकों या चिह्नोंसे सौदागरीके चलन अनुसार या किसी दूसरे व्यवहारमें प्रगट होता हो वही इस दफाके अर्थमें उन अक्षरों या अंकों या चिह्नोंसे प्रगट होना समझा जायगा, चाहे वह अभिप्राय लेखमें न प्रगट किया गया हो।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर किसी हुंडीकी पीठपर अपना नाम लिख दे और हुंडीमें लिखा हो कि जिसको कहे, उसे रुपया मिले, तो सौदागरी व्यवहारके अनुसार इस लिखौटके यह अर्थ है कि जिस किसीके पास वह हुंडी हो, वही उसको पटा सकता है, इसलिये यह लिखौट लेख है और उससे वही अभिप्राय लेना चाहिये कि मानों दस्तखतके ऊपर यह लिखौट लिखा होता कि "अधिकारी हुंडीको रुपये दो" या कोई और इसी मजमूनकी लिखी होती।

(३०) किफालतुलमालके शब्दसे उस दस्तावेजका अभिप्राय है कि जो ऐसी दस्तावेज होय या ऐसी दस्तावेज समझी जानेकी योग्यता रखती हो, जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार प्राप्त किया जावे या बढाया जावे या एकसे दूसरेको दिया जावे या जिसकी अवधि नियत की जावे या नष्ट किया जावे या छोडदिया जावे या जिसके द्वारा कोई मनुष्य स्वीकार करे कि मैं कानूनके अनुसार अमुक बातके अधीन हूँ या कहे कि अमुक कानूनी अधिकार मेरा नहीं है।

किफालतुलमाल दस्तावेज.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर किसी हुंडीकी पीठपर अपना नाम लिख दे, तो जब कि आशय इस लेखका यह है कि उस हुंडीका अधिकार उसी मनुष्यको दिया गया, जो नीतिपूर्वक उसका धनी बने अतएव वह लेख प्रमाणित (किफालतुलमाल) गिना जायगा।

१-एक तिलाकनामा इस संग्रहकी दफा ३० के अनुसार किफालतुलमाल (प्रमाणितलेख) में गिना जायगा और इसप्रकारकी जाली दस्तावेजको रजिस्ट्रीके लिये पेश करना और उसकी रजिस्ट्री करा लेना हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा. ४७१ के अनुसार अपराधमें गिना जायगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १५ श्रीमती महारानी बनाम अजीमुद्दीन)।

२-पट्टेकी नकल इस दफाके अनुसार किफालतुलमाल नहीं है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ४ सफा २८ सरकार बनाम हीरामन)।

३-वह सनद कि जिसके द्वारा किसी मनुष्यको प्रतिष्ठा व सन्मान प्राप्त होता है, किफालतुलमाल नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ५८४)

(३१) वसीअतनामेके शब्दसे ऐसे लेखका अभिप्राय है कि जो कोई मनुष्य मरनेसे पहिले अपने माल आदिके प्रबंधके निमित्त लिखे।

वसीअतनामा

(३२) इस संग्रहके प्रत्येक भागमें सिवाय उन भागोंके जहां लेखसे विरुद्ध आशय निकलता हो, वे शब्द जो किये हुए कर्मोंसे सम्बंध रखते हैं कानून विरुद्ध चूकोंसे भी सम्बंध रक्खेंगे। कानून विरुद्ध चूकों से भी सम्बंध रक्खेंगे।

करनेके कर्मों सम्बंधी शब्द कानून विरुद्ध चूकोंसे भी सम्बंध रक्खेंगे

(३३) शब्द "काम" से एक कामका और अनेक कामोंका भी अभिप्राय है। और "चूक" के शब्दसे एक चूकका और अनेक चूकोंका भी अभिप्राय है।

काम चूक तर्क

(३४) जब कुछ मनुष्योंने किसी अपराधका काम एक सम्मति होकर किया हो, तो उन मनुष्योंमेंसे प्रत्येक मनुष्य उस कामके लिये उसी प्रकार दण्डके योग्य होगा कि मानो वह काम उसीने अकेले किया है।

काम कि जो कई एक मनुष्य एक सम्मति होकर करै.

१-(क) ने (ख) के सामने और (ख) की आज्ञासे किसी मनुष्यके एक घूसा मारा इस अवस्थामें दोनों ही असली अपराधी गिने जाँयगे-जब दो मनुष्य एक मनुष्यके मारनेमें सम्मिलित होवें और वह मनुष्य उनकी मारसे मरजावे, तो इस बातके जांचनेकी कुछ आवश्यकता नहा कि, वह मनुष्य किसकी मारके प्रभावसे मरा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २३ सफा ११)।

२-एक मनुष्यको कई मनुष्योंने मिलकर मारा, यहांतक कि उसकी अठारह पसलियां टूट गईं और वह मरगया, ऐसी अवस्थामें उनमेंका प्रत्येक मनुष्य मृत मनुष्यके मारनेका अपराधी ठहराया जावेगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ५ फौजदारी)

३—अपराधियोंपर जो सर्वे डिपार्टमें नौकर थे, हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ६१ के अनुसार कुछ मौजोंसे घूस (रिश्वत) लेनेका अपराध लगाया गया-गवाही केवल उन्हीं मनुष्योंकी थी कि-जिन्होंने घूसमें चन्दा दिया था, या चन्दा उगाहा था, या रुपया नौकरोंको दिया था

मजिस्ट्रेटने दफा ६१ के अनुसार कैदसख्त (कड़ीकैद) और जुर्मानेकी आज्ञा दी–तजवीज हुई कि फैसला ठीक ठीक नहीं हुआ क्योंकि कोई गवाही उन मनुष्योंकी गवाहीको दृढ नहीं करती, जो सब अपराधमें संयुक्त हैं. इसलिये गवाह कि जिन्होंने अपने रुपयेकी या शरीरकी (जाती) हानिसे बचनेके लिये किसी सरकारी नौकरको घूस देनेका वचन दिया या घूस दिलानेमें सहायता की उनकी गवाही स्वयंही उनके अपराध करनेकी गवाही समझी जायगी (सिलसिला बंबई इ०ला०रि०जिल्द१४सफा११५श्रीमती महारानी बनाम मगनलाल व मोतीलाल)

(३५) जब कि एक ऐसा काम कुछ मनुष्योंद्वारा हुआ हो, जो केवल इस कारणसे अपराध है कि वह बुरी नियत अथवा बुरे अभिप्रायसे किया गया है, तो उनमेंसे प्रत्येक मनुष्य जिसने उसके करनेमें उसी प्रकारके ज्ञान या प्रयोजनसे साझा किया हो, उस कामके सम्बन्धमें उसी प्रकारसे दण्डके योग्य होगा, कि मानो अकेलेही उस मनुष्यने उसही ज्ञान अथवा अभिप्रायसे उस कार्यको किया ।

जब ऐसा कोई काम इसी हेतुसे अपराध हो कि बुरी नियत या बुरे अभिप्रायसे कियागया.

(३६) जब किसी परिणामका करना या करानेका उद्योग करना चाहे वह कुछ काम करनेसे हो चाहे चूकनेसे. अपराध गिनाजाय, तो समझाजायगा कि उस परिणामका उत्पन्न करना कुछ तो काम करनेसे और कुछ चूक करनेसे भी वही अपराध होगा ।

परिणाम जो कुछ करनेसे और कुछ चूकनेसे उत्पन्न हुआ हो ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर जानबूझकर रमाशंकरकी मृत्युका कारण इस प्रकारसे हो कि कुछ तो वह रमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध चूक करे और कुछ उसको मारे, तो शिवशंकर शातघातका अपराधी होगा ।

(३७) जब कि कई एक कामोंके द्वारा कोई अपराध होवे, तो जो कोई मनुष्य उन कामोंमेंसे किसी कामको अकेलेही या किसी और मनुष्यका साझा करके जान बूझकर उस अपराधमें संयुक्त हो, तो वह मनुष्य कहे अपराधका अपराधी होगा ।

कई कामोंमेंसे कि जिनसे अपराध बनता है, एक काम करके साझी होना ।

उदाहरण ।

(क)–यदि शिवशंकर और रमाशंकर इस बातकी सलाह करें कि हम दोनों पृथक् पृथक् समयपर थोड़ा थोडा विष देकर उमाशंकरको मारडालें और इसी सम्मतिके अनुसार शिवशंकर व रमाशंकर उमाशंकरको मारनेकी नियतसे विष दें और उस विषसे जो इसप्रकार दिया गया, उमाशंकर मरजाये तो इस अवस्थामें शिवशंकर व रमाशंकर जानबूझकर शातघातमें संयुक्त हुए और जो कि इन दोनोंमेंसे प्रत्येकने वह काम किया कि जो उमाशंकरकी मृत्युका कारण हुआ, इसलिये वे दोनों उपरोक्त अपराधके अपराधी हुए, यद्यपि उनके काम अलग अलग थे ।

(ख) शिवशंकर और रमाशंकर दोनों साझेमें जेलखानेके निरीक्षक हैं और उमाशंकर कैदी उनकी चौकसीमें उस अधिकारके कारण बारी बारी से छै छै घंटे रहता है और शिवशंकर व

रमाशंकरने इस नीयतसे कि उमाशंकर मरजावे अपनी अपनी नौकरीकी बारीमें उमाशंकरको उस आहारके पहुंचानेमें जो उसे देनेके लिये मिला था, कानूनके विरुद्ध चूक की कि जिससे भूँखके कारण उमाशंकर मरगया, तो शिवशंकर और रमाशंकर दोनोंही उमाशंकरके ज्ञातघातके अपराधी हुए।

(ग)—शिवशंकर जेलखानेका निरीक्षक है और उमाशंकर कैदी उसकी चौकसीमें है—शिवशंकरने इस नियतसे कि उमाशंकर मरजावे, उमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध (चूक) की कि जिसके कारण उमाशंकर अत्यंतही निर्बल होगया परन्तु लंघन ऐसे भी न हुए कि जिससे उमाशंकर मरजाता—शिवशंकर अपने ओहदेसे हटादिया गया और रमाशंकर उसके स्थानपर नियत हुआ—रमाशंकरने भी विना शिवशंकरकी सहायता अथवा सम्मतिके उमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध चूक की, यह बात जानबूझकर कि इससे उमाशंकरका मरना संभव है—और उमाशंकर भूँखसे मरगया, तो रमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी है, परन्तु शिवशंकरने रमाशंकरको सहायता नहीं दी, इसलिये वह केवल ज्ञातघातके उद्योगका अपराधी हुआ।

(३८) यदि कुछ मनुष्य किसी अनुचित कामके करनेमें तत्पर हों, या उससे कुछ

कुछ मनुष्य जो किसी अपराधको करें अलग अलग अपराधोंके अपराधी होंगे।

} सम्बन्ध रखते हों तो सम्भव है कि वे मनुष्य उस कामके द्वारा पृथक् पृथक् अपराधोंके अपराधी हों।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकरने किसी ऐसे भारी क्रोध करानेवाले कामकी अवस्थामें जब कि उसका उमाशंकरको मारडालना केवल ज्ञातघात गिना जाता, उमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया—रमाशंकर जिसकी ईर्षा उमाशंकरसे थी और उमाशंकरके मारडालनेकी नियत रखता था, बिना इसके कि उस प्रकारके क्रोध दिलानेवाले कामकी अवस्थाने उसपर कुछ प्रभाव किया हो उमाशंकरके मारनेमें शिवशंकरको सहायता दे, तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर और रमाशंकर दोनोंही उमाशंकरकी मृत्युके कारण हुए है, परंतु रमाशंकर ज्ञातघातके अपराधका अपराधी होगा और शिवशंकर केवल ज्ञातवत् घातका अपराधी।

(३९) जब कोई मनुष्य किसी परिणामको उन उपायोंसे उत्पन्न करे, जिसके द्वारा

जानबूझकर

} उस परिणामका उत्पन्न करना उसकी नियतमें हो या उन उपायोंसे जिनके काममें लानेके समय वह मनुष्य जानता हो, या जाननेका हेतु रखता हो कि, उनसे वह परिणाम उत्पन्न होना सम्भव है, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने जान बूझकर उस परिणामको उत्पन्न किया

उदाहरण

यदि शिवशंकर रातके समय एक बडे नगरके किसी घरमें जिसमें मनुष्य रहते हों इस अभिप्रायसे आग लगावे कि उसके द्वारा डाँका डालना सहज होजावे और इसप्रकार वह किसी मनुष्यके मारनेका कारण हो, तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवशंकरकी नियत मारनेकी न हुई हो, वरन उसको इस बातका रंज हो कि मेरे कामके कारण इस मनुष्यकी मृत्यु हुई, तौभी वह जानबूझकर मारनेवाला कहलावेगा, कदाचित् उसने जानलिया हो कि मेरे इस कामसे किसीका मरना अतिसंभव है।

(४०) इस कानूनमें सिवाय उन अध्याय और उन दफोंके जिनका वर्णन इस दफाके जिमन २ व ३ में है "अपराध" शब्दका अभिप्राय उस वस्तुसे है जो इस संग्रहमें दण्डके योग्य ठहरा दीगई हो।

अपराध.

अध्याय चौथा अध्याय ५ (अ)(१) और नीचे लिखी दफाएँ अर्थात् दफा. ६४, ६५, ६६, ६७, ७१, (ऐक्ट नं० ८ सन् १८८२ ई०) १०९, ११०, ११२, ११४, ११५, ११६, ११७, १८७, १९४, १९५, २०३, २११, २१३, २१४, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३४७, ३४८, ३८८, ३८९, ४४५, (एक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० दफा २)

अपराध शब्दका अभिप्राय प्रत्येक कामसे है, जो इस संग्रहके अनुसार या किसी विशेष कानूनके अनुसार या किसी विशेष स्थानके कानूनके अनुसार वर्णन किये गये इस संग्रहके दण्ड योग्य ठहरा दिया हो।

और जिस अवस्थामें कि वह काम जो किसी विशेष कानून या किसी विशेष स्थानके कानूनानुसार दण्डके योग्य है. उसी कानूनके अनुसार दण्ड कैद जिसकी अवधि छै महीना अथवा अधिक हो और जुर्मानेसहित हो या जुर्मानेके बिना हो तो इन दफा १४१, १७६, १७७, २०१, २०२, २१२, २१६ व ४४१ में अपराध शब्दका वही अर्थ होगा जो ऊपर कह आये हैं।

१—अफ्सर पुलीसको इस प्रकारकी आज्ञा हुई कि वह (क) को दफा ५५ जाब्ता फौजदारीके अनुसार बदमाशी (बदचलनी) के अपराधमें कैद कर लावे—(क) दूसरे मनुष्योंकी सहायतासे कैद होकरभी भागगया यह तजवीज हुई कि (क) पर कोई अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४० के अनुसार नहीं लगाया गया और इसलिये यदि वह कैदकी रोक टोक करके भागजावे, तो वह किसी अपराधका हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २२४, २२५ के अनुसार अपराधी न होगा। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ६७ श्रीमती. महारानी बनाम खदनिया)

---

(१) ऐक्ट ८ सन १९१३ ई० का धारा २ के अनुसार शब्द अध्याय चौथाके अनन्तर शब्द अध्याय ५ (अ) बढायागया।

(४१) विशेष कानूनसे कानूनका अभिप्राय है जो किसी मुख्य विषयसे सम्बन्ध रखता हो।

विशेष कानून.

नोट—विशेष कानूनमें ऐक्ट जुआब इसी प्रकारके दूसरे ऐक्ट संयुक्त हैं।

(४२) देश विशेषी कानूनसे उस कानूनका अभिप्राय है जो ब्रिटिश इंडियाके इसी मुख्य भागसे सम्बन्ध रखता हो।

देश विशेषी कानून.

नोट—जैसे कानून म्युनिसिपालटी पंजाब जो केवल पंजाबमें प्रचलित है व कानून म्युनिसिपालटी मध्यप्रदेश जो केवल मध्यप्रदेशहीमें प्रचलित है।

(४३) कानून विरुद्धका शब्द प्रत्येक ऐसे कामसे सम्बन्ध रखता है जो अपराध हो

कानून विरुद्ध. } या जो कानूनानुसार वर्जित हो या जिससे दीवानीकी नालिशका कारण निकले ।

कानूनानुसार उचित. } और जब कि चूक करना किसी कामका किसी मनुष्यपर कानूनके विरुद्ध हो, तो कहा जायगा कि इस कामका करना इस मनुष्यपर कानूनानुसार उचित है।

१—यदि कोई मनुष्य कुंएके प्रबंधके अभिप्रायसे जो किसी मार्गसे आठ गजके अन्तरपर उसकी निजधरतीमें है उसकी घेराबंदी न करे, तो उसको दण्ड इस अपराधमें न दिया जावेगा कि उसने सर्व साधारणको दुःख पहुँचाया (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा २८०) ।

(४४) हानिके शब्दसे हर प्रकारकी हानिका अभिप्राय है, जो कानूनके विरुद्ध किसी

हानि. } मनुष्यके तन अथवा मन या यश अथवा धनको पहुँचाई जावे ।

(४५) जीव शब्दसे केवल मनुष्यके जीवका अभिप्राय है, सिवाय उसके जहां

जीव. } लेखसे इसके प्रतिकूल अर्थ दिखाई दें ।

(४६) मृत्यु शब्दसे केवल मनुष्यकी मृत्युका अभिप्राय है—सिवाय उसके जहां

मृत्यु. } लेखसे इसके प्रतिकूल अर्थ दिखाई दें ।

पशु. } (४७) पशुके शब्दसे सिवाय मनुष्यके प्रत्येक जीवधारीका अभिप्राय है ।

(४८) जहाजके शब्दसे उस पदार्थका अभिप्राय है, जो मनुष्योंको अथवा मालको

जहाज. } पानीपर लेजानेके लिये बनाया गया हो ।

(४९) जिस स्थानमें वर्ष या महीनेका शब्द आया है, वहां यह समझना चाहिये

वर्ष या महीना. } कि, वह वर्ष या महीना अंगरेजी पत्रे (जंत्री) के अनुसार गिना जायगा ।

(५०) दफाके शब्दसे इस संग्रहके किसी अध्यायके उन टुकडोंमेंसे किसी टुकडेका

दफा. } अभिप्राय है कि, जिनके आरंभमें पहिचानके लिये कोई अंक लगा हो ।

(५१) शपथके शब्दमें सत्य बोलनेकी वह प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी, जो कानू-

शपथ. } नानुसार शपथके बदले ठहराई गईहो और कोई प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी. जिसका करना किसी सरकारी नौकरके सामने, या जिसका किया जाना प्रमाण (सबूत) की भांति, चाहे किसी कोर्ट ऑफ जस्टिसमें हो या न हो, काधूनानुसार उचित या अवश्य हो ।

(५२) जिस कामके करने या माननेमें यथोचित सावधानी व विचार न किया जाय, तो कहाजायगा कि, उपरोक्त काम नेक नीयतीसे किया गया या नेक नीयतीसे मानागया।

पाक इच्छा (नेक नियती,)

१—एक अफ्सर पुलीसने एक घोड़ा जो उसीके खोए हुए घोड़ेकी सूरतका था. एक खेतमें बँधा देखकर पकड लिया और उस खेतवालेको चोरीके अपराधमें कैद किया—तजवीज हुई कि उपरोक्त अफसरने यह काम नेक नीयतीसे नहीं किया क्योंकि उसमें यथोचित सावधानी और विचार नहीं किया गया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा २० श्रीमती महारानी बनाम मुहम्मद फाजिलखा)

अध्याय तीसरा ३.

(५३) इस संग्रहके लेखोंके अनुसार अपराधी जिन दंडोंके योग्य होंगे वे दंड. यह हैं। *

पहिला—मृत्युदण्ड (सजाय मौत)

दूसरा—देशनिकाला (हब्स बअबूर दरयायशोर)

तीसरा—कैदकी अवस्थामें सेवा दण्ड (मशक्कत ताजीरी बहालत कैद

चौथा—कैद जो दो प्रकारकी है।

(१) कैद कठिन जो परिश्रमके साथ हो.

(२) साधारण कैद.

पांचवां—धनकी जब्ती.

छठा—जुर्माना.

---

* बेंतके दण्डके बारेमें ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० को देखो (क) (ख)

(श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरके यहांसे १८ फरवरी सन् १८६४ ई० को स्वीकार हुआ)

ऐक्ट जिसका यह अभिप्राय है कि, किसी २ अभियोगमें बेंतका दण्ड प्रचलित किया जावे।

यह बात उचित है कि किसी अभियोगमें दण्डसंग्रह हिंदके लेखों (दफों) के अनुसार अपराधी बेंतके दण्डसे दण्डित कियेजाँय इस लिये निम्नलिखित आज्ञा होती है कि—

दफा १—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५३ के अतिरिक्त अपराधी इस संग्रहके अनुसार बेंतके दण्डके योग्य हैं।

(क) यह ऐक्ट फिहरिस्तमें लिखे हुए जिलोंके अतिरिक्त समस्त ब्रिटिश इंडियामें प्रचलित किया गया है। देखो ऐक्ट १५ सन् १८७४ ई० दफा ३.

यह ऐक्ट दफा ६ के अतिरिक्त ब्रह्मामें भी प्रचलित किया गया है। (देखो भाग १ का क्रोडपत्र २ ऐक्ट २० सन् १८८६ ई०)

यह ऐक्ट फिहरिस्तमें लिखेहुए जिलोंके ऐक्टके अनुसार जो सन् १८७४ ईमें प्रचलित किया गया था निम्नलिखित जिलोंमें प्रचलित किया गया है।

मृत्युदण्डके बदलेका दण्ड.

(९४) प्रत्येक अवस्थामें जहां मृत्युदंडकी आज्ञा हुई हो, गवर्नमेंट हिंद या उस गवर्नमेंटको जहां अपराधीको दंडकी आज्ञा हुई हो. अधिकार होगा कि, विना अपराधीकी प्रसन्नताके उस दंडको और किसी दंडके साथ जो इस संग्रहमें नियत की गई है, बदला दे ।

दफा २—जो मनुष्य किसी अपराधका (कि जो नीचे लिखे हुए हैं) अपराधी हो,तो उचित है कि, उसको किसी दण्डके बदले जो दण्डसंग्रह हिंदके अनुसार हो, बेंतका दण्ड दिया जावे और वह अपराध यह है ।

१—चोरी जिसप्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७८ में उसका वर्णन हुआ है ।

२—इमारत या डेरे या जहाज अथवा नावमें चोरी करना—जिसप्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफा ३८० में उसका वर्णन हुआ है ।

३—चोरी जो मुहर्रिर या नौकर करे कि जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफा३८१में हुआहै

४—किसी मनुष्यके मारने या हानि पहुँचानेकी तैयारी करके चोरी करना कि जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफा ३८२ में हुआ है ।

५—धमकी देकर बलपूर्वक माल छीनना,जिसप्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफा३८८में कहा है।

६—किसी पदार्थको बलपूर्वक प्राप्त करनेकी नियतसे किसी मनुष्यको बदनाम करनेकी धमकी देना, जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३८९ में वर्णित हुआ है ।

सिंध देखो गजट आफ इंडिया १० अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफा ४८२

अदन दे. ग.आ.इ. २८ जून सन् १८७९ ई० हिस्सा १ सफा ४३४.

पश्चिमी जलपाई गोडी व पश्चिमी द्वार्सन्न पश्चिमी कोहिस्तान व दार्जीलिंग व तराई व डमसन सब डवीजन जिला दार्जीलिंग — देखो गजट आफ इंडिया ५मार्चसन्१८७१ई. हिस्सा१सफा ७४.

जिला हजारीबाग व लोहार डग्गा व मानभूमि व पर्गना धालभूमि व कोलहान जिला सिंहभूमि । — देखो गजट आफ इंडिया २२ अक्टूबर सन् १८८१ई.हिस्सा १ सफा ३७४.

मुहाल अंगल.ग.आ.इ.१५ फरवरी सन् १८७९ ई० हिस्सा १ सफा ६०

व मिडनरी झांसी.ग.आ.इ.२१अगस्तसन् १८८७ ई० हिस्सा १ सफा५४६

कमायूं व गढवाल देखो गजट आफ इंडिया ४नवम्बर स. १८७६ई० हिस्सा १ सफा ५ गजट आफ.इंडिया ।

फिहरिस्तमें लिखा हुआ जिला मिर्जापुर जोनसारबावर — ३१ मई सन्१८७५ई. हिस्सा १ सफा ३८३ ३१ मई सन् १८७९ई० हिस्सा १ सफा३८२

जिला हजारा, पेशावर कोहाट बन्नू,डेराईस्मा ईलखां,डेरागाजीखां — ग.आ.इ. ३० जनवरी सन्१८८६ ई० हिस्सा १ सफा ४८

जिला लाहौर ग.आ.इ.१ मई सन् १८८६ई० हिस्सा १ सफा ३०१ गजट आफ. इंडिया.

फिहरिस्तमें लिखेहुए जिले मध्यहिंदके — १३दिसम्बरसन्१८७९ ई.हिस्सा१सफा ७७१

कुर्ग गजट आफ.इ.२८ दिसम्बरसन् १८७८ई. हिस्सा १ सफा ७४७ गजट आफ. इंडिया

'एंडमान व नीकोबारद्वीप' २५मार्चसन्१८८२ई० हिस्सा १ सफा १२८

(५५) प्रत्येक अवस्थामें जहां जन्मभरके देशनिकालेके दंडकी आज्ञा हुई हो, गवर्नमेंट हिंद या उस गवर्नमेंटको जहां अपराधीको इस दंडकी आज्ञा हुई हो, अधिकार होगा कि, अपराधीकी विना प्रसन्नता उस दंडको दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारके दंडके साथ जिसकी अवधि १४ वर्षसे अधिक न हो बदल दे।

जन्मभरके देश निकालेकी कैदके बदलेका दण्ड.

(५६) जब कभी किसी मनुष्य पर जो यूरुप या अमेरिकाका रहनेवाला हो, कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसका दंड इस संग्रहके अनुसार देश निकाला है, तो अदालतको उचित है कि, ऐक्ट २४ सन् १८५५ ई० के अनुसार अपराधी देशको निकालेके बदले कैदकी अवस्थामें सेवादंडकी आज्ञा दे।

यूरूपियों और अमेरिकनोंको देश निकालेके बदले सेवादंड हो.

परन्तु शर्त यह है कि, जब कोई अपराधी यूरुप या अमेरिकाका रहनेवाला जो, यदि उपरोक्त ऐक्ट न होता, तो ऐसे देश निकालेके दण्डका भागी होता, जिसकी अवधि १० वर्षसे अधिककी होती, परन्तु जन्मभरको न होती, तो वह इसके योग्य होगा कि अदालत उसको कठिन सेवादंड करे कि, जिसकी अवधि छः वर्ष या इससे अधिक की हो—जन्मभरकी न हो।

नोट—इस दफाकी शर्त ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० के अनुसार बढाई गई है.

७—चोरीके मालको जानबूझकर बदनियतीसे लेना जिस प्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफा ४११ में कहा है।

८—चोरीके मालको यह जानकर कि वह डकैतीसे पायागया है ले, बददियानतीसे लेना कि, जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफा ४१२ में हुआ है।

९—घर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफा ४४३ व ४४५ में किया गया है—ऐसे अपराधके अभिप्रायसे कि जिसका दंड बेंत दंड होसकता है।

१०—रातके समय घर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफा ४४४ व ४४६ में किया गया है, ऐसे अपराधके अभिप्रायसे जिसका दंड इस दफाके अनुसार बेंत दंड होसकता है।

जिला सिलहट, देखो गजट आफ इंडिया, २४ अक्टूबर सन् १८७९ई०हिस्सा १सफा६३१

जिला कामरूप व नौगांग व दारंग व शिवसागर व लखीमपुर व ग्वालपाडा व कछार — " २४ अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफा५३३

यह ऐक्ट उपरोक्त ऐक्टके अनुसार पश्चिमोत्तर देशके जिला तराईसे भी संबंध रखता है—देखो गजट आफ इंडिया २३ सितम्बर सन् १८८६ ई० हिस्सा १ सफा ५०५.

(५७) दंडकी अवधीके विभाग करनेमें जन्मभरका देशनिकाला बीस वर्षके देश-निकालेके समान समझा जायगा ।

दंडकी अवधिके विभाग.

नोट—इस दफाके अनुसार जन्मभरके देश निकालाके दंडकी अवधि केवल (२०) वर्षकी रक्खी गई है ।

जिन अपराधियोंको देश निकालेके दंडकी आज्ञा हो तो उनको देश निकाला होते तक उनके साथ किसप्रकार वर्ताव कियाजावे ।

(५८) प्रत्येक अवस्थामें जहां देश निकालेके दंडकी आज्ञा हो, जबतक देश निकाला न हो, अपराधीके साथ वैसाही वर्त्ताव किया जावेगा कि मानो उसको कठिन कैदकी आज्ञा हुई है, और जो मीआद (अवधि) इस प्रकारकी कैदमें व्यतीत होजायगी, वह इसी देश निकालेके दंडमें गिनी जावेगी ।

कैदके दंडके बदले किस २ अवस्थामें देश निकालेकी आज्ञा दीजा सकती है.

(५९) प्रत्येक अवस्थामें जहां अपराधी सात वर्ष या अवधिकके अधिकी कैदके योग्य हो, वहां दण्ड देनेवाली अदालतको अधिकार होगा कि कैदका दंड देनेके बदले अपराधीको किसी एक अवधिके लिये जो सात वर्षसे कम और उस मीआद (अवधि) से अधिक न हो, जिस अवधि तक वह अपराधी इस संग्रहके अनुसार कैदके योग्य है, देश निकालेके दंडकी आज्ञा दे ।

१—इस संग्रहकी दफा ५९ में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उस कैदके बदले जो अदालत अपराधीको धन दंड न वसूल होनेके दे सकती हो, देश निकालेका दंड दिया जावे (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा २८ लक्खूसाह बनाम श्रीमती महारानी)

२—इस संग्रहकी दफा ५९ के अनुसार अदालत केवल उसी अवस्थामें देश निकालेका दंड दे सकती है कि-जब अपराधीको सात साल या अधिक कैदकी आज्ञा हो--अदालत अपराधके सम्बन्धमें दंडकी आज्ञा करते समय कैदके दंडको देश निकालेके दंडमें बदल सकती है, परन्तु कैदके दंडकी आज्ञा सुनानेके पश्चात् ऐसी अदल बदल न होसकेगी । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द सपलीमेंट सफा ३५)—

३—वह अफ्सर जिसको दफा १ ऐक्ट ५ सन् १८६२ ई० के अधिकार प्राप्त हों—दंड कैदके बदले देश निकालेका दंड दे सकता है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ६ श्रीमती महारानी बनाम बुधुआ)

दफा ३—यदि कोई मनुष्य जिसपर उपरोक्त अपराधोंमेंसे कोई अपराध प्रमाणित होचुका हो और फिर दूसरी वारभी वह उसी अपराधका अपराधी हो, तो उसे उस अपराधका दंड अधिक देनेके साथही साथ बेंतका भी दंड दिया जासकता है ।

(ख) ब्रह्मादेशबनमें किसी किसी अपराधमें जिनका वर्णन ऐक्ट सिपुर्दगी मुजारिमान व जेलखाना ब्रह्मादेशबनमें है बेंतकाभी दंड दिया जा सकता है । देखो ऐक्ट १६ सन् १८८६ ई० दफा ६ जिसकी मीआद ३० जून सन् १८८७ ई० को बीतजायगा, देखो दफा ८ ऐक्ट उपरोक्त ।

४—जब अपराधी कई एक अपराधोंको करे जिनमें प्रत्येक अपराध सात वर्षसे कमकी कैदके दंड योग्य हो, परन्तु सब अपराधोंका दंड मिलकर सात वर्षसे अधिक हो जाय तो ऐसी अवस्थामें इस संग्रहकी दफा ५९ के अनुसार सब दंड देश निकालेके दंडसे नहीं बदला जा सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ४४ श्रीमती महारानी बनाम तानूराम माली)

(६०) प्रत्येक अवस्थामें जहां अपराधी दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य हो, वहां दंड देनेवाली अदालतको अधिकार होगा कि दंडकी आज्ञामें यहभी आदेश करे कि, समस्त कैद कठिन हो या साधारण हो या कि उस अवधिके कुछ समय तक कैद कठिन हो और शेष समयमें कैद साधारण रहे।

कैदकी मुख्य अवस्थाओंमें दंडकी आज्ञा कुछ या समस्त साधारण या कठिन हो सकेगी।

दफा ४—यदि कोई मनुष्य जिसपर कोई अपराध नीचे लिखे अपराधोंमेंसे पहिले प्रमाणित हुआहो और फिर उसी अपराधमें पकडा जाकर वही अपराध प्रमाणित होवे तो उचित है कि, सिवाय किसी और दंडके कि जिसका वह हिंदुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार दंडित हो उसको बेंतका भी दंड दियाजावे अर्थात्—

१—झूठी साक्षी (गवाही) देना या बनाना इसप्रकार पर कि जिसका वर्णन दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ में है।

२—ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिससे मृत्युदण्ड हो झूंठी साक्षी देना या बनाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९४ में कहा है।

३—ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिससे देश निकलिके दंड होनेकी नियत हो झूंटी साक्षी देना या बनाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९५ में कहा है।

४—किसीको झूंठा दोष लगाना कि जिससे उसकी प्रतिष्ठामें हानि पहुंचे या प्रकृति विरुद्ध कोई कार्य करे, जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा २२१ व ३७७ में वर्णन किया गया है।

५—किसी स्त्रीका सतीत्व भङ्ग करनेके नियतसे बलपूर्वक आक्रमण करना, जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३५४ में वर्णित है।

६—बलपूर्वक स्त्रीप्रसङ्ग करना, जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७५ में कहा है।

७—प्रकृतिके विरुद्ध काम करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७७ में वर्णन किया गया है।

८—बलपूर्वक चोरी करना या डाका डालना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९० व ३९१ में उसका वर्णन किया है।

९—बलपूर्वक (धमकाकर) चोरी करनेका उद्योग करना, जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९३ में उसका वर्णन किया है।

१०—बलपूर्वक चोरी करनेके अपराधमें जानबूझकर किसीको हानि पहुँचाना, जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९४ में उसका वर्णन है।

जायदादकी जब्तीका दंड ।

(६१) प्रत्येक अवस्थामें जहां कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित हो जावे कि, जिसके सम्बन्धमें वह इस योग्य हो कि उसका समस्त धन (जायदाद आदि) जब्त किया जावे (राज्यमें लेलिया जावे) तो ऐसी अवस्थामें अपराधी किसी मालको भी नहीं पा सकेगा, सिवाय इसके कि, वह माल गवर्नमेंटके लाभके लिये प्राप्त किया जावे, जबतक कि, वह उस दंडके बदले दूसरे ठहराये हुए दंडको न भुगतले या जबतक कि,उसका दंड न माफ (क्षमा) किया जाय।

उदाहरण ।

शिवशंकर जिसके ऊपर गवर्नमेंट हिन्दके विरुद्ध युद्ध करना प्रमाणित हुआ, इस बातके योग्य है कि उसकी समस्त सम्पत्ति जब्त की जावे--दंडकी आज्ञा होनेसे पीछे और भुगतनेसे पहिले शिवशंकरका बाप मरा और यह जायदाद शिवशंकरको उस अवस्थामें मिलती कि जब उसके सम्बन्धमें जब्ती जायदादकी कुछ आज्ञा न होती, तो ऐसी अवस्थामें संपूर्ण संपत्ति गवर्नमेंटकी मिल्कियत होगी ।

१—जायदाद जब्तीकी आज्ञा केवल उसी अवस्थामें दी जासकती है कि जब अपराध देशनिकालेके दंडके योग्य हो, या सात सालकी कैदके योग्य हो (वीकली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ३५ फौजदारी)

११—समझ बूझकर स्वभावसेही चोरीका माल लेना या व्यवहार करना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४१३ में उसका वर्णन किया गया है।

१२—जालसाजी, जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६३ में उसका वर्णन हुआ है।

१३—लेख (दस्तावेज) की जालसाजी कि जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६२ में उसका वर्णन हुआ है।

१४—लेखकी जालसाजी कि जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६७ में उसका वर्णन हुआ है।

१५—धोखा देनेके अभिप्रायसे जालसाजी करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६८में उसका वर्णन हुआ है।

१६—किसी मनुष्यकी नेकनामीमें बट्टा लगानेके अभिप्रायसे जाली दस्तावेज बनाना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६९ में उसका वर्णन हुआ है ।

१७—घर फोड़कर या बलपूर्वक घरमें घुसना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४४३ व ४४५ में उसका वर्णन हुआ है ऐसा अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दण्ड इस दफाके अनुसार बेंत द्वारा हो सकता है।

१८—रातके समय घर फोड़कर या बलपूर्वक अनीतिसे घरमें घुसना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४४४ व ४४६ में उसका वर्णन हुआ है, ऐसा अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफाके अनुसार बेंत द्वारा हो सकता है।

२—जायदादकी जब्तीका एक ऐसा दंड है जो बड़े भारी अपराधके लिये होना चाहिये या उन अपराधोंमें कि जो बहुतही बुरी अवस्थामें किये गये हैं क्योंकि यह दंड ऐसा है कि जो केवल कैदीके लियेही नहीं है, बरन उसके संपूर्ण कुटुंबके लिये है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १७ फौजदारी)

जब्ती ऐसे अपराधीयोंके मालकी जो मृत्यु दंड (वध) देशनिकाले या कैदके दंड योग्य हो।

(६२) जब किसी मनुष्य पर ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले मौतका दंड हो सकता है तो अदालतको यह तजवीज करनेका अधिकार है कि, अपराधीका कुल धन स्थावर व अस्थावर (मनकूला व गैर मनकूला) गवर्नमेंटमें जब्त हो, और जब कि, किसी मनुष्य पर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले देशनिकालेका दण्ड या सात वर्षसे अधिककी कैद हो सकती है, तो अदालतको यह तजवीज करनेका अधिकार है कि, देशनिकालेके दंड या कैदकी मीआदके भीतर अपराधीके कुल धन स्थावर व अस्थावरका लगान व किराया व मुनाफा इस शर्तके साथ गवर्नमेंटमें जब्त रहे कि, अपराधीके कुटुम्ब परिवार व स्त्री बच्चोंके लिये उपरोक्त दंडकी अवधिमें जो आजीविका गवर्नमेंट उचित समझे, उस जायदादसे दे।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ६२, कि जिसमें जायदादके जब्त करनेके संबंधमे आज्ञा है केवल उसी अवस्थामें काम आसकेगी कि जब अपराधीको देश निकालेका दंड दिया गया हो, या कमसे कम ७ वर्षके लिये कैदकी आज्ञा दी गई हो। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ३५ श्रीमती महारानी बनाम किरपा मवई आदि)

२—सेशनजजने एक जमींदारको इस अपराध पर देश निकालेका दंड दिया कि, उसने एक बहका लाये हुए मनुष्यको अनुचित रीतिपर बंद रक्खा और उपरोक्त दंड देनेके साथही साथ यहभी आज्ञा दी कि उसकी जमींदारीका लगान व मुनाफा जब्त किया जावे, तजवीज हुई कि, इस दंडकी आज्ञा बहुतही कड़ी थी। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १७ श्रीमती महारानी बनाम तोतामियां)

जुर्मानेकी तादाद.

(६३) जहांपर कहीं जुर्मानेकी सीमा नियत की गई, वहां पर उस जुर्माने की तादाद कि अपराधी जिसके योग्य होगा असीम है परंतु चाहिये कि अटकलसे अधिक न हो।

जुर्माना अदा न होनेके बदले दंडकी आज्ञा.

(६४) प्रत्येक अभियोगमें जिसमें किसी अपराधीपर जुर्मानेका दंड किया जाय, तो दंड करनेवाली अदालत दंडके साथमें आज्ञा दे सकेगी कि जुर्माना न अदा करेगा तो अपराधी इतनी अवधितक कैदमें

दफा ५—उचित है कि किसी कम आयुवाले अपराधीको जो ऐसा अपराध करे कि जिसका दंड, दंडसंग्रह हिंदके अनुसार फांसी न हो, चाहे वह अपराध उससे पहलीही बार हुआहो चाहे दूसरीबार—उसे बेंतका भी दंड देना चाहिये।

१हेगा । और यह कैद उस कैदसे सिवाय होगी, जो उस अपराधीको दंडमें की गई हो, या उस कैदसे सिवाय होगी जो किसी दूसरे दंडके बदले ठहराई गई हो ।

१—जुर्माना न अदा होनेकी अवस्थामें उतनेही अवधि तकके लिये दंड कैद की आज्ञा होगी कि जो अवधि अपराधके दण्ड कैदकी चौथाईसे अधिक न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा २ फौजदारी)

२—जिस अभियोगमें देश निकालेका दंड हो, उसमें जुर्माना न अदा होनेसे दंड कैदकी आज्ञा नहीं हो सकती (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ३१)

जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें कैदके अवधिकी सीमा जब कि अपराधका दंड कैद और जुर्माना दोनों हों ।

(६६) यदि किसी अपराधके बदलेमें कैद और जुर्माना दोनोंही दंड नियत हों तो जो कैद जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें अदालतकी आज्ञासे निश्चय हो, उसकी अवधि उस कैदकी बडीसे बडी अवधिके एक चौथाईसे अधिक न होगी, जो उपरोक्त अपराधके दंडमें नियत है ।

जुर्माना न चुकनेके बदले कैदका प्रकार.

(६६) जो कैद जुर्माना न अदा होनेके बदले अदालतकी आज्ञासे निश्चय हुई हो वह उसी भांति की हो सकती है, जो उस अपराधके बदलेमें अपराधीके लिये निश्चय हो सकती हो ।

जब कि अपराधका दंड केवल जुर्माना है उस अवस्थामें जुर्माना न अदा होनेसे कैदकी अवधि.

(६७) यदि अपराधके बदलेमें केवल जुर्मानेहीका दंड नियत हो, तो वह कैद जो अदालत जुर्माना न अदा होनेके बदले ठहरावैगी, साधारण कैद होवेगी और उस कैदकी अवधि जो जुर्माना न अदा होनेके अवस्थामें अदालतकी आज्ञासे निश्चय हो, नीचे लिखी हुई सीमासे अधिक न होगी, अर्थात् जब जुर्मानेकी तादाद ५०) रु० से अधिक न हो, तो दंड कैद दो महीनेसे अधिक न हो ।

जब जुर्माना १००) रु० से अधिक न हो, तो दंड कैदकी अवधि ४ महीनेसे अधिक न हो, और शेष अवस्थामें कोई अवधि जो छः महीनेसे अधिक न हो ।

दफा ६—जब किसी लोकल गवर्नमेंटने सर्कारी गजट द्वारा सूचना देकर इस दफाकी शर्तोंको किसी सरहदी जिला या देशके चारों ओर जंगलमें जो उपरोक्त गवर्नमेंटके अधिकारमें हो, प्रचलित किया जाय तो जो मनुष्य सूचना दिये जानेके पश्चात् उपरोक्त जिला आदिमें दफा ४ के अपराधोंमेंसे किसी अपराधको करे--तो उचित है कि किसी और दंडके बदले जिसका वह दंडसंग्रह हिंदके अनुसार दंडके योग्य हो, उसे बेंतका दंड दिया जावे ।

दफा ७--(ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० के अनुसार मंसूख हो गई)

दफा ८--(ऐक्ट नं० १० सन् १८७२ ई० के अनुसार मंसूख होगई)

दफा ९--१०--(ऐक्ट नं० १६ सन् १८७४ ई० के अनुसार मंसूख होगई)

दफा ११--१२ (ऐक्ट नं० १० सन् १८७२ ई० के अनुसार मंसूख होगई)

१—जिस अपराध का दंड कैद और जुर्माना दोनों या केवल जुर्माना का ही हो सकता है और मजिस्ट्रेट केवल जुर्माने के दंडकी आज्ञा दे, तो जुर्माना न चुकनेके बदले कैदकी अवधि दफा ६७ के अनुसार नियत की जावेगी न कि दफा ६५ के अनुसार (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ३० फौजदारी)

(६८) जो कैद जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें ठहराई गई हो, वह उसी समय समाप्त हो जायगी, जब कि जुर्माना अदा किया जाय, या कानूनकी रीतिसे वसूल कर लिया जाय ।

जुर्माना अदा करदेने-पर ऐसी कैद समाप्त हो जायगी.

(६९) यदि उस कैदकी अवधि व्यतीत होनेसे पहिले जो जुर्माना न चुकनेकी अवस्थामें नियत हो, कोई ऐसा भाग जुर्मानेका चुका दिया जाय, या वसूल कर लिया जाय कि जितनी अवधि कैदकी व्यतीत होगई हो वह शेष, विना जुर्माना चुकेसे समीभूत हो तो वह कैद उसीसमय समाप्त होजायगी ।

व्यतीत होना इस कैदका जब कि जुर्मानेका कुछ भाग चुका दिया जाय.

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर पर सौ रुपये जुर्माने का दंड और जुर्माना न चुकने की अवस्थामें चार मासके लिये कैदकी आज्ञा हुई हो, तो इस अवस्थामें यदि अवधिका एक महीना बीतनेसे पहिले ७५) रु० चुकाये जावें या वसूल कर लिये जावें तो पहिला महीना बीततेही शिवशंकर छूट जायगा और यदि पहिला महीना बीत जानेके समय या उसके पश्चात् शिवशंकरके कैद रहनेकी अवस्थामें ७५) रुपये चुकाये जाँय, तो शिवशंकर तुरंत ही छूट जायगा और यदि अवधिके दो महीने बीतनेसे पहिले जुर्मानेमें के ५०) रु० चुकाये जाँय,या वसूल कर लिये जायँ,तो दो महीने बीतते ही शिवशंकर तत्कालही छूटजायगा और यदि इन दो महीनोंके बीततेही या उसके पश्चात् शिवशंकरके कैद करनेकी अवस्थामें ५०) रु० चुकाये जाँय,या वसूल कर लिये जाँय,तो शिवशंकर उसी समय छूट जायगा।

(७०) जुर्माना या उसका कोई भाग जो वसूल होनेसे शेष रहगया हो दंडाज्ञाकी तारीखसे छः वर्षके भीतर हर समय वसूल किया जा सकता है और यदि अपराधी छः वर्षसे अधिक दंडके योग्य हो तो वह उस दंडकी अवधिके व्यतीत होनेसे पहले प्रत्येक समय वसूल किया जा सकता है ।

जुर्माना ६ वर्षके भीतर या कैदकी अवधि में किसी समय वसूल किया जा सकता है.

और अपराधीके मरजानेसे कोई माल जो उसके मरनेके पश्चात् कानूनानुसार ऋणके झगडेमें फँस सकता है, इस दायित्वसे नहीं छूट सकता ।

अपराधीके मरजानेसे उसकी जायदाद नहीं छूटती.

१ हिन्दुस्तानके दंडसंग्रहकी दफा ७० के अनुसार जुर्मानेका रुपया अपराधीके अनस्थावर (गैर मनकूला) धनसे उसकी जीवित अवस्थामें या उसके मरनेके पश्चात् किसी प्रकारसे भी नहीं वसूल हो सकता,केवल स्थावर धनसे वसूल हो सकता है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द५ सफा ६३)

२—जुर्माना प्रत्येक अवस्थामें वसूल कर लिया जावेगा चाहे अपराधीने जुर्माना न देनेके बदले दंड कैदका भोग लिया हो, क्योंकि यह एक दण्ड अदालतके संबंधमें है (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ६१)

(७१) जिस अवस्थामें कोई काम, जो अपराध है, कुछ टुकडोंसे बना हो और इन टुकडोंका प्रत्येक टुकडा जो स्वयंही अपराध हो तो अपराधीको उन अपराधोंमेंसे एकसे अधिक अपराधका दंड न दिया जायगा, सिवाय उस अवस्थामें कि, जब ऐसे दंडकी आज्ञामें स्पष्ट लेख हो—

अपराधके दंडकी अवधि तो कई अपराधों युक्त है.

जब कोई काम ऐसा अपराध हो, जो किसी ऐसे कानूनके अनुसार जो उस समय प्रचलित हो दो या अधिक विरुद्ध लक्षणोंमें संयुक्त हो जिसमें अपराधोंका वर्णन या उनके दंडोंका लेख हो या जब कुछ काम जिनमेंसे एक या एकसे अधिकका संग्रह स्वयं ही अपराध है सबके सब इकट्ठा होकर कोई और अपराध होजावे, तो अपराधीको उस दंडसे अधिक कडा दंड न दिया जायगा जिसको अदालत, जो उसके संबन्धमें विचार करती है, ऊपर लिखे अपराधोंमेंसे किसी एक अपराधके संबंधमें ठहरा सकती है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरको पचास लकडियें मारीं तो इस अवस्थामें संभव है कि, शिवशंकरने जान बूझकर रमाशंकरको दुःख पहुंचानेका अपराध इस सब मारपीटके द्वारा किया हो और यह भी कि चाहे उन चोटोंमेंसे जिनको मिलाकर वह सब मारपीट गिनी गई प्रत्येकके द्वारा किया हो—इस अवस्थामें यदि शिवशंकर प्रत्येक मारके बदले दंडके योग्य होता, तो वह पचास वर्षतक कैद रह सकता था, अर्थात् प्रतिमारके लिये एक वर्ष कैद रहता, परन्तु वह कुल मारपीटके बदले केवल एकही दंडके योग्य होगा।

(ख) फिर जब कि शिवशंकर रमाशंकरको मार रहा है, उमाशंकर हस्ताक्षेप करे और शिवशंकर उमाशंकरको जान बूझकर मारे, तब जो कि वह मार जो उमाशंकर पर पडी है, उस कामका कोई भाग नहीं है जिससे शिवशंकरने रमाशंकरको जान बूझकर कष्ट पहुँचाया—इसलिये शिवशंकर रमाशंकरको जान बूझकर कष्ट पहुंचानेके अपराधमें एक दंडके योग्य होगा और उस मारके अपराधमें जो उमाशंकर पर पडी दूसरे दंडके योग्य होगा।

१—जब कि एकसे अधिक अपराध प्रमाणित हों तो प्रत्येक अपराधके संबंधमें विचार करना चाहिये चाहे दफा ७१ अभियोगसे संबंध रखती हो या नहीं और दफा ७१ के अनुसार प्रत्येक अपराधका विचार होना चाहिये (इलाहाबाद जिल्द १० सफा ५८)

२—जब किसी मनुष्यपर घर फोडने (सेंध लगाने) का अपराध दफा ४५७ व चोरीका अपराध जो उसी समय की गई दफा ३८० दंडसंग्रह हिंदके अनुसार लगाया जावे, तो वह इस दफाके अनुसार एकही अपराधका अपराधी ठहराया जावेगा (बंबई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा ८७)

३—चोरी और चोरीके मालको लेजाना और रख छोडना एकही अपराध है इसलिये उनका दंड पृथक् पृथक् नहीं हो सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ६३)

४—अपराधीको मनुष्यवधके अपराधमें व कानूनके विरुद्ध इकठ्ठा हुए मनुष्योंके समूहमें जानेके अपराधमें पृथक् पृथक् दंडकी आज्ञा दी गई—परन्तु हाईकोर्टके विचारमें दोनों अपराध एक ही अपराध समझे गये (क्योंकि पीछेका अपराध केवल पहले अपराधकी साक्षीकी भांति था) इस लिये इस पिछले अपराधमें अपराधी दंडरहित किया गया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १३ फौजदारी)

५—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर झूंठा दोष लगाया और अभियोग चलनेके समय उस दोषकी दृढतामें झूठी गवाही भी अदालतमें दी—हाईकोर्टकी यह राय हुई कि अपराधीको झूंठा दोष स्थिर करने और झूठी गवाही देनेके अपराधमें अलग अलग दंड होना चाहिये। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ५९ फौजदारी)

६—एकही गवाहीमें चाहे कितने ही झूठे बयान किये जावें परन्तु उनके सम्बन्धमें झूठी गवाही देनेका एकही अभियोग चलेगा. झूठी गवाही देनेके अपराधोंकी तादाद (संख्या) झूट बयानोंसे जो एकही गवाहीमें हो नहीं बढ सक्ती (मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६—अपील सफा २७)

७—अपराध से भागनेका दफा ४६३ के अनुसार और फिर बेचने अनसमझ (नाबालिग) का दफा ३७२ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार अलग अलग अपराध हैं और अलग २ दंडके योग्य हैं (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १०४)

८—जब कुछ अपराध अपराधी पर प्रमाणित हो, तो उसको एक अपराधका अपराधी ठहराना और दूसरे अपराधसे बरी करना उचित नहीं—चाहे अपराध एक दूसरेसे सम्बन्ध ही क्यों न रखते हों (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा २)

इस मनुष्यका दंड जो कई अपराधोंमेंसे एकका अपराधी पाया जावे जब कि आज्ञासे लिखागया हो कि निश्चय नहीं इन अपराधोंमेंसे किसका अपराधी है।

(७२) प्रत्येक अवस्थामें जहां यह सिद्धान्त होवे कि कई अपराधोंमेंसे कि जिनका वर्णन फैसलेमें हो, किसी एक अपराधका कोई मनुष्य अपराधी हुआ है, परंतु इसका संदेह रहजावे कि वह मनुष्य उन अपराधोंमेंसे कौनसे अपराधका अपराधी है, तो अपराधीको उस अपराधके बदलेमें दंड दिया जायगा, जिसके लिये कमसे कम दंड नियत किया गया है, इस नियमसे कि उन सब अपराधोंके लिये एकही दंड नियत नहीं किया गया हो।

एकांतवासका दंड (कैद तनहाई.)

(७३) जब किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले इस संग्रहके अनुसार अदालतको कडी कैदके दंडकी आज्ञा देनेका अधिकार है, तो अदालत अपने दंडकी आज्ञामें यह आज्ञा देसकती है कि अपराधी निश्चय की हुई कैदकी अवधिमेंसे किसी एक अवधितक या कई अवधितक कि जिसका पूरा समय तीन महीनेसे अधिक न हो, नीचे लिखे अनुसार एकांत वासके दंड (कैदतनहाई) में रहे अर्थात्—

यदि कैदकी अवधि छः महीनेसे अधिक न हो, तो कैद तनहाई एक महीनेसे अधिक न होगी, यदि कैदकी अवधि छः महीनेसे अधिक और एक सालसे अधिक न हो, तो कैद तनहाई की अवधि दो महीनेसे अधिक न होगी और यदि कैदकी अवधि एक वर्षसे अधिक हो, तो कैद तनहाई तीन महीनेसे अधिक न होगी ।

१—कैद तनहाईका दंड पुराने अपराधियोंके लिये बहुत ही लाभदायक है, मुख्य करके उन अपराधियोंके लिये जो मालके अपराधोंमें दंडित किये जावें । साधारण रीतिपर कैद तनहाईका दंड उन मनुष्योंके योग्य नहीं है जो मनुष्यवधके दंडके योग्य अपराधी ठहराये जावें (सी. पी, ला.रि. जिल्द ५ सफा ४८ फौजदारी)

एकांतवासकी अवधि.

(७४) एकांतवासका दंड करनेमें यह अवधि कभी एक बार चौदह दिनसे अधिक न होगी और दोबेरके एकांतवासके बीचका अंतर उपरोक्त अवधिके समयसे कम न होगा और जब कि निश्चय की हुई कैदकी अवधि तीन महीनेसे अधिक हो, तो कुल निश्चय की हुई कैदकी अवधिमेंसे किसी एक महीनेमें एकांतवास सात दिनसे अधिक न होगा और एकांतवासकी दो अवधियोंके बीचका अंतर उपरोक्त अवधिके समय (मुद्दत) से कम न होगा ।

उन मनुष्योंका दंड जो पहिले किसी ऐसे अपराधके अपराधी प्रमाणित होचुके है जिसके बदलेमें तीन वर्षकी कैद है और फिर वैसेही अपराधके अपराधी प्रमाणित हुए हों.

(७५) यदि किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित होचुकाहो, कि जिसके बदलेमें इस संग्रहके अध्याय १२या१७के अनुसार दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी तीन वर्ष या अधिककी कैद नियत है और वह मनुष्य फिर किसी ऐसेही अपराधका अपराधी हो, जिसके बदलेमें किसी उपरोक्त अध्यायके अनुसार दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी तीन वर्ष या अधिककी कैद नियत है, तो ऐसे प्रत्येक नये अपराधके बदले उस अपराधीको आजन्म देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारमेंसे किसीप्रकारकी कैदका दंड जिसकी अवधि दश वर्षतक हो सकती है, होसकता है ।

१—यदि एकहीसे कई अपराध एकही समयपर हों तो दफा ७५ के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकती । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ९०)

२—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ७५ के अनुसार अधिक दंड उस समय दिया जावेगा कि जब अपराधी इस संग्रहके प्रचलित होने उपरांत अध्याय १२ व १७ के अनुसार दंडित हुआहो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १७ फौजदारी)

अध्याय चौथा ४.

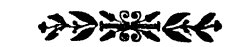

साधारण छूटके वर्णनमें।

(७६) कोई काम अपराध नहीं है, जिसको वह मनुष्य करे जिसपर उसका करना कानूनानुसार उचित है या जिसको वह मनुष्य करे कि जो किसी वृत्तांतकी यथार्थ दशाको न समझकर न कि कानूनकी गलत समझीके कारण, नेक नियतीके साथ यह निश्चय करता हो कि उस कामका करना उसपर कानूनानुसार उचित है।

काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसपर इसका करना कानूनानुसार उचित हो या जिस वृत्तांतको यथार्थ न समझ लेनेसे अपने ऊपर उसका करना कानूनानुसार उचित जानताहो.

उदाहरण।

(क) यदि शिवशंकर कि जो सिपाही है, अपने अफसरकी कानूनानुसार आज्ञासे मनुष्योंके एक समूहपर बंदूक चलाये, तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा।

(ख) यदि शिवशंकरको कि जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसका ओहदेदार है उस कोर्टसे रमाशंकरके कैद करनेकी आज्ञा मिले, और ठीक ठीक जांचके पश्चात् उमाशंकरको रमाशंकर जानकर कैद करे, तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

(७७) कोई काम अपराध नहीं है, जो कोई जज अदालतका काम करते हुए किसी ऐसे अधिकारको काममें लाकर करे कि जो उसे कानूनानुसार प्राप्त है, या जिसके सम्बन्धमें वह नेक नियतीके साथ यह निश्चय करता हो कि उपरोक्त अधिकार उसे कानूनानुसार प्राप्त है।

जजका काम जब कि वह अदालतका काम कररहाहो.

(७८) कोई काम अपराध नहीं है, जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी किसी तजवीज या आज्ञाके अनुसार किया जावे या जिसके करनेकी आज्ञा उस तजवीज या हुक्मसे पाई जाती हो; इस दशामें कि उपरोक्त काम उस समयके भीतर कियाजाय जब कि वह तजवीज या आज्ञा प्रचलित रहे, चाहे उस कोर्ट ऑफ जस्टिसको ऐसी तजवीज या आज्ञाका अधिकार न हो, परंतु कामका करनेवाला मनुष्य नेक नियती शुद्धभावसे निश्चय करता हो कि कोर्ट ऑफ जस्टिसको उस प्रकारका अधिकार प्राप्त है।

काम जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी तजवीज (विचार) या आज्ञानुसार किया जावे.

(७९) कोई काम अपराध नहीं है जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे, जिसको उसका करना कानूनानुसार उचित है या वह मनुष्य करे जो किसी वृत्तांतका यथार्थ अभिप्राय न समझनेसे, न कि कानूनकी गलत समझीके कारण, नेक नियतीके साथ अपनेको उस कामके करनेका कानूनानुसार अधिकारी निश्चय करता है ।

काम जो किसी ऐसे मनुष्यसे हो, जो कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी है, या जो वृत्तांत अशुद्ध समझनेसे अपनेको कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी समझता हो.

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर रमाशंकरको ऐसा काम करते देखे जो शिवशंकरके निकट ज्ञातघात जानपडे और शिवशंकर अपनी बुद्धिको यथासम्भव शुद्ध भावसे काममें लाकर उस अधिकारको वर्त्तनमें जो कानूनानुसार सब मनुष्योंको प्राप्त है कि घात करते हुए घातकोंको कैद करे, रमाशंकरको इसलिये कैद करे कि उसको किसी यथोचित अधिकारी हाकिमके सन्मुख लाये तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस कामका अपराधी न हुआ, चाहे यह बात निश्चय होजावे कि रमाशंकर यह काम अपनी रक्षाके लिये कर रहा था ।

१—यदि कोई चौकीदार मनुष्यको कैद करनेमें जिसको वह शुद्ध भावसे चोर जानताहो कुछ सख्ती करे या हानिभी पहुंचावे तो वह इस संग्रहकी दफा ७९ के अनुसार किसी अपराधका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ९ श्रीमती महारानी बनाम परताप चौकीदार)

(८०) कोई काम अपराध नहीं है, जो दैवात् या कुभाग्यसे बिना किसी अपराध योग्य नियत या समझबूझकर किसी उचित कामके करनेमें होजावे और वह काम उचित रीति व नीतिपूर्वक यथोचित सावधानी और चैतन्यताके साथ कियाजावे ।

नीतिपूर्वक काम करनेमें इठात् कुछका कुछ होजाना.

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर कुल्हाड़ी से काम करता हो और फल निकल कर किसी मनुष्यके जालगे जो समीपही खड़ा हो, और वह मरजावे तो इस अवस्थामें शिवशंकरका यह काम अपराध योग्य नहीं है जब कि शिवशंकरकी ओरसे यथोचित सावधानीमें कुछ कमी न हुई हो ।

(८१) कोई काम केवल इस कारणसे अपराध न होगा कि कर्ता यह जानकर करे कि उससे कोई हानि होनी सम्भवहै बशर्ते कि उस कामके करनेके प्रयोजनमें हानि पहुँचानेकी नियत न हो और वह काम शुद्ध-भावके साथ माल या जानको किसी दूसरी हानिसे बचाने या रोकनेके अभिप्रायसे किया जावे ।

काम जिस से हानि पहुँचना सम्भव है परंतु किसी कुप्रयोजनके विना और दूसरी हानि रोकनेके लिये किया जावे.

स्पष्टीकरण—ऐसी अवस्थामें यह बात निश्चय करनी होगी कि वह हानि, जिसके रोकने या बचानेका अभिप्राय था इस प्रकारका और ऐसी संभावित थी कि ऐसे कामके हो जानेसे जोखिमका उत्पन्न करना उचित या क्षमाके योग्य हो सकता है या जब कि अपराधी जानता था कि उस कामके करनेसे हानि उत्पन्न होना सम्भव है।

उदाहरण।

(क) यदि शिवशंकर, कि जो एक धुएँवाले जहाजका कप्तान है, हठात् बिना किसी अपराध या अचैतन्यताके एक ऐसे स्थान पर पहुँचा कि जब तक वह अपने जहाज को रोके तबतक रामबाण नावको जिसमें २० अथवा ३० यात्री थे अवश्य टक्कर लगती जान पड़ी और टक्कर बचानेका केवल यही उपाय था कि शिवशंकर अपने जहाजका मुंह दूसरी ओर फेर देता परंतु मुंह फेरनेसे इस बातकी हानि थी कि और एक नाव रुद्रशरको कि जिसमें केवल दोही यात्री थे टक्कर लगती तथापि उसका बचनाभी संभव था, यहां यदि शिवशंकर रुद्रशरनावको टक्कर देनेके अभिप्राय बिना और रामबाणके यात्रियों को टक्कर लगने की आपत्तिसे बचानेके निमित्त अपने जहाजका मुंह शुद्ध भावसे फेर दे तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा, चाहे उसके इस कामसे जिसको वह जानता था कि इससे रुद्रशर नावको टक्कर लगना अति सम्भव है रुद्रशरको टक्करभी लगजाती, जब कि यह बात प्रमाणित हो जावे कि वास्तवमें वह हानि, कि जिस्से बचाना उसकी नियतमें था ऐसी थी कि उसके कारणसे रुद्रशरको टक्कर दिलाना क्षमाके योग्य था।

(ख) यदि बड़ी भारी आग लगी हो और शिवशंकर इस अभिप्रायसे घर गिरावे कि आग न फैलने पावे और वह यह काम शुद्धभावके साथ मनुष्योंके प्राण व धन बचानेके अभिप्रायसे करे, इस अवस्थामें यदि यह बात प्रमाणित हो कि, वह हानि जिसकी रोकका अभिप्राय था. इस प्रकारकी और ऐसी संभवित थी कि उससे शिवशंकरका काम क्षमाके योग्य हुआ तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

१—एक मनुष्यने अपने ताडीके बासनोंमें धतूरेका रस (अर्क) यह जानकर कि, यदि मनुष्य उसको पियेगा, तो उसको हानि पहुंचेगी, चोरको पकडनेके अभिप्रायसे जो उसकी ताडी चुराकर ले जाता था, भरदिया; उस अर्कको कुछ सिपाहियोंने छिपाकर बेचनेवालेसे मोल लेकर पी लिया और उससे उनको हानि पहुँची—तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्य हिंदुस्यानके दण्डसंग्रहकी दफा ३३८ के अनुसार दंडके योग्य था दफा ८१ में लिखेहुए हुक्मोंसे वह दंडसे नहीं बच सकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा ५९)

सातवर्षकी अवस्थासे नीचेके बालकका काम.

(८२ (कोई काम जो सात वर्षसे नीचेकी अवस्थाके बालकने किया हो, अपराध न होगा।

(८३) कोई काम अपराध नहीं है, जो सात वर्षसे अधिक और बारह वर्षसे कम अवस्थाका बालक करे, जब कि उसकी समझ इतनी पकायतीको न पहुँची हो कि वह उस कामके गुण और उसके फलकी बुराई भलाईको समझसके।

सातवर्षसे ऊपर और बारहवर्षसे नीचेकी अवस्थाके बालकका काम जिसे उचित बुद्धि न हुई हो.

१—एक कम उमर लडकेने एक हार १॥) रु० मूल्यका चुराया और एक दूसरे मनुष्यके हाथ ।-) में बेचा लडका इस कारण छोडा गया कि दंडसंग्रह हिंदकी दफा ८३ के अभिप्रायसे उसकी बुद्धि पकायतीको नहीं पहुंची थी, मोल लेनेवाला दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४४१ के अनुसार दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जान बूझकर चोरीका माल लिया । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा ३७३)

(८४) **कोई काम अपराध नहीं है, जिसको ऐसा मनुष्य करे, जो करते समय अपनी बुद्धिके बिगाडके कारण अपने कामका गुण यह जाननेके योग्य न हो कि जो वह कर रहा है अनुचित या कानूनके विरुद्ध है।**

उस मनुष्यका काम जिसकी बुद्धि बिगडी हो.

१—अपराधीने अपने दो लडकोंको कुल्हाडीसे काट डाला, इस अपराधका कारण यह बयान किया गया है कि जब वह ज्वर (बुखार) में पडा हुआ था उसे उसके बच्चोंके चिल्लानेका शब्द बुरा जान पडा—यह भी बयान किया गया था कि ज्वरके कारण उसके स्वभावमें अन्तर आगया था और उसको शब्द भला नहीं लगता था, परन्तु यह प्रगट नहीं हुआ कि अपराध करनेके समय अपराधी अचैतन्य(बेहोश)था--अपराधीने सच्चा वृत्तान्त छिपानेकी कोई इच्छा नहीं प्रगट की-बरन प्रत्येक अपराधको पूरा पूरा स्वीकार किया--हाईकोर्टने यह तजवीज की कि जिस अवस्थामें अपराधी अपने कामके गुणको जानता था, तो उसके संबंधमें बिचार लेना चाहिये कि वह अपने कामके दंडको भी जानता था--इसलिये वही ज्ञातघातका अपराधी है । (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १० सफा ५१२)

२—कैदीने एक मनुष्यको लाटीसे मार डाला और जब वह पहली बार देखा गया, तो लाशके आसपास अपनी लाठी घुमाता फिरता था और जब दूसरी बार देखा गया तो एक पेडके नीचे जहां एक घोडा बँधा हुआ था "हुश हुश" करता था—थोडी देरके पश्चात् उसने कुछ मनुष्योंपर आक्रमण (हमला) करके उनके संदूक तोड डाले और उनका असबाब गिरा दिया अफ्सर पुलीसने कि अपराधी जिसकी रक्षामें था बयान किया कि वह कभी तो सावधान हो जाता था और कभी असावधान (पागल) विचारके समय वह सावधानीकी बातें करता था, परन्तु आकृतिसे व्याकुल जान पडता था, इसलिये हाईकोर्टसे छूट गया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४२)

३—अपराधीने अपने लडकेको एक देवताके आगे मारडाला और स्वयं अपना गला काट-कर उस देवता पर चढानेका उद्योग किया और एक दिनके पश्चात् पकडा गया, परन्तु वह बोल न सकता था इसलिये उसने यह लिख दिया—मेरा लडका मंगलके दिन जी उठेगा—मैंने चढावा माना था कि, यदि मेरे लडका उत्पन्न होगा तो उसको गंगाकी भेंट करदूंगा और पूजा करूंगा—यद्यपि लडका तो उत्पन्न हुआ परन्तु उसके साथ धन नहीं आया, इसलिये मैंने उसको मार डाला—यह भी प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त अपराधी नशेकी अवस्थामें बहुतही सावधान रहता था, परन्तु कभी उसकी बुद्धि न बिगडी थी और बिचारके समय उसने कियेहुए अपराधसे इन्कार किया—इसलिये अपराधी समझा जाकर दण्डित हुआ । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १००)

(८५) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे, जो करते समय नशेमें होनेके कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके योग्य न हो कि जो वह कररहा है अनुचित या कानूनके विरुद्ध है—उस अवस्थामें कि जब वह पदार्थ जिससे उसको नशा हुआ उस मनुष्यके अनजानमें या इच्छाके विरुद्ध उसे दियागयाहो।

उस मनुष्यका काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार करनेको असमर्थ हो.

यदि अपराधी स्वयं ही अपनेको नशेकी अवस्थामें करले तो अपराधसे बचनेके लिये पूरा प्रमाण नहीं है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७९ फौजदारी)

(८६) जिन अवस्थाओंमें कोई किया हुआ काम अपराध नहीं है, सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह किसी विशेष ज्ञान या प्रयोजनसे किया गया हो, उन अवस्थाओंमें उस मनुष्यके साथ, जो नशेकी अवस्थामें इस कामको करे, उसीप्रकार वर्त्ताव किया जायगा कि मानो उसको वही ज्ञान था, जो उसको नशा न होनेकी अवस्थामें होता, सिवाय इसके कि वह पदार्थ जिससे उसको नशा हुआ; उस मनुष्यके अनजान या इच्छाके विरुद्ध उसको दियागया हो।

अपराध जिसमें विशेष ज्ञान या प्रयोजन अवश्य हो और जिसको वह मनुष्य करे जो नशेमें हो.

(८७) जिस कामके करनेसे मृत्यु या अधिक हानिका अभिप्राय न हो और जिसके करनेवालेको यह जानकारी न हो कि, उस कामसे मृत्यु वा अधिक हानि होना सम्भव है, तो वह काम किसी ऐसी हानिके कारण अपराध न होगा, जो उस कामसे अठारहवर्षसे अधिक उमरवाले किसी मनुष्यको पहुँचजाय या जिसका ऐसी उमरके किसी मनुष्यको पहुँचाना करनेवालेकी नियतमें हो--जब कि, उस मनुष्यने हानि उठानेमें अपनी प्रसन्नता प्रगट की हो, और न ऐसी हानिके कारण वह काम अपराध होगा, जिसके पहुँच जानेका सम्भव ऐसी उमरके किसी मनुष्यको करनेवालेकी जानकारीमें हो जब कि; वह मनुष्य ऐसी हानि उठाने पर संमत हुआ हो--

काम जिससे मृत्यु या अधिक हानि पहुँचानेकी नियत न हो और न उसका होना सम्भव जानपडे और जो प्रसन्नता पूर्वक किया गया हो.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर और रमाशंकर मन बहलानेके लिये परस्परमे पटा खेलनेपर संमत हों, तो इससे यह बात समझी गई कि पटा खेलनेमें जो कुछ हानि बिना कपटके किसीको हो जाय, उसका सहना दोनोंने स्वीकार किया—शिवशंकरने जब कि वह बिना कपटके खेलता था, रमाशंकरको चोट पहुँचाई तो शिवशंकरने कुछ अपराध नहीं किया।

(८८) कोई काम, जिसके करनेसे मृत्युका अभिप्राय न हो, किसी ऐसी हानिके कारण अपराध नहीं है, जो उपरोक्त कामसे ऐसे मनुष्यको पहुँचे या ऐसे मनुष्यको जिसका पहुँचाना करनेवालेकी नियतमें हो या ऐसे मनुष्यको जिसके पहुँचानेका इहतिमाल (संभव) करनेवालेकी जानकारीमें हो, जिसके लाभके लिये शुद्धभावसे उपरोक्त काम किया जावे और जिसने इस हानि या उपरोक्त हानिके ज्ञातआघातको उठानेके लिये अपनी प्रसन्नता प्रगट की हो।

काम जिससे मृत्युका अभिप्राय न हो किसी मनुष्यके लाभके लिये उसकी प्रसन्नता पूर्वक शुद्धभावसे किया गया हो

उदाहरण ।

शिवशंकर एक डाक्टरने यह बात जान बूझकर कि अमुक चीर फाड़से रमाशंकरकी मृत्यु, जो एक बड़े रोगमें फँसा हुआ है, होना संभव है परन्तु उसके मृत्युकी इच्छा न करके वरन शुद्ध भावसे उसके लाभकी इच्छासे उसी चीर फाड़का वर्त्ताव रमाशंकरकी प्रसन्नतासे किया तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है ।

(८९) जो काम शुद्ध--भावसे किसी मनुष्यके लाभके लिये, जिसकी आयु १२ वर्षसे कम हो अथवा जो सिडी हो उसका स्वामी या वह मनुष्य कि, जिसकी रक्षामें उपरोक्त मनुष्य है करे, या उस स्वामी या रक्षककी आज्ञासे वह काम किया जावे चाहे वह आज्ञा प्रगट रीतिसे दी गई हो या अप्रगट रीतिसे, तो उस हानिके कारण जो उस कामसे उस मनुष्यको पहुँचे, या जिसका पहुँचना करनेवालेकी नियतमें हो या उसकी जानमें हो कि, इस कामके करनेसे हानि पहुंचना सम्भव है, वह काम नीचे लिखे नियमानुसार अपराध न गिनाजायगा ।

काम जो नेक नियतीसे किसी लडके या सिडी मनुष्यके लाभके लिये स्वामीसे या स्वामीकी प्रसन्नतासे किया गया हो ।

प्रथम--यह छूट अभिप्राय पूर्वक किसीकी मृत्यु करने या मृत्यु करानेके उद्योगसे सम्बन्ध न रक्खेगी ।

दूसरे--वह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बंध न रक्खेगी, जिसको करनेवाला जानता हो कि, इससे मृत्युका होना अति संभवित है और जो किसी दूसरे अभिप्रायसे किया जाय, सिवाय इस अभिप्रायके कि, उससे मृत्यु या भारी दुःखकी रोक हो या उससे किसी भारी रोग या दुर्बलताकी औषधि हो ।

तीसरे--यह छूट जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाने अथवा पहुंचानेका उद्योग करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी, सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु या भारी दुःखकी रोक या किसी भारी रोग या दुर्बलताके मिटानेके अभिप्रायसे किया जाय ।

चौथे--यह छूट जिस अपराधके करने पर लागू नहीं है, उसके करनेकी सहायता पर भी लागू न होगी ।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर शुद्धभावसे अपने लड़केके लाभके लिये उस लड़केकी बिना प्रसन्नता पथरी निकलवानेके अर्थ डाक्टरसे उस पर डाक्टरी वर्त्ताव कराये, यह जानकर कि उस डाक्टरीके वर्त्तावमें लड़केका प्राण जाना संभव है परंतु यह नियत न करके कि वह काम उस लड़केकी मृत्युका कारण हो तो शिवशंकरसे यह छूट सम्बंध रक्खेगी, क्योंकि लड़केका आरोग्य होना शिवशंकरका अभिप्राय था।

(९०) जो सम्मति किसी मनुष्यने हानिके भयसे या किसी वृत्तांतको यथार्थ न समझनेकी अवस्थामें दी हो और उस कामका करनेवाला यह जानता हो या जाननेका कारण रखता हो कि वह सम्मति उस डर या अनसमझीके कारणसे दीगई थी तो वह सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी कि इस संग्रहकी किसी दफाका अभिप्राय है और—

सम्मति जो डर या अनसमझीकी अवस्थामें दी गई हो.

न उस मनुष्यकी रजामंदी जो सिड़ी या नशेके कारण उस कामका गुण और उसका फल नहीं समझ सकता, जिसके संबंधमें वह अपनी रजामंदी प्रगट करता है और न उस मनुष्यकी रजामंदी जिसकी आयु बारह वर्षसे कम हो, सिवाय इसके कि लेखसे इसके विरुद्ध आशय पाया जाय।

लडके या सिडीकी सम्मति.

हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ९० के अनुसार रजामंदी स्वाधीनतापूर्वक होनी चाहिये, जो रजामंदी किसी डर या हानिके कारण प्रगट की जावे, वह उचित नहीं है—इसीलिये जब एक कानिस्टेबिलने एक चौकीदारको एक स्त्रीके घरके द्वारपर नियत कर दिया और आप भीतर जाकर उस स्त्रीसे संभोग किया, यद्यपि उस स्त्रीको पहिले इन्कार था, परन्तु फिर राजी हो गई थी क्योंकि यदि वह सामना करती, तो चौकीदार उस कानिस्टेबिलकी सहायताको पहुँचजाता और यदि वह भागनेकी इच्छा करती, तो चौकीदार न जाने देता--विचार हुआ कि उपरोक्त कानिस्टेबिल बलपूर्वक स्त्रीसंभोग करनेका अपराधी हुआ था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा २१)

(९१) जो छूटें दफा ८७, ८८ व ८९ में लिखी हैं वे उन कामोंसे सम्बन्ध न रक्खेगी जो स्वयं आपही अपराध है—बिना किसी ऐसी हानिके जो उनसे रजामंदी देनेवाली मनुष्यको या उस मनुष्यको जिसकी ओरसे रजामंदी दीजावे, पहुंचे या जिस हानिका उपरोक्त मनुष्यको पहुंचाना नियतमें हो या जिस हानिका उन कामोंसे उपरोक्त मनुष्यको पहुंचनेका संभव हो।

काम जो इस बातको छोड कर कि राजी देनेवाले मनुष्यको उससे हानि पहुंची आपही अपराधी हो दफा ८७, ८८ व ८९की छूटोंमें गिनती न होंगे.

उदाहरण।

गर्भका गिरवाना सिवाय इसके कि शुद्धभावसे स्त्रीका प्राण बचानेके लिये हो, स्वयं आपही एक अपराध है, इस बातको छोड़कर कि उससे कोई हानि उपरोक्त स्त्रीको पहुँचे अथवा पहुँचानेका अभिप्राय किया जाय--इसलिये यह काम उस हानि होनेके कारण अपराध नहीं है और ऐसे गर्भ गिरानेके संबंधमें स्त्री या उसके स्वामीकी प्रसन्नता उपरोक्त कामको उचित नहीं करती।

९२) कोई काम किसी ऐसी हानिके कारण अपराध नहीं है, जो उस कामसे किसी ऐसे मनुष्यको पहुँचे जिसके लाभके लिये शुद्धभावसे विना प्रसन्नता उस मनुष्यके किया जाय, उस अवस्थामें जब कि उस मनुष्यको अपनी रजामंदी (सम्मति) देना असम्भव होवे या जब कि उस मनुष्यको अपनी रजामंदी प्रगट करनेका बल न हो और न उसका कोई स्वामी या कोई और उचित रक्षक वर्त्तमान (मौजूद) हो, जिससे इतने समयमें रजामंदीका प्राप्त करना सम्भव हो कि जिससे उस कामके करनेमें लाभ निकले–परंतु नियम ये हैं कि:–

काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्यके लाभके लिये बिना प्रसन्नता उसकी के कियागया हो.

पहले–यह छूट जानबूझकर वध करने या जानबूझकर वध करानेके उद्योगसे सम्बन्ध न रखेगी ।

दूसरे–यह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी कि, जिसे करनेवाला जानता हो कि इससे मृत्युका होना अतिसम्भवित है–सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु अथवा भारी दुःखके रोकने, अथवा किसी भारी रोक या दुर्बलता मिटानेके निमित्त कियाजाय ।

तीसरे–यह छूट जानबूझकर हानि पहुंचाने या हानि पहुंचानेका उद्योग करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी, सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मृत्यु या हानि (जरर) की रोक करे ।

चौथे–यह छूट जिस अपराधके करनेपर नहीं है, उसके करनेकी सहायता परभी लागू न होगी ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशंकर घोड़ेसे गिरकर अचैतन्य होजावे और रमाशंकरको जो डाक्टर है, ज्ञात हो कि, शिवशंकरकी खोपड़ीमें छेद करना आवश्यकीय है, और उसको जानसे मार डालनेकी नियत न करके बरन शुद्धभावसे उसके लाभके लिये, इसके प्रथम कि जब शिवशंकरको अपनी भलाई बुराई समझनेका ज्ञान प्राप्त होजावे, शिवशंकरकी खोपड़ीमें छेद करे तो ऐसी अवस्थामें रमाशंकरको किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(ख) यदि शिवशंकरको शेर उठा लेजाय और रमाशंकर यह जानकर कि बंदूक चलानेसे शिवशंकरकी मृत्यु होना संभव है, परन्तु उसको जानसे मारडालनेकी नियत न करके बरन नेक नियतीसे उसके लाभके लिये उस शेर पर बंदूक चलावे और रमाशंकरकी गोलीसे शिवशंकरको प्राणघातक घाव लगे, तो ऐसी अवस्थामें रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(ग) यदि शिवशंकर जो एक डाक्टर है, किसी बच्चेको एक ऐसी चोटमें देखे कि जिससे उसका मरना संभव है सिवाय उस अवस्थामें कि जब उसपर तत्काल चीर फाड़का वर्त्ताव किया जाय; और उसके स्वामीसे आज्ञा लेनेका समय नहीं है--परन्तु यदि शिवशंकर जिसको शुद्धभावसे उस बच्चेका लाभ स्वीकार था, उसके रोने पीटने परभी उसपर चीर फाड़का कुछ वर्त्ताव करे, तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(घ) यदि शिवशंकर एक लड़के रमाशंकरके साथ किसी ऐसे घरमें हो जिसमें आग लगीहै और कुछ मनुष्य नीचे कम्बल ताने खडे हों और शिवशंकर यह जानकर कि बचेको नीचे फेंकनेमें उसका मरना सम्भव है, परन्तु उसके मृत्युकी इच्छा न करके बरन शुद्धभावसे उसके लाभकी इच्छासे उसको छतसे नीचे डालदे, तो यदि वह बच्चा गिरनेसे मरभी जावे, तथापि शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

स्पष्टीकरण (तशरीह)—केवल द्रव्यसम्बन्धी लाभ दफा ८८–८९ व ९२ के अर्थमें लाभ न समझा जायगा।

(९३) शुद्धभावसे किसी बातका बतला देना इसीकारण अपराध न समझा जायगा कि जिस मनुष्यको वह बात बतलाई गई, उससे उसकी कुछ हानि हुई, जब कि वह बात उस मनुष्यके भलेके लिये बतलाई गई हो।

शुद्धभावसे किसी बातका बदला देना.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर कि जो एक डाक्टर है किसी रोगीको यह बात बतलादे कि मेरी समझमें तुम जी नहीं सकते हो और वह रोगी इस समाचारके दहलसे मरजाय, तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा। यद्यपि वह यह जानता था कि इसप्रकार पर बतला देनेसे रोगीका मरना संभव है।

(९४) सिवाय ज्ञातघात और राजविरुद्ध अपराधोंको छोडकर जिनके लिये वधका दंड नियत है. कोई काम अपराध नहीं है, जब कि उसको कोई मनुष्य धमकीसे विवश होकर करे और उस धमकाये जाते मनुष्यको उससमय भलीप्रकारसे यह डर उत्पन्न होवे कि उस कामके न करनेसे तत्कालही उसकी मृत्यु होजायगी, परंतु शर्त है कि उस कामके करनेवाले मनुष्यने स्वयं अपनीही प्रसन्नतासे या अपनी किसी हानिके डरसे, जो तत्काल ही जानसे मारे जानेसे कम हो, अपनेको उस अवस्थामें न डाला हो, जिसमें वह इस भांति विवश कियागया।

काम जिसके करनेके लिये कोई मनुष्य धमकियोंसे विवश कियागया.

स्पष्टीकरण—१—यदि कोई मनुष्य स्वयं अपनीही प्रसन्नतासे या मारपीटकी धमकीसे डाकुवोंके किसी झुंडमें उनकी चालचलन जानबूझकर मिलजावे, तो उपरोक्त मनुष्य इस कारणसे कि उसके साथियोंने उससे कोई ऐसा काम विवश करके कराया जो कानूनानुसार अपराध है इस छूटसे लाभ उठानेका अधिकारी न होगा।

स्पष्टीकरण–२—यदि डाँकुवोंका कोई समूह किसी मनुष्यको पकड लेजाय और वह मनुष्य तत्काल जानसे मारे जानेकी धमकीके कारण किसी ऐसे कामके करनेपर विवश किया जाये जो कानूनानुसार अपराध है, जैसे कोई लोहार अपने औजार ले जाने और किसी घरका द्वार तोडडालनेके लिये विवश कियाजाय जिससे डाकू घरके भीतर घुसकर लूटें तो वह मनुष्य इस छूटके लाभ उठानेका अधिकारी होगा।

१—यदि कोई मनुष्य विवश होकर ज्ञातघातमें सहायता करना स्वीकार करे तो ऐसा स्वीकार करना अपराध माननेकी सीमातक नहीं पहुँचता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ८ श्रीमती महारानी बनाम क्रस्टू मंडल आदि)

२—दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९४ से लाभ उठानेमें अपराधीको यह प्रमाणित करना चाहिये कि उसका काम तत्कालही मृत्युभयसे किया गया था–इसलिये जो मनुष्य झूंठी गवाही दे और बयान करे कि उसने वह गवाही धमकीके कारण दी थी–वह इस दफासे लाभ नहीं उठा सकता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ४८)

कोई काम जिससे कुछ हानि पहुँचे.

(९९) कोई काम इस कारणसे अपराध नहीं है, कि उससे कोई हानि पहुँचे या उससे किसी हानिके पहुंचानेका अभिप्राय है या जानकारीमें है कि, उससे किसी हानिका पहुँचना संभव है जब कि वह हानि ऐसी तुच्छ हो कि साधारण बुद्धिका मनुष्य भी उस हानिकी फरियाद न करे।

१—अपराधीने एक छतरीसे किसी मनुष्यकी छातीमें चोट पहुँचाई, तो यह एक ऐसा तुच्छ काम नहीं है जो दंडसंग्रह हिंदकी दफा ९५ के अनुसार वह क्षमाके योग्य होवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ६७)

२—अपराधी सांडनी सवार है–उसने ऊंटके चारेके लिये एक बड़े पीपलकी झाडकी डालियां काटीं, इस कारण उसे चोरीका दंड दिया गया–परन्तु साहब जुडीशियल कमिश्नर मध्य प्रदेशके विचारमें अपराधीने दंडसंग्रह हिंदकी दफा ९५ के अनुसार कोई अपराध दंडके योग्य नहीं किया। (सी. पी. ला. रि. जिल्द ८ सफा १५ फौजदारी)

निजरक्षाके अधिकारके विषयमें।

कोई काम जो निज रक्षाके लिये किया जाय अपराध नहीं है.

(९६) कोई काम अपराध नहीं है जो अपनी रक्षाका अधिकार वर्तनेमें किया जाय।

निज तन और धनकी रक्षाका अधिकार.

(९७) प्रत्येक मनुष्यको अधिकार है कि दफा ९९ के नियमोंके अधीन रहकर अपने तन और धनकी रक्षा करे।

पहले–अपने या किसी और मनुष्यके तनकी, किसी ऐसे अपराधके दूर करनेमें जो मनुष्यके तनसे सम्बन्ध रखता हो।

दूसरे–अपने या किसी और मनुष्यके धनकी चाहे वह स्थावर हो या अस्थावर किसी ऐसे कामके रोकनेके लिये जो ऐसा अपराध है कि चोरी या जोरी या हानि पहुंचाने या अनधिकारप्रवेशके लक्षणोंमें गिना जाय, या चोरी या जोरी या हानि पहुँचाने या अनधिकारके लक्षणोंके उद्योगमें गिना जाय।

टीप दफा ९६ की १—किसी स्त्रीके स्वामीने एक मनुष्यको कि, जिसने रातके समय उसके घरमें उसकी स्त्रीके साथ बलात्कार (जिना) करनेके अभिप्रायसे प्रवेश किया था, मारा—तो दफा ९६ व १०४ के अभिप्रायसे उपरोक्त स्वामी किसी अपराधका अपराधी नहीं है क्योंकि वह ऐसी हानिके पहुँचानेका अधिकारी था कि जो मौतसे कम होवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा ३६)

टीप दफा ९७ की १—अपराधी जिसका माल बहुधा चोरी जाता था, लाठी लेकर उसकी रक्षाके लिये निकला और उस लाठीसे एक चोरको मारा, जो उसकी चोटसे मरगया—चोट और अपराधीके कामपर विचार करके हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि अपराधी दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९७ व १०४ के लेख (अहकाम) के अनुसार अपराधसे बरी है, क्योंकि उसने उचित निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव किया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १५)

२—जमींदारको बिना अदालतकी सहायतासे अपने असामीकी फसलको कुर्क करनेका अधिकार है यदि उसने ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० की दफा ११६ के अनुसार इत्तिलाअनामा (सूचना पत्र) असामीके नाम भिजवा दिया हो और ऐसी अवस्थामें यदि वह असामी जानबूझकर भी उस कुर्कीमें रोक टोक करे, तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ९७ के अहकामसे लाभ नहीं उठा सकता, परन्तु यदि जमींदारके आदमी बिना उपरोक्त इत्तिलाअनामाके जारी हुए फसलकी कुर्की करें, तो असामी उनके कामको अनधिकारप्रवेश समझ सकता है।

३—अपराधीने एक चोरको अपने घरमें सेंध करते पकड़ा और जब गांववाले चोरको देखने आये, तब उन लोगोंने उसको मरा हुआ पाया, अपराधीका बयान है कि उसने चोरको एक लाठी मारी परन्तु सेशनजजने उसके बयान पर कुछ भरोसा न कर उसे तीन साल कैदका दंड दिया क्योंकि डाक्टरकी रिपोर्टसे सेशनजजको मालूम हुआ कि चोरकी मौत फांसी लगानेसे हुई। परन्तु यथार्थमें रिपोर्ट और बयानके देखनेसे यह बात पाई गई कि चोरकी मौत श्वास बंद होजानेके कारण हुई और उसकी श्वास इस कारण बंद हुई कि जब चोर घरके भीतर अपना मुँह नीचेकी ओर करके घुस रहा था, उस समय अपराधीने उसको पकड़ा और पकड़े रहा—ऐसी अवस्थामें उसने कानूनानुसार निजरक्षाके अधिकारका प्रयोग किया इसलिये अपराधी छोड़ने योग्य है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १२)

निजरक्षाका अधिकारी सिड़ी इत्यादि मनुष्योंके कामसे.

(९८) जब कि कोई काम, करनेवालेकी कमउमरी या अनसमझी (बुद्धिकी पकायती न होना) या सिड़ीपन या नशेमें होनेके कारणसे या उसकी गलत समझीसे, अपराध न हो नहीं तो और अवस्थामें अपराध होता, तो प्रत्येक मनुष्यको उस कामके रोकनेमें वही अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त है, जो उस अवस्थामें होता जब कि वह काम अपराध होता।

उदाहरण।

(क) यदि शिवशंकर सिड़ीपनकी अवस्थामें रमाशंकरके वधका उद्योग कर तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परन्तु रमाशंकरको अपनी रक्षाका अधिकार उसी भांति प्राप्त है जो उस अवस्थामें होता, जब कि शिवशंकर सिड़ी न होता।

(ख) यदि शिवशंकर रातके समय किसी घरमें जावे, जिसमें जानेका उसको कानूनके अनुसार अधिकार है और रमाशंकर नेक नियतीसे शिवशंकरको चोर जानकर उसपर आक्रमण (हमला) करे, तो रमाशंकर इस गलत समझीसे किसी अपराधका अपराधी नहीं है, परन्तु शिवशंकरको रमाशंकरके रोकनेमें वही अधिकार निजरक्षाका प्राप्त है जो उस अवस्थामें होता, जब कि रमाशंकर ऐसी गलत समझीसे वर्त्ताव न करता ।

(९९) **पहिला**—जिस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पहुंचनेका भय उचित कारणसे न हो, तो उसके रोकनेके लिये कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है, उस अवस्थामें जब कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी सरकारी नोकरकी ओरसे नेकनियतीके साथ और अपनी नौकरीके कारण किया जावे, चाहे उपरोक्त काम कानूनानुसार यथार्थमें उचित न हो ।

वे काम जिनके रोकनेमें निज रक्षाका अधिकार न होगा ।

दूसरा—जिस कामके मृत्यु या भारी दुःख पहुँचानेका भय उचित कारणसे न हो उस कामके रोकनेमें कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है, उस अवस्थामें जब कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी ऐसे सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जाय, जो नेक नियतीके साथ अपनी नौकरीके कर्तव्यको पूरा करता हो, चाहे वह आज्ञा कानूनानुसार यथार्थमें उचित न हो ।

तीसरा—ऐसी अवस्थाओंमें भी कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारको प्राप्त नहीं है जब कि सर्व सम्बन्धी अधिकारियोंसे रक्षा मिलनेका अवकाश हो ।

चौथा—निजरक्षाका अधिकार किसी अवस्थामें ऐसा न होगा कि जितनी हानि पहुंचना रक्षाके लिये अवश्य हो, उससे अधिक हानि पहुंचाई जाय ।

स्पष्टीकरण २—जो कोई काम या कामका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी ओर किया जाय कि, जो अपनी नौकरीके कारण करता है, तो उस कामके रोकनेमें कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे वञ्चित न किया जायगा, सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मनुष्य यह जानता हो या जाननेका कारण रखता हो कि करनेवाला उस कामका ऐसाही सरकारी नौकर है ।

स्पष्टीकरण—जब कोई काम या उसका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जावे तो ऐसे कामके रोकनेमें कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित न किया जायगा, सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मनुष्य जानता हो या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि उपरोक्त कामका करनेवाला ऐसी आज्ञासे वर्त्ताव करता है, या कि जब उपरोक्त मनुष्य ऐसी आज्ञा बतलादे, जिसके अनुसार वह वर्त्ताव करता है, या यदि उसके पास लिखी हुई आज्ञा मौजूद हो, और जब वह ऐसी लिखी हुई आज्ञा मांगनेके समय पेश करदे ।

१—इजराय डिगरीकी गिरफ्तारीके वारंटमें अदालतके हाकिमके संक्षेप हस्ताक्षर (दस्तखत) ये—जिसकी तामीलके समय कर्जदारने बलपूर्वक तामील करनेवालेके साथ रोकटोक की

तजवीज हुई कि यद्यपि यह बात उचित है कि जो मनुष्य वारंटपर अपना दस्तखत करे, वह अपना नाम पूरा लिखे, परन्तु यह बात नहीं कही जासकती कि संक्षेप हस्ताक्षर होनेके कारण उस वारंटकी तामील नहीं हो सकती थी—दंडसंग्रह हिंदकी दफा ९९ के अनुसार उसने जो निजरक्षा की, वह अनुचित थी, इसलिये वह अपराधी दंडके योग्य है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफा २९३)

२—यद्यपि प्रत्येक मनुष्यको अधिकार नहीं है कि वह स्वयं किसीको कैद करे परंतु यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको रातके समय सेंध लगाते हुए या चोरी करते हुए पकडे तो पकडे हुए मनुष्यको निजरक्षाका अधिकार प्राप्त नहीं है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ८)

३—एक मनुष्यने एक दुर्बल और बूढी स्त्रीको अपने घरमें चोरी करते हुए पाकर मार डाला, तजवीज हुई कि अपराधी दंडसंग्रह हिंदके दफा ९९ के अहकामका अधिकारी न था, (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ३३)

४—यदि कोई चोर घरसे खाली हाथ भागा जाता हो और घरसे अन्तर पर हो, तो उसका मार डालना धनकी निजरक्षाके अधिकारसे सम्बन्ध न रक्खेगा (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द १ सफा ८)

तनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब होसकेगा.

(१००) तनकी रक्षाका अधिकार पिछली दफामें लिखे हुए नियमोंके आधीन रहकर आक्रमणकारी (हमला करनेवाले) को जानबूझकर मृत्यु अथवा और कुछ हानि पहुँचाने तक हो सकेगा जब कि वह अपराध जिससे निजरक्षाका अधिकार वर्त्तना अवश्य हुआ, नीचे लिखे प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका हो।

पहिला—आक्रमण ऐसा होवे कि उसमें इस बातका भय उचित कारणसे हो कि यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो मृत्यु होना सम्भव है।

दूसरा—आक्रमण ऐसा हो कि उसमें इस बातका भय उचित कारणसे हो कि यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय, तो उसका फल भारी दुःख होगा।

तीसरा—वह आक्रमण जो बलात्कार (बलपूर्वक व्यभिचार) के अभिप्रायसे कियाजाय।

चौथा—वह आक्रमण कि जो स्वभावविरुद्ध कामातुरता पूरी करनेके अभिप्रायसे किया जाय।

पाँचवा—वह आक्रमण कि जो मनुष्यके ले भागने या भगा ले जानेके अभिप्रायसे किया जाय।

छठा—वह आक्रमण कि किसी मनुष्यको अनीतिबंधनमें रखनेके अभिप्रायसे ऐसी दशाओंमें किया जाय, जिससे उपरोक्त मनुष्यको इस बातका भय उचित कारणोंसे उत्पन्न हो कि उसको अपने छुटकारेके विषयमें अधिकारियों (हुक्कामों) से सहायता माँगना असम्भव है।

१--एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर भालेसे आक्रमण किया-दूसरे मनुष्यने पहले मनुष्यको लाठी मारी कि जिससे वह मरगया-तजवीज हुई कि--प्राण धनके बचावके लिये इस अभियोगमें निजरक्षाका अधिकार उचित रीतिसे वर्तागया-क्योंकि ऐसा अधिकार दंडसंग्रह हिंदकी दफा १०० के अहकामात (अभिप्राय) के अनुसार उस अवस्थामें किसी मनुष्यको जानसे मार डालने तक है कि जब उसे भारी दुःख पहुंचानेका भय उचित कारणसे उत्पन्न होवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ४१)

(१०१) यदि अपराध ऊपरकी दफामें लिखे हुए प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारका न हो, तो तनकी रक्षाका अधिकार आक्रमणकारीको जानबूझकर मार-डालनेतक न होगा परन्तु दफा ९९ में लिखे हुए नियमोंके आधीन यहांतक हो सकेगा कि आक्रमणकारीको मृत्यु छोडकर कोई दूसरी हानि पहुंचा दीजाय।

यह अधिकार मृत्यु-को छोडकर कोई दूसरी हानि पहुँचानेमें कबतक हो सकेगा.

(१०२) तनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समयसे आरंभ होगा कि जब अपराधके उद्योग या धमकीसे तनके लिये विपत्तिका भय उचित कारणसे उत्पन्न हो, चाहे वह अपराध किया भी न गया हो, और यह अधिकार उस समयतक स्थिर रहेगा कि जबतक तनके लिये विपत्तिका वही भय बनारहे।

तनकी निजरक्षाका आरंभ होना और स्थिर रहना.

(१०३) धनकी निज रक्षाका अधिकार दफा ९९ में लिखे हुए नियमोंके अधीन अनीति करनेवालेको जानबूझकर मारडालने अथवा और कोई हानि पहुंचानेतक होसकेगा, उस अवस्थामें कि जब वह अपराध जिसके करनेसे या करनेके उद्योगसे उस अधिकारका वर्त्तन अवश्य हुआ, आगे लिखे प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका हो।

धनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्युके करनेतक कब होसकेगा.

(१) बलजोरी (सरका बिलजब्र)

(२) रातके समय सेंध लगाना (नकबजनी)

(३) आगके द्वारा हानि पहुंचाना, जो किसी ऐसे घरमें या डेरेमें या नावमें पहुंचाई जाय, जो घर वा डेरा या नाव मनुष्योंके रहनेके लिये या चीज वस्तुके धरनेके लिये काममें हो।

(४) चोरी या हानि पहुंचाना, या घरमें बलपूर्वक अधिकार करना (मदाखलत-बेजा) ऐसी अवस्थामें कि इस बातका भय उचित कारणसे उत्पन्न हो कि यदि उस अपराधके रोकनेमें निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव न किया जाय, तो उस अपराधका फल मृत्यु या भारी दुःख होगा।

१—कुछ मनुष्योंने एकाएक अपराधियोंपर उनकी फसल काटनेके अभिप्रायसे आक्रमण किया अपराधियोंने रोका, परन्तु पुलिसको सूचना देनेका उन्हें अवसर न मिला, इसलिये उन्होंने

आक्रमणकारियोंमेंसे एकपर बांसकी लकडीसे एक ऐसी चोट मारी कि .जिससे वह मरगया—सेशन्सजजने अपराधियोंको दण्डसंग्रह हिंदकी दफा ३०४ व १४८ के अनुसार दंड दिया—परन्तु हाईकोर्टने यह तजवीज की कि जो चोट उसको पहुंचाई गई थी, वह ऐसी नहीं थी कि जिससे यह पायाजावे कि अपराधियोंने अपनी रक्षाके लिये निजरक्षाके अधिकारसे अधिक वर्त्ताव किया, इसलिये अपराधी छोडे गये । (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ९ अपील विभाग)

(१०४) यदि वह अपराध जिसके किये जानेसे या किये जानेके उद्योगसे निज-

यह अधिकार मृत्युको छोड़कर दूसरी कोई हानि करनेपर कब होसकेगा.

रक्षाके अधिकारका वर्त्तना अवश्य हुआ, चोरी या हानि पहुंचाने या अनधिकारप्रवेश पिछली दफामें लिखे हुए प्रकारोंको छोडकर किसी दूसरे प्रकारकी हो, तो वह अधिकार जानबूझकर मृत्युको छोडकर दूसरी कोई हानि अनीति करनेवालेको पहुंचानेतक हो सकेगा ।

(१०५) **पहिला**—धनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समय आरंभ होगा, जब

धनकी निजरक्षाका अधिकार का आरंभ और स्थिर रहना.

कि धनकी विपत्तिका भय विशेष कारणसे उत्पन्न हो ।

दूसरा—धनकी निजरक्षाका अधिकार चोरी रोकनेमें उस समयतक स्थिर रहेगा जबतक अपराधी माल (धन) लेकर चलाजाय, या अधिकारियों (हाकिमों) से सहायता प्राप्त होजावे, या धन फेर लियाजावे ।

तीसरा—धनकी निजरक्षाका अधिकार जोरी (सरकाबिलजब्र) के रोकनेमें उस समयतक रहेगा कि जबतक अपराधी किसी मनुष्यको मारता रहे या दुःख पहुँचाता रहे या अनुचित रोकटोक (अनीतिबंधन अर्थात् मुजाहिमत बेजा) करता रहे, या इन कामोंके करनेका उद्योग करता रहे, या जबतक कि तत्काल मारडालने या तत्काल दुःख या तत्काल अनीतिबंद मुजाहिमत जिस्मानी का भय बना रहे ।

चौथा—धनकी निजरक्षाका अधिकार मदाखलतबेजा (अनधिकार प्रवेश) या उत्पात रोकनेको उतने समयतक रहेगा कि, जबतक अपराधी मदाखलतबेजा या उत्पातका अपराध करता रहे ।

पाँचवाँ—धनकी निज रक्षाका अधिकार रातके समय सेंध लगानेकी रोकके लिये उस समयतक रहेगा कि जबतक वह घरकी मदाखलतबेजा, कि जिसका आरंभ उस सेंध लगानेके साथ हुवा है, बनी रहे ।

१—दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९९ के नंबर ३ को दफा १०५ के नंबर १ से मिलाकर पढना चाहिये—धनकी निजरक्षाका अधिकार उस समयसे आरम्भ होता है जब धनकी विपत्तिका भय उत्पन्न हो, ऐसा भय उत्पन्न होनेके पहिले धनके स्वामीको आवश्यकता नहीं है कि वह अपने धनकी रक्षाके लिये किसी सरकारी नोकरसे सहायता मांगे—सरकारी नौकरसे उस भयका प्रगट कर

देना अवश्य है परन्तु जब उसके भय होनेका यथार्थ कारण हो, तो उस समय व उस स्थानसे हाकिमको सूचित करे जिससे कि उसका प्रबंध होसके । (बम्बई. इ० ला० रि० जिल्द १४ सफा ४४१)

निजरक्षाका अधिकार मृत्युकारक आक्रमणके रोकनेको उस अवस्थामें जब कि किसी अनपराधी मनुष्यको हानिका भय हो.

(१०६) यदि किसी ऐसे आक्रमणके रोकनेको जिससे मृत्युका भय विशेष कारणसे उत्पन्न हो निजरक्षाके अधिकारका वर्ताव किया जाय और रक्षा करनेवाला ऐसी अवस्थामें हो कि वह एक किसी निरपराधी मनुष्यको हानि पहुंचाये विना अपने अधिकारका वर्त्ताव भली प्रकारसे नहीं कर सकता, तो वह निजरक्षाके अधिकारके वर्त्तावमें उस मनुष्यको भी हानि पहुंचा सकता है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर पर कुछ मनुष्योंके समूहने उसे मारडालनेके अभिप्रायसे आक्रमण किया और शिवशंकर उस समूहपर बंदूक चलाए विना निजरक्षाके अधिकारको भली प्रकारसे काममें नहीं ला सकता और उन लड़कोंको जो उस समूहमें है हानि पहुँचानेके बिना वह बंदूक नहीं चला सकता तो यदि शिवशंकरके इस प्रकार बंदूक चलानेसे इन लड़कोंमेंसे किसी लड़केको हानि पहुँचे तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

---

* अध्याय पाँचवाँ ५. +

सहायताके विषयमें ।

सहायता किसी कामकी

(१०७) प्रत्येक वह मनुष्य किसी कामके करनेमें सहायता करता है जो,—

पहिले—किसी मनुष्यको उस कामके करनेमें बहकावे या—

दूसरे—एक अथवा अनेक मनुष्योंके साथ जत्थेमें मिलकर उस कामको करनेके लिये सम्मति करे जब कि उस जत्थेके मतके कारण और उस कामके होनेके निमित्त कोई काम या चूक कानूनविरुद्ध होजावे, या—

तीसरे—किसी कानूनविरुद्ध चूक या कामके द्वारा उस कामके करनेमें जानबूझकर सहायता करे ।

---

* यह अध्याय उन अपराधोंसे सम्बंधित है जो क़ानूनी दफा १२१ (अ) व १२४ (अ) व २२५ (अ) व २९४ (अ) व ३०४ (अ) के दंडयोग्य है—देखो ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० दफा १३ किसी २ अपराधकी सहायता राजीनामाके योग्य है—देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० दफा ३४५.

+ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी धारा चारमें वादवाक्य [लफ्ज़] व हिन्दुसे "अध्याय ४" के वाक्य व हिन्दसा अध्याय ५ (अलिफ़) नं० १ बढ़ाओ । [यह परिवर्त्तन ऐक्ट नं० ८ सन् १९१३ की दफा २ के अनुसार किया गया अर्थात् बढ़ाया गया] ।

स्पष्टीकरण १—किसी कामको करनेके लिये बहकाना, उस मनुष्यके सम्बन्धमें कहा जायगा जो जानबूझकर झूठ बोलनेके द्वारा या ऐसी मुख्य बातको, जिसका प्रगट करना उसपर अवश्य है छुपा रखकर अपनी इच्छासे उपरोक्त कामको करावै या उसके करानेका यत्न करे या करानेके यत्नमें उद्योग करे ।

उदाहरण ।

(क) कि जो एक सरकारी ओहदेदार है किसी कोर्ट आफ जस्टिसके वारंटके (ख) को पकड़नेका अधिकारी है– (ग) जो यह बात जानता है और यहभी जानता है कि (घ) (ख) नहीं है जानबूझकर (क) से यह कहे कि (घ) (ख) है और इसप्रकार (क) से (घ) को कैद करावे, तो यहां कहा जायगा कि (ग) ने बहकाकर (घ) को पकडवाया ।

स्पष्टीकरण २—यदि कोई मनुष्य किसी कामके किये जानेके समय या उससे पहले कोई काम इस अभिप्रायसे करे कि वह उपरोक्त काम सुगमतासे होजावे और इस कामसे उसका करना सरल होजावे, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेमें सहायता की ।

१—यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको डाकके द्वारा पत्र भेजकर किसी अपराधके करनेको बहकावे, तो जिस समय उपरोक्त पत्रका वृत्तांत पत्र पानेवालेको ज्ञात होजावे उसी समय वह सहायताका अपराधी हो जावेगा और ऐसे अपराधकी जांच व तजवीज उस स्थानपर हो सकेगी कि जहां वह पत्र पाया गया हो । (ई० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १६ सफा ३८९)

२—दंडसंग्रह हिंदुस्थानके अनुसार सहायताका अपराध एक असली अपराध समझा जाता है, इसलिये सहायताके किसी अपराधीका दंड असली अपराधीके दंडसे सम्बन्ध नहीं रखता (ई० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा १५)

३—किसी अपराधके होनेकी सूचना न देना उपरोक्त अपराधकी सहायतामें नहीं समझी जायगी सिवाय उस अवस्थामें कि जब उपरोक्त सूचना का न देना किसी उचित कर्तव्य या कानूनके विरुद्ध होवे–देखो दफा ४४ व ४५ मजमूआ जाब्ता फौजदारी (बंगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ७)

४—कोई मनुष्य अपने नौकरके अनुचित कामके लिये अदालत फौजदारीमें जिम्मेदार न होगा जब तक कि यह न प्रमाणित किया जावे कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेकी भलीप्रकारसे आज्ञा दी (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ६०)

(१०८) कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता देनेवाला कहलावेगा जब कि वह

सहायता करनेवाला } या तो उसी अपराधके किये जानेमें या दूसरे किसी ऐसे कामके किये जानेमें सहायता दे, जो उस अवस्थामें अपराधमें गिना जाता हो जब कि उसका करनेवाला कानूनानुसार अपराध समझताहो, जब कि वह अपराध वैसेही अभिप्राय अथवा जानकारीसे करे जैसा कि उस सहायता करनेवालेका है ।

स्पष्टीकरण १—किसी काममें कानूनविरुद्ध चूक करानेका सहायक होना अपराध होसकेगा चाहे उस कामका करना सहायकपर अवश्य भी न हो ।

स्पष्टीकरण २—सहायताके अपराधके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि जिस काममें सहायता दीगई, वह हो ही जाय, अथवा जिस परिणामका होजाना उस कामको अपराध बनानेके लिये अवश्य हो, वह होही गयाहो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरके वधके लिये उमाशंकरको बहँकाया और उमाशंकर उस कामके करनेसे 'नाहीं' करगया, तो शिवशंकर ज्ञातघात करनेके लिये उमाशंकरको सहायता देनेका अपराधी होचुका ।

(ख) यदि शिवशंकर उमाशंकरको रमाशंकरका वध करनेके लिये बहँकावे और उमाशंकर उस बहँकानेके अनुसार रमाशंकरको घायल करे, परन्तु इस घावसे रमाशंकर बच जावे, तो शिवशंकर ज्ञातघात उमाशंकरके करनेके लिये बहँकानेका अपराधी होचुका ।

स्पष्टीकरण—३—यह अवश्य नहीं है कि सहायता पानेवाला मनुष्य कानूनानुसार अपराध करनेके योग्यही हो या कि उसकी नियत या जानकारीमें वही कुज्ञान हो जो सहायता करनेवालेकी नियत या जानकारीमें है या उसकी नियत या जानकारीमें कुछ कुज्ञान हो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने कुप्रयोजनसे किसी बच्चे या सिड़ीको एक ऐसे कामके करनेको बहँकाया कि जिसका करना उस मनुष्यसे अपराध होता, जो कानूनानुसार अपराध करनेको समर्थ होता और जिसका अभिप्राय शिवशंकरकासा होता—तो इस अवस्थामें शिवशंकर अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा, चाहे उपरोक्त काम हुआ हो या नहीं ।

(ख) शिवशंकरने, रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे उमाशंकरको कि जो सात वर्षसे कमती अवस्थाका एक बालक है, एक ऐसा काम करनेको बहँकाया, जिससे रमाशंकरकी मृत्यु हो उमाशंकरने इस बहँकानेके कारण शिवशंकरकी अनुपस्थिति अवस्था (गैरहाजिरी) में उस कामको किया कि जिसके कारण रमाशंकरकी मृत्यु होगई—यहांपर यद्यपि उमाशंकर कानूनानुसार किसी अपराध करनेके योग्य नहीं था तथापि शिवशंकरको उसी प्रकारका दंड मिलेगा कि मानो उमाशंकर कानूनानुसार अपराध करनेके योग्य था और उसने ज्ञातघातका अपराध किया—इसलिये शिवशंकर मृत्युदण्डके योग्य होगा ।

(ग) शिवशंकरने रमाशंकरको किसी रहनेके घरमें आग लगानेके लिये बहँकाया; और रमाशंकर अपनी बुद्धिके बिगाड़के कारण उस कामके गुणको न जानसका या यह न समझसका कि जो मैं कररहा हूं वह अनुचित या कानूनके विरुद्ध है—और रमाशंकर शिवशंकरके बहँकानेके कारण उस घरमें आग लगाए तो रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परन्तु शिवशंकर घरमें आग लगानेके अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा और उस दंडके योग्य होगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है ।

(घ) शिवशंकर इस अभिप्रायसे कि चोरीका अपराध करावे, रमाशंकरको यह बहँकावे कि उमाशंकरका माल उमाशंकरके पाससे लेआवो और रमाशंकरको यह निश्चय करावे कि वह माल मेरा है—और रमाशंकर शुद्धभावसे यह निश्चय करके कि वह माल शिवशंकरका है उसे उमाशंकरके अधिकारसे निकाल लावे तो ऐसी अवस्थामें, जो कि रमाशंकर ऐसी गलत समझीके

कारण यह वर्ताव करता है न कि कुप्रयोजन (बद दियानती) से मालको लेता है, उस अपराधसे वह चोरीका अपराधी न होगा, परन्तु शिवशंकर चोरीमें सहायता करनेका अपराधी और उस दंडके योग्य होगा जो उसको उस अवस्थामें होता जब कि रमाशंकर चोरीका अपराध करता ।

स्पष्टीकरण—४—जो कि अपराधमें सहायता करना अपराध है, तो ऐसी सहायतामें सहायता करना भी अपराध है ।

उदाहरण ।

शिवशंकर रमाशंकरको बहँकावे कि तुम उमाशंकरको हरशंकरके मारडालनेके लिये बहँकावो और रमाशंकर उसके अनुसार उमाशंकरको हरशंकरके मारनेके लिये बहँकावे और उमाशंकर रमाशंकरके बहँकानेसे उस अपराधको करे तो रमाशंकर इस अपराधके बदले उस दंडके योग्य होगा जो ज्ञातघातके बदलेमें ठहराया गया है और जो कि शिवशंकरने रमाशंकरको उस अपराधके करनेके लिये बहँकाया है इसलिये शिवशंकरभी उसी दंडके योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—५—सम्मतिके द्वारा सहायताका अपराध करनेके लिये यह अवश्य नहीं है कि सहायताका करनेवाला उस मनुष्यके साथ अपराध करनेके यत्नमें सम्मिलित हो जो उसे करता है वरन् यही बहुत है कि वह उस सम्मतिमें सम्मिलित हो जिसपर वर्ताव करनेसे वह अपराध हुआ ।

उदाहरण ।

शिवशंकरने उमाशंकरको विष देनेके लिये रमाशंकरके साथ परामर्श सलाह किया और यह ठहराव हुआ कि शिवशंकर विष देवे, इसके पीछे रमाशंकरने इस सम्मतिके वृत्तान्तको हरशंकरसे प्रगट किया और कहा कि एक तीसरा मनुष्य विष देगा, परन्तु शिवशंकरका नाम न बतलाया और हरशंकरने विष ला देना स्वीकार किया और लाकर इस अभिप्रायसे रमाशंकरको दिया कि वह ऊपरके कहे हुए कामको करे—फिर शिवशंकरने विष खिलाया कि जिसके कारण उमाशंकर मरगया, तो ऐसी अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर और हरशंकरमें कुछ सम्मति नहीं हुई, तथापि हरशंकर इस सम्मतिमें सम्मिलित रहा, जिसपर वर्त्ताव करनेसे उमाशंकरका वध हुआ—इसलिये हरशंकरने वह अपराध किया, जिसका लक्षण इस दफामें कहा है और वह उस दंडके योग्य होगा, जो वधके बदले ठहराई गई है ।

(१०८) (अ) यदि कोई मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर किसी ऐसे कामके होनेमें सहायता करे, जो ब्रिटिश इंडियासे पृथक् या उससे बाहर हो और ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेमें जो एक अपराध गिनाजाता, तो कहा जायगा कि, उपरोक्त मनुष्यने दंडसंग्रह हिंदके कानूनानुसार उस अपराधमें सहायता की ।

ब्रिटिश इंडियामें उन अपराधोंकी सहायता करना जो उसके बाहर हों.

उदाहरण ।

(क) ने ब्रिटिश इंडियामें (ख) को जो अन्य देशका रहनेवाला है और गोवामें है, गोवामें मारनेको बहँकाया, तो ऐसी अवस्थामें (क) ज्ञातघातके अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा ।

१—यह दफा एक्ट नं० ४ सन् १८९८ ई० के अनुसार, जिसके अनुसार दण्डसंग्रह हिंद शुद्ध हुआ है, बढाई गई है ।

२—एक मनुष्य दो मनुष्योंके आक्रमणसे मरगया, परंतु इस बातका निश्चय न हुआ कि किसने मारा, तो वे दोनों मनुष्य असल अपराधियोंके समान अपराधी होंगे न कि सहायकोंके समान (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ४९)

३—अपराधी तमाशा देखनेवालेके समान एक स्त्रीको सती होते हुए देखते थे, परंतु वे उसके किसी काममें संयुक्त नहीं हुए—खोज करनेसे जानागया कि उन्हें पहिलेहीसे जानकारी थी कि अमुक स्त्री सती होनेवाली है और उसी जानकारीके कारण वह अपराध (सती) होनेके समय उस स्थानपर तमाशा देखने गये थे, इसलिये वह मनुष्य आत्महत्याकी सहायताके अपराधी ठहराये गये (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा २४६)

* (१०९) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे, तो यदि उस सहायताके कारणसे वह काम हो, जिसमें सहायता कीगई है और इस संग्रहमें ऐसी सहायताके दंडके विषयमें कोई स्पष्ट आज्ञा न हो तो उस मनुष्यको वही दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया हो ।

सहायताका दंड, यदि उस कामका होना जिस में सहायता कीगई है उस सहायताके कारण हुआ हो और जहां उसके दंडके लिये कोई स्पष्ट आज्ञा न हो ।

स्पष्टीकरण—जब कोई काम या अपराध उस बहँकानेके कारणसे या उस सम्मतिपर वर्त्ताव करनेसे या उस सहारेसे हो, जिसको सहायता ठहराया गया है तो कहा जावेगा कि उपरोक्त काम या उपरोक्त अपराध सहायताके कारणसे हुआ ।

उदाहरण ।

(क)—शिवशंकरने रमाशंकरको कि जो एक सरकारी नौकर है, इसलिये कुछ घूस देना चाही कि वह अपने ओहदेका काम करते समय शिवशंकरके साथ कुछ पक्षपात करे और रमाशंकर उस घूसको स्वीकार करे तो शिवशंकरने उस अपराधमें सहायता की, जिसका वर्णन दफा १६१ में किया गया है ।

(ख)—शिवशंकर रमाशंकरको झूठी गवाही देनेके लिये बहँकावे और रमाशंकर उस बहँकानेके कारण उस अपराधको करे, तो शिवशंकर उपरोक्त अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा और उसी दण्डके योग्य होगा कि जिसके योग्य रमाशंकर है ।

(ग)—शिवशंकर और रमाशंकर उमाशंकरको विष देनेकी सम्मति करें और इस सम्मतिपर वर्त्ताव करके विष लावें और इस अभिप्रायसे रमाशंकरको देवें कि वह उमाशंकरको खिलावे और रमाशंकर इस सम्मतिके अनुसार शिवशंकरके वहां न होनेपर उमाशंकरको विष दे और उस विषसे उमाशंकर मरजावे तो इस अवस्थामें रमाशंकर ज्ञातघातके अपराधका अपराधी होगा और शिवशंकर उस अपराधमें सम्मतिके द्वारा सहायता करनेका अपराधी होगा और ज्ञातघातके दंड योग्य होगा ।

---

* दफा ४० को देखो ।

१—शिवशंकरने एक सतीकी चिता जलानेकी रमाशंकरको आज्ञा दी, रमाशंकरने उस समय तो उसकी बात न स्वीकार की परंतु जब वह स्त्री उस चितासे भाग गई, तब उसको फिर चितामें जानेके लिये बहँकाया—इसलिये शिवशंकर ज्ञातवत् घातकी सहायताका अपराधी और रमाशंकर आत्महत्याकी सहायताका अपराधी ठहराया गया. (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा १७४)

२—यदि कोई मनुष्य कानूनके विरुद्ध दूसरा ब्याह करे, तो पंडित जो इस ब्याहको करावे दंडसंग्रह हिंदकी दफा १०९ के अनुसार दफा ४९४ के अपराधका सहायक है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ६ सफा १२६)

सहायताका दंड, यदि वह मनुष्य कि जिसकी सहायता कीजावे कामको किसी ऐसे अभिप्रायसे करे जो सहायकके अभिप्रायसे विरुद्ध हो।

(११०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधके होनेमें सहायता करे, तो यदि वह मनुष्य कि जिसकी सहायता कीजावे, उस अपराधको किसी ऐसे अभिप्राय या जानकारीसे करे जो सहायता करनेवाले मनुष्यके अभिप्राय या जानकारीके विरुद्ध हो, तो सहायता करनेवालेको उस अपराधका दंड दिया जायगा कि जो अपराध इस अवस्थामें होता, कि जब वह काम किसी और अभिप्राय या जानकारीसे नहीं बरन् सहायता करनेवालेकेही अभिप्राय या जानकारीसे किया जाता। (दफा ४० भी देखो)

सहायता करनेवालेका दंड जब कि एक काममें सहायता पहुँचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय।

(१११) जब कि सहायता तो एक कामकी कीजावे और काम कोई दूसराही हो जावे तो सहायता करनेवाला उस कामके सम्बन्धमें कि जो हुआ है उसी प्रकारसे और उतनाही दंडके योग्य होगा कि मानों उसने भली प्रकारसे उस उपरोक्त कामकी ही सहायता की परन्तु नियम यह है कि, वह काम जो हुआ है इस प्रकारका हो कि सहायतासे उसका होजाना अति संभावित पाया जाय और यह कि वह काम बहँकानेसे या उस सहारे अथवा सम्मतिपर वर्ताव करनेसे जिसको सहायता ठहराया गया है, होवे।

उदाहरण।

(क)—शिवशंकर एक लडकेको रमाशंकरके भोजनमें विष डालनेके लिये बहँकावे और इसी अभिप्रायसे उसको विष दे—उस बहँकानेके कारण वह लडका रमाशंकरके भोजनमे जो रमाशंकरके भोजनके पास रक्खा हो भूलकर विष डालदे तो इस अवस्थामें यदि उपरोक्त लड़केने शिवशंकरके बहँकानेसे वह वर्त्ताव किया हो और वह काम जो हुआ ऐसी अवस्थाओंमें कदाचित उस सहायताका परिणाम हो तो शिवशंकर उसी प्रकार और उतनाही अपराधी होगा कि मानो उसने लड़केको रमाशंकरके भोजनमें विष डालनेके लिये बहँकाया।

(ख)—शिवशंकरने रमाशंकरको रमाशंकरका घर जलादेनेके लिये बहंकाया, रमाशंकरने घरमें आग लगादी और उसी समय वहांका धनभी चुरालिया, तो ऐसी अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर घर जलादेनेमें सहायता करनेका अपराधी होगा, परन्तु वह चोरीमें सहायता करनेका अपराधी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक पृथक्‌ही काम था और घर जलानेका परिणाम सम्भवित न था।

(ग) शिवशंकरने रमाशंकर और उमाशंकर दोनोंको किसी बसे हुए घरमें जोरीसे चोरी करनेके लिये आधीरातके समय बलपूर्वक घुसनेको बहँकाया-और इस अभिप्रायके कारण शिवशंकरने उन्हें हथियार लादिये-यदि रमाशंकर और उमाशंकर बलपूर्वक उस घरमें घुसजावें और घरवालोंमेंसे एक मनुष्य हरशंकरको जो उनका सामना करे मारडालें तो ऐसी अवस्थामें, यदि वह मारडालना सहायताका परिणाम सम्भवित था तो शिवशंकर उस दंडके योग्य होगा जो शातवातके लिये ठहराया गया है ।

जिस काममें सहायता की गई हो और जो काम किया गया है उसके लिये सहायक कब दोनों दंड पावेगा.

(११२) यदि वह काम, जिसका सहायक दफा १११ के अनुसार दंडके योग्य है, उस कामके अतिरिक्त किया जावे जिसमें सहायता कीगई है और वह वास्तवमें अपराध हो,तो सहायक उन अपराधोंमेंसे प्रत्येक अपराधके लिये दंडके योग्य होगा ।

उदाहरण ।

शिवशंकरने किसी सरकारी नौकरकी कीहुई कुर्कीमें बलपूर्वक सामना करनेके लिये रमाशंकरको बहँकाया और रमाशंकरने उसके अनुसार कुर्कीको रोका और रोकनेमें रमाशंकरने जानबूझकर कुर्की करनेवाले ओहदेदारको भारी दुःख पहुंचाया, तो यहां उसने दोनों अपराध किये, इसलिये वह दोनों अपराधोंके दंड योग्य हुआ और जब कि शिवशंकरने यह बात जानली हो कि कुर्कीका सामना करनेमें भारी दुःख पहुंचना अति संभवित है तो शिवशंकर भी इन दोनों अपराधोंमें दंडके योग्य होगा ।

टीप-१—(क) ने (ख) के घरमें विना उसकी प्रसन्नताके जाकर उसकी स्त्रीके साथ संभोग किया-तजवीज हाईकोर्टकी यह हुई कि (क) दोनों अपराधोंके लिये अर्थात् व्यभिचार (जिनाकारी) और बलपूर्वक घरमें घुसने (मदाखलत बेजा) का अपराधी है और वह दोनों अपराधोंका दंड पासकता है क्योंकि वे दोनों अपराध अलग अलग है-लेकिन् ऊपर लिखे अभियोग (हालात) में (ख) की स्त्री कानूनानुसार मदाखलत बेजाके अपराधकी सहायता करनेके योग्य नहीं है । (पंजाब रिकार्ड नं० सन् १८७१ ई०)

दंड सहायकको उस परिणामके बदले जो उस कामसे उत्पन्न हो जिसकी सहायता की जावे और जो परिणाम काम करनेवाले के अभिप्राय विरुद्ध हो.

(११३) जब किसी काममें सहायता कीजावे और सहायता करनेवालेका यह अभिप्राय हो कि उससे कोई विशेष परिणाम होवे और वह काम जिसका सहायक अपनी सहायताके कारण दंड योग्य है, किसी ऐसे परिणामको उत्पन्न करे जो उस परिणामके विरुद्ध हो कि जो सहायककी नियत (इच्छा) में था, तो सहायक उस परिणामके कारण जो उत्पन्न हुआ उसीप्रकार. और उतनाही दंड योग्य होगा कि मानो उसने उस परिणामके उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे उस काममें सहायता की, परन्तु नियम यह है कि जब वह यह जानता हो कि उस कामसे (जिसमें सहायता कीगई है) उस परिणामका उत्पन्न होना सम्भव है ।

शिवशंकरने, उमाशंकरको भारी दुःख पहुँचानेके लिये रमाशंकरको बहँकाया और रमाशंकरने उस बहंकानेके कारण उमाशंकरको भारी चोट (जरश्शदीद) पहुँचाया और उमाशंकर इसी कारणसे मरगया—तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकर यह जानता था कि उस भारी दुःखके कारण मृत्यु होनेका भय है तो शिवशंकर उस दंडके योग्य होगा जो वध अपराधके बदले ठहराया है । (देखो—दफा ४०)

(११४ जब कोई मनुष्य, जो अनुपस्थित रहे (गैरहाजिरी) अवस्थामें सहायता करनेके लिये दंडके योग्य होता, तो उस काम या अपराध होनेके समय उपस्थित रहे जिसके मध्ये वह सहायता करनेके कारण दंडके योग्य होता, तो वह काम या अपराधका करनेवाला समझा जावेगा ।

अपराध किये जानेके समय सहायकका होना.

१—इस अभियोगमें अपराधी वधके समय उपस्थित था और वह यह नहीं जानता था कि ऐसा काम होवेगा—डरके मारे उसने उपरोक्त अपराधके रोकनेका कोई यत्न नहीं किया वरन् उस मरे हुए मनुष्यकी लाश छिपानेमें वधिकों (अपराधियों)के साथ मिलगया—तजवीज हाईकोर्ट की यह हुई कि अपराधी वध करनेकी सहायताका अपराधी नहीं था वरन् वह उपरोक्त अपराधकी गवाहीको मिटादेनेका अपराधी दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०१ के अनुसार होगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८०)

(११५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेमें सहायता करे, जिसके बदलेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है. तो यदि वह अपराध उस सहायताके कारण न हो, और ऐसी सहायताके मध्ये इस संग्रहमें कोई दंड न ठहराया गया हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि सात वर्षतक हो सकती है और वह धन दंडके भी योग्य होगा ।

उस अपराधमें सहायता करना कि जिसका दंड मृत्यु या देश निकालेका है यदि अपराध सहायताके कारण न हो ।

और यदि कोई ऐसा काम किया जावे जिसके मध्ये सहायक सहायताके कारण दंडके योग्य है और जिस कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचे तो सहायक दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि १४ वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

यदि काम जिससे हानि पहुँचे सहायताके कारण कियाजावे.

उदाहरण ।

शिवशंकरने रमाशंकरको उमाशंकरके मार डालनेके लिये बहँकाया, परन्तु रमाशंकरसे यह अपराध नहीं हुआ, परन्तु यदि उमाशंकरको मारडालता तो वह मृत्युदंड या देश निकालेके दंडका भागी होता, तो इस अवस्थामें शिवशंकर किसी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि सात वर्षतक हो सकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि इस सहायताके कारणसे उमाशंकरको कुछ हानि पहुँचे, तो शिवशंकर किसी कैदके योग्य होगा, जिसकी अवधि १४ वर्ष तक होसकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

(११६) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे, जिसके बदलेमें कैदका दंड ठहराया गया है, तो यदि वह अपराध उस सहायताके कारण न हो, और ऐसी सहायताके मध्ये इस संग्रहमें कोई विशेष दण्ड भी नहीं ठहराया गया हो, तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जो उस अपराधके बदलेमें ठहराया गया है और उसकी अवधि (मीआद) उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाई तक हो सकती है, जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा, जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनों दंड दिये जायँगे ।

उस अपराधमें सहायता करना जिसका दंड कैद है यदि अपराधका होना सहायताके कारण ही हो.

और यदि सहायक या सहायता पानेवाला सरकारी नौकर हो, तो सहायकको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जो उस अपराधके बदलेमें ठहराया गया है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदके एक आधे तक होसकती है, जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है, या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनोंही दंड दिये जावेंगे ।

यदि सहायक और जिसकी सहायता कीजाय दोनोंही सरकारी नौकर हों जिसपर अपराधका रोकना कर्त्तव्य है.

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको जो सरकारी नौकर है, कुछ घूस इनामकी तौरपर इसलिये देने कहे कि रमाशंकर अपने ओहदेके काममें कुछ पक्षपात करे और रमाशंकर घूस लेनेसे नाहीं करे तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

(ख) शिवशंकरने रमाशंकरको झूठी गवाही देनेके लिये बहँकाया, इस अवस्थामें यदि रमाशंकर झूठी गवाही न दे, तो भी शिवशंकर उस अपराधका करनेवाला होगा, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है और उसीके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

(ग) शिवशंकर एक पुलीसके ओहदेदारने जिसका काम चोरीके रोकनेका है, चोरी होनेमें सहायता की, इस अवस्थामें यद्यपि चोरी न भी हुई, तो भी शिवशंकर उस कैदकी बड़ीसे बडी मीआदके एक आधे भागके योग्य होगा, जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

(घ) रमाशंकर चोरीके होनेमें शिवशंकरकी सहायता करे और शिवशंकर पुलीसका एक ओहदेदार हो, जिसपर ऐसे अपराधके होनेका रोकना उसका कर्त्तव्य कर्म है, तो इस अवस्थामें चाहे चोरी न भी हो, तो भी रमाशंकर इस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदके एक आधेके योग्य होगा, जो जोरीकी चोरीके बदलेमें ठहराई गई है ।

सहायता पहुँचाना किसी अपराधके करनेमें सबके द्वारा अथवा दशसे अधिक मनुष्योंके द्वारा।

(११७) जो कोई मनुष्य सर्व साधारण मनुष्योंको या मनुष्योंके किसी समूहको जो दश मनुष्योंसे अधिक हों किसी अपराधके करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड अथवा कैद और जुर्माना दोनोंही दंड दिये जावेंगे। (दफा ४० को देखो)

उदाहरण।

शिवशंकर किसी सर्वसम्बन्धी स्थानमें एक विज्ञापन लगावे, जिससे किसी सम्प्रदाय (फिर्का) की जिसकी संख्या दशसे अधिक हो, यह बहँकावे कि वह किसी मुख्य समय और स्थान पर इस अभिप्रायसे इकट्ठे हों कि प्रतिकूल सम्प्रदायके मनुष्यों पर जब कि वह समाज बांधे हुए जाते हों आक्रमण (हमला) करें, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

किसी ऐसे अपराधके उद्योगको गुप्त रखना जिसका दंड मृत्यु वा देश निकाला है।

(११८) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे, कि किसी अपराधका उद्योग जिसका दंड मृत्यु या देशनिकाला है सहज होजावे या यह जानकर कि उसका सहज होना संभव है, किसी काम अथवा कानून विरुद्ध चूक (तर्क) के द्वारा उस उद्योगको छिपावे जो ऐसे अपराधके होनेको किया गया है या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता है, तो उस अपराधके हो जानेपर उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और यदि अपराध न हो तो दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और प्रत्येक अवस्थामें वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

उदाहरण।

शिवशंकर यह जानकर कि रामनगरमें डाका पडनेवाला है साहब मजिस्ट्रेटको झूठी सूचना (खबर) दे कि चन्द्रनगरमें जो दूसरी ओर है शीघ्रही डाका पडनेवाला है और इस प्रकार साहब मजिस्ट्रेटको धोखा दे, इस अभिप्रायसे कि उस कामका होना सहज होजावे और इस उद्योगपर वर्त्ताव करनेसे रामनगरमें डाका पडजावे, तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार दंडके योग्य होगा।

टीप १—मदरासमें चार अपराधियोंको वधके अपराधमें दंड दियागया और पाँचवें अपराधीकी तजवीज (विचार) जो मारेगये मनुष्यकी स्त्री थी, दंडसंग्रह हिंदकी दफा ११८ के अनुसार कीगई—हाईकोर्टने इस अपराधिनीको दंड दिया, क्योंकि जांचनेसे यह पायागया कि स्त्रीको उसके स्वामीके वधके उद्योगका वृत्तान्त ज्ञात था और उसने इस वृत्तान्तको अपने स्वामीसे छुपाया। (मदरास केस नं० ३० सन् १८६८ ई०)

(११९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है, इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधका होना कि जिसका रोकना उसका कर्तव्य कर्म (फर्ज) है सहज होजावे या यह जानकर कि उसका सहज हो जाना संभव है किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकके द्वारा स्वयं उस उद्योगको छिपावे जो होनेवाले अपराधके लिये किया गया हो, या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा बयान करे, जिसको वह झूठा जानता हो तो उस अपराधके होजानेपर उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जो उस अपराधके बदलेमें ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसी बडी मीआदके एक आधेतक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया है अथवा कैद और जुर्माना दोनों दंड दिये जावेंगे—और—

सरकारी नौकर जो किसी अपराध होनेके उद्योग छिपावे जिसका रोकना उसका कर्त्तव्य है.

यदि उस अपराधके बदलेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है तो दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद दश वर्षतक है होसकती है और यदि अपराध न हुआ हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाई तक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनोंही दंड दिये जायँगे ।

यदि अपराधका दंड मृत्यु आदि हो.

उदाहरण ।

शिवशंकर पुलीसके ओहदेदारको कानूनानुसार उचित है कि जोरीकी चोरी (सरका विलजब्र) के उद्योगोंकी जो उसको ज्ञात हों सूचना करे और शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकर जोरीकी चोरीका उद्योग कर रहा है, ऐसी सूचना करनी इस अभिप्रायसे रोकरखे कि उस अपराधका होना सहज होजावे, तो इस अवस्थामें शिवशंकरने कानूनविरुद्ध चूक (तर्क) के द्वारा रमाशंकरके होते हुए उद्योगको छिपाया, इसलिये इस दफाकी आज्ञानुसार वह दंडके योग्य हुवा ।

(१२०) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधका होना, जिसके बदलेमें कैदका दंड ठहराया गयाहै सहज होजावे या यह जानकर कि उसके सहज होजानेका संभव है किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकके द्वारा अपनी इच्छासे उस होते हुए उद्योगको छिपावे, जो उपरोक्त अपराधके होनेके लिये किया गया है या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा वर्णन करे जिसको वह झूठा जानता हो, यदि उपरोक्त अपराध होवे तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदके बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है और यदि अपराध न हुवाहो तो

उस अपराधके होनेके उद्योगको छिपाना जिसका दंड कैद है.

कैद एक आठवें हिस्सेतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है अथवा उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

नोट—इस दफामें लिखे हुए दंड उन सरकारी नौकरोंके मध्ये अधिक कडे है जिनका काम अपराधोंके रोकनेका है—इस दफाके साथ मजमूआ जाब्ता फौजदारी ऐक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० की दफा ४४ व ४५ देखी जाय।

अध्याय ५. (अ) *

दण्डयोग्य षड्यन्त्र।

दण्ड योग्य षड्यन्त्र की परिभाषा।

१२० (अ) जब दो या दोसे अधिक मनुष्य (१) न्यायविरुद्ध कामको या (२) न्यायविरुद्ध उपकरणों द्वारा ऐसे कामको जो कि स्वयं न्यायविरुद्ध न हो करने या करानेके लिये आपसमें समागत होवें, तो वह सहमति दंड योग्य षड्यन्त्र कहलावेगी।

परन्तु बाधा यह है कि अपराध (जुर्म) करनेके लिये की गई सहमतिके अतिरिक्त कोई अन्य सहमति दण्ड योग्य षड्यन्त्रकी सीमा तक नहीं पहुंचेगी। जबतक कि—उक्त सहमतिके सिवाय कोई अन्य काम उस सहमतिमें सम्मिलित एक या अधिक मनुष्योंने सहमतिके उद्देश्यकी पूर्णताकी ओर न किया हो।

स्पष्टीकरण—इसका कोई प्रभाव न होगा कि वह न्यायविरुद्ध काम ऐसी सहमतिका मुख्य उद्देश्य है वा केवल उस उद्देश्यके साधनमें गौण रूपसे घटनात्मक मात्र है।

---

* यह अध्याय सन् १९१३ ई० के ऐक्ट ८ के अनुसार हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहमें बढाया गया है। इस नवीन न्याय परिवर्द्धन द्वारा भारतीय फौजदारी कानूनमें एक नये अपराधकी सृष्टि की गई है। परन्तु इस अध्यायमें वर्णित अपराधका दण्ड दिलानेके लिये ऐसे नियम जाब्ता फौजदारीमें प्रविष्ट कर दिये हैं कि—जिनसे आशा की जाती है कि—ऐसे मुकदमे विना सोचे समझे पोलिस स्वयं न चला सकेगी ८ ऐक्ट सन् १३ की ५ वीं धाराके अनुसार षड्यन्त्रका मुकदमा चलानेके लिये गवर्नर जनरल प्रान्तीय गवर्नमेण्ट चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या विशेष अधिकार—प्राप्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटकी अनुमति आवश्यक है।

दण्ड योग्य षड्यन्त्रके लिये यह आवश्यक है—कि दो या अधिक मनुष्योंकी सहमति हो और वह सहमति ऐसे कामके लिये की गई हो जो स्वयं न्यायविरुद्ध हो अथवा वह सहमति ऐसे कामके उद्देश्यसे की गई हो जो कि स्वयं तो न्यायविरुद्ध न हो, पर जिसके साधनके लिये न्याय-विरुद्ध उपकरणोंका उपयोग निर्धारित किया गया हो। तात्पर्य यह है कि उद्देश्य या उसके साधनके उपकरण (उपाय) इन दोनोंमेंसे एकका न्यायविरुद्ध होना आवश्यक है। यदि इनमेंसे कोइ भी न्यायविरुद्ध न हुआ, तो दण्ड योग्य षड्यन्त्रका मुकदमा सफल नहीं हो सकेगा।

उदाहरणके लिये 'जातीय काङ्गरेस' और एक अन्य 'राजनैतिक समिति' की तुलना कीजिये, मान लीजिये कि–दोनोंका उद्देश्य स्वराज्य-साधन है । स्वराज्य-साधन न्याय-विरुद्ध नहीं है, इस लिये स्वराज्य-साधन उद्देश होनेके कारण इस दोनोंमेंसे कोई भी दण्ड योग्य षड्यन्त्र नहीं है । जातीय कांगरेस अपने उद्देश्य साधनके लिये न्यायसंगत आन्दोलनादि उपायोंका उपदेश करतीहै, इस लिये काङ्गरेस दण्डयोग्य षड्यन्त्र नहीं है । परन्तु यदि उक्त समिति अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये न्यायविरुद्ध उपायोंका उपदेश और उपयोग करतीहै, तो वह समिति दण्ड योग्य षड्यन्त्र है । 'न्यायविरुद्ध' इस शब्दकी परिभाषा दण्डसंग्रहकी ४३ वीं धारामें वर्णित है ।

अपराध करनेके उद्देश्यवाली सहमतिका ऐसी सहमतिसे कि जिसका उद्देश्य अथवा उद्देश्य-साधनोंके उपाय अपराधकी सीमातक तो न पहुंचते हों, पर न्यायविरुद्ध हों–भेद किया गया है । प्रथम वर्णित सहमति स्वयं ही दण्डयोग्य षड्यन्त्र है, किन्तु दूसरी सहमतिमें सम्मिलित होना उस समय तक 'दण्डयोग्य षड्यन्त्र' का अपराध नहीं है–जब तक कि उसके सम्मिलित एक या अधिक मनुष्योंने सहमतिके उद्देश्यकी पूर्णताके अभिप्रायसे कोई कार्य न किया हो ।

दण्डयोग्य षड्यन्त्रके लिये दण्ड.

१२० (ब) [१] जो कोई मनुष्य ऐसे दण्डयोग्य षड्यन्त्रमें सम्मिलित हो, जिसका कि उद्देश्य ऐसे अपराधका करना हो, जिसके प्राणदंड (मृत्यु), देश निकाला, या दो वर्ष या अधिक मियादकी कैद सख्त (सपरिश्रम–कारागार) का दंड दिया जासकता हो; तो उस मनुष्यको–यदि इस दंडसंग्रहमें ऐसे षड्यन्त्रका अन्यत्र दंड निर्धारित न हो तो;–उसीप्रकार दण्ड दिया जायगा कि–मानों उस मनुष्यने उक्त अपराधकी सहायता (क) करनेका अपराध किया हो ।

(२) जो कोई मनुष्य उपरोक्त दंडयोग्य अपराधको करनेके उद्देश्यवाले षड्यन्त्रके अतिरिक्त किसी अन्य दंडयोग्य षड्यन्त्रमें सम्मिलित होगा, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा कि जिसकी मियाद छै मासंसे अधिक न होगी या उसको जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा अथवा दोनों दंड दिये जायंगे ।

(क) सहायताकी परिभाषा इस दंडसंग्रहकी धारा १०७ में वर्णित है ।

टीप:–यदि अपराध उपधारा (१) के अनुसार हो तो काबिल दस्तन्दाजी पोलीस–यदि वह अपराध जो षड्यन्त्रका उद्देश्य है, काबिल दस्तन्दाजी पुलिस है अन्यथा नहीं । वारण्ट-यदि उक्त अपराधमें वारण्ट किया जाता हो, । समन–यदि उक्त अपराधके लिये समन जारी किया जाता हो । काबिल जमानत–यदि उक्त अपराध काबिल जमानत हो, अन्यथा नहीं । नाकाबिल राज़ीनामा । अदालत सेशन–यदि उक्त अपराध केवल सेशनके लायक हो अन्यथा सेशन–प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल ।

अध्याय छठा ६.+

—:○:०:※:०:○:—

राजविद्रोहके अपराधोंके विषयमें।

(१२१) जो कोई मनुष्य श्रीमान् महाराजके विरुद्ध युद्ध करे, या ऐसे युद्ध करनेका उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे, तो उपरोक्त मनुष्यको मृत्यु या देश निकालेका दंड दिया जावेगा और उसका सब धन (जायदाद) जब्त किया जायगा।

श्रीमान् महाराजके विरुद्ध युद्ध करना या उसका उद्योग या उसमें सहायता करना.

उदाहरण।

(क) शिवशंकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध किसी विद्रोहमें साझी हो, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ख) शिवशंकर, जो हिन्दुस्थानमें है, विद्रोहियोंको हथियार भेजकर एक विद्रोहमें सहायता करता है, जो सीलोनटापूमें श्रीमती महारानीके विरुद्ध हुई हो, ऐसी अवस्थामें शिवशंकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेमें सहायताका अपराधी होगा।

टीप—(१) मुकद्दमे का विचार अदालत सेशन करसकती है।
(२) पोलिस विना वारंट अपराधीको नहीं पकड़सकती।
(३) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये।
(४) अपराध जमानतके योग्य नहीं है।
(५) राजीनामा (संधि) नहीं हो सकता है।
(६) मंजूरी दरकार है।

(१२१) (अ) जो मनुष्य कि ब्रिटिश इंडियामें या उससे बाहर किसी अपराधको करनेके लिये जो दफा १२१के अनुसार दंडके योग्य है, य श्रीमान् महाराजको ब्रिटिश इंडिया या उससे किसी भागके अधिकारसे अधिकार रहित (बे दखल) करनेके लिये उद्योग करे, या अपराधयुक्त बलके द्वारा अथवा अपराधयुक्त बल दिखलाकर गवर्नमेंट हिंद या किसी लोकल स्थानिक गवर्नमेंटकी न्यूनताके लिये उद्योग करे, तो वह मनुष्य जन्म भरके लिये या इससे कम मीआदके लिये देश निकालेके दण्ड योग्य होगा, या उसे दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है।

उन अपराधोंके करनेमें उद्योग जो दफा १११ के अनुसार दंडके योग्य है.

+ ऐक्ट २७ सन् १८७० की दफा १४ व ऐक्ट १० सन १८८२ ई० की दफा १९६ को देखो।

समस्त मनुष्योंको उचित है कि दफा १२१ से १२६ तक १३० दफाके अपराधोंकी सूचना करें देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा २४.

स्पष्टीकरण—इस दफाके अनुसार सहायता दिये जानेके लिये यह अवश्य नहीं है कि कोई काम अथवा कानून विरुद्ध चूक उसके उद्योगमें दिखाई दे। (दफा ४ ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन मुकद्दमेकी तजवीज करसकती है (२) पोलीस विना वारंट अपराधीको नहीं पकड़ सकती (३) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) अपराध जमानतके योग्य नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है।

श्रीमान् महाराजके विरुद्ध युद्ध करनेके अभिप्रायसे शस्त्र आदि इकट्ठा करना.

(१२२) जो कोई मनुष्य, सिपाही या हथियार या गोले बारूदकी किस्मसे कोई सामान इकट्ठा करे, या किसी और प्रकारसे युद्धकी तैयारी करे इस अभिप्रायसे कि श्रीमान् महाराजके विरुद्ध युद्ध करे या युद्ध करने पर तैयार रहे तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और उसका कुलधन (जायजाद) जब्त होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन मुकद्दमेकी तजवीज करसकती है (२) विना वारंट मजिस्ट्रेटके पोलीस अपराधीको नहीं पकड सकती (३) अपराध जमानतके योग्य नहीं है (४)पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (५) राजीनामा नहीं हो सकता (६) मंजूरी दरकार है।

युद्ध करनेके यत्नको उसके सहल करनेके अभिप्रायसे छिपाना.

(१२३) जो कोई मनुष्य किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकद्वारा किसी होते हुए उद्योगको जो श्रीमान् महाराजके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये किया गया है छिपावे इस अभिप्रायसे या यह जाननेके संभवसे कि ऐसे छिपानेसे युद्धका करना सहज होजावे; तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और यह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन, (२) पोलीस दस्तन्दाजी (हस्ताक्षेप) नहीं कर सकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा, (४) जमानत नहीं है, (५) राजीनामा नहीं हो सकता है, (६) मंजूरी दरकार है।

गवर्नर जनरल या गवर्नर आदिपर किसी उचित अधिकारके वर्त्तने पर विवश करना या वर्त्तनेसे रोकनेके अभिप्रायसे आक्रमण करना.

(१२४) जो कोई मनुष्य गवर्नरजनरलहिंद या किसी प्रेसीडेंसीके गवर्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर या गवर्नरजनरल बहादुर हिंदकी कौंसलके मेंबर (सभासद) आक्रमण करे, या उसे अनीति रीति (मुजाहिमत बेजा)से रोके या अनीति रीतिसे रोकनेका उद्योग करे, या किसी अपराध संयुक्त बल (जब मुजरिमाना) के द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर डरावे, या इस प्रकार डरानेका उद्योग करे इस अभिप्रायसे कि वह उस गवर्नर जनरलबहादुर या गवर्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर या कौंसलके मेंबरको दबावे या विवश करे कि वह गवर्नर जनरल बहादुर या गवर्नर या

लेफ्टिनेन्ट गवर्नर या कौंसलके मेंबर किसी प्रकार अपने उचित अपराधमेंसे किसी अधिकारको वर्त्ते या किसी प्रकार वर्त्तनेसे रुका (बाज) रहे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पुलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं हो सकता (६) मंजूरी दरकार है ;

राजद्रोह पूर्ण विचारोंका उत्पन्न करना.

(१२४–अ) * जो मनुष्य शब्दोंद्वारा जो बोले गये या लिखे गये हों या चिह्नोंद्वारा या आंखसे देखने योग्य कोई नकल बनाकर या और किसी भांतिपर घृणा (गफरत) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे या बुरे विचार श्रीमती महारानी या गवर्नमेंटके मध्ये जो ब्रिटिश इंडियामें स्थिर कीगई है, उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभर या कुछ कम मीआदके लिये देश निकालेका दंड हो सकता है, जिसपर जुर्माना भी बढाया जा सकेगा या कैदका दंड जुर्माना समेत जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दंड दिया जावेगा।

स्पष्टीकरण–१–"बुरे विचारके" शब्दमें राजभक्तिविरुद्ध और शत्रुताके समस्त विचार संयुक्त हैं।

÷ स्पष्टीकरण–२–सरकारके–उद्योगोंके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक्ताचीनी (टीका) करना इस अभिप्रायसे, कि उचित रीतोंद्वारा उनमें अदल बदल कराया जावे विना इस बातके कि, घृणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया जावे इस दफाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहरता।

स्पष्टीकरण ३–सरकारके प्रबंध या किसी और कामके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक्ताचीनी अर्थात् टीका करना विना इस बातके कि घृणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया जावे इस दफाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहराता।

---

* दफा ५–ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो।

इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते हैं जो इस दफाके अनुसार दंडके योग्य हैं (ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० की दफा १३ व १४ को देखो.)

÷ बुरे विचारों और अप्रसन्नताका स्पष्टीकरण कियागया देखो इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६९ दफा २५.

(टीप)-(१) अदालत सेशन या चीफ प्रे० म० या मजिस्ट्रेट जिला या. म० दजा अव्वल जिसे लोकल गवर्नमेंटने इस बारेमें अधिकार दिया हो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारन्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

(१२५) जब कोई मनुष्य एशियाई देशकी किसी गवर्नमेंटके विरुद्ध जो श्रीमान् महाराजसे मित्रता रखती हो युद्ध करे या युद्ध करनेका उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके लिये देश निकालेका दंड दिया जावेगा और इसके सिवाय जुर्माना भी होसकता है या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और अतिरिक्त इसके जुर्माना भी हो सकता है या केवल जुर्मानेका दंड दिया जावेगा ।

किसी एशियाई देशकी गवर्नमेंटके विरुद्ध जो श्रीमान् महाराजसे मित्रता रखती हो युद्ध करना.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी (हस्ताक्षेप) नहीं करसकती (३) वारण्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता(६) मंजूरी दरकार है ।

(१२६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशमें लूट मार करे या लूटमार करनेकी तैयारी करे जिसका अधिपति श्रीमान् महाराजसे मित्रता या संधि रखता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह मनुष्य जुर्मानेका तथा उस माल व असबाबकी जब्तीके भी योग्य होगा जो उस लूटमारके काममें आया हो. या जिसका उसके काममें आना संभव हो जो उस लूटमारके द्वारा प्राप्त हुआ है ।

ऐसे अधिपतिके राज्यमें लूट मार करना जो श्रीमती महारानीसे संधि रखता हो ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ६) मंजूरी दरकार है ।

(१२७) जो कोई मनुष्य कोई माल या असबाब यह जानकर ले कि वह उन अपराधोंमेंसे किसी ऐसे अपराधके द्वारा प्राप्त किया गया है जिनका वर्णन दफा १२५ व १२६ में हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह मनुष्य जुर्मानेका और उस माल व असबाबकी जब्तीके भी योग्य होगा जिसको वह इस प्रकार अपने अधिकारमें लाया हो ।

लेना उस मालका जो दफा १२५ व १२६ के अनुसार युद्ध व लूटमारके द्वारा प्राप्त किया गयाहो ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता।

सरकारी नोकर को अपनी चौकसीसे किसी राजविरोधी अपराध के कैदी अथवा युद्धके कैदी को भाग जाने देना.

(१२८) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसकी चौकसीमें कोई राज्यविरोधी कैदी या युद्धकैदी हो, उस कैदीके किसी स्थानसे जहां वह कैद है जानबूझकर भाग जाने दे, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके लिये देश निकाला या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है।

सरकारी नौकरका अपनी चौकसीमें किसी राज्य-विरोधी कैदी या युद्धके कैदी को भाग जाने देना.

(१२९) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसकी चौकसीमें कोई राज्यविरोधी कैदी या युद्धका कैदी हो असावधानी (गफलत) से उस कैदीको उस स्थानसे कि जहां वह कैद है, भाग जाने दे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या म० अव्वल (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

उपरोक्त कैदीको भाग जानेमें सहायता करना या उसको छुडाना या शरण देना.

(१३०) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी राज्यविरोधी कैदी या युद्धके कैदीको उचित चौकसीसे भाग जानेमें सहायता करे अथवा सहारा दे या किसी ऐसे कैदीको छुडा लेजाय या छुडा लेजानेका उद्योग करे या ऐसे कैदीको जो उचित चौकसीसे भाग गया हो, शरण दे या छिपारक्खे या किसी ऐसे कैदीके फिर पकडनेमें किसी प्रकारकी रोकटोक करे या रोकटोक करनेका उद्योग करे, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्पष्टीकरण—कोई राज्यविरोधी कैदी अथवा युद्धका कैदी जिसको ब्रिटिश इंडियाकी नियत सीमाके भीतर अपने न भागनेकी प्रतिज्ञाके अनुसार फिरनेकी आज्ञा हुई है, कदाचित् वह उसी सीमासे जिसके भीतर फिरनेकी आज्ञा हुई है बाहर निकल जाय तो कहा जावगा कि वह उचित चौकसीसे भाग गया।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं हो सकती (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

अध्याय सातवाँ ७.

जंगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें ।

(१३१) जब कोई मनुष्य, विद्रोह करनेमें जो श्रीमान् महाराजकी जंगी या जहाजी सेनाका अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटकी ओरसे हो, सहायता करे या ऐसे अफ्सर या सिपाही या केवटको नौकरी या नौकरीका काम न करनेके लिये बहकानेका उद्योग करे, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके देश निकालेका या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

बगावतमें सहायता करना या किसी सिपाही या जहाजी केवटको उसके कामसे बहकानेका उद्योग करना.

स्पष्टीकरण—इस दफामें शब्द "अफ्सर" और "सिपाही" के अर्थमें प्रत्येक मनुष्य गिना जायगा, जो आरटिकल्स आफ वार धर्मप्रबन्धी सेना श्रीमान् महाराजके अधीन है या जो आरटिकल्स आफ वार ऐक्ट ५ सन् १८७९ ई० के लेखानुसार हो । (दफा ६ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारण्ट बनाम अपराधी (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१३२) जब कोई मनुष्य सैनिक विद्रोह करनेमें, जो श्रीमान् महाराजके जंगी या जहाजी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटके ओरसे हो, सहायता करे और यदि उसकीही सहायताके कारण वह विद्रोह होजावे, तो उपरोक्त मनुष्यको मृत्युदंड या जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दस वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

सैनिक विद्रोहमें सहायता करना जब कि वह विद्रोह उसी सहायताके कारण होजाय.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पुलीस हस्ताक्षेप करसकती है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३३) जब कोई मनुष्य किसी आक्रमण (हमले) में सहायता करे जो श्रीमान् महाराजकी जंगी या जहाजी सेनाका कोई अफ्सर या सिपाही जहाजी केवट अपने ऊपरके अफ्सरपर करे, उस अवस्थामें कि जब वह अपने ओहदेका काम कररहा हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

किसी आक्रमणमें सहायता देना जो कोई सिपाही या जहाजी केवट अपने ऊपरके अफ्सर पर जब कि वह अपने ओहदेका काम कररहा हो करे.

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३४) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे आक्रमणमें सहायता करे जो श्रीमान् महा-

ऐसे आक्रमणकी सहायता कि जो होजावे.

राजकी जंगी या जहाजी सेनाका कोई अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवट अपने किसी ऊपरके अफ्सर पर ऐसी अवस्थामें करे कि जब वह अपने ओहदेका काम कररहा है, तो यदि उस सहायताके कारण वह आक्रमण होवे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३५) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाजी सेनाके किसी

किसी सिपाही या जहाजी केवटकी नौकरी परसे भागजानेनें सहायता करना.

अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटकी नौकरी परसे भाग जानेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या म० अ० या० म० दोयम (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३६) जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे लिखी हुई छूटके श्रीमान् महाराजकी जंगी

नौकरीसे भागे हुएकी शरण (पनाह) देना.

अथवा जहाजी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटको यह जानबूझकर या जाननेका कारण रखकर कि यह अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवट अपनी नौकरीसे भाग आया है शरण दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

छूट—यह नियम उस अवस्थामें सम्बन्ध न रक्खेगा, जब कि कोई स्त्री अपने स्वामीको शरण दे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत है. (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३७) उस सौदागरी जहाजका नावपति या अधिकारी जिसपर कोई ऐसा मनुष्य

भागे हुएका सौदागरी जहाजमें नावपतिकी असावधानीसे छुपा होना.

छुपा हो, जो श्रीमान् महाराजकी जंगी या जहाजी सेनाकी नौकरीसे भाग गया है, जुर्मानेके दंडके योग्य होगा. जो पांचसो रुपयेसे अधिक न हो. चाहे उस छुपे होनेकी उसको जानकारी न हो; परंतु शर्त यह है कि उस छुपे होनेका हाल मालूम कर लेना उसके अधिकारमें था

यदि वह अपने नावपति या अधिकारीपनेके काममें असावधानी न करता या जहाजके प्रबंधमें कुछ खोट न होता ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलिस है (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

किसी सिपाही या जहाजी केवटकी ओरसे आज्ञा भंगके काममें सहायता देना,

(१३८) जो कोई मनुष्य किसी काममें सहायता करे, जिसको वह श्रीमान् महाराज जंगी या जहाजी सेनाके किसी अफसर या सिपाही या जहाजी केवटकी ओरसे आज्ञाभङ्गका अपराध जानता है और यदि वह आज्ञाभंगका काम उस सहायताके कारण होवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड दिया जावेगा या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या०म०अ०या०म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस है । (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं हो सकता।

ऊपरकी दफोंका हिंदुस्थानकी जहाजी नौकरीसे सम्बन्ध रखना.

(१३८) (अ) इस अध्यायकी ऊपर लिखी हुई दफायें इस प्रकारपर सम्बंध रखेंगी कि मानों हिन्दुस्थानी सरकारकी जहाजी नौकरी श्रीमान् महाराजकी जहाजी सेनामें सयुक्त है—(यह दफा ऐक्ट १४ सन् १८८७ ई०के अनुसार बढाई गई है ।

जो मनुष्य आरटीकल्स आफ वारके अधिकारमें है वो इस संग्रहके अनुसार दंड योग्य नहीं है

(१३९) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे कानूनके अधीन होवे, जो आरटिकल्स आफ वार कहलाता है, और श्रीमान् महाराजकी जंगी या जहाजी सेना या उपरोक्त सेनाके किसी टुकडेके लिये नियत (मुकर्रर) है, तो वह मनुष्य उन अपराधोंमेंसे किसी अपराधके बदलेमें कि जिनका वर्णन इस अध्यायमें किया गया है, इस संग्रहके अनुसार दंडके योग्य न होगा ।

सिपाहीके लिबास(वर्दी) का पहिनना.

(१४०) यदि कोई मनुष्य जो श्रीमान् महाराजकी जंगी या जहाजी सेनाका सिपाही न हो, कोई ऐसा लिबास (वर्दी) पहिने या ऐसा चिह्न (निशान) धारण करे, जिसको वह सिपाही वर्त्तता (इस्तेमाल,) है इस अभिप्रायसे कि वह ऐसा सिपाही समझा जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जिसकी तादाद ५००) पांचसौ रुपयातक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

अध्याय आठवाँ ८.

सर्व सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।

(१४१) पांच या अधिक मनुष्योंका प्रत्येक जमाव कानून विरुद्ध जमाव कहलावेगा

कानूनविरुद्ध जमाव } जब कि उन मनुष्योंका, जिनसे वह जमाव बना है, यह अभिप्राय होवे—

पहले—हिन्दुस्थानके लेजिस्लेटिव (कानून बनानेवाली) या इक्जेकिटियू (कार-व्यवहार करनेवाली) गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी लफ्टेन्ट गवर्नर या किसी सरकारी नौकरको जब कि वह अपनी नौकरीका अधिकार नीतिपूर्वक वर्त्त रहा हो; अपराध संयुक्त बलके द्वारा या अपराध संयुक्त बल (जब्रमुजरिमाना) दिखाकर डराना या—

दूसरे—रोकना किसी कानूनके प्रचारका या कानूनानुसार आज्ञापत्रका; या—

तीसरे—हानि पहुँचाना या मदाखलत बेजा (अनीतिसे किसीपर अधिकार करना) अथवा किसी और दूसरे अपराधका करना या—

चौथे—अपराध संयुक्त बलके द्वारा या किसी और अपराध संयुक्त बलको दिखाकर किसी मनुष्यसे कोई माल लेना या उसपर अधिकार करना या किसी मनुष्यको किसी मार्ग अथवा जलाशयका अधिकार भोगनेसे रहित करना या और किसी अमूर्त (गैरमादी)अधिकारके लाभसे जिसको वह भोग रहा हो रहित करना या किसी अधिकार अथवा कल्पित अधिकार (इस्तेहकाकख्याली) को काममें लाना; या—

पांचवें—अपराध संयुक्त बलके द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर किसी मनुष्यको विवश करना, उस कामके करनेमें जिसका करना उसपर कानूनानुसार उचित न हो या ऐसे कामके करनेमें चुकानेके लिये जिसके करनेका वह कानूनानुसार अधिकारी है।

स्पष्टीकरण—सम्भव है कि कोई जमाव जो जमा होनेके समय कानूनके विरुद्ध न था जमाव होनेके पश्चात् कानूनके विरुद्ध हो जावे (दफा ४० को देखो)

१—किसी मनुष्यके सम्बन्धमें, कानूनविरुद्ध जमावमें संयुक्त होना या रहना इस अवस्थामें नहीं कहा जासकता कि जब साक्षी (गवाही) से यह प्रमाणित हो कि वह उस स्थानपर जहां कानूनविरुद्ध जमावके मनुष्य इकट्ठा थे अपने मालको हानिसे बचानेके लिये गया था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १९ सफा ६६)

२—यदि कानूनविरुद्ध जमावका कोई मनुष्य किसी अन्याय (जब्र) को करे तो उसके उस कामसे बलवेका अपराध उत्पन्न होगा, चाहे वह अन्याय कैसाही तुच्छ क्यों न हो—जब पांच या अधिक मनुष्योंका अभिप्राय दफा १४१ में कहे हुए किसी अभिप्रायके अन्तर्गत हो तो उनका जमाव कानूनविरुद्ध जमाव कहलावेगा चाहे वह अभिप्राय उनके दिलमें जमा होनेके समय उत्पन्न हुआ हो, चाहे पीछेसे (पंजाब रिकार्ड नं० ३४ सन् १८६८ ई०)

३—कानूनविरुद्ध जमावमें संयुक्त होना उस अवस्थामें दंड योग्य न होगा, जहां दोनों ओर वालों (फरीकैन) की इच्छा किसी अधिकार या कल्पित अधिकारको काममें लानेकी न हो, बरन् किसी अधिकारको बिना रोक टोक स्थिर (कायम) रखनेकी हो, जिसे वे उस समय वर्त्त रहे थे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २३ सफा २५)

(१४२) जो कोई मनुष्य उन बातोंको जानकर जिनके कारणसे कोई जमाव कानून-

किसी अनीति जमावमें साझी (शरीक)होना

विरुद्ध जमाव कहलाता है स्वयं उस जमावमें साझी होजावे या उसमें बनारहे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य कानूनविरुद्ध जमावका साझीदार है।

(१४३) प्रत्येक मनुष्यको जो कानूनविरुद्ध जमावका साझी हो, दोनों प्रकारोंमेंसे

दंड (सजा)

किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता।

कुछ मनुष्योंकी तजवीज (विचार) के समय कि जिनपर कानूनविरुद्ध जमावका अपराध लगाया गया था, यह प्रमाणित किया गया कि कुछ धरतीके अधिकारके सम्बन्धमें अपराधी और कुछ दूसरे मनुष्योंमें बहुत समयसे झगडा चला आता है—दोनों ओरके जमावोंमेंसे किसी भी जमावका अधिकार विना रोक टोकके कभी भी नहीं रहा—अपराधी उस धरतीमें नील बोनेके लिये बहुतसे मनुष्योंका झुंड लेकर गये कि जिनके पास लाठियां थीं और वे आवश्यकताके कारण जबर्दस्ती करनेपर भी तैयार थे और लाठीवालोंने जब कि वह धरती बोई जाती थी, दूसरे जमाववालोंको अपने हथियार घुमानेके द्वारा दूर रक्खा—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि, दफा १४३ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार अपराधियोंपर कानूनविरुद्ध जमावमें साझी होनेका अपराध भलीप्रकारसे प्रमाणित है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ९ सफा ६३९)

किसी गांवमें उत्पाती मनुष्योंके दो जमाव थे, उनमेंस एक जमाववालेने दूसरेको एक ऐसी खाली जगह परसे जलसेके साथ जानेको मना किया, जो उस गांवकी आम (सर्व साधारण) सडक पर है, पोलीसने उनको अलग होनेका हुक्म दिया—परन्तु वह आज्ञा नहीं मानी गयी, इस लिये पोलीसने दूसरे उत्पाती जमावसे जलसा छोडदेनेको कहा—तजवीज हुई कि वह मनुष्य जो अलग होजानेका हुक्म देनेपर अलग नहीं हुए कानूनविरुद्ध जमावमें साझी होनेके अपराधी थे। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा १२६)

(१४४) कोई मनुष्य जो किसी मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको

किसी कानूनविरुद्ध जमावमें मृत्युकारक हथियारके साथ साझी होना.

जिसको मारनेके हथियारकी भाँति वर्त्ते जानेसे मृत्युका होना अति सम्भवित हो, बांधकर किसी कानूनविरुद्ध जमावका साझी होगा, तो उपरोक्त मनुष्योंको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारण्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

यदि यह बात प्रमाणित हो कि अपराधी जमावमें साझी होनेके अतिरिक्त कानूनविरुद्ध एक बन्दूक या कोई और हथियार ऐसा रखता था, जिसको यदि वर्ताजावे, तो उससे मृत्यु होसके, इसलिये ऐसी अवस्थामें अपराधी दफा १४४ दंडसंग्रह हिन्दके अनुसार दंडके योग्य होगा।

(१४९) जो कोई मनुष्य किसी कानूनविरुद्ध जमावमें दाखिल होवे (प्रवेश करे) या दाखिल रहे, यह जानकर कि उस कानूनविरुद्ध जमावको कानूनके ठहराये हुए नियमोंके अनुसार अलग अलग(मुतफर्रिक) होनेकी आज्ञा हो चुकी है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकतीहै या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दियेजावेंगे।

यह बात जानकर भी कि किसी अनीति जमाव के अलग अलग होनेकी आज्ञा होचुकी है उसमें मिलना या बनारहना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधीके जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(१४६) जब किसी कानूनविरुद्ध जमाव या उसके किसी साझीकी ओरसे उपरोक्त जमावके साक्षियोंका अभिप्राय प्राप्त करनेमें अन्याय (जब्र) या कडाई (सख्ती) का वर्त्ताव किया जावे, तो उस जमावका हर एक मनुष्य बलवा करनेका अपराधी होगा।

बलवा.

१—एक जमींदारने अपने असामीको ऐक्ट वसूली लगान मदरासके अनुसार पट्टा दिया था, जमींदारने लगान न पटने पर पोलीसकी सहायतासे उसके चौपाये कुर्क कर लिये, उपरोक्त असामीने ग्यारह मनुष्योंकी सहायतासे उस कुर्कीको रोका और इसलिये उनपर बलवेका अपराध लगाया गया हाईकोर्टके विचारमें अपराधीका दंड बलवेके अपराधमें सही पायागया। (इ०ला०रि० मदरास जिल्द १३ सफा १४८)

२—कानूनविरुद्ध जमावका, कि जिसके कुछ साक्षियोंने किसी मनुष्यको भारी दुःख पहुंचाया था, कोई साझी उचित रीतिपर बलवेके अपराध और भारी दुःख पहुंचानेके अपराधका दंड नहीं पासकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा २९)

(१४७) जो कोई मनुष्य बलवा करनेका अपराधी हो, उसे दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

बलवेका दंड

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकतीहै (५) राजीनामा नहीं है।

१—कुछ मनुष्योंने परस्परकी शत्रुताके कारण एकसाथ उपद्रव किया,जिसका फल यह हुवा कि एक मनुष्यको भारी चोट लगी और वह उसके कारण मरगया--तजवीज हुई कि जो कि कोई जमाव कानूनविरुद्ध न था, इसलिये बलवेका अपराध प्रमाणित नहीं होसकता--अपराधी पर उपद्रव (हंगामे) का अपराध ठहराना था और अदालतने इस बात पर कि इन अपराधियोंमेंसे

कौन मनुष्य शातवत् घातका अपराधी हुवा था, विचार नहीं किया । (बी० रि० जिल्द १४ सफा ७२)

२–दो जमावोंको बलवाके अपराधमें दंड हुवा, एक जमावमें पांच मनुष्योंसे कम न थे और उनके सम्बन्धमे यह मालूम हुवा कि वे लडाईके समय इकट्ठा हुए थे और वह और उनके शत्रु लाठियां बांधकर लडनेके लिये आये थे–तजवीज हुई कि उनको बलवेका दंड देना उचित था, क्योंकि उन सबका अभिप्राय अपने शत्रुओं पर आक्रमण करनेका था–दूसरे जमावमें केवल चार मनुष्य थे और यह बात मालूम नहीं कि वे सब पहिले जमावके मनुष्योंके साथ क्या अभिप्राय रखते थे और लडाई भी किसी सर्व साधारण स्थानपर नहीं हुई थी, इसलिये दूसरे जमावको बलवेके अपराधमें दंड देना अनुचित है और तजवीज हुई कि लडाई किसी सर्व साधारण (नियत) स्थानपर होती तो यह समझा जासकता था कि दोनों जमावोंका यह अभिप्राय था परस्पर उपद्रव (हंगामालडाई) किया जावेगा (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफा २०८)

मृत्युकारक हथियारके साथ बलवा करना.

(१४८) कोई मनुष्य जो मृत्युकारक हथियार या ऐसी वस्तुको लेकर कि यदि उसको हथियारकी भांति काममें लाए, तो उससे मृत्यु होना सम्भवित है बलवा करनेका अपराधी हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

यह बात आई कि "लाठी" दफा १४८ दंडसंग्रह हिंदके अभिप्रायसे मृत्युकारक हथियार है या नहीं–यह एक बात है कि जिसका (निश्चय) मुकद्दमेकी विशेष अवस्था पर होना चाहिये (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा १९)

कुछ मनुष्योंने कैदियोंपर इस अभिप्रायसे आक्रमण किया कि उनकी फसल (खेत) काटलेवें कैदियोंने उनका सामना किया और पुलीसको सूचना देनेका अवसर न पाकर बांससे उन आक्रमण करनेवालोंके एक मनुष्यको चोट पहुँचाई, जिसके कारण वह मरगया, सेशन जजने कैदियोंको दफा १४८ व १४९ के अपराधमे दंड दिया और हाईकोर्टकी तजवीज हुई कि कैदियोंने जो उनका सामना किया था और जो चोट आक्रमण करनेवालोंको पहुँचाई थी, वह उनके निज–रक्षाके अधिकारके वर्त्तावसे बाहर न था, इसलिये कैदी छोडे गये । (बंगाल ला० रि० जिल्द ६ सफा ९)

कानूनविरुद्ध जमाव का प्रत्येक साझी उस अपराधका अपराधी गिना जायगा, जो सब साझियोंका अभिप्राय प्राप्त होनेके लिये किया जाय.

(१४९) यदि कानूनविरुद्ध जमावके किसी साझीकी ओरसे उस जमावका अभिप्राय प्राप्त करनेमें कोई अपराध हो या कोई ऐसा अपराध हो, जिसको उस जमावके साझी जानते हों कि उस अभिप्रायके प्राप्त करनेमें उसका (अपराध) होना सम्भव है, तो प्रत्येक मनुष्य जो उस अपराधके समय उस जमावका साझी है, उपरोक्त अपराधका अपराधी है ।

१—एक जमावके बहुतसे मनुष्योंने दूसरे जमावके मनुष्योंकी राह रोकी, जिसका फल यह हुआ कि परस्पर लड़ाई होने लगी—पहिले जमावका एक मनुष्य घायल होकर सड़कके एक किनारे पर होगया और फिर उस लड़ाईमें साझी न हुआ, उसके अलग हो जानेके पश्चात् दूसरे जमावका एक मनुष्य मारा गया—तजवीज हुई कि उस घायल मनुष्यका उसके अलग होनेके पश्चात् कानून-विरुद्ध जमावमें रहना नहीं ठहरता, और उसके ऊपर दफा १४९ के अनुसार वधका अपराध नहीं ठहर सकता (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा १)

२—कुछ मनुष्य जो कानूनविरुद्ध जमावमें साझी थे (अ) को ले भागनेके अभिप्रायसे निकले और उनमेंसे एक मनुष्यने उपरोक्त अपराधके उद्योगमें (ब) को मारडाला, तजवीज हुई कि सब मनुष्य जो ले भागनेके समय उस अपराधके उद्योगमें सम्बन्ध रखते थे,(ब) के मारे जानेके कारण दंडसंग्रह हिंदकी दफा १४९ के अनुसार अपराधी थे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द१३सफा ३३)

३—जब कुछ मनुष्योंमेंसे प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यके मारनेमें साझी हुआ यहां तक कि उस मनुष्यकी आठपसलियां टूट गईं और वह मरगया तो तजवीज हुई कि प्रत्येक मनुष्य ज्ञात-घातका अपराधी हुआ था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ५)

(१५०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी कानूनविरुद्ध जमावमें मिलने या साझी होनेके अभिप्रायसे नौकरीपर या उजरत (रोजनदारी) पर रक्खेगा, या कामपर लगावेगा या उसे उजरतपर या नौकरीपर रखने या कामपर लगानेमें सहायता या सम्मति देगा तो वह मनुष्य उस कानूनविरुद्ध जमावके साझियोंकी भांति दंड पाने योग्य है और किसी ऐसे अपराधके मध्ये जो उस मनुष्यकी ओरसे उस कानूनविरुद्ध जमावके अनुसार उस नौकर रक्खे जाने या उजरत पाने या कामपर लगाये जानेके किया जावे तो उसका दंड उसीप्रकार होगा कि मानो वह स्वयं उस कानूनविरुद्ध जमावमें साझी था या कि स्वयं उसीने वैसा अपराध किया।

किसी कानूनाविरुद्ध जमावमें मनुष्योंका नौकर रखना या उन्हें रखनेके लिये सलाह करना.

टीप—(१) इस दफाके अनुसार अपराधका विचार वही अदालत करेगी जो किये हुए अपराधका विचार करसक्ती है ।

(२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है ।

(३) अपराधके लक्षणोंके अनुसार वारंट या समन अपराधीके नाम जारी होगा।

(४) अपराधके लक्षणोंके अनुसार जमानतका होना न होना ठहराया है ।

(५) राजीनामा नहीं होसकता है ।

(१५१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर पांच या अधिक मनुष्योंके किसी ऐसे जमावमें जिससे सर्वसाधारणकी कुशलतामें विघ्न पडना संभव है पश्चात् इसके कि उपरोक्त जमावको कानूनानुसार अलग अलग होजानेकी आज्ञा होचुकी हो साझी हो या रहे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

पांच या अधिक मनुष्योंको किसी जमावमें उसके अलग होजानेकी आज्ञा होनेके पश्चात् साझी होना या रहना.

स्पष्टीकरण–यदि वह जमाव दफा १४१ के अभिप्रायानुसार (हस्तमंशाय) कानूनविरुद्ध जमाव हो तो वह अपराधी दफा १४५ के अनुसार दंड पावेगा ।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

जब तीन मनुष्योंका अभिप्राय केवल एक भीड इकट्ठा करनेका था और उन्होंने ऐसे काम किये जिनके कारण पचास साठ मनुष्योंका जमाव होगया और इस जमावसे सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न पहुँचना संभव था–तजवीज हाईकोर्ट हुई कि उस जमावका इस प्रकारपर इकट्ठा होना दंडसंग्रह हिंदकी दफा १५१ के अभिप्रायसे पांच या अधिक मनुष्योंके जमावमें गिना जायगा और जब कि उन मनुष्योंको अलग होजानेकी उचित आज्ञा दीगई और उन्होंने अलग होनेसे नाहीं की तो ऐसी अवस्थामें उन सबका दंड इस दफाके अनुसार होसकता है । (इ० ला० रि० बंबई जिल्द ७ सफा ४२)

किसी सरकारी नौकर पर उस समय आक्रमण करना या उसको रोकना जब कि वह बलवे आदिको शांत कर रहा हो ।

(१५२) जब कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकर पर उस समय, आक्रमण करे या आक्रमण करनेकी धमकी दे या उसके साथ रोक टोक करे या रोक टोक करनेका उद्योग करे जब कि वह किसी कानूनविरुद्ध जमावको अलग करने या किसी बलवे या हंगामेको बंद करनेमें उस सरकारी नौकरीके कारण अपनी नौकरीका काम कर रहा हो, या ऐसे नौकरपर अपराध संयुक्त बल करे या बल करनेकी धमकी दे या अपराध संयुक्त बल करनेका उद्योग करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे०म० या०म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

बलवा करानेके अभिप्रायसे किसीके दिलको बिना बात क्रोध करानेका काम करना ।

(१५३) जब कोई मनुष्य दुर्भावसे या बिना किसी बात, किसी ऐसे कामको करके जो कानूनविरुद्ध है, किसी मनुष्यके दिलको क्रोध दिलावे इस अभिप्रायसे या इस बातको संभवित जानकर कि उस क्रोधके कारण बलवेका अपराध होवे, तो यदि उस क्रोधके कारण बलवेका अपराध किया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि बलवेका अपराध न किया जावे तो दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) यदि बलवेका अपराध होजावे तो वारंट या बलवेका अपराध न होवे तो केवल समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

माह अगस्त सन् १८९३ ई० में बंबईमें हिंदू और मुसलमानोंके मध्ये बलवा हुवा और उस समय कि बलवेका आवेश (जोश) बिल्कुल बंद नहीं होगया था, अपराधीने एक काव्य बनाकर छपवाया जिसमें बलवेका वर्णन लिखा था और हिन्दू लोगोंकी किसी किसी कौम अर्थात् घाटियों और कमाठियोंकी, जिन्होंने मुसलमानोंके साथ बलवा करते समय बहादुरी दिखाई थी, तारीफ लिखी थी–उपरोक्त काव्यमें पहिले तो घाटियों और कमाठियोंकी तारीफ थी फिर उसमें नीचे लिखे अनुसार शेर थे:—

शेर—इलाही बख्शे तुमको इज्जतो जाह, खुशी हासिल हो तुमको हस्ब दिलख्वाह।
लड़ो फिर मुल्ककी हालत हो बेहतर, कमाठी लोग है अजबस दिलावर।
डरो मत मौतसे ऐ मेरे भाई, नहीं बचता कोई जब मौत आई।

ऊपरके काव्य गुजराती भाषामें लिखे थे, जो घाटिये और कमाठी बरन् मुसलमान भी भली प्रकारसे नहीं बोलते थे,—यह प्रगट नहीं हुवा कि यह काव्य उन मनुष्योंको बांटा गया जो बलवेमें शामिल हुए थे और न उस किताबके छपने बाद कुछ नया बलवा हुआ–अपराधियोंपर फौजदारीका अभियोग चलायागया और उनपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा ११७ व १५३ इसकारणसे लगाई गई कि ऊपर लिखे पदसे विशेष कर "लड़ो फिर" के शब्दसे घाटियों और कमाठियोंको बलवेके लिये बहकाया गया है कि वे नया झगड़ा उत्पन्न करें–तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि जिस इबारतके मध्ये एतराज (तर्क) किया गया है उसका अभिप्राय कुल काव्यसे निकालना चाहिये, उपरोक्त काव्यका अभिप्राय यह है कि आपसमें मेल व सम्मति होवे और उसमें आदिसे अंततक बलवा व हानि व प्राणोंके नाश होनेका रंज प्रगट किया गया है और हिन्दू मुसलमान दोनोंको मेल व सम्मति करनेकी सलाह (परामर्श) दीगई है और कोई बात उसमें ऐसी नहीं है जिससे यह मालूम होता हो कि काव्य बनानेवालेका यह अभिप्राय था कि हिन्दू और मुसलमान फिरसे बलवा करें, इसमें संदेह नहीं कि "लड़ो फिर" का शब्द एतराजके लायक है परन्तु इस शब्दका यह सही अर्थ नहीं है कि उसके अर्थको किताबके कुल लेख (मजमून) से बढ़ादिया जावे (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा ७५८)

(१५३) (अ) जो मनुष्य उन शब्दोंद्वारा कि जो बोले गये या लिखे गये हों या चिह्नोंद्वारा या आँखसे दिखाने योग्य बनाई हुई नकलके द्वारा या और प्रकार पर शत्रुता या घृणाके विचार श्रीमान् महाराजाकी प्रजाके अलग अलग जमावोंमें बढ़ावे या बढ़ानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो सालतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

जमावोंमें शत्रुताका बढ़ाना.

स्पष्टीकरण—इस दफाके अभिप्रायके अनुसार बिना शत्रुताकी इच्छाके बरन उनको दूर करनेके सच्चे अभिप्रायके साथ उन कामोंका, जो विचार शत्रुता या घृणाको श्रीमान् महाराजाके

अलग अलग जमावोंमें उत्पन्न करते हैं या उनसे उत्पन्न होनेका अभिप्राय पाया जाता है, प्रगट करना किसी अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता ।

टीप-(१) प्रे० म० या० म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१९४) जब कभी कोई जमाव कानूनविरुद्ध इकट्ठा हो या बलवा होजाय तो उस

मालिक या काबिज धरतीका जिसपर कानून विरुद्ध जमाव जुडे.

धरतीका स्वामी या अधिकारी जहां वह जमाव कानूनविरुद्ध इकट्ठा हुआ है, या वह बलवा हुवा है और भी ऐसा कोई मनुष्य जो वैसी धरतीमें अधिकार रखता हो या उस धरतीमें अधिकारका दावा रखता हो ऐसे जुर्मानेका देनदार होगा जिसकी तादाद एक हजार रुपयेसे अधिक न हो परन्तु शर्त (नियम) यह है कि उपरोक्त मनुष्य या उसका कारिन्दा या प्रबंधकर्ता (मुंतजिम) यह जानकर कि उपरोक्त अपराध हो रहा है, या होचुका निश्चय करनेका कारण रखकर कि उपरोक्त अपराधका होना संभवित है उस अधिकारी (अफसर) को जो सबसे निकटके थाना पोलीसमें है इस बातकी सूचना जहांतक उसके वशमें हो शीघ्र न करे और जब वह या वे निश्चय करनेका कारण रखता हो या रखते हों कि उपरोक्त अपराध होनेवाला है वे सब उचित यत्न जो उसके या उनके वशमें हों उपरोक्त अपराधके रोकनेके लिये काममें न लाये या न लायें और अपराधके होजानेपर उस कानूनविरुद्ध जमावके अलग करने या उस बलवाको दबानेमें सब उचित यत्नोंका जो उसके या उनके वशमें हों बर्ताव में न लाये या न लायें ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) अपराध जमानती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

किसी धरतीके स्वामीको, जहां पर कोई बलवा हुआ हो, फौजदारी अदालतमें अपराधी ठहरानेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसे ऐसी घटना (वारदात) के होनेका हाल पहिलेसे मालूम होना चाहिये । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १२ सफा ५५०)

(१९५) जब कभी कोई बलवा (दंगा) किसी ऐसे मनुष्यके लाभके लिये या

दंड योग्य होना उस मनुष्यका जिसके लाभके लिये दंगा (बलवा) किया जाय.

उसकी ओरसे किया जाय जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या अधिकारी हो जिसके मध्ये वह बलवा हुआ था जो मनुष्य उस धरतीमें या झगडेके, ऐसे काममें कि जिसके कारणसे बलवा हुवा है दावे का अधिकार रखता हो या जिसने उस धरती या उस कामसे कुछ लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको जुर्मानेका दंड दिया जायगा, परन्तु नियम यह है कि वह या उसका कारिन्दा या प्रबन्धकर्त्ता (मुन्तजिम) इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस बलवेका होना सम्भव था यह कि उस कानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका भय था जिससे वह बलवा हुवा, वे सब उचित यत्न जो उसके या

उनके वशमें हों उस इकट्ठा होते हुए जमावके रोकने और उसको अलग अलग करनेके लिये या उस होते हुए बलवेको रोकनेके लिये और उसके दबानेके लिये काममें न लाये या न लायें।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

ताजीरात हिंदकी दफा ५५ के अनुसार कोई जमींदार किसी ऐसे बलवेका जिम्मेदार न होगा जिसके होनेका पहिलेसे भय न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ५४)

स्वामीका या अधिकारीका कि जिसके लिये कोई बलवा किया जावे, कारिंदाका जिम्मेदार होना.

(१९६) जब कभी कोई बलवा किसी ऐसे मनुष्यके लाभके लिये या उसकी ओरसे किया जावे जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या अधिकारी हो जिसके मध्ये वह बलवा (दंगा) हुवा, या जो मनुष्य उस धरतीमें या किसी झगड़ेके काममें जिसके कारण बलवा हुवा किसी अधिकारीका दावा रखता हो या जिसने उस धरती या कामसे कुछ लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया हो, तो उपरोक्त मनुष्यके कारिन्दे या प्रबंधकर्त्ताको जुर्मानेका दंड दिया जावेगा. परंतु नियम यह है कि ऐसा कारिन्दा या प्रबन्धकर्त्ता इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर, कि उस बलवेका होना सम्भवित था या उस कानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका भय था जिससे वह बलवा हुवा, वे सब उचित यत्न जो उसके वशमें हों उस बलवेके रोकने और उसको दबानेके लिये या उस इकट्ठा होते हुए जमावको रोकने और उसे अलग अलग करनेके लिये काममें न लाये।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तंन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

कारखाना नीलके प्रबंधकर्त्ता (मुंतजिम) को दंडसंग्रह हिंदकी दफा १५६ के अनुसार दंड करनेके लिये योग्य साक्षियों (जायज शहादत) द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिये कि:— (१) बलवा हुवा (२) यदि बलवा हुवा, तो वह अपराधीके लाभके लिये हुवा (३) अपराधीके लिये यह जाननेका कारण था कि बलवा अवश्य होनेवाला है। (ई० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ३३८)

उन मनुष्योंको जो किसी कानूनविरुद्ध जमावके लिये उजरतपर रक्खे गये हों छिपा रखना.

(१९७) जब कोई मनुष्य लोगोंको किसी घर या घेरे (अहाते) में जो उसके अधिकार या सिपुर्दगीमें हो छुपा रक्खे या आने दे या इकट्ठा करे या यह जानकर कि वे लोग किसी कानूनविरुद्ध जमावमें भरती या साझी होनेके लिये उजरत पर रक्खे गये हैं या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया गया है या शीघ्रही वे उजरतपर रक्खे जाँयगे या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया जायगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(१५८) जो मनुष्य उन कामोंमेंसे जिनका वर्णन दफा १४१ में हुआहै किसी कामको करनेके लिये या उसके होनेमें सहायता करनेके लिये प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको स्वीकार कराये या प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको कहे या उसका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे और वह मनुष्य जिससे प्रतिज्ञा लीगई हो या जो उपरोक्त उजरतकी भाँति रक्खा गया हो किसी मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको जिसको यदि हथियारके समान वर्त्ते तो मृत्यु होना अति सम्भवित है लेकर फिरे या लेकर फिरनेकी प्रतिज्ञा करे या लेकर–

किसी कानूनविरुद्ध जमावमें साक्षी होनेके लिये उजरतपर रक्खा जाना.

या हथियार बांधकर फिरना.

फिरनेको कहे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्ष तक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा परन्तु यदि हथियार लिये फिरे तो वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१५९) जब दो या अधिक मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी मार्गके स्थानपर लडकर सब सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालेंगे तो कहा जायगा कि उन्होंने हंगामा किया ।

हंगामा (लडाई खानेजंगी)

(१६०) जब कोई मनुष्य हंगामा करेगा तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जिसकी तादादे १०० एकसौ रुपयेतक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

हंगामेका दंड

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय नवाँ ९.

इन अपराधोंके सम्बन्धमें जो सरकारी नौकरोंकी ओरसे किये जावें या उनसे सम्बन्ध रक्खें।

सर्व सम्बन्धी नौकर जो अपने ओहदेके किसी काम के मध्ये सिवाय कानूनानुसार चाकरी (उजरत) के कुछ घूसकी भांति ले.

(१६१) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है या जो सरकारी नौकरीकी आशा रखता (उम्मेदवार) हो किसी सरकारी कामसे करने या उससे बाज (पृथक्) रहनेके लिये या अपने सरकारी कामके वर्तनेमें किसी मनुष्यका पक्षपात करने या उस मनुष्यके विरुद्ध होने या; उससे बाज रहनेके लिये या हिन्दुस्थानकी लेजिस्लेटिव (कानून-कारक) या इकजेक्यूटिव गवर्नमेंट (कानून प्रवर्त्तक) या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनेन्ट गवर्नर या किसी सरकारी नौकरके सामने, किसी मनुष्यके साथ भलाई बुराई करनेके लिये, या उसका उद्योग करनेके लिये किसी मनुष्यसे, चाहें अपनेही लिये या किसी दूसरे मनुष्यके लिये उचित उजरतके सिवाय और कुछ घूस लालच या इनामकी भांति स्वीकार करे या प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन सालतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

स्पष्टीकरण—"सरकारी नौकर होनेकी आशा रखना" यदि कोई मनुष्य जिसको सरकारी नौकरीकी आशा न हो, धोखा देकर औरोंको यह विश्वास दिलावे कि मैं सरकारी नौकर होनेवाला हूं और तब तुम्हारे काम आऊंगा और इस यत्नसे कुछ घूस लेवे तो ऐसी अवस्थामें वह मनुष्य ठगनेका अपराधी होसकेगा परंतु उस अपराधका अपराधी न होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

"घूस"—घूसके शब्दसे केवल ऐसीही घूसका अभिप्राय नहीं है जो रुपयसे सम्बन्ध रक्खे या जिसकी कूत (अंदाज) रुपयेमें होसके।

"कानूनानुसार उजरत" कानूनानुसार उजरतके, शब्दोंमें केवल उसी उजरतका अभिप्राय नहीं है जिसको कोई सरकारी नौकर उचित रीतिपर लेसके, बरन उसमें कुछ ऐसी उजरत (चाकरी) शामिल है जिसके स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको गवर्नमेंटकी ओरसे मिलचुकी हो कि जिसकी वह नौकरी करताहो।

"कुछ करनेके लिये लालच या इनाम"—इन शब्दोंमें वह मनुष्य भी गिना जायगा जो कुछ घूस किसी ऐसे कामके करनेके लिये, जिसका करना उसकी इच्छा (नीयत) में न हो लालचकी भाँति या कोई काम करनेके लिये जो उसने न किया हो इनामकी भाँति स्वीकार करे।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर एक मुंसिफने एक साहूकार रमाशंकरसे अपने भाईके लिये रमाशंकरकी कोठीमें एक नौकरी रमाशंकरकी जीतमें एक मुकद्दमा फैसलकर देनेके बदले प्राप्त की तो शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ख) शिवशंकरने जो किसी आज्ञाकारी गवर्नमेंटके दरबार-रियासतमें रजीडेंटका ओहदा रखता है उस दरबारके दीवानसे एक लाख रुपया लेना स्वीकार किया-यह प्रगट नहीं है कि शिवशंकरने यह रुपया, अपने ओहदेका कोई विशेष काम करनेके लिये या रोकनेके लिये या सरकार अंगरेजीमे उस दरबारका कोई विशेष अभिप्राय निकालने या किसी विशेष अभिप्रायके निकालनेका उद्योग करनेके लिये इनाम या लालचकी भाँति स्वीकार किया; परन्तु यह प्रगट होता है कि यह रुपया शिवशंकरने अपने ओहदेका अधिकार वर्त्तनेमें साधारणतः उस दरबारका पक्षपात करनेके लिये लालच या इनामकी भाँति स्वीकार किया तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ग) एक सरकारी नौकर शिवशंकरने रमाशंकरको इस झूंठी बातके मान लेनेका धोखा दिया कि शिवशंकरकी सिफारिशके कारण रमाशंकरको सरकारसे एक खिताब मिला है; इस प्रकार पर फुसलानेके कारण रमाशंकरने शिवशंकरको कुछ रुपया इनामकी भाँति, इस कामके बनादेनेके बदलेमें दिया-तो शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप-(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या० अ० (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) काबिल जमानत है(५) राजीनामा नहीं होसकता ।

१—अपराधी मालके महकमेका एक मजकूरी था, उसको फीसमेंसे तन्ख्वाह मिलती थी, ऐसे मजकूरी आवश्यकताके समय रख लिये जाते हैं, परन्तु जब कोई सरकारी काम उसके सिपुर्द किया जावे और उसकी तन्ख्वाह फीसमेंसे दीजाती हो तो उसको सरकारी नौकर कहा जावेगा, ऐसी अवस्थामें यदि वह घूस लेवे, तो उसका दंड इस दफाके अनुसार होसकता है (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ४४६)

२—एक डिप्टी इन्स्पेक्टर पोलीसने ३५) रु० पेश किया जो उसे अपराधीने घूसकी भाँति दिया था-साहेब मजिस्ट्रेटने अपराधीपर अपराध प्रमाणित कर उनमेंसे १०) रु. इनामकी भांति डिप्टी इन्स्पेक्टरको दिया-तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि मजिस्ट्रेटका हुक्म मजमूआजाब्ता फौजदारीकी दफा ४१८ के अनुसार उचित है (पंजाब रिकार्ड नं० ९ सन् १८७३ ई०)

३—कोर्ट आफ वार्डसका प्रबन्धकर्ता एक बंकमें जो सरकारी खजानेका काम करता था, सरकारकी ओरसे रुपया दाखिल किया करता था उस बंकके खजानचीने अपनी मिहनतके कारण कुछ इनाम लिया-तजवीज हुई कि जिमन ९ दफा २१ व दफा १६१ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार खजानची सरकारका नौकर नहीं है इसलिये वह कैदसे छोड़ागया (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ३५६)

(१६२) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको बुरे या अनुचित उपायोंके द्वारा इस बातको फुसलानेके लिये कि वह सरकारी नौकर कोई सरकारी काम करे या उसको न करे या सरकारी नौकरीके कारण अपने ओहदेके अनुसार किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके विरुद्ध हो या हिंदुस्थानकी लेजिस्लेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनन्ट गवर्नर या इलाहाबाद यूनीवरसिटीकी सीनेटके किसी मेंबर या किसी सरकारी नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करे या उसका उद्योग करे या किसी मनुष्यसे किसी प्रकारकी घूस इनामकी भांति या फुसलानेके कारण अपने लिये या और किसी मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या प्राप्त करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड य दोनों दंड दिये जावेंगे ।

लेना घूसका किसी सरकारी नौकरका बुरे अथवा अनुचित उपायसे फुसलानेके निमित्त.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१६३) जब कोई मनुष्य अपनी निजी अनुरोध (जाती रुसूख) के काममें लानेसे किसी सरकारी नौकरको इस बातके फुसलानेके लिये कि वह कोई सरकारी काम करे या न करे या अपने ओहदेका काम करते समय सरकारी कामके वर्तनमें किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके विरुद्ध हो या हिंदुस्थानकी लेजिस्लेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनन्ट गवर्नर या सरकारी नौकरीके ओहदेसे किसी सरकारी नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करनेके लिये या उसका उद्योग करनेके लिये किसी मनुष्यसे कुछ घूस इनामकी भांति या फुसलानेके कारण अपने लिये या किसी और मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेमें उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

सरकारी नौकरके साथ जाती दबाव डालनेके लिये कुछ घूस लेना.

उदाहरण ।

कोई वकील जो किसी जजके इजलासमें किसी मुकद्दमेके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर करनेके लिये मेहनताना ले—कोई मनुष्य जो किसी ऐसी अरजीको जिसमें अरजी देनेवालेकी कारगुजारी या अधिकार लिखकर गवर्नमेंटको दिया जायगा लिखे, या उसमें सम्मति दे—कोई अपराधी जिसको दंडकी आज्ञा होचुकीहो उसका कोई मुखत्यार जो मुखत्यारनामा लेकर काम करता है और जो

गवर्नमेंटके सामने इस आशयके बयान करे कि दंडकी आज्ञामें अन्याय हुवा है, ये सब लोग इस दफामें न गिने जांयगे क्योंकि वे न तो अपनी निजी सिफारिशको काममें लाते हैं और न उसे काममें लानेको कहते हैं।

टीप-(१) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(१६४) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है, और उन अपराधोंमेंसे जिनका वर्णन इसके पहिलेकी दो पिछली दफाओंमें कियागया है, कोई अपराध किया जावे और वह उस अपराधमें सहायता करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उस सहायताका दंड जो सरकारी नौकर उन अपराधोंमें करे जिनका वर्णन ऊपर कियागया है.

उदाहरण।

शिवशंकर एक सरकारी नौकर है, उसकी स्त्री हरदेवीने शिवशंकरसे किसी मनुष्यको नौकरी दिलवानेकी प्रार्थना करनेके लिये कहकर लालचकी भांति उस मनुष्यसे कुछ भेंट लेली और यदि शिवशंकर ऐसा करनेमें सहायता करे तो हरदेवी कैदका दंड पावेगी जिसकी मीआद एक वर्षसे अधिक न हो या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे-और शिवशंकर कैदका दंड पावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड पावेगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्र० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(१६५) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है किसी ऐसे मनुष्यसे, जिसको उसकी जानकारीमें किसी ऐसे मुकद्दमे या मामलेसे सम्बन्ध था या सम्बन्ध है या सम्बन्धके होनेका सम्भव है जिसको उस सरकारी नौकरने किया हो या जिसको वह करनेवाला है या जो उस सरकारी नौकर या किसी और सरकारी नौकरके ओहदेसे सम्बन्ध रखता है जिसके कि वह अधीन है या किसी ऐसे मनुष्यसे जिसको वह सरकारी नौकर जानता है कि वह उस मनुष्यसे जिसको उपरोक्त सम्बन्ध है कुछ लगाव रिश्ता रखता है कोई मूल्यवान् वस्तु बिना बदला दिये या ऐसा बदला देनेपर जिसको वह सरकारी नौकर अयोग्य जानता हो अपने लिये या किसी दूसरे मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

सर्व सम्बन्धी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु बिना बदला दिये किसी मनुष्यसे ले जिसका कुछ स्वार्थ उस सरकारी नौकरके किये हुए किसी मुकद्दमें या काममें हो.

उदाहरण।

(क)—शिवशंकर किसी कलेक्टरने एक घर रमाशंकरका जिसका कोई मुकद्दमा बंदोबस्ती उसके सामने दायर था, भाड़ेपर लिया और यह ठहराव हुवा कि शिवशंकर पचास रुपया महीना दिया करेगा—यद्यपि वह घर ऐसा है कि यदि शुद्धभावसे उसका ठहराव किया जाता तो शिवशंकरको दासौ रुपया महीना देना पडता, तो ऐसी अवस्थामें कहा जावेगा कि शिवशंकरने विना पूरा बदला दिये रमाशंकरसे एक मूल्यवान् वस्तु प्राप्त की—

(ख)—शिवशंकरने; कि जो एक जज है रमाशंकरसे जिसका कोई मुकद्दमा शिवशंकरके यहां दायर है गवर्नमेंटका प्रामेसरी नोट जब कि वह उस समय बाजारमें बढ़तीपर बिकते थे बट्टेसे मोल लिया तो शिवशंकरने मूल्यवान् वस्तु विना यथार्थ बदला दिये रमाशंकरसे प्राप्त की।

(ग) शिवशंकरका भाई झूटी गवाही देनेके अपराधमें पकडा जाकर रमाशंकर नाम किसी मजिस्ट्रेटके सामने लायागया, रमाशंकरने शिवशंकरको किसी बंकके हिस्से फिरतेपर बेचे जब कि बाजारमें उन हिस्सोंपर बट्टा लगता था और शिवशंकरने रमाशंकरको उसी अनुसार हिस्सोंका मूल्य चुकादिया तो जो रुपया रमाशंकरने इस भांति प्राप्त किया वह एक मूल्यवान् वस्तु है जो उसने बिना देने यथार्थ बदलेके प्राप्त किया।

टीप—(१) प्रे० म० या म० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) आरंभमें अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—कामताप्रसाद एक अहलकार पोलीसने कुछ रुपया, एक मनुष्यसे जिसके चोरी होगई थी और चोरीके अपराधमें अपराधीको दंड हुआ था और रुपया उस मनुष्य (मुस्तगीस) को देदिया गया था प्राप्त किया—तजवीज हुई कि वह दफा १६१ के अनुसार दंडके योग्य न था, बरन् दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६५ के अनुसार दंडके योग्य था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १ सफा ५३० श्रीमती महारानी बनाम कामताप्रसाद)

(१६९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है कानूनकी किसी आज्ञाका, जिसमें उसके लिये सरकारी नौकरीके भुगतानेका कर्त्तव्य फर्ज है जान-बूझकर उल्लंघन करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात जानकर कि उस उल्लंघनसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे कानूनी आज्ञाका उल्लंघन (इनहराफ) करे.

उदाहरण।

शिवशंकर एक ओहदेदार है जिसको कानूनानुसार किसी डिगरीका रुपया वसूल करनेके लिये जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसने रमाशंकरके पक्षपातमें की है मालकुर्क करनेकी आज्ञा है वह कानूनकी इस आज्ञाका जानें बूझकर उल्लंघन करे इस बातको जानकर कि उस उल्लंघनसे रमाशंकरको हानि पहुँचेगी तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

टीप०(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(१६७) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिनको उस सरकारी नौकरीके कारण कोई लेख (दस्तावेज) बनाने या अनुवाद करनेका अधिकार प्राप्त है, इस प्रकारसे किसी दस्तावेजको बनावे या उसका अनुवाद करे जिसको वह झूठ जानता या झूठ निश्चय करता हो, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना जानकर कि ऐसे वर्त्तावसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूटा लेख (दस्तावेज बनावे.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अपराधीने जो एक गांवका पटवारी है अपने रोजनामचेकी इबारतका एक झूठा उल्था तैयार करके एक दीवानी मुकद्दमेके वादी (मुद्दई) को दिया—इस इबारतका अभिप्राय वादी व दूसरे मनुष्यके मध्यमें कुछ सम्बंध रखता था, अपराधीपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६७ का अपराध कायम करके उसी दफाके अनुसार दंड दिया गया—हाईकोर्टकी तजवीज यह हुई कि अपराधीको बहुत उचित दंड दिया गया है (पंजाब रिकार्ड नं० ३२ सन् १८७२ ई०)

(१६८) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी करनेके कारण व्यापारसे सम्बन्ध न रखना कानूनानुसार उचित है, व्यापारसे सम्बन्ध रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

सरकारी नौकर जो कानूनकी आज्ञाके विरुद्ध व्यापारसे सम्बन्ध रक्खे.

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१६९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी करनेके कारण किसी विशेष वस्तुको मोल न लेना या उसके लिये बोली न बोलना कानूनानुसार उचित है, उस वस्तुको अपने नामसे या किसी दूसरे मनुष्यके नामसे या दूसरोंके संगमें या साझेमें मोल लेगा या उसके लिये बोली बोलेगा तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि यह वस्तु लीगई हो तो जब्त की जायगी ।

सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिपर कोई माल ले या उसके लिये बोली बोले.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

एक सब इन्स्पेक्टर पोलीसपर एक टट्टूके मोल लेनेका अपराध लगाया गया जो किसी कांजीहौसमें कैद कियागया था—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि मजिस्ट्रेटको ऐक्ट नं० १ सन् १८७१ ई० की दफा १९ व दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६९ के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये थी, अपराधीको दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४०६ के अनुसार दंड नहीं होसकता (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ८ सफा १ अपील)

सरकारी नौकर बनना.

(१७०) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकरकी भांति पर किसी विशेष ओहदेपर होनेका बहाना करे यह जानकर कि उसे वह ओहदा प्राप्त नहीं है या झूठ मूठ कोई ऐसा मनुष्य बने जो उस ओहदेपर नियत (कायम) है और इस बनी हुई अवस्थामें उस ओहदेके मिससे कुछ काम करे या किसी कामका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दरतन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

छलछिद्रके अभिप्रायसे सरकारी नौकरकी वरदी पहिरना या चिह्न रखना.

(१७१) जो कोई किसी विशेष प्रकारका सरकारी नौकर न होकर कोई वरदी या चिह्न जो उसी प्रकारके सरकारी नौकरोंकी वरदी या चिह्नके सदृश हो पहने, इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि वह मनुष्य सरकारी नौकरोंके उस दर्जामें गिना जावे—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो सौ रुपयेतक हो सकताहै या दोनों दंड दियेजावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दरतन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

अध्याय दशवाँ १०.

सरकारी नौकरोंके नीतिपूर्वक अधिकारका अपमान करनेके विषयमें,

सरकारी नौकरके जारी किये हुए समन अथवा और किसी आज्ञा पत्रके लेनेसे बचनेके लिये छिप जाना.

(१७२) जो कोई मनुष्य इस लिये छिपजाय कि किसी ऐसे सरकारी नौकरके जारी किये हुए समन या सूचनापत्र (इत्तिलाअनामा) या आज्ञाका उसतक पहुँचना टल जावे जो उस सरकारी नौकरीके कारणसे उस समन या इत्तिलाअनामा या आज्ञाके जारी करनेका कानूनानुसार अधिकारी है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है, या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

या यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या आज्ञा इस प्रकारकी हो कि कोई मनुष्य किसी कोर्टआफजस्टिस (न्यायालय) में स्वयं उपस्थित (हाजिर) हो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे या वहां कोई दस्तावेज पेश करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीना तक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप--(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) सबके पहले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

किसी ऐसे हुक्मनामे (आज्ञापत्र) की कार्रवाईसे बर्त्तनेके अभिप्रायसे, कि जो सचमुचमें जारी नहीं हुवा है. किसी मनुष्यका भागना दफा १७२ दंडसंग्रहके अनुसार अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता, भागनेका अभिप्राय केवल स्थानही बदलनेसे नहीं है बरन उसमें छुप जानाभी सम्मिलित है जब कोई मनुष्य किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामा)के जारी होनेसे पहिले छुपजावे और उसी आज्ञापत्रके जारी होनेके पश्चात् भी वह छुपा रहे तो कहा जावेगा कि वह भागा रहा (ई० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा ३९३।

यदि कोई मनुष्य अपने विरुद्ध वारंटकी कार्रवाईको रोकनेके अभिप्रायसे छुप जावे तो उसका दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७२ के अनुसार अयोग्य है क्योंकि वारंट इत्तिलाअनामा या समन कुछ भी नहीं है बरन वह किसी मुख्य अफसरके यहाँ तामीलके लिये भेजा जाता है न कि उस मनुष्यके यहां कि जिसकी हाजरीकी आवश्यकता है (पश्चिमोत्तर देश रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ३०२)

किसी समन अथवा और प्रकारके हुक्मनामेका जारी होने अथवा प्रगट किये जानेसे रोकना.

(१७३) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी सरकारी नौकरीके कारणसे जो उस सरकारी नौकरको कारणसे उस समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मके जारी करनेका कानूनानुसार अधिकारी है, जारी किये हुए समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मकी कार्रवाई अपनेपर या किसी दूसरे मनुष्य पर होनेसे किसी प्रकार जानबूझकर रोके, या—

जानबूझकर उस समन या इत्तिलाअनामा हुक्मको किसी स्थानपर उचित प्रकारसे चिपकाए जानेको रोके, या—

किसी ऐसे समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मको किसी स्थानसे, जहां वह उचित प्रकार पर चिपकाया गया है, जानबूझकर छुटावै, या—

किसी ऐसे उचित रीतिपर प्रगट किये जाते हुए इश्तिहारको जानबूझकर रोके जो किसी ऐसी सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार हुवा जिसको अपनी सरकारी नौकरीके कारण उस इश्तिहारके प्रगट करनेका कानूनानुसार अधिकार हो, तो—

उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीने तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे, या—

यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या हुक्म या इश्तिहार इस प्रकारका हो कि कोई मनुष्य किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें स्वयं उपस्थित हो या अपने मुख्त्यारको उपस्थित करे या वहां कोई दस्तावेज पेश करे, तो—

उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयातक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—१ किसी मनुष्यका समन पर दस्तखत करनेसे नाहीं करना दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ३४।

२—समन भरपानेकी रसीद देनेसे भी नाहीं करना दफा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६२१)

३—समन लेनेसे नाहीं करना भी दफा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा १९९)

४—बहुत ही थोडा समय व्यतीत हुआ कि, एक मुकद्दमे में कलकत्ता हाईकोर्टने यह तजवीज किया है कि समन पानेकी रसीद पर केवल दस्तखत करनेसे नाहीं करना दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७३ के अनुसार अपराध न होगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८)

सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार हाजिर होनेमें चूकना.

(१७४) जब किसी मनुष्यका जिसपर किसी मुख्य स्थान या समयपर ऐसे समन इत्तिलानामा, या इश्तिहारके अनुसार जो किसी ऐसे सरकारी नौकरकी ओरसे जारी हुवा है कि जिसको अपनी सरकारी नौकरीके कारण जारी करनेका कानूनानुसार अधिकार हो स्वयं या मुख्त्यारके द्वारा उपस्थित होना कानूनानुसार उचित हो और वह मनुष्य उस स्थान या समयपर जानबूझकर उपस्थित होवे या उस स्थानसे जहां कि उसका उपस्थित रहना उचित है, उस समयसे पहिले चलाजाय जब कि उसका वहांसे चलाजाना उचित है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीना तक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो पांचसौ रुपया तक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे। या यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या इश्तिहार इस प्रकारका हो कि कोई मनुष्य कोर्ट आफ जस्टिसमें स्वयं उपस्थित हो या अपने मुख्त्यारको उपस्थित करे, तो साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर जिस पर कानूनानुसार अवश्य है कि कलकत्तेमें सुप्रीम कोर्टके सामने उसी कोर्टके जारी किये हुए सफीनेके अनुसार उपस्थित हो; परन्तु वह जानबूझकर वहां उपस्थित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ख) शिवशंकर जिसपर कानूनानुसार अवश्य है कि किसी जिलाजजके सामने उसी जिला जजके जारी किये हुए समनके अनुसार गवाही देनेको उपस्थित हो, परन्तु वह जानबूझकर वहां उपस्थित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि शिवशंकरने इस दफामें कहा हुआ अपराध किया।

टीप—(१) एक कोई मजिस्ट्रेट (२) (अदम) दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) काबिल जमानत है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

१—जो किसी तहसीलदारने समन किसीके नाम इस अभिप्रायसे जारी किया हो कि वह किसी मौजेकी मर्दुमशुमारी (मनुष्यगणना) का नकशा तैयार करे, यदि वह मनुष्य उसके अनुसार कार्रवाई न करे तो दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७४ में लिखे हुए अपराधका अपराधी नहीं है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३७७)

२—जो समन किसी मनुष्यके उपस्थित होनेको जारी किया जाय उसमें उपस्थित होनेका समय तारीख व स्थान स्पष्ट स्पष्ट लिखा रहना चाहिये यदि इसमें किसी प्रकारकी भूल होगी तो वह मनुष्य उपस्थित न होनेपर उस अपराधका अपराधी नहीं गिना जायगा (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा ७)

३—एक मनुष्य समनके अनुसार वास्ते हाजिरी व जवाब देही मुकद्दमा फौजदारीके मजिस्ट्रेटकी अदालतमें आया, लेकिन वह समनमें लिखे हुए समय पर मजिस्ट्रेटको हाजिर न पाकर, एक उचित समयतक उसको परखे बिना चलागया तो ऐसी अवस्थामें वह दफा १७४ के अपराधका अपराधी होगा । (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १० सफा ९३)

४—जब कोई ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किसी मनुष्यके नाम इस प्रकारका समन जारी करे कि वह उसके सामने एक ऐसे स्थानपर उपस्थित होवे जो देश अङ्गरेजी राज्यके बाहर हो और यदि वह मनुष्य उस समनकी आज्ञाको न माने तो उसके सम्बन्धमें यह न कहा जायगा कि उसने दफा १७४ का अपराध किया । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १६ सफा ४६३)

५—जब दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७४ के अपराधमें दंड हो तो दंड होनेके पहिले इस बातका प्रमाणित होना अवश्य है कि अपराधीने जानबूझकर गैरहाजिरी की (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द १ सफा २०३)

६—म्यूनिसिपल कमिश्नरान कि जो ऐक्ट २६ सन् १८५० के अनुसार नौकर है यद्यपि सरकारी नौकर है, परन्तु इस सरकारी नौकरीमें रहकर भी कानूनानुसार किसीकी हाजिरीके लिये आज्ञा नहीं जारी कर सकते, इस लिये उनकी आज्ञा भङ्ग करनेवाला दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७४ के अपराधका अपराधी नहीं होसकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा ३३ श्रीमती महारानी बनाम पुरुषोत्तमलालजी)

किसी सरकारी नौकरके सामने कोई लेख (दस्तावेज) पेश करनेसे चूकना, किसी ऐसे मनुष्यका जिस पर उसका पेश करना कानूनानुसार उचित है.

(१७५) कोई मनुष्य, जिसको किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकारी नौकरीके ओहदेसे किसी दस्तावेजका पेश करना या उसका उस नौकरको देदेना कानूनानुसार उचित है उपरोक्त दस्तावेजके पेश करने या दे देनेमें जानबूझकर चूक करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांच सौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि वह दस्तावेज किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें पेश किये जाने या दे देनेको हो तो साधारण कैदका

दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

शिवशंकर जिसको किसी जिला कोर्टके सामने किसी दस्तावेजका पेश करना कानूनानुसार उचित है, उपरोक्त दस्तावेजको जानबूझकर पेश करनेमें चूका तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

१—किसी दस्तावेजको पेश करनेके लिये गवाह बुलाया गया वह अदालतमें उपस्थित हुआ परन्तु उसने दस्तावेज न पेश की और शपथके अनुसार (हलफिया) यह बयान किया कि वह मेरे अधिकारमें नहीं है परन्तु इस बयान पर विश्वास न करके अदालतने उसपर दफा १७४ जाब्तादीवानीके अनुसार ७५) रुपया जुर्माना किया—नजीज हुई कि जुर्माना अनुचित रीतिपर वसूल किया गया जाब्ता दीवानीकी दफा १७४ के अनुसार दंड उस अवस्थामें दिया जायगा कि जब कोई गवाह जो समनपर न आवे गिरफ्तार करके अदालतके सामने पेश किया जावे, ऐसे गवाहके लिये जिसके यहां दस्तावेज हो परन्तु पेश न करे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७५ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा ४८० के अनुसार दंड देना चाहिये, परन्तु जब यह प्रमाणित होजावे कि उस अपराधीने झूट कहा—(इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १२ सफा ६३)

२—अदालत हाईकोर्टके सिवाय प्रत्येक अदालत उन मनुष्योंके अपराधोंके मध्ये जो स्वयं उसके सामने किया गया हो केवल ऐसी अवस्थामें विचार कर सकती है जिनसे दफा ४७७ या ४८० या ४८५ जाब्ता फौजदारीका सम्बन्ध है और उन दफोंमेंसे किसी दफाका सम्बंध नहीं है जब कि अपराधी पर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७५ का अपराध लगाया जावे (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा ४२)

(१७६) कोई मनुष्य, जिसपर किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरीके ओहदेसे किसी कामके मध्ये कोई सूचना या समाचार देना कानूनानुसार अवश्य है, उस समय और उस भांतिपर जो कानूनानुसार नियत (मुकर्रर) है वह सूचना देने या समाचार पहुँचानेमें जानबूझकर चूकी करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि वह सूचना या समाचार कि जिसके देनेकी आज्ञा है किसी अपराधके होनेसे सम्बन्ध रक्खे या किसी होनेवाले अपराधकी रोकके लिये या किसी अपराधीको पकडनेके लिये अवश्य हो तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे। (दफा ४० को देखो)

वह मनुष्य सरकारी नौकरको सूचना या समाचार देनेमें चूक करे जिसको सूचना या समाचार देना कानूनानुसार उचित है.

टीप—(१) प्रे० म०, या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं (६) मंजूरी दरकार है ।

(नया मजमूआ जाब्ता फौजदारी, ऐक्ट नं. ५ सन् १८९८ ई० की दफा ४४ व ४५ को देखो जिनमें स्पष्ट लिखा है कि किन किन मनुष्योंको किन किन अपराधोंके मध्ये सूचना या समाचार देना उचित है)

१—(क) दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७६ के अपराधमें इस कारण दंडित हुवा कि उसने जान बूझकर पोलीसको इस बातकी सूचना नहीं दी कि एक इश्तिहारी अपराधी (ब) एक विशेष गाँवमें उपस्थित था—अदालतने (ब) को इश्तिहारी अपराधी मानलिया था क्योंकि यह प्रमाणित होचुका कि (ब) की सब जायदाद (धन) मजमूआ जाब्ता फौजदारीकी दफा ८८ के अभिप्रायानुसार कुर्क की गई थी—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि वादी (मुद्दई) को (ब) अपराधीके सम्बन्धमें इश्तिहारका जारी होना प्रमाणित करना चाहिये था—जिस मनुष्यपर किसी इश्तिहारी अपराधीके किसी विशेष गाँवमें होनेकी सूचना पोलीसको देना कानूनानुसार अवश्य होवे, उसपर फौजदारीका अभियोग (मुकद्दमा) उपरोक्त दफाके अनुसार ऐसी सूचना या समाचार न देनेके मध्ये उस अवस्थामें नहीं चलाना चाहिये कि जब पोलीसको इस घटना (वाकिया) का वृत्तांत पहिलेहीसे ज्ञात होगया हो (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ४३६)

२—जब कई मनुष्योंमेंसे कोई एक, जिनपर पोलीसको सूचना देना मजमूआ जाब्ता फौजदारीकी दफा ४५ के अनुसार अवश्य होवे, अपराध वधके होनेकी सूचना देदेवे, जिसके कारण एक अहलकार पोलीस घटना (वारदात) होजानेके थोडी देर पश्चात् गाँवमें पहुंचा तो ऐसी अवस्थामें शेष दूसरे मनुष्योंपर कि जिनको ऐसी सूचना देना अवश्य था, दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७६ के अपराधका दंड न दिया जावेगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३१६)

झूठा समाचार देना.

(१७७) शुद्ध हुआ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० की दफा ६ के अनुसार कोई मनुष्य जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरीके कारणसे किसी कामके मध्ये समाचार देना कानूनानुसार अवश्य हो, उस कामके मध्ये ऐसा समाचार सचकी भांति दे जिसको वह झूठ जानता हो या झूठ जाननेका कारण रखता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि वह समाचार जिसका देना उस मनुष्यपर कानूनानुसार अवश्य है किसी अपराधसे सम्बन्ध रखता हो या किसी होनेवाले अपराधके रोकके लिये या किसी अपराधीके पकडनेके लिये अवश्य हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । (देखो दफा ४०)

स्पष्टीकरण—दफा १७६ और इस दफामें "अपराध" के शब्दमें प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके बाहर किसी स्थानमें हुवाहो यदि ब्रिटिश इंडियाके भीतर किया जाता तो नीचे लिखी हुई दफोंमेंसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य होता अर्थात्—दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५

४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, व ४६० और "अपराधी" के शब्दमें प्रत्येक ऐसा मनुष्य गिना जायगा जिसके मध्ये किसी वैसे कामका अपराधी होना वर्णन कियागया हो।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर जमींदार अपने गाँवकी सीमाके भीतर ज्ञातघातका अपराध होनेसे जानकार होकर मजिस्ट्रेट जिलाको जान बूझकर यह झूठा समाचार दे कि वह मृत्यु दैवात् सांपके काटनेके कारण हुई—तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ख)—रमाशंकर किसी गांवका चौकीदार यह जानकर कि अनजाने मनुष्योंका एक बडा समूह उसके गांवमेंसे होकर पासहीके स्थानपर रहनेवाले उमाशंकर नामक एक धनवान सौदागरके घरमें डाका डालने गये है और रमाशंकर पर संग्रह बंगालके कानून नं० ३ सन् १८२१ ई० की दफा ७ जिमन ५ के अनुसार सबसे निकट पोलीस स्टेशनके अफ्सरको शीघ्रतापूर्वक और ठीक ठीक इस कामका समाचार देना अवश्य है तो फिर यदि रमाशंकर उस अफ्सर पोलीसको जानबूझकर झूठा समाचार दे कि किसी और प्रकारके मनुष्योंका एक समूह उसके गांवमेंसे होकर किसी दूसरी ओर किसी विशेष स्थानको जो कुछ अंतरसे है डाका डालने गया है, तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफाके पिछले भागमें किया है।

टीप—(१) प्रे० म० म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) जमानत (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

(नोट—संग्रह बंगालका कानून) नं० ३ सन् १८२१ ई० ऐक्ट नं० १७ सन् १८६२ ई० के द्वारा मिटा (मंसूख) दिया गया है।

१—किसी इकरारनामे (प्रतिज्ञापत्र) में, जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारमें रहता हो और उसके अफ्सरके यहां आज्ञानुसार भेजा जाताहो, कोई झूठी लिखावट (इबारत) बनाई जाय तो यह दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७७ के अभिप्रायानुसार अपराधी है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा १४२)

२—एक मनुष्यने पोलीसमें भरती होनेके अभिप्रायसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीसको ऐसा समाचार दिया कि जिसको यह झूठ जानता था तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई अपराध दफा १७७ या १८८ या उद्योग दफा ४१५ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार नहीं किया (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ९७)

३—जिस रोजनामचे (रोजनिशि) का लिखना और अफ्सरके यहां भेजना किसी सरकारी नौकर पर सरकारी आज्ञानुसार अवश्य हो, उसमें उसको झूंठ इबारतका लिखना अपराध दफा १७७ दण्डसंग्रह हिन्दमें गिना जायगा। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा १४४)

४—२२ नवम्बर सन् १८८० ई० को अपराधीने जो एक डिप्टी तहसीलदार था अपने अफसरको अपने अधिकारकी घरतीका झूंठा नकशा भेजदिया और फिर ५ दिसम्बर सन् १८९० ई० को एक झूंठा बयान उसी प्रकारका मालकी तहकीकातमें प्रिन्सिल असिस्टेन्ट कलक्टरके सामने किया—अपराधीको दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७७ के अपराधका दंड दिया गया—हाईकोर्टकी यह

तजवीज हुई कि जब कि अपराधीपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४३ के अभिप्रायानुसार सूचना देना कानूनानुसार अवश्य न था तो उसका दंड अयोग्य है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ४८४)

(नोट—इस नजीरसे मदरास हाईकोर्टकी नजीर जिल्द ४ सफा १४४ की रद्द की गई)

५—एक्ट नं० ५ सन् १८६१ ई० (ऐक्ट पोलीस) के अनुसार प्रत्येक पोलीसके अहलकारको उचित है कि वह अपने ऊपरके अफसरको ऐसे बलवाके होनेकी सूचना कि जो सर्वसाधारणकी कुशलतासे सम्बन्ध रखता हो देवे और अपने रोजनामचेमें उसे लिखे जिसका रखना उसको उपरोक्त ऐक्टकी दफा ४४ के अनुसार उचित है—ऐसे समाचारके देनेमें भूल करना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७७ के अपराधमें गिना जायगा। (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द २१ सफा २०)

६—अपीलकी याददाश्तमें झूंठा बयान करना कोई अपराध, दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७ के अनुसार नहीं है, क्योंकि उपरोक्त याददाश्तपर कानूनानुसार तस्दीक का लिखा जाना अवश्य नहीं है। (पंजाब रिकार्ड नं० १७ सन् १८७९ ई० फौजदारी)

(१७८) जो कोई मनुष्य सच सच बयान करनेके लिये शपथ करने या सच बोलनेकी प्रतिज्ञा करनेसे उस अवस्थामें नाहीं करे जब कि कोई ऐसा सरकारी नौकर उसको शपथ या प्रतिज्ञा करनेकी आज्ञा दे जो शपथ या प्रतिज्ञा करनेके लिये आज्ञा देनेका कानूनानुसार अधिकारी है तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपये तक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

शपथ करनेसे नाहीं करना जब कोई सरकारी नौकर शपथ करनेकी कानूनानुसार आज्ञा दे.

टीप—(१) वह अदालत जिसमें अपराध कियागया या प्रे० म० या० म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी लेनी चाहिये।

(१७९) कोई मनुष्य जिसपर किसी कामके मध्ये किसी सरकारी नौकरसे सच सच कहना उचित हो, किसी ऐसे प्रश्नका उत्तर देनेसे नाहीं करे जो वह सरकारी नौकर अपने कानूनानुसार अधिकारके वर्त्तनेमें उस कामके मध्ये उससे पूछे, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

किसी सरकारी नौकरको, जो प्रश्न करनेका अधिकार रखता है उत्तर देनेसे नाहीं करना.

१—दफा १६५ कानून शहादत (गवाह) ऐक्ट नं० १ सन् १८७२ ई० के अनुसार हाकिमको किसी गवाहसे मुकद्दमेके असम्बन्धी प्रश्नोंके पूछनेका अधिकार है, जब कि वह घटना सम्बंधी गवाही प्राप्त करनेके अभिप्रायसे पूछे; परंतु यदि वह इस विचारसे प्रश्न पूछे कि गवाहके मध्ये फौजदारीकी कार्रवाई की जावे, तो गवाह पर अवश्य नहीं है कि उसका उत्तर देवे और उपरोक्त गवाह ऐसे प्रश्नोंका उत्तर न देनेकी अवस्थामें दफा १७९ दंडसंग्रह हिंदके अपराधका अपराधी नहीं हो सकता। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा १८५)

(१८०) जब कोई मनुष्य अपने किये हुए किसी बयान पर उस अवस्थामें दस्तखत करनेसे नाहीं करे, जब कि कोई सरकारी नौकर, जो उस मनुष्यको उसके उस बयान पर दस्तखत करनेके लिये आज्ञा देनेका कानूनानुसार अधिकारी होवे, उसको उस बयानपर दस्तखत करनेके लिये आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे.

बयान पर दस्तखत करनेसे नाहीं करना.

टीप–(१) वह अदालत जहां अपराध कियागया या प्रे० म० या म०अ० या म० दो० (२) पोलीस विना वारंट न पकडेगी (३) समन (४) काबिल जमानत है (५)राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

मालकी तहकीकातके समय अपराधीने अपने बयान पर दस्तखत करनेसे नाहीं की तो वह उस अपराधमें दण्डित न होगा जिसका दंड हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १९० के अनुसार होसकता है। (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १० सफा १५)

२—समन पानेकी रसीदपर दस्तखत करनेसे नाहीं करना, कोई अपराध दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७३ व १८० में लिखा हुआ नहीं होसकता (इ०ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८)

(१८१) कोई मनुष्य, जिसको शपथ या सच कहनेकी प्रतिज्ञा करनेके अनुसार किसी ऐसे सरकारी नौकर या किसी ऐसे दूसरे मनुष्यके सामने जिसको कानूनानुसार ऐसा शपथ या प्रतिज्ञा करानेका अधिकार है किसी काममें सच सच बयान करना कानूनानुसार अवश्य हो. उस सरकारी नौकर या उस दूसरे मनुष्यसे जिसका ऊपर बयान हुवा है, उस कामके मध्ये कुछ बयान करे जो झूठा हो या जिसको वह झूठा जानता हो वा झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सच्चा निश्चय न करता हो, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

सरकारी नौकर या उस मनुष्यसे, जो शपथ करानेका अधिकार रखता है, शपथ करकेभी झूठ बयान करना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस विना वारंट नहीं पकड सकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५)राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

१—इस मुकद्दमेमें तीन मनुष्योंकी तजवीज जिनमेंसे एक वकील था एक संग की गई और उन्हें दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८१ के अनुसार इस जुर्म पर दियागया कि उन लोगोंने एक तहकीकातमें जो वकीलकी चाल चलनेके मध्ये ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार हुई थी, सच कहनेकी प्रतिज्ञा कर झूंठ कहा तजवीज हुई कि वकीलको दंड देना अयोग्य था क्योंकि उसका बयान सच कहनेकी प्रतिज्ञाकराकर नहीं लेना चाहिये था–यह भी तजवीज हुई कि जो तहकीकात ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार कीगई वह अदालती कार्रवाईमें गिनना चाहिये इसलिये गवाहोंने जो झूंठे बयान किये उनके मध्ये उनपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ के अनुसार अलग अलग अपराधका ठहराना चाहिये। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा २५२)

२— इस मुकद्दमेमें अपराधीने दंडकी आज्ञासे अप्रसन्न होकर अपील हायर की, और अपालकी याददाश्तमें उसने यह झूंटा बयान लिखाया कि दंड देनेवाले मजिस्ट्रेटने उसके गवाहोंको बुलानेसे नाही की—जिस मजिस्ट्रेटके सामने उसकी अपील पेश थी उसने अपीलांटको दरख्वास्तके उपरोक्त बयान पर सच कहनेकी प्रतिज्ञानुसार तसदीक करनेको कहा, और अपीलांटने भी;उसकी कार्रवाईकी तफ्तीश हुई कि अपीलांटने कोई अपराध हिन्दुस्थानके दंडसंग्रह की दफा १८१ या १८२ में लिखे हुए अनुसार नहीं किया। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफा ४५१)

(१८२) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको कोई ऐसा समाचार दे जिसे वह

झूठा समाचार इस अभिप्रायसे देना कि कोई सरकारी नौकर अपना कानूनानुसार अधिकार काममें लावे और उससे दूसरे मनुष्यको हानि पहुँचे.

झूठी जानता या झूठ निश्चय करता हो और उसका यह अभिप्राय होने या इस कामके होनेका सम्भव उसकी जानकारीमें हो कि वह उस उपरोक्त समाचारके द्वारा किसी सरकारी नौकरसे;—

(अ) कोई ऐसा काम करावे या काम करनेकी चूकी करावे जिसका करना या चूकी करना उस सरकारी नौकरको न चाहिये था, यदि उन घटनाओंका सच्चा वृत्तांत, कि जिनके मध्ये वह समाचार दिया गया है, उसे ज्ञात होजाता, या—

(ब) ऐसे सरकारी नौकरके उचित अधिकारोंका वर्ताव किसी मनुष्यको हानि या रंज पहुँचानेके अभिप्रायसे, करावे—

तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने एक मजिस्ट्रेटको यह समाचार दिया कि रमाशंकर, जो अहलकार पोलीस है और उस मजिस्ट्रेटके अधीन है,अपने काममें असावधानी और कुचालका अपराधी है यह जानकर कि वह समाचार झूंटा है और यह जानकर कि उस समाचारके कारणसे संभव है कि उपरोक्त मजिस्ट्रेट रमाशंकरको नौकरीसे निकाल देगा ऐसी अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें कियागया है।

(ख)—शिवशंकरने यह बात जानकर कि यह समाचार झूंठा है और इससे रमाशंकरके घरकी तलाशी होना तथा उसे कष्ट पहुँचना अति सम्भवित है, किसी सरकारी नौकरको समाचार दिया कि रमाशंकरने एक गुप्त घरमें चोरीका नमक रक्खा है, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ग) यदि शिवशंकर किसी पोलीसके अहलकारको यह झूंटा समाचार दे कि एक विशेष गांवके पड़ोसमें उसपर आक्रमण और जोरी (सरका बिलजब्र) हुई और आक्रमण करनेवालोंमेंसे किसीका नाम न ले, परंतु वह जानता है कि इस समाचारके अनुसार सम्भव है कि पोलीस

तहकीकात करके गाँववालोंकी तलाशी लेगी और उनमेंसे किसी किसी को कष्ट पहुँचेगा; तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका करनेवाला ठहराया जावेगा; जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

टीप—(१) म० अ० या म० दी० या प्रे० म० (२) पोलीस विना वारंट नहीं पकड़ सकती (३) समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

१—अपराधी जो बयान अपनी सफाई (बचत) में लिखवाये वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १८२ के अभिप्रायानुसार "समाचार कि जो सरकारी नोकरको दियागया" न समझा जावेगा (पश्चिमोत्तर देश रिपोर्ट जिल्द २ सफा १२८)

२—दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८२ उस अवस्थामें लागू (सम्बन्ध) न होगी जब कि वह सरकारी नौकर कि जिसे झूंठा समाचार दियागया है, उपरोक्त समाचार किसी दूसरे अफसरके नाम केवल भेज देनेका अधिकारी हो और जो उचित अधिकार उसको प्राप्त है उसके वर्त्तनेसे किसी ऐसे मनुष्यको तत्कालही क्लेश या हानि नहीं पहुँच सकती है, जिसके विरुद्ध वह सूचना दीगई हो (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २४१)

३—मुहतीमम जंगल अर्थात् जंगलका अफसर एक ऐसा सरकारी नौकर है जिसको झूठा समाचार देना इस दफाके अनुसार दंड योग्य है चाहे वह समाचार स्वयंही कोई मनुष्य देवे चाहे उन प्रश्नोंके उत्तर द्वारा उस समाचारको प्रगट करे कि जो उस अफसरने उससे किये हों (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा १२४)

४—अहीरकी जातिका एक मनुष्य जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलसकती थी, अपने आपको जाट बताकर सेनामें नौकर होगया, हाईकोर्टकी तजवीज यह हुई कि वह इसी दफाके अनुसार अपराधी है न कि हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४१९ के अनुसार (पंजाब रिकार्ड फौजदारी नं० १४ सन् १८८० ई०)

५—जब कोई मनुष्य किसी विशेष रीति पर इस बातकी फरियाद पेश करे कि किसी दूसरे मनुष्यने अपराध किया है—और फरियाद (इस्तगासा) (अभियोग) दायर करनेवालेका अभिप्राय उस मनुष्यको हानि पहुँचानेका हो, तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ के अपराधका अपराधी होगा न कि दफा १८२ के अपराधका (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ७ सफा १८४)

६—जिलेके कलक्टर साहबको झूठी सूचना इस बातकी दीगई कि कुछ जमींदारोंने बल-पूर्वक सरकारी धरतीमें अधिकार करलिया है इस अभिप्रायसे कि उन जमींदारोंको कष्ट होवे और सरकारी नौकरोंका समय व्यर्थ व्यतीत होवे—तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दंड-संग्रहकी दफा १८२ का अपराध उस मनुष्यने नहीं किया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ४ सफा ४९८)

७—(क) ने दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे पोलीसको यह सूचना दी कि (ख) ने उसके घरसे माल चुराया था, इसलिये पोलीसने (ख) के घरकी तलाशी ली, और उपरोक्त सूचना झूंठ साबित हुई—तजवीज हुई कि (क) ने (ख) के विरुद्ध फौजदारीकी कार्रवाई की थी, इसलिये

यह दफा २११ के अपराधका अपराधी हुवा था न कि दफा १८२ के अपराधका । (पंजाब रिकार्ड नं० १६ सन् १८७० ई०)

८—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ के अपराधमें दफा १३२ का अपराध गिना जायगा; इसलिये मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि उन दफोंमेंसे किसी दफाके अनुसार बर्त्ताव करे, यद्यपि उन अभियोगोंमें जो बहुतही गुरुतर (संगीन, भारी) है, दफा २११ का ही बर्त्ताव करना उचित है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा १८४)

९—बलदेवने बस्तीपुर पोलीसमें प्रकृतिविरुद्ध काम करनेका अपराध लगाया और फिर वही फरियाद (इस्तगासा) मजिस्ट्रेटके सामने दायर की-जो तहकीकात होनेके उपरान्त झूठी प्रमाणित हुई और अपराधी छोड़ दिया गया और बलदेवको दफा १८२ के अपराधमें दंड हुवा तजवीज हुई कि बलदेवके मथ्ये दंडकी आज्ञा जो दफा १८२ के अपराधमें हुई है, अनुचित है, क्योंकि उपरोक्त दफाका सम्बन्ध सरकारी नौकरके साथ सीमाबद्ध था, बलदेवकी तजवीज दफा २११ के अपराधमें होनी चाहिये थी । (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अगस्त सन् १८८२ ई० सफा १७८)

किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार मालके लिये जानेमें सामना करना.

(१८३ (यदि कोई मनुष्य किसी मालके लिये जानेमें, जो किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार लिया जाता हो, किसी प्रकारकी रोक टोक करे यह जानकर या यह निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह ऐसाही सरकारी नौकर है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद छः महीना तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या० म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस विना वारंट नहीं गिरफ्तार कर सकती (३) समन जारी होगा (४) काबिल जमानत (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

१—एक मनुष्यको दफा १८३ के अनुसार इस बातपर दंड दिया गया कि उसने सरकारी नौकरको किसी मालकी कुर्की करनेसे रोका-यह अपराध ४ फरवरी सन् १८८३ ई० को किया गया, परन्तु वारंटके वापसी की तारीख, कि जिसके अधिकारसे सरकारी नौकरने रुक्न कार्रवाई की वही थी या उसके एक दिन पहिले की थी, तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीका दंड अयोग्य है, क्योंकि जिस तारीखको रोक टोक की गई, उस तारीखको कुर्की करनेकी कानूनानुसार आज्ञा न थी और उस समय वारंटकी अवधि (मियाद) बीत चुकी थी (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा १८)

२-जब कोई बेलिफ (अमीन) कुर्की करनेवाला अथवा किसी डिक्रीके इजरायमें कोई माल कुर्क करे और वह मनुष्य कि जिसका माल है केवल यह कहे कि जबतक बेलिफ उपरोक्त मालके मध्ये यह न लिखले कि वह उसका माल है तबतक वह (मालका स्वामी) बेलिफको उप-

रोक्त मालके ले जानेसे रोकेगा—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि इस प्रकार जबानी बयान दंड संग्रह हिंदकी दफा १८३ के अपराधकी सीमा तक नहीं पहुँचता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा ५६४)

किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके कानूनानुसार अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो रोक टोक करना.

(१८४) जो कोई मनुष्य, किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके कानूनानुसार अधिकारके अनुसार नीलामपर चढाया गया हो जानबूझकर रोक टोक करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पाँचसौ रुपयातक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दर्जा दोयम् (२) पोलिस विना वारंट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन (४) अपराध जमानतके योग्य है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

कोई माल जो सरकारी नौकरके अधिकारानुसार नीलाम पर चढाया गया हो कानूनविरुद्ध मोल लेना या उसके लिये बोली बोलना.

(१८५) जो कोई मनुष्य किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारानुसार आज्ञासे होता हो, किसी मनुष्यके लिये (चाहे वह स्वयंही हो या कोई दूसरा,) कोई माल मोल ले या उसके लिये बोली बोले यह जानकर कि उस मनुष्यको उस उपरोक्त मालके मोल लेनेका कानूनानुसार अधिकार नहीं है, या उस मालपर बोली बोले और उन नियमोंके पूरे करनेका अभिप्राय न हो, जो उस बोली बोलनेसे उसपर ठहरेंगे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता । (६) मंजूरी दरकार है ।

जब कोई मजिस्ट्रेट किसी मालको नीलाम कर रहा है और यदि कोई मनुष्य ऐसे नीलाममें बोली बोले और उसके नियमोंको पूरा न करसके, तो उपरोक्त मनुष्य सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अपमान करनेका अपराधी दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८५ के अनुसार होगा ।

सरकारी नौकरीका काम करनेमें सरकारी नौकरीकी रोक टोक करना.

(१८६) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका काम भुगतानेमें जानबूझकर रोकेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट नहीं पकड सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी सरकार है ।

(१) झूटा समाचार प्रसिद्ध करना और मनुष्योंको अपने बच्चोंको टीका लगानेवाले सरकारी नौकरके हाथ टीका लगवानेसे रोकना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८६ का कोई अपराध नहीं है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा ९३)

(२) किसी सरकारी नौकरकी उचित चौकसीसे किसी मनुष्यका भागजाना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा १३४) व गाडीके स्वामीका किसी सरकारी नौकरको अपनी गाडी किरायापर देनेसे नाही करना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ९ सफा १६५) व किसी सरकारी क्लर्कसे बिना रुपया दिये रसीद ले लेना (पश्चिमोत्तर देश हाईकोर्ट रिपोर्ट सन् १८६३ ई० सफा ६३) और किसी सरकारी नौकरके साथ अपने खेतकी माप करानेके लिये जानेसे नाहीं करना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ५१) दफा १८५ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार अपराधमें नहीं है ।

(३) साहब जज जिलाने किसी अभियोगमें जो उनके सामने पेश था, एक प्रतिवादी (मुद्दआअलेह) का घर ढुँढवा करके कुछ माल अदालतमें लानेकी आज्ञा दी, और इस आज्ञाको पूरा करनेके लिये एक मनुष्यको नियत किया-वह मनुष्य घर पर गया, परन्तु उपरोक्त प्रतिवादीने अपने घरके किवाड भीतरसे बंद करलिये और स्वयंभी भीतर होरहा—बहुतसे मनुष्य वहां इकट्ठा होगये बलपूर्वक घरका ढुँढना भी असम्भव था-इस घटनापर प्रतिवादीपर दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८६ का अपराध लगायागया और इसी दफाके अनुसार उसे दंड दिया गया-हाईकोर्टकी रायमें इस घटनाके अनुसार कोई अपराध दंडसंग्रह हिंदके अनुसार नहीं उत्पन्न हो सकता (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा २२१)

(४) जिस मनुष्यको, कलक्टर दफा ६९ एक्ट काश्तकारी बंगालके अनुसार जमींदार व काश्तकारको फसलका बटवारा करनेके लिये नियत करे वह दफा१८६ के अभिप्रायानुसार सरकारी नहीं है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १८ सफा ५१८)

(५) नाजिरको अधिकार है कि वह गिरफ्तारीका वारंट उसकी कार्रवाईके लिये किसी चपरासीको दे दे-जिस चपरासीको समर्पित उपरोक्त वारंट किया जाये वह दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २१ जिमन ४ के अभिप्रायानुसार सरकारी नौकर समझा जावेगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २२ सफा ७५९)

(६) अपराधीका लडका घरसे निकल भागा और एक पोलीसकी चौकीपर जो थानेके निकट थी मिला और चौकीदारके साथ थानेपर भेजदिया गया-राहमें चौकीदारको अपराधी मिला और उसने अपना लडका चौकीदारसे मांगा, परंतु चौकीदारने न दिया, और जब चौकीदार उसको थानेके भीतर लेजाने लगा, तब अपराधी उसको छीन ले गया और चौकीदारको भी भला बुरा कहा-तजवीज हुई कि अपराधीने वास्तवमें ही दफा १८६ का अपराध किया (वीकली नोटिस इलाहाबाद किताब माह जुलाई सन् १८८३ ई० सफा १७०)

किसी सरकारी नौकरको सहायता देनेसे चूकना, जब कि सहायता देना कानूनानुसार अवश्य हो.

(१८७) जब कोई मनुष्य, जिसपर किसी सरकारी नौकरको उसके सरकारी कामके करनेमें सहायता देना या पहुँचाना कानूनानुसार अवश्य हो, जानबूझकर ऐसी सहायता देनेमें चूक करे, तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो दोसौ रुपयातक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे—

और यदि ऐसी सहायता उस मनुष्यसे किसी सरकारी नौकरने मांगी हो जो ऐसी सहायता मांगनेका कानूनानुसार अधिकारी है, करने कार्रवाई किसी हुक्मनामेके जिसे किसी कोर्ट आफ जस्टिसने उचित रीतिपर जारी किया हो, या किसी अपराधके होनेको रोकने या किसी बलवा या लडाईको दबा देनेके लिये या किसी ऐसे मनुष्यको पकडनेके लिये जिस पर कोई अपराध लगाया गया हो, या जो किसी अपराधका या उचित चौकसीसे भाग जानेका अपराधी ठहराया गया हो, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

१—मजिस्ट्रेटने जमींदारको यह आज्ञा दी कि पन्द्रह दिनके भीतर चोरीका पता लगावो और पोलीसको सहायता दो—तजवीज हुई कि उपरोक्त आज्ञा अनुचित थी, इसलिये जमींदार दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८७ व १८८ के अपराधका अपराधी नहीं है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा २०१)

२—ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके अनुसार किसी मालगुजार (जिमींदार) पर अहलकार पोलीसको मरे हुए मनुष्यकी लाश गडानेमें सहायता देना उचित होवे। (मध्यप्रदेश इ० ला० रि० जिल्द ६ सफा ५ फौजदारी)

किसी आज्ञाका जो किसी सरकारी नौकरने कानूनानुसार प्रगट की हो.

(१८८) जो कोई मनुष्य यह बात जानबूझकर कि मुझको, किसी सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार जो कानूनानुसार उस आज्ञाके देने अथवा प्रसिद्ध करनेका अधिकारी है, कोई काम करना वर्जित है अथवा किसी वस्तुके मध्ये जो मेरे अधिकार अथवा प्रबन्धमें है, कोई मुख्य प्रबन्ध करनेकी आज्ञा है उस आज्ञाको न मानेगा, तो—

यदि ऐसी आज्ञाभंगसे उन मनुष्योंको जो किसी नीतिपूर्वक (जायज) काममें लगे हुए है, रोकटोक या क्लेश या हानि या रोकटोक, क्लेश या हानिका डर पहुँचे या पहुँचनेवाला हो,

तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयातक होसकताहै या दोनों दण्ड दिये जावेंगे. और, यदि ऐसी आज्ञाभंगसे मनुष्यके प्राण या आरोग्यता या कुशलताको हानि पहुँचे या पहुँचनेकी ओर झुकती हो या बलवा या लडाई (हंगामा) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेकी ओर झुके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक हो सक्ता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे.

स्पष्टीकरण–यह अवश्य नहीं है कि अपराधीका अभिप्राय हानि पहुंचानेकाही हो या वह यह जानताही हो कि इस आज्ञाभंगसे हानि उत्पन्न होगी, बरन इतनाही बहुत है कि वह उस आज्ञाको जानता हो जिसको वह भंग करता है और यह कि उसका न मानना हानि उत्पन्न करता है या उससे हानि उत्पन्न होनेका भय है.

उदाहरण ।

कोई आज्ञा किसी सरकारी नौकरकी ओरसे जो कानूनानुसार ऐसी आज्ञाके प्रसिद्ध करानेका अधिकारी है, इस प्रकारकी प्रसिद्ध कराई गई कि कोई मजहबी (मतका) जलूस किसी विशेष गलीसे होकर न निकले, यदि शिवशंकर जान बूझकर इस आज्ञाको न माने और इसके कारणसे बलवेका भय उत्पन्न करे, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है । (६) मंजूरी दरकार है ।

(इस दफा १८८ को मजमूआजाब्ता फौजदारीकी दफा १३३ से १४४ तकके साथ पढना चाहिये) ।

१–उमरा १ बछिया चुरानेके अपराधमें दंडित हुवा, मूलाने चोरीकी बछिया अपराधी नं० १ से मोल ली, परन्तु उसको डिप्टी कमिश्नरने यह आज्ञा दी कि बछिया मोल लेनेकी सूचना थानेमें दे देना, परन्तु मूलाने ऐसी सूचना नहीं दी, इसलिये उसे दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८८ के अपराधमें दंड दिया गया हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि मूलाने उपरोक्त दफामें दिखा हुवा अपराध नहीं किया, क्योंकि जो आज्ञा डिप्टी कमिश्नरने दी उसके देनेका अधिकार कानूनानुसार उन्हें न था (पंजाब रिकार्ड नं० १७ सन् १८६९ ई०)

२–यदि ऐसी आज्ञा दी है कि जिसके देनेका अधिकार उस सरकारी नौकरको नहीं है कि जिसने आज्ञा दी है तो उसका न मानना इस दफा १८८ के अनुसार अपराध होगा जैसे—

(१) किसी मजिस्ट्रेटको अधिकार नहीं है कि किसी मनुष्यके माल नीलाम किये जानेकी आज्ञा दे ।

(२) किसी नम्बरदार व जमीनदारको किसी मुकद्दमेका पता लगाने और पोलीसको सहायता देनेकी आज्ञा दे (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा २०१)

(३) यह आज्ञा दे कि प्रत्येक मनुष्य जो माल मोल लेवे थानेमें उसकी सूचना दे (पञ्जाब रिकार्ड नं० १० फौजदारी) या;

(४) यह कि कोई मनुष्य अपने घरसे गांवके नंबरदार या पोलीसको बिना सूचना दिये न जावे (पंजाब रिकार्ड नं० १२ सन् १८६८ ई० फौजदारी) या,

(५) यह कि कसाई लोग गोश्तको बेंचनेके लिये खुला न रक्खें (पंजाब रिकार्ड नं० १३ सन् १८७२ ई०)

(६) और न लेफ्टनन्ट गवर्नरको यह आज्ञा देनेका अधिकार है कि किसी सड़कके किसी विशेष भागपर गाडियां न चलाई जावें (पंजाब रिकार्ड नं० ८ सन् १८७३ ई०)

३— मजिस्ट्रेटने एक ऐसी आज्ञा प्रसिद्ध की कि—"चौपायोंके स्वामी उनकी उचित रक्षा करें. यदि वह आज्ञाभङ्ग करेंगे तो उन्हे कानूनानुसार दंड दिया जावेगा—" और कुछ मनुष्योंको दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८८ के अनुसार आज्ञाभंगके अपराधमें दंड भी दिया—तजवीज हुई कि दफा ६२ जाब्ता फौजदारीके अनुसार मजिस्ट्रेटको ऐसी सर्व साधारण आज्ञाके देनेका अधिकार न था, इस लिये अपराधियोंको दफा १८८ के अनुसार दंड देना कानूनविरुद्ध था (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ४५)

४—मजिस्ट्रेटको दफा ६२ ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० व दफा १४४ ऐक्ट ११० सन् १८८२ ई० के अनुसार अधिकार है कि किसी विशेष मनुष्यको विशेष स्थानपर विशेष दिनके लिये जानेको वर्जित करदे यदि उसको दृढ विश्वास हो जावे कि ऐसी आज्ञासे बलवे या हंगामेका होना अवश्यही रुक जावेगा (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द १० सफा ४३४)

सरकारी नौकरको हानि पहुँचानेकी धमकी देना.

(१८९) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको या उस मनुष्यको जिसके मध्ये वह निश्चय करता हो कि उस सरकारी नौकरको वैसे मनुष्यसे अभिप्राय है, इसलिये हानि पहुँचानेको कि जिससे उस सरकारी नौकरको किसी ऐसे कामके करने या न करने या देरीसे करनेके लिये कि जिसका सम्बन्ध उस सरकारी नौकरसे है धमकावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो साल तक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलिस बिना वारंट नहीं गिरफ्तार कर सकती (३) समन अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं हो सकता ।

१—साहब जजकी तजवीज इस बातमें अयोग्य थी कि उन यथार्थ शब्दोंके दरियाफ्त करनेकी आवश्यकता नहीं कि जिनको अपराधीने वास्तवमें कहा कि जिस समय उसने सरकारी नौकरको धमकी दी थी, बरन इसके विरुद्ध इस बातकी आवश्यकता थी कि अपराधीके यथार्थ यथार्थ शब्द अदालतके सामने प्रगट किये जाते जिससे अदालतको उस बातकी खोजका अवसर मिलता कि यथार्थमेंही अपराधीने सरकारी नौकरको दुःख पहुँचानेकी धमकी दी या नहीं । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफा ३८०)

(१९०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे हानि पहुँचानेकी धमकी दे कि वह किसी हानिसे रक्षा किये जानेके लिये किसी ऐसे सरकारी नौकरके यहां कानूनानुसार प्रार्थनापत्र (दरख्वास्त) न देवे या देनेसे रुक रहे, जो उस सरकारी नौकरीके कारण ऐसी रक्षा करने वा करानेका कानूनानुसार अधिकारी हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

हानि पहुँचानेकी धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरसे रक्षा मांगनेसे रुकजाय.

अध्याय ग्यारहवाँ ११.

—:○:○:○:—

झूठी गवाही और सर्व साधारण न्यायके विरुद्ध अपराधोंके बयानमें ।

(१९१) कोई मनुष्य जिसपर कानूनानुसार, शपथके अनुसार या कानूनकी किसी विशेष आशासे सच सच बयान करना या कानूनके अनुसार किसी कामके मध्ये कुछ बयान करना अवश्य हो, कोई ऐसा बयान करे जो झूठा हो और जिसको वह झूठा जानता हो चाहे झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सच्चा न निश्चय करता हो, तो कहा जायगा कि उसने झूंठी गवाही दी.

झूठी गवाही देना.

स्पष्टीकरण—१ प्रत्येक बयान इस दफाके अभिप्रायमें गिना जायगा, चाहे वह जबानसे किया जाय या और प्रकार पर,

स्पष्टीकरण—२ कोई झूठा बयान जो तसदीक (निश्चय) करनेवाला मनुष्य अपनी जानकारी (दानिस्त) के मध्ये करे, इस दफाके अभिप्रायमें गिना जायगा और जैसे कि कोई मनुष्य यह बयान करनेसे कि मैं अमुक (फलानी) बात जानताहूँ, जिसको वह नहीं जानता है झूंठी गवाही देनेका अपराधी है वैसेही वह मनुष्य भी झूठी गवाही देनेका अपराधी होसकता है जो बयान करे कि मै अमुक बातको निश्चय करता हूं, जिसे वह निश्चय न करता हो ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशंकर, एक उचित दावेके अनुमोदन (ताईद) में जो रमाशंकर एक हजार रुपयेके मध्ये उमाशंकरपर रखता हो, मुकद्दमेकी पेशीके समय झूठी शपथ करे कि मेरे सामने उमाशंकरने रमाशंकरके दावेके उचित होनेको स्वीकार किया है, तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकरने झूठी गवाही दी ।

(ख)—शिवशंकर कि जिसपर एक शपथके अनुसार सच सच बयान करना अवश्य है, यह बयान करे कि मैं निश्चय करता हूं कि अमुक (फलाने) दस्तखत रमाशंकरके हाथके लिखे हुए हैं, जब कि वह उस दस्तखतको रमाशंकरके हाथके लिखे हुए निश्चय नहीं करता है, तो इस अवस्थामें शिवशंकरने वह बयान किया, जिसको वह झूठा जानता है और इस लिये उसने झूठी गवाही दी ।

(ग)-शिवशंकर जो रमाशंकरकी लिखावटकी बनावट पहिचानता है, यह बयान करे कि मैं जानता हूं कि अमुक दस्तखत रमाशंकरके हाथके लिखे हुए हैं, शुद्धभावसे ऐसाही जानता है तो इस अवस्थामें शिवशंकरका बयान केवल अपनी जानकारी (दानिस्त) के मध्ये है और वह उसकी जानकारीके मध्ये सच्चा है और इसलिये शिवशंकरने झूठी गवाही नहीं दी, चाहे वह दस्तखत रमाशंकरके हाथके लिखे न हों।

(घ)-शिवशंकर जिसपर एक शपथके अनुसार सच सच बयान करना उचित है, यह बयान करे कि मैं जानता हूं कि रमाशंकर अमुक दिन अमुक स्थानपर उपस्थित था, यद्यपि वह इस कामके मध्ये कुछ न जानता हो, तो शिवशंकरने झूठी गवाही दी. चाहे रमाशंकर उस दिन उस स्थानपर उपस्थित था या न था।

(च)-शिवशंकर उल्था करनेवाला या अनुवादक (मुतरजिम) है, जिसपर शपथके अनुसार अवश्य है कि किसी बयान या लिखतमें (लेख दस्तावेज) का जबानी या लिखा हुवा सच्चा अनुवाद करे और वह यदि जबानी या लिखा हुवा झूठ अनुवाद (तर्जुमा) करे या उसकी तसदीक करे जो सच्चा न हो और जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करता हो, तो शिवशंकरने झूठी गवाही दी।

१-कैदीने एक पहिले मुकद्दमेमें जो बयान मजिस्ट्रेटके सामने किया था, उसके विरुद्ध दूसरा बयान सेशन जजके सामने किया, इसलिये उसपर मजिस्ट्रेट या सेशन जजके सामने झूठी गवाही देनेका अपराध प्रमाणित हुवा-तजवीज हुई कि उपरोक्त आज्ञा सही थी और जो गवाही शेशन जजने ली थी मजिस्ट्रेटके सामने झूठी गवाही देनेके अपराधका पूरा प्रमाण थी (बंगाल लापोर्ट सफा ५२१)

२-जो मनुष्य दफा ११८ व १७९ ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० के अनुसार पुलीसके प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये जो सूचनाके मध्ये हों बुलाये जावें उनपर झूठी गवाही देनेका अपराध प्रमाणित नहीं होसकता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा १२१)

३-साहब मजिस्ट्रेट दर्जा तीसरे (सोयम) ने जो बयान दफा १६४ मजमूआजाब्ता फौजदारीके अनुसार लिये हों, तो उपरोक्त मजिस्ट्रेटको ऐसे बयान लेनेका अधिकार न होनेके कारण उस बयान देनेवाले पर दंडसंग्रह हिंदुस्थानकी दफा १९१ व १९३ का अपराध प्रमाणित नहीं होसकता (इ० ला० रि० बंबई जिल्द ११ सफा ५०२)

४-जानबूझकर झूठी गवाही देना उस अवस्थामें भी अपराध होसकता है कि जब गवाहसे शपथ या प्रतिज्ञा न कराई जाय (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३५५)

झूठी गवाही बनाना.

(१९२) जो कोई मनुष्य कोई सूरत (अवस्था) उत्पन्न करे या किसी किताब या सरिस्तेके कागजमें कोई झूठी लिखावट बनावे या कोई दस्तावेज जिसमें कोई झूठा बयान लिखा हो बयान इस अभिप्रायसे कि वह सूरत या झूठी लिखावट या झूठा बयान अदालतकी किसी कार्रवाईमें या किसी कार्रवाई में जो कानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके सामने या किसी सालस (प्रतिद्वंद्वी) के सामने होरही हो प्रमाण (सबूत) की भाँति पेश होसके और इस अभिप्रायसे कि वह सूरत या झूठी लिखावट या झूठा बयान जो इस प्रकार प्रमाणके कारणमें पेश होसके, किसी

ऐसे मनुष्यको जो उस कार्रवाईमें प्रमाणके कारण (वजह सबूत) के मध्ये राय लगाऐगा किसी कामके मध्ये जो उस कार्रवाईके फलके लिये आवश्यक झूठी रायके पहुँचानेका कारण होसके तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने झूठी गवाही बनाई ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर, रमाशंकरकी किसी संदूकमें इस अभिप्रायसे कुछ गहना रखदे कि वह गहना उस संदूकसे निकले, और यह सूरत रमाशंकरको चोरीका अपराधी प्रमाणित करावे, तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई ।

(ख) शिवशंकर अपनी दूकानके बही खातेमें इस अभिप्रायसे कोई झूटी लिखावट बनाये कि वह उसको किसी अदालतमें प्रमाणकी भाँति पक्षपातीमें काम लाए, तो शिवशंकरने झूटी गवाही बनाई ।

(ग)–शिवशंकर इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरको विचार संयुक्त अपराधका अपराधी ठहराये इस प्रकार एक चिट्ठी लिखे कि उसमें रमाशंकरके लिखनेमें अपना लिखना मिलावे और वह चिट्ठी उस विचार संयुक्त अपराधके किसी साझीके नाम जानी जाय और उस चिट्ठीको ऐसे स्थान पर रक्खे जहां वह जानता हो कि पोलीसके ओहदेदार उसकी अवश्यही खोज करलेंगे । तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई ।

१–जब तारीख दस्तावेज कि जो दूसरी प्रकारपर रजिष्टरीके लिये पेश नहीं होसकती थी, रजिष्टरी करा पानेके अभिप्रायसे बदली गई, तो वह जालका अपराध नहीं है जबतक कि कोई प्रमाण इस बातका न हो कि उपरोक्त काम बद दियानतीसे या छलछिद्रकी राहसे दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ४६४ जिमन २ के अभिप्रायानुसार किया गया, परन्तु गवाहीका अपराध दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १९२ के अभिप्रायानुसार है।(इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४९२)

२–अपराधीने जो एक वकील था, मुंसिफ जिलाकी अदालतमें एक वकालतनामा पेश किया, जिसपर एक दीवानीके मुकद्दमेमें प्रतिवादी (मुद्दआअलेह) के दस्तखत थे और जिसके द्वारा अपराधीको प्रतिवादीकी ओरसे पैरवी करनेकी आज्ञा दी गई–वकालतनामामें यह झूठ लिखा था कि वह उस गाँवके अधिकारीके सामने लिखा गया है और उस पर अधिकारीके दस्तखत भी पाये जाते थे–अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १९३ के अपराधमें दंड दिया गया–हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि ऐसा मुकद्दमा इस दफाके अभिप्रायमें नहीं आता है और इसलिये अपराधी दंडके अयोग्य है (मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ३७३)

३–किसी अपराधीका अपनी सफाईके लिये झूठी गवाही बनाना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके दफा १९२ के अनुसार अपराधमें गिना जायगा (पंजाब रिकार्ड नं० १० सन् १८८० ई०)

झूटी गवाहीका दंड.

(१९३) जो कोई मनुष्य अदालती कार्रवाईकी किसी अवस्था (हालत) में जानबूझकर झूठी गवाही दे या इस अभिप्रायसे झूठी गवाही बनाये कि वह अदालतको किसी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें काममें लाई जाए; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा–

और जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी और अवस्थामें झूठी गवाही दे या बनावे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीनवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण–१ जो कोई अभियोग किसी कोर्ट मारशलमें उपस्थित हो, उसकी जांच और तजवीज अदालतकी एक कार्रवाई है ।

स्पष्टीकरण–२ किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूरकी कार्रवाईसे पहले जिस जांच(तहकीकात) के मध्ये कानूनानुसार आज्ञा हो, वह जांच अदालती कार्रवाईकी एक अवस्था है, चाहे वह जांच किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूरमें न हुई हो ।

उदाहरण ।

शिवशंकर किसी जांचमें जो मजिस्ट्रेटके सामने इस अभिप्रायसे होरही हो कि रमाशंकर विचार (तजवीज) के लिये सेशनमें सिपुर्द कियाजाय या नहीं, शपथसे कुछ बयान करे, जिसको वह झूठा जानता हो, तो जो कि यह जांच (तहकीकात) अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है, इसलिये शिवशंकरने झूठी गवाही दी ।

स्पष्टीकरण–३ कोई जांच जिसके लिये कानूनके अनुसार किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी ओरसे अनुरोध हो, और जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी आज्ञाके अनुसार वक्तोंमें आवे, अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है, चाहे वह जांच किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूरमें न हुई हो ।

उदाहरण ।

शिवशंकर एक जांचमें किसी अहलकारके सामने जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी ओरसे किसी खेतकी सीमा दरियाफ्त करनेके लिये नियत हुआ हो शपथके अनुसार कुछ बयान करे, जिसको वह झूठा जानता हो, तो जो कि यह जांच अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है, तो शिवशंकरने झूठी गवाही दी ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या० म० अ० (२) पोलिस दरतन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

१–अपराधी दफा १९३ के अनुसार झूठी गवाही बनानेके अपराधमें व दफा ४१४ दंड-संग्रह हिंदके अनुसार चोरीका माल छिपानेके अपराधमें अर्थात् दोनों अपराधोंमें अलग अलग दंड पासकता है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३७९)

२–(क) ने (ख) को बहँकाया कि वह स्टाम्पका कागज (ग) के नामसे लेवे–इस लिये स्टाम्प बेचनेवालेने स्टाम्पके कागज पर (ग) के नाम कागजका बेचना लिखा और यह कार्रवाई (क) ने इस अभिप्रायसे की कि उपरोक्त कागजको अदालत दीवानीमें (ग) के विरुद्ध किसी मुकद्दमेमें काम लावे, तजवीज हुई कि अपराध झूठी गवाही बनानेका उसपर प्रमाणित हुआ (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ४ सफा १०५)

३–दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार उस मनुष्यको जिसका बयान पोलीसकी तहकीकातके समयमें अध्याय १४ जाब्ता फौजदारीके अनुसार हुवा हो, अवश्य है कि सच सच उत्तर

देवे, यदि वह जानबूझकर झूठा उत्तर देवे तो दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ के अनुसार झूठी गवाही देनेका अपराधी है (इ० ला० रि० बंबई जिल्द ८ सफा २१६)

४—दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ के अपराधमें इस बातके बयान करनेकी आवश्यकता नहीं है कि शपथके अनुसार दिये हुए दो बयानोंमेंसे कौन बयान झूठा है यही बात बहुत है कि अपराधीने शपथके अनुसार एक समयमें एक बयान और दूसरे समयमें दूसरा झूठा बयान किया (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७)

५—दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८१ व १९३ के अहकामोंका झूठी गवाहीसे सम्बन्ध नहीं है जो दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार किये जांय, पोलीसके अहलकारको जो बयान दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार लिखे दस्तखत उन मनुष्योंके कराना कि जिनके सामने बयान लिखा गया हो कानूनविरुद्ध नहीं है परन्तु अनावश्यक है (इ०ला०रि०इलाहाबाद जिल्द १५सफा ११)

६—हाईकोर्टको ऐसे हुक्मकी सूरतमें दस्तन्दाजी करनेका अधिकार है जो किसी अदालतने दफा ४०६ जाब्ता फौजदारीके अनुसार प्रचारित किया हो और इस कामकी भी पूरी तजवीज करनेका अधिकार है कि उस अख्तियार तमीजीका निफाज (योग्य अधिकारोंका वर्ताव) जो उस दफाके अनुसार किया गया है, उचित रीतिपर हुवा है या नहीं (इ० ला० रि० कलकत्ता, जिल्द २० सफा ३२९)

७—झूठी गवाही देनेके मुकद्दमोंमें ऐसे बयानके प्रमाणित करनेके लिये, कि जिसके मध्ये झूठ होना कहा गया है, एक गवाहकी गवाही बहुत है—दंड देना अदालतकी इच्छापर है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १४ सफा ५३)

८—जो गवाह दूसरेके नामसे झूठा बयान देवे उसपर हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १९३ का अपराध ठहराया जावेगा न कि दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४१५ व ४१९ के अनुसार (बंबई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा ५८९)

९—जब कोई मनुष्य किसी मुकद्दमेमें बयान लिखकर पेश करे और कानूनानुसार उक्त मनुष्यको सच सच बयान करना उचित हो और यदि वह उस लिखावटी बयानमें ऐसा लिखावे जिसे वह झूठा जानता या झूठ निश्चय करता हो या सच न निश्चय करता हो, तो वह दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९१ के अनुसार अपराधी गिना जायगा। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ६२६)

१०—सेशन जजको झूठी गवाही देनेके अपराधके मध्ये जो मजिस्ट्रेटके सामने हुआ हो अधिकार किसी मनुष्यको फौजदारी सिपुर्द करनेका नहीं है, परन्तु वह उस मनुष्यको जो स्वयं उसीकी अदालतमें झूठी गवाही दे सिपुर्द फौजदारी करसकता है (बंगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ३५)

११—कैदकी तजवीजमें जो शातघातका अपराधी था, एक गवाहने शपथ पर सेशन जजके सामने बयान किया कि उपरोक्त अपराधको एक दूसरे मनुष्यने किया है और उसी गवाहने मजिस्ट्रेटके सामने कैदीको उस अपराधका अपराधी ठहराया था तजवीज हुई कि गवाह दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ का अपराधी था न कि दफा १९४ का।

१२–जिन सूरतोंमें झूठी गवाही देनेका अपराध कायम करनेके लिये अदालती आज्ञाकी आवश्यकता है उनमें यदि मुकद्दमा बिना उपरोक्त आज्ञाके कायम किया जावे और अपराधीको दंड हो जावे तो दंडकी आज्ञा रद होनी चाहिये। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २६)

१३–जब किसी मनुष्यका विचार (तजवीज) इस अपराध पर होवे कि उसने शपथ दिलाये जाने पर भी झूठी गवाही दी तो इस बातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधीको शपथ दी गई (वीक्ली रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ९२)

१४—दफा ३१८ जाब्ता फौजदारीके अनुसार जो तहकीकात की जावे वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १९३ के लिये एक अदालती कार्रवाई है। (वीक्ली रिपोर्ट जिल्द ७ सफा १०४)

१५—जब कोई असिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट किसी गुमनाम चिट्ठीका पता लगानेके लिये कि जिसमें कुछ मनुष्योंपर वधका अपराध लगाया गया था, कोई तहकीकात करे तो वह कार्रवाई अदालती नहीं है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७२)

१६—अपराधीने समन तामीलकी कैफियत शपथके अनुसार झूठी लिखी तजवीज हुई कि, वह दफा १९३ के अनुसार झूठी गवाही देनेका अपराधी था न कि दफा १८१ के अनुसार (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा २७)

१७—कुछ मनुष्योंको एक ही अदालती कार्रवाईमें झूठी गवाही देनेके मध्ये एक साथ तजवीज करना कानूनविरुद्ध है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ४२)

१८–इस अभिप्रायसे झूठे हिसाबका बनाना कि वह अफसर जंगलके सामने जिसकी तहकीकात करानेका अधिकार न था पेश किया जावे, दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ का अपराध न ठहराया गया। (रिपोर्टर हाईकोर्ट बंबई जिल्द १२ सफा १)

१९–झूठी गवाही देना उस अदालतके अपमानमें गिना जायगा कि जिसमें वह दी जावे, इस लिये वह अदालत दफा ४७३ ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० (जाब्ता फौजदारी) के अनुसार स्वयं अपराधका विचार नहीं करसकती (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १० सफा ७३)

२०–अपराधीने रेलकी चुराई हुई पटरियां अपने शत्रुके घरमें इस अभिप्रायसे छिपवा दीं कि वह चोरीके अपराधमें दंड पावे, तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटका अपराधीको दो अपराधोंमें अलग अलग दंडित करना अर्थात् एक झूठी गवाहीका बनाना इस अभिप्रायसे कि वह अदालती कार्रवाईमें काम आसके दफा १९३ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार और दूसरे जानबूझकर चोरीका माल छिपानेमें सहायता करना दफा ४१४ दण्डसंग्रह हिंदके अनुसार बहुत उचित था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १ सफा ३७६)

२१–अपराधी झूठी गवाही देनेपर इसलिये अपराधी ठहराया गया कि उसने एक प्रश्नमें जो दफा १९ ऐक्ट ९ सन् १८६९ ई० कानून इन्कमटैक्सके अनुसार तहसीलदारके सामने पेश हुवा था और जिसपर तस्दीककी इबारत लिखी हुई थी, जानबूझकर झूठा बयान किया था तजवीज हुई कि तहसीलदारको उपरोक्त प्रश्नके सुननेका अधिकार न था, इसलिये उस मनुष्यसे कोई अपराध नहीं हुवा। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द ५ सफा ३२६)

(१९४) जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस झूठी गवाहीके कारण किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित कराये, जिसके बदलेमें ब्रिटिश इंडियाके कानूनद्वारा (दफा ७ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० देखो) या इंग्लिस्तानके कानूनद्वारा वधका दण्ड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या कठिन कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और—

वध दंडके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूठी गवाही देना या बनाना.

यदि कोई निरपराधी मनुष्य उस झूठी गवाहीके कारणसे अपराधी प्रमाणित हो जावे और वधका दंड पा जाये, तो उस मनुष्यको जिसने ऐसी झूठी गवाही दी हो, वधका दण्ड दिया जावेगा या वह दण्ड जो इस दफामें ऊपर लिख आये है । (दफा ४० को देखो)

यदि निरपराधी मनुष्य उसके कारणसे अपराधी प्रमाणित होजाने और वधका दंड पाजावे.

(१९५) जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये, इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उस झूठी गवाहीके कारण किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित कराये, जिसके बदलेमें ब्रिटिश इंडियाके कानूनद्वारा (दफा ७ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को) या इंग्लिस्तानके कानूनद्वारा वधका दण्ड तो नहीं ठहराया गया परन्तु देश निकालेका दण्ड या कैद जिसकी मीआद सात वर्ष या अधिक है ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको वह दण्ड दिया जावेगा जिसके योग्य वह मनुष्य है जो उस अपराधका अपराधी प्रमाणित होजावे । (देखो दफा ४०)

देश निकाले या दंड कैदके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूठी गवाही देना या बनाना.

उदाहरण ।

शिवशंकर किसी कोर्टआफजस्टिसमें इस अभिप्रायसे झूठी गवाही दे कि उसके द्वारा रमाशंकरको डकैतीका अपराधी प्रमाणित कराये तो जो कि डकैतीके लिये देश निकाले या कठिन कैदका दंड नियत है जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है जुर्माने सहित या विना जुर्मानेके इस लिये शिवशंकर उस देश निकाले या उस कठिन कैदका जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके योग्य है।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

१—जब कोई मनुष्य अपना घर स्वयंही जला दे और दूसरे मनुष्यपर अपराध लगावे, तो उसको इस अपराधमें दंडसंग्रह हिन्दकी दफा २११ के अनुसार दंड होना चाहिये न कि दफा १९५ के अनुसार । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा २६५)

२—एक मनुष्य दंडसंग्रह हिन्दकी दफा १९५ के अनुसार इस अपराधका अपराधी ठहराया गया कि उसने एक मनुष्यको अपराधी प्रमाणित करानेके लिये झूठी गवाही बनाई थी अपराधीने इस कामको एक अत्यंतही प्रगट रीतिपर किया था और उससे उपरोक्त मनुष्यको दंड होजानेका भय न था और न यह बात प्रमाणित हुई कि अपराधीने उस मनुष्यको अपराधी ठहरानेके लिये कोई यत्न किया था तजवीज हुई कि अपराधीको ऐसी अवस्थामें दंड नहीं होसकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफा १८८)

झूठी जानी हुई वजह सबूत (गवाही या प्रमाणके कारण) को काममें लाना.

(१९६) जो कोई मनुष्य किसी प्रमाणके कारणको जिसे वह जानता हो कि झूठ या बनाया हुआ है सच्चे या यथार्थ प्रमाणके कारण (वजह सबूत) के समान काममें लावे या काममें लानेका उद्योग करे, तो उसको उसी प्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी या बनाई।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे०म० या०म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) मुकद्दमेकी हैसियतसे जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—अपराधी एक दीवानी मुकद्दमे में ऐसी दस्तावेजको वह जाली जानता था, सच्ची दस्तावेजके समान काममें लाया था, तजवीज हुई कि यह अपराध दंडसंग्रह हिंद की दफा ४७१ के अनुसार है, इसलिये अपराधी पर दफा ४७१ का ही अपराध ठहरना चाहिये था, न कि दफा १९६ का (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ७१७)

२—जब कोई मनुष्य अदालतमें झूठी गवाही वकील द्वारा पेश करे और आप गैरहाजिर रहे तो वह दंडसंग्रहहिंदकी दफा १९६ के अनुसार दंडयोग्य है।रिसाला मोरली साहब जिल्द १सफा १०४)

३—एक मनुष्य (ल) ने दस्तावेजके अनुसार नालिश दायर की और तहकीकातके समय एक चिट्ठी अपना दावा प्रमाणित करनेके अभिप्रायसे पेश की, कि जो इस कामके अभिप्रायके लिये बनाई गई थी कि (ल) को दस्तावेजपर रजिष्टरी करानेका अवसर मिले—(ल) को दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९७ के अनुसार दंड दिया गया, तजवीज हुई कि यदि चिट्ठी रजिष्ट्रारके सामने पेश करने के लिये बनाई गई थी, तो कोई उग्र दंडकी तजवीजके मध्ये नहीं है। (इ०ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा २८९)

झूठा सार्टीफिकट जारी करना या उसपर दस्तखत करना.

(१९७) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सार्टीफिकट जारी करे या उसपर दस्तखत करे, जिसका दिया जाना या जिसपर दस्त खत किया जाना कानूनानुसार अवश्य है या जो किसी ऐसे काम वाकई (यथार्थ) से सम्बन्धित हो, जिसके प्रमाणके कारणकी मांति वह सार्टीफिकट कानूनानुसार ले लिये जानेके योग्य है और यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस सार्टीफिकटमें कोई आवश्यकताकी बात झूँठ लिखी है; तो उस मनुष्यको उसीप्रकारका दंड दिया जायगा कि मानों उसने झूँठी गवाही दी।

१—यदि कोई अदालत मालका चपरासी समनकी तामीलके मध्ये झूठी कैफियत बयान करे और इसप्रकार जानबूझकर नाजिरसे झूठी इबारत दफा ४६ ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार एक झूठ बातके लिखवानेका कारण हो, तो वह चपरासी दंडसंग्रहहिंदकी दफा १९७ के अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ३७)

२—अपराधीने जो अदालत मतालबा खफीफाके दफ्तरमें नकलनवीस था, किसी एक दस्तावेजकी नकल जो किसी मिसलके साथ अदालतमें दाखिल हुई थी, इसप्रकार पर गलत बनाई कि उसमे एक ऐसा नाम बढ़ादिया जो वास्तवमें न था और जब कानूनके अनुसार उस नकलकी तस्दीक होगई तब उसके सायल (जिसने उसके लेनेको दरख्वास्त दी थी) को दे दी गई जो कदाचित् अपराधीसे विरुद्धता रखता था, इसके पश्चात् वह नकल एक मुकद्दमेमें उस मनुष्यके मुकाबिले काममें लाई गई कि जिस्का नाम छलसे उसमें बढा दिया गया था और उस समय छल पकडा गया—मजिस्ट्रेटने अपराधीको दफा १६७ के अपराधका अपराधी ठहराकर सौ रुपया जुर्माना किया—चीफकोर्टसे तजवीज हुई कि दफा १६७ का सम्बन्ध मुकद्दमेसे न था क्योंकि यह बात प्रमाणित न थी कि अपराधी यह अभिप्राय रखता था या उसको इस बातके होनेकी जानकारी थी कि वह अपने उस कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचायेगा बरन अपराधीने झूठा सार्टीफिकट जारी करने या उसपर दस्तखत करनेका अपराध दफा १९७ के अनुसार किया था और यह भी तजवीज हुई कि दस्तावेजकी नकल करना "दस्तावेज बनाने या अनुवाद करने" में नहीं गिना जायगा। (पंजाब रिकार्ड नं० १५ सन् १८७९ ई०)

किसी सार्टीफिकटको जिसमे कोई झूठ बात जानी हुई हो सच्चे सार्टीफिकटके समान काममें लाना.

(१९८) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे सार्टिफिकटको सच्चे सार्टीफिकटके समान काममें लावे या काममें लानेका उद्योग करे, यह जानकर कि उस सार्टीफिकटमें कोई आवश्यकताकी बात झूठ लिखी हुई है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी।

झूठा बयान करना किसी इजहारमें, जो कानूनानुसार प्रमाणके कारणकी भाँति लिये जानेके योग्य हो.

(१९९) जो कोई मनुष्य किसी बयानमें जो उसने दिया या जिसपर उसने दस्तखत किये हों और जिस बयानको किसी घटना(वाकिआ) के प्रमाणके कारण (वजह) सबूत की भांति ले लेना किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी सरकारी नौकर या किसी और मनुष्यपर कानूनानुसार उचित या उसके लिये कानूनानुसार अवश्य हो उस अभिप्रायके किसी आवश्यकताके काम (कम्र अहम) के मध्ये जिसके लिये वह बयान दिया गया या काममें लाया गया है कुछ बयान करे जो झूठा हो या जिसका झूठा होना या तो वह जानता या निश्चय करता हो या जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करता हो तो उस मनुष्यको उसी प्रकार दंड दिया जायगा कि मानो उसने झूठी गवाही दी।

१—ऐक्ट काश्तकारी बंगालमें अधिकार किसी कार्रवाईका नहीं है कि जिसके अनुसार कोई मनुष्य मूल कारण बतलानेके लिये बुलाया जावे कि वह दस्तावेजात व कागजात ऐसी जायदादके सिपुर्द क्यों न करदे कि जिसका कोई सर्वसाधारण (आ) प्रबंधकर्ता (मुहर्तमिम) नियत कियागया है, यदि ऐसी कार्रवाईमें जो कोई मनुष्य झूटी गवाही देवे उसपर दंडसंग्रह हिदकी दफा १९३ या १९९ के अनुसार अपराध न प्रमाणित होगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ७२४)

झूठ जाने हुए किसी बयानको सच्चेकी भाँति काममें लाना.

(२००) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे बयानको सच्चे बयानकी भांति काममें लावे या लानेका उद्योग करे यह जानकर कि उसमें कोई आवश्यकताकी बात झूठी है तो उसको उसी प्रकार दंड दिया जावेगा कि मानो उसने झूटी गवाही दी।

स्पष्टीकरण—१ प्रत्येक ऐसा बयान जो केवल किसी कानूनकी विरुद्धताके कारण ले लिये जानेके योग्य न हो दफा १९९ और २०० के अभिप्रायमें गिना जायगा।

(नोट) इस दफा तककी टीप अर्थात् अदालतसेशन आदि तथा जमानत आदिका ब्यौरा दफा ११६ के अनुसार समझना चाहिये)

अपराधीको अपराध से बचानेके हेतु प्रमाणको छुपाना अथवा झूठा समाचार देना.

(२०१) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा है उस अपराधके होनेके किसी प्रमाणको इस अभिप्रायसे छुपावे कि अपराधीको उचित दंडसे बचावे या इसी अभिप्रायसे उस अपराधके मध्ये कुछ समाचार दे जिसका झूठा होना वह जानता या निश्चय करता हो, तो यदि उस अपराधके बदलेमें

यदि वधके दंड योग्य हो.

जिसको वह जानता या निश्चय करता है वधका दण्ड ठहराया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा-

यदि देश निकालेके दंडके योग्य हो.

और यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा;—

यदि कैदका दंड दश वर्षसे कम हो.

और यदि उस अपराधके बंदलेमें ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है, जिसकी मीआद दश वर्षसे कम हो तो, उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है और जिसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे। (दफा ४० को देखो)

उदाहरण ।

शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने उमाशंकरको मारडाला है, लाश छुपानेमें इस अभिप्रायसे रमाशंकरकी सहायता करे कि रमाशंकरको दंडसे बचाए तो शिवशंकर सात वर्षके लिये दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य है और जुर्मानेके भी योग्य है ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०१ उन प्रमाण छुपानेवाले मनुष्योंसे सम्बन्ध रखती है, जो स्वयं अपराधी न हों । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७१४)

२—दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०१ के अनुसार अपराधीको दंड देनेके लिये इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि प्रमाण छुपानेके जिस अपराधमें दंड दिया गया, वह वास्तवमें सचमुचही किया गया था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा २७९)

३—जो मनुष्य अपराध होनेमें असल मनुष्यके समान सम्बन्ध रखता हो, वह उपरोक्त अपराध प्रमाणके छिपानेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ७४९)

४—यदि कोई मनुष्य स्वयं अपने किये हुए अपराधके प्रमाणके कारणको छुपावे तो उसको दंडसंग्रहहिन्दकी दफा २०१ के अनुसार दंड नहीं हो सकता (रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द ८ सफा १२६)

५—पहिले इसके कि अपराधी दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०१ का अपराधी ठहराया जावे, प्रमाणित होना इस बातका आवश्यक है कि वह अपराध जिसके प्रमाणके कारणके छुपानेका दोष लगाया गया है वास्तवमें हुवा था और यह कि अपराधी उस वृत्तांतको जानता था या उसको ऐसी जानकारी हुई थी कि जो इस अपराधके होनेको निश्चय करनेके लिये बहुत थी (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ११ सफा ६१९)

६—कैदी ज्ञातघातके अपराधके समय उपस्थित था, परन्तु उसको पहिलेसे यह जानकारी न थी कि उपरोक्त अपराध होनेवाला था, उसने डरके कारणसे केवल उस अपराधके होनेको रोकनेमें ही यत्न नहीं किया, वरन लाशके छुपानेमें भी घातकोंके साथ रहा । तजवीज हुई कि कैदी ज्ञातघातमें सहायता करनेका अपराधी न था, वरन अपराधके प्रमाणके कारणको छुपानेका अपराधी था (वीक्ली रि० जि० ६ दफा १६०)

७—एक स्त्री अपने लडके समेत अपने स्वामीके घरसे निकल गई और फिर खोज करनेके पश्चात् अपने एक रिस्तेदारके घरमें मिली, परन्तु उस लडकेका पता न लगा, इसलिये उस स्त्रीपर लडकेके मार डालनेका अपराध लगाया गया और उसने उस लडकेके मध्ये तीन अलग २ बयान किये, पहिले यह कि, वह उस लडकेको अपने स्वामीके यहां छोडगई थी, दूसरे यह कि एक मनुष्य रकील नामक उससे वह लडका उसके बापके यहां पहुंचानेको ले गया था तीसरे यह कि एक मनुष्य हिदायतउल्लानामकने उस लडकेको नदीमें बहादिया था—सेशन जजने इस तीसरे बयानको सही समझकर उस स्त्रीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २०१ के अनुसार प्रमाणके कारण के छुपानेका अपराधी निश्चय किया तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २०१ उस

अवस्थासे सम्बन्धित नहीं है जब कोई मनुष्य जो अपराधी ठहराया गया हो अपनेको बचानेके लिये दूसरेको अपराधी ठहरावे (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा १८९)

किसी अपराधका समाचार देनेमें वह मनुष्य जान बूझकर चूक करे जिसपर समाचार देना अवश्य है.

(२०२) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा, जानबूझकर उस अपराधके मध्ये किसी ऐसे समाचारके देनेमें चूक करे जिसका देना कानूनानुसार उसपर अवश्य है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । (दफा ४० देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) समन (४) जमानत हो होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—किसी मनुष्यपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०२ के अनुसार अपराध लगानेके पहिले निम्नलिखित बातोंका प्रमाण होना आवश्यक है (१) यह कि अपराधीको अपराधके होनेकी जानकारी थी या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (२) यह कि उसने जान बूझकर उपरोक्त अपराधकी सूचना नहीं की (३) यह कि अपराधीको उपरोक्त सूचनाका देना कानूनानुसार अवश्य था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ३१)

किसी अपराधके मध्ये झूठा समाचार देना.

(२०३) शुद्ध हुई दफा ६ ऐक्ट ३ सन् १८९३ ई० के अनुसार—जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा है उस अपराधके मध्ये कोई समाचार दे जिसका झूठा होना वह जानता या निश्चय करता हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । (दफा ४० को देखो)

स्पष्टीकरण—दफा २०१ और २०२ में और इस दफामें "अपराध" के शब्दमें प्रत्येक काम गिना जायगा, जो ब्रिटिश इंडियाके किसी बाहरी स्थानमें हुवा हो और जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेकी अवस्थामें निम्नलिखित दफाओं अर्थात् दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६ ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, ४५९, ४६० मेंसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य हैं ।

(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०३ का अपराध प्रमाणित करनेमें केवल यही बात काफी नहीं है कि अपराधी अपराधके होनेका निश्चय करता था, वरन यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि वास्तवमेंही अपराध हुवा था और अपराधी उससे जानकार था या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा ६६)

(२०४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी दस्तावेजको छुपाए या नष्ट कर डाले जिसको वह किसी कोर्टआफजस्टिसके इजलासमें या किसी कार्रवाईमें जो कानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकारी नौकरीके अधिकारसे होरही हो प्रमाणकी भांति पर पेश करनेके लिये कानूनानुसार विवश हो सके, या उस सब दस्तावेज या उसके किसी भागको मिटाडाले, या ऐसा कर दे कि पढी न जाय इस अभिप्रायसे कि उस कोर्ट या उस वक्त सरकारी नौकरके सामने उस दस्तावेजका प्रमाणके कारणकी भांति पेश होना या काममें आना रुकजावे, या इसके पश्चात् ऊपर लिखे हुए अभिप्रायको दस्तावेजके पेश करनेके लिये कानूनानुसार आज्ञा या हिदायत हो चुकी हो, उपरोक्त कामोंमेंसे किसी कामका अपराधी हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

प्रमाणके कारणकी भांति किसी दस्तावेजको पेश किये जानेसे रोकनेके लिये उसे नष्ट करना.

टीप—(१) प्रे० म० या० म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—वादी (मुद्दई) ने नालिशमें जो रजामंदीसे पंचायतके सिपुर्द हुई थी दस्तावेजको जो पंचके यहां थी छीन लिया और वह उसको लेकर चलागया और उसको पेश करनेसे इन्कार किया—तजवीज हुई कि वास्तवमें अपराध हुआ परंतु वह चोरीका अपराध न था वरन दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०४ का अपराध था। (इं० ला० रि० मद्रास जिल्द ३ सफा २६१)

(२०५) जो कोई मनुष्य झूठमूठ कोई और मनुष्य बनकर उस बनी हुई सूरतमें कोई प्रतिज्ञा (इकरार) या बयान करे या कोई इकबाल दावा दाखिल करे या कोई आज्ञापत्र (हुक्मनामा) जारी कराए या हाजिरजामिन या मालजामिन होजाए या दीवानी या फौजदारीके किसी मुकद्दमेमें कोई और काम करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

किसी मुकद्दमेमें किसी काम या अमलदरामदके अभिप्रायसे झूठमूठ कोई और मनुष्य बनना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या म० अव्वल (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

१—दंडसंग्रहकी दफा २०५ का अपराध हो सकता है जब कि कोई मनुष्य अपनी कल्पित सूरत बनावे। (इंडियन ज्यूरिष्ट सफा १२२)

२—दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०५ का अपराध उस अवस्थामें प्रमाणित होगा कि जब अपराधीने उस मनुष्यके नाम और वस्त्र आदिका धारण किया हो जिसके बननेका दोष उसपर लगाया गया हो, इसलिये दूसरे मनुष्यके नामसे कोई सवाल देना और जबतक उससे पूछा न जावे तब तक अपना नाम प्रगट न करना उपरोक्त अपराधके प्रमाणित करनेके लिये काफी नहीं है।

छलछिद्रसे उठा ले-जाना अथवा छुपादेना किसी वस्तुका इस अभिप्रायसे कि जब्ती अथवा इजरायडिगरीमें उसका कुर्क किया जाना रुकजाय.

(२०६) जो कोई मनुष्य छलछिद्रसे किसी मालको या किसी अधिकारको जो उस मालमें हो इस अभिप्रायसे दूर करे या छिपाये या किसीके नाम कर दे या किसी मनुष्यके सिपुर्द कर दे कि उस आज्ञाके अनुसार जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वह जानता है कि उस आज्ञाका होना संभवित है वह माल या अधिकार जो उस मालमें है, जब्ती या जुर्मानेके बदलेमें या उस डिगरी या आज्ञाके पूरे होनेमें जो दीवानीके किसी मुकद्दमेमें किसी कोर्ट आफ जस्टिसने जारी की है, या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भव है लिया न जावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–(१) प्रे० म०या० म०अ० या म० दो०(२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट(४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१ जो मनुष्य छलसे किसी जायदादको दूसरेके नाम कर देवे, इस अभिप्रायसे कि वह इजराय डिगरीमें नीलाम न होसके तो डिप्टी मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २०६ का अपराध लगाकर उसे दण्डित करे, यद्यपि उस अपराधका फैसला दफा ४५ ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार होसकता है। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द २ सफा ४)

२—दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०६ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि जायदाद छल छिद्र द्वारा इस अभिप्रायसे अलग करदी गई थी कि वह जब्त न होसके या डिगरी या जुर्मानेके बदले जब्त होनेसे बच जावे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८सफा६५)

जब्तीकी भाँति या किसी डिगरीके मध्ये किसी मालका कुर्क किया जाना रोकनेके लिये छलसे उसका दावा करना.

(२०७) जो कोई मनुष्य किसी मालको या किसी अधिकारको जो उस मालमें हो छलसे स्वीकार करे अथवा अपनी सिपुर्दगीमें ले या उसका दावा करे यह जानकर कि उस माल या अधिकारमें उसका कुछ अधिकार या उचित दावा नहीं है या किसी माल या उस अधिकारके किसी स्वत्वके मध्ये जो उस मालमें है कोई धोखा देवे इस अभिप्रायसे कि उसके कारण यह माल या अधिकार जो उस मालमें है ऐसी आज्ञाके अनुसार जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी और अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उस आज्ञाका होना सम्भव है जब्ती या जुर्मानेके बदलेमें या किसी ऐसी डिगरी या हुक्मकी तामीलमें जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी ओरसे दीवानीके किसी मुकद्दमेमें जारी हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भवित है, लिया न जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीयाद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी जारी होने देना.

(२०८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यके दावेमें ऐसे रुपयेके लिये जो पटाने योग्य न हो या उस रुपयेसे जो उस मनुष्यके पटाने योग्य है अधिक हो, या किसी माल या अधिकारके लिये जो उस मालमें हो जिसका वह मनुष्य अधिकारी न हो छलसे अपने ऊपर डिगरी या हुक्म जारी कराए या जारी होनेसे या किसी डिगरी या हुक्मको उसकी कार्रवाई होचुकनेके पश्चात् अपने ऊपर या किसी ऐसी वस्तुके लिये जिसके मध्ये उसकी कार्रवाई हो चुकी हो छलसे जारी कराए या जारी होने दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर, रमाशंकरपर दावा करे और रमाशंकर यह जानकर कि मुझपर शिवशंकरका डिगरी पाना अति संभवित है उमाशंकरके दावेमें जिसका उसपर कुछ उचित दावा नहीं है इस अभिप्रायसे अपने ऊपर छल द्वारा अधिक तादादके मध्ये फैसला होने दे कि उमाशंकर अपने लिये चाहे उसीके लिये रमाशंकरके मालके जरनीलाममेंसे जो शिवशंकरकी डिगरीके अनुसार नीलाम हो हिस्सा पावे तो रमाशंकरने इस दफाके अनुसार अपराध किया ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

कोर्ट आफ जस्टिसमें बददियानतीसे झूठा दावा करना.

(२०९) जो कोई मनुष्य छलसे या बददियानतीसे या किसी मनुष्यको हानि पहुँचाने या कष्ट देनेके अभिप्रायसे किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें कुछ दावा करे जिसका झूठा होना वह जानता हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जब कोई मनुष्य ऐसी डिगरीको जारी करानेके लिये दरख्वास्त देवे कि जिसका रुपैया पट चुका है तो उसके कामसे दंडसंग्रह हिंदकी दफा २१० का सम्बन्ध है न कि दफा २०९ का—दफा २०९ उन झूटे और छली दावियोंसे सम्बन्ध रखती है जो कोर्ट आफ जस्टिसमें किये जायें और उस अदालत दीवानीके साथ सम्बन्ध रखती है जिसमें आरम्भकीही नालिश दायर की गई हो (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ३७)

(२१०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे रुपयेके मध्ये जो उचित नहीं है या जो उचितसे अधिक है या किसी ऐसे माल या अधिकारके मध्ये जो उस मालमें हो और जिसका वह अधिकारी नहीं है कोई डिगरी या हुक्म छलसे प्राप्त करे या कोई डिगरी या हुक्म उसकी कार्रवाई हो चुकनेके पश्चात् किसी मनुष्य पर जारी कराए या किसी ऐसी वस्तुके लिये जारी कराए जिसके मध्ये उसकी कार्रवाई होचुकी हो या छलसे इस प्रकारका कोई काम अपने नामसे होने दे या उसके करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्ष हो सकती है, या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी प्राप्त करना.

टीप–(१) प्रे० म० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—फरियाद करनेवाले (मुस्तगीस) ने कहा कि तीन मनुष्योंने मेरे हाथ और टाँगें पकडकर धरतीपर गिरा दिया और घूँसा, पत्थर और जूते मेरे छातीपर मारे उनमेंसे एकने दूसरेको चाकू देकर कहा कि वह चाकू मेरे (फरियादी) चुभोदे तजवीज हुई कि ऐसे मुकद्दमेमें दस्तबरदारीकी इजाजत देना न चाहिये थी। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३७८)

२—यदि कोई मनुष्य ऐसी डिगरीके जारी करानेकी दरख्वास्त करे जिसका रुपया पट चुका हो तो दण्डसंग्रह हिन्दकी दफा २१० के अपराधका वह मनुष्य अपराधी होगा । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ३७)

३—एक डिगरीदारने अपनी डिगरी इजरायकी एक दरख्वास्त दी यह दरख्वास्त इस लिये खारीज की गई कि डिगरीका रुपया पट गया था–मदयूनको दफा २१० के अनुसार डिगरी-दारपर मुकदमा चलानेकी आज्ञा हुई–तजवीज हुई कि डिगरी इजरा नहीं होने पाई थी इसलिये दफा २१० के अनुसार कोई अपराध नहीं ठहर सकता । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २३ सफा ९७१)

(२११) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसपर फौजदारीमें नालिश दायर करे या कराये या किसी मनुष्य पर किसी अपराध होनेके मध्ये झूठ मूठ दोष लगाये यह जानकर कि न्यायानुसार या कानूनानुसार उस मनुष्यपर उस नालिश या दावेकी कुछ जड नहीं है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे और यदि वह फौजदारीकी नालिश किसी ऐसे अपराधके झूठे दावेसे दायर कीजाए जिसके बदलेमें दंड वध या देश निकाला या सात वर्ष या अधिक मीआदकी कैद ठहराई गई है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूठ मूठ अपराध लगाना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ का अपराध कायम करनेके लिये केवल झूठा दोष ही लगाना बहुत है, चाहे नालिश न की जाय (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ४९७)

२—डिप्टी मजिस्ट्रेटको ऐसी आज्ञाके मध्ये दलील करनेका अधिकार नहीं है जो उसके अफसरने दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८२ व २११ के अभिप्रायानुसार फौजदारीकी नालिश करनेकी मंजूरी दी हो वह मंजूरी चाहे सही दी गई हो चाहे गलत, परन्तु अपराधी दलील कर सकता है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द सफा ८६९)

३—पहिले इसके कि तजवीज किसी मनुष्यकी दफा २११ दंडसंग्रह हिंदके अपराधी होवे उसको मुकद्दमेकी असलियत (यथार्थता) को प्रमाणित करनेका अवसर दिया जावेगा जब कि वह मनुष्य उससे लाभ उठानेकी प्रार्थना करे, और यह अवसर न पोलीसके सामने वरन मजिस्ट्रेटके सामने मिलना चाहिये । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४९७)

४—बिना गवाहोंका बयान सुने कि जिनको अपराधी पेश किया चाहता है दंडसंग्रह हिंदकी दफा २११ के अभिप्रायानुसार फौजदारीकी नालिशकी आज्ञा देना अनुचित है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ५८४)

५—अपराधके विचारके लिये यह बात अवश्य है कि झूठका अपराध उस अदालत या हाकिमके सामने जिसको जांच करने तथा दौरा सिपुर्द करनेका अधिकार प्राप्त है कायम किया जावे (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६६२)

६—अकस्टरा असिस्टन्ट कमिश्नरको पोलीसकी रिपोर्टके आनेपर रिपोर्टरके मजमूनसे अपराधीको सूचना कर देना था और उसको अपने मुकद्दमेके प्रमाण (सबूत) के लिये अवसर देना चाहिये था तब मुकद्दमेको फैसला करना उचित था । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८७)

७—जब कोई मनुष्य विशेष करके इस बातकी नालिश करे कि दूसरे मनुष्यने कोई अपराध किया है और उपरोक्त मनुष्य ऐसा काम ऐसे दूसरे मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे करे तो वह दफा २११ दंडसंग्रह हिंदके अपराधका अपराधी होगा । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ७ सफा १८४)

८—यदि दोष कुभावसे न लगायाजावे बरन केवल बेपरवाहीसे लगाया जावे तो दोष लगानेवाला दंडके योग्य नहीं है चाहे उसका वर्त्ताव ऐसा समाचार पानेपर हुवा हो जो किसी बुद्धिमान् मनुष्यके माननेके लिये पूरा न था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा १०)

९—एक पोलीसके अहलकारने यह रिपोर्ट की कि अमुक मनुष्यने अमुक अपराध किया था और फिर अपने अफसरकी आज्ञानुसार जो उसकी रिपोर्टसे हुई उस मनुष्यपर झूठा अपराध लगाया तजवीज हुई कि उपरोक्त अफसर दंडसंग्रहहिन्दकी दफा २११ के अपराधका अपराधी हुआ था और उसका यह कहना कि उसने अपने अफसरकी आज्ञानुसार वर्त्ताव किया था उसको कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ४५)

१०—यदि कोई मनुष्य अपना घर स्वयंही जलादे और दूसरेपर उसकी दोष लगावे तो वह दंडसंग्रहहिंदकी दफा २११ के अपराधका अपराधी व उसी दफाके अनुसार दंडके योग्य है दफा १९५ के अनुसार नहीं। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ६५)

११—एक मनुष्यने पोलीसमें यह झूठी फरियाद की कि अमुक मनुष्य उसके लडकेके मार डालनेका कारण हुवा था तजवीज हुई कि फरियादीके कामसे दफा २११ का सम्बन्ध था न कि दफा १८२ का (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ६७)

१२—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ केवल उन्हीं लोगोंसे सम्बन्ध नहीं रखती जो सरकारी नौकर नहीं है बरन पोलीसके अफसरसे भी सम्बंध रखती है जो किसीको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसपर झूठा अपराध लगावे। (वीक्ली रिपोर्टर ११ सफा २)

१३—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ का अपराध दफा १८२ के अपराधमें गिना जायगा इसलिये मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि चाहे जिस दफाके अनुसार वर्त्ताव करे परंतु भारी मुकद्दमोंमें दफा २११ का ही वर्त्ताव करना उचित है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा १३४)

१४—हिन्दुस्थानकी दंडसंग्रहकी दफा २११ के अपराधके अपराधीने सेशनजजके सामने बयान किया कि जो नालिश उसने की थी वह झूठी थी और विना सोचे समझे उसने कर दी थी, सेशनजजने उस बयानको अपराधकी स्वीकारता समझकर अपराधीको ८ महीनेकी कठिन कैदके दंडकी आज्ञा दी परंतु उसका उज्र दफा २३७ जाब्ता फौजदारी (ऐक्ट १० सन् १८७२ ई०) के अनुसार नहीं लिखा गया था और न उसको पर्द करारदादजुर्म (अपराधके मान लेनेकी स्वीकारता) सुनाई और समझाई गई—तजवीज हुई कि दंडकी आज्ञा अनुचित थी क्योंकि मिस्लसे यह बात प्रमाणित नहीं थी कि अपराधीने एक काम जो दफा २११ दंडसंग्रह हिंदकी अपराधमें अत्यंत आवश्यक है मान लिया अर्थात् दूसरेको हानि पहुँचानेका अभिप्राय और यह बयान उसका कि उसने विना सोचे समझे नालिश कर दी थी, अपराध स्वीकार करनेकी सीमातक नहीं पहुँचता था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा ९६)

१५—ज्वाइंट मजिस्ट्रेटके सामने एक सवाल इस प्रकारका दिया गया कि पोलीसने इस तहकीकातके मध्ये जिसकी हिदायत उसको सायलकी दरख्वास्तपर हुई थी झूठी रिपोर्ट की थी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेटने पोलीसकी रिपोर्ट सुननेके पश्चात् वह सवाल अस्वीकार कर दिया और यह आज्ञा की कि सायलपर झूँठा दोष लगानेके अपराधमें दंडसंग्रहकी दफा २११ के अनुसार मुकद्दमा कायम किया जावे तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटको अपराधकी तहकीकातकी जांच करनेके पहिले दफा ४७६ जाब्ता फौजदारीके अनुसार उपरोक्त आज्ञा न करनी चाहिये थी। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३१५)

१६—जब कोई मनुष्य कुछ फरियाद करे और वह पोलीसकी रायमें झूठी ठहरे तो मजिस्ट्रेटको उचित नहीं है कि केवल पोलीसकीही रिपोर्टपर निश्चय कर एक साधारण तौरपर शीघ्रतासे कार्रवाई करे बरन् उसको दफा २११ के अनुसार वर्त्ताव करना चाहिये। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा ५७५)

१७—कैदीको जिसके मध्ये झूठी नालिश करनेके अपराधमें जिमन २ दफा २११ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार दंडकी आज्ञा हुई उसे कैदका दंड जुर्मानेसमेत होना चाहिये न कि केवल जुर्मानेहीका दंड हो। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ३४)

१८—वसूल हुए रुपयोंके मध्ये स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाहीं करना कानूनानुसार कोई अपराध नहीं है इसलिये नाहीं करनेवालेपर स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाहीं करनेके मध्ये झूठी नालिश करना भी कोई अपराध दंड योग्य नहीं है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा ९२)

१९—यदि मजिस्ट्रेट किसी नालिशको झूठी या बेजड (अमूलक) समझे तो उस समन या वारंट जारी करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक नालिश करनेवालेका बयान लेना उसे अवश्यही उचित है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा २७२)

२०—अपराधीने एक मनुष्यपर झूठी नालिश दफा ३२४ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार दायर की और इसी अदालतसे उसको दफा २११ दंडसंग्रहहिंदके अपराधमें दंड हुआ तजवीज हुई कि उपरोक्त अदालतको अपराधीकी तजवीज करनेका अधिकार न था। (पंजाब रिकार्ड नं० ३ सन् १८७७ ई०)

२१—अपराधीने केवलसहायपर यह अपराध लगाया कि उसने अपराधीपर आक्रमण करके उसका दांत तोड़डाला था और केवलसहायने उस अपराधसे छूटकर अपराधीपर दफा २११ के अपराधकी नालिश की और अपराधीको अदालत सेशनसे दंड मिला हाईकोर्टसे सेशन जजकी इस इबारतसे कि "यद्यपि केवलसहायने स्वयं अपराधीपर आक्रमण करके उसका दाँत नहीं तोड़ा था उसने उपरोक्त कामके मध्ये अपने नौकरोंको बहकाया था और उन्होंने वह कृत्य किया था" तजवीज हुई कि केवलसहाय उपरोक्त आक्रमणके होनेके समय वहाँ पर उपस्थित था इस कारण कानूनानुसार इस अपराधका करनेवाला हुवा इसलिये अपराधीने जो उसपर नालिश की थी वह दफा २११ के अभिप्रायसे झूठी न थी इसलिये अपराधीके दंडकी आज्ञा रद्द कीगई। वीक्ली नोट्स इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन् १८८३ ई० सफा ३९)

(२१२) शुद्ध हुआ दफा ७ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार—जिस अवस्थामें कि कोई अपराध हुवा हो तो जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे किसी मनुष्यको आश्रय दे या छिपाये जिसका अपराधी होना वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि उस अपराधीको उचित दंडसे बचाए,—

अपराधीको आश्रय देना.

(तो) यदि उस अपराधके बदलेमें वधका दंड ठहराया गया हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और यह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और—

यदि वध दंडके योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकाले या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया हो जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दंड ठहराया गया हो जिसकी मीआद एक वर्षसे अधिक और दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

याद देश निकाले या कैदके दंड योग्य हो.

१) शब्द "अपराध" में इस दफामें प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके बाहर किसी स्थानमें हुवा हो और जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेकी अवस्थामें निम्नलिखित दफों अर्थात् दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, ४५९, व ४६० मेंसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य होवे और ऐसा प्रत्येक काम इस दफाके अभिप्रायोंके लिये दंडयोग्य समझा जायगा इस प्रकार कि मानों अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर उपरोक्त कामका अपराधी हुवा था ।

छूट ।

इस दफाकी आज्ञा उस अवस्थामें सम्बन्ध न रक्खेगी कि जब आश्रय देना छुपाना अपराधीके शौहर (स्वामी) या उसकी स्त्रीसे हुवा हो ।

उदाहरण ।

शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने डाका डाला है, जानबूझकर रमाशंकरको उचित दंडसे बचानेके लिये छिपाए तो इस अवस्थामें जो कि रमाशंकर देश निकालेके दंड योग्य है इस लिये शिवशंकर दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य होगा जिसकी मीआद तीन वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप–(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या० अ० (२) पुलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१–हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २१२ के अपराधकी तजवीजको कायम रखनेके अभिप्रायसे इस बातकी आवश्यकता है कि गवाही इन बातोंकी होनी चाहिये । (१) कोई अपराध किया गया । (२) उस अपराधके अपराधीको आश्रय दिया गया या वह छिपाया गया । (इ० ला० रि० जिल्द १२ सफा ४३२)

(२१३) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको छिपावे या किसी मनुष्यको किसी अपराधके उचित दंडसे बचावे या किसी मनुष्यको उचित दंड दिलानेका उपाय न करनेके बदले अपने लिये या किसी और मनुष्यके लिये कुछ इनाम या कोई वस्तु प्राप्त या स्वीकार करे या प्राप्त करनेका उद्योग करे या स्वीकार करनेपर राजी हो तो,—

अपराधीको दंडसे बचानेके लिये इनाम आदि लेना.

यदि उस अपराधके बदलेमें वधका दंड ठहराया गया है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और—

यदि वध दंडके योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका दंड या ऐसी कैद ठहराई गई है, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दण्ड ठहराया गया है, जो दश वर्षसे कम हो, तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे (देखो दफा ४०)

यदि देश निकाले अथवा कैदके दंड योग्य हो.

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(२१४) जो कोई मनुष्य कोई अपराध छिपाने या किसी मनुष्यको किसी अपराधके उचित दंडसे बचाने या किसी मनुष्यको उचित दण्ड करानेसे रुके रहनेके बदलेमें किसी मनुष्यको कुछ इनाम दे या पहुँचाये या देने या पहुंचानेको कहे या देने या पहुंचानेपर राजी होवे या किसी मनुष्यको कोई माल फेरे या फिराये, या फेरने या फिरानेको कहे या फिरानेपर राजी हो तो:-

अपराधीको दंडसे बचानेके बदले इनाम देना या कुछ वस्तु फेर देनी.

यदि उस अपराधके लिये वधका दण्ड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और:—

यदि अपराध वधके दंड योग्य होवे.

यदि उस अपराधके लिये देश निकाले या ऐसी कैदका दण्ड ठहराया गया है जो दश वर्षतक होसकती है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस अपराधके लिये ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है, जो दश वर्षसे कम हो तो, उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारका दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहरा है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है उस अपराधके लिये निश्चित की गई है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे। (दफा ४० को देखो)

यदि अपराधका दंड देश निकाला या कैदका होवे.

छूट।

दफा २१३ व २१४ की आज्ञाएँ (अहकाम) किसी ऐसी अवस्था (सूरत) से सम्बन्ध नहीं रखती, जिसमें अपराधके मध्ये कानूनानुसार राजीनामा होसकता हो (दफा ६ ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० को देखो)

(नोट) टीप दफा २१३ के अनुसार समझना चाहिये।

१—हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २१४ के अनुसार जो मुकद्दमा तसफियाके लायक न हो वह तसफियाकी रूसे खारिज होजाय तो वह तसफिया नई नालिश करनेको नहीं रोक सकता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा ६४)

२—जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेके मुकद्दमेमें दंडसंग्रहहिंदकी दफा२१४के अभिप्रायानुसार राजीनामा नहीं हो सकता, राजीनामा उन फौजदारीके मुकद्दमोंमें होसकता है जिनमें नियतका लिहाज (अभिप्रायका विचार) न हो और जिनके मध्ये, नालिश फौजदारीके स्थानपर नालिश दीवानी होसके (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १ सफा १४७)

३—अपराधीन सामीनार्थ पिल्लेको इसलिये दश रुपये देने कहे कि वह कोलन्डावेलूके विरुद्ध जिसपर रातके समय संधे लगानेका अपराध लगाया गया था गवाही न देवे—परन्तु सामीनाथ पिल्लेने कोलण्डावेलूके विरुद्ध गवाही दी लेकिन् वह अपराधसे छोड दियागया। अपराधीपर दण्डसंग्रह हिंदकी दफा २१४ का अपराध लगाया गया परन्तु छोड दियागया तजवीज हुई कि, अपराधीको छोडदेना उचित था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ४००)

४—आक्रमण (हमले) के अभियोगमें राजीनामा होसकता है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १६)

५—उस स्त्रीके स्वामीने जिसके साथ व्यभिचार (जिना) हुवा था मुकद्दमेकी पैरवीसे नाहीं की इस कारण अपराधी छोड दिया गया, इसलिये हाईकोर्टने भी दस्तन्दाजी करनेसे इन्कार किया। (रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा २७)

(२१५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी ऐसे स्थावरधन (मालमनकूला)

चोरीका माल आदि फिरसे पानेमें सहायता करनेके लिये कुछ इनाम लेना.

का जो इस संग्रहके अनुसार दंड दिये जानेके योग्य किसी अपराधके द्वारा उसके पाससे जाता रहा हो फिरसे पानेमें सहायता करनेके मिस या कारणसे कुछ इनाम ले या लेनेपर राजी हो या लेना स्वीकार करे तो फिर सिवाय इसके कि उपरोक्त मनुष्य अपराधीके पकडवानेमें और उसको उस अपराधका अपराधी प्रमाणित करानेके लिये अपनी सामर्थ्य भर सब यत्नोंको काममें लाये, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२१६) जब कभी कोई मनुष्य जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुआ

ऐसे अपराधीको आश्रय देना जो चौकसीसे भागा हो या जिसके पकड़नेकी आज्ञा हो चुकी हो.

हो या जिसपर उस अपराधका दोष लगाया गया हो उस अपराधके लिये उचित चौकसी (हिरासत) में होकर उस चौकसीसे भाग जाए, या जब कभी कोई सरकारी नौकर अपने ओहदेका नीतिपूर्वक अधिकार वर्तनेमें किसी अपराधके लिये किसी विशेष मनुष्यको पकडे जानेकी आज्ञा दे, तो जो कोई मनुष्य उस भाग जाने या उस पकडने (गिरफ्तारी) की आज्ञाको जानकर उस मनुष्यको न पकड़े जानेके अभिप्रायसे आश्रय दे या छुपावे तो उपरोक्त मनुष्यको नीचे लिखे हुए नियमके अनुसार दंड दिया जावेगा, अर्थात्,-

यदि उस अपराधके बदलेमें जिसके लिये वह मनुष्य चौकसीमें था या जिसके लिये

यदि अपराध वधके दंड योग्य हो.

उसके पकडे जानेकी आज्ञा दीगई है वधका दंड नियत (मुकर्रर) है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और:-

यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका दंड या दश वर्षकी कैद नियत हो, तो

यदि देश निकालेके दंड या कैदके योग्य हो.

उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक हो सकती है जुर्माने सहित या विना जुर्मानेके दी जावेगी और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दण्ड नियत है जो एक वर्षसे अधिक और दश वर्षसे कम हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है और उसकी मीआद उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है, या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । (देखो दफा ४०)

"अपराध" के शब्दमें इस दफामें प्रत्येक ऐसा काम या चूक काममी शामिल है, जिसके अपराधी होनेका ब्रिटिश इण्डियाके बाहर किसी ऐसे मनुष्यके मध्ये बयान किया गया है जो ब्रिटिश इण्डियाके भीतर उसके अपराधी होनेकी अवस्थामें अपराध करनेकी भांति दण्ड योग्य होता और जिसके लिये उपरोक्त मनुष्यको अन्य रियासतोंके अपराधियोंके पकड़नेके कानूनानुसार या भागे हुए अपराधियोंके ऐक्ट सन् १८८१ ई० के अनुसार या और प्रकार पर ब्रिटिश इण्डियाके भीतर पकडा जाना या चौकसीमें रक्खा जाना उचित है और ऐसा हर काम या चूक काम इस दफाके अभिप्रायोंके लिये इस प्रकार पर दंड योग्य समझा जावेगा कि मानों वह अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इण्डियाके भीतर उपरोक्त काम या चूक कामका अपराधी हुआ।

(दफा २३ ऐक्ट नं० १० सन् १८८६ ई० को देखो)

छूट।

इस दफाकी आज्ञा उस अवस्थासे सम्बन्ध न रखेगी जहां आश्रय देना या छुपाना उस मनुष्यके शौहर (पति) या स्त्रीसे हो, जिसके पकड़े जानेका अभिप्राय है।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(१ देखो धारा २१, २ देखो धारा २१२)

(२१६) (अ) (बढाया गया दफा ८ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार)

डाकुओंका आश्रय देनेके बदलेमें दंड.

जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके जाननेका कारण रखकर कि कोई मनुष्य बलपूर्वक चोरी या डकैती करनेवाले हैं या हालमें उन्होंने बलपूर्वक चोरी या डकैती की है, उन सबको या उनमेंसे किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे आश्रय दे कि वैसी बलपूर्वक चोरी या डकैतीका होना सहज हो जावे या वह मनुष्य या उनमेंसे कोई मनुष्य दण्डसे बचजावै, तो उसको कठिन कैदका दण्ड जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्पष्टीकरण—इस दफाके अभिप्रायोंके लिये यह बात विचारके योग्य नहीं है—कि ब्रिटिश इंडियाके भीतर या बाहर बलपूर्वक चोरी या डकैतीके करनेकी इच्छा की गई है या नहीं. या इस प्रकारकी घटना हुई है या नहीं।

छूट।

यह आज्ञा उस अपराधसे सम्बन्ध न रक्खेगी कि जिसमें अपराधीके स्वामी (पति) या स्त्रीकी ओरसे आश्रय दिया जावे।

(२१६) (ब) बढ़ाया गया दफा ८ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार

दफा २१२ व २१६ व २१६ (अ) में आश्रयका लक्षण.

दफा २१२ व २१६ व २१६ (अ) में शब्द "आश्रय" में किसी मनुष्यका आश्रय देना या उसको खानेपीनेकी वस्तु या रुपया या वस्त्र या युद्धका सामान पहुंचाना या सवारी आदिका प्रबंध कर देना या किसी मनुष्यको किसी प्रकारकी गिरफ्तारीसे निकल भागनेमें सहायता देना गिना जायगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

सरकारी नौकरका किसी मनुष्यको दंडसे या मालके जब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे नीतिपूर्वक आज्ञाको न मानना.

(२१७) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो, कानूनकी किसी आज्ञाको जो उस ओहदेके कामसे सम्बन्ध रखती है जिसपर उसको उस सरकारी नौकरीके कारणसे चलना चाहिये जानबूझकर भंग करे इस अभिप्रायसे या इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मनुष्यको नीतिपूर्वकके दण्डसे बचाए या वह मनुष्य जितने दंडके योग्य है उससे कम दंड दिलाए या किसी मालकी जब्ती या किसी खर्चसे जिसका वह कानूनानुसार अधिकारी है, बचाए तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा; जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दंडसंग्रह हिंदुस्थानकी दफा २१७ का अपराध प्रमाणित होनेके लिये केवल इतनाही बहुत है कि अपराधी मनुष्य अर्थात् सरकारी नौकरने किसी कानूनी आज्ञाको अपराधीके बचानेके लिये भंग किया यह आवश्यकता नहीं कि यह प्रमाणित कियाजावे कि वह मनुष्य जिसके बचानेके लिये आज्ञाभंग की गई वास्तवमें कानूनानुसार दंड पानेके योग्य था या नहीं—(इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ४१२)

२—अपराधीपर दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २१७ का अपराध लगाया गया परन्तु स्पष्ट २ यह नहीं दरियाफ्त किया गया कि यह कौनसी कानूनी आज्ञा थी जिसको अपराधीने भंग किया था और किस प्रकार भंग की थी तजवीज हुई कि जब किसी अपराधीको ऐसे अपराधके मध्ये दंडकी आज्ञा हुई हो जो स्पष्ट लेख (गैरमुईन इबारत) में बयान की गई हो तो मुकद्दमेकी पैरवी मुद्दईकी ओरसे अपीलमें उसी अर्थके सीमाबद्ध (महदूद) रहना चाहिये जिसमें उपरोक्त अपराध तजवीजके समय समझा गया हो (इ० ला० रि० बंबई जिल्द २ सफा १४२)

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे या मालको जब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे गलतलिखत या मिसल बनावे.

(२१८) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो और सरकारी नौकरी होनेके कारणसे किसी सरिश्तेके कागज या किसी और लिखतमका बनाना उसका कर्तव्य कर्म हो और वह उस सरिश्तेके कागज या लिखतमको इस ढंगसे बनावे जिसको वह झूँठ जानता हो इस अभिप्रायसे इस बातके होनेको सम्भवित जान कर कि उसके कारण सर्वसाधारणको या किसी मनुष्यको हानि पहुँचावे या इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मनुष्यको उचित दंडसे बचाये या इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मालको जब्ती या किसी और खर्चसे जिसका वह माल कानूनानुसार उचित है बचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—सरकारी नौकरको जिसकी सिपुर्दगीमें कुछ दस्तावेजें थीं, उपरोक्त दस्तावेजोंके पेश करनेको कहा गया परन्तु उसने पेश नहीं किया, बरन् उसी प्रकारकी दस्तावेजें इस अभिप्रायसे बनाकर पेश कीं कि जिससे वह दंडसे बचजावे—तजवीज हुई कि इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेजें सरिश्तेके कागज या लिखतम न था जिनके तैयार करनेका अपराध लगाया था इसलिये अपराधीको दफा २१८ के अभिप्रायानुसार दंड नहीं होसकता और न उपरोक्त दस्तावेजें जाली (कल्पित) प्रमाणित होती हैं, क्योंकि वे उस अभिप्रायसे न बनाई गई थीं जिनका वर्णन दफा ४६३ में है इसलिये अपराधीको दफा ४७१ के भी अभिप्रायानुसार दंड नहीं होसकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ दफा ५५३)

२—जब कोई पोलीसका अफ्सर असावधानीसे या अनुचित रीतिपर किसी तहकीकात मौकेके मध्ये झूठी रिपोर्ट करे तो उसको दफा २९ ऐक्ट ५ सन् १८६१ ई० के अनुसार दंड होसकता है यदि उसके कामको दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २१८ के अपराधमें लानेके लिये यथोचित प्रमाण न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १७)

सरकारी नौकर जो अदालतकी कार्रवाईमें झूठी तौरसे ऐसी आज्ञा दे या ऐसी कैफियत आदि बनावे जिसे वह कानूनविरुद्ध जानता हो.

(२१९) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें कुप्रयोजनसे या ईर्षासे कोई कैफियत तय्यार करे या कोई आज्ञा दे या कोई तजवीज या फैसला करे जिसका कानूनविरुद्ध होना वह जानता हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है; या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२२०) यदि कोई मनुष्य जो किसी ऐसे ओहदेपर है जिसके आज्ञानुसार उसको कानूनानुसार मनुष्योंको तजवीज या कैदके लिये सिपुर्द करने या कैद करनेका अधिकार प्राप्त है उस अधिकारके वर्त्तावमें किसी मनुष्यको कुप्रयोजन या ईर्षासे तजवीज या कैदके लिये सिपुर्द करे या कैद रक्खे यह जानकर कि ऐसा करनेमें मैं कानूनविरुद्ध वर्त्ताव करता हूं तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

उस अधिकारी मनुष्यकी तजवीज मुकद्दमा या कैदके लिये सिपुर्द करना यह जान बूझकर कि मैं कानून विरुद्ध करताहूं.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—एक कैदीको जो तजवीजके लिये भेज दिया गया था डिप्टी मजिस्ट्रेटने छोडदिया और सब इन्सपेक्टरने उसको उसी अपराधके मध्ये फिर गिरफ्तार करके चालान करदिया । डिप्टी मजिस्ट्रेटने दूसरी गिरफ्तारीको कानूनविरुद्ध समझा और इसलिये उपरोक्त सब इन्सपेक्टर पर अनुचित कैद (हब्स बेजा) में रखनेका दंड प्रमाणित करके उसपर जुर्माना किया तजवीज हुई कि डिप्टी मजिस्ट्रेटकी आज्ञा बहुत ठीक थी । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १९ सफा २६)

(२२१) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारी नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका गिरफ्तार करना या कैदमें रखना कानूनानुसार अवश्य है जिसपर किसी अपराधका दोष लगाया गया है या जो किसी अपराधके मध्ये गिरफ्तार किये जानेके योग्य है उस मनुष्यके गिरफ्तार करनेमें जानबूझकर चूक करे या जानबूझकर उस मनुष्यको उस कैदसे भाग जाने दे या भाग जानेके उद्योगमें जानबूझकर सहायता करे तो उसे नीचे लिखे अनुसार दंड दिया जावेगा अर्थात्—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी कैद जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य था जिसके बदलेमें वधका दंड ठहराया गया है या,—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है जुर्मानेके सहित या बिना जुर्माने, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरफ्तार

जिस सरकारी नौकर पर किसीका पकडना कानूनानुसार अवश्य हो उसकी ओरसे पकडनेमें जानबूझकर चूक करना. दंड.

किये जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें देश निकालेका दंड या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है, या—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराध का दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें दश वर्षसे कम मीआदके कैदका दंड ठहराया गया है (देखो दफा ४०)

(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

१—यदि कोई चोकीदार किसी ज्ञातघातके अपराधीको अपने मौजेके बाहर किसी विशेष मनुष्यके कहनेपर गिरफ्तार करनेसे नाहीं करे तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२१ के अभिप्रायानुसार (हस्वमंशाय) दंड योग्य नहीं है । (इ०ला०रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा६०)

(२२२) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारी नोकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका पकडना या कैदमें रखना कानूनानुसार उचित है, जिसको किसी कोर्ट आफ जस्टिसने दंडकी आज्ञा दी हो या जो कानूनानुसार चौकसीमें रक्खा गया हो उस मनुष्यके पकडनेमें जान बूझकर चूक करे या उस मनुष्यको जानबूझकर कैदसे भाग जाने दे या उस कैदसे भाग जाने या भाग जानेके उद्योगमें जानबूझकर उस मनुष्यकी सहायता करे तो उसे नीचे लिखे अनुसार दंड दिया जावेगा, अर्थात्,—

किसी सरकारी नौकरकी ओरसे जानबूझकर किसी ऐसे मनुष्यकी गिरफ्तारीमें चूक करना कि जिसके मध्ये कोर्टआफजस्टिसने दंडकी आज्ञा की हो और जिसका गिरफ्तार करना उस सरकारी नौकरको भी कानूनानुसार अवश्य हो.

दंड.

देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद चौदह वर्षतक हो सकती है जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यके मध्ये जो कैदमें था या जिसका पकडा जाना उचित था वधके दण्डकी आज्ञा होचुकी हो, या,—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके, यदि वह मनुष्य जो कैदमें था या जिसका पकडा जाना उचित था किसी कोर्ट आफ जस्टिसके दंडकी आज्ञा या उस दंडकी आज्ञाके तबादिलेके अनुसार जन्म भरके देश निकाले या कैदकी अवस्थामें जन्मभरकी दंड सेवा या दशवर्ष अथवा अधिक मीआदके देश निकालेका दंड या कैदकी अवस्थामें दंडसेवा या कैदके योग्य हो;या,—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है जुर्मानेसहित या बिना जुर्माने या दोनों दंड, यदि वह मनुष्य जो कैदमें था या जिसका पकडा जाना उचित था किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी दंड आज्ञाके अनुसार ऐसी कैदके योग्य हो जिसकी मीआद दश वर्षसे कम हो यदि वह मनुष्य कानूनानुसार चौकसीमें रक्खा गया हो । (दफा ४० को देखो) (दफा ८ ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० को भी देखो)

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) मुकद्दमेको छोटाई बडाईके अनुसार जमानत होसकती है और नहीं भी होसकती (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

सरकारी नौकर असावधानीसे कैदसे भाग जाने दे.

(२२३) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर उसकी सरकारी नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका कैदमें रखना कानूनानुसार उचित है उसपर किसी अपराधका दोष लगाया गया हो या जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुआ हो या जो कानूनानुसार चौकसीमें रक्खा गया हो असावधानीसे उस मनुष्यको कैदसे भाग जाने दे तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१-वाजिदहुसेन कानूनानुसार पोलीसके सिपुर्द चौकसीमें किया गया अशरफ अली को उचित था कि वह उस समयतक वाजिदहुसेनको चौकसीमें रखता जबतक कि वह कानूनानुसार छूट न जाता-इसलिये अशरफ अलीको जिसने वाजिदहुसेन को चौकसीमें रखनेकी असावधानी की दफा २२३ के अपराधमें नीतिपूर्वक दंड दिया गया । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२९)

२-दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२३ का केवल ऐसे मुकद्दमोंसे सम्बन्ध है जिनमें कि वह मनुष्य जिसको भाग जाने दिया हो चौकसी (हिरासत) में किसी अपराधके मध्ये हो या सिपुर्द किया गया हो न कि उन मुकद्दमोंसे सम्बंध है जिनमें कि ऐसे मनुष्यकी केवल गिरफ्तारी दीवानीके हुक्मनामेके अनुसार कीगई हो । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा १९०)

कोई मनुष्य जो अपनी उचित गिरफ्तारीमें सामना वा रोक टोक करे.

(२२४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके मध्ये जिसका दोष उस पर लगाया गया हो या जिसका वह अपराधी प्रमाणित हो चुका हो अपने नीतिपूर्वक पकडे जानेमें जानबूझकर किसी प्रकारका सामना करे या कानूनविरुद्ध रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें उपरोक्त अपराधके कारण वह कानूनानुसार बंदी है भाग जाए या भाग जानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा

जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे। (देखो दफा ४०)

स्पष्टीकरण—इस दफाका दंड उस दण्डके अतिरिक्त है जिसका वह मनुष्य जो गिरफ्तार किये जानेको हो या जो चौकसीमें बन्दी हो, उस अपराधके बदलेमें दण्ड योग्य हो, जिसका दोष उसपर लगाया गया या जिसका वह अपराधी प्रमाणित हो।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—एक मनुष्य जब कि उसको मजिस्ट्रेटके सामने इस अभिप्रायसे लिये जाते थे कि उससे नेक चाल चलनकी जमानत ली जावे, चौकसीसे भाग गया तजवीज हुई कि वह दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२४ या २२५ के अपराधका अपराधी न था, क्योंकि वह किसी अपराधके मध्ये चौकसीमें न रक्खा गया था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३३१)

२—अपराधी चोरीमें पकड़ा जाकर देहाती मजिस्ट्रेटके सिपुर्द हुआ जिसने उसको देहाती नौकरोंकी चौकसीमें थाने पुलीसको भेज दिया, अपराधी रास्तेमें भाग गया, उसकी तजवीज दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२४ के अपराधमें हुई। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफा ४८०)

३—जिस मनुष्यको गांवके चौकीदारने चोर समझकर पकडा हो और उसकी हाजिरीकी पोलीसमें आवश्यकता हो और वह उस चौकीदारकी चौकसीसे भाग जावे तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२४ के अपराधका अपराधी नहीं है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा २२)

किसी दूसरे मनुष्य की उचित गिरफ्तारीमें सामना या रोक टोक करना.

(२२९) जो कोई मनुष्य किसी अपराधके मध्ये किसी दूसरे मनुष्यके नीतिपूर्वक पकडे जानेमें जानबूझकर किसी प्रकारका सामना करे या कानूनविरुद्ध रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें उपरोक्त अपराधके कारण वह मनुष्य कानूनानुसार बंदी है छुडाले जाए या छुडा लेजानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारके अपराधका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे; या—

यदि वह मनुष्य जो पकडे जानेको हो या जो छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह पकडे जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें देश निकाले, या कैदका दंड ठहरा हुआ है जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा; या—

यदि उस मनुष्यपर जो पकडे जानेको हो या छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह पकडे जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें वधका दण्ड ठहरा हुआ है तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा; या,–

यदि वह मनुष्य, जो पकडे जानेको हो या जो छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो, किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी दंडाज्ञा या उस दंडाज्ञा (सजाका हुक्म) के तबादिलेके अनुसार देश निकाले या दशवर्ष अथवा इससे अधिक मीआदके देश निकाले या कैदकी अवस्थामें सेवादंड या कैदके योग्य हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा; या,–

यदि वह मनुष्य, जो पकडे जानेको हो या छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो उसके मध्ये वधदंडकी आज्ञा होचुकी हो तो उसको देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० मुकद्दमेके अनुसार (२) पोलिस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है और नहीं भी होसकती, इसका होना न होना मुकद्दमेकी छोटाई बडाई पर निर्भर है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य नहीं है कि चौकसी जिससे अपराधी छुडा लिया जावे पोलीसकीही चौकसी हो, इतनाही प्रमाण बहुत है कि ऐसी चौकसी हो जो कानूनानुसार उचित हो इसलिये किसी मनुष्यकी साधारण चौकसीसे छुडा लेजाना जिसने चोरको चोरी करनेमें पकडा है एक अपराध है । चोरी (इंडियन ला० रिपोर्ट मदरास जिल्द ११ सफा ४४१)

२–इसके पहिले कि जब किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित किया जावे इस बातके प्रमाणित होनेकी आवश्यकता है कि वह मनुष्य, जिसके बचानेका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, बचाए जानेके समय उचित चौकसीमें था । (वीकली रिपोर्टर जिल्द २१ दफा २२)

(२२९ *) (अ +) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकर होकर अपनी सरकारी नौकरीके ओहदेसे कानूनानुसार किसी मनुष्यको किसी ऐसी अवस्थामें पकडने या कैदमें रखनेका अधिकारी है, जिसके मध्ये दफा २२१ या दफा २२२ या दफा २२३ या किसी और समयके प्रचलित कानूनमें कोई आज्ञा नहीं लिखी तो ऐसे मनुष्यको गिरफ्तार करनेमें चूक करे या उसको कैदसे भाग जानेदे तो उसको निम्नलिखित दंड दिया जायगा ।

ऐसी अवस्थामें सरकारी नौकरकी ओरसे पकडे जानेकी चूक या भाग जाने देना जिसके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो.

(क) यदि उपरोक्त नौकर जानबूझकर उस कामको करे तो उसको दोनों प्रकारों-मेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप--(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(ख) यदि उससे वह काम असावधानीसे होजाए तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है

* दफा २ (१४) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० को देखो ।

+ इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ इन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते है जो इस दफाके अनुसार दंड योग्य है (दफा १३ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो)

(२२६) * (ब)—जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसी अवस्थामें जिसके मध्ये दफा २२४ या दफा २२५ में या किसी और समयके प्रचलित कानूनमें कुछ आज्ञा नहीं लिखी अपने या किसी और मनुष्यके नीतिपूर्वक पकडे जानेमें सामना या कानून विरुद्ध रोक टोक करे या उस चौकशीसे भाग जावे या भाग जानेका उद्योग करे जिसमें वह नीतिपूर्वक बंदी हो या किसी और मनुष्यको छुडा ले या छुडा लेनेका उद्योग करे जिसमें वह मनुष्य नीतिपूर्वक बन्दी हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

ऐसी अवस्थामें नीति-पूर्वक पकडे जानेमें सामना या रोक टोक करना या भागजाना या छुडा लेना जिसके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो.

* दफा २४ (१) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० को देखो)

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(२२६) यदि कोई मनुष्य जिसको कानूनानुसार देश निकालेका दण्ड होचुका हो वह जब कि अपनी ठहराई हुई मीआद भुगत जानेसे पहिले या अपना दण्ड माफ किये जानेके बिना लौट आवेगा तो उसको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड दिया जायगा, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और इस देश निकालेके दंडको वर्त्तावमें लानेसे पहिले कठिन कैदके योग्य होगा जिसकी मीआद तीन वर्षसे अधिक न हो ।

अनुचित रीतिसे देश निकालनेसे लौट आना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है ।

(२२७) कोई मनुष्य, जिसने दण्ड माफ होनेके लिये कोई नियम स्वीकार किये हों जानबूझकर किसी नियमके विरुद्ध करे जिसपर वह माफी स्वीकार कीगई है तो उसको वही दंड दिया जावेगा जिसकी आज्ञा उसके मथ्ये पहले हो चुकी हो यदि उसने उस दंडका कोई भाग भुगता न हो और यदि वह उस दंडका कोई भाग भुगत चुका हो तो उपरोक्त दंडके उतनेही भागका दंड दिया जावेगा जो उसने नहीं भुगता ।

दंडकी माफीके नियमोंका तोडना.

टीप—(१) वह अदालत जिसने असली अपराधकी तजवीज की हो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२२८) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करे या किसी प्रकारसे किसी नौकर सरकारीका विघ्नकारक (हारिज) हो जब कि वह सरकारी नौकर अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें इजलास कर रहा हो तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो १०००) रु० तक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करना या विघ्न डालना जब कि वह अदालतकी किसी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें इजलास कर रहा हो.

टीप-(१) वह अदालत जिसमें अपराध किया गया (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने जानबूझकर मुंसिफ देहीको मजिस्ट्रेटी अधिकारकी कार्रवाई करनेमें भला बुरा कहा, मजिस्ट्रेट दर्जा दोयमने अपराधी पर दफा २२८ का अपराध पोलीसके रिपोर्टपर कायम करके उसपर अपराध प्रमाणित किया-तजवीज हुई कि अपराधकी तजवीज ठीक थी

और दफा ४८० व ४८४ मजमूआ जाब्ता फौजदारीका देही मुंसिफोंसे सम्बन्ध नहीं है(इ०ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा १३१)

२—पहिले इसके कि अपराधीपर दफा २२८ का अपराध प्रमाणित कियाजाय, इस बातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधी रंज पहुँचानेका अभिप्राय रखता था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १५ सफा ६२)

३—प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर देनेसे नाहीं करना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२८ के अपराधमें न गिना जायगा। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ४ सफा ७)

(२२९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बन जानेसे या किसी और प्रकारसे जान-

ज्यूरी या असेसर बनाना. } बूझकर यह बात कराये या जानबूझकर यह बात होने दे कि उसका नाम उन लोगोंकी फिहरिस्तमें लिखा हो जो ज्यूरी बनानेकी योग्यता रखते हैं या वह ज्यूरी हो या उससे ज्यूरी या असेसरकी भांति पर शपथ लिया जावे किसी ऐसे मुकद्दमेमें जिसमें वह जानता है कि वह कानूनानुसार ऐसी ज्यूरीकी फिहरिस्तमें लिखे जाने या ज्यूरी बनाये जाने या शपथ लिये जानेका अधिकारी नहीं है या यह जानकर कि वह कानूनविरुद्ध ऐसी ज्यूरीकी फिहरिस्तमें लिखा गया या ज्यूरी बनाया गया है या उससे शपथ लीगई है, जानबूझकर ऐसे ज्यूरीमें या ऐसे असेसरका काम दे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

(१) प्रे० म० या म० अ०। और सब कार्रवाई दफा २२८ के अनुसार होसकती है।

अध्याय बारहवाँ १२.

सिक्कों और गवर्नमेंटके स्टाम्प सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें।

(२३०) * शुद्ध हुआ दफा १ ऐक्ट ६ सन् १८९६ ई०। सिक्का वह धातु है

सिक्केकी तारीफ. } जो कि मौजूद होनेके समय द्रव्यकी भाँति काममें आवे और किसी सरकार अथवा उस समयके राजाकी आज्ञासे इस प्रकार प्रचलित होनेके अभिप्रायसे मुहर किया गया और जारी किया गया हो।

श्रीमती महारानीका सिक्का. } श्रीमती महारानीका सिक्का वह धातु है जो श्रीमती महारानी या गवर्नमेंट हिंद या किसी प्रेजीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंटकी जो श्रीमती महारानीके राज्यमें हों, आज्ञानुसार द्रव्यकी भाँति प्रचलित होनेके लिये ठप्पा किया और जारी किया गया हो—और वह धातु जो इस प्रकारपर ठप्पा किया

---

* ऐक्ट नं० १९ सन् १८७२ ई० को देखो।

और जारी किया गया हो इस अध्यायके अभिप्रायके लिये श्रीमती महारानीका सिक्का ठहरेगा यह संभवित मानकर कि इस कामके लिये उसका प्रचलित होना बंद होगया हो ।

उदाहरण ।

(क) कौडियां सिक्का नहीं है ।

(ख) बिना ठप्पा किये हुए तांबेके टुकडे सिक्का नहीं है चाहे—वह द्रव्यकी भांति काममे आते हों ।

(ग) तमगे सिक्का नहीं है क्योंकि वे द्रव्यकी भाँति काम आनेके अभिप्रायसे नहीं बनाये जाते ।

(घ) सिक्का जो कम्पनीका रुपया कहलाता है श्रीमती महारानीका सिक्का है ।

(च) फर्रुखाबादी रुपया जो गवर्नमेंट हिन्दकी आज्ञानुसार पहले रुपयोंकी भांति प्रचलित था श्रीमती महारानीका सिक्का है परंतु अब ऊपर लिखे अनुसार उनका चलन नहीं रहा है ।

(२३१) जो कोई मनुष्य खोटा सिक्का बनावेगा, अथवा खोटा सिक्का बनानेके कार्योंमेंसे जानबूझकर कोई काम करेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे और किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

खोटा सिक्का बनाना.

स्पष्टीकरण—वह मनुष्य इस अपराधका अपराधी होगा जो धोखा देनेके अभिप्रायसे या इस जानकारीसे कि उसके द्वारा धोखेका चल जाना सम्भव है किसी असली सिक्केको ऐसा कर दे कि वह किसी और सिक्केके समान जानपड़े ।

टीप—(१)अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है ।

१—यदि कोई सिक्केके बदले बाजारमें माल मिलना सम्भव हो तो कहाजायगा कि वह सिक्का नकद है, अकबर बादशाहके समयका सिक्का बनाना दफा २३० व २३१ के अपराधमें न गिना जायगा क्योंकि वह सिक्का सर्व साधारणके काममें नहीं आता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ११ सफा १७२)

(२३२) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीका सिक्का खोटा बनावेगा अथवा खोटा बनानेके कार्योंमेंसे कोई काम जानबूझकर करेगा तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनाना.

टीप—दफा २३१ के अनुसार है ।

१—इस दफाके अनुसार अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस अभिप्रायका होना कि जो सिक्का खोटा बनाया गया वह श्रीमती महारानीके सिक्केके समान काममें आवेगा या यह जानकर कि उस सिक्केका श्रीमती महारानीके सिक्केके समान काममें आनेका सम्भव है, । अवश्य है जानकारी वा अभिप्राय उपरोक्त सिक्केके खोटेपन परही निर्भर है, सिवाय उन अवस्थाओंके कि जो भली

भांतिसे उसको रद करती हो—परंतु जब कि ऐसी धोखेबाजी केवल नुमायश (शोभा) के लिये ही की गई हो और जब कि ऐसा धोखा अनुचित लाभ या हानिके लिये किया गया हो, तो इन दोनों अवस्थाओंका अंतर देखना चाहिये जो धोखा केवल नुमायशके लिये किया गया हो उसमें अपराध नहीं होसकता। (पंजाब रिकार्ड नं० २६ सन् १८६८ ई०)

खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना या बेचना.

(२३३) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या औजार बनाए या उसकी मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोंमेंसे कोई काम करे या उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस अभिप्रायसे कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममें आए या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका खोटा सिक्का बनानेके काममें लाया जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या म० अ०—और सब शेष बातें दफा २३१ के अनुसार है।

श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना.

(२३४) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या औजार बनाए या उसकी मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोंमेंसे कोई काम करे या उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रायसे कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये काममें लाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके निमित्त काममें आनेके अभिप्रायसे है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझो।

औजार या सामानको खोटा सिक्का बनानेके अभिप्रायसे अपने पास रखना.

(२३५) जो कोई मनुष्य कोई औजार या सामान अपने पास रखता हो, इस अभिप्रायसे कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममें लाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका उस प्रयोजनके लिये काममें लाए जानेका अभिप्राय है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा—और यदि सिक्का जो खोटा बनाए जानेको है श्रीमती महारानीका सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० यदि सिक्का महारानीका है तो अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२३६) कोई मनुष्य जो ब्रिटिश इंडियाकी सीमाके भीतर हो ब्रिटिश इंडियाकी सीमासे बाहर खोटा सिक्का बनानेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको उसी प्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने ब्रिटिश इंडियाकी सीमाके भीतर उस खोटे सिक्केके बनानेमें सहायताकी।

हिन्दुस्थानमें रहकर हिन्दुस्थानके बाहर खोटा सिक्का बनानेके लिये सहायता देना,

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझो ।

(२३७) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का ब्रिटिश इंडियाके भीतर लाए या उससे बाहर लेजाये यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह खोटा है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर लेजाना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है ।

(२३८) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है ब्रिटिश इंडियाके भीतर लाये या उससे बाहर ले जाये, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसको मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

श्रीमती महारानीके खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर लेजाना.

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझो ।

(२३९) कोई मनुष्य जिसके पास कोई खोटा सिक्का हो और जिसको उसने अपने अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो उस सिक्केको छलसे या छल किये जानेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यके सिपुर्द करे या किसी मनुष्यको उसके लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केको जानागया हो कि यह खोटा है उसे किसी दूसरेके सिपुर्द करना.

टीप-दफा २३७ के अनुसार जानो ।

१—(क) और (ख) दोनों मनुष्योंको साथही दफा २३९ के अपराधमें दण्ड हुवा, (क) ने कहा कि मैंने सिक्का (ख) से पाया है और उपरोक्त सिक्का कुछ मनुष्योंको (ख) के

ही कहनेसे दिया—तजवीज हुई कि (क) के बयानोंका (ख) से सम्बन्ध है जब वह अपराधी मनुष्य किसी एकही अपराधको जो एकही मामलेसे हो करे तो एक मनुष्यका बयान दूसरे मनुष्यके मुकाबिले काममें आसकता है चाहे उससे वह स्वयंही फँसता हो और उससे उसके मध्ये दूसरा अपराध कायम होता हो। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ८ सफा २३३)

२—दफा २३९ का सिक्का बनानेवालेसे सम्बंध नहीं है बरन दूसरे मनुष्यसे सम्बंध है, जो कोई खोटा सिक्का लेकर या प्राप्त करके किसीको सिपुर्द करे। (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा १५०)

(२४०) कोई मनुष्य जिसके पास कोई ऐसा खोटा सिक्का हो जो श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है और जिसको उसने अधिकारमें लेते समय श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का जाना हो उस सिक्केको छलसे या छलके लिये जानेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको उसके लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

अधिकारमें लेतेसमय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है. उसे किसी औरके सिपुर्द करना.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो।

(२४१) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको वह खोटा जानता हो, परन्तु उसको अधिकारमें लेते समय खोटा न जाना हो, खरे सिक्केके समान किसी दूसरे मनुष्यको देवे या उसके देनेका उद्योग करे या उसको उसके लेनेके लिये फुसलावे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या उस जुर्मानेका दंड जो उस खोटे सिक्केसे दश गुणेतक हो दिया जायगा या दोनों दंड दिये जावेंगे।

खरे सिक्केकी भांति देना किसी मनुष्यको कोई ऐसा सिक्का जिसको देनेवालेने अपने पास आनेके समय खोटा न जाना हो.

उदाहरण।

किसी शिवशंकर सराफने कम्पनीके खोटे रुपये अपने साझी रमाशंकरको चलानेके लिये दिये और रमाशंकरने वे रुपये उमाशंकरको बेचे और उमाशंकरने यह जानबूझकर कि ये खोटे हैं मोल ले लिये फिर उमाशंकरने वे रुपये हरशंकरको जिन्सके बदले दिये और हरशंकरने खोटे न जानकर ले लिये और लेलेनेके पीछे हरशंकरने जान लिया कि ये रुपये खोटे हैं परंतु फिर भी खरेकी भांति कहीं चला दिये तो यहां हरशंकर इसी दफाके अनुसार दण्ड योग्य होगा परंतु रमाशंकर और उमाशंकर दफा २३९ या २४० के अनुसार जैसी अवस्था होगी दंड पावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या० म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—अपराधीके पास एक खोटा सिक्का था उसने वह सिक्का अपने दोस्तको इस अभिप्रायसे दिया कि पोलीसको वह सिक्का अपराधीके अधिकारमें न मिलसके-तजवीज हुई कि कैदीने कोई

अपराध नहीं किया था क्योंकि उसने वह सिक्का खरे सिक्केके समान नहीं दिया था और हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २४१ का अपराध केवल उसी अवस्थामें उत्पन्न होता है कि जब कोई खोटा सिक्का खरे सिक्केके समान दिया जावे। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ४ सफा ६२)

उस मनुष्यका खोटे सिक्के को अपने पास रखना जिसने उसको लेते समय खोटा जाना हो।

(२४२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे खोटा सिक्का अपने पास रखता हो और उसको उस सिक्केके लेते समय यह जानकारी थी कि वह खोटा सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा २३७ के अनुसार है।

उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके खोटे सिक्केको अपने पास रखना जिसने उसका लेते समय खोटा जाना हो।

(२४३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे कोई खोटा सिक्का अपने पास रखता हो जो श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का हो और उसको लेते समय यह जानकारी थी कि वह खोटा सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा २३७ के अनुसार है।

जो मनुष्य टकसालमें नौकर होकर कोई सिक्का कानूनानुसार ठहराई तौल या धातुसे दूसरी तौल या ढंगका बनावे.

(२४४) जो कोई मनुष्य किसी टकसालमें जो ब्रिटिश इंडियामें उचित रीतिपर नियत कीगई है नौकर हो, और वह मनुष्य कोई काम करे या किसी ऐसे काममें चूक करे जिसका करना उसपर कानूनानुसार अवश्य है इस अभिप्रायसे कि कोई सिक्का जो उस टकसालसे निकले उस तौल या ढंगसे जो कानूनानुसार ठहराहुआ है दूसरी तौल या ढंगका हो जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझना चाहिये।

अनुचित रीतिसे किसी टकसालसे सिक्का बनानेका कोई औजार लेजाना.

(२४५) जो कोई मनुष्य किसी टकसालसे जो ब्रिटिश इंडियामें उचित रीतिपर नियत की गई हो, सिक्का बनानेका कोई औजार या सामान बिना उचित अधिकारके निकाल लेजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझना चाहिये।

(२४६) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर छल या बददियानतीसे कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी तौल कम होजावे, या उस सिक्केका ढंग बदलजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

छल या बददियानतीसे किसी सिक्केकी तौल घटाना या उसका ढंग बदलना.

स्पष्टीकरण—जो मनुष्य किसी सिक्केमेंसे खोदकर कोई भाग निकाल ले और गढ़ेमें कोई और वस्तु रख दे तो उसने उस सिक्केके ढंगको बदल दिया।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो।

(२४७) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्केपर छल या बददियानतीसे कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी तौल कम होजावे या उसका ढंग बदल जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

छल या बददियानतीसे श्रीमती महारानीके सिक्केकी तौल घटाना या उसका ढंग बदलना.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो।

(२४८) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी सूरत बदल जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का किसी और प्रकारके सिक्केकी भांतिसे चलजाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चल जाय.

टीप—दफा २३७ के अनुसार समझना चाहिये।

(२४९) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्केपर कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी सूरत बदल जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का किसी और प्रकारके सिक्केकी भांतिसे चलजाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

श्रीमती महारानीके सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति बनजाय.

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो।

(२५०) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये दफा २४६ या २४८ में बयान किया हुआ अपराध होचुका है और जिस समय वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह जानबूझकर कि वहीं अपराध उसके मध्ये होचुका है उस सिक्केको छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जाए किसी दूसरे मनुष्यके सिपुर्द करे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केके मध्ये जाना गया हो कि यह बदला हुआ है. उसे किसी और के सिपुर्द करना.

टीप-दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२५१) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये वह अपराध हो चुका है जिसका बयान दफा २४७ या २४९ में किया गया है और जिसने उस सिक्केको अधिकारमें लेते समय जान लिया हो कि उस सिक्केके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है उस सिक्केको छलसे या इस अभिप्रायसे कि छलका काम किया जाय किसी दूसरे मनुष्यको दे देवे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

अधिकारमें लेते समय श्रीमती महारानीके जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुवा है उसे किसी औरके सिपुर्द करना

टीप-दफा २३७ के अनुसार समझो ।

(२५२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे, कोई ऐसा सिक्का अपने पास रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध हो चुका है जिसका बयान दफा २४६ या २४८ में किया गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमें लेते समय जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

उस मनुष्यका बदले हुए सिक्केको पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय जाना हो कि यह बदला हुवा है.

टीप-दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२५३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जाए, कोई सिक्का अपने पास रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध होचुका है जिसका बयान दफा २४७ या २४९ में किया गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमें लेते समय जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो उस मनुष्यको

उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके सिक्केको पास रखना जिसने उसको अधिकारमें लेते समय बदला हुआ जाना हो.

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी योग्य होगा।

टीप— दफा २३७ के अनुसार जानो।

एसे सिक्केको खरे सिक्केकी भांति किसी और को देना जिसको देनेवाला लेने पहिले अधिकारमें लेते समय बदला हुवा न जाना हो.

(२९४) जो कोई मनुष्य कोई सिक्का जिसके मध्ये वह जानता है कि कोई ऐसा वर्त्ताव, जिसका बयान दफा २४६ या २४७ या २४८ या २४९ में हुवा है हो चुका है, परंतु जिसके मध्ये अपने अधिकारमें लाते समय वह नहीं जानता था कि वह वर्त्ताव हो चुका है खरे सिक्केकी भांतिसे या जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी भांति किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको इस बातके फुसलानेका उद्योग करे कि वह मनुष्य इस सिक्केको खरे सिक्केकी भांतिसे या जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी भांतिसे अपने अधिकारमें ले तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो उस बदले हुए अथवा बदलनेका उद्योग किये हुए सिक्केके मोलके दशगुनेतक हो सकेगा किया जायगा।

टीप—दफा १४१ के अनुसार जानो।

गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनाना,

(२९५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे स्टाम्पको जिसको गवर्नमेंटने अपनी आमदनीके निमित्त चलाया हो खोटा बनावेगा या जानबूझकर खोटा बनानेके कामोंमेंसे कोई काम करेगा तो उसको जन्मभरके देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी योग्य होगा।

स्पष्टीकरण—वह मनुष्य इस अपराधका करनेवाला कहलावेगा जो एक प्रकारके सच्चे स्टाम्पको और प्रकारके सच्चे स्टाम्पकी सूरतका कर देनेसे खोटा करे।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनानेके अभिप्रायसे कोई औजार या सामान पास रखना.

(२९६) जो कोई मनुष्य कोई औजार या सामान इस अभिप्रायसे अपने अधिकारमें रखता हो कि वह किसी ऐसे खोटे स्टाम्पके काममें आवे या वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि यह किसी ऐसे खोटे स्टाम्प बनानेके काम आनेके अभिप्रायसे है, जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२५७) जो कोई मनुष्य कोई औजार बनाए या उसके बनानेके कामोंमेंसे कोई काम करे या उस औजार को मोल ले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस अभिप्रायसे कि वह किसी खोटे स्टाम्पके बनानेमें काम आवे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रख कर कि यह ऐसा खोटा स्टाम्प बनानेमें काम आनेके अभिप्रायसे है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गवर्नमेंट स्टाम्पको खोटा करनेके अभिप्रायसे औजारका बनाना या बेचना.

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२५८) जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प बेचे या बेचनेके वास्ते रक्खे यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह किसी ऐसे स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा !

गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बेचना.

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२५९) जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प जिसको वह जानता हो कि किसी ऐसे स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया है अपने पास रखता हो इस अभिप्रायसे कि उस स्टाम्पको सच्चे स्टाम्पकी भांतिसे काममें लाए या अपने अधिकारसे अलग करे या इस अभिप्रायसे कि वह असली स्टांपकी भांतिसे काममें लाया जाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्पको पास रखना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२६०) जो कोई मनुष्य सच्चे स्टांपकी भांतिसे कोई स्टांप काममें लाए यह जानकर कि वह स्टांप किसी ऐसे स्टांपसे झूठा बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जायँगे।

सच्चे स्टांपकी भांति काममें लाना गवर्नमेंटके किसी स्टांपका जो जान लिया हो कि झूंठा है.

टीप-दफा २५९ के अनुसार है।

(२६१) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए, किसी वस्तुसे जिसपर कोई स्टांप लगा हो जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है कोई लेख या दस्तावेज दूर करे या मिटा डाले जिसके लिये वह स्टांप काममें लाया गया था या किसी लेख या दस्तावेजसे कोई स्टांप जो इस लेख या दस्तावेजके लिये काममें लाया गया हो इस अभिप्रायसे दूर करे कि वह स्टांप किसी और लेख या दस्तावेजके लिये काममें लाया जाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

गवर्नमेंटको हानि पहुंचानेके अभिप्रायसे किसी वस्तुसे किसी लेखका मिटाना जिसपर गवर्नमेंटका कोई स्टांप लगा हो या दूर करना किसी दस्तावेजसे वह स्टांप जो उसके लिये काममें लाया गया है.

टीप—२५९ के अनुसार है।

(२६२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए, कोई स्टांप जो गवर्नमेंटसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया हो किसी प्रयोजनसे काममें लाए यह जानकर कि वह पहले काममें आचुका है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

काममें लाए हुए गवर्नमेंट स्टांपको जानबूझकर काममें लाना.

टीप—(१) प्रे० म० या० म० अ० या० म० दं० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(२६३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए किसी स्टांपपरसे जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है कोई ऐसा चिह्न छील डाले या दूर करे जो इस बातके प्रगट करनेके लिये उस स्टांपपर लगाया गया या छापा गया हो कि वह स्टांप काममें आचुका है या ऐसा स्टांप कि जिसको वह जानता हो

उस चिह्नको छीलना जिससे यह प्रगट होता हो कि स्टांप काममें आचुका है

कि काममें आचुका है और जिसपरसे यह चिह्न छीला गया या दूर किया गया हो जानबूझकर अपने पास रक्खे या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जायँगे।

टीप–दफा २५९ के अनुसार समझना चाहिये।

(२६३) (अ) (बढाया गया दफा २ ऐक्ट ३ सन् १८९५ ई० के अनुसार)

जाली स्टांपकी मनाही.

(१) जो कोई मनुष्य (अ) कोई जाली स्टांप बनाए या जानबूझकर चलाए या उसका कारबार करे या बेचे या जानबूझकर कोई जाली स्टांप किसी डाक सम्बन्धी अभिप्रायसे काममें लाए या—

(ब) बिना उचित उज्रके कोई जाली स्टांप अपने अधिकारमें रक्खे या,–

(ज) कोई टप्पा या धातुकी खोदी हुई तख्ती या औजार या सामान जाली स्टांप तैयार करनेके लिये बनाए, या बिना उचित उज्रके अपने अधिकारमें रक्खे उसको जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो दोसौ रुपये तक होसकता है।

(२) उचित है कि ऐसा स्टांप या टप्पा या धातुकी खोदी हुई तख्ती या औजार या सामान जो किसी मनुष्यके अधिकारमें किसी जाली स्टांपकी तैयारीके अभिप्रायसे पाया जावे वह गिरफ्तार कर दिया जाए और वह सामान आदि जब्त कर लिया जाए।

(३) इस दफामें शब्द "जालीस्टांप" से प्रत्येक ऐसे स्टांपका अभिप्राय है जिससे यह गलत बात प्रगट होती हो कि उसको गवर्नमेंटने महसूल डाकके कोई नियम प्रगट करनेके अभिप्रायसे जारी किया है या ऐसे स्टांपकी कोई नकल या सूरत शकलसे अभिप्राय है जिसे गवर्नमेंटके ऊपरके अभिप्रायसे जारी किया हो चाहे वह कागज पर हो चाहे और भांति पर–

(४) "गवर्नमेंट" के शब्दसे इस दफामें और इसके अतिरिक्त दफा २२९ से लेकर दफा २६३ में दोनों दफा मिलाकर, जब कि उसे किसी ऐसे संबंधी स्टाम्पके साथ काममें लाया जावे जो किसी डाक संबंधी नियमके प्रगट करनेके लिये जारी किया गया हो, बिना लिहाज किसी मजमून दफा ७ में लिखे हुएके वह मनुष्य या वे मनुष्य दाखिल समझे जावेंगे जो कानूनकारक गवर्नमेंटका प्रबंध करनेके लिये हिन्दुस्थानके किसी भागमें और श्रीमती महारानीके राज्यके किसी भागमें या किसी दूसरे देशमें नीतिपूर्वक अधिकारी हों।

टीप—दफा २६२ के अनुसार है।

अध्याय तेरहवाँ १३.

नाप तोल सम्बंधी अपराधोंके विषयमें ।

(२६४) जो कोई मनुष्य तौलनेके किसी औजारको जिसे वह झूठा जानता हो छलसे काममें लाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

तौलनेके झूठे औजारको छलछिद्रसे काममें लाना.

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है

(१) तौलके झूठे औजारोंको छलसे काममें लानेका अपराध अपराधीकी बदनियतीपर निर्भर है इसलिये जब मुकद्दमेमें ऐसी नियतके मध्ये कोई गवाही न थी तो हाईकोर्टसे जुर्मानेकी वापसीकी आज्ञा हुई । (बिक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ६०)

(२६५) जो कोई मनुष्य किसी झूठे बांटको या तौल या लम्बाई नापनेके झूठे पैमानेको छलसे काममें लाए या किसी बाँट या तौल या लम्बाई नापनेके किसी पैमानेको किसी और बाँट या पैमानेकी भाँतिसे जो उससे दूसरा हो छलसे काममें लाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

झूठे बाँट या पैमानेको छलसे काममें लाना.

टीप—दफा २६४ के अनुसार जानो ।

(२६६) जो कोई मनुष्य तोलनेका कोई औजार या कोई बाँट या तोल या लम्बाई जांचनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो अपने पास रखता हो और उसका यह अभिप्राय हो कि वह छलसे काममें लाया जावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

झूठे बाँटों या पैमानेका अपने पास रखना ।

टीप—दफा २६४ के अनुसार समझो ।

१—नियत किये हुए नाप तौलसे डरकर नाप तौलको अपने पास रखना ही कोई अपराध नहीं है, अपराधीके छल छिद्रके अभिप्रायको प्रमाणित करना चाहिये । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा १८१)

(२६७) जो कोई मनुष्य तौलनेका कोई औजार या कोई बाँट या कौल या लम्बाई नापनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो इस अभिप्रायसे बनाए या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे कि वह सच्चेके भाँतिसे काममें लाया जावे या यह जानकर कि सच्चेकी भाँतिसे उसका काममें लाया जाना

झूठे बाँट या पैमाने बनाना बेचना ।

अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकतीहै या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २६४ के अनुसार समझो।

अध्याय चौदहवाँ १४.

सर्व साधारण सम्बन्धी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता और सुलज्जिता और सज्जनता और सुशीलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।

सर्व सम्बन्धी कष्टके कारणका काम.

(२६८) वह मनुष्य सर्व साधारण मनुष्योंको कष्ट देनेका अपराधी होगा, जो कोई ऐसा काम करे या किसी ऐसी अनुचित चूकका अपराधी हो जो सर्व साधारणको या मुख्यकर उन मनुष्योंको जो उसके आसपास समीपमें रहते या किसी धरती अथवा घरपर अधिकार रखते हों कोई हानि या विपत्ति या क्लेश पहुंचाए या जो उन मनुष्योंको जिन्हें किसी सर्व साधारण अधिकारके काममें लानेकी आवश्यकता हो अवश्य करके कोई हानि या विपत्ति या क्लेश पहुंचाए या रोक टोक करे।

कोई काम सर्व साधारणके कष्टका कारण इससे क्षमाके योग्य न होगा कि, उससे कुछ आराम या लाभ देख पडता हो।

१—कुछ मनुष्य कि जिन्होंने बांसका बांध एक घटने बढनेवाली नदीके आरपार बांधा था-उस नदीसे नावें भी जाती थीं, यद्यपि उन्होंने ऐसे बांधमें एक तंग रास्ता नावोंके आने जानेके लिये छोड़ दिया था जो नावके आनेके समयके सिवाय बंद रहता था—सब डवीजनल अफसरकी दरख्वास्तसे उसपर दफा २८३ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानका अपराध लगाया गया—तजवीज हुई कि-यह बात संदेहकी है कि दफा २८३ का मुकद्दमेसे सम्बंध है परंतु उन्होंने दफा २६८ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका अपराध किया और वह दफा २९० के अनुसार दंड योग्य है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६५६)

२—एक गांवके कुछ मुसलमानोंने मुहर्रमके दिनोंमें उस धरतीपर जो गांवके समीप थी एक पिंडाल कायम की और भी वहांपर मजहबी चिह्न अर्थात् एक बट रक्खी, साहब मजिस्ट्रेटने हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २९० का अपराध उनपर लगाकर यह बात प्रमाणित की कि उनका यह काम उस गांवके सर्व साधारण हिन्दुओंके दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे कि जिनके मंदिर उस धरतीके निकटही थे किया गया है तजवीज हुई कि अपराधकी तजवीज अयोग्य थी (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ५९०)

३—जो मनुष्य जानबूझकर चौपायेको किसी सर्व साधारण मार्गमें इस प्रकारसे काटे कि मार्ग चलनेवालोंको काटना सुनाई और दिखाई दे वह मनुष्य दफा २९० हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका अपराधी होगा परंतु जब कि कुछ मुसलमानोंने मजहबी वर्त्ताबेके अभिप्रायसे दो गायोंको सूर्योदयसे पहिले किसी विशेष घरमें जो सर्व साधारण मार्गसे कुछ २ दिखाई देता था, काटा और दो गायों-

मंसे एकका काटा जाना केवल एक हिंदूने देखा तजवीज हुई कि ऐसा काम किया जाना सर्व साधारणको कष्ट पहुँचानेकी सीमातक नहीं पहुँचता जैसा कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २६८ में कहा गया है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफा ४४)

४—एक अपराधीने अपने बरामदेमें गोश्त जो महमानोंके लिये पकनेवाला था उसको उन मनुष्योंकी दिखावटमें जो सड़कके ऊपरसे जा रहे थे जिनमें कुछ जैनी थे जिनका मंदिर समीपही था कटवाया—तजवीज हुई कि कोई अपराध उस मनुष्यपर प्रमाणित नहीं होता। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १२ सफा ४३७)

५—जब किसी नदी या खाड़ीमें कि जहांसे नाव या जहाजका आना जाना होता है किसी रोक टोकके मध्ये किसीपर कोई अपराध लगाया जावे तो उसमें ऐसी गवाहीके होनेकी आवश्यकता है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि वहांसे नाव या जहाजके आने जानेमें कोई रोक या किसी मनुष्यके आने जानेमें किसी प्रकारकी हानि या क्लेश पहुँचता है। बिना इस बातके प्रमाणित हुए दफा २६८ का अपराध किसी पर कायम नहीं होसकता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ६६५)

असावधानीसे वह काम करना जिससे किसी घातक रोगका फैलना अति संभवित हो.

(२६९) जो कोई मनुष्य कानूनविरुद्ध या असावधानीसे कोई ऐसे काम करे कि जिसको वह जानता है अथवा जिसके मध्ये वह निश्चय करनेका कारण रखता है कि उसीसे किसी ऐसे रोगका फैलना संभवित है कि जिससे प्राणोंको हानि पहुँच सकती है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है, या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—(क) यह जानकर कि मुझे हैजा हुआ है एक रेलगाडीके दर्जेमें बैठ गया और अपनी बीमारीकी दशाकी सूचना रेलवे कम्पनीके नौकरोंसे न की—(म) ने (क) की दशा जानकर (क) का टिकट मोल लिया और वह (क) के साथ रवाना हुआ—तजवीज हुई कि (क) को दफा २६९ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार दण्ड दिया जाना उचित हुवा क्योंकि वह जानता था कि इस बीमारीसे घातक बीमारीके फैलनेका भय है और (म) को अपराधमें सहायता करनेके अपराधमें दण्ड दिया जाना उचित हुवा। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा २७६)

२—कोई रंडी, जब कि उसे गर्मीका रोग हो गया हो और उसीके द्वारा उपरोक्त रोग उस मनुष्यको हो जावे जिसने उसके साथ प्रसंग किया है, दफा २६९ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार दण्डके योग्य नहीं हो सकती परंतु उसपर धोखा देनेकी नालिश दफा ४१७ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार होसकती है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ६९)

(२७०) जो कोई मनुष्य दुर्भावसे ऐसा काम करे जो ऐसा है और जिसको वह जानता है या जिसके मध्ये वह निश्चय करनेका कारण रखता है कि उससे किसी ऐसे रोगका फैलना संभवित है जिससे प्राणोंको हानि पहुँचे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि दो वर्षतक होसकती है—जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

दुर्भावसे उस कामका करना कि जिससे किसी घातक रोगका फैलना अति संभवित हो.

(२७१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसे कायदेकी आज्ञाको भंग करे जो हिन्दुस्थानकी गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंटने किसी जहाजको क्वारन्टाइनकी अवस्थामें रखनेके लिये या इन जहाजोंके बीचमें आने जानेके प्रबन्धके लिये कि जो क्वारन्टाइनकी अवस्थामें है और नदी अथवा समुद्रके किनारे अथवा और जहाजोंके या ऐसे स्थानमें आनेजानेके प्रबंधके लिये कि जहां कोई छूनेसे फैलनेवाला रोग फैला हुआ है और और स्थानोंमें जारी और प्रसिद्ध किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

किसी क्वारन्टाइनकी आज्ञाको न मानना.

(ऐक्ट नं० १ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२७२) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके किसी पदार्थमें इस प्रकारसे मिलावट करे कि वह पदार्थ खाने या पीनेमें हानिकारक होजाए, इस अभिप्रायसे कि उस पदार्थको खाने या पीनेके पदार्थकी भांति बेचे या इस जानकारीसे कि खाने या पीनेके पदार्थकी भांतिसे उस पदार्थका बिकजाना सम्भवित है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद १०००) एक हजार रुपयेतक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

किसी बेचनेवाले खाने पीनेके पदार्थमें मिलावट करना.

टीप—दफा २७१ के अनुसार है ।

(अदालतको अधिकार है कि अपराध करनेका प्रमाण पातेही दफा २७२ या २७३ या २७४ या २७५ के अनुसार यह आज्ञा दे कि वह पदार्थ या दूसरा पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हुवा है नष्ट कर दिया जावे) (ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१ को देखो ।)

(२७३) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके पदार्थकी भांतिसे किसी ऐसे पदार्थको बेचे या बेचनेके निमित्त बाहर रक्खे या बेचनेके लिये निकाले जो हानिकारक बना दिया गया हो या ऐसी अवस्थामें हो कि खाने या पीनेके योग्य न हो, यह जानकर या इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उप-

खाने या पीनेके हानिकारक पदार्थको बेचना.

रोक्त पदार्थ खाने या पीनेके लिये हानिकारक है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जिसकी तादाद एक हजार रुपयेतक होसकती है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार जानना।

१—अपराधीने कुछ आटा फी रुपया सत्रह सेरके भावसे बेचा, यद्यपि अच्छे आटेका भाव पन्द्रह सेर था—डाक्टरने बयान किया कि वह आटा पुराना और रोग मिला हुवा था और यदि खाया जाता तो रोग होनेका भय था—अपराधीने आटा लेनेवालेसे आटा बेचनेके समय कह दिया था कि वह आटा घुरा होनेके कारण सस्ता बेचा गया था तजवीज हुई कि इस अपराधमें दफा २७३ दंडसंग्रहहिन्दके अनुसार दण्ड देना अनुचित हुआ। (पंजाब रिकार्ड नं० १५ सन्१८७३ ई०)

औषधियोंमें मिलावट करना.

(२७४) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई या विना बनी हुई औषधिमें इस प्रकारसे मिलावट करे कि उसके द्वारा उस बनी हुई या बिना बनी हुई औषधिका गुण कम करदे या उसका अमल बदल दे या उसको हानिकारक बना दे, इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेका सम्भव जानकर कि वह किसी रोगमें देनेके लिये इस प्रकारसे विक जावे या काममें आवे कि मानों उसमें मिलावट नहीं हुई तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद एक हजार रुपये तक होसकती है, या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

मिलावट कीहुई औषधियोंको बेचना.

(२७५) जो कोई मनुष्य यह जानकर कि किसी बनी हुई या विना बनी औषधिमें इस प्रकारपर मिलावट कीगई है कि उसके कारणसे उसका गुण कम होगया या अमल बदल गया या वह हानिकारक बना दीगई है उसको बेचे या बेंचनेके लिये सामने रक्खे या बेंचनेके लिये निकाले या औषधालय (दवाखाना) से रोगके ऊपर देनेके लिये ऐसी औषधिकी भांतिसे जिसमें मिलावट नहीं कीगई, बांटे; या किसी मनुष्यसे जो उस मिलावटसे जानकार न हो रोगके ऊपर उसका वर्त्ताव करावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

अदालतोंको अधिकार है कि दफा २७२, २७३, २७४, २७५, के अपराधका प्रमाण पाते ही यह आज्ञा दे कि यह सामान या दूसरा पदार्थ जिसके मध्ये वह अपराध हुआ, नष्ट कर दिया जावे। (एक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१ को देखो)

(२७६) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई या विना बनी हुई औषधिको किसी और बनी हुई या विना बनी हुई औषधिकी भांतिसे जानबूझकर बेचे या बेचनेके लिये सामने रक्खे या बेचनेके लिये निकाले या औषधालयसे रोगके ऊपर देनेकेलिये बांटे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

किसी औषधिको किसी बनी हुई या विना बनी औषधिकी भांतिसे बेचना.

टीप--दफा २७१ के अनुसार है ।

(२७७) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी कुआं, नदी अथवा कुंडके पानीको जानबूझकर खराब या गदला करे इस प्रकार कि उसको ऐसा करदे कि जिस अभिप्रायके लिये वह काममें आता है जैसा था वैसा उसके योग्य न रहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

किसी सर्वसबंधी कुआँ या कुंड इत्यादिके पानीको बिगाडना.

टीप--(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१-शब्द कुआं नदी अथवा कुण्ड दफा २७७ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानमें सर्व सम्बन्धी नदी न गिनी जायगी, इसलिये मछलियें पकडनेके अभिप्रायसे डालियोंका नदीमें डालना इस दफाके अनुसार अपराध नहीं है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३८३)

२-शब्द "सर्व संबंधी कुंड" में सदैव बहनेवाली पानीकी धार जो किसी नदीमें बहती हो न गिनी जायगी (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २२९)

(२७८) जो कोई मनुष्य किसी स्थानकी हवाको जानबूझकर बिगाडदे इस प्रकार पर कि वह उन मनुष्योंकी आरोग्यताके लिये हानिकारक हो जो विशेषकर उस स्थानके आसपास रहते या कारोबार करते हों या किसी सर्वसम्बन्धी मार्गसे होकर आवाजाही रखते हों तो उस मनुष्यको जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है ।

हवाको आरोग्यताके लिये हानिकारक करदेना.

टीप--दफा २७७ के अनुसार है ।

(२७९) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी मार्गमें ऐसी लापरवाही अथवा असावधानीसे कोई गाडी चलावे या सवार होकर निकले कि उससे मनुष्यके प्राणकी हानि हो अथवा किसी दूसरे मनुष्यको चोट या हानि पहुंचाना अति संभवित हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

किसी सर्व सम्बन्धी मार्गमें लापरवाहीसे गाडी चलाना या सवार होकर निकलना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलिस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—यदि लापरवाहीसे गाडी हांकनेमें वह गाडी किसी दूसरी गाडीसे भिड जावे और उस दूसरी गाडीको हानि पहुँचे तो गाडी हांकनेवाला न कि उसका मालिक दफा २७९ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा। (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द १४ सफा ३२)

लापरवाहीसे नाव या जहाज चलाना.

(२८०) जो कोई मनुष्य किसी नाव या जहाजको इस प्रकार पर लापरवाही या असावधानीसे चलाए कि उससे मनुष्यके प्राणकी हानि हो या किसी और मनुष्यको चोट या हानि पहुंचना अति संभवित हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या० म०अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

झूठी रोशनी या झूठा चिह्न या पानी पर तैरने वाला चिह्न दिखाना.

(२८१) जो कोई मनुष्य कोई झूठा प्रकाश (रोशनी) या झूठा चिह्न या पानी पर तैरनेवाला चिह्न दिखलाए, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना संभवित जानकर कि उस दिखानेके कारणसे किसी चलानेवालेको मार्ग भुला दे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

पानीके मार्ग पहुँचाना किसी मनुष्यका भाडेके लिये किसी ऐसी नावसे जो अति बोझित या जोखिमकी हो.

(२८२) जो कोई मनुष्य पानीके मार्गसे किसी मनुष्यको किसी नावमें जब कि वह नाव ऐसी अवस्थामें हो या इतनी लदी हो कि उसमें उस मनुष्यके प्राणोंका भय हो, जानबूझकर या असावधानी करके भाडेपर ले जावे या लिवा लेजावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २८० के अनुसार है।

१—कुछ मनुष्योंको अपराधी एक नदीसे नावपर पार उतारता था नाव बोझिल होनेके कारण बैठ गई कि जिससे वह मनुष्य डूब गये—तजवीज हुई कि अपराधीके मध्ये ज्ञातवत् घातके अपराधका प्रमाण जो ज्ञातघातकी सीमातक न पहुँचे नहीं होसकता था, क्योंकि यह बात प्रगट हीं होती थी कि उसने कोई काम यह जानकर किया था कि इस कामसे दफा २९९ हिन्दुस्था-

नके दंडसंग्रहका अभिप्राय उसका था अतएव अपराधी असावधानीसे नावको भाडेपर ले जानेके लिये दफा २८२ के अनुसार दण्डके योग्य होसकता है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ३)

२—जो मल्लाह टूटी नाव किरायेपर चलावे और उससे मुसाफिरोंको अपने प्राणोंका अंदेशा हो तो उस मल्लाहपर दफा २८२ का अपराध प्रमाणित करना चाहिये न कि अपराध दफा २३६ का। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १३७)

जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्व संबन्धी मार्ग अथवा नावके मार्गमें.

(२८३) जो कोई मनुष्य किसी कामके करनेसे या किसी मालके मध्ये जो उसके अधिकार या प्रबन्धमें हों, चौकसीमें चूक करनेसे किसी सर्व सम्बन्धी मार्ग अथवा नावके मार्गपर किसी मनुष्यको हानि या रोकटोक पहुँचाए तो उस मनुष्यको जुर्मानेका दंड दिया जावेगा जिसकी तादाद दोसौ रुपयेतक होसकती है।

टीप—दफा २८० के अनुसार है।

१—किसी शहरके मार्गके निकट मछलीका जाल फैलाना दफा २८३ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके अभिप्रायानुसार अपराध नहीं है जबतक कि यह न प्रमाणित किया जावे कि इस कामसे किसी विशेष मनुष्य या समूहको रोक पहुँचाई गई। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २३५)

किसी विषैले पदार्थके मध्ये असावधानी करना.

(२८४) जो कोई मनुष्य किसी विषैले पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणकी हानि हो या किसी और मनुष्यको चोट पहुँचनेका सम्भव हो या किसी विषैले पदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर या असावधानीसे ऐसी चौकसीमें चूक करे जो उस अंदेशेके मिटानेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस विषैले पदार्थसे है काफी हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २७५ के अनुसार है।

अग्नि अथवा जलने वाली वस्तुके मध्ये असावधानी करना.

(२८५) जो कोई मनुष्य आग या किसी जलनेवाले पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे किसी और मनुष्यको दुःख पहुँचना सम्भवित हो या किसी आग या किसी जलनेवाले पदार्थके मध्ये जो उसके निकट हो जानबूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे जो उस दुःखके दूर करनेके लिये जिसके पहुंचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस आग या जलनेवाले पदार्थसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी

कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप--दफा २७९ के अनुसार है।

१--हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २८५ में आये हुए शब्द "दुःख" का सम्बंध केवल मनुष्यके शरीरसेही नहीं बरन् मालसे भी है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा ६७)

भकसे उड़जानेवाले पदार्थके मध्य असावधानी करना.

(२८६) जो कोई मनुष्य भकसे उडजानेवाले किसी पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका भयहो या जिससे किसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पहुंचनेका सम्भव हो या भकसे उडनेवाले किसी पदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे जो उस भयको दूर करनेके लिये जिसके पहुंचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस भकसे उडजानेवाले पदार्थसे है काफी है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप--दफा २७९ के अनुसार है।

१--अपराधी अपने खेतकी फसल रातके समय देखने भालनेको गया था सबेरे एक भरी हुई बंदूक लिये हुए अपने घरको लौटा और उसने अपने घरके द्वारपर ताला लगा हुआ देखकर वह भरी हुई बंदूक जिसका घोडा टोपीपर गिरा हुआ था एक चारपाई पर रख दी जो द्वारपर पड़ी हुई थी, और आप थोड़ी देरके लिये अपने पड़ोसीके घर चला गया यकायक वह बंदूक छूट गई और अपराधीके एक पड़ोसीका लड़का जो चार वर्षका था इससे मरगया, इस कारण अपराधीपर दफा २८६ का अपराध ठहराया गया और हाईकोर्टसे दंडकी आज्ञा कानूनविरुद्ध ठहराई गई। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ८ सफा ४२१)

किसी कलके मध्ये जो अपराधीके पास हो या उसकी सिपुर्दमें हो असावधानी करना.

(२८७) जो कोई मनुष्य किसी कलसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे कि जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे किसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पहुंचना संभवित हो अथवा किसी कलके मध्ये जो उसके पास हो अथवा उसकी सिपुर्दगीमें हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे जो उस भयके दूर करनेमें जिसके पहुंचनेका संभव मनुष्यके प्राणको उस कलसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड अथवा दोनोंही दंड दिये जावेंगे।

टीप--दफा २७१ के अनुसार है।

(२८८) जो कोई मनुष्य किसी घरके गिरा देने या उसके बनानेमें जानबूझकर या असावधानीके साथ उस मकानकी चौकसी करनेमें चूक करे जो उस डरसे कि जिसके पहुंचनेका संभव मनुष्यके प्राणको उस मकान या उसके किसी भागके गिरनेसे है, काफी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों ही दंड दिये जावेंगे ।

किसी मकानके गिराने अथवा उसके बनानेके मध्ये असावधानी करना.

टीप—दफा २७१ के अनुसार जानो ।

(२८९) जो कोई मनुष्य किसी पशुके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे जो मनुष्यके प्राणके भय अथवा भारी दुःखके डरको रोकनेके लिये जिसके पहुँचानेका सम्भव उस पशुसे है काफी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयातक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

किसी पशुके मध्ये असावधानी करना.

टीप—दफा २७९ के अनुसार है ।

१—यदि जानवरका चंचल तथा बदलगाम होना प्रमाणित न हो तो उसका स्वामी असावधानिके अपराधका अपराधी होगा । (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५१)

२—जब किसी घोडे, टट्टू, बैल अथवा कुत्तेसे कोई हानि पहुँचे और यह प्रमाणित न हो कि वह जानवर चंचल था या यह कि उसकी चञ्चलतासे उसका स्वामी जानकार था तो उसके स्वामीपर कोई अपराध प्रमाणित नहीं होसकता अतिरिक्त उस अवस्थामें कि उसने यथोचित चौकसी जो प्रत्येक मनुष्य ऐसे जानवरसे रखते हैं न रक्खी हो । (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द १९ सफा १)

(२९०) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दुःखदायी काम जो इस संग्रहके अनुसार और किसी भांतिके दंडके योग्य नहीं है करेगा उसको दंड जुर्मानेका जो दोसौ रुपयेतक होसकेगा किया जायगा ।

उन सर्व दुःखदायी कामोंका दंड जिनके सम्बन्धमें अन्यत्र आज्ञा नहीं है.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकतीहै (५) राजीनामा नहीं है ।

१—तजवीज चौदह मनुष्योंकी जिनपर पृथक् पृथक् अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९० व २९१ के अभिप्रायानुसार ठहराये गये थे वर्त्तावमें आये । तजवीज हुई कि उपरोक्त कानूनविरुद्धता अपराधियोंकी हकतलफीका कारण है, इसलिये तजवीज सजा मंसूख हुई । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ५ सफा २०)

२—सर्व दुःखदायी कामके दण्डमें जुर्माना किया गया हो और यदि वह जुर्माना न अदा किया जावे तो उसके बदलेमें कठिन कैदके दण्डकी आज्ञा नहीं होसकती। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ५७)

३—किसी कुँएका, जो सरकारी धरतीमें हो और सर्व सम्बन्धी मार्गसे आठ गजके अंतर पर बना हो घेरा न बनाना हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९० का अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा २८०)

४—कुछ मनुष्योंने बांसका बांध एक घटने बढ़नेवाली नदीके आरपार नाव अथवा जहाजके निकल जाने योग्य बनाया था यद्यपि उन्होंने ऐसे बांधमें एक छोटा रास्ता नावोंके निकल जानेके योग्य छोड दिया था जो रास्ता नाव निकलनेके समयके अतिरिक्त बंद रहता था सब डिवीजनल अफसरकी दरख्वास्तके अनुसार उन मनुष्योंपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २८३ का अपराध रोके (मुजाहिमत) करनेका लगाया गया—तजवीज हुई कि इस बातमें संदेह है। कि दफा २८३का मुकद्दमेसे सम्बन्ध है परंतु उन्होंने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २६८का अपराध किया है और वह दफा २९० के अनुसार दण्डके योग्य है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५५६)

५—एक किरायेदार मनुष्यने अपना घर कायदेके विरुद्ध जुवा खेलनेके लिये जुवारियोंको दिया था और उसके कारणसे सर्व सम्बंधियोंको हानि पहुँचती थी उसपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९० का अपराध प्रमाणित किया गया—यह बात मालूम होती है कि अपराधीने उस घरको जुवा खेलनेके लिये नहीं ठहराया था—तजवीज हुई कि अपराधका दण्ड ठीक ठीक था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ३६४)

६—किसी नदी या खाड़ीसे जहाज या नावका आना जाना सर्व सम्बन्धी दुःखदायी काममें नहीं गिना जायगा परंतु यह बात अवश्य है कि जहाज या नावके चलनेमें अथवा कोई भय या दुःख किसी मनुष्यके किसी सर्व सम्बन्धी मार्गमें नाव या जहाजके चलनेके समय न पहुँचाया जावे। इ० ला० रि० कलकत्ता मदरास जिल्द २० सफा ६६५)

७—वे मनुष्य जो सर्व सम्बन्धी मार्गमें बैठकर गांवमें आने जानेवालोंको पत्ता खेलनेके लिये बहँकावें और उनसे रुपया जीतें वह इस दफा २९० हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार अपराधी हैं। (कार्रवाई मदरास हाईकोर्ट २८ जनवरी सन् १८८७ ई०)

किसी सर्व दुःखदायी कामके न करते रहनेकी आज्ञा पाकर उसे करते रहना.

(२९१) यदि कोई मनुष्य किसी सर्व दुःखदायी कामको करे अथवा उसे करता रहे जिसको किसी ऐसे सरकारी नौकरकी ओरसे उस सर्व दुःखदायी कामके न करने अथवा उसे न करते रहनेकी आज्ञा होचुकी हो जो ऐसी आज्ञाके देनेका उचित अधिकार रखता हो, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २८० के अनुसार है।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २९१ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य है कि अपराधीके नाम असालतन एक ऐसा हुक्मनामा जारी हुवा था कि जिसके द्वारा उसको

उसी सर्व दुःखदायी कामके न करने अथवा न करते रहनेकी आज्ञा दीगई थी । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ९९)

अश्लील पुस्तकोंका बेचना आदि.

(२९२) जो कोई मनुष्य अश्लील पुस्तक अथवा संग्रह [रिसाला] अथवा लिखावट (तहरीर) अथवा सादा चित्र अथवा रंगदार अथवा मूर्ति अथवा प्रतिमा बेचे या बांटे या बेंचने या भाडेपर चलानेके लिये दूसरे देशसे लाए या छापे या जानबूझकर सर्वसाधारणको दिखलाए या ऐसा करनेका उद्योग करे या ऐसा करनेको स्वयं कहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

छूट ।

यह दफा किसी ऐसे चित्रसे सम्बन्ध न रक्खेगी जो किसी मंदिरके ऊपर या भीतर या प्रतिमा निकालनेके रथपर हो अथवा किसी मजहब या मत सम्बन्धी कामके लिये रक्खी गई हो या काममें आती हो चाहे वह मूर्ति कटकर बनी हो चाहे खुदाकर और चाहे रंगदार हो चाहे और प्रकारकी ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९२ व दफा २९४ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य है कि उन चित्रों और शब्दोंका स्पष्टीकरण होना अवश्य है जिनका अश्लील होना वर्णन किया जावे । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १ सफा ३५६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायानुसार जिस पुस्तकमें थोड़ी भी अश्लील इबारत हो वह अश्लील है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ८३७)

(नोट) अदालतोंको अधिकार है कि दफा २९२ व २९३ का अपराध प्रमाणित होनेपर वह यह आज्ञा दें कि वह पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हुआ है नष्ट कर दिये जावें । ऐक्ट नं १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१)

अश्लील पुस्तकको बेचने या दिखानेके लिये पास रखना.

(२९३) जो कोई मनुष्य कोई ऐसी अश्लील पुस्तक या कोई और पदार्थ जैसा कि पिछली दफामें वर्णन किया गया है बेचने या बांटने या सर्वसाधारणको दिखलानेके लिये अपने पास रखता हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २९२ के अनुसार समझो ।

अश्लील काम और गीत.

(२९४) तबदील हुवा दफा ३ ऐक्ट ३ सन् १८९५ ई० के अनुसार जो कोई मनुष्य इस प्रकारसे कि औरोंको रञ्ज पहुंचे—

(अ) सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें कोई अश्लील काम करे।

(ब) सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें या उसके निकट कोई अश्लील गीत गावे अथवा कोई अश्लील शेर (छन्द चौपाई) पढे अथवा अश्लील बातें बके तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप--दफा २९२ के अनुसार समझो।

१--अपराधीके ऊपर लावनी गानेका अपराध जो सदैव अश्लील नहीं हुआ करती परंतु बहुधा हुवा करती है लगायागया और मजिस्ट्रेटने उसे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९४ के अनुसार अश्लील गीत गानेका अपराधी ठहराया परंतु जो कि गवाही इस बातकी कि जो लावनी अपराधीने गाई थी वह अश्लील थी मौजूद न थी इस कारण वह दण्डकी आशासे बरी किया गया। (रिपोर्ट बम्बई हाईकोर्ट जिल्द ४ सफा २५)

(२९४) * (अ) जो मनुष्य कोई दफ्तर या घर ऐसी चिट्ठी डालनेके अभिप्रायसे रक्खे जिसकी आज्ञा सरकारसे नहीं है उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जायँगे।

चिट्ठी डालनेका दफ्तर रखना.

जो मनुष्य किसी घटना या इत्तिफाकके होनेपर जो निस्बत या ताल्लुक किसी टिकट अथवा कुरअ अथवा नम्बर या हिन्दसा (अंक) आदिसे ऐसी चिट्ठी डालनेमें रखता हो किसी मनुष्यके लाभके लिये कुछ रुपया चुकाने या कोई सामान सिपुर्द करने अथवा किसी कामके वर्त्तावमें लाने अथवा किसी कामके करने देनेके लिये कोई यत्न प्रगट करे उसको जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपया तक हो सकेगा दिया जायगा।

टीप--(१) दफा २९० के अनुसार है।

१--जुवा खेलना कानूनानुसार मुफस्सिलातमें मना नहीं है जो रुपया इस प्रकारका जुवा खेलनेके लिये उधार दिया जावे वह नालिशसे वसूल होसकता है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ३०१)

२--शब्द "चिट्ठी डालने" मुन्दर्जेफिकरा (टुकड़ा) २ दफा २७४ (अ) हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहसे अभिप्राय प्रत्येक चिट्ठी डालनेका है जिसकी आज्ञा गवर्नमेंटने न दी हो और उसमें चिट्ठी अन्य देशकी भी संयुक्त हैं और शब्द "प्रगट करनेवाले" मुन्दर्जे फिकरे मजकूरमें दोनों वह मनुष्य जो दरख्वास्त करता है और मालिक अखबार भी जो दरख्वास्त इश्तिहारको छापता है शामिल है। मालिक अखबार बंबई जिसने एक इश्तिहार अपने अखबारमें माल सम्बन्धी व वजन चिट्ठी डालनेका मुश्तहर (प्रगट) किया था वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९४ की मंशासे दण्ड योग्य ठहराया गया। (अंगरेजी इंडियन लारिपोर्ट सिलसिला बम्बई जिल्द १० सफा ९७)

---

* ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफा १४ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा १९६ को देखो

(इस संग्रहके अध्याय ४२५ व २३ उन अपराधोंसे सम्बंध रखते हैं जो इस दफाके अनुसार दंड योग्य हैं ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० दफा १३ को देखो)

अध्याय पन्द्रहवाँ १५.

उन अपराधोंके विषयमें जो मतसे संबन्ध रखते हैं।

किसीसम्प्रदायके मतकी निन्दाके अभिप्रायसे पूजाके किसी स्थानको हानि पहुँचाना अथवा अपवित्र करना

(२९५) जो कोई मनुष्य किसी पूजाके स्थानको अथवा किसी पदार्थको जिसको किसी सम्प्रदायके मनुष्य पूज्य मानते हों तोडे फोडे अथवा हानि पहुँचाए अथवा अपवित्र करे जिसके द्वारा मनुष्योंके किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दा करनेके अभिप्रायसे अथवा उस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि मनुष्योंका कोई सम्प्रदाय उस तोड फोड या हानि पहुँचाने अथवा अपवित्र करनेको अपने मतकी एक प्रकारसे निन्दा समझेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा। जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनोंही दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम सम्मन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१–एक हिन्दूने एक स्त्रीके साथ एक मुसलमान फकीरकी कबरके हातेके भीतर व्यभिचार किया हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ के अनुसार वह अपराधी प्रमाणित हुआ तजवीज हुई कि इस बातका प्रमाण न होनेकी अवस्थामें कि उपरोक्त स्थान पूजाके लिये काममें लाया जाता था अथवा किसी और दूसरी रीतिपर पाक था अपराधीकी तजवीज अनुचित है बरन उसका दण्ड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९७ के अनुसार होना ठीक है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफा १२६)

२—हिंदुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ में लिखे हुए शब्द "पदार्थ" से जानदार पदार्थका अभिप्राय नहीं है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफा ९५०)

३–हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ में लिखे हुए शब्द "पदार्थ"में जानदार पदार्थ न गिने जायँगे, कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें स्वाधीन कर दिया जावे, इस दफामें लिखे हुए शब्द पदार्थसे सम्बन्ध न रक्खेगा–और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छिपाकर गोश्त और चमड़ेके लालचसे मार डालें तो उन्होंने दफा २९५ का कोई अपराध नहीं किया और सांड स्थावरधन (जायदाद मनकूला) दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायमें नहीं है। (इ० ला० रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७५२ मवर्रखै २७ मार्च व १५ अप्रैल सन् १८९० ई०)

किसी मत सम्बन्धी समाजको छेड़ना.

(२९६) जो कोई मनुष्य जानबूझकर अपनी इच्छापूर्वक किसी समाजको दुःख पहुंचाए, जो अपने मतकी पूजा अथवा मतकी रीतियोंको पूरा करनेमें उचित रीतिसे तत्पर हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २९५ के अनुसार है।

१—मुसलमानोंकी एक सर्व सम्बन्धी मसजिदमें कुछ खेफी मतके मुसलमान जिनकी रीतिके अनुसार शब्द "आमीन" धीरेसे बोलना चाहिये, नमाज पढते थे, वहां पर एक और मुसलमान दूसरे मतका मसजिदमें आया और नमाज पढनेमें अपनी रीतिके अनुसार शब्द "आमीन" बडी जोरसे कहा। इस कामके मध्ये वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २९६ के अनुसार अपराधी प्रमाणित हुआ। इजलास कामिलसे हुक्म हुआ कि मुकद्दमेकी तजवीज दुबारा कीजावे और नीचे लिखी हुई बातोंपर विचार किया जावे, कि कोई गिरोह (समाज) मतकी पूजाके लिये उचित रीतिपर इकट्ठा हुआ था या नहीं और वास्तवमें ऐसे गिरोहको अपराधीने हानि पहुँचाई या नहीं और अपराधीका अभिप्राय हानि पहुँचानेका था या नहीं। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४६१)

कबरस्थान आदिमें मदाखलत बेजा करना.

(२९७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका दिल दुखाए अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा करनेके अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यका दिल दुखेगा अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा होगी किसी पूजाके स्थान अथवा कबरस्थान अथवा ऐसे स्थानमें जो मृतक क्रियाओंको करनेके लिये अथवा मरे हुओंको गाडनेके लिये ठहराया गया हो, मदाखलत बेजा करे अथवा किसी मृत मनुष्यके शव (लाश) की अप्रतिष्ठा करे अथवा उन मनुष्योंको हानि पहुंचावे जो मृतक क्रिया करनेको इकट्ठा हुए हों तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनोंही दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा २९५ के अनुसार है।

१—धरतीके एक टुकडेमें (क) (ख) (ग) (घ) आपसमें साझी थे जिसमें वे अपने मृतकोंको गाडा करते थे। (क) और (ख) ने (घ) के नातेदारोंकी कबरोंके निकट एक गढा खोदा परन्तु किसी कबरको कुछ हानि न पहुँचाई—तजवीज हुई कि (क) और (ख) के मध्ये हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २९७ के अनुसार दंड देना अनुचित था। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ३ सफा १७८)

किसी मनुष्यके अन्तःकरणको मतके विषयमें जानबूझकर दुःख देनेके अभिप्रायसे कुछ कहना इत्यादि.

(२९८) जो कोई मनुष्य सोच विचारकर मतके विषयमें किसी मनुष्यका अन्तःकरण दुखानेके अभिप्रायसे कोई बात कहे अथवा कोई शब्द निकाले जिसको वह मनुष्य सुनसके अथवा उस मनुष्यके सामने कोई काम करे अथवा उसकी दृष्टिके सामने कोई पदार्थ रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म०या० म०अ० या म० दो०(२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

अध्याय सोलहवाँ १६.

उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्यके शरीरमें प्रभाव (असर) रखते हैं। उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्यके प्राणोंमें प्रभाव (असर) रखते हैं।

शातवत्घात (कतल) ईसान मुस्तलजिम सजा.

(२९९) जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे अथवा शरीरको ऐसा दुःख पहुंचानेके अभिप्रायसे जिससे मृत्युका होना अति संभवित है अथवा यह जानकर कि कदाचित् उस कामके करनेसे वह मृत्युका कारण होगा, कुछ काम करके मृत्युको उत्पन्न करे तो वह ज्ञातवत् घातका अपराध करनेवाला कहलावेगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर किसी गढेके ऊपर कुछ लकडियां और घास फूस इस अभिप्रायसे पाट दे कि उसके द्वारा मृत्युका कारण हो अथवा इस जानकारीसे कि उसके द्वारा मृत्यु होना सम्भवित है और रमाशंकर उसको ठोसधरती जानकर उसपर चले और उसमें गिरकर मर जावे तो शिवशंकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी होगा ।

(ख) शिवशंकर यह जानता हो कि रमाशंकर किसी झाडीके पीछे है और उमाशंकर यह न जानता हो और शिवशंकर रमाशंकरको उस झाडीपर बन्दूक चलानेके लिये बहँकावे इस अभिप्रायसे अथवा इस बातके होनेको सम्भव जानकर कि वह बहँकाना रमाशंकरकी मृत्युका कारण होगा—उमाशंकर बंदूक चलावे और रमाशंकरको मार डाले तो इस अवस्थामें सम्भव है कि उमाशंकर किसी अपराधका अपराधी न हो परन्तु शिवशंकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशंकर किसी चिडियाको मारने अथवा चुरानेके अभिप्रायसे चिडियापर बंदूक चलावे और रमाशंकरको जो किसी झाडीके पीछे हो मारे और शिवशंकरको यह न ज्ञात हो कि रमाशंकर वहां है तो इस अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी न होगा यद्यपि वह एक अनुचित काम करता था । क्योंकि उसने रमाशंकरको मार डालनेके अभिप्रायसे बंदूक नहीं छोडी थी और न उसका यह अभिप्राय था कि ऐसे कामके करनेसे मृत्यु कीजावे जिससे वह जानता था कि मृत्यु होनेका भय है ।

स्पष्टीकरण—१—जब कोई मनुष्य किसी और मनुष्यको जो किसी रोग अथवा शारीरिक (जिस्मानी) निर्बलतामें फँसा हो, शारीरिक दुःख पहुँचाए और उसके द्वारा उसकी मृत्यु शीघ्रही हो जावे तो उपरोक्त मनुष्य उसकी मृत्युका कारण समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण—२ जब मृत्यु शारीरिक दुःखके कारण हुई हो तो जो मनुष्य उस दुःखको पहुँचानेवाला हो मृत्यु उत्पन्न करनेवाला गिना जायगा जब कि उचित यत्नों और सावधानीके साथ औषधि करनेसे उसकी मृत्यु रुकसकती हो ।

स्पष्टीकरण—३ किसी बालकका मारना उसकी माताके गर्भमें शातवत् घात न गिना जायगा परन्तु किसी ऐसे जीवित बालकका मारना कि जिसका कोई अंग बाहर निकल आया हो शातवत् घात हो सकेगा चाहे उस बालकने श्वास भी न ली हो और उसका जन्म भी न होचुका हो।

१—अपराधी एक मनुष्यके मारनेका कारण इस प्रकार पर हुआ कि उसने उसके पहलूमें एक पतला बांस मारा जो मोटाईमें एक इञ्चसे अधिक न था और उसकी चोटसे उस मनुष्यकी तिल्ली फट गई जिसमें कोई रोग था, अपराधी भारी चोट (जररशदीद) पहुँचानेका अपराधी प्रमाणित हुआ (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३८)

२—अपराधियोंने एक चोरपर उसके पकड़े जानेके पश्चात् आक्रमण (हमला) किया और किसी किसीने उसे लात और घूँसोंसे मारा और दो मनुष्योंने एक छोटे पीढेसे उसको दो एक चोटें लगाईं और उसकी नाक तोड डाली। वह चोर दो घंटेके पश्चात् मरगया—सेशन जजने अपनी तजवीजमें लिखा कि वह पीढा भारी न था और डाक्टरकी गवाहीसे जान पडा कि उस चोरकी मृत्यु किसी चोटके कारण न हुई थी बरन बराबर कई एक चोटोंके लगनेसे हुई थी जो इस योग्य न थीं कि मृत्युका कारण हों। तजवीज हुई कि प्रतिवादी (मुद्दआअलेहुम) केवल भारी चोट पहुँचानेके अपराधी होगये थे क्योंकि उनके कामोंसे यह न प्रगट होता था कि उनका अभिप्राय ऐसी चोटके पहुंचानेका था कि जिससे मृत्युका होना सम्भव हो और न यह प्रगट होता था कि उनको यह जानकारी थी कि वे अपने कामोंसे कदाचित् मृत्युके कारण होंगे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ४१)

३—एक सपेरेने इस बातको जानकरभी कि उसने अपने सांपका दाँत न तोडा था उस सांपको एक तमाशा देखनेवालेके शिरपर रखदिया जिसको उसने काट खाया और वह तमाशा देखनेवाला मरगया। इसलिये वह सपेरा ज्ञातघातके अपराधका अपराधी हुआ और उसके मध्ये दफा ३०४ व ३०४ (अ) के अनुसार इस बातपर दण्डकी आज्ञा हुई कि उसने उपरोक्त काम इस जानकारीसे किया था कि उस कामसे मृत्युके होनेका सम्भव था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३५१)

४—अपराधीने अपनी स्त्रीको धरतीपर गिराकर अपना घुटना उसकी छातीपर रख दिया और दो तीन घूंसे ऐसे जोरसे उसके शिरपर मारे कि उसके दिमागसे रक्त बहने लगा और वह तत्कालही अथवा थोडी देरके पश्चात् मरगई—तजवीज हुई कि अपराधी की इच्छा उसे मार डालनेकी न थी और जो शारीरिक चोट उसको पहुँचाई गई थी वह साधारण रीतिपर मृत्यु होनेके योग्य थी इसलिये अपराधी ज्ञातघातकी मृत्यु (कतल अल्द) का अपराधी न हुवा था बरन् ज्ञातवत् घातका अपराधी हुवा था जो ज्ञातघातकी सीमातक न पहुंचता था। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा ३४२)

(३००) उन अवस्थाओंके अतिरिक्त जो नीचे मुस्तसना (छूट) की जाती है ज्ञातघात. } ज्ञातवत्घात ज्ञातघात होगा।

पहिले—यदि वह काम जिसके कारणसे मृत्यु हुई हो इस अभिप्रायसे किया गया कि मृत्युका कारण हो, अथवा—

दूसरे—यदि काम ऐसी शारीरिक चोटके पहुंचानेके अभिप्रायसे किया गया हो जिससे अपराधीकी जानकारीमें उस चोट पाए हुए मनुष्यका मरजाना सम्भवित है अथवा—

तीसरे—यदि काम किसी मनुष्यको कोई शारीरिक दुःखके पहुंचानेके अभिप्रायसे किया गया हो और वह शारीरिक दुःख जिसके पहुंचानेका अभिप्राय किया गया हो ऐसा हो कि प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्यु उत्पन्न करनेके लिये काफी हो, अथवा—

चौथे—यदि वह मनुष्य जिसने उस कामको किया है यह जानता हो कि वह काम ऐसा भारी जोखिमका है कि उससे मृत्यु अथवा शारीरिक ऐसा दुःख होना अति सम्भवित है कि जिससे मृत्युके होनेका भय है और उस कामके करनेमें मृत्युका भय अथवा उपरोक्त दुःख (जरर) का भय उत्पन्न करना बिल्कुल विना कारण हो।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे उसपर बन्दूक चलाई और रमाशंकरकी उससे मृत्यु हुई तो शिवशंकरने ज्ञातघातका अपराध किया।

(ख) शिवशंकर यह बात जानबूझकर कि रमाशंकर किसी ऐसे रोगमें फँसा है जिसके कारण एकही घूंसेसे उसकी मृत्युका होजाना सम्भव है, उसको शारीरिक चोट पहुंचानेके अभिप्रायसे मारे और रमाशंकर उस घूंसेके कारण मर जावे तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा, चाहे ऐसा घूंसा प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यकी मृत्युके लिये काफी न होता परन्तु यदि शिवशंकर यह न जानकर कि रमाशंकर किसी बीमारीमें फँसा हुआ है उसको एक ऐसा घूँसा मारे जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफी नहीं है तो इस अवस्थामें शिवशंकर, चाहे उसका अभिप्राय शारीरिक चोटके पहुँचानेका हो, ज्ञातघातका अपराधी नहीं परन्तु नियम (शर्त) यह है कि जब उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा ऐसी शारीरिक चोटके पहुँचानेका न था जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्युका कारण होती।

(ग) शिवशंकर तलवार या लट्ठसे रमाशंकरको जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाकर जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफी हो और रमाशंकर उस चोटके कारणसे मर जावे तो इस अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा चाहे रमाशंकरको मार डालना उसके अभिप्रायमें न हो।

(घ) शिवशंकरने विना कारण मनुष्योंकी भीड़में भरी हुई तोप चलादी और उनमेंसे एक मनुष्य मरगया तो इस अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी हुआ यद्यपि उसने पहिले किसी विशेष मनुष्यको मारडालनेका मनोरथ न किया हो।

छूट।

ज्ञातवत् घात उस अवस्थामें ज्ञातघात न होगा जब कि अपराधीने किसी बड़े और तत्काल क्रोध दिलानेवाले कामके कारण अपने आपेमें न रहकर उस मनुष्यको, जिसने वह क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया हो, मारडाला हो अथवा भूलसे या अकस्मात्से किसी दूसरे मनुष्यकी मृत्युका कारण हुआ हो—

ज्ञातवत् घात किसी अवस्थामें ज्ञातघात न होगा.

परन्तु ऊपर लिखी हुई छूट नीचे लिखे नियमोंके अधीन रहेगी;—

पहिले—यह कि, अपराधीने स्वयं उस तत्काल क्रोध दिलानेवाले कामको न चाहा हो अथवा जानबूझकर इस अभिप्रायसे उस क्रोध दिलानेवाले कारणको न ढूँढा हो कि उसे किसी मनुष्यके मार डालने अथवा उसको हानि पहुँचानेका कारण होजावे।

दूसरे—यह कि, वह तत्काल क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामसे न हुआ हो जो कानूनके वर्त्ताव करनेमें किया गया है अथवा जिसको किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके अधिकारके उचित वर्त्तावमें किया हो।

तीसरे—यह कि, वह क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामके कारणसे न दिलाया गया हो जो निज रक्षाका अधिकार कानूनानुसार वर्त्तनेमें किया गया हो।

स्पष्टीकरण—यह बात कि उस क्रोध दिलानेका कारण ऐसा बड़ा और एकाएकी (तात्कालिक) था या नहीं कि जिससे अपराधका ज्ञातघातकी सीमातक पहुँचना रुकजावे, एक अम्र (काम) जांच करनेके योग्य है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने क्रोधकी अवस्थामें, जिसके दिलानेका कारण रमाशंकरने उत्पन्न किया जानबूझकर रमाशंकरके बालक हरशंकरको मारडाला—तो यह ज्ञातघातका अपराध हुआ; क्योंकि बालकने क्रोध नहीं दिलाया था और न उस बालककी मृत्यु उस क्रोधकी अवस्थामें किसी कामके करनेसे अकस्मात् अथवा दैवगतिसे हुई।

(ख) शिवशंकरने रमाशंकरको अचानक और भारी क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया रमाशंकरने उस क्रोधके होतेही शिवशंकरपर पिस्तौल चलाया—परन्तु उसकी इच्छा उमाशंकरके मारडालनेकी, जो उसके समीपही खड़ा था परन्तु दिखाई नहीं देता था, न थी और न वह यह जानता था कि उमाशंकरका माराजाना सम्भव है—रमाशंकरने उमाशंकरको मार डाला तो इस अवस्थामें रमाशंकरने ज्ञातघातका अपराध नहीं किया वरन् केवल ज्ञातनत् घातका किया।

(ग) शिवशंकर कि जो नाजिरका पियादा है कानूनानुसार रमाशंकरको पकड़े और रमाशंकर पकड़नेके कारण यकायक क्रोधमें आकर शिवशंकरको मारडाले तो यह ज्ञातघात है क्योंकि वह क्रोध एक ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो एक सरकारी नौकरकी ओरसे उसके अधिकारके वर्त्तनेमें किया गया था।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरके सामने जो मजिस्ट्रेट है गवाहकी रीति (तौर) पर उपस्थित (हाजिर) हो और रमाशंकर यह कहे कि मैं शिवशंकरकी गवाहीके एक शब्दपर भी विश्वास नहीं करता और शिवशंकरने झूँठी शपथ (हलफ दरोगी) की है—और शिवशंकर इन बातोंसे यकायक क्रोधमें आजावे और रमाशंकरको मार डाले तो यह ज्ञातघात है।

(च) शिवशंकर रमाशंकरकी नाक मरोड़नेका उद्योग करे और रमाशंकर निज रक्षाका अधिकार वर्त्तनमें शिवशंकरको इसलिये पकड़ले कि उसको इस कामके करनेसे रोके और शिवशंकर

इस कारणसे यकायक भारी क्रोधमें आकर रमाशंकरको मारडाले तो यह ज्ञातघात है। क्योंकि वह क्रोध ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो निज रक्षाके अधिकारके वर्त्तनेमें किया गयाथा।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरको मारे और रमाशंकर उस क्रोध दिलानेके कारणसे अचानक क्रोधमें भर जावे और उमाशंकर जो समीपही खड़ा हो इस इच्छासे कि इस क्रोधमें शिवशंकरको रमाशंकरसे मरवा डालनेका सुयोग मिल जाये रमाशंकरके हाथमें एक छुरी देदे और रमाशंकर उस छुरीसे शिवशंकरको मारडाले तो इस अवस्थामें सम्भव है कि रमाशंकर केवल ज्ञातवत्घातका अपराधी हो परन्तु उमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा।

छूट २.

ज्ञातवत् घात ज्ञातघात न होगा; यदि अपराधी शुद्धभावसे अपने तन अथवा धनके मध्ये निज रक्षाके अधिकारको वर्त्तनमें उस अधिकारसे बढजावे जो उसको कानूनानुसार प्राप्त है। और उस हानिसे, जो उस रक्षाके लिये अवश्य है, अधिक हानि पहुंचानेका पहिलेसे कोई शोच या विचार न करके उस मनुष्यको मारडाले जिसके रोकमें वह उस निज रक्षाके अधिकारको वर्त्ताहै।

उदाहरण।

शिवशंकर रमाशंकरको कोडे मारनेका उद्योग करे इस प्रकारपर कि, रमाशंकरको भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचे, और रमाशंकर तमंचा निकालले और शिवशंकर उस उद्योगसे न रुके तब रमाशंकर शुद्धभावसे यह समझ कर कि वह अपनेको किसी और यत्नसे कोडे खानेसे नहीं बचा सकता शिवशंकरको तमंचा मारकर मारडाले तो रमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी नहीं हुआ वरन् केवल ज्ञातवत्घातका हुआ।

छूट ३.

ज्ञातवत्घात ज्ञातघात न होगा यदि अपराधी जो सरकारी नौकर हो अथवा किसी ऐसी सरकारी नौकरकी सहायता कर रहा हो, जो सर्व सम्बन्धी न्यायके प्रचलित करनेका बर्त्ताव कर रहाहो उन अधिकारोंसे जो उसको कानूनानुसार प्राप्त है बढजाए और किसी ऐसे कामके करनेसे मृत्युका कारण हो जिसको वह शुद्धभावसे उचित और अपनी सरकारी नौकरीका काम यथोचितसे भुगतानेके लिये अवश्य समझता हो और उस मनुष्यसे जो मरा हैं कुछ शत्रुता न रखताहो।

छूट ४.

ज्ञातवत्घात उस अवस्थामें ज्ञातघात न गिना जायगा जब कि वह एकाएकी झगड़ा होकर लड़ाईमें क्रोधकी अधिकताके कारण बिना पहलेसे विचार किये होजाय और अपराधीने कोई अनुचित लाभ न उठाया हो अथवा निर्दयीपनसे अथवा असाधारण रीतिसे कुछ काम न किया हो।

स्पष्टीकरण—ऐसी अवस्थाओंमें इस बातके विचारनेकी आवश्यकता नहीं है कि वह क्रोध किस ओरवालेने दिलाया अथवा पहिले किसने आक्रमण (हमला) किया।

छूट ५.

ज्ञातवत्घात उस अवस्थामें ज्ञातघात न होगा जब कि यह मनुष्य जो मारा गया है—अठारह वर्षसे अधिक अवस्थाका हो और वह अपनी प्रसन्नतासेही माराजाए अथवा मारे जानेकी जोखिम उठाए।

उदाहरण।

शिवशंकर रमाशंकरको जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कम है, बहकाकर उसके हाथसे जानबूझकर आत्महत्या (खुदकुशी) करावे, तो इस अवस्थामें रमाशंकर न्यून अवस्था होनेके कारण अपनी मृत्युके मध्ये प्रसन्नता करनेके प्रकट योग्य न था. इस कारण शिवशंकरने ज्ञातघातमें सहायता की।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३०० की छूट ५ का, ऐसे झगड़ेके मुकद्दमेसे सम्बन्ध नहीं है जो कि मुकद्दमा दूसरी किस्मका सतीके मध्ये सम्बन्ध रखता हो। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३१)

हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०० का "क्रोधदिलाना" उस प्रकारका होना चाहिये कि जिससे अपराधी अपने अधिकारसे बाहर होजावे और इस बातकी जांच करनेमें कि वह क्रोध उपरोक्त प्रकारका था या नहीं अपराधीकी उस दिली हालत (अन्तःकरणकी अवस्था) पर विचार करना उचित है जो उपरोक्त क्रोध दिलानेके समयमें हो। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफा १२२)

३—झगड़ेके समयका बयान किसी मनुष्यका, अपराधीके सामने होना चाहिये नहीं तो प्रमाण (सबूत) में वह बयान सुननेके योग्य न होगा। (इ०ला०रि०कलकत्ता जिल्द८सफा२११)

४—अपराधी पर उसकी स्त्रीके वधका अपराध लगाया गया—गवाहीसे यह प्रमाणित हुआ कि अपराधीके जीमें इस बातका पूरा सन्देह उत्पन्न होगया था कि उसकी स्त्री किसी दूसरे मनुष्यसे फँसी हुई है—एक रातको उसकी स्त्री यह जानकर कि उसका स्वामी सोया हुआ है चोरीसे उसके पाससे उठकर चली गई; अपराधीभी एक कुल्हाडी लेकर उसके पीछे पीछे गया। उसने अपनी स्त्रीको उसके आशनाके साथ सर्वसाधारण मार्गपर बातचीत करते पाया यह देखकर तत्काल उसने उस स्त्रीको जानसे मारडाला—तजवीज हाईकोर्टकी यह हुई कि अपराधीने ज्ञातघातका अपराध किया है क्योंकि इस घटनासे "भारी और एकाएक क्रोध" का पहुँचना हस्वमंशाय दफा ३०० छूट नं० १ से प्रगट नहीं होता है कि जिससे ज्ञातघातका अपराध बदल कर ज्ञातवत्घातका होजावे। (इ० ला० रि० जिल्द ८ इलाहाबाद सफा ६२२)

५—दो कैदियोंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी एक स्त्रीके साथ उस मारे गए हुए मनुष्यको व्यभिचार करते देखकर उसको उसी समय और उसी स्थान पर मारडाला था—तजवीज हुई कि एकाएक क्रोध हो आनेके कारण ज्ञातघात कम होकर ज्ञातवत्घात होगया था जो ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुँचता था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ७)

६—जब अपराधीने यह समझकर कि अमुक (फलां) मनुष्य उसकी स्त्रीके साथ आशनाई रखता था उस मनुष्यको मार डालनेका भय दिलाया और फिर उसको मारडाला तो तजवीज हुई कि अपराधीने ज्ञातघातका अपराध किया था और उसका काम दफा ३०० की छूट १ मे नहीं गिना जासकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ४६)

७--तीन भाइयोंने एक मनुष्यको अपनी बहिनके साथ लेटा हुआ देखकर उसको मारडाला तजवीज हुई कि उनका काम दफा ३०० की छूट १ में गिना जायगा।(वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ३८)

८--यदि कोई अठारह वर्षसे अधिक आयुका मनुष्य अपनेको नपुंसक (नामर्द) कराए और नपुंसक किये जानेमें वह मरजावे तो नपुंसक करनेवाला ज्ञातघातका अपराधी नहीं वरन् ज्ञातवत् घातका है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७)

९--यदि कुछ मनुष्य लठबंद इकट्ठे होवें और उनका अगुवा एक ऐसा मनुष्य हो कि जिसके यहां बंदूक हो और यह वृत्तान्त वह सब मनुष्य जानते हों और उनका अभिप्राय किसी मनुष्यका धन बलपूर्व्वक ले जानेका हो। तो यदि उन मनुष्योंमेंसे कोई मनुष्य बंदूक उठाकर उक्त मनुष्यको मारडाले जो उचित रीतिपर अपने मालके ले जानेमें रोक टोक कर रहा हो तो ऐसी अवस्थामें कुल मनुष्य हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा १४९ के अनुसार ज्ञातघातके अपराधी गिने जासकते हैं। (कलकत्ता ला० रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ४९)

१०--वधके अभियोगोंमें जजोंको फाँसीका दण्ड देनेमें कुछ आगापीछा न करना चाहिये जब कि साक्षी (शहादत) पर विश्वास कर लिया जावे और उससे अपराध प्रमाणित समझा जावे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ६४)

(३०१) यदि कोई मनुष्य कोई ऐसा काम करनेसे जिससे उसकी यह इच्छा हो अथवा जिससे इस कामका संभव उसकी जानकारीमें हो कि वह मृत्युका कारण होगा किसी ऐसे मनुष्यकी मृत्युका कारण होकर ज्ञातवत्घातका अपराध करे जिसकी मृत्युके कारण होनेकी न तो उसने इच्छा की न उस कामका संभव उसकी जानकारीमें था कि वह उसकी मृत्युका कारण हो तो यह ज्ञातवत्घातका अपराध जिसका वह अपराधी हुआ है उसी प्रकारका है जो उस अवस्थामें होता जब कि अपराधी उस मनुष्यकी मृत्युका कारण हुआ तो जिसकी मृत्यु उसकी इच्छामें थी अथवा उस कामका संभव उसकी जानकारीमें था कि वह उसकी मृत्युका कारण होगा।

जिस मनुष्यके मारनेका अभिप्राय था उसके अतिरिक्त किसी औरको मारनेसे ज्ञातवत्घातका अपराध होना.

१--किसी मनुष्यने अपनी आशनाके स्वामीको मारनेके अभिप्रायसे अंधेरी रातमें घात लगाई और भूलसे किसी राहगीरको मार दिया तो ऐसी अवस्थामें उसे ज्ञातघातके अपराधमें फाँसीका दण्ड दिया गया। (देखो मोरले साहबकी डायजेस्ट जिल्द ३ सफा १२५)

(३०२) जो कोई मनुष्य ज्ञातघातका अपराधी हो उसको वधका दंड अथवा देश निकालेका दंड दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

ज्ञातघातके लिये दण्ड

टीप--(१) सेशन अदालत (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिला जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

१--यदि कोई मनुष्य जो किसी दूसरे देशमें रहता हो ब्रिटिश इंडियामेंसे किसी मनुष्यको भगा ले जाए और दूसरे देशमें उसको मारडाले तो ब्रिटिश इंडियामें उसकी तजवीज केवल भगा लेजानेके अपराधके मध्ये होसकती है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ३९)

२—जब कभी कोई गर्भिणी स्त्री ज्ञातघातका अपराध करे तो उसको वधका दंड न देना चाहिये। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १५)

३—केवल इस बातसे कि वध किये मनुष्यकी लाश नहीं मिली कोई कारण अपराधीको ज्ञातघातका अपराधी प्रमाणित करनेका नहीं है। (इ०ला०रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा३८३)

४—अपराधीपर जो गांजाका पीनेवाला था ज्ञातघातका अपराध अपनी स्त्री व छोटे बच्चेके मध्ये ठहराया गया उसने स्वीकार किया कि मैंने अपनी स्त्रीको मारडाला है इस कारण कि वह मुझसे झगडा करती थी और दूसरे गांवमें चलनेके लिये मना करती थी जहां मैंने अपनी दरिद्रता (गरीबी) के कारण जानेका निश्चय किया था, साहब जजने इस बयानसे अपराधीपर ज्ञातघातका अपराध निश्चय किया और उसे फाँसीकी सजाकी आज्ञा बमंजूरी हाईकोर्टके दी तजवीज हुई कि अपराधीका बयान ज्ञातघातके अपराधीकी सीमातक नहीं है उसने एकाएकी क्रोधके आजानेका बयान किया—इस बातकी जांच करनी चाहिये—और यह भी तजवीज हुई कि गांजापीनेके कारण अपराधीकी दशा एक रोगीकीसी होगई थी जिससे वह अपने काम अथवा कामके अपराधका फल जानने योग्य न रहा था—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ८४ उससे सम्बन्ध नहीं है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १४ सफा ५६४)

(३०३) जो कोई मनुष्य जिसके मध्ये जन्मभरके लिये देश निकालेके दंडकी आज्ञा होचुकी हो ज्ञातघातका अपराध करे तो उसको वध का दंड दिया जावेगा।

दण्ड उस ज्ञातघातका जो कोई जन्म मीआदी बँधुआ कर डाले.

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है।

नोट—प्रत्येक मनुष्यको चाहें वह प्रेसीडंसी शहरके भीतर रहता हो अथवा बाहर, जो अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०२ व ३०३ व ३०४ के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा होनेका वृत्तान्त उसे ज्ञात होजावे, उचित है कि ऐसे अपराध अथवा अपराध करनेकी इच्छाकी सूचना सबसे निकटके मजिस्ट्रेट अथवा अफसर पोलीसको दे दे। (दफा ४४ मजमूआ जाब्ता फौजदारीको देखो)

(३०४) जो कोई मनुष्य ऐसे ज्ञातवत्घातका अपराधी हो जो ज्ञातघातकी सीमा-तक न पहुंचता हो तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निका-लेका दंड दिया जायगा अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा परन्तु नियम यह है कि वह काम जिससे मृत्यु हुई मृत्युका कारण होनेकी इच्छासे या ऐसी शारीरिक चोटका कारण होनेकी इच्छासे किया गया हो कि जिससे मृत्युके होनेका संभव है, अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे परन्तु नियम यह है कि उपरोक्त काम इस जानकारीसे किया गया हो कि उससे मृत्युका होना

दंड ज्ञातवत्घातका जो ज्ञातघाततक न पहुंचे.

संभव है परन्तु कुछ यह इच्छा न हो कि उससे मृत्यु हो अथवा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचे कि जिससे मृत्युका होना संभव है ।

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

१—एक छोटेसे झगडेमें अपराधीने मारे गए हुए मनुष्यकी पीठमें ऐसे जोरसे धक्का मारा कि वह सडकपर जो ढाई हाथ नीचे थी गिरपडा और उससे ऐसी चोट पहुंची कि वह पांचवें दिन मरगया तजवीज हुई कि अपराध ज्ञातवत्घातका है ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुंचता (इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफा २२४)

२—हिन्दुस्थानकी दंडसंग्रहकी दफा ३०४ शब्द (अ) ऐसे मुकद्दमेसे सम्बन्धित नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी मनुष्यकी ओरसे कोई अपराध किया जावे (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द सफा ७६४)

३—हाकिम अदालतको ज्ञातवत्घातके अपराधमें केवल इसही बातपर भरोसा न करना चाहिये कि मारा गया हुआ मनुष्य तिल्लीकी बीमारीमें फँसा था, बरन् उसको इस बातपरभी विचार करना चाहिये कि अपराधी इस बातसे जानकार था या नहीं कि उस मारे गए हुए मनुष्यको उपरोक्त रोग है और उसको चोट पहुँचानेसे बीमारीके कारण उसके प्राण निकल जानेका भय है अथवा नहीं । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८१५)

४—जब किसीकी माँने जानबूझकर अपने लडकेको इस अभिप्रायसे छोड दिया कि वह छोडनेके कारण मृत्युको प्राप्त हो और वह लडका छोडनेके कारण मरजावे तो उसको केवल दफा ३०४ के अनुसार दंड दिया जासकता है न कि दफा ३१७ व ३०४ दोनोंकेही अनुसार । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३९)

५—एक सपेरेने सर्व साधारणके सामने एक विषैले साँपका तमाशा किया जिसके विषैले दाँत उसकी जानकारीमें नहीं निकाले गये थे परन्तु किसी मनुष्यको हानि पहुंचानेकी इच्छा विना उसने साँपको तमाशा देखनेवाले एक मनुष्यके शिरपर बिठा दिया उस मनुष्यने साँपके हटानेका यत्न किया साँपने उसको काट खाया और वह मरगया—तजवीज हुई कि सपेरेके ज्ञातवत्घातका अपराध ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुंचता । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३५१)

६—शामको (म) ने एक कारीगर (न) को अपनी स्त्रीके व्यभिचार करते हुए देखा और सुबहको जब बदचलनीके कारण उसके हृदयमें क्रोध आया तब वह (न) के निकट आया और एक हथियारसे उसको उसी स्थानपर मारडाला तजवीज हुई कि वह क्रोध उचित रीतिपर था जिसके कारण वह अपने आपेसे बाहर होगया और ज्ञातघातका अपराध घटकर ज्ञातवत् घातका हो गया । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफा ३५)

७—(न) रेलवे कम्पनीका नौकर था उसके सिपुर्द चक्करोंके चलानेका काम कुलियोंके द्वारा था, उसने उपरोक्त कामको असावधानीके साथ किया और इस कारण चक्कर उससे छूट गया । उसके आज्ञा देनेके अनुसार कुलियोंमेंसे एक कुलीने चक्करके ठहरा देनेका यत्न किया और वह उस कामके करनेमें मरगया—तजवीज हुई कि (न) का काम असावधानीके कारण दफा ३०४ (अ) के अभिप्रायानुसार हुआ जिससे उस कुलीकी मृत्यु हुई । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा २४८)

८—एक कविराजने बवासीरके मस्से काटनेमें साधारण चाकूसे एक मनुष्यपर डाक्टरी वर्त्ताव किया परन्तु वह मनुष्य मरगया—तजवीज हुई कि अपराधी चीर फाड़के काममें अशिक्षित था और उसको इस काममें भली प्रकारसे जानकारी न थी इस लिये हिन्दुस्थानके दंड-संग्रहकी दफा ३०४ (अ) के अनुसार यथोचित दण्डकी आज्ञा हुई थी। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५६६)

९—एक बुड्ढी स्त्रीने जिसकी अवस्था ७० वर्ष की थी अठारह वर्षके लड़केको इस प्रकार मारा कि उस मारसे यह मरगया—असिस्टन्ट कमिश्नरकी यह राय थी कि उस स्त्रीने लड़केको शिक्षा देनेके अभिप्रायसे मारा था जैसा कि बहुधा मा बाप अपने नालायक लड़कोंके साथ किया करते हैं तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि असिस्टन्ट कमिश्नरको मुकद्दमेके निबटानेका अधिकार न था उसका काम अदालत सेशनमें अपराधीको दफा ३०४ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार सिपुर्द करनेका है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा २३)

३०४) (अ) यदि कोई मनुष्य किसी असावधानी अथवा गफलतके काममसे किसी मनुष्यकी ऐसी मृत्युका कारण हो जो ज्ञातवत् घातकी सीमातक न पहुँचे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड उस मीआदतक होगा जो दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे।

असावधानी करनेसे मृत्युका कारण होना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ व २३ उन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते हैं जो इस उपरोक्त दफाके अनुसार दण्डके योग्य हैं)

१—अपराधियोंने एक चोरको इतना मारा कि वह मर गया—उसकी लाश पर मारके १४१ चिह्न थे—उसकी कई पसलियांभी टूट गईं थीं—तजवीज हाईकोर्टकी यह हुई कि ऐसे मुकद्दमेमें दफा ३०४ (अ) का सम्बन्ध नहीं है बरन् अपराधीको दफा ३०४ के अनुसार दण्ड होना चाहिये (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द ५ सफा २३५)

२—सरकारी घाटका एक ठेकेदार जिसका काम मुसाफिरोंको नदीसे आरपार करनेका था एक टूटी फूटी नावसे काम निकालता था नाव टूटी फूटी होनेके कारण, जब कि वह नदीके पार होरही थी डूब गई और कुछ मनुष्य जो उसमें सवार थे डूबकर मर गये। तजवीज हुई कि ठेकेदार घाट दफा ३०४ (अ) के अपराधका अपराधी है। (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद जिल्द १६ सफा ४७२)

३—अपराधीको दफा ३०४ (अ) के अनुसार कैदका दण्ड दिया जाकर जुर्मानेका भी दण्ड दिया गया और वह जुर्मानेका रुपया मारे गएहुए मनुष्यको विधवा स्त्रीको दिलाया गया, तजवीज हुई कि यह रुपया विधवाको दिया जाना अनुचित है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफा ३५२)

(३०५) यदि कोई मनुष्य जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कम हो अथवा कोई सिडी अथवा बेहोश, अथवा जन्ममूर्ख अथवा ऐसा मनुष्य जो नशा पिये हो आत्मघातका अपराध करे और जो कोई मनुष्य उस आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उसको वधका दंड अथवा जन्मभरके देश निकालेका दंड अथवा ऐसी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

बच्चे अथवा सिडीका आत्महत्यामें सहायता करना.

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

(३०६) यदि कोई मनुष्य आत्मघातका अपराध करे और जो कोई मनुष्य उस आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

आत्महत्यामें सहायता करना.

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

१—कुछ अपराधियोंमेंसे एक अपराधीने सतीकी चिता जलानेमें सहायता की और दूसरे अपराधीने उस स्त्रीको जो चितासे आग जलनेके पश्चात् उठ गई थी फिर चिता पर बिठलानेका यत्न किया इसलिये पहिला मनुष्य ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी समझा गया और दूसरा मनुष्य आत्मघात करनेमें सहायक प्रमाणित हुआ (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा १७४)

(३०७) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी जानकारी और ऐसी अवस्थामें करे कि यदि वह उस कामके द्वारा मृत्युका कारण होता तो ज्ञातघातका अपराधी होता, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुंचे तो अपराधी जन्मभरके देश निकालेके दंडके अथवा उस दंडके योग्य होगा जिसका वर्णन इस दफामें पहिले किया गया है ।

ज्ञातघातका उद्योग.

जिस अवस्थामें कि कोई मनुष्य जो उपरोक्त दफाके अनुसार जन्म भरके देश निकालेके दंडको भुगत रहा हो उस अवस्थामें यदि किसी मनुष्यको चोट पहुंचावे तो उसको वधका दंड हो सकता है ।

(यह नीचेका टुकडा दफा ११ ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० के अनुसार बढाया गया है)

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर उमाशंकरको मारडालनेकी इच्छासे ऐसी अवस्थामें उसपर बंदूक चलाए कि यदि उससे मृत्यु होती तो शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होता तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार दण्डके योग्य है ।

(ख) शिवशंकर किसी छोटे बच्चेको मारडालनेके अभिप्रायसे उसको किसी उजाड़ स्थानमें डाल दे तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है। चाहे उस लड़केकी मृत्यु न हुई हो।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे एक बंदूक मोल ले और उसकी मेरे तो अभी शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है फिर शिवशंकर रमाशंकरपर बंदूक चलाए तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है और यदि उस बंदूकके चलानेसे रमाशंकर घायल होजावे तो शिवशंकर उस दण्डके योग्य होगा जो इस दफाके निचले टुकड़ेमें ठहराया गया है।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरको विषसे मार डालनेकी इच्छा करके विष मोल ले और उसको उस खानेमें मिला दे जो शिवशंकरकी सिपुर्दगीमें रहता हो तो अभी शिवशंकरने उस अपराधको नहीं किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है फिर शिवशंकर उस खानेको रमाशंकरके पास धरे अथवा रमाशंकरके नौकरोंको देदे कि वह उसको रमाशंकरके आगे रख दे तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

१—अपराधीने एक मनुष्यके शिरमें तीन लाठियाँ उसके मारडालनेके अभिप्रायसे मारीं, वह मनुष्य बेहोश होकर धरतीमें गिरपडा, अपराधीने यह निश्चय करके कि वह मरगया, उस झोपडेमें जिसमें वह पडा हुआ था, इस अभिप्रायसे आग लगादी कि जिससे अपराध होनेका प्रमाण न मिल सके। डाक्टरकी गवाहीसे प्रमाणित हुआ कि अपराधीने जो चोटें मारी थीं वह मृत्युका कारण न थीं और न वह मृत्युका कारण हुई यथार्थमें मृत्यु जलादेनेके कारण ही हुई। तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधी दफा ३०७ के अनुसार ज्ञातघातका अपराधी है पारसन्स साहब जस्टिसकी यह राय थी कि अपराधी दफा ३०२ के अनुसार ज्ञातघातके अपराधका अपराधी है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा १९४)

ज्ञातवत् घातके अपराधका उद्योग.

(३०८) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी जानकारीसे अथवा ऐसी अवस्थामें करे कि यदि वह उस कामके द्वारा मृत्युका कारण हो तो वह उस ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी हो जो ज्ञातघातकी सीमाको नहीं पहुंचता है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

और यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुंचे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

शिवशंकरने एकाएकी किसी भारी क्रोध दिलानेवाले कामके कारण रमाशंकरके ऊपर ऐसी पिस्तोल चलाई जब कि कदाचित् रमाशंकरकी मृत्यु होजाती तो शिवशंकर उस ज्ञातवत्घातके

अपराधका अपराधी गिना जाता जो कि ज्ञातघातके तुल्य नहीं है तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

टीप-(१)अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

आत्मघात करनेका उद्योग.

(३०९) जो कोई मनुष्य आत्मघातके अपराधका उद्योग करे और कोई ऐसा काम करे जो उपरोक्त अपराधके किये जानेकी ओर झुकता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० या० म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—एक स्त्री कुएमें गिरकर आत्मघात करनेके अभिप्रायसे कुएके समीपतक दौडी गई और वहां वह पकड ली गई उसको आत्मघात करनेके उद्योगमें दफा ३०९ के अनुसार दण्ड दिया गया तजवीज हुई कि अपराधिनीका दंड अनुचित है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ८ सफा ५०)

ठग.

(३१०) जिस मनुष्यने इस ऐक्टके जारी होनेके पीछे किसी समय, किसी और मनुष्य अथवा और मनुष्योंके साथ स्वाभाविक (आदतन)इस अभिप्रायसे मिलाप रक्खा हो कि ज्ञातघातके द्वारा अथवा ज्ञातघात समेत बलपूर्वक चोरी (सरका बिलजब्र) अथवा बालकोंकी चोरीका अपराध करे वह ठग कहलाया जावेगा।

दंड.

(३११) जो कोई मनुष्य ठग हो उसको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है।

गर्भ गिराने; बिना उत्पन्न हुए बच्चोंको हानि पहुंचाने; बच्चोंको बाहर डाल देने और पैदायश छुपानेके विषयमें।

गर्भ गिराना.

(३१२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी स्त्रीके गर्भ गिरानेका कारण हो तो यदि वह गर्भपात शुद्धभावसे उस स्त्रीका जीव बचानेके लिये न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे और यदि उस स्त्रीके पेटके बच्चेमें जान पडगई हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्पष्टीकरण–वह स्त्री जो स्वयंही अपने गर्भके गिरानेका कारण हो इस दफाके अभिप्रायमें गिनी जायगी।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१––प्रत्येक स्त्री हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३१२ के अभिप्रायानुसार तत्कालही जब कि, वह गर्भिणी हो जावे बच्चा उत्पन्न करनेवाली समझी जायगी। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफा ३६९)

बिना स्त्रीकी मरजीके गर्भ गिराना.

(३१३) जो कोई मनुष्य स्त्रीकी मरजी बिना उस अपराधका अपराधी हो जिसका वर्णन इसके पहिलेकी पिछली दफामें किया गया है, चाहे उस स्त्रीके पेटके बच्चेमें जीव पडगया हो अथवा नहीं, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दंड दिया जावेगा अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है।

मृत्यु जो किसी ऐसे कामके कारण हो जो गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे किया जाय.

(३१४) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीका गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे कोई ऐसा काम करे जो उस स्त्रीकी मृत्युका कारण हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

यदि काम बिना प्रसन्नता उस स्त्रीके किया गया हो।

और यदि वह काम बिना प्रसन्नता उस स्त्रीके किया जाय तो या तो उसे जन्मभरके देश निकालेका दंड दिया जावेगा अथवा वह दंड दिया जावेगा जिसका वर्णन पहिले किया गया है।

स्पष्टीकरण–इस अपराधके लिये अपराधीको यह जाननेकी आवश्यकता नहीं है कि उस कामसे मृत्युके होनेकी संभावना है।

टीप–दफा ३१३ के अनुसार है।

१––अपराधीने एक स्त्रीका गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे उसको दवा दी और वह स्त्री उसके खानेसे मर गई परन्तु यह बात न प्रमाणित हुई कि अपराधी इस बातको जानता था कि इस दवासे मृत्युके हो जानेका भय है। हाईकोर्टने अपराधीको ज्ञातघातके अपराधसे बरी किया परंतु हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३१४ के अपराधमें उसको दंड दिया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ५९)

(३१५) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेके उत्पन्न होनेसे पहिले कोई काम इस अभिप्रायसे करे कि वह उसके कारणसे उस बच्चेको जीवित उत्पन्न होनेसे रोके अथवा उसके उत्पन्न होनेके पीछे उसकी मृत्युका कारण हो और यथार्थमें ही उसके ऐसे कामके द्वारा वह बच्चा जीवित उत्पन्न होनेसे रुक जावे अथवा उत्पन्न होनेके पीछे मरजावे तो यदि वह काम माका प्राण बचानेकी इच्छासे न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

कोई काम जो इस अभिप्रायसे किया जाय कि बालक जीवित न उत्पन्न होने पावे अथवा उत्पन्न होनेसे पीछे मरजाय.

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है ।

(३१६) जो कोई मनुष्य ऐसी अवस्थामें कोई काम करे कि यदि उसके द्वारा मृत्यु हो जाती तो वह ज्ञातवत्घातका अपराधी होता और उस कामके द्वारा किसी जीवित बच्चेकी मृत्यु करे जो अभीतक उत्पन्न नहीं हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

मृत्यु करनी किसी ऐसे बच्चेकी जो उत्पन्न न हुवा हो परन्तु पेटमें जीव पड़ गयाहो कोई ऐसा काम करके जो ज्ञातवत्घातकी सीमातक पहुंचताहो.

उदाहरण ।

शिवशंकर यह जानकर कि इस कामके करनेसे किसी गर्भवती स्त्रीकी मृत्यु होनी अति सम्भवित है कोई ऐसा काम करे कि कदाचित् उससे उस स्त्रीकी मृत्यु हो जाती तो वह काम ज्ञातवत्घातके समान गिना जाता, उस कामसे उस स्त्रीको दुःख तो हुआ परंतु मरी नहीं हां उसके गर्भमें जो बालक था और उसमें जीव पड गया था वह उस दुःखके कारण मर गया तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है ।

(३१७ (जो कोई मनुष्य किसी बारह वर्षसे कम उमरवाले लडकेका बाप अथवा मा अथवा रक्षक होकर उस लडकेको किसी स्थानमें इस अभिप्रायसे डाल दे अथवा छोड दे कि उसका सम्बन्ध छूट जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

मा बाप अथवा किसी रक्षक मनुष्यका बारह वर्षसे न्यून आयुके बच्चेको डालदेना अथवा छोड़ देना.

स्पष्टीकरण—इस दफासे यह अभिप्राय नहीं है कि यदि इस प्रकारपर डाल देनेसे वह लड़का मर जावे तो अपराधीका विचार शातघात अथवा ज्ञातवत्घातके अपराधमें जैसी कि अवस्था होवे न किया जावे ।

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है ।

१—अपराधिनीने अपने बच्चेको इस अभिप्रायसे छोड दिया कि उसका इस प्रकारसे छोडा जाना मृत्युका कारण होगा और बच्चा भी उसी प्रकारसे छोडे जानेके कारण मर गया तजवीज हुई कि उस स्त्रीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३०४ के अनुसार अपराधी प्रमाणित करना चाहिये था न कि दफा ३०४ व ३१७ के अनुसार। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३४९)

२—एक स्त्रीके उस समय बच्चा उत्पन्न हुआ जब वह अपने मायकेमें रहती थी और उस समय उसका पति कश्मीरमें था—उपरोक्त स्त्रीकी मा उस बच्चेको उस स्त्रीके पतिकी बहिनके यहां ले गई और वह बच्चा नंगा उसकी गोदमें रख दिया और कहा. कि यह तेरे भाईका लडका है उस स्त्रीकी मा चली आई और वह बच्चा कुछ घंटोंके पीछे मर गया तजवीज हुई कि उस स्त्रीकी माने कोई अपराध दफा ३१७ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार नहीं किया और न उस स्त्रीने ही उस अपराधके करनेमें सहायता की। (पंजाब रिकार्ड नं० ३३ सन् १८७२ ई०)

किसी बालककी लाश को चुपकेसे अलग करके उसकी पैदायशको छुपाना.

(३१८) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेकी लाशको गुपचुप गाड करके अथवा और किसी भांति अलग करके उसका उत्पन्न होना जानबूझकर छुपावेगा अथवा छुपानेका उद्योग करेगा चाहे वह बालक उत्पन्न होनेसे पहिले मरा हो चाहे पीछे--उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा ३१८ के अनुसार उस अवस्थामें अपराध नहीं ठहराया जा सकता जब कि उसने चार महीनेके पुतलेको छिपाया हो (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास एंडकस जिल्द ४ सफा ६३)

(जरके) बयानमें।

चोट.

(३१९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको शारीरिक पीडा अथवा शारीरिक रोग अथवा शारीरिक निर्बलता पहुंचावे तो कहा जायगा कि उसने चोट पहुंचायी।

भारी चोट.

(३२०) नीचे लिखे प्रकारोंकी चोट भारी दुःख कहलावेगा—

पहिले—किसीको हिजडा बना देना--

दूसरे—किसी एक आंखको सदैवके लिये फोड देना—

तीसरे—किसी एक कानकी श्रवणशक्तिको सदैवके लिये रहित कर देना—

चौथे—किसी अंग अथवा जोडको नष्ट कर देना—

पांचवें--किसी अंग अथवा जोडको सदैवके लिये तोड डालना अथवा निर्बल कर देना--

छठवें--शिर अथवा चेहरेको सदैवके लिये कुरूप कर देना--

सातवें--किसी हड्डी अथवा दांतका तोड डाला जाना अथवा उखाड डाला जाना--

आठवें--कोई चोट जो जीवको जोखिममें डाले अथवा उस मनुष्यको जिसको दुःख दिया जाय बीस दिनतक कठिन शारीरिक पीडा सहावे अथवा उसको अपने साधारण उद्यमके करनेके अयोग्य कर दे।

(३२१) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कोई काम करे कि उसके द्वारा किसी मनुष्यको चोट पहुंचाए अथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि उस कामके द्वारा वह किसी मनुष्यको चोट पहुंचावेगा और उसके द्वारा वह किसी मनुष्यको चोट (जरर) पहुंचावे तो कहा जायगा कि उसने जानबूझकर चोट पहुंचाया।

जानबूझकर चोट पहुंचाना.

(३२२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर चोट (जरर) पहुंचावे तो यदि वह दुःख जिसका पहुँचाना उसकी इच्छामें हो अथवा जिसको वह जानता हो कि उससे उसके पहुंचानेका संभव है भारी (जरर शदीद) हो और जो चोट (जरर) उसने पहुंचाया है वह भारी चोट है तो कहा जायगा कि उसने जानबूझकर भारी चोट पहुंचाया।

जानबूझकर भारी चोट पहुंचाना.

स्पष्टीकरण--यह बात कि एक मनुष्यने जानबूझकर भारी चोट पहुंचाना चाहा न कही जायगी सिवाय इसके कि वह भारी चोट पहुंचाये और उसकी यह भी इच्छा हो अथवा इस कामके होनेका संभव उसकी जानकारीमें हो कि उस कामके द्वारा भारी (जररशदीद) पहुंचेगा परन्तु यदि वह यह इच्छा करके अथवा इस कामके होनेका सम्भव जानकर कि वह एक प्रकारकी भारी चोट पहुंचावेगा वास्तवमें किसी और प्रकारकी भारी चोट पहुंचाए तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने जानबूझकर भारी चोट पहुंचायी।

उदाहरण।

शिवशंकर इस अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके चेहरेको सदैवके लिये कुरूप करदे रमाशंकरके एक चोट लगाए जो रमाशंकरके चेहरेको सदैवके लिये तो कुरूप न करे परंतु उसके कारणसे बीश दिन तक रमाशंकरको कठिन शारीरिक पीडामें फँसाये रक्खे तो शिवशंकरने जानबूझकर भारी चोट पहुंचाया।

१--(क) ने (ख) और (ग) को आज्ञा दी कि तुम (घ) को बलपूर्वक पकड ले जाकर उसपर आक्रमण करो--इसपर (घ) इतना मारा गया और उसे चोट पहुंचायी गयी कि जिसके कारण वह मर गया--हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि (क) जानबूझकर भारी चोट पहुंचानेके अपराधकी सहायताका अपराधी है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ६१)

(३२३) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३४ में आज्ञा है जानबूझकर चोट पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

जानबूझकर चोट पहुँचानेका दंड.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती है (५) राजीनामा हो सकता है।

१—अपराधीने, कि जिसे उसकी स्त्रीने भारी क्रोध दिलाया, दोनों हाथोंसे बलपूर्व्वक पृथ्वीपर उस स्त्रीको गिरा दिया; और जब वह नीचे गिरगई तब उसको कई एक थप्पड़ मारे इस चोटसे स्त्री मर गई—डाक्टरके बयानसे जाना गया कि उसकी लाशपर कोई भारी मारके चिह्न न थे, परंतु उसकी तिल्ली बढ़ी हुई थी और उसकी मृत्यु तिल्ली फटनेके कारण हुई ऐसी अवस्थामें अपराधी केवल चोट पहुँचानेका अपराधी ठहराया गया न कि शातवत्घातका। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ९७)

२—जब किसी मनुष्यकी तजवीज मुजरिमानाके मध्ये की जावे और वह उस अपराधसे छूट जावे तो फिर उसपर उसी कामके मध्ये चोट (जरर खफीफ) पहुँचानेका अपराध नहीं ठहराया जा सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ३)

३—अपराधीके पंखा झलनेवाले मनुष्यकी तिहाल (तिल्ली) में कोई रोग था और अपराधी इस बातको न जानता था—अपराधीने उस मनुष्यको उसकी सुस्तीके कारण दो एक बार मारा और जो चोट कि उसको पहुँची वह उसकी मृत्युका कारण हुई—यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी न थी तजवीज हुई कि अपराधी हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३२३ के अनुसार चोट (जरर) पहुँचानेका अपराधी है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा५२२)

४—एक ओर चिरंजी और दूसरी ओर इन्दर और बच्चामें लड़ाई हुई चिरंजीने इन्दरको गाली दी इसलिये इन्दरने उसको एक छड़ी मारी और बच्चाने चिरंजीके शिरमें कुल्हाडी मार कर उसको गिरा दिया इसके अतिरिक्त चिरंजीके शरीरमें औरभी दो चोटें कुल्हाड़ीकी थीं—चिरंजी शिरकी चोटके कारण मरगया—सेशन जजने इन्दर और बच्चाको दफा ३०४ का अपराधी ठहराया और फिर उन्हें दश वर्षकी कठिन कैदका दंड दिया गया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि इन्दरका काम बच्चाके कामसे अलग था इसलिये मुकद्दमा हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८ में दाखिल था—इसलिये इन्दरको दफा ३२३ के अनुसार छः महीनेके कठिन कैदका दंड देना चाहिये। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन् १८८२ ई० सफा २३)

(३२४) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३४ में आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोडने अथवा भोंकने अथवा काटनेके किसी हथियार अथवा किसी ऐसे हथियारके द्वारा जिसको हथियारकी भांति काममें लाए तो उसके कारणसे मृत्युका होना अति संभवित है अथवा आग अथवा किसी गर्म किये हुए पदार्थके द्वारा अथवा विष अथवा शरीरको गलित करनेवाले पदार्थ द्वारा, अथवा मकसे उडजानेवाले किसी पदार्थके द्वारा, अथवा किसी ऐसे पदार्थके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने अथवा निकालने अथवा रधि-

जोखिमके हथियारों अथवा उपायों द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाना.

रमें पहुंचानेसे मनुष्यके शरीरको अचेतना होती हो, अथवा किसी पशुके द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाये तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन, अथवा प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल अथवा मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम (२) पोलिस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा हो सकता है जब कि उस अदालतसे आज्ञा लीजाय कि जिसके सामने मुकद्दमा पेश है ।

१—जब कुछ मनुष्य मिलकर किसी मनुष्य पर आक्रमण (हमला) करें और फल यह हो कि उस मनुष्यका हाथ टूट जाए तो भारी चोट (जररशदीद) के पहुँचानेका अपराध समझा जायगा न कि आक्रमणका । (दीक्षी रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १२)

२—किसी कानूनविरुद्ध जमावको जिसके दूसरे साझी भारी दुःख (जररशदीद) के अपराधी हुए हों बलवा के अपराध और जररशदीदके अपराधमें अलग अलग दंड नहीं दिया जा सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२१)

३—भारी चोट (जररशदीद) अपराधमें केवल जुर्मानेकाही दंड न होना चाहिये बरन् कैद जुर्माना दोनों होना चाहिये ।

४—जिस मनुष्यपर जररशदीदका अपराध ठहराया जावे वह तजवीजके लिये सेशनमें सिपुर्द होना चाहिये । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा १०१)

(३२९) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३९ में आज्ञा है जानबूझकर भारी चोट (जररशदीद) पहुंचावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

जानबूझकर भारी चोट (जररशदीद) पहुंचानेका दंड.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने एक स्त्रीके शिर और कन्धेको जिसकी गोदमें बच्चा था चोट पहुचाया जिसकी चोटसे बच्चा मरगया—तजवीज हुई कि वह मनुष्य भारी चोट (जररशदीद) के पहुंचानेका अपराधी है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६२३)

२—(ब) ने जानबूझकर (न) को जो तिल्लीकी बीमारीमें फंसा था इस निश्चयसे कि उसको जररशदीद पहुंचे चोट (जरर) पहुंचाया परंतु उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा शारीरिक चोटके पहुंचानेका न था (न) उस चोटके कारण मरगया—तजवीज हुई कि विचार अपराधीका जानबूझकर भारी चोट पहुंचानेके अपराधमें होना चाहिये । इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७६६)

३—एक मनुष्यन एक टुकड़ा ईंटका एक मनुष्यको मारा जो उसकी तिल्लीपर लगा और जिसके कारण वह मरगया—यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी न थी तजवीज हुई कि अपराध जानबूझकर चोट पहुँचानेका है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा५९७)

४—जब कोई मनुष्य दूसरेको एक ऐसा घूँसा जो मृत्युका कारण हो बिना इच्छा मृत्युके मारे वह जान बूझकर भारी चोट (जररशदीद) के पहुँचानेका अपराधी है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७७६)

५—किसी कानूनविरुद्ध जमावको जिसके कुछ साझियोंने भारी चोट (जररशदीद) पहुँचाया हो—कानूनानुसार बलवेके अपराध और जररशदीदके अपराधमें दंड नहीं होसकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२१)

६—तीन मनुष्योंको, जो अपराधी बलवा करनेके थे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १४७ के अनुसार और उपरोक्त बलवाके समय भारी चोट (जररशदीद) पहुँचानेके हिन्दुस्थानके दंड-संग्रहकी दफा ३२५ के अनुसार ठहराए गए थे—छः छः महीनेका दण्ड दफा १४७ में और तीन तीन महीनेका दण्ड दफा ३२५ के अपराधमें हुआ पिथरम साहब चीफ जस्टिस और स्ट्रेट साहब व टरल साहबने तजवीज की कि मिसलकी गवाहियोंसे जान पड़ता था कि तीनों अपराधियोंने अलग अलग कामोंका अपराध किया था जिनसे अलग अलग भारी चोट (जररशदीद) पहुँचानेका अपराध बिना सम्बन्ध बलवेके अपराधके उत्पन्न हुआ था इसलिये दफा १४७ व ३२५ के अपराधमें अलग अलग दण्ड दिया जाना अनुचित न था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ७५७)

जोखिमके हथियारों अथवा उपायोंके द्वारा जानबूझकर भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाना.

(३२६) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३५ में आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोड़ने अथवा भोंकने या काटनेके हथियार अथवा किसी ऐसे हथियारके द्वारा, जिसको हथियारकी भांति काममें लाए तो उसके कारणसे मृत्युके होनेकी सम्भावना हो अथवा आग या किसी गर्म किये हुए पदार्थके द्वारा अथवा विष या शरीरको गलित करनेवाले पदार्थके द्वारा अथवा भकसे उड जानेवाले पदार्थके द्वारा अथवा किसी ऐसे पदार्थके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने या रुधिरमें पहुंचाने या निगलनेसे मनुष्यके शरीरको अचेतना होती हो अथवा किसी पशुके द्वारा जानबूझकर भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाए तो उस मनुष्यको जन्म भरके देश निकालेका दंड दिया जायगा अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटने दफा ३२६ के अपराधमें अपराधीको दो वर्षकी कठिन कैदका दण्ड दिया—लोकल गवर्नमेंटने दण्डको मुनासिब न समझकर हाईकोर्टसे दुबारा तजवीज होनेका विचार किया तजवीज हुई कि दफा ३२६ के अपराधमें जन्म भरके देश निकालेका दण्ड अथवा

१० वर्षकी कठिन कैद या जुर्मानेका दण्ड नियत है-प्रेसिडिंसी मजिस्ट्रेटको चाहिये था कि अपराधीको तजवीजके लिये हाईकोर्टके सिपुर्द करते। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफा ५८)

दबाकर कोई माल लेनेके लिये (मालका इस्तेहमाल बिलजब्र) अथवा किसी अनुचित काम पर विवश करनेके लिये जानबूझकर चोट (जरर) पहुंचाना.

(३२७) जो कोई मनुष्य, जानबूझकर इस अभिप्रायसे चोट पहुंचाए कि उस चोट सहनेवाले मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे, जो उस चोट सहनेवालेसे स्वार्थ रखताहो. किसी माल अथवा किफायतुलमाल को दबाकर प्राप्त करे अथवा इसलिये कि दुःख सहनेवाले मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको, जो उस दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखता हो, कोई ऐसा काम करनेपर विवश करे जो कानूनविरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होजाना सहज होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४० को देखो)

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिला जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

१—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यको एक कांटेदार पेडकी डालीसे इस इच्छासे कोडे मारे कि उससे कोई धन बलपूर्वक ले—मजिस्ट्रेटने दफा ३२३ के चोट (जरर खफीफ) का अपराध और दफा ३८४ के अन्यायपूर्वक धन लेने (इस्तेहसालबिलजब्र) का अपराध उसपर प्रमाणित किया, यद्यपि उस पर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३२७ के अनुसार अभियोगका विचार करना चाहिये था। (वीकली रि० जिल्द १८ सफा ८)

चोट (जरर) आदि पहुंचानेके अभिप्रायसे अचेत करनेवाली औषधि खिलाना.

(३२८) जो कोई मनुष्य किसी प्रकारका विष अथवा कोई अचेत करनेवाली अथवा नशा लानेवाली अथवा आरोग्यतामें हानि पहुंचानेवाली औषधि अथवा दूसरा पदार्थ इस अभिप्रायसे, किसी मनुष्यको खिलाए अथवा खिलवाए कि, उस मनुष्यको चोट (जरर) पहुंचे अथवा इस अभिप्रायसे कि, किसी अपराधको करे अथवा इस अभिप्रायसे कि, किसी अपराधका होना उससे सहज होजावे अथवा यह जानकर कि उससे चोटका पहुंचना संभव है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड किया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४०को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिला जमानत (५) राजीनामा नहीं है।

१—अपराधीने अपने ताडीके वर्त्तनोंमें यूहडका दूध यह जानकर रखदिया कि यदि उसको कोई मनुष्य पीजावेगा तो उसको दुःख पहुँचेगा-और अभिप्राय उसका यह था कि इसके द्वारा वह

उस चोरको पकड़ पावे जो चुराकर उन वर्त्तनोंसे ताड़ी लेजाया करता था—कुछ सिपाहियोंने वह दूध मिली ताड़ी एक मनुष्यसे मोल लेकर पीली और उससे उनको हानि पहुँची हाईकोर्टकी तजवीज हुई कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३२८ के अनुसार उचित रीति पर दण्ड दिया गया है और दफा ८१ का ऐसे अभियोगसे सम्बन्ध नहीं है । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा ५९)

(३२९) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इस अभिप्रायसे भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाए कि चोट सहनेवालेसे अथवा किसी मनुष्यसे जो दुःख सहनेवालेसे संबन्ध रखताहै किसी माल अथवा किफालतुलमालको दबाकर प्राप्त करे अथवा इस अभिप्रायसे कि चोट सहनेवाले मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको जो दुःख सहनेवाले मनुष्यसे स्वार्थ रखता है कोई ऐसा काम करनेपर विवश करे जो कानूनके विरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होना सहज होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये काले पानीका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । (दफा ४० को देखो)

घनको दबाकर लेने- अथवा किसी अनुचित काम पर विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है ।

(३३०) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये चोट पहुंचावे कि, चोट सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस चोट सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो दबाकर कोई ऐसा इकरार अथवा मुखबिरी (समाचारका देना) कराए जिससे किसी अपराधका अथवा चालचलन संबन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इस लिये कि, चोट सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो चोट सहनेवालेसे स्वार्थ रखता हो दबाकर कोई माल अथवा किफालतुलमाल फेरे अथवा फिरावे या कोई दावा अथवा तगादा चुकावे अथवा ऐसी मुखबिरी जिससे किसी माल अथवा किफालतुलमालका फेर पाना सुगम हो, करावे उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । (दफा ४० को देखो)

दबाकर इकरार कराने अथवा दबाकर किसी धनके लौटानेपर विवश करनेके लिये जान बूझकर चोट पहुँचाना.

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर कि जो ओहदेदार पोलीस है, रमाशंकरको इसलिये चोट देवे कि वह (रमाशंकर) यह इकरार करे कि उसने कोई अपराध किया है—तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है ।

(ख) शिवशंकर कि, जो एक ओहदेदार पोलीस है, रमाशंकरको यह बात दबाकर पूछनेके लिये चोट दे कि, फलां चोरीका अमुक (फलां) माल कहां रक्खा है तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है ।

(ग) शिवशंकर, कि जो एक ओहदेदार माल है, रमाशंकरको इस कारण दुःख दे कि उससे दबाकर मालगुजारीकी बाकीका वाजिबी रुपया वसूल करे तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है ।

(घ) शिवशंकर, कि, जो एक जमींदार है, किसी काश्तकारको लगानका रुपया देनेपर विवश करनेके लिये चोट पहुँचावे, तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है।

टीप--(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने अपनी स्त्रीको इस बातपर दबाकर विवश करनेके लिये जानबूझकर चोट पहुँचाया कि वह उसके घर चले-वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३३० के अनुसार दोषी प्रमाणित हुआ तजवीज हाईकोर्ट हुई कि तजवीज अनुचित थी । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ११ सफा २५७)

(३३१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये भारी चोट (जरशदीद) पहुंचाए कि चोट सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो चोट सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो, दबाकर कोई ऐसा इकरार मुखबिरी कराए, जिससे किसी अपराधका अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इसलिये कि चोट सहनेवालेसे अथवा जो मनुष्य उससे अभिप्राय रखता हो; उससे दबा कर कोई माल अथवा किफालतुलमाल फेरे अथवा फिरावे या कोई तगादा चुकावे अथवा दबाकर ऐसी मुखबिरी करानेमें जिससे किसी माल अथवा किफालतुलमालका फेर पाना सुगम हो; विवश करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा; जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

दबाकर इकरार कराने अथवा कुछ माल फेर लेनेके लिये जानबूझकर भारी चोट (जरशदीद) पहुंचाना.

(दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं हो सकता ।

(३३२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका जो सरकारी नौकर है और जब कि वह अपनी नौकरीके कारण अपने ओहदेके कामको भुगतारहा हो, जानबूझकर चोट पहुंचाए या इस अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसकी सरकारी नौकरीके कारण उसके ओहदेका काम करनेसे रोके अथवा डराए जानबूझकर चोट पहुंचाए या किसी कामके कारण, जो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीके कारण

सरकारी नौकरको, उसके काम करनेमें डरा कर न करनेके अभिप्रायसे जानबूझकर चोट पहुँचाना

अपने ओहदेके उचित काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जानबूझकर चोट पहुंचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा; जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

सरकारी नौकरको, अपने ओहदेका काम भुगतानेमें डराकर न करनेके लिये जानबूझकर भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाना.

(३३३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जो सरकारी नौकर हो और वह अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदेका काम कररहा हो; जान बूझकर भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाए अथवा इस अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसके ओहदेका काम करनेसे रोके अथवा डराए वा जानबूझकर भारी चोट पहुँचाए, अथवा किसी कामके कारण जो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदेके उचित काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जानबूझकर भारी चोट पहुँचाए, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ३३१ के अनुसार है।

क्रोध दिलानेपर जानबूझकर चोट पहुंचाना.

(३३४) जो कोई मनुष्य भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेके कारण जानबूझकर किसीको चोट पहुंचावे; तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त, कि जिसके कारण वह क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे मनुष्यको चोट पहुंचाना उसकी इच्छामें न हो अथवा ऐसे चोट पहुंचानेकी होनहारीको वह न जानता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा होसकता है।

१—क्रोध दिलानेके कारण, उस मनुष्यको चोट पहुँचाना जिसने क्रोध उत्पन्न कराया ३३४ के अनुसार दंड योग्य है न कि दफा ३२४ के अनुसार। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १७)

क्रोध दिलानेपर जानबूझकर भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाना.

(३३५) जो कोई मनुष्य किसी भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेवाले कामके कारण जानबूझकर किसीको भारी चोट (जररशदीद) पहुंचावे; तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त कि जिससे वह क्रोध पहुंचा, किसी दूसरे मनुष्यको भारी चोट पहुंचाना उसकी इच्छामें न हो; अथवा ऐसे भारी चोट (जररशदीद) के पहुंचानेकी होनहारको वह न

जानता हो, तो उपसेक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद चार वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण–पिछली दोनों दफाएं उन्हीं नियमोंके अधीन हैं, जिनके अधीन ३०० की पहिली छूट है ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० दो० .(२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा अदालतकी आज्ञा लिये जानेपर होसकता है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यको जब कि वह रातके समय अपराधीके कमरेमें उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार करनेके अभिप्रायसे घुसता था, एक घातक हथियारकी चोटसे मार डाला;तजवीज हुई कि अपराधीने भारी चोट (जररशदीद) पहुँचानेका अपराध किया कि जो एकाएकी और भारी क्रोधके कारण किया गया था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ५५)

(३३६) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निधडकपने अथवा असावधानीसे करे कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम पहुंचे; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो अढाई सौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

उस कामका दंड जो प्राण अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामें विघ्न डाले.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जो मल्लाह ऐसी नाव चलावे; जो नदीमें चलने योग्य न हो और उसके कारण मुसाफिरोंकी प्राणोंकी जोखिम हो; तो उसपर दफा २८२ हिं० दं० के अपराधको ठहराना चाहिये न कि दफा ३३६ के अपराधको । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई १ सफा १३७)

(३३७) जो कोई मनुष्य काम ऐसे निधडकपने अथवा असावधानीके साथ करनेसे, कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम हो, किसी मनुष्यको चोट (जरर) पहुंचाए; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों ही दंड दिये जावेंगे ।

ऐसे कामसे भारी चोट (जररशदीद) पहुँचाना जो जान अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामें जोखिम डाले.

टीप—दफा २२५ के अनुसार है ।

(३३८) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निधड़कपने अथवा असावधानीके साथ करनेसे कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम हो; किसी मनुष्यको भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाए; तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

ऐसे कामसे चोट पहुंचाना जो जान अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामें जोखिम डाले.

टीप—दफा ३३५ के अनुसार है।

१—अपराधीको भारी चोट (जररशदीद) पहुँचानेके अपराधमें दफा ३३८ हिं० दं० के अनुसार दण्ड दिया गया—गवाहीसे यह जान पड़ा कि अपराधी गाड़ीमें सवार होकर अपने घरको शहरकी सड़कोंमें होकर रातके सात, आठ बजे जारहा था; गाड़ी साधारण चालसे सड़कके बीचों बीच जाती थी, रात अंधेरी थी और गाड़ीमें लैम्प न था; परन्तु कोचवान और साईस सड़क पर आने जानेवाले मनुष्योंको सावधान करनेके अभिप्रायसे चिल्लाते थे; इतनेमें अपराधीकी गाड़ीने एक मनुष्यसे टक्कर खाई, जो एक बुड़ढा और बहरा आदमी था, वह मनुष्य गिरपड़ा और उसके ऊपरसे गाडी चली गई और इस कारण उसके प्राण निकल गए—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अदालतको इस बातका फैसला करना था कि गवाही इस प्रकारकी है अथवा नहीं कि जिससे उस मनुष्यका मरना ऐसे कामसे पाया जावे कि जो अपराधीके निधड़कपने अथवा असावधानीसे हुवा हो, परन्तु इस मुकद्दमेमें ऐसी गवाही नहीं है, इसलिये अपराधी छोड़ा गया (मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ३१ अपील)

अनीति रोक (मुजाहिमतबेजा) और अनीतिबन्धन (हब्सबेजा) के विषयमें।

(३३९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जानबूझकर इस प्रकार रोकेगा कि जिससे वह मनुष्य ऐसी दिशाकी ओर जानेसे रुका रहे कि जिसमें वह जानेका अधिकार रखता हो, तो कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यकी अनीति रोक (मुजाहिमतबेजा) की।

अनीतिरोक (मुजाहिमतबेजा.)

छूट।

रोकना किसी ऐसे निजके रास्तेका, चाहे स्थलका हो चाहे जलका, जिसके मध्ये कोई मनुष्य शुद्धभावके साथ निश्चय करता हो कि वह उसके रोकनेका उचित अधिकार रखता है, इस दफाके अभिप्रायके अनुसार अपराध नहीं है।

उदाहरण।

शिवशंकरने एक रास्तेको, जिसमें रमाशंकरके चलनेका अधिकार है रोका, और शिवशंकर शुद्धभावके साथ यह निश्चय नहीं करता था कि वह उस रास्तेके रोकनेका अधिकारी है, इस कारण

रमाशंकर उस रास्तेमें चलने फिरनेसे रोकाजावे—तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरकी अनीति रोक की ।

१—जब कोई पोलीसका ओहदेदार किसी एक मनुष्यको उसके घर न जाने दे, जबतक कि वह जमानत न दाखिल करे; तो यदि वह ओहदेदार शुद्धभावसे इस कार्रवाईको न करे; तो कहा जायगा कि उसने इस दफाके अनुसार अनीति रोकका अपराध किया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा २०)

अनीतिबंधन (हब्स-बेजा) } (३४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी इस प्रकार पर अनीतिरोक करे कि उस मनुष्यको किसी मुख्य नियत की हुई सीमाके बाहर जानेसे रोके तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उसके मध्ये अनीति बन्धन (हब्सबेजा) किया ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको दीवार खिंचे हुए किसी घरके भीतर करके ताला लगा दे, इससे रमाशंकर उस घरकी दीवारके बाहर किसी ओर जानेसे रुक जाए, तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरको अनीतिबंधन में रक्खा ।

(ख) यदि शिवशंकर किसी घरके द्वारपर गोली मारनेके हथियार लिये हुए मनुष्योंको बिठा देवे और शिवशंकरसे कहे कि जो तू घरके बाहर निकलनेका यत्न करेगा, तो वे मनुष्य तुझे गोली मारेंगे—तो इस अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरको अनीतिबंधनमें रक्खा ।

१—किसी मुकद्दमेमें अफसर पोलीसको दफा १५२ ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० जाब्ता फौजदारीके अनुसार किसी मनुष्यको एक घंटा भी रोक रखनेका अधिकार नहीं है, सिवाय उस अवस्थामें कि जब मुकद्दमेमें कोई उचित कारण हो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८८)

२—किसी मनुष्यको बलपूर्वक उसकी इच्छाके विरुद्ध किसी मुख्य स्थानपर रोक रखना अथवा किसी मुख्य रास्तेसे जानेपर विवश करना अनीतिबंधनमें गिना जायगा । (रिपोर्ट हाई-कोर्ट मदरास जिल्द २ सफा ३९६)

३—कीना अर्थात् डाह अपराध "अनीतिबन्धन" के लिये जिसका लक्षण दफा ३४० हिं० दं० म कहा गया है, आवश्यकीय जुज (टुकडा) नहीं है—अपराधका होना उस समय कहा जावेगा कि जब कोई मनुष्य इस प्रकार अनुचित रीतिसे रोका जावे कि जिससे वह एक नियत की हुई सीमाके बाहर न जासके—और किसी मनुष्यका अनुचित रीतिपर रोकाजाना उस अवस्थामें कहा जावेगा कि जब वह जानबूझकर इस प्रकारसे रोका जावे कि जिससे वह किसी ऐसी ओर जानेसे रुका रहे कि जिधर जानेका वह अधिकार रखता है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १३ सफा २७७)

अनीतिरोकका दण्ड. } (३४१) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी अनीति रोक करे; तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो ५००) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

१—एक मनुष्यने ले जानेके लिये कुछ माल गाड़ीपर रक्खा—अपराधीने बैलोंको जुएसे खोलकर मालको गाड़ीसे सड़कपर गिरा दिया, तब वह मनुष्य मालको छोड़कर चलागया, तजवीज हुई कि अपराध दफा ३४१ का नहीं होसकता; परंतु उपरोक्त अपराध दफा ४१५ हिं० दं० का गिना जायगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा ५५)

२—अपराधीने एक मनुष्यकी उसकी गाड़ी समेत एक मुख्य दिशाकी ओरसे जानेसे रोका और उसपर एक झूठा दोष लगाकर उससे कुछ रुपया अनुचित रीतिपर लिया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीने अनीतिरोकका अपराध किया न कि चोरीका।(वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ३५)

अनीतिबंधनका दण्ड

(३४२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबन्धनमें रक्खे, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो १००) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है

१—यदि कोई अफ्सर पोलीस किसी मनुष्यको स्वयं पकड़नेके बदले किसी बिना नौकर सरकारको उसको पकड़ने और अपनी चौकसीमें रखनेकी आज्ञा दे दे, तो वह अफ्सरही उस बातका जिम्मेदार है, क्योंकि जो मनुष्य उसकी आज्ञानुसार पकड़ा जावे, वह कानूनानुसार उसीकी चौकसीमें समझा जावेगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४)

२—फरियादी (मुस्तगीस) ने अपराधीपर अनीतिरोक और अनीतिबंधनके मध्ये अदालतमें नालिश की—जवाब यह था कि फरियादीने अपराधीपर आक्रमण (हमला) किया और उस कारणसे वह पकड़ा गया—और जबतक पोलीस इन्स्पेक्टरने नहीं छोड़ा, तबतक अनीतिबंधनमें रहा साहब मजिस्ट्रेटने ४ महीनेका दंड दिया—तजवीज हुई कि अपराधका विचार अनुचित था, जो कि अपराधीको मुकद्दमेकी दशा देखकर इस बातका दृढ संदेह होगया था कि जो कपड़ा फरियादीके यहां है, वह चोरीका माल है, इसलिये उसके मध्ये फरियादीसे पूछना उसका उचित काम था, जिनके उत्तरोंसे उसका संदेह दूर होता—और उसने ऐसे उत्तर पाये कि जो माननेके योग्य न थे। (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १२ सफा ३७७)

तीन या अधिक दिनतक अनीतिबंधन.

(३४३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको तीन दिन अथवा अधिक दिनतक अनीतिबन्धनमें रक्खे; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या० म०अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(३४४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दश दिन अथवा अधिक दिनतक अनी-

दश अथवा अधिक दिनतक अनीतिबंधन.

तिबंधनमें रक्खे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे०म० या म०अ०या म०दो०(२)पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है(३)अपराधीके नाम समन जारी होगा (४)जमानत होसकती है(५)राजीनामा नहीं है ।

१—जो मनुष्य अनीतिबन्धनका अपराधी दफा३४४के अनुसार ठहराया जावे;उसको केवल जुर्मानेकाही दंड न होना चाहिये,बरनू कैद भी होना चाहिये।(रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १सफा३९)

(३४५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबंधनमें रक्खे, यह जानकर

उस मनुष्यको अनीतिबंधनमें रखना जिसके छुटकारेकी आज्ञा हो चुकी है.

कि उस मनुष्यको छोड देनेके लिये कानूनानुसार आज्ञापत्र (हुक्मनामा) जारी होचुका है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकतीहै और यह उस कैदकी मीआदके अतिरिक्त होगी जिसका वह इस संग्रहकी किसी और दफाके अनुसार योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे०म० या म०अ०या म०दो०(२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकतीहै(५) राजीनामा नहीं है।

(३४६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस प्रकारसे अनीतिबन्धनमें रक्खे कि

गुप्त अनीतिबंधन.

जिस से यह इच्छा प्रगट हो कि उस मनुष्यका अनीतिबंधनमें रक्खा जाना किसी मनुष्यको जो अनीतिबन्धनमें रक्खे गए मनुष्यसे अभिप्राय रखता हो अथवा किसी सरकारी नौकरको न मालूम होसके अथवा यह कि उस अनीतिबन्धनका स्थान ऐसे मनुष्य या सरकारी नौकरको, जिसका वर्णन इस दफामें पहिले किया गया ज्ञात या सूचित न हो जावे; तो उपरोक्त मनुष्यको किसी और दण्डके सिवाय जिसका वह उस अनीतिबंधनके बदलेमें योग्य हो, दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है ।

टीप—दफा ३४४ के अनुसार है ।

१—किसी मनुष्यको दफा ३४६ के अपराधका अपराधी प्रमाणित करनेमें इस बातका जानना आवश्यकीय है कि अनीतिबंधन उस प्रकारका था,जिससे यह इच्छा प्रगट होती है कि अनीतिबन्धनमे रक्खा हुआ मनुष्य प्रगट न किया जावे । (इ०ला०रि० कलकत्ता जिल्द ९ सफा२२१)

(३४७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिबंधनमें रक्खे कि अनीति-

दबाकर माल ले लेने अथवा किसी अनुचित काममें विवश करनेके अभिप्रायसे अनीतिबंधन.

बंधनमें रक्खे हुए मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस अनीतिबंधनमें रक्खे हुए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है; किसी माल अथवा किफालतुलमालको दबाकर लेवे अथवा अनीतिबंधनमें रक्खे हुए

मनुष्यको या किसी और मनुष्यको जो अनीतिबंधनमें रक्खे गए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है, कोई ऐसा काम करनेपर जो कानूनविरुद्ध है अथवा ऐसी मुखबिरी करनेपर जिससे किसी अपराधका होना सहज हो जावे, विवश करे; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४० को देखो)

टीप—दफा ३४४ के अनुसार है।

१—जब किसी मनुष्यपर हिं० दं० की दफा ३४७ का अपराध लगाया जावे और फरियादी (मुस्तगीस) तथा उसके गवाहोंका बयान अपराधीके सामने लिखा जाकर मुकद्दमा गवाहोंके बयानोंकी सफाईके लिये रुकजाय और उस दूसरी तारीखपर फरियादी न आवे, तो मुकद्दमा उसके न आनेपर डिसमिस नहीं होसकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा २७)

दबाकर इकरार कराने अथवा मालके फेर देनेपर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीतिबंधन.

(३४८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिबन्धनमें रक्खे कि उस अनीतिबन्धनमें रक्खे हुए मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस अनीतिबन्धनमें रक्खे हुए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है बलपूर्वक दबाकर कोई ऐसा स्वीकार इकरार या मुखबिरी कराए, जो किसी अपराध अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधके पता लगानेकी ओर झुकता हो अथवा सलिये कि अनीतिबन्धनमें रक्खे हुए मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको जो अनीतिबन्धनमें रखे गए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है, किसी माल अथवा किफायतुलमालके लौटाने या लौटवानेके लिये या किसी दावे या तगादेके चुकाने अथवा ऐसी मुखबिरी करनेके लिये जो किसी माल अथवा किफायतुलमालके लौटाये जानेकी ओर झुकाती हो, विवश करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन. या प्रे०म०या म०अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

१—चोरने जब वह पोलीसकी चौकसीमें था, कुछ माल चोरीका फरियादी को लौटा दिया—इसलिये उपरोक्त फरियादीका विचार दफा ३४८ के अनुसार हुआ; परन्तु वह इस बात पर छोड़ दियागया उपरोक्त चोर कानूनानुसार पकड़ा गया था इसलिये उसका चौकसीमें रहना अनुचित न था।

अनीतिबल (जब्र मुजरिमाना) और आक्रमण (हमले) के विषयमें।

बल (जब्र)

(३४९) जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको चलायमान करे अथवा उसकी चलायमानता (हरकत) को बदले अथवा उसकी चलायमानताको ठहरावे अथवा किसी पदार्थको ऐसा चलायमान करे या उसकी चलायमानताको बदले या उसकी चलायमानताको ठहरावे कि जिससे वह पदार्थ उस

दूसरे मनुष्यके शरीरके किसी भागसे छू जाय अथवा किसी ऐसे पदार्थसे छू जाय, जिसको वह दूसरा मनुष्य पहिने हुए अथवा लिये हुए हो अथवा किसी ऐसे पदार्थसे छू जाय, जो ऐसे स्थानमें हो, कि जिसके कारण उस छूनेसे उस दूसरे मनुष्यकी त्वचा इन्द्रियको खेद पहुँचे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर बल किया परन्तु नियम यह है कि वह मनुष्य जो चलायमानताके करने या चलायमानताको बदलने या चलायमानताके ठहरानेका कारण हो, नीचे लिखे हुए तीन प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार पर उस चलायमानताके करने या बदलने या ठहरनेका कारण हो ।

पहिले--स्वयं अपनेही शारीरिक बलसे,

दूसरे--किसी पदार्थको इस प्रकारपर रखनेसे कि वह चाल अथवा चालका बदलाव अथवा चालकी रुकावट किसी और कामके विना हुए उस मनुष्यकी ओरसे अथवा किसी दूसरे मनुष्यकी ओरसे होवे ।

तीसरे--किसी पशुको चलायमान करके अथवा उसकी चलायमानताको बदलकर अथवा उसकी चलायमानताको ठहराकर ।

(३९०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये किसी मनुष्यपर उसकी अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना) प्रसन्नताके बिना जानबूझकर बल (जब्र) करे अथवा इस इच्छासे या यह काम अति सम्भवित जान कर कि ऐसा बल (जब्र) करनेसे वह उस मनुष्यको जिस पर बल किया गया है हानि या डर या दुःख पहुंचाएगा, तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर अनीति बल (जब्रमुजरिमाना) किया ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर किसी नावपर जो नदीमें रस्सोंसे बँधी है बैठा है यदि रमाशंकर रस्सोंको खोल दे और इस प्रकार जानबूझकर नावको धारमें बहावे, तो इस अवस्थामें रमाशंकर जानबूझकर शिवशंकरकी चलायमानताका कारण हुआ और उसने यह काम पदार्थको इस प्रकार रखनेसे किया कि बिना किये किसी और कामके किसी मनुष्यकी ओरसे चाल उत्पन्न होगई तो इसलिये रमाशंकरने, शिवशंकरपर जानबूझकर बल किया और यदि उसने किसी अपराधके करनेके लिये या इस इच्छासे या यह काम अति सम्भवित जानकर कि वह बलकरके शिवशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाये, शिवशंकरकी बिना प्रसन्नताके ऐसा किया, तो कहा जायगा कि रमाशंकरने शिवशंकर पर अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना) किया ।

(ख) रमाशंकर चरट गाड़ीपर सवार है, शिवशंकरने रमाशंकरके घोड़ोंको चाबुक मारकर भगाया. तो यहां शिवशंकरने घोड़ोंसे उनकी चाल बदलकर रमाशंकरकी चालको बदला और इसलिये शिवशंकरने रमाशंकरपर बल किया, यदि शिवशंकरने यह काम रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर किया हो कि उसके द्वारा रमाशंकरको

हानि या डर क्लेश पहुँचे, तो कहा जावेगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीति बल (जब्र मुजरिमाना) किया।

(ग) ईश्वरीप्रसाद पालकीमें चढा जाता है, रामप्रसादने ईश्वरीप्रसादको लूटनेके अभिप्रायसे पालकीका डंडा पकडकर पालकीको रोक लिया, तो इस अवस्थामें रामप्रसाद, ईश्वरीप्रसादकी चाल रोकनेका कारण हुआ और यह उसने स्वयं अपने शारीरिक बलसे किया; इसलिये रामप्रसादने ईश्वरीप्रसादपर बल किया और जो कि रामप्रसादने अपराध करनेके अभिप्रायसे बिना प्रसन्नता ईश्वरीप्रसाद के जानबूझकर ऐसा किया; तो रामप्रसादने ईश्वरीप्रसाद पर अनीतिबल किया।

(घ) यदि शिवशंकर गलीमें रमाशंकरको जानबूझकर धक्का लगाए, तो इस अवस्थामें शिवशंकरने अपने शरीरको अपनेही बलसे ऐसा चलायमान किया कि वह रमाशंकरसे छूगया; इसलिये शिवशंकरने जानबूझकर रमाशंकरपर बल किया और यदि शिवशंकरने बिना प्रसन्नता रमाशंकरके इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर कि उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचेगा, ऐसा किया, तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया।

(च) शिवशंकर एक पत्थर इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर फेंके कि वह रमाशंकरके शरीरसे अथवा रमाशंकरके कपडेसे अथवा किसी वस्तुसे जो रमाशंकर लिये हुए है, लगजावे अथवा यह कि वह पत्थर पानीमें लगकर रमाशंकरके कपडोंपर अथवा किसी वस्तुपर जो रमाशंकरपर लिये हुए हैं छींटे डाले तो इस अवस्थामें यदि उस पत्थरका फेंकना ऐसा फल उत्पन्न करे कि जिसके कारण कोई पदार्थ रमाशंकरसे अथवा रमाशंकरके कपडोंसे लगजावे, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर बल किया और यदि उसने रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके ऐसा किया, इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुंचाए, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया।

(छ) शिवशंकर जानबूझकर किसी स्त्रीका घूंघट खोले, तो इस अवस्थामें शिवशंकरने जानबूझकर उस स्त्रीपर बल किया और यदि उसने उस स्त्रीकी बिना प्रसन्नता, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर, ऐसा किया, कि उसके द्वारा वह उस स्त्रीको हानि या डर या क्लेश पहुंचाए, तो कहा जायगा कि शिवशंकरने उस स्त्रीपर अतिबल किया।

(ज) रमाशंकर नहीं रहा हो और शिवशंकर हौजमें ऐसा पानी जिसको वह खौलता हुआ जानता हो डाल दे तो इस अवस्थामें शिवशंकरने स्वयं अपने शारीरिक बलसे खौलते हुए पानीको इस प्रकारसे जानबूझकर डालदिया कि वह पानी रमाशंकरके शरीरसे छू गया अथवा दूसरे पानीसे छूगया जो पानी ऐसे स्थानपर है कि उसका छूना रमाशंकरकी त्वचा इन्द्रियको खेद पहुंचावेगा, इसलिये शिवशंकरने रमाशंकर पर जानबूझकर बल किया और यदि उसने रमाशंकरकी बिना प्रसन्नता इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर, ऐसा किया कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुंचाए, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीति बल किया।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके रमाशंकरपर एक कुत्ता ललकार दे, तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुंचाए, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया।

नीचे लिखी हुई बातें जो कानून इंगलिस्तानके अनुसार आक्रमण (हमला) के अपराधमें गिनी जाती हैं, वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार अनीतिबलमें गिनी जाती है ।

"गुरुका अपनी शिष्या लडकी की अनुचित स्वतंत्रताको लेना, बिना उसकी प्रसन्नताके चाहे वह नाहीं न करती हो, किसी डाक्टरका बिना आवश्यकता रोगी स्त्रीका वस्त्र हटाकर उसे नंगी कराना, इस बहानेसे कि बिना वस्त्र खोले उसके रोगका हाल नहीं जाना जा सकता; किसी अफसरका कंगालखानेमें किसी कंगालके बाल बलपूर्वक तथा उसकी प्रसन्नताके बिना कटवाना, किसी मनुष्यके मुंहपर थूकना, किसी घोडेको जिसपर कोई मनुष्य सवार है मारकर उस मनुष्यको नीचे गिरा देना, क्रोधकी अवस्थामें बदला लेनेके अभिप्रायसे अथवा शत्रुतासे किसी मनुष्यके शरीर अथवा वस्त्रको छूना अथवा पकड लेना," परन्तु छोटे आक्रमणोंमें दफा ९५ हिं० दं० का सम्बन्ध रहेगा ।

आक्रमण (हमला) } (३५१) जो कोई मनुष्य कोई सूरत बनाए अथवा कोई तैयारी करे, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उस सूरत बनाने अथवा तैयारी करनेसे कोई मनुष्य जो उस स्थानपर उपस्थित हो, यह समझे कि सूरत बनानेवाला अथवा तैयारी करनेवाला मनुष्य मेरे साथ अनीतिबल करनेको है—तो कहा जायगा कि उसने आक्रमण (हमला) किया ।

स्पष्टीकरण—केवल शब्दोंका कहनाही आक्रमण (हमला) की सीमा तक नहीं पहुंचता परन्तु सम्भव है कि उन शब्दोंसे, जिनका कोई मनुष्य वर्त्ताव करे, उस मनुष्यकी सूरत बनानेका अथवा तैयारी करनेके मध्ये ऐसा अभिप्राय प्रगट हो कि वह सूरत बनाना अथवा तैयारी करना आक्रमण (हमला) की सीमाको पहुंच जावे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर रमाशंकरपर घूंसा उठाये कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको यह निश्चय कराए—कि वह उसको मारनेवाला है, तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया ।

(ख) शिवशंकर किसी कटहे कुत्तेकी मँवरकली खोलना आरंभ करे, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात संभवित जानकर कि उसके द्वारा रमाशंकरको यह निश्चय कराये, कि वह रमाशंकरपर शीघ्रही उस कुत्तेको दौडानेवाला है—तो शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया ।

(ग) शिवशंकर एक लकडी उठाकर रमाशंकरसे कहे कि मैं तुझको मारूंगा, इस सूरतमें यद्यपि यह शब्द जिनका उच्चारण शिवशंकरने किया, किसी दशामें आक्रमण (हमला) की सीमाको नहीं पहुंच सकते—और भी केवल यह सूरत बनाना बिना किसी और बातके हुए आक्रमण (हमला) की सीमाको न पहुंचेगा, तथापि वह सूरतका बनाना जिसका अभिप्राय शब्दोंसे प्रगट किया गया, आक्रमण (हमला) की सीमाको पहुंच सकता है ।

दंड अनीति बलका सिवाय इसके कि जो भारी क्रोध दिलाए जानेके कारण किया जाय.

(३९२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल (जब्र मुजरिमाना) करे, सिवाय इसके कि जब उस मनुष्यकी ओरसे कोई भारी और एकाएकी क्रोध दिलाए जानेका कारण उत्पन्न किया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो ५००) रु० तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

स्पष्टीकरण—भारी और एकाएकी क्रोधका कारण होनेसे, इस दफाके अनुसार अपराधके दण्डमें कमी न होगी, कदाचित् ऐसे क्रोधको अपराधीने कोई अपराध करनेके बहानेसे स्वयं आपही ढूँढा हो, अथवा जानबूझकर कराया हो; या—

यदि वह क्रोध किसी ऐसे कामसे हुआ, जो कानूनानुसार किया गया हो अथवा जो किसी सरकारी नौकरने अपनी सरकारी नौकरीके अधिकारोंके उचित वर्त्तावमें किया हो, या—

यदि उपरोक्त क्रोध किसी ऐसे कामसे दिलाया गया हो, जो निजरक्षाके अधिकारको कानूनानुसार बर्त्तनेमें किया गया हो—

यह बात देखना कि क्रोध ऐसा भारी और एकाएकी था, जो दंड घटानेके लिये काफी हो, विचारके अधीन होगा।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

१—जो मनुष्य, आक्रमण (हमला) दफा ३५२ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अपराधसे जांच होनेके पश्चात् छोड़ दिया जावे, तो फिर उसका विचार उसी कामके मध्ये दफा३२३के अपराधमें नहीं होसकता। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २५)

२—जो आक्रमण (हमला) का अपराध भारी दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे किया जावे; उसमें राजीनामा नहीं होसकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफा ३०२)

किसी सरकारी नौकरको अपने ओहदेका काम करनेसे डराकर रोक रखनेके लिये अनीतिबलको काममें लाना.

(३९३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर जो सरकारी नौकर है, जब कि वह अपने ओहदेके कामको भुगता रहा हो, आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना) करे अथवा इस अभिप्रायसे कि उस सरकारी नौकरको अपमी नौकरीका काम भुगतानेसे रोके या डराए, आक्रमण अथवा नीतिबल करे; अथवा किसी कामके कारण जो उस सरकारी नौकरने अपने ओहदेका काम भुगतानेमें उचित रीतिपर किया हो या करनेका उद्योग किया हो, आक्रमण अथवा अनीतिबल करे. तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—म्यूनिसिपल इन्स्पेक्टर दफा ४१ म्यूनिसिपलिटी जिलेके अनुसार सरकारी नौकर है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा १३१)

२—एक पोलीस स्टेशनके अफ्सरने दूसरे पोलीस स्टेशनके अफ्सरको लिखा कि वह अपनी सीमामें एक घरकी तलाशी कराए—दूसरे अफ्सरने उस लिखनेके अनुसार घरकी तलाशीके लिये अपने दो सिपाही नियत कर दिये—परंतु उनको दफा ३७९ जाब्ता फौजदारीके अनुसार कोई आज्ञापत्र लिखकर न दिया—अपराधियोंने उस तलाशीमें रोकटोक की—तजवीज हुई कि अपराधियोंपर दफा १४३ व ३५३ हि० दं० का अपराध नहीं ठहराया जासकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिनोत्तर देश जिल्द ७ सफा २०९)

किसी स्त्रीकी लज्जा बिगाडनेके अभिप्रायसे आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल करना.

(३५४) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीपर आक्रमण (हमला) या अनीतिबल (जब्रमुजारिमाना) करे, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा उसकी लज्जा बिगडेगी, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ३५३ के अनुसार है।

भारी क्रोधके अतिरिक्त और प्रकार पर किसी मनुष्यको बेइज्जत करनेके अभिप्रायसे उसपर आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल करना.

(३५५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर आक्रमण अथवा अनीतिबल करे यह इच्छा करके कि उसके द्वारा उस मनुष्यकी अप्रतिष्ठा करे, सिवाय इसके कि उस मनुष्यकी ओरसे कोई भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेका कारण प्रगट हुआ हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है।

कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो. उसके छीन लेनेका उद्योग करनेमें आक्रमण अथवा अनीतिबल (जब्रमुजारिमाना) करना.

(३५६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर किसी ऐसी वस्तुके छीन लेनेके उद्योगमें आक्रमण अथवा अनीतिबल करे, जिसको वह मनुष्य उस समय पहिने या लिये हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(३९७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबन्धनमें रखनेके उद्योगमें उस पर आक्रमण अथवा अनीतिबल करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

अनीतिबन्धनके उद्योगमें आक्रमण अथवा अनीति बल (जब्र मुजरिमाना) करना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(३९८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे भारी और एकाएकी क्रोधके कारण, कि जो उस मनुष्यने दिलाया हो आक्रमण अथवा अनीतिबल करे, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयातक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

भारी क्रोधपर आक्रमण अथवा अनीतिबल करना.

स्पष्टीकरण—यह पिछली दफा उसी स्पष्टीकरणके अधीन है, जिसके अधीन दफा ३५२ है।

टीप—दफा ३५२ के अनुसार है।

मनुष्यको ले भागने, भगा ले जाने; गुलाम बनाने और बेगार करानेके विषयमें।

(३९९) मनुष्यको ले भागना दो प्रकारका है—ब्रिटिश इंडियामेंसे मनुष्यको ले भागना और किसी रक्षकका उचित रक्षामेंसे ले भागना—

मनुष्यको ले भागना.

(४००) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको विना प्रसन्नता उस मनुष्यके अथवा किसी और मनुष्यके जो उस मनुष्यकी ओरसे प्रसन्नता प्रगट करनेका कानूनानुसार अधिकारी है, ब्रिटिश इंडियाकी सीमाके बाहर ले जाए, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य उस मनुष्यको ब्रिटिश इंडियामेंसे ले भागा।

ब्रिटिश इंडियासे मनुष्यको ले भागना.

(४०१) जो कोई मनुष्य किसी बालक लडकेको, जिसकी अवस्था १४ वर्षसे नीची और लडकीको, जिसकी अवस्था १६ वर्षसे नीची हो अथवा किसी मनुष्यको, जिसकी बुद्धि बिगड गई हो (अर्थात् जो सिडी हो,) ऐसी न्यून अवस्थाके बालकके या उस मनुष्यके, कि जो सिडी हो उचित रक्षककी रक्षामेंसे विना प्रसन्नता उस रक्षकके ले जाए अथवा फुसला ले जाए तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य उस बालक अथवा उस मनुष्यको उचित रक्षामेंसे ले भागा।

रक्षककी उचित रक्षामेंसे मनुष्यको ले भागना.

स्पष्टीकरण-इस दफामें "उचित रक्षक" का शब्द, प्रत्येक किसी मनुष्यको शामिल है, जिसके सिपुर्द उचित रीतिपर ऐसे बालक या दूसरे मनुष्यकी चौकसी या रक्षाका भार हो।

छूट।

यह दफा किसी ऐसे मनुष्यके कामसे सम्बन्ध न रक्खेगी जो अपनेको शुद्धभावसे किसी कमअसल (हराम) बालकका बाप निश्चय करता हो अथवा जो शुद्धभावसे अपनेको ऐसे बच्चेकी उचित रक्षाका रक्षक निश्चय करता हो; सिवाय उस सूरतके कि जब ऐसा काम छुचपन अथवा अनुचित अभिप्रायके लिये किया जावे।

१—दशवर्षसे नीची अवस्थाका बच्चा रक्षकके अधीन रहता है- जो मनुष्य ऐसे बच्चेको विना प्रसन्नता उसके रक्षकके ले जाए, वह अपने कामके फलका उत्तरदाता है-दफा ३६१ (हिं० द०) के अपराधमें यह उत्तर माननेके योग्य न होगा कि अपराधीने इस बातकी खोज नहीं की कि उपरोक्त बच्चेका कोई रक्षक है अथवा नहीं। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ३ सफा १७८)

२—कमअसल बच्चेकी मां उसके लड़कपनके समय तक उसकी रक्षक है-इसलिये यदि ऐसी मां मरते समय अपना बच्चा किसी मनुष्यको सौंप जाय और यदि ऐसा मनुष्य उपरोक्त बच्चेकी रक्षाका भार स्वीकार करले, तो कहा जावेगा कि उस मनुष्यकी "उचित रक्षा" में वह बच्चा है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ९७१)

३—१५ वर्षकी अवस्थावाली किसी हिन्दू लड़कीका पति अपनी स्त्रीका उचित रक्षक होगा; यदि नाबालिगका बाप उस लड़कीको विना प्रसन्नता उसके स्वामीके यहांसे लेजावे, तो ऐसा लेजाना भगा लेजानेके अपराधमें गिना जायगा, चाहे बापकी कोई अनुचित इच्छा ऐसे कामसे न हो। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा २९८)

मनुष्यको भगा ले जाना. (३६२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी स्थानसे जानेके लिये बलपूर्वक विवश करे अथवा धोखा देनेके यत्नोंद्वारा बहकावे, तो कहा जावेगा कि वह उपरोक्त मनुष्यको भगा ले गया।

मनुष्यको ले भागनेका दण्ड. (३६३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ब्रिटिश इंडियामेंसे अथवा किसी रक्षककी उचित रक्षासे ले भागे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१-यदि कोई नाबालिग बच्चा अपने पडोसीके घर जाता हो उस समय उसको कोई मनुष्य भगा ले जाए, तो कहा जायगा कि वह मनुष्य उस बच्चेको उसके उचित रक्षककी चौकसीसे भगाले गया था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ७)

२—नाबालिगकी गवाही यदि मानने योग्य हो, तो वह दफा ३६३ के अपराधके प्रमाणके लिये काफी है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ९८)

३—उचित रक्षाका अभिप्राय उस मनुष्यकी रक्षासे भी है, जिसकी सिपुर्दगीमें नाबालिग उचित रीतिपर छोड़ दिया गया हो। (रिपोर्टर दक्षिणोत्तर देश जिल्द २ सफा २८६)

४—अपराधीको एक नौ वर्षकी लड़की और एक बकरी उसके बच्चे समेत और कुछ आटा इस अभिप्रायसे मिला कि वह उनको उस लड़कीके बापके यहां जो छः मीलकी दूरी पर था; पहुँचादे, परंतु वह उनको अपने घर ले गया, जो चालीस मीलकी दूरीपर था, और वहीं पर पकड़ा गया, दफा ३६३ के अपराधमें अदालत सेशनने उसको ४ वर्षकी कठिन कैदका दण्ड दिया—हाईकोर्टसे तजवीज हुई कि—जो कि अपराधी उस लड़कीको उसके रक्षकोंकी इच्छाके विरुद्ध उनकी उचित चौकसीसे बाहर ले गया था, इसलिये वह दफा ३६३ के अपराधका अपराधी अवश्यही हुवा; परंतु जो कि अपराधीके काममें कोई अधिकता नहीं पाई जाती; इसलिये दण्डकी आज्ञा बहुत कठिन है—आज्ञा हुई कि अपराधी अठारह महीने कठिन कैदमें रहे। (वीक्ली नोट्स इलाहाबाद किताब माह मई सन् १८८४ ईस्वी सफा १०६)

५—एक हिन्दू स्त्रीने अपने स्वामीके घरको छोड़ दिया, वह अपने साथ अपनी छोटी लड़कीको लेकर (अ) के घरमें गई और उसी दिन उस लड़कीका व्याह (व) के साथ जो (अ) का भाई था, विना प्रसन्नता उसके बापके कर दिया—तजवीज हुई कि (अ) का दण्ड भगा ले जानेमें सहायता करनेके अपराधमें दफा ३६३ व १०९ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार उचित रीतिपर किया गया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ९६९)

(३६४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा ले जावे कि वह मनुष्य मारडाला जावे अथवा ऐसी अवस्थामें रक्खा जावे कि वह मारे जानेकी जोखिममें पडे, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा अथवा कठिन कैदका दंड जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

वध (कतल) करनेके अभिप्रायसे मनुष्यको ले भागना या भगा ले जाना

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको ब्रिटिश इंडियामेंसे ले भागे, और उसकी यह इच्छा हो अथवा इस कामका होना उसकी जानकारीमें हो कि रमाशंकर किसी देवताके सामने बलिदानमें चढ़ाया जावे—तो शिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका लक्षण इस दफामें वर्णन किया गया है।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको उसके घरसे इसलिये बलपूर्वक ले जाए अथवा फुसला ले जाए कि रमाशंकर मार डाला जावे—तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इस दफामें वर्णन किया है।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(३६५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ले भागे अथवा भगा ले जाए, इस अभिप्रायसे कि वह मनुष्य छिपा छिपी और अनीति रीतिपर रोकमें रक्खा जाए, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

किसी मनुष्यको छिपा छिपी और अनीतिरीतिसे बंधनमें रखनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा लेजाना.

टीप--दफा ३६३ के अनुसार है ।

(३६६) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको ले भागे अथवा भगा ले जाए, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह अपनी इच्छाके विरुद्ध किसी मनुष्यसे विवाह करनेके लिये विवश कीजावे अथवा उसकी यह इच्छा हो कि वह व्यभिचार करनेके लिये विवश कीजावे या फुसलाई जावे अथवा इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि वह व्यभिचारके लिये विवश की जावेगी अथवा फुसलाई जावेगी, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

किसी स्त्रीको व्याह आदिपर विवश करनेके लिये ले भागना या भगा लेजाना.

टीप--दफा ३६३ के अनुसार है ।

१--धीरसिंहकी दो स्त्रियें (न) और (म) थीं, (न) के गर्भसे उसकी दो लड़कियां हुईं--धीरसिंह अपनी स्त्री (म) को साथ लेकर किसी व्याहमें एक गांवमे चला गया और अपनी दूसरी स्त्री (न) को अपनी दोनों लड़कियों समेत घरमें छोड़ गया। धीरसिंहके चले जानेपर (न) ने उन दोनों लड़कियोंको अपने बहनोई (क) के घर भेज दिया और तीन मनुष्योंकी सहायतासे बड़ी लड़कीका व्याह (ख) के साथ कर दिया--तजवीज हुई कि शब्द "स्त्री" सुन्दरजा दफा ३६६ में कोई नाबालिग लड़की भी शामिल है यह भी तजवीज हुई कि (न) की प्रसन्नता होनेपरभी भगा ले जानेका अपराध दफा ३६१ व ३६६ के अनुसार हुआ, क्योंकि धीरसिंहकी कुछ दिनोंकी गैरहाजिरीमें भी वह उसके ही अधिकारमें बनी रही उसका उचित रक्षक था और (न) उसकी रक्षक न थी । (पंजाब रिकार्ड नं० ८ सन् १८७८ ई०)

२--वादीने अपराधी पर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३६६ के अनुसार अपनी स्त्रीके मध्ये अपराध ठहराया--डिप्टी मजिस्ट्रेटने दफा ४९८ के अनुसार तजवीज करके अपराधीको एक महीनेकी कठिन कैदका दंड दिया--तजवीज हुई कि डिप्टी मजिस्ट्रेटको दफा ४९८ के अनुसार दण्ड देनेका अधिकार न था क्योंकि मजमूआजाब्ता फौजदारीकी दफा १९९ के अनुसार पतिकी ओरसे कोई नालिश नहीं हुई तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि, कानूनका यह अभिप्राय है कि कोई मजिस्ट्रेट अपनीही ओरसे ऐसे अपराधोंकी जांच न करे, जो व्याहसे सम्बन्ध रखते हों, जब तक कि पति अथवा कोई दूसरा मनुष्य ऐसे अपराधोंकी जांचकी इच्छा न प्रगट करे, परन्तु जब पति स्वयं ही फरियादी हो और वह फरियाद दफा ३६६ के अनुसार पेश करता है; तो अपराधीका दण्ड ४९८ के अनुसार उचित है, यदि गवाही छोटे अपराधके लिये पूर्ण और बड़े अपराधके लिये अपूर्ण हो । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३८३)

(३६७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा ले जावे कि वह भारी चोट (जररशदीद) उठाए, अथवा वह गुलाम बनाया जावे अथवा उससे कोई मनुष्य स्वभाव विरुद्ध प्रसंग करके आनंद उठाए, अथवा इसलिये कि वह मनुष्य ऐसी अवस्थामें रक्खा जावे कि वह भारी चोट (जररशदीद) उठाने, या गुलाम बनाए जाने या किसी मनुष्यकी स्वभाव-विरुद्ध कामातुरता सहनेकी जोखिममें पडे या इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि वह वर्त्ताव उस मनुष्यको सहने पडेंगे अथवा वह ऐसी अवस्थामें रक्खा जावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी मनुष्यको भारी चोट (जररशदीद पहुंचाने अथवा गुलाम बनानेके लिये ले भागना अथवा भगा ले जाना.

टीप—दफा ३६४ के अनुसार है।

(३६८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको यह जानकर कि उसको कोई ले भागा है अनुचित रीतिपर छिपाए अथवा अनीतिबन्धनमें रक्खे, तो उपरोक्त मनुष्यको उसी प्रकार पर दंड दिया जावेगा कि मानों वह स्वयंही उस मनुष्यको उसी इच्छा या जानकारी या उसी अभिप्रायसे जिससे उसने उस मनुष्यको छुपाया या अनीतिबन्धनमें रक्खा है ले भागा अथवा भगा लेगया।

ले भागे हुए मनुष्यको छिपाना या बंधनमें रखना.

टीप—दफा ३६४ के अनुसार है।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३६८ उस मनुष्यसे सम्बन्ध रखती है जो किसी ऐसे मनुष्यके छुपानेमें सहायता करे; जिसको कोई लेभागा हो, या भगा लाया हो, इसका सम्बन्ध स्वयं ले भागनेवाले या भगा लेजानेवाले मनुष्योंसे नहीं है। (बी० रि० जि० ६ स० १७)

२—दफा ३६८ का अपराधी ठहरानेके लिये यह आवश्यक है कि वह मनुष्य जिसको कोई लेभागा या भगा ले गया हो, इस अभिप्रायसे छुपा रक्खा जावे कि उसको कोई देख न ले और उपरोक्त मनुष्यके मध्ये केवल झूठाही समाचार देना काफी नहीं है। (पंजाब रिकार्ड नं० १० सन् १८७४ ई०)

(३६९) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेको, जिसकी अवस्था दशवर्षसे कम हो इस अभिप्रायसे ले भागे अथवा भगा लेजाए कि अधर्मसे उसके शरीरपरसे कुछ वस्तु उतार ले, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

दशवर्षसे कम अवस्थाके बच्चेको उसके शरीरपरसे कुछ माल चुरालेनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा लेजाना.

टीप—दफा ३६३ के अनुसार है।

जिस मनुष्यको, गहना आदि अभिप्रायसे चुरानेके बच्चा ले भागनेके अपराधमें दंडकी आज्ञा होचुकी हो, उसका चोरीके अपराधमें अलग दंड नहीं होसकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द ७ सफा २७५)

(३७०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अन्य देशसे गुलामकी रीतिपर लाए अथवा अन्य देशमें ले जाए अथवा दूसरे स्थानमें पहुंचाए अथवा मोल ले अथवा बेचे अथवा अपने अधिकारसे अलग करे अथवा किसी मनुष्यको उसकी इच्छके विरुद्ध गुलामकी रीतिपर स्वीकार करे अथवा अधिकारमें ले अथवा रोक रक्खे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

किसी मनुष्यको गुलामकी रीतिपर मोल लेना अथवा उसको अपने अधिकारसे अलग करना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—शिवशंकरने एक लडकीको जिसकी अवस्था ११ वर्षकी थी; अपने अधिकारमें लाकर एक मनुष्यके हाथ, कीमत लेकर इस अभिप्रायसे बेंच डाला कि वह उससे अपना व्याह करे, तजवीज हुई कि शिवशंकरने जो लड़की बेची; वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३७०के अनुसार गुलाम बनाकर बेंचनेमें नहीं गिनी जासकती । (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद जिल्द २ सफा७२४)

२—(स) ने (अ) के हाथ एक लड़की (ब) को जो तेरह वर्षकी थी बेंचकर उससे अपना अधिकार अलग कर लिया—दस्तावेजमें जिसमें उपरोक्त मामला लिखा गया था (ब) लड़की गुलाम लिखी गयी जिसको (स) ने (प) से मोल लिया था, तजवीज हुई कि (अ) (ब) को गुलामकी रीति पर मोल लेनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३७० के अनुसार है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा १७०)

(३७१) जो कोई मनुष्य गुलामोंको व्यवहारके लिये अन्य देशसे इस देशमें लावे अथवा अन्य देशमें ले जावे अथवा दूसरे स्थानमें पहुंचावे अथवा मोल ले अथवा बेंचे अथवा उनका व्यवहार या व्यवसाय करे तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दंड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्वभावसे ही गुलामीका व्यवहार करना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३७२) जो कोई मनुष्य किसी नाबालिग (बालक) को, जिसकी अवस्था सोलह वर्षसे कम हो, बेंचे अथवा किराये पर भेजे अथवा किसी और रीतिपर अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रायसे कि वह नाबालिग वेश्यापन या किसी अनुचित काम या छुचपनेके लिये काममें लायी जाए अथवा यह जानकर कि उस नाबालिगके ऐसे काममें लगाए जाने या उससे ऐसा काम लिये जानेका सम्भव है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

वेश्यापन इत्यादिक कर्मोंके लिये किसी नाबालिगको बेचना या किराये पर देना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामः नहीं है।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ का अपराध ठहरानेके लिये यह अवश्य नहीं है कि लडकी इस प्रकार पर अलग की जावे कि जिससे लडकीपरके कुल अधिकार किसी मनुष्यके नाम कर दिये जावें। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफा २१४)

२—कुछ मनुष्योंने एक नीच जातकी लडकीको ऊंची जातके एक मनुष्यको दिखाकर झूँठमूठ निश्चय कराया कि वह लड़की भी ऊंची जातकी है, वह उसको मोल लेकर उससे अपना व्याह करे—तजवीज हुई कि जब उपरोक्त लड़की व्याह करनेके लिये बेची गई, तो यद्यपि उसका व्याह शास्त्रके अनुसार ठीक नहीं है, तथापि अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ व ३७३ के अनुसार दण्ड नहीं पा सकते। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ६९५)

३—अपराधीने अपनी लड़कीको जिसकी अवस्था पांच छः वर्षकी थी, मन्दिरकी नौकरीमें बतौर नाचनेवाली लड़कीके भेट की—गवाहीसे पाया गया कि, नाचनेवाली लड़कियां जो मन्दिरसे सम्बन्ध रखती है वे सब वेश्यापनके कामोंको करती हैं, तजवीज हुई कि यह सब बातें, हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ के अपराधमें दंड देनेके लिये काफी है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफा ७३७)

४—एक मन्दिरकी नाचनेवाली स्त्रीने उपरोक्त मन्दिरके अधिकारीसे यह बात कही कि एक छोटी लड़की, जिसको उसने झूठ मूठ अपनी बेटी प्रसिद्ध की उसकी "कोट्टू" मीरास पर नियत की जावे—अधिकारीने आज्ञा दी कि वह लडकी दूसरी नाचनेवाली लड़कियोंके समान तनख्वाह पर नियत कीजावे—वह मन्दिरके लिये नियत कीगई, यद्यपि "बुट्ट" बांधनेकी रीति नहीं कीगई (इस रीतिके पश्चात् लड़कीका व्याह किसीके साथ नहीं होसकता) तजवीज हुई कि गवाहीसे पाया जाता है कि दफा ३७२ का अपराध नाचनेवाली स्त्री, अधिकारी और लड़कीके माँ बापकी ओरसे हुआ है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा ४१)

५—अपराधीने अपनी एक नाबालिग लड़कीका व्याह मन्दिरके देवतासे करदिया—चलनके अनुसार उस व्याहका यह फल होता है कि ऐसी लड़की किसी दूसरे मनुष्यसे उचित व्याह नहीं करसकती परंतु जिस मनुष्यसे चाहे उससे प्रसंग करा सकती है और उनके लड़के उस लड़कीके बापके धनके अधिकारी होते हैं तजवीज हुई कि अपराधीने हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा३७२के अनसार अपराध किया (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा ७५)

वेश्यापन इत्यादि कामोंके लिये किसी बालिकाको मोल लेना या अधिकारमें लाना.

(३७३) जो कोई मनुष्य किसी बालिकाको जिसकी अवस्था १६ वर्षसे कम हो मोल ले अथवा किराए पर ले अथवा किसी और प्रकारपर अपने अधिकारमें लाए इस अभिप्रायसे कि, वह बालिका वेश्यापनके काम अथवा किसी अनुचित काम अथवा लुचपनेके काममें लगाया जावे अथवा काममें लाया जावे अथवा यह जानकर कि, उस बालकके ऐसे काममें लगाए जाने अथवा ऐसा काम लिये जानेका सम्भव है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रका-

रोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ३७२ के अनुसार है।

(३७४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको उसकी इच्छाके विरुद्ध अनीति रीतिसे दबाकर काम करानेपर विवश करे; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

अनीति बिगार.

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

बलपूर्वक व्यभिचारके विषयमें।

(३७५) जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी छूटके किसी स्त्रीके साथ नीचे लिखे पांच प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार भोग करेगा, तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने "बलपूर्वक व्यभिचार" किया।

बलपूर्वक व्यभिचार.

पहिले—स्त्रीकी इच्छाके विरुद्ध,

दूसरे—स्त्रीकी बिना सम्मति,

तीसरे—स्त्रीकी सम्मतिके साथ, जब कि वह सम्मति मृत्यु अथवा चोटका डर दिखाकर प्राप्त कीगई हो,

चौथे—स्त्रीकी सम्मतिके साथ, जब कि पुरुष यह जानता हो कि वह स्त्रीका पति नहीं है और यह कि स्त्रीकी ओरसे वह सम्मति इस कारण प्रगट कीगई हो कि वह निश्चय करती थी कि यह पुरुष वही पुरुष है कि जिसके साथ उसका व्याह उचित रीतिपर हुआ है अथवा जिसके साथ वह अपना उचित व्याह होना निश्चय करती है।

पांचवें—स्त्रीकी सम्मतिके साथ अथवा उसकी बिना सम्मति, जब कि उसकी अवस्था बारह वर्षसे कम हो

स्पष्टीकरण—उस सम्भोगमें जो बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधके लिये अवश्य है, प्रवेशका होजानाही काफी समझा जायगा।

छूट।

किसी पुरुषका अपनीही स्त्रीके साथ भोग करना, जब कि उस स्त्रीकी अवस्था बारह वर्षसे कम न हो, बलपूर्वक व्यभिचार नहीं है।

(३७६) जो कोई मनुष्य बलपूर्वक व्यभिचार करनेका अपराधी हो; उसको जन्म भरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

बलपूर्वक व्यभिचारका दण्ड.

यदि किसी पुरुषपर उसीकी स्त्रीके साथ बलपूर्वक व्यभिचारका अपराध लगाया जावे, तो नीचे लिखी कार्रवाई होगी.

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पोलीस विना वारंट अपराधीको न पकड सकेगी (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

यदि कोई दूसरी स्त्री हो; तो नीचे लिखी कार्रवाई होगी।

(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१ बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधमें कानूनानुसार पांचवर्षका दण्ड नियत है; इसलिये वह सात वर्षका दण्ड कालेपानीकी सा। दफा ५९ हि० दं० के अनुसार नहीं बदला जासकता। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द १ सफा ५)

स्वभावविरुद्ध अपराधोंके बयानमें ।

(३७७) जो कोई मनुष्य किसी पुरुष अथवा स्त्री अथवा पशुसे जानबूझकर प्रकृ-

स्वभावविरुद्ध अपराध. } तिकी रचनाके विरुद्ध सम्भोग करेगा; उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—जो सम्भोग कि इस दफामें वर्णन किये हुए अपराधके लिये अवश्य है उसमें प्रवेशका होना काफी समझा जायगा ।

टीप—(१) अदालतसेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीको स्वभावविरुद्ध अपराध करनेके विषयमें दण्ड दियागया, परन्तु मुकद्दमेकी मिसलमें इन बातोंका बयान न था कि उसने उपरोक्त अपराध किस समय किस स्थान और किस मनुष्यके साथ किया था और न यह बातें साबितही हुई थीं, अपराधीके विरुद्ध जो साबित हुआ, उससे केवल इतना जाना गया कि वह स्त्रियोंके कपडे पहिना करता था और उसके शरीर पर ऐसे चिह्न थे जिनसे उसके मध्ये उपरोक्त अपराधका करना पाया जाता था—तजवीज हुई कि ऐसे सबूत पर अपराधीको दण्ड नहीं दिया जा सकता।(इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द६सफा २०४)

अध्याय सत्रहवाँ १७.

(धन सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें)

सरका अर्थात् चोरीका बयान * ।

(३७८) जो कोई मनुष्य अधर्मसे कोई स्थावर धन किसी मनुष्यके अधिकारमेंसे

चोरी. } उसकी प्रसन्नताके बिना लेनेकी इच्छासे, ऐसे लेनेके लिये उस धनको हटावे, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने चोरीका अपराध किया ।

* सब मनुष्योंको उचित है कि वे उन अपराधोंका समाचार दें, जो दफा ३८२ के अनुसार दण्ड योग्य हैं। (देखो दफा ४४ ऐक्ट १० सन् १८८२ ई०)

स्पष्टीकरण–१ कोई वस्तु जबतक कि वह धरतीसे लगी हुई हो, स्थावर धन नहीं है, इसलिये उसके मध्ये चोरी न होसकेगी, परन्तु जिस समय वह धरतीसे अलग कर दीजावे, उस समय वह वस्तु चुरानेके योग्य होजावेगी।

स्पष्टीकरण—२ जिस कामके द्वारा कोई वस्तु जुदा की जाए, यदि उसी कामसे वह वस्तु हटाई जाए, तो वह चोरी गिनी जासकेगी।

स्पष्टीकरण—३ जिस प्रकार किसी मनुष्यके मध्ये कहा जाता है कि. वह किसी वस्तुके हटानेका कारण हुआ जब कि वह वास्तवमें उस वस्तुको हटाता है; उसी प्रकार उस अवस्थामें भी ऐसाही कहा जावेगा, जब कि वह किसी रोकको जिसके द्वारा वह वस्तु हटनेसे रुक जाय, हटावे अथवा उपरोक्त वस्तुको किसी और वस्तुसे अलग करदे।

स्पष्टीकरण—४ जो कोई मनुष्य किसी यत्नसे किसी पशुके हटाए जानेका कारण हो, उसके मध्ये कहा जावेगा कि उसने उस पशुको हटा दिया, और भी उस वस्तुको हटाया, जिसे उस पशुने ऐसे हटाए जानेके कारणसे हटाया।

स्पष्टीकरण—५ वह प्रसन्नता कि जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है शब्दोंके द्वारा होसकती है अथवा अर्थोंके द्वारा—और वह चाहे अधिकारी मनुष्यकी ओरसे दी गई हो, अथवा ऐसे मनुष्यकी ओरसे जिसको प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे इसके मध्ये आज्ञा प्राप्त हो।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरकी पृथ्वीमेंसे एक पेड़ इस अभिप्रायसे काटे कि उसको रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरकी बिना प्रसन्नता अधर्मसे लेले, तो इस अवस्थामें शिवशंकरने जिस समय पेडको इस अभिप्रायसे ले जानेके लिये जुदा किया, उसही समय वह चोरीका अपराधी हुआ।

(ख) शिवशंकर कुत्तोंके फुसलानेकी वस्तु अपने जेबमें रक्खे और इस प्रकारसे रमाशंकरके कुत्तेको अपने पीछे लगा लेवे, तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि वह अधर्मसे रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके उसका कुत्ता लेले, तो जिसही समय कि रमाशंकरके कुत्तेने शिवशंकरके पीछे चलना आरम्भ किया, उसही समय शिवशंकर चोरी का अपराधी हुआ।

(ग) शिवशंकरको एक बैल जिसपर खजानेका सन्दूक लदा हुआ हो मिलजाए और वह उस बैलको इस अभिप्रायसे एक मुख्य दिशाको हाँक लेजाए कि अधर्मसे खजाना लेले, तो जिसही समय कि बैल हटाया गया, उसही समय शिवशंकर खजानेकी चोरीका अपराधी हुआ।

(घ) शिवशंकर जो रमाशंकरका नौकर है और जिसकी सिपुर्दगीमें रमाशंकरके चांदी या मुलम्मेके वर्त्तन रमाशंकरकी ओरसे रक्खे गये हैं, बिना प्रसन्नता रमाशंकरके उन वर्तनोंको अधर्मसे लेकर भाग जाए, तो शिवशंकर चोरीका अपराधी हुआ।

(च) हरिशंकर देशाटनके लिये तैयार होकर अपने चांदी व मुलम्मेके वर्तनोंको अपने लौट आने तक उमाशंकरको कि जो गोदामका मालिक है, सौंप दे और उमाशंकर उन वर्तनोंको सुनारके पास ले जाकर बेच डाले; तो इस अवस्थामें जो कि वे वर्तन हरिशंकरके अधिकारमें न थे इस लिये वे हरिशंकरके अधिकारमेंसे नहीं लिये जासकते थे और उमाशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ, परन्तु सम्भव है कि वह धरोहरके अनीति व्यय (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी ठहराया जावे।

(छ) लक्ष्मीशंकर गिरिजाशंकरकी अंगूठी किसी मेजपर रक्खी हुई उस घरमें पावे, जहां गिरिजाशंकर रहता हो, तो इस अवस्थामें अंगूठी गिरिजाशंकरके अधिकारमें है और यदि लक्ष्मीशंकर उसको अधर्मसे उठा ले जाए, तो लक्ष्मीशंकर चोरीका अपराधी होगा।

(ज) शिवशंकर एक अंगूठी जो किसीके अधिकारमें न हो, सर्वसम्बन्धी मार्गमें पड़ी पावे तो उसके लेनेसे शिवशंकर चोरीका अपराधी न होगा, यद्यपि सम्भव है कि वह धनके अनीति व्यय (तसर्रुफ मुजरिमाना) का अपराधी ठहराया जावे।

(झ) शिवशंकर उमाशंकरकी अंगूठी उसके घरमें मेजपर पड़ी हुई देखे और शिवशंकर तलाशी होने तथा पास निकल आनेके डरसे उसी समय उस अंगूठीके अनीति व्यय करनेका साहस न पाकर उसको ऐसे स्थानमें छिपाए, जहांसे मिलजाना उसका उमाशंकरके ध्यानमें बिलकुल न आसके इस अभिप्रायसे कि जब अंगूठीका खोजाना उमाशंकरकी यादसे जाता रहे, तब शिवशंकर उस अंगूठी को उस छुपे हुए स्थानसे निकालकर बेच डाले, तो इस अवस्थामें शिवशंकर पहिली बार अंगूठीके हटातेही चोरीका अपराधी हुआ।

(ट) शिवशंकर अपनी घड़ीकी चाल ठीक कर देनेके लिये उसको रमाशंकर घड़ीसाजको दे और रमाशंकर उसको अपनी दूकानपर ले जाए, और शिवशंकर, जिसको रमाशंकर घड़ीसाजका कोई ऋण देना नहीं है जिसके बदलेमें घड़ीसाज उस घड़ीको जमानतकी रीतिपर उचित तौरसे रोक रख सकता हो, रमाशंकरकी दूकानमें खुलाखुली चला जाए और रमाशंकरके हाथसे वह घड़ी छीन लेकर चल दे, तो इस अवस्थामें यद्यपि सम्भव है कि शिवशंकर मजाखलतबेजा मुजरिमाना और हमलेका अपराधी हो, परन्तु चोरीका अपराधी नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने किया अधर्म नहीं किया।

(ठ) यदि शिवशंकरको घड़ीकी मरम्मत करनेके मध्ये रमाशंकरका कुछ रुपया देना हो और रमाशंकर उस ऋणकी जमानतके तौर पर घड़ीको उचित रीतिसे रोक रक्खे और शिवशंकर रमाशंकरके अधिकारमेंसे उस घड़ीको इस अभिप्रायसे ले ले कि वह शिवशंकरसे उस मालको छीनकर ऋणकी जमानतको मेट दे, तो शिवशंकर चोरीका अपराधी होगा, क्योंकि वह उस घड़ीको अधर्मसे लेता है।

(ड) फिर, यदि शिवशंकर अपनी घड़ी रमाशंकरके यहां रेहन करे और बिना उस रुपयेके अदा किये जो उसने रमाशंकरसे घड़ी पर ऋण लिया है, घड़ीको रमाशंकरके अधिकारमेंसे उसकी बिना प्रसन्नताके लेले, तो यद्यपि घड़ी शिवशंकरका माल है, परन्तु तो भी शिवशंकर चोरीका अपराधी होगा, क्योंकि वह उसको अधर्मसे लेता है।

(ढ) शिवशंकर इस अभिप्रायसे रमाशंकरकी कोई वस्तु उसके अधिकारमेंसे उसकी बिना प्रसन्नता लेले कि जबतक रमाशंकरसे, उसके वापिस करनेके इनामके तौरपर कुछ रुपया न प्राप्त करे, उपरोक्त वस्तुको वह अपने पास रक्खे, तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर अधर्मसे लेता है, इसलिये शिवशंकर चोरीका अपराधी हुआ।

(ण) शिवशंकर जो रमाशंकरके साथ मित्रताका व्यवहार रखता है, रमाशंकरकी गैरहाजिरीमें उसके पुस्तकालयमें जाए और उसकी बिना प्रसन्नता प्रगट रीति पर कोई पुस्तक केवल पढ़नेके लिये ले जाए और उसका लौटाना शिवशंकरकी इच्छामें हो तो इस अवस्थामें सम्भव है कि शिवशंकरने यह समझा हो कि उसको रमाशंकरकी ओरसे रमाशंकरकी पुस्तक पढ़नेकी अप्रगट आज्ञा है, परन्तु यदि शिवशंकरकी यह इच्छा थी तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ।

(त) शिवशंकर रमाशंकरकी स्त्रीसे खैरात मांगे और वह शिवशंकरको रुपया खाना और वस्त्र दे, जिसको शिवशंकर जानता हो कि वह उसके पतिका धन है, तो इस अवस्थामें सम्भव है कि शिवशंकर यह समझता हो कि रमाशंकरकी स्त्री ऐसी खैरात देनेकी अधिकारिणी है—अतएव यदि शिवशंकरका यही विचार था, तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ।

(थ) शिवशंकर रमाशंकरकी स्त्रीका यार है, वह शिवशंकरको मूल्यवान् पदार्थ दे, जिसको शिवशंकर जानता हो कि उसके पति रमाशंकरका है और-वह ऐसा पदार्थ है कि रमाशंकरकी ओरसे वह उसके देनेकी अधिकारिणी नहीं है, तो यदि शिवशंकर अधर्मसे यह पदार्थ ले ले तो चोरीका अपराधी हुआ।

(द) शिवशंकर रमाशंकरके मालको अपना माल समझकर शुद्ध भावसे उसके अधिकार-मेंसे लेले, तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर अधर्मसे नहीं लेता है. इसलिये शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं है।

१—लकडीपर इन्स्पेक्टर जनरलका अधिकार सरकारी अधिकारके तौरपर है और उसके अधिकारसे लकडीका अलग होना, चाहे उसकी प्रसन्नतासे अलग की जाय हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३७८ के अनुसार चोरीमें दाखिल है यदि उसकी उपरोक्त प्रसन्नता बिना अधिकार व कल्पित हो। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द २ सफा ६१०)

२—यदि किसी मनुष्यकी सिपुर्दगीसे कोई धन उसकी इच्छाके विरुद्ध जिसको प्रगट अधिकार अथवा कुछ अधिकार उपरोक्त धनके मध्ये प्राप्त हो, दूर कर दिया जाए, तो चोरीका अपराध ठहराना काफी है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा १३५)

३—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ में लिखे हुए "वस्तु" शब्दमें जानदार पदार्थ नहीं गिने जाँयगे। कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोड दिया जावे,उस दफाके अभिप्रायानुसार "वस्तु" नहीं है और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुपाकर गोश्त और चमडेके लालचसे मारडालें तो कोई अपराध दफा १९५ का नहीं कियागया और सांड स्थावर धन दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ की मुरादके भीतर नहीं है। (इ०ला०रि० कलकत्ता जिल्द१७ सफा८५२)

४—अपराधीने जो महकमें डाकखानेमें सरकारी नौकर था, जब कि चिट्ठियोंके बांटनेमें सहायता दे रहा था, दो चिट्ठियोंको इस अभिप्रायसे छिपादिया कि उनको डिलेवरीवाले चपरासीको दे देगा और उसके साथ कुछ रुपयोंमें हिस्सा लगालेगा जो उनके मध्ये चुकाने योग्य है. उसपर ऐक्ट डाकखाना हिन्दकी दफा ४८ के अनुसार अपराध लगाया गया, तजवीज हुई कि जो कि अपराधीकी इच्छा उस चिट्ठीपानेवालेकी चट्ठियोंके रोकनेकी न थी, इसलिये वह इस दफा ४८ के अनुसार चिट्ठी छुपानेका अपराधी नहीं था वह चिट्ठियोंके चुराने और अनीतिव्यय (तसर्रुफवेजा) करनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा २२९)

५—अपराधी अपने बापसे लडाईकर, अपने घरानेकी जायदादका एक भाग लेकर, बिना अपने बापकी आज्ञाके जो उस जायदादका प्रबंधक था; चला गया; तो ऐसी अवस्थामें अपराधीने चोरीका अपराध किया। (डी० पी० ला० रि० जिल्द ४ सफा १७४)

(३७९) जो कोई मनुष्य चोरीका अपराधी हो, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे
चोरीका दंड. } किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद
तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—बिना गवर्नमेंटकी आज्ञाके ऐसे स्थानसे नमकका लेना जहांसे मनाही हो; चोरीका अपराध है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २२८)

२—किसी गढेसे अनुचित रीतिपर मछलीका लेना चोरी नहीं है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३९०)

३—जब कि अपराधी एक तालाबमें, जो कि शहरके भीतर था और जिसके आसपास घेरा खिंचा हुआ था और जिसमें शहरकी म्यूनिसिपल कमेटीका अधिकार था, बिना आज्ञा म्यूनिसिपल कमेटीके मछली मारते हुए पकडा गया जो अपराधीपर चोरीका अपराध ठहराया जा सकता है। (इ० ला० रि० बम्बई १० सफा १९३)

४—अपराधियोंपर मछली मारनेका अपराध एक तालाबसे जो वादीके अधिकारमें था लगाया गया। वह दफा ३७९ व ४४७ के अपराधी ठहराए गए—तजवीज की गई कि वह तालाब चारों ओरसे बिना घेरेका था और एक नहरके पानीसे भरा रहता था, जो एक बहती हुई नदीसे मिली हुई थी कि जिससे मछलियां उसमें आजाती थीं और तालाब में मछलियां पाली रक्खी नहीं जाती थीं और यह मछलियां उस समय मारी गई थीं कि जब पानी बढ़ा और तालाब नदीसे मिला हुआ था, इसलिये मछलियां उससे अपने आपही निकल पडीं—तजवीज हुई कि मछलियां स्वयं स्वाधीन थीं और उनपर वादीका अधिकार भी न था, इसलिये अपराधियोंने कोई अपराध नहीं किया। यदि मछलियां अपनी स्वाधीनतासे रहित कीजातीं और स्वामीकी आज्ञासे मारे जानेके योग्य होतीं और ऐसी अवस्थामें वह मारी जातीं, तो अपराधी दंड योग्य होते (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ४०२)

५—यदि हिन्दूजातकी स्त्री अपना स्त्रीधन अपने पतिके अधिकारसे विना उसकी प्रसन्नताके अलग करे, तो वह चोरीकी अपराधिनी नहीं ठहराई जा सकती और जो मनुष्य ऐसे धनके हटानेमें उस स्त्रीका साझी हो, वह चोरीमें सहायता करनेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ८ सफा ११)

६—चोरीके अपराधमें इस बातका प्रमाणित होना आवश्यकीय है कि उपरोक्त माल लेनेके समय वादीकेही अधिकारमें था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा ८०)

७—मुसलमान जातकी व्याही हुई स्त्री उस धनके मध्ये जो मुहम्मदी (मुसलमानी) शरह (शास्त्र) के अनुसार उसके ही पतिका धन समझा जाता है, चोरी अथवा चोरीमें सहायता करनेकी अपराधिनी ठहराई जा सकती है। (रि० हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ६ सफा ९)

८—अपराधियोंने सरकारी पेड काटकर बेच डाले—तजवीज हुई कि उनको चोरी और चोट पहुंचाने (जररसानी) का अपराधी ठहराकर दंड दिया जाना कानूनविरुद्ध न था। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द २ सफा ३९२)

(३८०) जो कोई मनुष्य किसी घर अथवा तम्बू अथवा नावमें, जो मनुष्यके रहनेके स्थानकी भाँति अथवा माल असबाब रखनेके लिये काममें आता हो चोरी करेगा, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

चोरी किसी घर अथवा तम्बू अथवा नावमें.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(३८१) कोई मनुष्य जो गुमाश्ता अथवा नौकर हो या गुमाश्ता अथवा नौकर-के कामपर तैनात हो, किसी मालके मध्ये, जो उसके स्वामी अथवा कामपर लगाने वालेके अधिकारमें हो, चोरीका अपराध करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

जब कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने स्वामीके पाससे कोई वस्तु चुरावे.

(बेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—जो मल्लाह कि नौकरीपर रक्खा जावे, वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८१ में लिखे हुए गुमाश्ते अथवा नौकर शब्दमें न गिना जावेगा और यदि वह नावपर चोरी करे, तो उसको दफा ३८० के अनुसार दंड दिया जावेगा। (बी० रि० जिल्द ८ सफा ३२७)

२—सिविल स्टेशन राजकोटका इलाका ब्रिटिश इंडियाका हिस्सा नहीं है, इसलिये चोरीका अपराध ब्रिटिश इंडियामें नहीं हुआ—पस अदालत सेशन थानाको अधिकार नहीं था कि वह अपराधीका विचार हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८१ के अनुसार करे—परन्तु हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४१० के अनुसार चोरीका माल बददियानतीसे रखनेके अपराधमें ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० के अनुसार वह विचार कर सकता था। (इ०ला०रि० बम्बई जिल्द १० सफा८६)

(३८२) जो कोई मनुष्य चोरीके अपराधके लिये अथवा उस चोरीके पश्चात् अपने भाग जानेके लिये अथवा उस मालके बचा रखनेके लिये जो चोरीके द्वारा लिया जावे मृत्यु अथवा चोट अथवा रोक करनेकी, अथवा मृत्यु अथवा दुःख अथवा रोकका डर दिखानेकी तैयारी करके चोरीका अपराध करे, तो उस मनुष्यको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

चोरीका अपराध करनेके अभिप्रायसे वध करने अथवा भारी चोट पहुंचाने की तैयारी करनेके पश्चात् चोरी करना.

उदाहरण।

(क) शिवशंकर उस मालके मध्ये, जो रमाशंकरके अधिकारमें हो. चोरीका अपराध करे और जिस समय कि वह चोरीका अपराध कर रहा हो, उसके वस्त्रके नीचे एक भरा हुआ तमंचा हो, जो उसने इसलिये ले रक्खा हो कि, यदि रमाशंकर रोक टोक करे तो उसको दुःख (जरर) पहुँचाए; तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुवा, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ख) शिवशंकर अपने कुछ साथियोंको अपने आसपास इसलिये खड़ा करके रमाशंकरकी जेब काटे कि यदि रमाशंकर इस वृत्तान्तको जानकर कुछ रोकटोक करे अथवा शिवशंकरके पकड़नेका उद्योग करे, वे रमाशंकरको रोके, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—यदि चोरीका अपराध करते समय वास्तवमें किसीको चोट (जरर) पहुँचाया जाय, तो उपरोक्त अपराधका दंड बल सहित चोरीके अपराधमें दियां जायगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८५)

दबाकर लेनेके विषयमें।

(३८३) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यको स्वयं उस मनुष्यकी अथवा किसी दूसरे मनुष्यकी हानिका डर दिखाए और उसके द्वारा उस मनुष्यको जिसको इस प्रकार डर दिया गया है, इस बातके लिये धमकी दे कि वह कोई माल अथवा किफालतुलमाल अथवा कोई दस्तखत की हुई या मुहर की हुई वस्तु जो किफालतुलमाल बन सकती है, किसी मनुष्यको देदे तो उपरोक्त मनुष्य दबाकर लेनेवाला कहलावेगा।

दबाकर लेना (इस्तेह माल बिलजब्र.)

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि तू मुझको रुपया दे, नहीं तो मैं एक बात जो तेरी प्रतिष्ठामें बट्टा लगाएगी, प्रसिद्ध कर दूंगा और इस प्रकारसे रमाशंकरको रुपया देनेके लिये धमकी दे, तो शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी होगा।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि मै तेरे बच्चेको अनीतिबन्धनमें रक्खूंगा, नहीं तो एक रुक्केपर दस्तखत करके उसको मेरे सिपुर्द कर जिसमें तेरी ओरसे मुझको रुपयेकी अमुक तादाद देनेका वादा हो, और रमाशंकर दस्तखत करके वह रुक्का शिवशंकरको दे दे, तो शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुआ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि मैं लट्ठबंद आदमी भेजकर तेरा खेत जुतवा-लूंगा. नहीं तू एक तनस्लुक दस्तखत करके हरशंकरको दे, जिसके अनुसार हरशंकरको किसी

विशेष पैदावारका देना और पैदावार न देने पर जुर्मानेका देना रमाशंकर उचित हो—और उसके द्वारा शिवशंकर रमाशंकरसे उस तमस्सुक पर दस्तखत कराकर ले ले, तो शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुआ ।

(घ) शिवशंकरने रमाशंकरको भारी चोट (जररशदीद) पहुँचानेका डर बताकर उसको कोरे कागजपर दस्तखत या मोहर करने और शिवशंकरको देदेनेके लिये अधर्मसे धमकाया—रमाशंकरने उस कागजपर दस्तखत करके शिवशंकरको दे दिया तो, जो कि इस अवस्थामें वह कागज कि, जिसपर इस प्रकार दस्तखत किया गया किफालतुलमाल बन सकता है—इसलिये शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुवा ।

(३८४) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

दबाकर लेनेका दंड

टीप—(१) अदालत सेशन प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—केवल यह बात कि, दबाकर लेनेका अपराध हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८४ के अनुसार गांवके चाकीदारके सामने हुआ, चौकीदारको उपरोक्त अपराधमें सहायता करनेका दोषी नहीं ठहराया जासकता । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ७२८)

२—इस मुकद्दमेमें अपराधीने मुकद्दमा फौजदारी दायर करनेकी धमकी देकर कुछ रुपया दबाकर लिया—तजवीज हुई कि अपराधीने दबाकर लेनेका अपराध किया है, चाहे वह मुकद्दमा जिसके चलानेकी उसने धमकी दी सच हो अथवा झूठ । (बी० रि० जिल्द ७ सफा २८)

(३८५) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानि पहुंचानेका डर दिखाए अथवा ऐसा डर दिखानेका उद्योग करे उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानि पहुंचानेका डर दिखाना.

टीप—दफा ३८४ के अनुसार है ।

(३८६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको स्वयं उस मनुष्यके अथवा किसी दूसरे मनुष्यके मृत्यु अथवा भारी चोटका डर बताकर दबाकर लेनेका अपराधी होगा, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी चोटका डर बताकर दबाकर लेना.

टीप—(१) अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःखका डर दिखाना.

(३८७) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख (जररशदीद) का डर दिखलावेगा, अथवा दिखानेक उद्योग करेगा चाहे वह डर उसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा भारी चोटका हो चाहे किसी दूसरेकी, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ३८५ के अनुसार है।

१—किसी मनुष्यसे बलपूर्वक रुपया लेनेके लिये आत्महत्या (खुदकुशी) के उद्योगकी इच्छा प्रगट करना एक अपराध दफा ३८७ के अनुसार है। (इंडियन जूरिस्ट न्यू सेरीज सफा ४२३)

ऐसे अपराधमें फंसानेकी धमकी देकर कि जिसके लिये मृत्यु अथवा देशनिकाले आदिका दंड नियत है दबाकर लेना.

(३८८) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध किसी मनुष्यको इस बातका डर दिखाकर करे कि मैं तुझको अथवा और किसी दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी तुहमत लगाऊंगा, कि जिसका दंड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला अथवा दश वर्षतककी कैद है, अथवा इस बातकी तुहमत लगानेका डर दिखाए कि उस मनुष्यने अथवा दूसरे मनुष्यने किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा अपराध करनेके लिये बहँकाया है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध ऐसा हो जिसका दंड दफा ३७७ के अनुसार होसकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दंड दिया जासकता है। (दफा ४० को देखो)

टीप—दफा ३८६ के अनुसार है।

(बेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

दबाकर लेनेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यको अपराध लगानेकी तुहमतका डर दिखाना.

(३८९) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध करनेके लिये किसी मनुष्यको इस बातका डर दिखावे अथवा दिखानेका उद्योग करे कि मैं तुझको अथवा और किसी दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी तुहमत लगाऊंगा, कि जिसका दण्ड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला अथवा दश वर्षतककी कैद है—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। और यदि वह अपराध ऐसा हो कि उसका दंड दफा ३७७ के अनुसार होसकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दंड दिया जावेगा। (दफा ४० को देखो)

टीप—दफा ३८६ के अनुसार है।

जोरी अर्थात् बलसहित चोरी (सरका बिलजब्र) व डकैतीके बयानमें। *

(३९०) प्रत्येक बलसहित चोरीमें या तो चोरी होती है या दबाकर लेना होता है।

बलसहित चोरी.

चोरी, उस अवस्थामें जोरी (सरका बिलजब्र) होगी कि जब चोरी करनेके लिये अथवा चोरी करनेमें, अथवा उस मालके लेजाने या लेजानेका यत्न करनेमें जो चोरीसे प्राप्त किया गया हो, अपराधी उस अभिप्रायसे जानबूझकर, किसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा चोट अथवा अनीति रोक (मुजाहिमतबेजा) का कारण हो, अथवा उसके कारण होनेका उद्योग करे अथवा तत्काल ही मृत्यु होने अथवा तत्काल दुःख (जरर) पहुंचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाये अथवा डर दिखानेका उद्योग करे।

किस अवस्थामे चोरी बल सहित चोरी (जोरी) कही जावेगी.

दबाकर लेना, उस अवस्थामें जोरी कहलावेगा कि जब अपराधी दबाकर लेते समय उस मनुष्यके सामने उपस्थित हो कि जिसे डर बताया गया और उस मनुष्यको, स्वयं उसी मनुष्यकी या किसी दूसरे मनुष्यकी, तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल चोट (जरर) पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाकर दबाकर ले और इस प्रकार डर दिखानेसे उस मनुष्यको कि जिसे डर दिखाया गया, बलपूर्वक प्राप्त की हुई वस्तु उसी समय और उसी स्थानपर दे देनेकी धमकी दे–

किस अवस्थामें, दबा करलेना (इस्तेहसाल बिलजब्र) बलसहित चोरी (जोरी) कहलावेगा.

स्पष्टीकरण––यदि अपराधी इतना निकट हो कि जिससे वह उस दूसरे मनुष्यको तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर काफी तौरसे दिखासके, तो कहा जावेगा कि अपराधी उपस्थित है।

उदाहरण।

(क) रमाशंकर शिवशंकरको दबा बैठे और शिवशंकरके कपड़ोंमेंसे उसका रुपया और गहना उसकी मरजी बिना बलपूर्वक ले ले, तो इस अवस्थामें रमाशंकरने चोरी की है, और जो कि उस चोरीके लिये रमाशंकरने शिवशंकरके मध्ये जानबूझकर अनीति रोक (मुजाहिमत बेजा) की, इस लिये वह बल सहित चोरी अर्थात् जोरीका अपराधी हुवा।

(ख) शिवशंकर सर्व संबंधी मार्गपर रमाशंकरसे मिला और रमाशंकरको तमंचा दिखाकर उसकी बसनी माँगी और रमाशंकरने उसके कारण अपनी बसनी विवश होकर छोड़ दी, इस अवस्थामें जो कि शिवशंकरने रमाशंकरको तत्काल चोट (जरर) पहुँचानेका डर दिखाकर उससे बसनी दबाकर लेली, और दबाकर लेनेके समय रमाशंकरके निकट उपस्थित था, इसलिये शिवशंकर जोरीका अपराधी हुआ।

---

* सब लोगोंको उचित है कि वे दफा ३९३ से लगाकर दफा ३९९ तकके अपराधोंकी सूचना देवे। ऐक्ट नं० १० सन् १८८४ ई० की दफा ४४ को देखो।

(ग) शिवशंकर सर्वसाधारण सड़कपर रमाशंकर तथा उसके बालकसे मिला, और शिवशंकरने लड़केको पकड़कर रमाशंकरको धमकाया कि यदि तू अपनी बसनी मुझे न दे देगा तो मैं तेरे लड़केको उँचाई परसे गिरा दूंगा, और रमाशंकरने उस कारणसे अपनी बसनी छोड़ दी—तो इस अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरको इस बातका डर दिखाकर कि बच्चेको जो वहां उपस्थित है, तत्काल दुःख पहुँचाएगा, रमाशंकरसे दबाकर बसनी लेली; इसलिये शिवशंकर रमाशंकरके मध्ये जोरीका अपराधी हुआ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरसे कुछ माल यह कहकर ले कि तेरा लड़का हमारे गिरोहके वशमें है, यदि तू हमको दशहजार रुपया न भेज देगा; तो वह मारडाला जावेगा, तो यह दबाकर लेना (इस्तेहसालाबिलजब्र) है, और उसके बदलेमें दबाकर लेनेकाही दंड दिया जायगा, परंतु वह बल सहित चोरी नहीं है, सिवाय इसके कि रमाशंकरको लडकेके तत्काल मारडालनेका डर बतलाया जावे।

१—यदि गहनेके छीन लेनेमें किसीको चोट पहुँचे, तो उस घटनाका अपराध बलसहित चोरी (जोरी) का अपराध गिना जायगा—इसलिये जब एक मनुष्यने नथ निकालनेमें स्त्रीके नथनोंको घायल किया, यहां तक कि उनसे खून बहने लगा, तो वह बल सहित चोरीका अपराधी हुआ (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ९५)

२—कुछ मनुष्योंने एक नावको यह कहकर रोक लिया कि मजिस्ट्रेट रामपुर बलियाको उसकी आवश्यकता थी और फिर उसको लूट लिया और मल्लाहोंने कुछ सामना न किया, तजवीज हुई कि वे बल सहित चोरी (सरका बिलजब्र) के अपराधी हुए थे क्योंकि चोरीका अपराध उस समय हुआ था कि जब मल्लाहोंको अनीतिरोकका भय था।(वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १९)

डकैती. (३९१) जब पांच अथवा अधिक मनुष्य मिलकर जोरी करें अथवा करनेका उद्योग करें अथवा जब कि उन मनुष्योंकी कुलसंख्या जो जोरी अथवा जोरीका उद्योग मिलकर करते हों, उन मनुष्योंकी संख्यासमेत जो वहां उपस्थित हों और उसके करने अथवा उद्योगमें सहायता करते हों, पांच अथवा पांचके अधिक हों;तो प्रत्येक मनुष्य जोरी करनेवाला अथवा उद्योग करनेवाला अथवा उसमें सहायता करनेवाला "डकैती" करनेका अपराधी कहलावेगा।

१—जब हिन्दूलोगोंने मिलकर एक बैल और दो गायोंको एक मुसलमानके अधिकारसे दूर कर दिया—उनका अभिप्राय यह न था कि वे अपना अनीतिलाभ (नाजायज फायदा) अथवा पशुओंके स्वामीको अनीतिहानि (नुकसान नाजायज) पहुँचाएँ, वरन् उनकी यह इच्छा थी कि वे पशुवध करनेसे बचजाएँ—तो तजवीज हुई कि उनके मध्ये डकैतीके अपराधमें विचार नहीं होसकता वरन् केवल बलवाका होसकता है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा२२)

जोरीका दंड. (३९२) जो कोई मनुष्य जोरीका अपराध करे, उसको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा--और यदि वह जोरी सर्वसाधारण मार्गपर सूर्योदय अथवा सूर्यास्तके मध्यमें कीजावे, तो कैदकी मीआद चौदह वर्षतक होसकती है।

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

बेतके दण्डके लिये (ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो ।)

१—जिस मनुष्यपर जोरीका अपराध प्रमाणित किया जावे, वह चोट पहुँचाने (जरर, सानी) का अपराधी नहीं ठहराया जासकता क्योंकि चोट पहुँचाना जोरीका एक भाग है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ६५)

जोरीके उद्योगका दंड.

(३९३) जो कोई मनुष्य जोरीके अपराधका उद्योग करे, उस मनुष्यको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो ।)

जोरी करनेमें जानबूझकर चोट (जरर) पहुँचाना.

(३९४) यदि कोई मनुष्य जोरी करे अथवा जोरीके उद्योगमें किसी मनुष्यको जानबूझकर चोट पहुंचाए; तो उपरोक्त मनुष्यको तथा किसी दूसरे मनुष्यको जो उस जोरी करने अथवा जोरीके उद्योगमें साझी हो जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो ।)

१—दफा ३०७ व ३९४ के दण्डोंमें जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा दशवर्षकी कठिन कैदका दंड दिया जावेगा १४ वर्षके लिये कालेपानीका दंड नहीं होसकता । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४१)

डकैती करनेका दंड.

(३९५) जो कोई मनुष्य डकैती करेगा, उसको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

१—जब बहुतसे हिन्दुओंने मिलकर मजहबी जोशके कारण कुछ मुसलमानोंपर आक्रमण करके सर्व साधारण सड़कपर उनसे पशुओंको छीन लिया, तो तजवीज हुई कि हिन्दूलोग हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३९५ के अनुसार डकैतीके अपराधी हैं न कि केवल बलवाके । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २९९)

(३९६) उन पांच अथवा अधिक मनुष्योंमेंसे जो मिलकर डकैती करें, कोई एक मनुष्य उस डकैतीके करनेमें ज्ञातघात करे, तो उनमेंसे प्रत्येक मनुष्यको वधका दंड अथवा जन्मभरके देश निकालेका या कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

डकैतीके साथ ज्ञातघात.

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

१—जब डकैती करते समय कोई मनुष्य जानसे माराजावे, तो यह बात विचारने योग्य न होगी कि वह डकैत, कि जिसपर इस दफाके अनुसार अपराध लगाया गया, उस घरके भीतर या अथवा बाहर, जहां डकैती हुई थी अथवा यह कि उस वधका कियाजाना घरके भीतर या बाहर केवल उस सीमातक था कि जहांतक डाका डाला गया । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा ८६)

(३९७) यदि जोरी अथवा डकैती करनेके समय अपराधी किसी मृत्युकारक हथियारको काममें लाए अथवा किसी मनुष्यको भारी दुःख (जररशदीद) पहुंचाए अथवा किसी मनुष्यके वध करने या भारी दुःख पहुंचानेका उद्योग करे तो वह कैद जिसका दंड उस अपराधीको दिया जायगा, सात वर्षसे कम न होगा ।

जोरी अथवा डकैती मृत्यु करने अथवा भारी दुःख पहुँचानेके उद्योगके साथ.

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

चोरी करते समय मृत्युकारी हथियारको काममें लानेसे चोरी जोरी होजाती है और वह अपराधी हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३९७ के अनुसार दंड योग्य होगा, चाहे उन चोरोंकी संख्या ५ हो अथवा कम । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ४९)

(३९८) यदि जोरी अथवा डकैती करनेके उद्योगके समय अपराधी किसी मृत्युकारक हथियारको लिये हो, तो वह कैद जिसका दंड उस अपराधीको दिया जायगा, सात वर्षसे कम न होगी ।

मृत्युकारी हथियार बांधकर जोरी अथवा डकैतीका उद्योग.

टीप–दफा ३९५ के अनुसार है ।

(३९९) जो कोई मनुष्य डकैती करनेके लिये कोई तैयारी करे, उसको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

डकैती करनेके लिये तयारी करना.

टीप–दफा ३९५ के अनुसार है ।

(४००) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत ऐसे मनुष्योंके झुण्डमें साझी होगा, जो परस्पर डकैती करनेके लिये मेल रखते हों, तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकाले अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

डकैतीके झुण्डमें साझी होनेका दंड.

टीप-दफा ३९५ के अनुसार है ।

१—इस दफा ४०० के अनुसार अपराध ठहरानेके लिये इस बातके प्रमाणित होनेकी आवश्यकता है कि अमुक समयपर डाकुवोंका झुंड कि जिन्होंने डकैती करनेके अभिप्रायसे परस्पर मेल कर लिया था, उपस्थित था और अपराधी उस झुंडमें साझी था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा २३)

(४०१) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत इधर उधर फिरनेवाले चोरोंके झुण्डमें अथवा किसी और झुण्डमें साझी होगा जो चोरी अथवा जोरीके लिये परस्पर मेल रखते हों, परन्तु जो ठगों अथवा डाकुओंका झुण्ड न हो तो उपरोक्त मनुष्यको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

इधर उधर फिरनेवाले चोरोंके झुण्डमें साझी होनेका दंड.

टीप--दफा ३९२ के अनुसार है ।

(४०२) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके पश्चात् उन पांच अथवा अधिक मनुष्योंमेंसे होगा, जो डकैती करनेके लिये इकट्ठा हुए हों,—तो उस मनुष्यको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

डकैती करनेके लिये इकट्ठा होना.

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

१—इस बातका प्रमाणित होजाना, कि अपराधी डाकुओंके गिरोहमेंसे एक मनुष्य था और उस गिरोहके अभिप्रायसे जानकर रहकर भी उसके साथ रहा करता था, दफा ४०२ का अपराध ठहरानेके लिये काफी है (वी० रि० जिल्द ७ सफा ९७)

मालके तसर्रुफ बेजा मुजरिमाना (अधर्मसे धनके अनीति व्यय करने) के वर्णनमें ।

(४०३) जो कोई मनुष्य अधर्मसे किसी स्थावर धनको अपने अनीति व्यय (तसर्रुफबेजा) में अथवा अपने काममें लेआये, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

अधर्मसे धनका अनीति व्यय (बद दियानतीसे मालका तसर्रुफ बेजा.)

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरका माल ले और शुद्धभावसे उसके लेते समय यह निश्चय करता हो कि वह माल मेरा है, तो इस अवस्थामें शिवशंकरने चोरी नहीं की, परंतु यदि शिवशंकर अपनी भूल जान लेनेके पश्चात् उस मालको अधर्मसे व्ययकर डाले तो वह उस अपराधका अपराधी है, जिसका वर्णन इस दफामें किया है।

(ख) शिवशंकर जो रमाशंकरसे मित्रताका व्यवहार रखता है, रमाशंकरके पुस्तकालयमें उसकी गैरहाजिरीमें जाए और विना स्पष्ट आज्ञा रमाशंकरके एक पुस्तक लेजाए, तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकरको यह निश्चय था कि पढ़नेके लिये पुस्तके लेनेकी मुझको रमाशंकरकी स्पष्ट आज्ञा प्राप्त है, तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं है, परंतु यदि शिवशंकर इसके पश्चात् अपने लाभके लिये उस पुस्तकको बेच डाले, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी है, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ग) यदि शिवशंकर व रमाशंकर साझेमें किसी घोड़ेके मालिक हों और शिवशंकर घोड़ेको रमाशंकरके पाससे अपने काममें लानेके लिये ले जावे, तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर उस घोड़ेको काममें लानेका अधिकारी है, इसलिये वह अधर्मसे उसको अनीतिव्ययमें नहीं लाता, परंतु यदि शिवशंकर घोड़ेको बेच डाले और उसकी कीमतका सब रुपया अपने काममें ले आये, तो वह उस अपराधका अपराधी है, जिसका वर्णन इस दफामें कियागया है।

स्पष्टीकरण–१ अनीतिव्यय (तसर्रुफ बेजा) जो केवल कुछ समयके लिये अधर्मसे किया जाय, वह भी इस दफाके अनुसार अनीतिव्यय गिना जायगा।

उदाहरण।

शिवशंकरने एक गवर्नमेंट प्रामेसरी नोट जो रमाशंकरका माल था और जिसकी पीठपर विक्रीकी इबारत विना नामके लिखी थी, पाया, शिवशंकरने यह बात जानबूझकर कि यह नोट रमाशंकरका है, उसको किसी साहूकारके यहां इस अभिप्रायसे गहने रखदिया कि आगे किसी समय इसको रमाशंकरको फेर दूंगा, तो शिवशंकरने इस दफाके अनुसार अपराध किया।

स्पष्टीकरण—२ जो मनुष्य कोई माल जो किसी मनुष्यके अधिकारमें न हो पाये और उस मालको उसके मालिककी ओरसे प्रबन्ध करने अथवा उसके मालिकको लौटा देनेके लिये अपनी सिपुर्दगीमें लाए, तो उपरोक्त मनुष्य उस मालको अधर्मसे अपनी सिपुर्दगी अथवा अनीतिव्यय (तसर्रुफबेजा) में नहीं लाता, और न अपराधका अपराधी है–परन्तु वह मनुष्य उस अपराधका, जिसका लक्षण ऊपर कहा गया है अपराधी होगा यदि वह उस मालका अपने कामके लिये अनीतिव्यय (तसर्रुफबेजा) में लाए जब कि वह उसके मालिकको जानता हो अथवा उसके जान लेनेके उपाय रखता हो अथवा इससे पहिले कि, वह मालिकके ढूंढने और उसको सूचित करनेके उचित उपाय काममें ला चुका हो और एक उचित समय तक उस मालको अपनी सिपुर्दगीमें रक्खा हो जिससे कि मालिकको उसके दावा करनेका अवसर मिलता।

यह बात कि ऐसी अवस्थामें कौनसे उपाय वास्तवमें उचित हैं और कौनसा समय वास्तवमें उचित है, निर्णय करनेके योग्य होगी।

यह अवश्य नहीं है कि पानेवाला यह जाने कि उस मालका कौन मालिक है अथवा यह कि अमुक मनुष्य उसका मालिक है—बरन् इतनाही बहुत है कि मालको अपने व्ययमें लाते समय वह यह निश्चय न करता हो कि वह उसका अपना माल है अथवा शुद्धभावसे यह निश्चय न करे कि उसका असल मालिक नहीं मिल सकता ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर सडकपर एक रुपया पाये और उसको यह जानकारी न हो कि यह किसका माल है, और शिवशंकर उस रुपयेको उठाले, तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका करनेवाला नहीं हुआ, जिसका वर्णन इस दफामें कियागया है ।

(ख) शिवशंकर सडकपर एक चिट्ठी पाए और उसमें एक महाजनी हुंडी हो और लिफाफे तथा चिट्ठीकी लिखावटसे शिवशंकर जानले कि वह हुंडी अमुक मनुष्यकी है फिर शिवशंकर उसको अपने व्ययमें लाए, तो शिवशंकर एक अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ग) शिवशंकर एक रुक्का पाए, जिसका रुपया धनीको मिल सकता हो, परन्तु उसे यह निश्चय न होवे कि इसका खोनेवाला कौन है—तथापि जिस मनुष्यने रुक्का लिखा हो, उसका नाम निकल आवे और शिवशंकर यह जानले कि इसका लिखनेवाला इसके मालिकका पता बतला सकेगा, परन्तु फिरभी उसके ढूंढनेका कुछ उपाय किये बिना उस रुक्केको अपने काममें ले आवे तो, इस दफाके अनुसार अपराधका अपराधी है ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरके पाससे उसकी बसनी जिसमें रुपये हों गिरते देखे और शिवशंकर रमाशंकरको फेर देनेके अभिप्रायसे बसनीको उठा ले और उस बसनीको अपने कामके लिये व्ययमें लावे तो शिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(च) शिवशंकर एक बसनी जिसमें रुपये हो पाये, यह न जानकरके कि वह किसका धन है; परन्तु पीछेसे जान लेवे कि वह रमाशंकरका धन है, और फिर उस बसनीको अपने काममें व्ययकर डाले तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(छ) शिवशंकर एक बड़े मोलकी अंगूठी पाए, यह न जान करके कि वह किसका धन है और फिर उसके मालिकके ढूंढनेका कोई यत्न करके उसको तत्काल बेच डाले तो शिवशंकर एक अपराधका करनेवाला हुवा जिसका वर्णन इस दफामें कियागया है ।

टीप—(१) मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जो सांड किसी मूर्ति या देवताके लिये छोडा जावे और स्वाधीनतापूर्वक फिरने दिया जावे वह इसलिये मिलकियत (धन) से खारिज नहीं है कि उस मन्दिरको जहां कि देवता अथवा मूर्तिकी पूजा होती है कुल अधिकार और जिम्मेदारियां उसके सम्बन्धमें प्राप्त हैं । (इंडियन ला रिपोर्ट मदरास जिल्द ११ सफा १४५)

२—एक मनुष्यको इस अपराधके मध्ये विचार होकर दण्डकी आज्ञा हुई कि उसने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४११ के अनुसार यह अपराध किया था कि उसने अधर्मसे एक सांडको यह जानबूझकर लिया कि उसके मध्ये तसर्रुफबेजा मुजरिमाना (अनीति व्यय) किया गया है। तजवीज हुई कि तसर्रुफबेजा (अनीति व्यय) करते समय वह सांड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायानुसार "वस्तु (माल)" में नहीं गिना जा सकता था, क्योंकि पहले तो उसका कोई मालिकही नहीं रहा और दूसरे यह कि असली मालिकने अपने कुल अधिकार मिलकियतके छोड़ दिये इसलिये ऐसे सांड़की चोरी नहीं की जासकती है, और इसलिये अपराधी छोड़ा गया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफा ५१)

३—एक सरकारी नौकर था, जिसका यह काम था कि रुपया लेकर उसको खजानेमें रसीद लेनेके बाद जमा करदे—उसने स्वीकार किया कि मैंने कई महीने तक रुपयेकी दो रकमें अपने यहां रक्खीं, जब मुझे पकड़े जानेका भय हुवा, तब मैंने उनको खजानेमें दाखिल करदिया और संदेह दूर करनेके लिये अपने रजिष्टरमें झूठमूठ इबारत लिखली—उसने अपने यहां रुपया रखनेका जो कारण बतलाया, उसपर साहब मजिस्ट्रेटने निश्चय नहीं किया और जिन्होंने हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनीति व्यय (तसर्रुफ बेजा) के अपराधमें उसका विचार किया—तजवीज हुई कि अपराधका विचार ठीक था। (इ०ला०रि०मदरास जिल्द१२सफा ४९)

४—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ के अनुसार शब्द "वस्तु" में जानदार वस्तुएँ नहीं गिनी जासकतीं—कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोडा जावे इस दफाके अभिप्रायके भीतर नहीं है और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुपाकर गोश्त और चमड़ेके लोभसे मार डालें, तो दफा २९५ के अनुसार कोई अपराध उन्होंने नहीं किया—और सांड़ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर धन नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८५२)

५—अपराधीने सडकपर एक सोनेकी मुहर पाई—दूसरे दिन उसने उस मुहरको किसी सराफके हाथ पूरे दामोंपर बेचडाला और वह उसका रुपया अपने खर्चमें लाया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि,—उन बातोंके न मालूम होनेकी अवस्थामें, कि जिनमें उपरोक्त मुहर खोगई. और जा कि यह कदाचित् सम्भव हो कि उस मुहरका अधिकार असली मालिकने बिल्कुल छोड दिया हो, अपराधीको हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनीतिव्ययके अपराधमें दंड नहीं दिया जा सकता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा २१२)

(४०४) जो कोई मनुष्य कोई माल अधर्मसे अपने अनीति व्यय अथवा काममें यह जानकर लाए कि वह माल किसी मनुष्यके मरते समय उस मरे हुएके अधिकारमें था और यह कि वह माल समयसे किसी ऐसे मनुष्यके अधिकारमें नहीं रहा है। जो उस अधिकारका कानूनानुसार अधिकारी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों

अधर्मसे किसी ऐसे धन (माल)को व्यय (तसर्रुफ) कर डालना कि जो मरनेके समय किसी मरे हुए मनुष्यके अधिकारमें था.

प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि अपराधी उस मरे हुए मनुष्यकी ओरसे उसके मरनेके समय गुमाश्ता अथवा नौकर हो तो कैदकी मीआद सात वर्षतक होसकती है।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर कुछ माल और रुपयेपर अधिकारी होनेकी अवस्थामें करजाए और रमाशंकर उसका नौकर, इसके, पहिले कि वह रुपया किसी ऐसे मनुष्यके अधिकारमें आजाए जो उस अधिकारका अधिकारी है, उपरोक्त रुपयेको अधर्मसे अपने अनीतिव्यय (तसर्रुफ बेजा) में लाए तो इस अवस्थामें रमाशंकरने वह अपराध किया, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०४ अस्थावर धन (गैर मनकूला माल) से सम्बन्ध नहीं रक्खेगी । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ६ सफा ३३)

२—कोई मनुष्य उस रूपयेके अनीतिव्यय करडालनेमें दफा ४०४ के अपराधका अपराधी होगा, जिसको मरे हुए मनुष्यने उसकी सिपुर्दगीमें रक्खा हो, चाहे उस रुपयेको वह अपने काममें न लाया हो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १)

दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) के बयानमें ।

(४०५) कोई मनुष्य जिसको किसी प्रकारसे कोई माल अथवा किसी मालका प्रबंध धरोहरकी रीतिपर (अमानतन) सिपुर्द हो, कानूनकी किसी आज्ञाको जिसमें ऐसी सिपुर्ददारीके वर्त्तनेकी रीति ठहराई गई हो अथवा किसी प्रगट या अप्रगट उचित कौल करारको जो उस सिपुर्ददारीके मध्ये वह करचुका हो, तोडकर उस मालको अधर्मसे व्यय करेगा, अथवा अपने काममें लावेगा अथवा अधर्मसे उससे काम निकालेगा अथवा अलग करेगा अथवा जानबूझकर किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा करने देगा, तो वह दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी कहलावेगा ।

दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना.)

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने जो किसी मरेहुए मनुष्यके मालका अधिकारी था, उस कानूनका उल्लंघन करके जिसमें उसको आज्ञा थी कि वसीअतनामेके अनुसार माल असबाबको बांट दे, अधर्मसे उस माल असबाबको अपने काममें व्यय किया, तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात किया ।

(ख) शिवशंकर गोदामका मालिक हो और रमाशंकर, जो देशाटनको जाता हो शिवशंकरको अपना असबाब इस नियमपर सौंपजाय कि जिस समय गोदाम घरके मध्ये भाडेका इतना रुपया दे दियाजाय उसे कुल असबाब लौटा दिया जायगा—और शिवशंकर उस असबाबको अधर्मसे बेच डाले तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) किया ।

(ग) यदि कलकत्तेका रहनेवाला शिवशंकर देहलीके रहनेवाले रमाशंकरका गुमाश्ता न हो और उन दोनोंमें प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे यह कौल करार हो कि रमाशंकर जो रुपया शिवशंकरको हुंडी करे, उसको शिवशंकर रमाशंकरकी आज्ञाके अनुसार लाभके लिये लगाले-रमाशंकर एक लाख रुपया इस आज्ञासे शिवशंकरके पास हुंडी करे कि शिवशंकर उसको कम्पनीके प्रामे-

सरी नोटके मोल लेनेमें लगावे, परंतु शिवशंकर अधर्मसे उस आज्ञाके विरुद्ध अपने काममें व्यय करे, तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानतमुजरिमाना) का अपराधी होगा।

(घ) परंतु ऊपरके पिछले उदाहरणमें यदि शिवशंकर अधर्मसे नहीं बरन् शुद्धभावसे यह निश्चय करके कि बैंक बंगालके हिस्से मोललेना रमाशंकरके लिये अधिकतर लाभदायक होगा—रमाशंकरकी आज्ञाके विरुद्ध करे और बैंकके प्रामेसरी नोट मोल लेनेके बदले बैंक बंगालके हिस्से रमाशंकरके नाम मोल ले तो इस अवस्थामें यद्यपि रमाशंकर हानि उठाये और उस हानिके मध्ये शिवशंकर पर दीवानीमें नालिज करनेका अधिकारी हो, तथापि जो कि शिवशंकरने अधर्मसे वर्त्ताव नहीं किया; इसलिये शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी नहीं है।

(च) यदि शिवशंकर जो सरिश्ते मालका ओहदेदार है, सरकारी रुपयेका सिपुर्ददार हो और उस पर चाहे कानूनकी आज्ञाके अनुसार चाहे किसी कौलकरारके अनुसार जो गवर्नमेंटके साथ प्रगट अथवा अप्रगट रीति पर हुआ हो, उचित हो कि वह कुल रुपया सरकारी जो उसके अधिकारमें है किसी मुख्य खजानेमें दाखिल करे—परंतु शिवशंकर उस रुपयेको अधर्मसे अपने व्ययमें लाए तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमानाका) अपराधी है।

(छ) रमाशंकरकी ओरसे, शिवशंकरको जो माल व असबाब पहुँचानेका पेशा रखता है, कोई माल धरोहरकी रीतिपर सिपुर्द किया गया कि वह उसे थल अथवा जलके मार्गसे पहुँचा दे और शिवशंकर उस मालको अधर्मसे अपने काममें खर्च कर डाले तो शिवशंकर दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी होगा।

१—यदि कोई मनुष्य किसी रुपयाको जो उसने किसी विशेष काममें खर्च करनेके लिये पाया हो उस काममें खर्च न करे और उसका हिसाब माँगेजानेपर हिसाब देनेसे नहीं करे अथवा झूठ हिसाब दे, तो वह दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी होगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा २८)

२—नाजिर एक बड़े सरिश्तेका अफ्सर है और जिस कामके मध्ये वह रिपोर्ट करे अथवा उसको स्वीकार करे, उसकी सचाईका जिम्मेदार है और वह अपनी जिम्मेदारीसे इस बात पर नहीं बच सकता कि उसके मुहर्रिरने उसको धोखा दिया था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १०९)

(४०६) जो कोई मनुष्य दंड योग्य विश्वासघातको करे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का दंड.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० मजिस्ट्रेट या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—अपराधीपर जो सब इन्स्पेक्टर पोलीस था, इस बातका अपराध लगाया गया कि उसने एक घोड़ा कांजीहौसमेंसे मोल लिया था—तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटको ऐक्ट १ सन् १८७१ ई० की दफा १९ व हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १६९ के अनुसार वर्त्ताव करना चाहिये था, उसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०६ के अपराधमें दंड होना चाहिये था। (वी० रि० जिल्द १६ सफा ५२)

(४०७) यदि कोई मनुष्य, जिसको ढोईदार या घटवार या गोदामके मालिककी रीतिसे कोई माल सिपुर्द हो, उस मालके मध्ये दंड योग्य विश्वास घात खयानत (मुजरिमाना) का अपराध करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

माल पहुँचानेवाले (ढोईदार) और घटवार इत्यादिकी ओरसे दण्ड योग्य विश्वासघात.

टीप–(१) अदालत सेशन. या प्रे०म०या म०अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४०८) कोई मनुष्य जो गुमाश्ता अथवा नौकर हो या जो गुमाश्ता अथवा नौकर के कामपर तैनात हो और जिसको किसी प्रकार गुमाश्ता अथवा नौकरके कामके कारण कोई माल अथवा किसी मालका प्रबन्ध धरोहरकी रीतिपर (अमानतन) सिपुर्द हो, उपरोक्त मालके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात, (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गुमाश्ते अथवा नौकरकी ओरसे विश्वासघात.

टीप—दफा ४०६ के अनुसार है ।

१—जब एक सब इन्स्पेक्टरने जिसकी चौकसीमें कुछ सरकारी रुपया था, वह रुपया अनुचित रीतिपर एक कानिस्टेबिलकी सिपुर्दगीमें रख दिया और अपनेको हानिसे बचानेके अभिप्रायसे निजकी तौर पर उस कानिस्टेबिलसे जमानत लेली और उपरोक्त कानिस्टेबिल अधर्मसे उस रुके को अपने काममें ले आया, यद्यपि फिर उसने पीछेसे उस रुपयेको लौटा दिया–हाईकोर्टने मुकद्दमको दफा ४०८ न कि दफा ४०९ के अनुसार समझा और अपराधीको १० वर्षके काले पानी और ५००) रु० जुर्मानेके दंडके स्थानपर बिना जुर्माना एकवर्षकी कठिन कैदका दंड दिया । (बी० रि० जिल्द ८ सफा १)

२—जब कोई नौकर किसी विशेष कामके लिये कुछ रुपया पावे और वह उसी काममें वह रुपया न लगावे और जब उससे उपरोक्त रुपयेका हिसाब मांगाजावे, तो वह झूठ मूठ यह कहे कि उसने उस रुपयाको उसी काममें लगाया है, तो ऐसी अवस्थामें उपरोक्त मनुष्य दफा ४०८ के अनुसार अपराधका अपराधी होगा (बं० ला० रि० जिल्द १ सफा २१)

(४०९) जो कोई मनुष्य किसी भांति सिपुर्ददार किसी मालका अथवा मालके प्रबन्धका सरकारी नौकरीके कारण अथवा महाजन या सौदागर या आढतिये या दलाली या कारिन्दगरीके कारण होकर उस मालके मध्ये दण्ड योग्य विश्वासघात करेगा, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

सरकारी नौकर या महाजन या सौदागर या आढतिये की ओरसे विश्वासघात

टीप—दफा ४०७ के अनुसार है ।

१—अपराधीने उस निश्चयको जो सकार उसके मध्ये रखती थी, पूरा कर दिया, और उस का कुछ समय तक रुपयेका रोकना, दफा ४०९ के अनुसार अपराधमें न गिना जायगा; जबतक कि अधर्मकी गवाही न पाई जावे । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा २५६)

२—एक कानिस्टेबिल एक घरकी चौकसी करता था, जिसमें सरकारी माल रक्खा था उसने उस घरसे वह माल चुरा लिया—तजवीज हुई कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८० के अनुसार दंड देना चाहिये था न कि दफा ४०९ के अनुसार। (बी०रि०जिल्द ३ सफा ३०)

चोरीका माल लेनेके बयानमें ।

(४१०) वह माल जिसपर चोरी अथवा दबाकर लेने अथवा जोरीसे, अधिकार किया गया हो और वह माल, कि जो दंड योग्य अनीतिव्यय (तसर्रुफ बेजा मुजरिमाना) में लाया गया हो अथवा जिसके मध्ये दण्डयोग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराध किया गयाहो "चोरीका माल" कहा जायगा—चाहे वह चोरी अथवा जोरी या अनीतिव्यय या दंड योग्य विश्वासघात ब्रिटिश इण्डियाके भीतर हुवा हो अथवा बाहर—परन्तु वह माल यदि पीछेसे उस मनुष्यके अधिकारमें आजाए कि जो उसके अधिकारका उचित रीतिपर अधिकारी है; तब फिर वह माल "चोरीका माल" न कहा जावेगा ।

चोरीका माल (माल-मसरूका.)

१—जो रुपया जाली मनीआर्डरोंके द्वारा प्राप्त किया जावे, वह दफा ४१० में लिखे हुए चोरीके मालमें न गिना जायगा । (बी० रि० जिल्द २४ सफा ३३)

२—जब कोई हिन्दू किसी रिश्तेदारके मरनेके उपरांत कोई सांड अपने हिन्दूधर्म शास्त्रके अनुसार मृतककी आत्माके सुखके लिये स्वाधीन करदेता है, तब उसके पश्चात् वह उसका धन नहीं रहता—जो कोई अधर्मसे उसको अपने अधिकारमें लाए उसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४१० व ४११ का अपराध नहीं ठहर सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ९ सफा ३४८)

(४११) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल यह जानकर अथवा निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह माल चोरीका माल है अधर्मसे ले लेना अथवा ले रक्खे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

अधर्मसे चोरीके माल को लेना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अधर्मसे चोरीका माल लेना चोरीके अपराधके समान नहीं है, इसलिये दफा ४११ के अपराधमें बेतका दंड देना अनुचित है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६२६)

२—यह बात कानूनके विरुद्ध है कि किसी मनुष्यपर चोरीमें सहायता करनेका अपराध प्रमाणित किया जावे और साथही उसके उसपर चोरीका माल लेनेका अपराध ठहराया जावे। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३७९)

३—किसी अपराधीकी एकही तजवीज दफा ४११ के अपराधके मध्ये (चोरीका माल लेने) व दफा ४१३ (आदतन चोरीकी जायदाद लेने) के मध्ये नहीं हो सकती। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ६३४)

४—जब कोई मनुष्य दफा ४११ के अपराधका अपराधी ठहराया जावे, तो इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि उस मनुष्यने उस मालको चोरीका माल समझकर अधर्मसे लिया; बिना इस बातके प्रमाणित हुए, केवल इसही बातपर कि वह उपरोक्त माल अपराधीके अधिकारमें है, अपराधी पर दफा ४११ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा २२४)

५—एक पानी पीनेका गिलास अक्टूबर सन् १८८३ ई० में चुराया गया और सितम्बर सन् १८८४ ई० में अपराधीके यहां निकला—अर्थात् उसके अधिकारमें ग्यारह महीनेतक चोरी हो जानेके उपरान्त रहा—इसलिये यह कयास अपराधीके विरुद्ध इतना कम होजाता है कि केवल इसी बातपर उससे यह भी नहीं पूछा जाना चाहिये कि, वह चोरीका माल उसके अधिकारमें कैसे आया—यह बात कि किन किन अवस्थाओंमें वर्त्तमानका अधिकार विचारा जाना चाहिये। एक ऐसी बात है जिसका फैसला चोरीके मालके ऊपर होना आवश्यकीय काम है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ११ सफा १६०)

६—पोलीसको, बिना कानूनी सूचनाके, ऐसे मनुष्यको पकड़ने (गिरफ्तार)का अधिकार है कि जिसके यहां चोरीका माल पाया जावे—पोलीसको किसी ऐसे घरकी तलाशी करनेका भी अधिकार है कि जिसमें चोरीका माल होनेका संदेह होवे। (वी० रि० जिल्द ८ सफा २८)

७—जब मिसलमें इस बातकी गवाही न हो कि वह माल, कि जिसके लेनेके मध्ये अपराधी पर दफा ४११ का अपराध ठहराया गया है; वास्तवमें चोरीका माल है—तब अपराधीको इस दफाके अपराधमें दंड नहीं दिया जाना चाहिये। (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा १८७)

८—एक मनुष्यके विरुद्ध, कि जिसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४११ का अपराध लगाया गया था, केवल इस बातकी गवाही थी कि अपराधीने स्वयं वह स्थान बतला दिया कि जहां कुछ चोरीका माल किसी दूसरे मनुष्यके खेतमें छुपा रक्खा था—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि ऊपर लिखी हुई दफाके अपराधमें दंड देनेके लिये केवल इतनीही गवाही काफी न समझी जावेगी (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा ५७६)

९—दफा ४११ का अपराध प्रमाणित करनेमें यह बात साफ साफ मालूम होना चाहिये कि जो माल अपराधीके यहां था, उसका स्वामी (मालिक) अमुक मनुष्य था। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ९५)

१०—जिस मनुष्यको किसी मालके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) के अपराधमें हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४०९ के अपराधमें दंड हो चुका हो, उसको उसी मालके मध्ये दफा ४११ के अपराधमें दूसरा दंड नहीं दिया जा सकता। (रिपोर्टर हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा ३१२)

११—जो मनुष्य डकैतीके अपराधमें दण्ड पा चुका हो, वह उसी मालके मध्य चोरीका माल लेनेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जून १८६४ ई० सफा २७)

१२—चोरने (अ) का माल चुराकर (ब) के यहां रेहन रख दिया, जिसने वह माल बिना किसी अधर्मसे रख छोडा—चीफकोर्टने वह माल ऐक्ट ८ सन् १८६९ ई० की दफा १३२ के अनुसार (अ) को लौटवा दिया। (पंजाब रिकार्ड नं० ३७ सन् १८७० ई०)

१३—जाब्ता फौजदारी ऐक्ट २५ सन् १८६१ की दफा ३२ के अनुसार मजिस्ट्रेटको किसी ऐसे दफा ४११ के अपराधीका विचार करनेका अधिकार नहीं है, जो दूसरी रियासतका रहनेवाला है। परन्तु जब कि चोरीका माल लेनेका अपराध सरकारी राज्यसे बाहर हुआ हो। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ४ सफा ३८)

१४—यदि कोई कम अवस्थाका मनुष्य अपनी कम अवस्थाके कारण हिन्दुस्थानके दण्ड-संग्रहकी दफा ८५ के अनुसार कैदसे छूट जावे, तो इस बातपर वह मनुष्य जो उस चोरीके मालको उस कम अवस्थावाले चोरसे लेवे, दफा ४११ के अपराधमें दण्ड पानेसे नहीं छूट सकता। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा ३७३)

जो माल डकैतीमें चुराया गया हो, उसे अधर्मसे लेना.

(४१२) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल अधर्मसे ले अथवा ले रक्खे, जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह डकैतीके द्वारा प्राप्त किया गया है अथवा किसी मनुष्यसे जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह डाकुवोंके समूहमें साझी है अथवा साझी रहा है, कोई माल अधर्मसे ले; जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(बेतके दंडके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

कुछ मनुष्योंके यहां जो अंगरेजी राज्यके रहनेवाले नहीं प्रमाणित किये गए थे, रियासत हिन्दुस्थानमें डकैतीका माल पाया गया कि जो डकैती अंगरेजी राज्यमें की गई थी, उनका डकैतीमें साझी होना नहीं प्रमाणित किया गया और कोई गवाही इस बातकी नहीं पाई गई कि उन्होंने कोई चोरीका माल ब्रिटिश इंडियामें प्राप्त किया अथवा रक्खा उन्हें ५१२ के अपराधमें दंड दिया गया तजवीज हुई कि अंगरेजी राज्यके भीतर किसी अपराधका किया जाना प्रमाणित नहीं है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ९ सफा ५२३)

स्वाभाविक (आदतन) चोरीके मालका व्यवहार करना.

(४१३) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा माल जिसको वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है, स्वाभाविक (आदतन) लिया करता हो, उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४१२ के अनुसार है।

(बेंतके दंडके लिये ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखा)

१—कोई मनुष्य स्वभावसेही चोरीका माल लेनेवाला नहीं कहलाया जासकता जब कि उसने कुछ चोरियोंका माल कुछ चोरोंसे एकही दिनमें लिया हो, दफा ४१३ का अपराध ठहरानेमें यह प्रमाणित करना चाहिये कि अलग अलग की चोरियोंका माल अलग अलग समयोंपर लिया गया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा १९०)

(४१४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालको छिपाने अथवा अलग करने अथवा नष्ट करनेमें जानबूझकर सहायता करे; जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों ही दंड दिये जावेंगे ।

चोरीका मालछिपानेमें सहायता देना.

टीप—दफा ४११ के अनुसार है ।

१—अपराधी हि० दं० की दफा १९३ (झूठी गवाहीके बनाने) के अपराधमें व दफा ४१४ (चोरीका माल छुपाने) के अपराधमें अर्थात् दोनों अपराधोंमें अलग अलग दंड पा सकता है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३७९)

छल (दगा) के विषयमें ।

(४१५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको धोखा देकर उस धोखा खानेवाले मनुष्यको छलसे अथवा अधर्मसे ऐसा फुसलावे कि वह कोई माल किसी मनुष्यको देदे अथवा इस पर प्रसन्नता प्रगट करे कि कोई मनुष्य कोई माल ले रक्खे अथवा धोखा खानेवाले मनुष्यको किसी ऐसे कामके करने अथवा न करनेके लिये जानबूझकर फुसलावे, जिसको वह कभी न करता अथवा करनेमें न चूकता, जब कि उसको इस प्रकार धोखा न दिया जाता और जो काम अथवा चूक उस मनुष्यके शरीर या चित्त या नेकनामी या मालको हानि पहुंचाए अथवा उसका पहुंचना अति सम्भवित हो, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने छल किया ।

छलना.

स्पष्टीकरण—अधर्मसे किसी बातको छिपाना एक धोखा देना है, जो इस दफाके अर्थमें गिना जासकता है ।

उदाहरण ।

(क) देवदत्त झूंठ प्रतिज्ञा किया हुआ मुल्की नौकर बना और यज्ञदत्तको जानबूझकर धोखा दिया और उस धोखेके कारण अधर्मसे कुछ माल जिसके लौटानेकी इच्छा न थी, यज्ञदत्तसे उधार लिया, तो देवदत्तने छल किया ।

(ख) शिवशंकर किसी वस्तुपर कोई झूठा चिह्न लगाकर जानबूझकर धोखा देके रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह वस्तु अमुक नामवर कारीगरकी बनाई हुई है और इस प्रकारपर धर्मसे रमाशकरको उपरोक्त वस्तुके मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको किसी वस्तुका झूठा नमूना दिखाकर जानबूझकर धोखा देके रमाशंकरको यह निश्चय कराये कि वस्तु नमूनाके अनुसार है और इस प्रकार रमाशंकरको उसके मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया।

(घ) यदि शिवशंकर किसी वस्तुके मोलमें किसी कोठीपर जिसमें शिवशंकरका रुपया जमा नहीं है, एक बिल पेश करे, और उसको यह निश्चय हो कि उस कोठीमें यह बिल न पटेगा; और इस प्रकार रमाशंकरको जानबूझकर धोखा दे और इस प्रकारसे उसको, उपरोक्त वस्तुके देनेके अधर्मसे फुसलावे और उसका मोल न देना शिवशंकरकी इच्छामें हो तो शिवशंकरने छल किया।

(च) यदि शिवशंकर ऐसी वस्तुओंको हीरेके समान गिरोंरखकर जिनको वह जानता है कि हीरा नहीं है, जानबूझकर रमाशंकरको धोखा दे और इस प्रकार रमाशंकरको रुपया ऋण देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि जो रुपया तू मुझको ऋण देगा उसके चुकानेकी मै इच्छा रखता हूँ और इस प्रकारसे रमाशंकरको अधर्मसे रुपया ऋण देनेके लिये फुसलावे, और शिवशंकरकी रुपया चुकानेकी इच्छा न हो, तो शिवशंकरने छल किया।

(ज) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मैं तुझको इतनी नीलकी लांक दूंगा, जिसका देना उसकी इच्छामें न हो और उसके द्वारा इस देनेके निश्चय पर रमाशंकरको कुछ रुपया पेशगी देनेके लिये अधर्मईसे फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया। परन्तु यदि रुपया लेते समय नीलकी लांकका देना शिवशंकरकी इच्छामें हो और इसके पीछे वह अपना करार तोड़ डाले और नीलकी लांक न दे, तो वह छल नहीं करता है, परन्तु करार तोडनेके मध्ये उसपर केवल दीवानीमें नालिश होसकती है।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मेरे और तेरे बीचमें जो वचन हुआ था, उनके मध्ये मैंने अपना इकरार पूरा किया, जिसको उसने पूरा न किया हो और इस प्रकार अधर्मसे रमाशंकरको रुपया देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया।

(ट) शिवशंकर कोई जायदाद रमाशंकरके हाथ बेचे और उसके नाम लिखा पढ़ी करदे और फिर यह जानकर कि बेचनेके कारण उस मालमें मेरा कुछ अधिकार नहीं रहा, बिना इस बातके प्रगट किये कि रमाशंकरके हाथ पहिले यह जायदाद बिक चुकी है उमाशंकरके हाथ उसको बेच दे अथवा रेहन कर दे और उमाशंकरसे बेच अथवा रेहनका रुपया ले ले, तो शिवशंकरने छल किया।

१—(अ) ने अपनेको झूठ मूठ (ब) बनाकर एक यूनिवर्सिटी इम्तिहानका (य) के नामसे टिकट लिया—और प्रश्नोत्तरके पर्चोंके सिरनामेपर (ब) के नामके हस्ताक्षर किये तजवीज हुई कि (अ) ने जाल तथा छलका अपराध किया (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफा १५१)

२—एक मनुष्यने किसी जिलेकी पोलीसमें, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेन्ट पोलीसको ऐसी बातें बतलाकर जिन्हें वह झूट जानता था, भरती होनेका यत्न किया—तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई अपराध हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७७ या १७८ अथवा छलके अपराधका उद्योग दफा ४१५ के अनुसार नहीं किया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ६७)

३—जब अपराधी दो लडकियोंको मोल लेकर एक दूसरे जिलेको लेगये और यह कह कर कि वे ऊंची जातकी लडकियां थीं उनका व्याह दो राजपूतोंके साथ कर दिया और उनसे कुछ रुपया ले लिया, तब तजवीज हुई कि उनके ऊपर दफा ३७३ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता था बरन् वे दफा ४१५ व ४१६ के अपराधके अपराधी थे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ५५)

दूसरा मनुष्य बन कर छल करना.

(४१६) जब कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यका मिस करके कि वह कोई और मनुष्य है, अथवा जानबूझकर एक मनुष्यको कोई दूसरा मनुष्य बना करके अथवा अपने आपको या किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा मनुष्य प्रगट करके कि जो वह स्वयं अथवा दूसरा मनुष्य न हो, छल करे, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया।

स्पष्टीकरण—जिस मनुष्यके बननेका बहाना कियागया, वह चाहे सचमुच हो चाहे मनसे बना लिया गया हो, तो भी यह अपराध हो सकेगा।

उदाहरण।

(अ) शिवशंकरने अपनेको अपने नामवाले किसी धनवान कोठीवालेका बहाना करके छल किया, तो कहा जायगा कि शिवशंकरने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया।

(ई) रमाशंकर यह बनकर छल करे कि मै शिवशंकर हूं और शिवशंकर एक मराहुआ मनुष्य हो तो रमाशंकरने दूसरा मनुष्य बन कर छल किया।

१—अपराधीने एक दूसरे मनुष्यसे कहा कि, अमुक लडकी ब्राह्मणकी बेटी है, यद्यपि वास्तवमें वह शूद्री थी, और यह कहकर उस मनुष्यको बहकाया कि वह अपराधीको कुछ रुपया देकर उस लडकीका व्याह अपने भाईके साथ करले तजवीज हुई कि अपराधीने दफा ४१६ के अनुसार छल करनेका अपराध किया था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ४२)

छल करनेका दंड.

(४१७) जो कोई मनुष्य छल करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० या० म० अ० या० म० दो० (२)पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—अपराधीने अपनेको अफसर पोलीस कहकर गांवके लोगोंसे कुछ रुपया ले लिया—तजवीज हुई कि अपराधीने छल करनेका और झूंठे तौरपर अफसर पोलीस बननेका अपराध किया था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा २९)

२—जो मनुष्य रेल गाडीके छोटे क्लासका किराया देकर बडे क्लासकी गाडीमें बैठ जावे, वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४९७ का अपराधी नहीं हो सकता बरन् वह रेलवे ऐक्टके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा १४०)

३—यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्यसे, छलकी रीतिपर बहकाकर अथवा अधर्मसे अथवा उस मनुष्यको दुःख पहुँचानेका डर दिखाकर, कुछ रुपया लेवे तो वह छल करनेके अपराधमें दफा ४१७ अथवा दबाकर लेनेके अपराधमें दफा ३८३ व ३८४ के अनुसार दंड योग्य होगा। (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ३२)

छल करना यह जानकर कि उससे किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचे जिसकी स्वार्थकी रक्षा करना उस अपराधी पर अवश्य है.

(४१८) जो कोई मनुष्य यह जानबूझकर छल करेगा कि इससे अनीति हानि उस मनुष्यको होनी अति सम्भवित है जिसके स्वार्थकी रक्षा करनी उस पर उसी विषयमें जिससे वह छल सम्बन्ध रखता हो कानूनकी आज्ञानुसार अथवा किसी कानूनी कौल करारके अनुसार अवश्य है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ४१७ के अनुसार है।

दूसरा मनुष्य बनकर छलनेका दण्ड.

(४१९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छल करेगा उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—यदि कोई मनुष्य अपनेको दूसरा मनुष्य प्रगट करके गवाही दे तो उसपर झूठी गवाही देनेका अपराध दफा १९३ के अनुसार ठहराना चाहिये, न कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४१९ के अनुसार। (रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ८९)

२—एक मनुष्यने जिसका नाम ऐसू था अपराधीको चार आने इस अभिप्रायसे दिये कि वह उसके लिये एक स्टाम्पका कागज मोललावे—जब स्टाम्प कलक्टरने अपराधीसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बतानेके बदले ऐसूका नाम बताया—तजवीज हुई कि यह अपराध हिन्दुस्थानकी दण्डसंग्रहकी दफा १९७ के अनुसार झूठी खबर देनेका हुआ न कि दफा ४१९ के अनुसार छलनेका। (बी० रि० जिल्द ३ मदरास ४२)

३—अपराधीने इश्तिहार दिया कि अंग्रेजी शब्दोंका कोष बनाया हुआ राबर्ट एस विल्सन एम; एका तैयार है जिसका मूल्य २॥) है तलाशसे जाना गयां कि अपराधीके पास कोई ऐसी पुस्तक बेचनेके लिये नहीं थी—तजवीज हुई कि अपराधीने जाल व छलका अपराध किया था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा २७)

(४२०) जो कोई मनुष्य छल करे और उसके द्वारा धोखा खानेवाले मनुष्यको अधर्मसे फुसलावे कि वह कोई माल किसी मनुष्यको दे दे अथवा किसी किफालतुलमालके कुल या किसी भागको अथवा किसी वस्तुको जिसमें कोई दस्तखत अथवा मुहर हो अथवा जो किफालतुलमाल बन सकती हो, बनाए या बदले या नष्ट करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

छल और अधर्मसे माल दिला देना.

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे०म० या म०अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने मुहकमे अकालके अफसरसे कुछ चावल सोलह सेर फी रुपया के भावसे मोल लिये और उसने प्रतिज्ञा की कि वह उसको पन्द्रह सेरके भावसे बेचेगा; परंतु उसने वह चावल बारह सेरके भावसे बेच डाले, इसलिये वह दफा ४२० हि० दं० का अपराधी ठहराया गया तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २४ व २४ के अनुसार किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा लाभ नहीं हुआ, इसलिये कोई अपराध हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४१५ के अनुसार नहीं किया गया (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द २२ सफा ८२)

छल छिद्र दस्तावेजों और छलछिद्रसे माल अलग करनेके विषयमें ।

(४२१) जो कोई मनुष्य विना लेने उचित एवज (बदला) के कोई माल अधर्मसे अथवा छलसे दूर करे अथवा छिपाए अथवा किसी मनुष्यको सिपुर्द करे या देवे या दिलावे, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि उसके द्वारा उपरोक्त माल उसके साहूकारों अथवा किसी दूसरे मनुष्यके साहूकारोंमेंसे बीचमें कानूनके अनुसार बँटजानेके लिये रुकजावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

साहूकारोंमें बँटजानेसे बचानेके लियेमालकोअलग कर देना अथवा छुपाना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

किसी ऋण अथवा तगादेको अपने साहूकारोंको मिलानेसे अधर्म करके रोकना.

(४२२) जो कोई मनुष्य किसी ऋण अथवा तगादेको, जो उसका अपना अथवा किसी दूसरे मनुष्यका पाना हो; अपने ऋण अथवा उस दूसरे मनुष्यके ऋणके अदा होनेके लिये कानूनके अनुसार लिये जानेमें छल अथवा अधर्मके साथ रोके, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दोवर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है।

अधर्मसे किसी दस्तावेज आदिका लिखना जिसमें मोलकी तादाद झूँठी लिखी हो.

(४२३) जो कोई मनुष्य अधर्म अथवा छलसे किसी ऐसे दस्तावेज या लेख पर दस्तखत करे अथवा उसको लिखे अथवा लिखानेवालोंमेंसे एक बने, जिस दस्तावेज या लेखमें यह लिखावट हो कि कोई माल अथवा उपरोक्त मालका अधिकार उसके द्वारा बदल जावे अथवा उसपर कोई खर्च पडे और जिसमें कोई झंठ बयान उस उपरोक्त बदलने अथवा खर्चके मोलके मध्ये लिखा हो अथवा वह झूँठ बयान उस मनुष्य अथवा उन मनुष्योंसे संबंध रखता हो, जिसके अथवा जिनके वर्त्ताव या लाभके लिये उसका काममें आना आवश्यकीय है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है।

मालको अधर्मसे दूर करना अथवा छुपाना.

(४२४) जो कोई मनुष्य अपना अथवा किसी दूसरे मनुष्यका कोई माल अधर्म अथवा छलसे छुपाये या दूर करे या उसके छुपाने अथवा दूर करनेमें अधर्म या छलसे सहायता करे, अथवा अपना कुछ उचित तगादा या दावा अधर्मसे छोड दे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है।

हानि पहुँचाने (नुकसानरसानी) के बयानमें।

हानि पहुँचाना.

(४२५) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे अथवा इस बातका होना अति सम्भवित जानकर कि सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा हरजा पहुंचाए किसी वस्तुके नष्ट करने अथवा किसी वस्तुके ऐसे बदलने अथवा उसके स्थानके ऐसे बदलनेका कारण हो, जिससे उसकी वस्तु अथवा काममें आनेकी योग्यता नष्ट हो जाय अथवा कम हो जाए अथवा जिससे उसपर हानि पहुंचती हो, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने हानि पहुंचानेका अपराध किया।

स्पष्टीकरण--१-हानि पहुँचानेके अपराधमें यह कुछ अवश्य नहीं है कि उस वस्तुके मालिकको, जिसे हानि पहुँचाई गई अथवा जो नष्ट हो चुकी, हानि अथवा हरजा पहुंचाना अपराधीकी इच्छामें हो; बरन इतनाही बहुत है कि उसका यह अभिप्राय हो अथवा इस कामका होना उसकी जानकारीमें हो कि किसी वस्तुको हानि पहुंचानेके द्वारा किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा हर्जा पहुंचाए चाहे वह वस्तु उसी मनुष्यकी हो अथवा न हो।

स्पष्टीकरण—२-हानि पहुंचानेका अपराध किसी ऐसे कामके द्वारा हो सकता है, जो किसी वस्तुपर प्रभाव करे चाहे वह वस्तु उस मनुष्यकी मिलकियत हो, जो हानि पहुँचानेका अपराध करता है चाहे उस मनुष्य और दूसरे मनुष्योंके साझेकी हो।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको अनीतिहानि पहुँचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी किसी दस्तावेजको जानबूझकर जलादे, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको अनुचित हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसके बर्फखानेमें पहुंचाए और इस प्रकारसे बर्फ पिघलनेका कारण हो, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका कारण हुआ।

(ग) शिवशंकर, रमाशंकरको हानि पहुंचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी अंगूठी जानबूझकर नदीमें फेंकदे, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(घ) शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरका जो ऋण मुझपर आता है, उसको चुकानेके लिये मेरा असबाब कुर्क होनेवाला है, उस असबाबको नष्ट कर डाले, इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको अपना ऋण पानेसे रोके और इसप्रकारसे रमाशंकरको हरजा पहुंचाए, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(च) शिवशंकर किसी जहाजका बीमा कराके जानबूझकर उस जहाजके नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिप्रायसे कि वह बीमेवालोंको हानि पहुंचाए; तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(छ) शिवशंकर किसी जहाजके नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरको जिसने उस जहाजपर रुपया ऋण दिया हो, हानि पहुँचाए, तो शिवशंकर हानि पहुंचानेका अपराधी हुआ।

(ज) शिवशंकर जो रमाशंकरके साझेमें किसी घोडेका मालिक हो, उस घोडेको गोली मारे इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको अनुचित हानि पहुंचाए, तो शिवशंकर हानि पहुंचानेका अपराधी हुआ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरके खेतमें चौपायोंके घुसजानेका कारण हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके खेतकी उपजको हानि पहुंचाए, तो शिवशंकर हानि पहुंचानेका अपराधी हुआ।

१—गुलजारीलालाको एक गढ़ेमेंसे कुछ मिट्टी ले लेनेके अपराधमें दफा ४२५ के अनुसार दंड हुआ-तजवीज हाईकोर्ट हुई कि अपराधीके कामसे ऐसी तुच्छ हानि पहुंची थी कि जिससे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ९५ सम्बन्ध रखती थी, इसलिये अपराधी छोड दिया गया। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह नवम्बर सन् १८६२ ई० सफा २२९)

२—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २९५ में लिखेहुए शब्द "वस्तु" से किसी जानदार वस्तुका अभिप्राय नहीं है। कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोड दिया जावे, एक वस्तु इस

दफाके अभिप्रायसे भीतर नहीं है, और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान चुराकर गोश्त और चमड़ेके लालचसे मारडालें, तो कोई अपराध दफा २९५ के अनुसार नहीं किया गया और सांड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर धनमें नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता ७ सफा २५२)

(४२६) जो कोई मनुष्य हानि पहुँचावे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी

हानि पहुँचानेका दंड.

कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों ही दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा होसकता है जब कि हानि अथवा हरजा किसी अपनेही मनुष्यका किया गया हो।

१—किसी ऐसे दस्तावेजका नष्ट कर डालना जिसमें ऐसे इकरारका नियम लिखा है, कि जो सभ्यताविरुद्ध होनेके कारण नाजायज (न मानने योग्य) है हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४२६ के हानि पहुँचानेके अपराधमें गिना जायगा। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफा ४०१)

२—उस जानवरका मालिक, जो किसी दूसरे मनुष्यके खेतपर जाकर उसके खेतोंको हानि पहुँचावे, हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४२६ के अनुसारमें लिखे हुए हानि पहुँचानेके अपराधका अपराधी नहीं ठहर सकता; सिवाय, उस अवस्थाके कि जब उसने उस जानवरको जानबूझकर उस खेतमें हँका दिया हो। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा १७३)

३—एक मनुष्य (अ) को किसी मजिस्ट्रेटने हानि पहुँचानेके अपराधमें दण्ड दिया, इस बात पर कि उसने २०) का एक प्रामीसरी नोट फाड डाला, तजवीज हुई कि जो अपराध अपराधीने किया है वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४७७ में गिना जायगा।

(४२७) जो कोई मनुष्य हानि पहुंचानेका अपराधी हो और उसके द्वारा पचास

हानि पहुँचानेके द्वारा पचास रुपया तकका हरजा पहुँचाना.

रुपये अथवा अधिककी हानि या हरजा का कारण हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है; अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है। सिवाय उस अवस्थाके कि जब हानि अपनेही मनुष्यकी की गई हो।

(४२८) जो कोई मनुष्य दश रुपयेके मोलके किसी पशु अथवा पशुओंके मारडालने

दश रुपयावाले किसी पशुको मारकर हानि पहुँचाना.

या विष देने या उसके किसी अंगको बेकाम करने अथवा उसको बेकाम करनेकेद्वारा, हानि पहुंचानेका अपराधी हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

(४२९) जो कोई मनुष्य किसी हाथी या ऊंट या घोडे या खच्चर या भैंस या बैल या गाय या बधियाको जिसका मोल चाहे जितना हो अथवा पचास रुपये या अधिक मोलके किसी दूसरे पशुको मार डालने या विष देने या उसके अंगको बेकाम अथवा उसको बेकाम करनेके द्वारा हानि पहुंचावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांच वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

पशुआदि अथवा पचास रुपयेके मोलका कोई पशु मार डालने आदिसे हानि पहुँचाना.

टीप—दफा ४२८ के अनुसार है । परन्तु इसकी तजवीज सेशनमें भी हो सक्ती है ।

१—अपराधीने एक सांडको, जो एक मनुष्य चुन्नीलालने हिन्दू धर्मशास्त्रके अनुसार अपने बचेरे भाईके मरने पर छोड रक्खा था, इस कारण गोलीसे मारडाला कि उसने अपराधीके खेतको कुछ हानि पहुंचाई थी मजिस्ट्रेटने उसको दफा ४२९ का अपराधी ठहराया—तजवीज हुई कि उपरोक्त सांड पर किसीका अधिकार न था, इसलिये दफा ४२९ का अपराध उसपर नहीं प्रमाणित होसकता (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अप्रेल सन् १८८४ ई० सफा ७८)

(४३०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वारा हानि पहुचावे, जिससे खेतीके कामों या मनुष्योंके खानेपीनेके कामों या ऐसे पशुओंके कि जो माल है खानेपीनेके कामों अथवा स्वच्छताके कामों अथवा कोई कारखाना चलनेके कामोंके लिये पानी का पहुंचाना घटे अथवा घटना अति सम्भवित हो—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांचवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

खेती आदिके लिये पानी की कमी करके हानि पहुंचाना.

टीप—दफा ४२९ के अनुसार है।

१—जब गवाहीसे यह बात पाई गई कि अकेला मुद्दई एक पानीका नहरका मालिक है, और अपराधीको किसी प्रकारका अधिकार नहीं है, तो अपराधीकी ओरसे पानीका कम कर देना दफा ४३० के अनुसार हानि पहुंचानेके अपराधमें गिना जायगा, चाहे वह उपरोक्त नहरका पानी कम करनेके मध्ये अपना अधिकार बयान करता हो ।

(४३१) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके, जिससे कोई सर्व सम्बन्धी मार्ग या पुल अथवा नाव चलने योग्य नदी या नहर या नाला दुघट हो जाय अथवा चलने या माल पहुंचानेके लिये आने जाने योग्य न रहे अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्न पडजावे अथवा ऐसा हो जाना वह अति सम्भवित जानता हो—हानि पहुंचावे—तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांचवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

सर्व सम्बन्धी मार्ग नदी या पुलको हानि पहुंचानेके द्वारा हानि पहुंचाना.

टीप—दफा ४२९ के अनुसार है ।

(४३२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वारा हानि पहुंचानेका अपराधी हो-जो किसी ऐसे सैलाब फैलानेका अथवा किसी नाबदानकी ऐसी रोकका कारण हो अथवा जिसको अपराधी जानता है कि उस कामके कारणसे ऐसे सैलाब फैलने अथवा ऐसी रोकका होना सम्भव है जिससे हानि या हरजा हो सकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांचवर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

अहलाकर अथवा पानीका निकास रोककर हानि पहुँचाना.

टीप—दफा ४२९ के अनुसार है।

(४३३) जो कोई मनुष्य किसी लायट हौस (प्रकाशगृह) अथवा किसी प्रकाशको जो समुद्री चिह्नकी भांति काममें आता हो; अथवा किसी समुद्री चिह्न या पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न, अथवा किसी और पदार्थका जो जहाज चलानेवालोंका मार्ग बतानेके लिये बनाया गया हो, मिटाने अथवा हटानेके द्वारा या किसी ऐसे कामके द्वारा, जो ऐसे लायट हौस या समुद्री चिह्न या पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न या उस प्रकारके किसी और पदार्थको जिसका वर्णन ऊपर हुआ, जहाजके चलानेवालोंको मार्ग बतानेके लिये कुछ एक बेकाम कर दे, हानि पहुंचानेका अपराधी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनोंप्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

लायट हौस (प्रकाशगृह) अथवा समुद्रके चिह्नको मिटाकर अथवा हटाकर अथवा कुछ एक निकम्मा कर देकर हानि पहुंचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है।

(४३४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे धरतीके ठीहेको जो सरकारी आज्ञानुसार बनाया गया हो, मिटाने अथवा हटानेके द्वारा, अथवा किसी ऐसे कामके द्वारा जिससे वह धरतीका ठीहा कुछ बेकाम हो जाय हानि पहुँचानेका अपराधी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

धरतीके ठीहे (चिह्न) को जो सरकारकी आज्ञानुसार बनाया गया हो मिटा कर अथवा हटाकर हानि पहुंचाना.

टीप—(१) प्रे० म० या० म०अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है

(४३५) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा हानि पहुंचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर कि किसी सौ रुपया अथवा अधिकके मालमें या जब कि जायदाद खेतीकी उपज हो, तो दश रुपया या अधिकके मालमें हरजा पहुंचाए, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा सौ रुपये तक हरजा पहुँचानेके अभिप्रायसे हानि पहुंचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे०म० या म०अ० या म०दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है(३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा(४)जमानत होसकतीहै(५) राजीनामा नहीं है।

(सब लोगोंको उचित है कि वे दफा ४३५ व ४३६ के अपराधोंकी सूचना दे) ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफा ४४ को देखो ।

(४३६) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा हानि पहुंचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी घरकी बरबादीका कारण हो, पूजाके स्थानकी भांति अथवा मनुष्योंके रहनेके स्थानकी भांति या माल असबाबके रखनेके स्थानकी भांति काममें आता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा घर आदि नष्ट करनेके अभिप्रायसे हानि पहुंचाना,

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा है ।

१—आगके द्वारा हानि पहुँचानेके अपराध (दफा ४३६) में यह बात अवश्य होना चाहिये कि आग ऐसे घरमें लगाई गई हो, जो मनुष्योंके रहनेके लिये काममें आता हो (बिल्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ३०)

(४३७) जो कोई मनुष्य किसी पटी हुई नाव (जहाज) अथवा किसी नावके मध्ये जिसमें ५६० मन अथवा अधिक बोझ लद सकता हो, हानि पहुंचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसको नष्ट करे अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्न डाले, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

पटी हुई नाव या ५६० मन बोझ ले जानेवाले नावको नष्ट करना अथवा उसको जोखिममें डालनेके अभिप्रायसे हानि पहुंचाना.

टीप—दफा ४३६ के अनुसार है ।

(४३८) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उड जानेवाले पदार्थके द्वारा उस हानिको पहुँचावे अथवा पहुंचानेका उद्योग करे, जो इससे पहिलेकी पिछली दफामें कही गई है, तो उस मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

पिछली दफामें कही हुई हानि पहुंचानेका दंड जब कि वह हानि आगके द्वारा अथवा किसी भकसे उड़ने वाले पदार्थके द्वारा पहुंचाई जाय.

टीप—दफा ४३६ के अनुसार है।

(४३९) जो कोई मनुष्य किसी नावको जानबूझकर कम गहरे पानीकी धरती पर टकराए, अथवा किनारेपर टकराए, इस अभिप्रायसे कि कोई माल जो उस नावमें हो चुराए या अधर्मसे उस मालको अनीतिव्यय (तसर्रुफ बेजा) में लाए अथवा इस अभिप्रायसे कि वह माल चुराया अथवा अनीतिव्ययमें लाया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

चोरी आदि करनेके अभिप्रायसे नावको किनारे पर टकराना.

टीप—दफा ४३६ के अनुसार है।

(४४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी मृत्यु या दुःख (जरर) या अनीति रोक (मुजाहिमतबेजा) की, या मृत्यु या दुःख या अनीति रोकके डर बतानेकी तैयारी करके हानि पहुंचावे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद पांच वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

मृत्यु अथवा दुःख (जरर) पहुँचानेकी तैयारीके उपरांत हानि पहुंचाना.

टीप—(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

दण्ड योग्य अनीतिप्रवेश (अनधिकार प्रवेश) (मदाखलत बेजा) मुजरिमाना—के वर्णनमें।

(४४१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल मिलकियतपर जिस पर दूसरेका अधिकार हो,—कुछ अपराध करने अथवा जिस मनुष्यका उस माल मिलकियत पर अधिकार हो, उसको डराने अथवा उसका अपमान करने अथवा उसको खेद पहुंचानेके अभिप्रायसे दखल करेगा, अथवा कानूनानुसार उस माल मिलकियतपर दखल करके उस मनुष्यको

दण्ड योग्य अनीति प्रवेश (मदाखलतबेजा मुजरिमाना).

डाने अथवा अपमान करने अथवा खेद पहुँचानेके अभिप्रायसे वहां अनीति रीति पर ठहरेगा, तो कहा जावेगा कि उसने "दंड योग्य मदाखलत बेजा" की । (देखो दफा ४०)

१—जो मनुष्य सर्व सम्बंधी मार्गसे तीन मीलकी दूरीपर किरायेपर नाव चलावे. उसके मध्ये दफा ४४१ का अपराध होना नहीं ठहराया जा सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ५२७)

२—लोकल फंडके किसी बाजारके भीतर केवल इस अभिप्रायसे जाना कि उसको महसूल न देना पड़े. मदाखलतबेजाके अपराधमें नहीं आता है । (इ०ला०रि०मदरास जिल्द ५ सफा३८२)

३—जब कोई अजनबी मनुष्य विना बुलाए और बिना किसी अधिकारके आधीरातको किसी प्रतिष्ठित स्त्रीके सोनेवाले कमरेमें घुसे, और जब उसके पकड़नेकी इच्छा की जावे; तो वह वहांसे भागनेके लिये बहुतसा यत्न व श्रम करे-ऐसी अवस्थामें अदालतको जान लेना चाहिये कि उसका कमरेमें घुसना इस अभिप्रायसे था, जिसका वर्णन हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४४१ में हुवा है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १६ दफा ६५७)

घरकी मदाखलत बेजा (अनधिकार प्रवेश)

(४४२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे घर या डेरे या नावमें जो मनुष्योंके रहनेकी भांति काममें आती हो अथवा किसी ऐसे घरमें जो पूजाके लिये अथवा मालकी चौकसीके लिये काममें आता हो, घुसने अथवा ठहरे रहनेके द्वारा दंड योग्य मदाखलत बेजा करे, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने "घरकी मदाखलत बेजा" की ।

स्पष्टीकरण—दण्ड योग्य मदाखलतबेजा करनेवाले मनुष्यका कोई अंग घरमें पहुँच जाना घरकी मदाखलतबेजाके लिये काफी समझा जायगा । (देखो दफा ४०)

१—जब कोई मनुष्य हवालातमें इस अभिप्रायसे दाखिल हो कि वह एक कैदीके पास कि जिसकी तजवीज होनेको है, खाना ले जाए अथवा ले जानेका यत्न करे; तो उसका काम हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४४२ में कहे हुए मदाखलतबेजाके अपराधमें न गिना जायगा । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३०१)

छिपाकर घरकी मदाखलत बेजा.

(४४३) जो कोई मनुष्य पहिलेसे यह यत्न करके घरकी मदाखलतबेजा करे, कि जो मनुष्य उसको उस घर या डेरे या नावसे, कि जिसमें मदाखलत बेजा की जाय, निकाल देने अथवा रोकनेका अधिकार रखता हो, उससे वह मदाखलत बेजा छिपी रहे, तो कहा जायगा कि उसने "छिपाकर घरकी मदाखलत बेजा" की ।

("छिपाकर घरकी मदाखलतबेजा" से अभिप्राय "घरमें मदाखलतबेजा करनेके लिये घात लगाना" है)

छुपाकर रातके समय घरकी मदाखलतबेजा.

(४४४) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके उपरांत और सूर्योदयसे पहिले छुपाकर घरकी मदाखलतबेजा करे तो कहाजावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने "छिपाकर रातके समय घरकी मदाखलतबेजा" की।

घर फोडना (नकबजनी)

(४४५) वह मनुष्य जो "घरकी मदाखलतबेजा" का अपराधी हो "घर फोडने" वाला कहलावेगा, यदि वह घर अथवा घरके किसी भागमें नीचे लिखे हुए छः प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारपर मदाखलत करे, अथवा, यदि कोई अपराध करनेके लिये घरमें या उसके किसी भागमें उपस्थित हो अथवा वहां किसी अपराधको करके बतलाये हुए छः प्रकारोंमेंसे किसी एक प्रकारपर उस घरसे अथवा उस घरके किसी भागसे बाहर निकल आये—अर्थात्—

पहिले—यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर जाए अथवा बाहर निकले, जो स्वयं उसने ही अथवा घरकी मदाखलतबेजाके किसी सहायकने घरकी मदाखलतबेजा करनेके लिये बना लिया हो।

दूसरे—यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसजाए अथवा बाहर निकल आए, जो सिवाय उसके अथवा उस अपराधके किसी सहायकके और किसी मनुष्यके आनेजानेके अभिप्रायसे न बना हो अथवा किसी ऐसे मार्गसे होकर जहां वह निसेनी लगाकर अथवा दीवारपर या घरपर चढकर पहुंचा हो।

तीसरे—यदि वह किसी ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसे या बाहर निकले जिसको उसने स्वयं अथवा घरकी मदाखलत बेजाके किसी सहायकने घरकी मदाखलतबेजा करनेके लिये ऐसे यत्नोंसे खोल लिया हो जिनसे उस मार्गका खोला जाना घरके रहनेवालेके विचारमें न हो।

चौथे—यदि वह घरकी मदाखलतबेजा करनेके लिये, अथवा घरकी मदाखलतबेजा करनेके पश्चात् घरसे बाहर निकलनेके लिये कोई ताला खोलकर घुसजाए अथवा बाहर निकल आए।

पांचवें—यदि वह अनीतिबल (जबरमुजरिमाना) को काममें लाकर अथवा आक्रमण (हमला) करके अथवा किसी मनुष्यको आक्रमणकी धमकी देकर भीतर घुसजाए अथवा बाहर निकल जाए।

छठवें—यदि वह किसी ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसे या बाहर निकले कि जिसको वह जानता हो कि वह ऐसे घुसने अथवा निकलनेकी रोकके लिये बन्द किया गया है और वह स्वयं उसहीने अथवा घरकी मदाखलतबेजाके किसी सहायकने खोल लिया हो।

स्पष्टीकरण—कोई शागिर्द पेशेका घर अथवा और कोई घर जिस घरमें रहनेवालका अधिकार हो और जिसके तथा उस घरके बीचमें कोई जानेके लिये भीतरी मार्ग (पैवस्त अन्दरूनी आमदरफ्त) हो, इस दफाके अर्थ अनुसार उसी घरका भाग है।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरके घरकी दीवारमें छिद्र करके और उस छिद्रमें हाथ डालके घरकी मदाखलतबेजा की, तो यह घर फोडना हुआ—

(ख) शिवशंकर किसी जहाजके भीतर एक धुंधुवेकी राहसे; जो पटावके बीचमें हो घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोड़ना है ।

(ग) शिवशंकर एक खिडकी की राहसे रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे तो यह घर फोडना है।

(घ) शिवशंकर एक बंद द्वार खोलकर उसकी राहसे रमाशंकरके घरके भीतर पहुंचकर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोड़ना है ।

(च) शिवशंकरने रमाशंकरके द्वारके किवाड़की बिल्ली एक छिद्रमें तार डालकर उठा दी और घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा की, तो यह घर फोड़ना हुआ।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरके घरके द्वारकी कुंजी जो रमाशंकरके पाससे खोगई हो पाए और उस कुंजीसे द्वारका ताला खोल रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है।

(ज) शिवशंकर अपने द्वारमें खड़ा हो और रमाशंकर उसको मारकर तथा गिराकर बलपूर्वक घरमें घुसे और घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोड़ना है ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरका पौरिया रमाशंकरके द्वारमें खड़ा होता और उमाशंकर शिवशंकरको इस बातकी धमकी देकर कि जो तू मुझको जानेसे रोकेगा तो पीटाजायगा, घरमें घुसजावे, और घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोड़ना है ।

(४४६) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके पश्चात् और सूर्योदयसे पहिले घर फोडे, तो रातके समय घर फोडना. } कहा जायगा कि उसने रातके समय घर फोडा ।

१—दीवारपर कमंदके द्वारा चढकर घरमें पहुंचना दफा ४४६ के अपराधमें गिनाजायगा (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा २५)

२—दूकानका द्वार तोड़कर भीतर घुसना, रातके समय घरका फोड़ना है न कि केवल रातके समय घरकी मदाखलत बेजा (बी० रि० जिल्द ४ स० १९)

(४४७) जो कोई मनुष्य दंड योग्य मदाखलतबेजाका अपराधी हो, उसको दोनों दंड योग्य मदाखलत बेजाका दंड. } प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो पांच सौ रुपयातक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

१—(अ) का (ब) के खेतसे कुछ सम्बन्ध न था, उसने एक हिरन पर जो (ब) के खेतके पास था गोली चलाई. हिरन (ब) के खेतकी ओर चला गया (अ) हिरनके पीछे (ब) के खेतमें घुसा—तजवीज हुई कि (अ) का यह काम मदाखलत बेजाकी सीमातक नहीं पहुँच सकता (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८३७)

२—सर्व साधारण नदीके किसी भागमें अकेले एकही मनुष्यको मछली मारनेका अधिकार था, यदि कोई दूसरा मनुष्य अनुचित रीतिपर उस अधिकारको तोड डाले, तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहमें लिखे हुए मदाखलत बेजाके अपराधका अपराधी न होगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३५४)

३—एक कानिस्टेबिल व दूसरे मनुष्योंने किसी घरके भीतर घुसकर कुछ मनुष्योंको जुवा खेलते हुए पकडा, परन्तु कानिस्टेबिलने उन जुवारियोंसे कुछ रुपया लेकर उन्हें छोड दिया—ऐसी अवस्थामें अपराधीने मदाखलत बेजा व दबाकर लेनेका अपराध नहीं किया, वरन् कानिस्टेबिलके मध्ये घूस लेनेका अपराध हुवा और दूसरे मनुष्योंके मध्ये अपराधमें सहायता करनेका । (बी० रि० जिल्द ५ सफा ४९)

घरकी मदाखलतबेजाका दंड.

(४४८) जो कोई मनुष्य घरकी मदाखलत बेजाका अपराधी हो, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है, अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है ।

१-(अ) ने (ब) की विना आज्ञा उसके घरमें घुसकर उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किया तजवीज हुई कि (अ) को व्यभिचार और घरकी मदाखलतबेजाके अपराधमें अलग अलग दण्ड दिया जासकता था क्योंकि वे अलग अलग अपराध थे।(पंजाब रिकार्ड नं० ५ सन् १८७१ ई०)

कोई ऐसा अपराध करनेके लिये जिसका दंड वध हो घरकी मदाखलत बेजा करनी.

(४४९) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदले वधका दंड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे, तो उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(४५०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये, जिसके बदलेमें जन्मभरके देश निकालेका दंड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

जन्म भरके देश निकाले दण्ड योग्य कोई अपराध करनेके लिये घरकी मदाखलत बेजा करनी.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(४५१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें कैदका दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है चोरी हो, तो कैदकी मीआद सात वर्षतक होसकती है।

कैदके दंड योग्य अपराध करनेके लिये घरकी मदाखलत बेजा करनी.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

और जब कि चोरी करनेकी इच्छा हो तब:—

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है। (५) राजीनामा नहीं है।

(४५२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख (जरर) पहुंचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण (हमला) करने या किसी मनुष्यकी अनीतिरोक (मुजाहिमत बेजा) करनेके लिये, अथवा किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकका डर दिखानेके लिये तैयारी करके घरकी मदाखलतबेजा करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी मनुष्यको दुःख (जरर) पहुंचानेकी तैयारीके उपरांत घरकी मदाखलत बेजा करना.

टीप-दफा ४५१ के नं० २ के अनुसार है।

१—जब कोई मनुष्य गिरफ्तारीके एक जाली वारंट द्वारा किसीके घरमें जाकर किसी मनुष्य को उसकी इच्छाके विरुद्ध उस वारंटके जोरसे पकड़ लावे, तो वह घरकी मदाखलतबेजाका अपराधी दफा ४५२ के अनुसार समझा जायगा। (बी० एल० जिल्द १२ सफा ३३)

(४५३) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाखलतबेजा अथवा घर फोड़नेका अपराधी हो, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

छुपकर घरकी मदाखलत बेजा अथवा घर फोडनेका दंड.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीकेनाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(बेतके दंडके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० दफा २ व ३ व ४ को देखो)

१—जब अपराधी एक दूकानके बाहर पकड़ा गया और उस दूकानका द्वार टूटा हुआ मिला तो अपराधीपर घर फोडनेका अपराध ठहराया गया। (बो० रि० जिल्द ४ सफा १४)

(४५४) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें कैदका दंड ठहराया गया है—छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करे अथवा घर फोडे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा हो चोरी हो तो कैदकी मीआद दशवर्षतक होसकती है।

कैदके दण्ड योग्य किसी अपराधको करनेके लिये छिपकर घरकी मदाखलत बेजा अथवा घर फोडना.

टीप—दफा ४५२ के अनुसार है।

(४५५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको चोट पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण करने अथवा किसी मनुष्यके अनीति रोक करनेकी या किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीति रोकका डर दिखानेकी तैयारी करके छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करे अथवा घर फोडे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद १० वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी मनुष्यको चोट पहुंचानेकी तैयारी करनेके उपरांत घरकी मदाखलत बेजा अथवा घर फोडना.

टीप—दफा ४५२ के अनुसार है।

(४५६) जो कोई मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करे अथवा रातके समय घर फोडे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करने अथवा घर फोडनेका दंड.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—रातके समय घर फोडने और चोरी करनेका अपराध एकही है और उनके मध्ये अलग अलग दंड नहीं होसकता । (बी० रि० जिल्द २ सफा ६३)

२—हथियारोंसे सजे हुए पांच मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजाका अपराध करते हुए पाए गए—एक मनुष्य, घरमें छेद कर रहा था और बाकी चार मनुष्य पहरेपर खडे थे—जब हल्ला हुआ तब पडोसी लोग दौडे आये और उन चोरोंमेंसे एक मनुष्यने एक गांववालेको काट डाला—तजवीज हुई कि जो अपराध उन्होंने किया था, वह रातके समय घर फोडनेका था न कि डकैतीका । (बी० रि० सन् १८६४ इ० सफा ३९)

(४५७) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें कैदका दंड ठहराया गया है; रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा अथवा रातके समय घर फोडे, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है, चोरी हो, तो कैदकी मीआद चौदह वर्षतक होसकती है ।

कैदके दंड योग्य कोई अपराध करनेके लिये रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत-बेजा करना अथवा रातके समय घर फोडना.

टीप—दफा ४५६ के अनुसार है ।

१—तसद्दुके हुसेनने जो अपने चचाक साथ एकही घरमें रहा करता था; एक सन्दूक तोडकर उसमेंसे माल निकाल लिया—तजवीज हुई कि वह रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत-बेजाका अपराधी ठीक ठीक नहीं ठहर सकता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफा ३०१)

२—जब किसी मनुष्य पर, चोरीके अभिप्रायसे रातके समय घर फोडनेका अपराध दफा ४५७ के अनुसार और चोरीका अपराध दफा ३८० के अनुसार प्रमाणित होवे, तो उसको एक दंड दोनों अपराधोंके मध्ये अथवा अलग अलग दंड प्रत्येक अपराधके मध्ये दिया जासकता है. परन्तु नियम यह है कि कुल दंडकी मीयाद उस दंडसे अधिक न हो जो बडे अपराधके मध्ये दिया जासकता हो । (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १ सफा २१४)

(४५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको चोट पहुंचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण करने अथवा किसी मनुष्यकी अनीतिरोक (मुजाहिमत बेजा) करनेकी तैयारी करके अथवा किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकके डर दिखानेकी तैयारी करके रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करे अथवा रातके समय घर फोडे, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद चौदह वर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

किसी मनुष्यको चोट पहुँचानेकी तैयारीके उपरांत रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करनी अथवा रातके समय घर फोडना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(४५९) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करने अथवा घर फोड़नेकी अवस्थामें किसी मनुष्यको भारी चोट (जररशदीद) पहुंचाए, अथवा किसी मनुष्यके वध या भारी चोट पहुंचानेका उद्योग करे, तो उसको जन्मभरके लिये देश निकाले का दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करने अथवा घर फोड़नेकी अवस्थामें भारी चोट (जरर शदीद) पहुंचाना.

टीप-(१) अ० से० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दफा ४५९ व ४६० का अपराध प्रमाणित करनेमें इस बातकी आवश्यकता है कि वह भारी दुःख (जररशदीद) घर फोड़नेके समयमें पहुँचाया गया हो न कि घर फोड़े जाने तथा अपराधीके घरसे चले जानेके उपरांत । (पं० रि० नं० १७ सन् १८७६ ई०)

(४६०) यदि रातको छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करते समय अथवा रातको घर फोड़ते समय कोई मनुष्य जो उपरोक्त अपराधका अपराधी है जानबूझकर किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुंचावे अथवा पहुंचानेका उद्योग करे तो प्रत्येक मनुष्यको, जो उपरोक्त मदाखलतबेजा अथवा घर फोड़नेमें साझी हो, जन्मभरके देश निकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

सब मनुष्य जो घर फोड़ने आदेमें साझी हों. किसी मृत्यु अथवा भारी दुःख के बदले जो किसी एकने किया हो दण्डके योग्य होंगे.

टीप--दफा ४५९ के अनुसार है ।

१—जो मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करनेमें घरके स्वामीको जो उसके पकड़नेका यत्न करे या जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे तो वह दफा ४६० के ही अनुसार दंडयोग्य होगा न कि दफा ४५७ व ३२४ के अनुसार । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५२)

(४६१) जो कोई मनुष्य बददियानती (कुभाव) से अथवा हानि पहुंचानेके अभिप्रायसे किसी बंद किये हुए घर अथवा सन्दूक आदिको जिसमें माल हो अथवा जिसमें मालका होना यह निश्चय करता हो तोडकर खोले अथवा उसका बंद (जोड) खोले, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

बददियानती (कुभाव) से किसी बन्दघरको जिसमें माल भरा हो तोड़कर खोलना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४६२) जो कोई मनुष्य जिसको कोई बन्द किया हुआ घर आदि धरोहरकी रीतिपर सिपुर्द हो जिसमें कुछ माल हो अथवा जिसमें मालका होना वह निश्चय करता हो, बददियानतीसे अथवा हानि पहुंचानेके अभिप्रायसे विना इसके कि उसके खोलनेकी उसे आज्ञा हो उस घर आदिको तोडकर खोले अथवा उसका बंद खोले, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

उसी अपराधका दंड जब कि रक्षकही अपराध करे.

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय अठारहवाँ १८.

उन अपराधोंके वर्णनमें जो दस्तावेजोंसे और व्यापार अथवा मालके चिह्नोंसे सम्बन्ध रखते हैं ।

(४६३) जो कोई मनुष्य कोई झूँठ दस्तावेज अथवा उसका कोई भाग इस अभिप्रायसे बनाए कि वह सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको हरजा या हानि पहुंचाए अथवा किसी दावे या अधिकारको प्रमाणित करे, अथवा किसी मनुष्यसे कोई माल अलग कराए, अथवा किसी प्रगट या अप्रगट करार करानेका कारण हो, अथवा इस अभिप्रायसे कि, छल किया जावे या छल करे, तो उपरोक्त मनुष्य जालसाजीका करनेवाला कहलावेगा ।

जालसाजी.

१—कैदीने स्वयं अपनी असावधानी छिपानेके अभिप्रायसे सरिस्तेकी एक कैफियतको बदल दिया–तजवीज हुई कि अपराधीका काम, हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४६३ में लिखे हुए जालसाजीके अपराधमें नहीं गिना जा सकता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा ११)

२—किसी पिछली असावधानीको छिपानेके अभिप्रायसे मिसलमें कोई झूठी इबारत लिख देना जो छलकी सीमातक न पहुँचती हो जालसाजी नहीं है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ४ सफा ६५७)

३—दस्तावेजकी नकलमें जाल बनाना दफा ४६३ में लिखा हुआ जालसाजीका अपराध है । (वीक्ली रिपोर्टर इजलास कामिल सफा ७१)

४—किसी नियत की हुई झूंठी दस्तावेजकी नकल तैयार करने और उस झूंठी दस्तावेजके लिखे जानेके लिये कागज स्टाम्प मोल लेने और यह दरियाफ्त करनेसे कि उस दस्तावेजमें क्या लिखा जायगा–जालसाजी अथवा जालसाजीके उद्योगका अपराध नहीं ठहर सकता, बरन् यह बातें ऐसी हैं जिनसे जालसाजीकी सहायताका अपराध प्रमाणित हो सकता है क्योंकि इन कामोंसे अपराधके करनेमें सहलता होती है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफा ५)

५—अपराधी एक सरकारी नौकर है जिसके पास कुछ दस्तावेजें रहा करती थीं, उसको उपरोक्त दस्तावेजोंके पेश करनेके लिये आज्ञा हुई और अपराधी उनको पेश न करसका, तब उसने अपनेको दण्डसे बचानेके अभिप्रायसे उसी प्रकारकी दस्तावेजें बनाकर पेश करदीं—तजवीज हुई कि इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेजें ऐसे कागज अथवा लेख नहीं हैं कि जिसकी तैयारीका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, इसलिये अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २१८ के अनुसार दंड नहीं हो सकता था, और न उपरोक्त दस्तावेजें जाली प्रमाणित हुई थीं, क्योंकि वे उस अभिप्रायसे न बनाई गई थीं जिनका वर्णन दफा ४६३ में है इसलिये अपराधीको दफा४७१ के अनुसार भी दंड नहीं हो सकता था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा ३५३)

६—एक खेतके मोल लेनेवालोंने, कि जिस खेतका नम्बर ठीक ठीक २७२ था और जो बैनामेकी दस्तावेजमें भूलसे २१० लिखा दिया गया था उस नम्बरको ठीक कर दिया अर्थात्२१० के स्थानपर २७२ बना दिया—तजवीज हुई कि उपरोक्त नम्बरका बदलना दफा ४६३ में लिखे हुए जालसाजीके अपराधकी सीमातक नहीं पहुंचता था क्योंकि वह छलसे अथवा अधर्मसे नहीं बनाया गया था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २१७)

झूठी दस्तावेज बनाना। } (४६४) उस मनुष्यके मध्ये कहा जायगा कि उसने झूठी दस्तावेज बनाई।

पहिले—जो कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजका कोई भाग अधर्मसे अथवा छलसे बनाए, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर करे, अथवा उसको लिखे, या कोई ऐसा चिह्न करे जिससे किसी दस्तावेजका लिखा जाना प्रगट हो, और उसका अभिप्राय इस बातके निश्चय करादेनेका हो कि वह दस्तावेज अथवा दस्तावेजका वह भाग उस मनुष्यने बनाया, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर की अथवा उसने लिखा, या ऐसे मनुष्यकी आज्ञासे बनाया गया, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर की गई, अथवा वह लिखी गई है जिसको वह जानता है कि उस मनुष्यने न तो उसे बनाया न उसपर दस्तखत या मुहर की न उसने लिखा या न उसकी आज्ञासे वह बनाई गई, न उसपर दस्तखत या मुहर की गई, न वह लिखीगई अथवा ऐसे समयपर जिसमें वह जानता है कि वह न बनाई गई, न उसपर दस्तखत या मुहर की गई न वह लिखीगई, अथवा—

दूसरे—जो बिना उचित अधिकारके अधर्मसे अथवा छलसे काटकर अथवा किसी और प्रकार किसी दस्तावेजको, उसके किसी मुख्य भागमें बदले, इसके पश्चात् कि उस दस्तावेजको स्वयं उसीने अथवा किसी दूसरे मनुष्यने बनाया हो अथवा लिखा हो, चाहे वह दूसरा मनुष्य उस बदलनेके समय जीता हो अथवा मरगया हो; अथवा—

तीसरे—जो अधर्मसे अथवा छलसे किसी दस्तावेजपर किसी मनुष्यसे दस्तखत या मुहर कराए अथवा उसको लिखवावे या बदलावे यह जानकर कि वह मनुष्य दस्तावेजके मजमून अथवा बदलनेके आशयको सिडीपने अथवा नशेमें होनेके कारण नहीं जान सकता अथवा किसी धोखेसे जो उसको दिया गया है नहीं जानता है।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरके पास १०००० रुपयेतकका रुक्का रमाशंकरके नामपर उमाशंकरका लिखा हुआ हो और शिवशंकर रमाशंकरको टग लेनेके अभिप्रायसे दश हजारकी संख्यापर एक शून्य बढ़ाकर एक लाख बनाए, इस अभिप्रायसे कि रमाशंकर निश्चय करे कि उमाशंकरने वह रुक्का ऐसाही लिखा है तो शिवशंकरने जालसाजी की—

(ख) शिवशंकर बिना आज्ञा रमाशंकरके रमाशंकरकी मुहर एक दस्तावेजपर लगावे, जिसका आशय इस प्रकारका जानपड़े कि उसके अनुसार कोई मिलकियत रमाशंकरकी ओरसे शिवशंकरके अधिकारमें आवे, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर उस मिलकियतको उमाशंकरके हाथ बेचे और उसके द्वारा विक्रीका रुपया उमाशंकरसे प्राप्त करे–तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरका कोई पड़ा हुआ दस्तखती रुक्का जो किसी साहूकारके नाम हो उठाले, जिसका रुपया रुक्केके अधिकारीको मिलता हो, परन्तु उपरोक्त रुक्केमें रुपयेकी तादाद न लिखी हो, शिवशंकर उस रुक्केमें दश हजार रुपया लिखकर उस रुक्केको छलसे काममें लावे–तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(घ) शिवशंकर अपने गुमाश्ते रमाशंकरको अपना दस्तखती एक रुक्का किसी साहूकारके नामका देवे, जिसमें रुपयेकी तादाद न लिखी हो–परंतु वह रमाशंकरको यह आज्ञा दे कि अमुक अमुक मनुष्योंका रुपया देनेके लिये उस रुक्केमें कोई तादाद जो दश हजार रुपयेसे अधिक न हो; लिखकर उसको पूरा करे–और रमाशंकर छलसे रुक्केमें बीसहजार रुपया लिखलेवे–तो रमाशंकरने जालसाजी की।

(च) शिवशंकर कोई हुंडी अपने ऊपर रमाशंकरके नामसे विना आज्ञा रमाशंकरके लिखे, इस अभिप्रायसे कि उसको सही हुंडीकी रीतिपर किसी साहूकारसे मिती कटवाकर पटाले और उसका यही अभिप्राय हो कि अवधि पूरी होजानेपर उस हुंडीका रुपया अदा करे, तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर साहूकारको यह धोखा देनेके अभिप्रायसे हुंडी लिखता है कि उसको यह निश्चय कराए कि वह रमाशंकरकी जमानत रखता है और उसके द्वारा हुंडीको मिती काटकर पटाले, इसलिये शिवशंकर जालसाजीका अपराधी है।

(छ) रमाशंकरके वसीयतनामेमें यह लिखा हो कि "मैं आज्ञा देताहूं कि मेरा बचा हुआ सब धन शिवशंकर व उमाशंकर व गिरिजाशंकरमें बराबर बराबर बांटाजाय" शिवशंकर अधर्मसे उमाशंकरका नाम छील डाले, इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय कर लिया जाय कि वह सब बचा हुआ धन उसके और गिरिजाशंकरके लिये है; तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ज) शिवशंकर किसी गवर्नमेंट प्रामेसरी नोटपर नीचेकी इबारत लिखकर कि, "रमाशंकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे इसका रुपया दियाजाय" और उस लिखी हुई इबारतपर दस्तखत करके रमाशंकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे नोटका रुपया पाने योग्य कर दे, और उमाशंकर यह इबारत कि, "रमाशंकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे रुपया दिया जाय" अधर्मसे छील डाले और उस इबारतको विना नामकी इबारत कर दे; तो उमाशंकरन जालसाजी की।

(झ) शिवशंकर कोई मिलकियत रमाशंकरके हाथ बेचे और उस पर उसका अधिकार करवा दे और फिर इसके पश्चात् इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरको उस मिलकियतसे छल करके दूर कर शिवशंकरको दे, उस मिलकियतका बैनामा उमाशंकरके नाम लिख दे, जिसके लिखनेकी तारीख रमाशंकरके बैनामेकी तारीखसे छः महीने पहिलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि यह बात निश्चय कर लीजावे कि शिवशंकर उस मिलकियतको रमाशंकरके हाथ बेचनेसे पहिले उमाशंकरको बेच चुका था, तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ट) रमाशंकर शिवशंकरको अपना वसीयतनामा लिखनेके लिये जबानी इबारत बताता जाय और शिवशंकर उस अधिकारीके नामके बदले जो रमाशंकरने बताया है किसी दूसरे अधिकारीका नाम लिख दे और रमाशंकरसे यह कहकर कि तुम्हारी आज्ञानुसार मैंने वसीयतनामा तैयार किया है, रमाशंकरको उस वसीयतनामेपर दस्तखत करनेके लिये बहँकावे, तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ठ) शिवशंकर एक चिट्ठी लिखकर, विना आज्ञा रमाशंकरके, उसपर रमाशंकरके दस्तखत करले और उसमें यह लिखा हो कि शिवशंकर नेकचलन है और दैवी आपदाओंके कारण दुःखित है, इस अभिप्रायसे कि उस चिट्ठीके द्वारा उमाशंकर और दूसरे मनुष्योंसे भिक्षा पावे, तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकरने इस अभिप्रायसे एक झूठा दस्तावेज बनाया कि जिससे उमाशंकरका माल अलग किया जावे, इसलिये शिवशंकरने जालसाजी की।

(ड) शिवशंकर कोई चिट्ठी विना आज्ञा रमाशंकरके लिखकर उसमें रमाशंकरके दस्तखत करले, उसमें शिवशंकरकी नेक चाल चलनके मध्ये लिखा हो, इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा उमाशंकरके नीचे कोई नौकरी पावे, तो शिवशंकरने जालसाजी की—क्योंकि उसने उमाशंकरको जाली सार्टीफिकटके द्वारा धोखा देनेके अभिप्रायसे और उसके द्वारा उमाशंकरको नौकरीके मध्ये एक प्रगट अथवा अप्रगट इकरार करनेके लिये फुसलाया।

स्पष्टीकरण—१—किसी मनुष्यका स्वयं अपनेही नामका दस्तखत करना जालसाजीकी सीमातक पहुँच सकता है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर किसी हुंडीपर अपने नामके दस्तखत इस अभिप्रायसे करे कि यह बात निश्चय कर लीजावे कि उस हुंडीको उसके नामवाले किसी दूसरे मनुष्यने लिखा है तो शिवशंकरने जालसाजी की।

(ख) शिवशंकर शब्द "सकारी" किसी कागजपर लिखै और उसपर रमाशंकरके नामका दस्तखत कर दे इसलिये कि उमाशंकर अंतको उसी कागजपर एक हुंडी अपनी ओरसे रमाशंकरके ऊपर लिखे और उसको रमाशंकरकी सकारी हुई हुंडीकी रीतिपर बेचडाले; तो शिवशंकर जालसाजीका अपराधी है और यदि उमाशंकर इस यथार्थ बातको जानकर शिवशंकरकी इच्छाके अनुसार हुंडी उस कागजपर लिखे; तो उमाशंकरभी जालसाजीका अपराधी है।

(ग) शिवशंकर कोई पड़ी हुई हुंडी जिसका रुपया उसी नामके किसी दूसरे मनुष्यकी आज्ञासे अदाके योग्य हो उठाले और उसकी पीठपर अपने नामसे बेचेकी इबारत लिख दे, इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा यह निश्चय कर लिया जावे कि यह बेचेकी इबारत इस मनुष्यने लिखी है जिसकी आज्ञानुसार रुपया भुगतानके योग्य है, तो इस अवस्थामें शिवशंकर जालसाजीका अपराधी है।

(घ) शिवशंकर कोई मिलकियत मोलले, जो रमाशंकरके ऊपर किसी डिगरीके मध्यमें नीलाम हुई हो—रमाशंकर उस मिलकियतको कुर्की होजानेसे पीछे उमाशंकरके साथ मेल करके उसी मिलकियतका ठेका उमाशंकरकी थोड़ीसी जमापर एक बड़ी मीआदके लिये लिख दे, और लिखनेकी मिती कुर्कीकी मितीसे छः महीना पहलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर छल द्वारा मिलकियतसे दूर कियाजाय, और यह निश्चय कराए कि ठेका कुर्कीसे पहिले दिया गया है उस अवस्थामें यद्यपि रमाशंकरने वह ठेका अपने नामसे लिखा है, तथापि उसमें पीछेकी तारीख लिखनेके कारण वह जालसाजीका अपराधी है।

(च) शिवशंकर एक व्यापारीने अपना दिवाला निकालनेके पहिले अपने लाभके लिये कोई माल असबाब रमाशंकरके पास रख दिया और अपने व्योहरोंको टगनेके अभिप्रायसे तथा मामलेकी जड़ जमानेके प्रयोजनसे एक तमस्सुक इस आशयका लिख दिया कि मुझको रमाशंकरका इतना रुपया उस मालियतके मध्ये देना उचित है कि, जो मैं पा गया हूं और उस तमस्सुकमें कोई पिछली मिती लिखदी, इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह उससे पहिले लिखा गया है कि जब शिवशंकर दिवाला निकालनेको था—तो शिवशंकर पहिले वर्णन की हुई जालसाजीके अपराधका अपराधी है।

स्पष्टीकरण—२ किसी झूठे दस्तावेजका किसी कल्पित मनुष्यके नामसे बनाना, इस अभिप्रायसे कि यह बात निश्चय की जाय कि वह दस्तावेज किसी सच्चे मनुष्यने लिखा है अथवा उसका किसी मरेहुए मनुष्यके नामसे बनाना इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह दस्तावेज उस मनुष्यने अपने जीतेजी लिखा है, जालसाजीकी सीमातक पहुंच सकता है।

उदाहरण।

शिवशंकर कोई हुंडी किसी कल्पित मनुष्यके ऊपर लिखे और छलपूर्वक उस कल्पित मनुष्यके नामसे उस हुंडीको सकारे, इस अभिप्रायसे कि उसको बेच डाले, तो शिवशंकर जालसाजीका अपराधी हुआ है।

१—जब दस्तावेजकी तारीख कि जो और दूसरे प्रकारपर रजिस्टरीके लिये न पेश होसकती थी रजिस्टरी करा पानेके अभिप्रायसे बदली गई, तो यह जालसाजीका अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४८२)

२—अपराधीने बंदोबस्तके हाकिमसे इस बातका प्रमाण पानेके लिये कि अपराधी लास करके लकबका अधिकारी है. एक सनद उपरोक्त हाकिमके सामने जिससे उपरोक्त लकबका पाया जाना प्रगट होता था पेश की, यह सनद असली नहीं है। तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४६५ व ४७१ के अनुसार दंड देना अनुचित है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ५८४)

३—अपराधी दफ्तर सब डिवीजनलमें नकलनवीस था, उसने क्लर्कीकी नौकरी पानेके लिये दरख्वास्त दी, जो उस वक्त एक दफ्तरमें खाली थी—गवाहीसे पाया गया कि जो सिफारिशकी चिट्ठी सब डिवीजनल अफसरकी ओरसे लिखी जानपडती थी, वह, अपराधीने झूंठी लिखी थी—इस दरख्वास्तके साथ एक दूसरी चिट्ठी भी शामिल थी, जो साहब कलक्टरकी ओरसे सब

डिवीजनल अफसरके नाम जान पड़ती थी—परन्तु जब हाकिम सब डिवीजनने कलक्टर साहबकी चिट्ठीपर संदेह कर एक निजी चिट्ठी साहब कलक्टरको उसकी असलियत जाननेके लिये डाकखानेमें भेजी, तब अपराधीने एक तीसरी चिट्ठी झूँठी लिखकर हाकिम सब डिवीजनकी ओरसे पोस्टमास्टरके नाम इस अभिप्रायसे भेजी कि निजी चिट्ठी साहब कलक्टरके नामकी रवाने न की जावे तजवीज हुई कि यह पहिली दो चिट्ठियोंके मध्ये हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४६४ का अपराध ठहर सकता है; परन्तु तीसरीके मध्ये यह नहीं कहा जासकता कि उसने उसको अधर्म अथवा छलसे उपरोक्त दफाके अर्थ अनुसार झूठी बनाया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३३९)

४—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४६३ में लिखे हुए शब्द दावेकी सम्बन्ध दावा जायदादके साथ नहीं कहा जासकता—उपरोक्त दफामें लिखे हुए शब्द जायदादमें सार्टीफिकट तहरीरी शामिल होगा—और दफा ४६३ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य नहीं है, कि वह जायदाद जिससे यह अभिप्राय हो कि झूँठी लिखावट किसी मनुष्यको अलग करा देगी उस समय मौजूद हो जब झूँठी लिखावट बनाई गई।

एक मनुष्यने प्रिंसपिल क्वीन्स कालेज बनारसके सामने एक सार्टीफिकेट झूँठा, जिसका दिया जाना प्रिंसिपल केनिंग कालेज लखनऊकी ओरसे जान पड़ता था, कानूनी लेकचरोंको देनेके अभिप्रायसे और फिर उसके पश्चात् कुछ सार्टीफिकट उम्मेदवार इम्तिहान अदालत जजी कलकत्ते में करार पानेके प्रयोजनसे पेश किया—तजवीज हुई कि उसपर दफा २७१ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका अपराध ठहराया जा सकता है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २१०)

जालसाजीका दंड.

(४६९) जो कोई मनुष्य जालसाजी करेगा, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे०म०या म०अ०(२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(बेतके दंडके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा ४ को देखो।)

१—जब कोई मुहर्रिर जो दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराध करे और फिर हिसाबकी किताबमें अपराध छिपानेके अभिप्रायसे झूठी इबारत लिख दे; तो वह दफा ४६५ के अपराध जालसाजीका अपराधी नहीं हो सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २२१)

कोर्टआफ जस्टिसके सरिश्तेके कागज अथवा पैदायशके रजिस्टर आदिको जाली बनाना.

(४६६) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज बनाए; जिसकी लिखावटसे जान पडता हो कि वह किसी कोर्ट आफ जस्टिसके सरिश्तेका कागज अथवा कागज मिसल है अथवा पैदायश (जन्म)या संस्कार या विवाह या मरणका रजिस्टर है, जिसको कोई सरकारी नौकर अपनी नौकरीके कारण बनाता है अथवा कोई सार्टीफिकट या दस्तावेज बनाए, जिसको

लिखावटसे जान पडता हो कि उसे किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके कर्त्तव्यपालनकी रीतिपर तैयार किया है अथवा किसी मुकद्दमेके दायर करने अथवा उसकी जवाबदिही करने अथवा उसमें किसी प्रकारकी पैरवी करने अथवा इकबाल दावा दाखिल करनेके लिये आज्ञा-पत्र (इजाजतनामा) है अथवा वह मुख्तारनामा है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप--(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जब कोई दस्तावेज इस अभिप्रायसे बनाया जावे कि उससे किसी अदालत जस्टिसको धोखा दिया जाय-तो कहा जावेगा कि वह दस्तावेज उस अभिप्रायके लिये काममें लाए जानेकी इच्छासे बनाया गया (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५१३)

किफालतुलमाल अथवा वसीअतनामेका जाली बनाना.

(४६७) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज बनाए, जिसकी लिखावटसे यह पाया जावे कि वह किफालतुलमाल या वसीअतनामा अथवा गोद लेनेका आज्ञापत्र (इजाजतनामा) है—अथवा उसके आशयसे यह पाया जावे कि वह किसी मनुष्यको किसी किफालतुलमालके बनाने या बेंचने अथवा मूल या व्याज या व्याजके भागोंको सिपुर्दगीमें लाने या सिपुर्दगीमें करनेका आज्ञापत्र है, अथवा कोई ऐसा जाली दस्तावेज बनाए कि जिसकी इबारतसे यह पाया जावे कि वह फारगखती या रसीद है कि जिसमें रुपयाके वसूल होनेका इकरार है, अथवा किसी स्थावरधन या किफालतुलमालके दिये जानेकी फारगखती या रसीद है; तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दंड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) सिवाय उस अवस्थाके कि जब किफालतुलमाल गवर्नमेंट हिंदका प्रामिसरी नोट होवे, पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने यह इस्तिहार दिया कि एक अंगरेजी कोष राबर्ट एस. बिल्सन. एम, ए, का बनाया हुआ कीमती २।) का तैयार है—परंतु उसके यहां कोई भी ऐसी किताब बेचने योग्य नहीं थी—तजवीज हुई कि अपराधीने दगा व जालका अपराध किया था । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १३ सफा २७)

दगाके लिये जालसाजी.

(४६८) जो कोई मनुष्य जालसाजी करे, इस अभिप्रायसे कि वह जाली दस्तावेज दगा देनेके लिये काममें लाई जायगी, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती(३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—तजवीज हुई कि जब अपराधीका यह अभिप्राय था कि झूठा हिसाब बनाकर अपने मालिकको धोखा दे और उस धोखा देनेके द्वारा मालिकको हानि पहुँचना सम्भव हो, तो अपराधीपर दफा ४६८ का अपराध दगा करनेका ठहराया जा सकता है। (बी० रि० जिल्द १८ सफा ४६)

किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचानेके लिये जालसाजी.

(४६९) जो कोई मनुष्य जालसाजी करे, इस अभिप्रायसे कि वह जाली दस्तावेज किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुंचाए, अथवा यह जानकर कि उसका इस काममें लाया जाना सम्भव है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीनवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४६८ के अनुसार है।

जाली दस्तावेज.

(४७०) जो झूठी दस्तावेज सब या कुछ जालसाजीसे बनाई गई हो, वह "जाली दस्तावेज" की रीतिपर कहलाई जावेगी।

१—खेतके साझियोंने नम्बरको बदल डाला, जिनकी सराहत बैनामेमें थी, ऐसी कार्रवाईके कारण उपरोक्त नम्बर सही नहीं रहे—तजवीज हुई कि दस्तावेजमें नम्बरका बदलना दफा ४६३ में लिखे हुए जालके अपराधमें नहीं है, और न उपरोक्त दस्तावेज तबदील होनेके उपरांत जालीदस्तावेज दफा ४७० के अनुसार ठहर सकती है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २७१)

जाली दस्तावेजको सही दस्तावेजकी रीतिपर छलसे काममें लाना.

(४७१) जो कोई मनुष्य किसी दस्तावेजको जिसको वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो, कि वह जाली दस्तावेज है सही दस्तावेजकी रीतिपर छलसे अथवा अधर्मसे काममें लाए, तो उस मनुष्यको उसी प्रकारका दण्ड दिया जावेगा कि मानों उसने दस्तावेजको जाली बनाया।

१—अपराधी पर यह अपराध लगाया गया कि वह एक मुकद्दमा दीवानीमें एक दस्तावेजको जिसको वह जाली जानता था, सही दस्तावेजकी रीतिपर काममें लाया तजवीज हुई कि अपराधीने दफा ४७१ का अपराध किया था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ११८)

२—अपराधीके व्योहरने, जो पोलीस कान्स्टेबिल था, सुप्रिन्टेन्डेन्ट पोलीस जिलाको दरख्वास्त की कि ऋण चुक जानेतक अपराधी (कान्स्टेबिल) की तनख्वाहसे दो रुपया मासिक कट जायाकरें—इसलिये सुप्रिन्टेन्डेन्टने रुपया काटे जानेकी आज्ञा दे दी, तब अपराधीने एक रसीद पेश की, जिससे १८) रु० का अदा होजाना पाया जाता था, पीछेसे जानपड़ा कि वास्तवमें वह रसीद ८) की थी और अपराधीने उसपर १ का अंक बढ़ा दिया था—तजवीज हुई कि जो कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि सुप्रिन्टेन्डेन्ट उसकी तनख्वाह कानूनविरुद्ध न काटें, इसलिये इस

रसीदसे यह बात नहीं पाई जाती कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि व्योहरोंका रुपया मारा जावे; इसलिये उसे दफा ४७१ के अपराधमें दण्ड नहीं होना चाहिये। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४०३)

३—पोस्टमास्टरने कुछ रुपया मारा, और उसी समय एक झूंठी दस्तावेज बनाई; जो दस्तखती रसीद उस मनुष्यकी होना जान पड़ती है, जिसे रुपया मिलने योग्य था—उसके मध्ये जाली दस्तावेज बनानेके अपराधमें दफा ४७१ के अनुसार विचार किया गया—यह उज्र किया गया कि कोई जाल नहीं किया गया; क्योंकि रसीद अपराध छिपानेके लिये बनाई गई थी—तजबीज हुई कि अपराधका विचार ठीक था—(इ० ला० रि० मदरास जिल्द ११ सफा ४११)

४—इन्ट्रैन्सकी परीक्षाके प्रार्थीमें अच्छे चाल चलनका सार्टीफिकेट हेडमास्टरका दस्तखत बनाकर रजिस्ट्रारके यहां भेज दिया—उम्मेदवारपर जाली दस्तावेजको असलीकी रीतिपर काममें लानेके अपराधमें दफा ४७१ और दगाके उद्योगमें दफा ४१५ व ५१९ का अपराध ठहराया गया, तजवीज हुई कि उसकी यथार्थ इच्छा या प्रयोजन छल अथवा अधर्मकी दफा २४ व २५ के अनुसार न था; इसलिये उसने कोई भी अपराध नहीं किया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३८७)

५—अपराधीपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७१ का अपराध इस बातपर लगाया गया कि वह कुछ दस्तावेजोंको जिन्हें जाली जानता था, अधर्म और छलसे काममें लाया था और विचार (तजवीज) के समय जाना गया कि लगानकी चार रसीदें जिन्हे अपराधी काममें लाया था. अपराधीने असली रसीदोंके बदले जो खो गई थीं, बनाई थीं। तजवीज हुई कि दफा २४ व २५ हि० दं० में लिखे हुए शब्द अधर्म व छलसे अपराधीने रसीदें नहीं बनाई थीं, इसलिये वह दफा ४७१ का अपराधी नहीं हो सकता। (इ० ला०रि०इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४५९)

दफा ४६७ के अनुसार दण्ड किये जाने योग्य कोई जालसाजी करनेके अभिप्रायसे झूठी मुहर आदि बनानी अथवा पास रखनी.

(४७२) जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर या चपरास या छापनेका और कोई औजार इस अभिप्रायसे बनावे, कि वह इस संग्रहकी दफा४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसाजीके करनेमें काम आवे अथवा इस अभिप्रायसे कोई ऐसी मुहर या चपरास या और कोई औजार अपने यहां रक्खे, यह जानकर कि वह झूँठा है, तो उस मनुष्यको जन्ममरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्ष तक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४६६ के अनुसार है।

१—जब झूठी मुहरें और उनके बनानेके औजार अपराधीके यहां निकलें और वह मानने योग्य उसका कारण न बतला सका कि वह क्योंकर उसके अधिकारमें आये थे. तो यह बात मानी गई कि वह उनको छल पूर्वक काममें लानेके अभिप्रायसे अपने अधिकारमें रखता था। (बीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५)

जालसाजी करनेके अभिप्रायसे जिसका दूसरा दंड ठहराया गया है झूठी मुहर आदि बनाना अथवा पास रखना.

(४७३) जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर अथवा चपरास अथवा और कोई छापनेका औजार बनाए इस अभिप्रायसे, कि वह किसी ऐसी जालसाजी करनेके लिये काममें आए, जिसके बदलेमें इस अध्यायकी दफा ४६७ के अतिरिक्त किसी और दफाके अनुसार दंड दिया जा सकता है, अथवा उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी मुहर अथवा चपरास अथवा कोई और औजार जिसको वह झूठा जानता है अपने पास रक्खे; तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—जब कुछ मुहरें पृथक् पृथक् भांतिकी, जालसाजी करनेके अभिप्रायसे अपराधीके अधिकारमें निकलीं; तो तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४७३ के अनुसार प्रत्येक मुहरके मध्ये एक अलग और पूरे अपराधका किया जाना प्रमाणित था और अपराधी प्रत्येक मुहरके मध्ये अलग अलग दोषी ठहराया जासकता था; सिवाय उस अवस्थामें कि वे पृथक् पृथक् मुहरें एक विशेष जालसाजीके अभिप्रायसे रक्खी गई हों। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १३ सफा १६)

दफा ४६६ और ४६७ में कही हुई कोई दस्तावेज यह जानबूझकर कि यह जालसाजीसे बनी है अपने यहां इस अभिप्रायसे रखनी कि सच्चीकी भांति काममें लाई जाय.

(४७४) जो कोई मनुष्य कोई दस्तावेज अपने यहां रक्खे, यह जानकर कि वह जाली है और इस अभिप्रायसे कि वह सच्ची दस्तावेजकी भांति छल अथवा अधर्मसे काममें लाई जाय, तो यदि वह दस्तावेज उस प्रकारकी दस्तावेज है कि जिसका वर्णन दफा ४६६ में है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह दस्तावेज उस प्रकारकी दस्तावेज है, जिसका वर्णन दफा ४६७ में है, तो जन्मभरके देशनिकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४७४ के अपराधके प्रमाणके लिये इन बातोंके प्रमाणित करनेकी आवश्यकता है, कि दस्तावेज जिनके मध्ये अपराध लगाया गया जाली है, और अपराधी उनका जाली होना जानता था और वह उनको अपने अधिकारमें रखता था, और उसका यह अभिप्राय था, कि छल और अधर्मके द्वारा वह सच्ची दस्तावेजकी भांति काममें लाई जावे, और

प्रत्येक दस्तावेज उस प्रकारकी है, जिसका वर्णन हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४६६ व ४६७ में किया गया है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफा १६५)

२—अपराधी एक जाली दस्तावेज अदालतमें ले गया; परन्तु उसको काममें न लाया; तजवीज हुई कि वह उस दस्तावेजको आवश्यकताके समय काममें लानेकी इच्छा रखता था। (बी० रि० जिल्द ८ सफा ११)

किसी चिह्न अथवा निशानको जालसाजीसे बनाना जो दफा ४६७ में कही हुई दस्तावेजकी सचाईके लिये काममें आवे अथवा किसी वस्तुको पास रखना जिसपर झूठा चिह्न लगाहो.

(४७५) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुसे कोई चिह्न अथवा निशान, जो इस संग्रहकी दफा ४६७ में कही हुई किसी दस्तावेजकी सचाई के लिये काममें आता हो, इस अभिप्रायसे झूठा बनायेगा कि इस चिह्न अथवा निशानके होनेसे कोई दस्तावेज जो उसी समय उस वस्तुपर जालसाजीसे बनी हो अथवा पीछेसे बनाई जानेको हो प्रामाणिक दिखाई दे, अथवा उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी वस्तु अपने पास रक्खे, जिसपर अथवा जिसमें उस चिह्न या निशानकी जालसाजी कीगई है, तो उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दियाजावेगा; जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है। (६) मंजूरी दरकार है।

१—दफा ४७५ का अपराध प्रमाणित करनेमें इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है, कि अपराधीके अधिकारमें जो दस्तावेज है उसपर कोई झूठा चिह्न या निशान हो और यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि अपराधी उस दस्तावेजको अपने अधिकारमें इस अभिप्रायसे रखता था कि वह झूँठा चिह्न या निशान उस दस्तावेजकी सचाईके लिये काममें आवेगा और इस बातके भी होनेकी आवश्यकता है कि वह दस्तावेज इस संग्रहकी दफा ४६७ में लिखी हुई दस्तावेजके अनुसार होवे। (बीक्री रिपोर्टर जिल्द १५ सफा १९)

जालसाजीसे बनाना किसी चिह्न अथवा निशानको जो दफा ४६७ में कही हुई दस्तावेजोंको छोड़कर और प्रकारोंकी दस्तावेजोंकी सचाईके लिये काममें आता हो, अथवा पास रखना किसी वस्तुका जिसपर झूठा चिह्न लगाहो.

(४७६) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुमें कोई चिह्न अथवा निशान जो इस संग्रहकी दफा ४६७ में कही हुई दस्तावेजोंको छोडकर और प्रकारकी किसी दस्तावेजको प्रामाणिक करनेके लिये काममें आता हो, इस अभिप्रायसे झूठा बनावेगा कि उस चिह्न अथवा निशानके होनेसे कोई दस्तावेज जो उसी समय उस वस्तुपर जालसाजीसे बनी हो अथवा पीछेसे जाली बनाई जानेको हो, प्रमाणिक दिखाई दे, अथवा जो कोई मनुष्य ऐसे अभिप्रायसे कोई वस्तु अपने पास रखता हो, जिसके ऊपर अथवाजिसमें इसीप्रकार चिह्न अथवा निशान जालसाजीसेलगाया

गया हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४७५ के अनुसार है।

छलछिद्रसे किसी वसीअतनामेको बिगाड़ना अथवा नष्ट करना आदि.

(४७७) जो कोई मनुष्य छल अथवा अधर्मसे अथवा इस अभिप्रायसे कि वह सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको नुकसान अथवा हानि पहुँचाए, किसी ऐसी दस्तावेजको बिगाडे अथवा उसको नष्ट करे अथवा उसकी लिखावटको काट दे अथवा उसके नष्ट करने या बिगाड देने अथवा काट देनेका उद्योग करे जो वसीअतनामा अथवा लडका गोद लेनेका इजाजतनामा (आज्ञापत्र) अथवा कोई किफालतुलमाल हो अथवा होनेके योग्य हो अथवा ऐसी दस्तावेजके मध्ये कुछ हानि पहुँचावे, तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप–(१) अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसक्ती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) गर्जीनामा नहीं है।

१—पट्टेका फाड़ डालना दफा ४७७ के अनुसार किफालतुलमालका नष्ट कर देना है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ३८)

झूठा हिसाब बनाना.

(४७७) (अ) (बढाया गया दफा ४ ऐक्ट ३ सन् १८९५ ई० के अनुसार) जो कोई मनुष्य मुत्सद्दी या अहलकार या नौकर हो अथवा मुत्सद्दी या अहलकार या नौकरकी रीतिसे काम करता हो अथवा नियत किया गया हो, जानबूझकर छलनेके अभिप्रायसे कोई बही या किताब या कागज या लिखावट या किफालतुलमाल या हिसाब जो उसके स्वामीका है अथवा उसके स्वामीके पास है अथवा जो उसने अपने स्वामीके लिये अथवा अपने स्वामीके अधिकार (हक) में पाया हो नष्ट करे या बदले या उसमें काटकूट करे अथवा उसको झूँटा बनाए, अथवा जानबूझकर और छलनेके अभिप्रायसे किसी ऐसी बही या किताब या कागज या लेख या किफालतुलमाल या हिसाबमें कुछ झूँठ मूठ लिखे अथवा उसके लिखनेमें सहायता करे या उपरोक्त बही या किताब या कागज या लिखावट या किफालतुलमाल या हिसाबसे किसी आवश्यकीय बातको निकाल दे अथवा उसमें किसी आवश्यकीय बातको बदल दे अथवा निकाल देने या बदल देनेमें सहायता करे, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

स्पष्टीकरण—जो अपराध इस दफाके अनुसार लगाया जाय; उसमें यह काफी होगा कि यह बयान किया जाए कि विशेषरीतिसे छलनेकी इच्छा थी और किसी विशेष मनुष्यका नाम इस

अभिप्रायसे न कियाजाये कि उसके छलनेकी इच्छा थी अथवा किसी विशेष रुपयेकी तादादका वर्णन न किया जाए; जिसके मध्ये छल करनेका अभिप्राय था अथवा किसी ऐसे विशेष दिन या तारीखका वर्णन न किया जाए जिसमें वह अपराध हुआ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

व्यापार और मालके चिह्नोंके विषयमें।

व्यापारका चिह्न.

(४७८) जो चिह्न इस बातके प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि कोई असबाब किसी विशेष मनुष्यका बनाया अथवा तैयार किया हुआ है अथवा किसी विशेष समय या स्थानमें बनाया अथवा तैयार किया गया है अथवा किसी विशेष प्रकारका है, वह व्यापारका चिह्न कहलाया जावेगा।

मालका चिह्न.

(४७९) जो चिह्न इस बातके प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि कोई स्थावर धन (मालमनकूला) किसी विशेष मनुष्यका है, वह मालका चिह्न कहलावेगा।

व्यापारके झूठे चिह्नको काममें लाना.

(४८०) जो कोई मनुष्य किसी असबाबपर या संदूक या गठरी या किसी और वस्तुपर जिसमें असबाब हो, चिह्न बनाये अथवा कोई संदूक या गठरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह्न हो काममें लाए यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे, कि वह असबाब जिसपर चिह्न है अथवा कोई असबाब जो ऐसे संदूक अथवा गठरी अथवा वस्तुमें है जिसपर चिह्न है, अमुक मनुष्यने बनाया अथवा तैयार किया है जिसने उसको न बनाया अथवा न तैयार किया हो अथवा यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि वह असबाब अमुक समय या अमुक स्थानपर बनाया गया या तैयार किया गया है, जिसमें वह न बनाया गया अथवा न तैयारही किया गया हो अथवा यह कि वह असबाब विशेष प्रकारका है, जिस प्रकारका वह न हो, तो कहा जावेगा, कि उपरोक्त मनुष्य व्यापारका झूठा चिह्न काममें लाया।

मालके झूठे चिह्नको काममें लाना.

(४८१) जो कोई मनुष्य किसी स्थावरधन (माल मनकूला) या असबाब पर या किसी सन्दूक या गठरी या किसी और वस्तुपर जिसमें स्थावर धन अथवा असबाब हो चिह्न बनाए अथवा कोई सन्दूक या गठरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह्न हो काममें लाए, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि माल या असबाब जिसपर वह चिह्न है अथवा कोई माल या असबाब जो किसी सन्दूक या गठरी या दूसरी वस्तुमें है जिसपर वह चिह्न हो अमुक मनुष्यका माल है जिसका वह माल न हो, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य मालके झूठे चिह्नको काममें लाया।

किसी मनुष्यको धोखा देने या हानि पहुंचानेके अभिप्रायसे व्यापार अथवा मालके झूठे चिह्नको काममें लानेका दंड.

(४८२) जो कोई मनुष्य कोई व्यापारका झूठा चिह्न अथवा मालका झूठा चिह्न किसी मनुष्यको धोखा देने अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे काममें लाए, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों ही दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

हानि अथवा नुकसान पहुँचानेके अभिप्रायसे व्यापार अथवा मालके किसी ऐसे चिह्नकी जालसाजी जिसको और कोई काममें लाता हो.

(४८३) जो कोई मनुष्य सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या नुकसान पहुंचानेके अभिप्रायसे जानबूझकर किसी ऐसे व्यापारके चिह्न अथवा ऐसे मालके चिह्नकी जालसाजी करे, जिसको कोई और मनुष्य काममें लाता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों ही दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ४८२ के अनुसार है।

झूठ बनाना किसी ऐसे मालके चिह्नका जो सरकारी नौकर काममें लाता हो अथवा किसी ऐसे चिह्नका जो वह किसी मालके तैयार किये जाने आदिको प्रगट करनेके लिये काममें लाताहो.

(४८४) जो कोई मनुष्य सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या नुकसान पहुंचानेके अभिप्रायसे जानबूझकर किसी ऐसे मालके चिह्नको झूठ बनावे जिसको कोई सरकारी नौकर काममें लाता हो अथवा ऐसे चिह्नको झूठ बनावे, जिसको कोई सरकारी नौकर यह प्रगट करनेके लिये काममें लाता हो कि कोई माल किसी विशेष मनुष्यने तैयार किया है अथवा किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थानमें तैयार किया गया है या यह कि वह माल किसी विशेष प्रकारका है अथवा किसी विशेष कचहरीमें होकर आया है या किसी माफीके योग्य है अथवा कोई ऐसा चिह्न जिसको वह झूठ जानता हो, सच्चे चिह्नकी रीतिसे काममें लाए, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन. या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस नहीं है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

छल छिद्रसे बनाना अथवा पास रखना किसी ठप्पे या चपरास या औजारका, इसलिये कि कोई चिह्न मालका अथवा व्यापारका चाहे सर्व सम्बन्धी चाहे निजका झूठ बनाया जाय.

(४८५) जो कोई मनुष्य ठप्पा या चपरास या कोई और औजार जो सर्वसम्बन्धी अथवा विशेष मनुष्यके, मालका चिह्न अथवा व्यापारका चिह्न बनाने या झूठ करनेके लिये हो बनाए अथवा अपने पास रक्खे, इस अभिप्रायसे कि उसको उस चिह्नके झूठके लिये काममें लाए अथवा कोई ऐसा मालका चिह्न या व्यापारका चिह्न इस अभिप्रायसे अपने पास रक्खे कि वह इस बातको प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि अमुक माल अथवा सौदागरीकी वस्तु अमुक मनुष्य अथवा अमुक कारखानेकी बनाई अथवा तैयार की हुई है; जिसको उसने न बनाया अथवा न तैयार किया हो, अथवा यह कि वह किसी समय या किसी स्थानमें बनाई अथवा तैयार की गई है जिसमें वह न बनाई अथवा न तैयार की गई हो, अथवा यह कि वह किसी विशेष प्रकारकी है कि जिस प्रकारकी वह न हो, अथवा यह कि वह किसी मनुष्यका माल है जिसका माल न हो; तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा ४८४ के अनुसार है ।

जानबूझकर किसी ऐसे मालका बेचना जिसपर व्यापार अथवा मालका झूठा चिह्न लगा हो.

(४८६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालका जिसपर अथवा जिस सन्दूक या बेठन या वस्तुमें वह माल हो उसपर माल या व्यापारका कोई झूठा चिह्न लगा अथवा छपा हो चाहे वह सर्वसम्बन्धी हो चाहे निजका किसीको धोखा देने अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे यह बात जानबूझकर बेचेगा कि यह चिह्न झूठा है अथवा जालसाजीसे लगाया गया है अथवा छापा गया है जो उस मनुष्यकी अथवा उस समयकी अथवा उस स्थानकी जो कि उस चिह्नसे जान पडता है बनी हुई नहीं है अथवा यह जानबूझकर कि जो प्रकार उस चिह्नसे प्रगट होता है व उस प्रकारकी नहीं है, तो उसको दंड दोनोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकेगी, दिया जावेगा, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म०या म०अ० या म० दो०(२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है;

(४८७) जो कोई मनुष्य किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमें माल रक्खा हो छलसे कोई झूठा चिह्न बनाए, इस अभिप्रायसे कि किसी सरकारी नौकरको अथवा किसी और मनुष्यको यह निश्चय कराए कि उस गठरी अथवा वस्तुमें अमुक माल है जो उसमें नहीं है अथवा यह कि उसमें अमुक असबाब नहीं है जो उसमें है अथवा यह निश्चय कराए कि वह असबाब जो उस गठरी अथवा वस्तुमें है किसी भांति या प्रकारका है, जो वास्तवमें उस भांति अथवा प्रकारसे भिन्न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

छल छिद्रसे किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमें असबाब हो झूठा चिह्न बनाना.

टीप—(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(४८८) जो कोई मनुष्य ऊपर लिखी हुई पिछली दफाके अभिप्रायसे कोई ऐसा झूठा चिह्न छलपूर्वक काममें लाए यह जानकर कि वह चिह्न झूठा है, तो उसको उसी प्रकारका दण्ड दिया जायगा कि जो पिछली कही हुई दफामें कहा गया है।

किसी ऐसे झूठे चिह्नको काममें लानेका दण्ड.

(४८९) कोई मनुष्य किसी मालके चिह्नको दूर करे अथवा मिटाए या बिगाडे इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यको हानि पहुँचाए, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे मालके किसी चिह्नको बिगाड़ना.

टीप—दफा ४८६ के अनुसार है।

करेंसी नोट बेंकनोटोंके विषयमें।

(४८९) (अ) जो कोई मनुष्य करेंसी नोट अथवा बेंकनोटको खोटा बनावेगा अथवा जानबूझकर खोटा बनानेके यत्नका कोई काम करेगा, तो उसे जन्ममरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

करेंसी या बेंकनोटका खोटा बनाना.

स्पष्टीकरण—इस दफा और दफा ४८९ ब क ड के अभिप्रायके लिये शब्द "बेंकनोट" से प्रत्येक ऐसे प्रामिसरी नोट अथवा रुपया चुकानेके इकरारनामेका अभिप्राय है जो संसारके किसी

भागमें बैंक अर्थात् महाजनी कारोबार करनेवालेने जारी किया हो अथवा जो किसी रियासत या उस समयके बादशाहकी ओरसे अथवा आज्ञासे प्रचलित किया गया हो और जिसके मध्ये यह अभिप्राय होवे कि वह रुपयेके समान अथवा रुपयेके बदले काममें लाया जावे।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

जाली अथवा खोटे बैंक-नोट या करेंसी नोटको सच्चेकी भांति काममें लाना.

(४८९)-(ब) जो कोई मनुष्य किसी जाली अथवा खोटे बनाए हुए करेंसी नोट या प्रामेसरी नोटको यह जानकर अथवा निश्चय करनेके लिये कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है, किसी दूसरे मनुष्यके हाथ बेंचे अथवा उससे प्राप्त करे या मोल लेवे, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

टीप—दफा ४८९ (अ) के अनुसार है।

जाली अथवा खोटे बैंकनोटों या करेंसीनोटोंको अपने अधिकारमें रखना.

(४८९)-(क) जो कोई मनुष्य अपने पास कोई जाली अथवा खोटा करेंसी-नोट या बैंकनोट रक्खेगा, यह जानकर अथवा निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है और उसे सच्चेकी भांति काममें लानेकी इच्छा करे अथवा यह इच्छा करे कि वह सच्चेकी भांति काममें लाया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

करेंसी नोट या बैंक नोटको जाली या खोटा बनानेके अभिप्रायसे औजार या सामान बनाना अथवा अधिकारमें रखना.

(४८९) (ड) जो कोई मनुष्य कोई कल, औजार या सामान बनाये अथवा बनानेके यत्न सम्बन्धी कोई कामको करे या बेंचे या मोल ले या अपने अधिकारसे अलग करदे या अपने अधिकारमें रक्खे इस अभिप्रायसे अथवा यह निश्चय करनेके लिये कारण रखकर कि वह किसी करेंसी नोट या बैंकनोटके जाली बनाने अथवा खोटा करनेके काममें लाया जावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४८९ (अ) के अनुसार है।

अध्याय उन्नीसवाँ १९.

नौकरीका कौल करार दंड योग्य रीतिसे तोडनेके विषयमें।

जल अथवा थलके सफरमें नौकरीके कौल करारको तोडना.

(४९०) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक कौल करारके अनुसार किसी मनुष्यको अथवा मालको एक स्थानसे दूसरे स्थानको लेजाने अथवा पहुंचानेमें अपने शरीरसे काम करना अथवा जल या थलके मागमें किसी मनुष्यकी नौकरी करना अथवा जल या थलके मार्गमें किसी मनुष्य अथवा मालकी चौकसी करना अवश्य हो; जानबूझकर ऐसा करनेसे चूकेगा; सिवाय बीमारी अथवा बदसलूकीकी अवस्थाके, तो उसे दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो सौ रुपये तक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर पालकीका एक कहार जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार रमाशंकरको एक स्थानपर दूसरे स्थानसे ले जाना अवश्य था, राहपरसे भाग गया; तो शिवशंकरने इस दफामें कहा हुआ अपराध किया।

(ख) शिवशंकर एक कुली जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार रमाशंकरका असबाब एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना अवश्य था, असबाबको फेंककर चल दे, तो शिवशंकरने वह अपराध किया; जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ग) शिवशंकर बैलोंके एक मालिकने जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार कुछ माल अपने बैलोंपर लादकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुंचाना अवश्य था, ऐसा करनेमें कानून विरुद्ध चूक की; तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(घ) शिवशंकरने रमाशंकरको जो एक कुली है अनीति पूर्वक अपना असबाब ले चलनेके लिये दबाया रमाशंकर राहमें असबाब रखकर भाग गया, तो यहां जो कि असबाबका पहुँचाना रमाशंकरपर कानूनानुसार उचित न था, इसलिये रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं हुआ।

स्पष्टीकरण—इस अपराधके प्रमाणित होनेके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि कौल करार उस मनुष्यके साथ किया जाय, जिसकी नौकरी करनी हो बरन यही काफी है कि उस मनुष्यने जिसको वह नौकरी करनी पडेगी किसी मनुष्यके साथ वह कौलकरार कानूनके अनुसार किया हो, चाहे वह प्रगट रीतिपर किया हो अथवा अप्रगट रीतिपर।

उदाहरण।

शिवशंकरने किसी डाक कम्पनीके साथ उसकी गाडी एक महीनेतक हांकनेका कौल करार किया, रमाशंकरने सफरमें जानेके लिये उस डाक कम्पनीकी गाडी भाड़े की और उस कम्पनीने

रमाशंकरको उस महीनेके भीतर वही गाड़ी दी जिसको शिवशंकर हाँकता था, शिवशंकर जान-बूझकर सफरमें गाड़ी छोडदी, तो यद्यपि शिवशंकरने रमाशंकरके साथ कौलकरार नहीं किया था; तथापि वह इस दफामें कहे हुए अपराधका अपराधी हुआ।

टीप—(१) प्रे० म०या म० अ० या म० दं० (२) पोलीस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा होसकता है।

१—अपराधीने एक मनुष्यके साथ यह इकरार किया कि वह मनुष्य अपराधीकी गाडीपर अपना माल एक नियत समयतक जहां चाहे वहां लेजाय, और फिर अपराधीने अपनी गाड़ी न दी तजवीज हुई कि अपराधीके अपराधका दफा ४९० से सम्बन्ध न था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ९ सफा १२)

असमर्थ मनुष्यकी टहल करने और जो वस्तु उसके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुंचानेके कौल करारको तोड़ना.

(४९१) जो कोई मनुष्य, जिसपर नीतिपूर्वक कौल करारके अनुसार किसी ऐसे मनुष्यकी सेवा करना अथवा आवश्यकीय वस्तुओंका पहुंचाना उचित है जो कम अवस्थाके कारण अथवा सिडी होजानेके कारण अथवा रोग या शरीरकी दुर्बलताके कारण असमर्थहै—अथवा जो अपनी रक्षाका यत्न करने या जो वस्तु उसे चाहिये उसके प्राप्त करनेके अयोग्य है जानबूझकर ऐसा करनेमें चूक करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो दो सौ रुपये तक होसकता है अथवा दोनों ही दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफा ४९० के अनुसार है।

किसी दूर देशमें नौकरी करनेके कौल करारको तोड़ना, जहां नौकर मालिकके खर्चसे पहुंचाया गया हो.

(४९२) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक लिखे हुए कौल करारके अनुसार किसी और मनुष्यके लिये दस्तकार या कारीगर या मजदूरकी रीतिसे किसी समय तक, जो तीन वर्षसे अधिक न हो, ब्रिटिश इण्डियाके भीतर किसी ऐसे स्थानमें काम करना उचित है, जहां वह उस कौलकरारके अनुसार उस मनुष्यके खर्चसे पहुंचाया गया हो अथवा पहुंचाए जानेको हो, उस मनुष्यकी नौकरी परसे उस कौलकरारकी मीआदके भीतर जानबूझकर भाग जाए अथवा विना किसी उचित कारणसे उस नौकरीके करनेसे नाहीं करे जिसके करनेका उसने कौल करार किया हो और वह नौकरी उचित अथवा योग्य हो, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद

एक महीनेसे अधिक न हो अथवा जुर्मानेका दंड जिसकी तादाद उस खर्चकी दुगुनी तादादसे अधिक न हो या दोनों दंड दिये जावेंगे सिवाय उस अवस्थामें कि जब यह बात पाई जावे कि नौकर रखनेवालेने उसके साथ बदसलूकी की हो अथवा अपनी ओरसे कौल करारका दावा पूरा करनेमें भूल की हो।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं हो सकता।

१—दफा ४९२ का जिसके अनुसार दस्तकार, कारीगर या मजदूरको नौकरीके कौल करारका तोडना अपराध है, धरऊ नौकरोंसे सम्बन्ध नहीं है। (पंजाब रिकार्ड नं० २० सन् १८७६ ई०)

अध्याय बीसवाँ २०.

उन अपराधोंके वर्णनमें जो विवाहसे संबन्ध रखते हैं।

संभोग, जो किसी पुरुषने नीतिपूर्वक विवाहको धोखा देकर किया हो.

(४९३) प्रत्येक ऐसे पुरुषको, जो किसी स्त्रीको जिसका नीतिपूर्वक विवाह उस पुरुषके साथ न हुआ हो, धोखा देकर यह निश्चय कराए कि उस स्त्रीका नीतिपूर्वक विवाह उसके साथ हुवा है, और उस निश्चयके द्वारा वह अपने साथ उस स्त्रीका संभोग करनेका कारण हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन(२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं होसकता।

स्त्री अथवा पतिके जीते स्त्रीका दुबारा विवाह करना.

(४९४) जिस किसीकी स्त्री या पति जीवित हो और वह उस अवस्थामें विवाह करे कि जिसमें ऐसा विवाह उस स्त्री या पतिके जीवित रहनेके कारण रद्द हो जावे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

छूट।

यह दफा ऐसे मनुष्यसे सम्बन्ध न रक्खेगी, जिसका विवाह ऐसी स्त्री या पतिके साथ किसी अदालत मजाज (समर्थ न्यायालय) के न्यायसे रद्द कर दिया गया हो, और न ऐसे

मनुष्यसे यह दफा सम्बन्ध रक्खेगी जो अपने पहिले पति या स्त्रीके जीतेजी विवाह करे यदि वह पति या स्त्री उस पिछले विवाहके समय सात वर्षकी मीआद तक बराबर उसके पाससे बिछुडा रहा हो या रही हो और न उसने उस समयके बीचमें कभी सुना हो कि वह जीवित है—परंतु नियम यह है कि पिछला विवाह करनेवाला या करनेवाली विवाह होनेसे पहिले उससे जिसके साथ विवाह करे; सब वृत्तांत सत्य सत्य जहांतक जानता या जानती हो कह दे।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (३) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता।

१—कैदीने अपनी स्त्रीके जीतेजी एक दूसरी स्त्रीके साथ व्याह करनेके मध्ये इश्तहारात (विज्ञापन) जारी किये और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलने उसको दूसरे विवाहके उद्योगमें अपराधी ठहराकर दफा ४९४ व ५११ के अनुसार सेशन सिपुर्द किया—और सेशन जज आगरेने उसको तीन वर्षकी कड़ी कैदका दण्ड दिया-हाईकोर्टने तजवीज की कि विज्ञापनका देना विवाह करनेकी तैयारीमें दाखिल था, परन्तु उद्योगकी सीमातक न पहुँचता था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३१६)

२—यदि किसी कम अवस्थावाली (नाबालिक) मुसलमान स्त्रीका दूसरा विवाह उसके अव्वल पतिके जीतेजी उस स्त्रीका रक्षक किसी मनुष्यके साथ करदे तो उसपर दफा ४९४ व दफा १०९ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ हिस्सा १० नं० ३७९)

३—खानदेशके रहनेवाले एक राजपूतने अपनी स्त्रीको तलाकनामा (दस्तावेज छोड़ छुट्टी) लिख दिया—परन्तु उसमे कोई उचित कारण न लिखा, इसलिये वह दूसरा विवाह करनेवाला राजपूत दफा ४९४ का और विवाह करानेवाला पुरोहित दफा १०९ व ४९४ के अपराधमें सहायता करनेका अपराधी हुआ। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ६ सफा १२९ नं. १७८)

४ यदि कोई हिन्दू स्त्री मुसलमानीमत स्वीकार करले, तो उसके मुसलमान हो जानेसे उसका विवाह उसके पतिसे रद्द न होजावेगा इसलिये वह अपने पतिके जीतेजी कोई दूसरा नीतिपूर्वक विवाह नहीं कर सकती अतएव किसी मुसलमानके साथ निकाह करना हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४९४ के अपराधमें गिना जायगा (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ४ सफा ३३०)

५—एक कम अवस्थावाली (नाबालिग) मुसलमान लड़कीका विवाह उसकी माने (क) के साथ कर दिया, लड़कीके युवा (बालिग) होनेसे पहिले (क) जेलखाने चलागया, इस समयके बीचमें लड़की युवा हुई; तब उसने (ख) के साथ विवाह कर लिया—इतनेमें (क) ने जेलखानेसे छूट आकर लड़की और (ख) के नाम दूसरा विवाह करनेके अपराधमें नालिश की—तजवीज हुई कि शिया व सुन्नी दोनों मतोंमें लड़कीको यह अधिकार है कि वह युवा होनेपर अपने निकाहको कायम रक्खे अथवा न रक्खे—इसलिये लड़कीने युवा होनेपर अपने पहिले निकाह को स्वीकार नहीं किया; अतएव कोई अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७९)

६—ताजीरात हिन्दकी दफा ४९४ के अनुसार अपराधीका दण्ड नहीं ठहर सकता, उस अवस्थामें कि जब गवाहीसे यह प्रमाणित हो जावे कि उस कौमके चलनेके अनुसार सगाई या निकाहका विवाह उचित होता है, जब कि पति अपनी स्त्रीको छोड़ दे। (इ० ला० रि०कलकत्ता जिल्द १९ सफा ६२७)

यही अपराध पहिले विवाहका उससे जिसके साथ पिछला विवाह हुआ छिपाकर करना.

(४९५) जो कोई मनुष्य पहिले विवाहका वृत्तांत उससे छिपा रखकर जिसके साथ वह पिछला विवाह करता है उस अपराधका अपराधी हो जिसका वर्णन इसके ऊपरकी पिछली दफामें किया गया है, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन(२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

नीतिपूर्वक विवाह करनेके विना छलके साथ विवाहकी रीतिको पूरा करना.

(४९६) जो कोई मनुष्य अधर्मसे अथवा छलके अभिप्रायसे विवाहकी रीतिको पूरा करे, यह जानकर कि उसके द्वारा उसका विवाह नीतिपूर्वक नहीं ठहर सकता, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा. जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३)अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—दफा ४९६ के अपराधमें इस बातका प्रमाणित होना अवश्य है कि अपराधीकी इच्छा छल करनेकी थी; केवल अपने घरमें ही विवाहकी रीति भाँतिका पूरा करना—अनुचित विवाहमें सहायता करनेके अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता। (बीङ्गी रिपोर्टर स्पेशल सिज़र सफा १३)

व्यभिचार.

(४९७) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी स्त्रीसे जो किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है या जिसको वह जानता अथवा जाननेका कारण रखता है कि वह किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है, विना प्रसन्नता अथवा सम्मति उस पुरुषके सम्भोग करे और वह संभोग बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधकी सीमातक न पहुँचे, तो वह मनुष्य व्यभिचारके अपराधका अपराधी होगा और उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे—ऐसी अवस्थामें स्त्री सहायककी रीतिपर दंड दिये जानेके योग्य न होगी।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे०म० या म०अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा होसकता है ।

१—मुकद्दमेकी अपील किये जानेके पश्चात् व्यभिचारके मुकद्दमेमें दस्तबरदारीकी इजाजत (मुकद्दमेको उठा लेना) नहीं दी जा सकती । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३९)

२—(क) पर (द) और (च) ने जो (द) की स्त्री बयान की गई है (च) से व्यभिचार करनेका अपराध लगाया और व्यभिचारका अपराध, तजवीजके अभिप्रायसे ठहराया गया विवाहकी गवाही उनके बयानोंमें न थी कि उनका विवाह आपसमें हुआ और (क) का यह बयान था कि (च) द की स्त्री नहीं है, (क) पर व्यभिचारका अपराध प्रमाणित हुआ-तजवीज हुई कि मुद्दइयोंके गवाह व्यभिचारका अपराध प्रमाणित होनेके लिये काफी नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २३३)

३—एक स्त्रीके पतिने कि जिसके साथ अपराधीका व्यभिचार करना कहा गया था, मुकद्दमेकी पैरवी न की, तो अदालतने अपराधीको छोड़ दिया । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा २७)

४—जिस मनुष्यके साथ कोई स्त्री अपने पतिके जीते जी और उसकी इच्छाके विरुद्ध दूसरा विवाह करले; तो वह मनुष्य उस स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे दफा ४९७ के अनुसार व्यभिचारका अपराधी गिना जायगा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द २ सफा ११७)

५—(क)ने (ख)के घरमें बिना आज्ञा (ख) के घुसकर उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किया; तजवीज हुई कि (क) को व्यभिचार और घरकी मदाखलत बेजाके अपराधमें अलग अलग दंड दिया जा सकता था क्योंकि वे अलग अलग अपराध थे । (पंजाब रिकार्ड नं० ५ सन्१८७१ई०)

(४९८) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको जो किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है अथवा जिसको वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता है कि वह किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है, उस पुरुषके पाससे अथवा किसी और मनुष्यके पाससे जो उपरोक्त पुरुषकी ओरसे उपरोक्त स्त्रीका रक्षक हो, ले उडे अथवा फुसला लेजाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त स्त्री किसी मनुष्यसे अनुचित सम्भोग कराए अथवा उस अभिप्रायसे किसी ऐसी स्त्रीको छिपाए अथवा रोक रक्खे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

बुरी इच्छासे किसी ब्याही हुई स्त्रीको फुसला ले जाना या ले उड़ना अथवा रोक रखना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी न२. करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा हो सकता है।

१—जब एक स्त्री जिसको उसके पतिने छोड दिया था अपनी प्रसन्नतासे अपराधीके साथ चली गई तो अपराधी पर दफा ४९८ का अपराध नहीं ठहर सकता, क्योंकि अपराधीने उसको किसी प्रकारसे नहीं बहँकाया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३५)

२—स्त्री भगा ले जानेके अपराधमें फरियादी (मुस्तगीस) व स्त्री व स्त्रीकी माँका बयान विवाहके हो जानेका पूरा प्रमाण है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफा ९)

३—अपराधीपर दफा ४९८ के अनुसार यह अपराध लगाया गया कि वह एक स्त्री (अ) को जो उस समय (म) की स्त्री थी और अपराधी उसको (म) की स्त्री जानता था; उसके साथ सम्भोग करनेकी इच्छासे ले भागा—तजवीज हुई कि अपराधीने अपराध किया था; यद्यपि स्वयं उस स्त्रीने अपने ले भागनेके लिये अपराधीसे कहा था और अपराधी बहुत दिनोंतक उसका कहना माननेसे नाहीं करता रहा था। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द २ सफा ३३१)

४—अपराधीको दफा ४९८ के अपराधमें इसलिये दण्ड न दिया गया कि फरियादीने नालिश करनेके पहिले अपनी स्त्रीको तलाक दे दी थी—(पंजाब रिकार्ड नं० २७ सन् १८७९ ई०)

अध्याय इक्कीसवाँ २१. ❀

—:○:○:※:○:○:—

अपयश लगानेके विषयमें।

अपयश लगाना.

(४९९) जो कोई मनुष्य शब्दोंसे जो उच्चारण किये गये हों अथवा जो पढे जानेके अभिप्रायसे हों अथवा चिह्नोंसे या प्रत्यक्ष चित्र इत्यादिसे किसी मनुष्यके मध्ये कोई दोष लगावेगा या छापकर प्रगट करेगा इस अभिप्रायसे कि उस मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचे अथवा यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि, वह दोषारोपण उस मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाएगा, तो सिवाय आगे लिखी हुई छूटोंके कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यको अपयश लगाया।

❀ कोई दण्ड अध्याय २१ सम्बन्धीका न्याय सताये (मजलूम) मनुष्यकी नालिश होने पर होसकता है (देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा १९८)

अदालतोंको अधिकार है कि दफा ५०२ का अपराध प्रमाणित होनेपर किताबों अथवा और वस्तुओंके जिनके कारण अपराध हुआ नष्ट कर देनेकी आज्ञा दे—(ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१)

स्पष्टीकरण—१—किसी मरे हुए मनुष्यको कोई तुहमत लगानेसे भी अपयश लगाना हो सकेगा; जब कि उस अपयशके लगानेसे उस मनुष्यके यशको जब कि वह जीवित होता हानि पहुँचती और उससे यह अभिप्राय हो कि उस मनुष्यके लड़केवालों अथवा नगीचके नातेदारोंके मनको दुःख पहुँचे ।

स्पष्टीकरण—२—किसी कम्पनी या समाजको अथवा मनुष्योंके समूहको, जो कम्पनी या समाजकी रीतिसे इकट्ठा हुए हो, किसी बातकी तुहमत लगाना भी अपयशका लगाना हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—३—दो अर्थवाले अर्थ शब्द कहकर अथवा व्याजस्तुति करके कुछ बातका कहना भी अपयशका लगाना हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—४—किसी तुहमतके मध्ये न कहा जावेगा कि वह किसी मनुष्यकी नेकनामी-को हानि पहुँचाता है, सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह तुहमत स्पष्टरीतिपर या लौट फेरकर और लोगोंकी दृष्टिमें उस मनुष्यके सुचाल या बुद्धिमानीके कम होजानेका कारण हो,अथवा उसको जात पांत या व्यवहारमें बट्टा लगे अथवा उसकी साख बिगड़े अथवा इस बातके निश्चय किये जाने-का कारण होवे कि उस मनुष्यका शरीर घृणित अवस्थामें या एक ऐसी अवस्थामें है जो बहुधा कलंकित गिने जानेका कारण है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने कहा कि-रमाशंकर ईमानदार मनुष्य है, उसने गिरिजाशंकरकी घड़ी कभी नहीं चुराई—यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि रमाशंकरने गिरिजाशंकरकी घड़ी चुराई है तो यह अपयश लगाना कहलावेगा, सिवाय इसके कि छूटोंमेंसे किसी छूटमें आजाए ।

(ख) शिवशंकरसे पूछा गया गिरिजाशंकरकी घड़ी किसने चुराई—शिवशंकरने रमाशंकरकी ओर इशारा किया, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि, रमाशंकरने गिरिजाशंकरकी घड़ी चुराई तो यह अपयश लगाना कहलावेगा—सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह किसी छूटमें आजाए ।

(ग) शिवनन्दनने यशोदानन्दनका एक ऐसा चित्र (तस्वीर) खींचा कि वह रामस्वरूप की घड़ी लिये भागा जाता है, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि—यशोदानन्दनने रामस्वरूपकी घड़ी चुराई है, तो यह अपयशका लगाना है—सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह किसी छूटमें आजाय ।

१—छूट—किसी मनुष्यके मध्ये किसी सच्ची बातकी तुहमत लगानी अपयशका लगाना न कहलावेगा जब कि उसका लगाना अथवा प्रगट करना सर्व साधारणके लाभके लिये उचित हो—यह बात जांचना; कि इससे वास्तवमें सर्व साधारणका लाभ है या नहीं, उस समय-की जांचके अधीन होगी ।

किसी सच्ची बातकी तुहमत लगाना, जिसका लगाना, अथवा प्रगट करना सर्वसाधारण लाभके लिये उचित हो.

सरकारी नौकरका वर्त्ताव उसकी नौकरीकी रीतिपर.

२—छूट—शुद्धस्वभावसे कुछ विचारांश (राय) किसी सर्वसम्बन्धी नौकरकी कार्रवाईके मध्ये अथवा उसके वर्त्ताव व चलनेके मध्ये, वहीं तक जहां तक कि वह चलन उस कार्रवाईसे सम्बन्ध रखता हो प्रगट करदेना अपयश लगाना न कहलावेगा।

सर्वसम्बंधी कामके मध्ये किसी मनुष्यकी कार्रवाईका ढंग.

३—छूट—किसी रायका शुद्धभावसे प्रगट करना किसी मनुष्यकी कार्रवाई ढंगके मध्ये, जो सर्वसाधारणके किसी कामसे सम्बन्धित हो, और उस मनुष्यके चलन अथवा गुणके मध्ये, जहांतक कि वह चलन अथवा गुण उस कार्रवाईके ढंगसे प्रगट होता हो और न उससे अधिक, अपयश लगाना नहीं है।

उदाहरण।

शिवशंकरका नीचे लिखी बातोंमें रमाशंकरके वर्त्तावके मध्ये कोई राय शुद्धभावसे प्रगट करना अपयश लगाना नहीं है, अर्थात्, सर्व सम्बन्धी किसी कामके मध्ये गवर्नमेंटको अर्जी देनेमें अथवा किसी सर्व सम्बंधी मामलेकी सभा होनेके लिये बुलावेके कागजपर दस्तखत करने अथवा उस प्रकारकी सभाका मुखिया या साक्षी होनेमें अथवा सबसे सहायता मांगनेके लिये किसी सभाके जोड़ने या उसका साथी होनेमें, अथवा किसी ऐसे ओहदेके लिये, जिसका काम भली प्रकारपर करनेमें सर्वसाधारण मनुष्योंके अभिप्रायका सम्बन्ध हो, किसी उम्मेदवारके चुननेके मध्ये राय देने अथवा उसके लिये औरोंसे राय प्राप्त करनेके मध्येमें,—

कोर्टआफजस्टिसकी कार्रवाईकी कैफियतका प्रगट करना.

४—छूट—कोर्टआफजस्टिसकी किसी कार्रवाई अथवा उसकी कार्रवाईके फलके मध्ये पक्की रीतिपर सच्ची कैफियतका प्रगट करना अपयश लगाना नहीं है।

स्पष्टीकरण—कोई जस्टिस आफ दी पीस या दूसरा अफसर जो खुली कचहरीमें तहकीकात कर रहा है, पहिले इसके कि वह मुकद्दमा किसी कोर्टआफजस्टिसमें पेश हो, एक ऐसी अदालत है जो ऊपर लिखी दफाके अभिप्रायमें गिनीजाती है।

किसी मुकद्दमेकी कैफियत जिसका निबटेरा कोर्टआफजस्टिसमें हुआ अथवा गवाही और और मनुष्योंकी कार्रवाईका ढंग जो उससे सम्बन्ध रखते हों.

५—छूट—दीवानी या फौजदारीके किसी मुकद्दमेकी व्यवस्थाके मध्ये, जो किसी कोर्टआफजस्टिसने निबटाया हो अथवा किसी मनुष्यकी कार्रवाईके ढंगके मध्ये, उसके किसी ऐसे मुकद्दमेमें पक्षपाती या गवाह या कारिन्दा होनेकी रीतिसे या ऐसे मनुष्यके चलन अथवा गुणके मध्ये जहांतक कि, उसकी कार्रवाईके ढंगसे वेचलन अथवा गुण प्रगट होते हों, और न इससे अधिक, किसी रायका शुद्धभावसे प्रगट करना, अपयश लगाना नहीं है।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर कहै कि मेरी समझमें रमाशंकरकी गवाही अमुक मुकद्दमेमें ऐसी बुरी है कि वह अवश्य मूर्ख अथवा अधर्मा है—तो शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा यदि वह शुद्धभावसे वह बात कहता है, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर प्रगट करता है रमाशंकरके चलन व गुणसे सम्बन्ध रखती है जैसा उसकी कार्रवाईके ढंगसे गवाही होनेपर प्रगट होता है और न इससे अधिक—

(ख) परंतु यदि शिवशंकर यह कहै कि रमाशंकरने अमुक मुकद्दमेमें जो बयान किया है उसको मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि रमाशंकरका स्वभाव झूँठ बोलनेका है; तो शिवशंकर इस छूटमें नहीं गिना जायगा क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये बयान करता है, ऐसी राय है जो रमाशंकरकी गवाहीसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

९—छूट—शुद्धभावसे किसी सम्मतिका प्रगट करना किसी कामकी व्यवस्थाके मध्ये किसी सर्व सम्बन्धी कामकी व्यवस्था. } जिसको किसी काम करनेवालेसे सर्व साधारणकी रायपर छोडा हो अथवा काम करनेवालेके चलन व गुणके मध्ये, जहांतक कि वे चलन व गुण उस कामसे प्रगट होते हों और न उससे अधिक, अपयश लगाना नहीं है ।

स्पष्टीकरण—कोई काम सब लोगोंकी रायपर या तो स्पष्ट रीतिसे छोड़ा जासकता है अथवा काम करनेवालेके ऐसे कामोंसे जिनसे सब लोगोंकी रायपर उस काम का छोड़ा जाना पाया जाता हो ।

उदाहरण ।

(क) वह मनुष्य जो किसी पुस्तकको छपवाए, उस पुस्तकको सर्व साधारणकी राय पर छोड़ता है ।

(ख) वह मनुष्य जो सब लोगोंके सामने कुछ बात कहता है, उस बातको सर्व साधारणकी रायपर छोड़ता है ।

(ग) कोई भांड या गवइया जो सर्वसाधारण जलसेमें अपना गुण प्रगट करे; वह अपने खेल अथवा गानको सर्व साधारण की रायपर छोड़ता है ।

(घ) शिवशंकर किसी पुस्तकके मध्ये जो रमाशंकरने छपवाई है कहै कि रमाशंकरकी पुस्तक मूर्खताकी है और इसलिये रमाशंकर अवश्य मूर्ख है अथवा रमाशंकरकी पुस्तक अश्लील (फहश) है और इसलिये अवश्य रमाशंकर निर्लज्ज (फाहिशुल अक्ल) मनुष्य है; तो शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा—यदि वह यह बात शुद्धभावसे कहता है, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके मध्ये प्रगट करता है केवल रमाशंकरके चलन व गुणसे सम्बन्ध रखती है जहांतक कि वे रमाशंकरकी पुस्तकसे प्रगट होते हैं न कि उससे अधिक ।

(ङ) परंतु यदि शिवशंकर यह कहै कि, रमाशंकरकी पुस्तक मूर्खता और निर्लज्जताकी होनेका मुझे कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वह मूर्ख और कामी मनुष्य है; तो शिवशंकर इस छूटमें नहीं गिना जायगा, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये प्रगट करता है, ऐसी राय है जो रमाशंकरकी पुस्तकसे सम्बन्ध नहीं रखती।

शिक्षादोष (लानत मलामत) जो शुद्धभावसे कोई ऐसा मनुष्य दे जिसको कानूनकी रीतिसे दूसरे पर अधिकार प्राप्त हो.

७—छूट—जिस मनुष्यको दूसरेपर कानूनकी रीतिसे अथवा किसी कौल करारके द्वारा जो उस दूसरेके साथ कानूनानुसार हुआ हो कुछ अधिकार प्राप्त हो उसकी ओरसे उस दूसरे मनुष्यकी कार्रवाईके मध्ये किसी बातमें जिससे उसका नीतिपूर्वक अधिकार सम्बन्ध रखता हो, शुद्धभावसे कुछ दोष लगाया जाय, तो वह अपयशका लगाना न कहलावेगा।

उदाहरण।

नीचे लिख हुए मनुष्य इस छूटमें गिने जायंगे, अर्थात् कोई जज जो किसी गवाहको अथवा अपनी अदालतके अहलकारको उसकी कार्रवाई पर शुद्धभावसे शिक्षादोष (लानत मलामत) लगाता हो—अथवा किसी सरिश्तेका हाकिम जो शुद्धभावसे अपने आज्ञाकारियों (मातहतों) का शिक्षादोष लगाता हो अथवा कोई मा या बाप जो अपने बालकको और बालकोंके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगावें अथवा कोई मास्टर (अध्यापक) जिसको किसी विद्यार्थीके मा बापकी ओरसे अधिकार प्राप्त हो, उस विद्यार्थीपर और विद्यार्थियोंके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाता हो, अथवा कोई स्वामी जो अपने नौकरको सेवा करनेमें सुस्त होनेके मध्ये शुद्धभावसे फटकारता हो अथवा कोई महाजन जो अपनी कोठीके खजानची (रोकड़िया) को उसके चलनके ढंगके मध्ये उसके रोकड़ियेपनके काममें शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाता हो।

शिकायत जो अधिकारी मनुष्यके सामने पेश की जाये.

८ छूट—शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी शिकायत करनी किसी मनुष्यके सामने उन मनुष्योंमेंसे, कि जो उस मनुष्यपर शिकायतके विषयके मध्ये उचित अधिकार रखते हैं अपयशका लगाना नहीं है।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर किसी मजिस्ट्रेटके सामने शुद्धभावसे रमाशंकरकी शिकायत करे अथवा यदि शिवशंकर शुद्धभावसे रमाशंकरके चलनके मध्ये जो नौकर है उसके स्वामीसे शिकायत करे—अथवा यदि शिवशंकर शुद्धभावसे रमाशंकरका जो एक बालक है; उसके चलनेके मध्ये उसके बापसे शिकायत करे-तो शिवशंकर इस छूटमें गिना जायेगा।

९—छूट—किसी मनुष्यके चाल चलनके मध्ये तुहमत लगाना अपयश लगाना नहीं है जब कि वह तुहमत शुद्धभावसे तुहमत लगानेवालेकी या किसी और मनुष्यकी स्वार्थरक्षाके लिये या सर्व साधारणके लाभके लिये लगाई जावे ।

अपने स्वार्थकी रक्षाके लिये अथवा सर्व साधारणके भलेके लिये किसी मनुष्यको शुद्धभावसे कुछ बात लगानी

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर एक दूकानदार रमाशंकरसे जो उसका कामकाज करता है कहे कि तुम गिरिजाशंकरके हाथ कोई वस्तु न बेचो सिवाय इसके कि तुमको वह रोक दाम दे क्योंकि मैं उसकी कुछ साखी नहीं मानता हूं—तो शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा यदि उसने यह तुहमत अपनी स्वार्थरक्षाके लिये शुद्धभावसे गिरिजाशंकर पर लगाई हो ।

(ख) शिवशंकर एक मजिस्ट्रेटने अपने ऊपरके अफसरके यहां रिपोर्ट करके रमाशंकरके चलनकी बुराई लगाई; तो यहां शिवशंकर इस छूटमे गिना जायगा जब कि वह बुराई शुद्धभावसे और सबके भलेके लिये लगाई गई हो ।

१०—छूट—एक मनुष्यको दूसरे मनुष्यके मध्ये शुद्धभावसे सावधान कर देना अपयश लगाना न होगा जब कि वह सावधानीकी बात उस मनुष्यके भलेके लिये हो जिससे वह कही गई हो अथवा और किसी मनुष्यके भलेके लिये जिसमें उसका कुछ स्वार्थ हो अथवा सबके लिये हो ।

सावधान करना जिसमें उस मनुष्यका लाभ हो कि जिसे सूचना दी गई हो अथवा जिससे सर्व साधारणके लाभका अभिप्राय हो

१—(म) को उसकी जातवालोंने इस जातपर जातबाहर कर दिया कि वह उसी जातकी एक स्त्रीके साथ पकड़ागया—उसी जातिके कुछ पंचोंने अपनी जाति बिरादरी वालोंके यहां एक चिट्ठी भेजी जिसमें यह लिखा था कि (म) और उपरोक्त स्त्री जात बाहर कर दीगई बिरादरी-वाले उन्हें अपने घरमे न रक्खें और न उनके साथ खावें यह बयान दफा ४९९ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार अपयश लगाना था; इसलिये तजवीज हुई कि यदि उपरोक्त मनुष्य असावधानीके साथ ऐसे शब्द काममें लाए कि जो (म) से सम्बन्ध रखते थे; तो उन मनुष्योंने अपनी दायित्वसे ऐसा किया और वह (म) को अपयश लगानेके कारण किसी उपरोक्त शब्दके द्वारा नहीं बचसकते । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६६४)

२—हिंदुस्थानमें किसी एडवोकेट (वकील आदि) के विरुद्ध, किसी ऐसे शब्दके मध्ये जो उसने अपने ओहदेके अधिकारसे कहा हो दीवानी या फौजदारी मुकद्दमा नहीं चलसकता । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफा २८)

३—किसी समाचार पत्रका मेनेजर और एडीटर जो अपने समाचार पत्रमें अपयशसे भरा हुआ एक लेख एक शहरमें छापकर किसी दूसरे शहरमें अपने समाचार पत्रको भेजे, तो वह जबतक कि इसके विरुद्ध कोई दूसरा प्रमाण न होवे उस दूसरे शहरमें अपयशसे भरे हुए लेखके प्रगट करनेका जिम्मेदार होगा । (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १५ सफा २८६)

४—अपराधी जो इन्स्पेक्टर पोलिस था; इस बातकी जांचके लिये भेजागया कि व्रजनाथ डाकुवोंका मुखिया है या नहीं—उसने रिपोर्ट की कि वह बात झूँठी है और गांवके बनिये व्रजनाथको फँसाया चाहते हैं उसने यहभी लिखा कि मुझे गुप्त रीतिसे प्रगट हुवा है कि गांवमें ऐसी कोई बनियेकी स्त्री नहीं है जो एक या दो रात व्रजनाथके पास न रही हो—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि जो कि अफसर पोलीसने यह रिपोर्ट उस अवस्थामें की थी जब वह अपना सरकारी काम कर रहा था और उसमें ऐसे बयान थे कि जो असावधानी अथवा अनुचित रीति पर नहीं लिखे गये, इसलिये इन्स्पेक्टर पोलीसकी रिपोर्ट अपयश लगानेकी सीमातक नहीं पहुँचसकती बरन् वह दफा ४९९ की छूट ९ का लाभ उठासकता है। (बंगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ४२)

५—किसी गवाहपर अपयश लगानेका अपराध उन बयानोंसे नहीं ठहराया जा सकता; जो उसने गवाही देते समय गवाहीके कठहरेमें किये हों। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १७ सफा ५७३)

६—जब किसी ब्यांहीं स्त्रीपर कुचालकी तुहमत लगाई जाय, तो ऐसा कहा जावेगा कि उसका पति दुःख पाया हुआ मनुष्य है और मजिस्ट्रेट ऐसे पतिकी नालिशपर अपराधका विचार कर सकता है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ३७९)

७—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहमें कहकर (वाक्य द्वारा) और लिखकर (लेख द्वारा) अपयश लगानेमें कोई अन्तर नहीं रक्खा गया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३६)

८—अपराधीने एक मनुष्यको बहिन बेटीकी गाली दी, इसलिये मजिस्ट्रेटने अपराधीको अपयश लगानेका दोषी ठहराया, हाईकोर्टसे तजवीज हुई कि प्रायः ऐसी गालियां लोग आपसके झगड़ेमें दिया करते है, इसलिये अपराधीपर दफा ४९९ का अपराध नहीं ठहर सकता। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह फर्वरी सन् १८८३ ईस्वी सफा ३६)

९—किसी मनुष्यका चित्र बनाकर ऐसे स्थानमें रखना कि जहां उस सब कोई देखसकें और उसको उस मनुष्यके नामसे पुकारकर जूते मारना अपयश लगानेकी सीमातक पहुँचता है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द २ सफा ४३५)

१०—अमीरहुसेन वकीलने अदालतमें यह कहा कि, रामगुलाम (विपक्षी, फरीकसानी) का बाप घास छीलते छीलते मर गया था; उसपर रामगुलाम बोला कि अमीरहुसेन वकालत करना क्या जाने कलतक वह और उसका बाप बिसाती रहे हैं और गलियोंमें टके टके का सौदा बेचते फिरा किये हैं—इस बात पर अमीरहुसेनने रामगुलामके ऊपर और रामगुलामने अमीरहुसेनके ऊपर फौजदारीमें अपयश लगानेके अपराधमें नालिशें की और वहांसे दोनोंपर जुर्माना हुआ—तजवीज हुई कि, ऐसी सूरतोंमें मजिस्ट्रेटोंको मुकद्दमा कायम करनेसे इनकार करना चाहिये, नहीं तो सरकारी काममें बड़ी हानि होगी जो कि दोनों ही मनुष्योंने अनुचित काम किया था, इसलिये जुर्मानेका रुपया वापिस होना चाहिये। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह जुलाई सन् १८८३ ई० सफा १६७)

११—अपराधी अपने साझीकी ओरसे एक मुकद्दमा दीवानीमें निगरां हाल (तजवीजकी जांच किया जाना) था, उपरोक्त मुकद्दमाके विचारके समय उसने जज मातहतको यह सूचना दी

कि, फरियादी उसके साक्षीके गवाहोंको उभारता है इसलिये उसको आज्ञा हो कि, वह अदालतमें बैठा रहे इसलिये जज मातहतने फरियादी (मुस्तगीस) को आज्ञा दी कि अदालतसे बाहर न जाय, इसपर फरियादीने अपराधीपर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलके सामने अपयश लगानेका अपराध लगाया और मजिस्ट्रेटने भी उसपर अपराध ठहराकर २५) रु० जुर्माना किया और यदि जुर्माना न चुकाया जावे; तो एक महीनेकी साधारण कैदका दंड होनेकी आज्ञा दी, इसपर अपराधीने सेशन जज जिला थानाको यह अर्जी दी कि, उसके मुकद्दमेकी मिसल मँगाई जाय और फिर मुनासिबहाल मालूम होनेपर फैसला किया जाय—इसलिये सेशनजजने वह मिसल मँगाई; मिसल देखनेके बाद जजकी राय हुई कि अपराधीने तुहमत शत्रुता या अधर्मसे नहीं लगाई, इसलिये इसका काम दफा ४९९ की छूटनवीमें गिना जायगा अतएव उसने कोई भी अपराध नहीं किया—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि, सेशन जजकी राय सही थी। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा २६९)

(५००) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका अपमान करेगा अर्थात् अपयश लगावेगा उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

अपयश लगानेका दंड.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है ।

किसी मनुष्यको एक ऐसा नोटिस भेजना, कि जिसमें अपयश भराहुआ लेख लिखा हो, ऐसी तुहमत लगाने व प्रगट करनेके बराबर नहीं है, इस अभिप्रायसे कि जिस मनुष्यके मध्ये वह तुहमत लगाई जावे उसकी इज्जत घट जावेगी—इन मुकद्दमोंमें अपराधीने डाकके द्वारा फरियादीको एक नोटिस भेजा; जिसमें कुछ झूटी तुहमत लिखी थी—इस पर फरियादीने अपराधीपर दफा५०० के अनुसार फौजदारीमें नालिश की—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि अपराधीपर दफा ५०० का अपराध नहीं ठहर सकता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा २०५)

(५०१) जो कोई मनुष्य किसी बातको छापे अथवा खोदकर लिखे, यह जानकर अथवा निश्चय करनेका उचित कारण रखकर कि वह बात किसी मनुष्यका अपमान करनेवाली है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

छापना अथवा खोदकर दिखाना किसी बातका यह जानकर कि वह अपमान करनेवाली है.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा होसकता है ।

(५०२) जो कोई मनुष्य किसी छपीहुई अथवा खुदीहुई वस्तुको, जिसमें कोई अपयश लगानेवाली बात हो, यह जानबूझकर कि इसमें ऐसी बात लिखी है बेचेगा अथवा बेचनेके लिये सामने रक्खेगा, तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों ही दंड दिये जावेंगे।

बेचना किसी छपी हुई अथवा खुदी हुई वस्तुका जिसमें अपयश लगानेवाली बात हो.

टींप–(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा होसकता है।

अध्याय बाईसवाँ २२.

दण्ड योग्य धमकी और अपमान तथा छेड़नेके विषयमें।

(५०३) जो कोई मनुष्य किसी और मनुष्यको उसके तन या यश या धनको अथवा किसी मनुष्यके तन या यशको, जिससे वह मनुष्य स्वार्थ रखता है, हानि पहुँचानेकी धमकी देवे, इस अभिप्रायसे कि उसको डरमें डाले अथवा उससे कोई ऐसा काम करावे जिसका करना कानूनके अनुसार उस पर उचित नहीं है अथवा उसे कोई ऐसा काम करनेसे चुकावे, जिसके करनेका उसे कानूनके अनुसार अधिकार है; जिससे कि ऐसे कामका करना या करनेमें चूकना उस धमकीकी तकसील (पूरापन) के रुकावटके द्वारा हो, तो कहा जावेगा कि, उपरोक्त मनुष्यने दण्ड योग्य धमकी दी।

दंड योग्य धमकी.

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे मरेहुए मनुष्यके कि जिससे धमकाया हुवा मनुष्य स्वार्थ रखता है, यशको हानि पहुँचानेकी धमकी, इस दफामें गिनी जायगी।

उदाहरण।

शिवशंकरने रमाशंकरको किसी मुकद्दमा दीवानीकी पैरवीसे रोकनेके अभिप्रायसे उसका घर जलानेकी धमकी दी, तो शिवशंकर दंडयोग्य धमकीके देनेका अपराधी हुवा।

१—अपराधीने एक नकली अर्जी एक साहब कमिश्नरकी सेवामें भेजी, जिसमें यह धमकी लिखी थी कि यदि जंगलका हाकिम दूसरे स्थानपर न बदला जायगा, तो वह मारडाला जावेगा तजवीज हुई कि,—जो कि उस मनुष्यको जिसकी सेवामें अर्जी भेजीगई थी कोई सम्बन्ध धमकीमें

हुए मनुष्यसे न था—इसलिये उसपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ का अपराध नहीं ठहर सकता । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ३७६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ में कही हुई धमकी ऐसी धमकी होना चाहिये कि उसकी सूचना उस मनुष्यको होजावे जिसको धमकी दी जावे अथवा इस अभिप्रायसे धमकीका देना प्रगट किया जावे कि उसकी सूचना उपरोक्त मनुष्यकी होजावे जिससे कि उस मनुष्यके मनमें प्रभाव उत्पन्न होजावे । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७१)

सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डालनेके अभिप्रायसे जानबूझकर अपमान करना.

(५०४) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यका अपमान करे और उसके द्वारा उस मनुष्यको उभारे, इस अभिप्रायसे अथवा इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस उभारनेके कारण वह मनुष्य सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डाले अथवा किसी और अपराधको करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा होसकता है ।

(अ) ने (ब) को यहांतक गालिये दी कि (ब) भयभीत होगया—तजवीज हुई कि जो कि (अ) ने (ब) को इतना उभारा कि उससे सर्व सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न पड़नेका भय था, इसलिये वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०४ का अपराधी था। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ३५४)

विद्रोह कराने अथवा सर्व सम्बन्धी कुशलताके विरुद्ध कोई अपराध करानेके अभिप्रायसे झूटी अफवाह आदिका उड़ाना.

(५०५) जो कोई मनुष्य कोई वर्णन या अफवाह या खबर जिसको वह झूटा जानता हो फैलाए अथवा प्रगट करे इस अभिप्रायसे कि श्रीमान् महाराजाकी स्थल अथवा जलकी सेनाके किसी अफसर या सिपाही या जहाजके खालसीसे विद्रोह करावे अथवा इस अभिप्रायसे कि सर्व साधारण मनुष्योंको भय अथवा घबराहटमें डाले और उसके द्वारा किसी मनुष्यको कुछ राज्य सम्बन्धी अपराध या सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डालनेका अपराध करनेके लिये बहकावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा होसकता है ।

दंड योग्य धमकी देनेका दंड.

(५०६) जो कोई मनुष्य दंड योग्य धमकी देनेका अपराध करे, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

यदि वह धमकी मृत्यु अथवा भारी चोट (जरर शदीद) पहुंचानेके लियेहो.

और यदि वह धमकी मृत्यु अथवा भारी चोट पहुंचानेकी अथवा अग्निसे किसी मकानके नष्ट करनेकी अथवा किसी ऐसे अपराधके किये जानेकी जिसके बदलेमें दंड वध या देश निकालेका दंड या ऐसी कैद ठहराई गई है, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा किसी स्त्रीके मथ्ये कुचालीकी तुहमत लगानेकी हो, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दियाजावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है तथा नहीं है।

विना नामकी मुखबिरीके द्वारा दंड योग्य धमकी देना.

(५०७) जो कोई मनुष्य किसी बेनामकी मुखबिरी करके या धमकी देनेवालेका नाम या रहनेका स्थान गुप्त रखनेका यत्न करके दंडयोग्य धमकी देनेका अपराध करे, तो उस मनुष्यको सिवाय उस दंडके जो उपरोक्त अपराधके लिये ऊपर लिखी हुई पिछली दफामें नियत है, दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) वारण्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

काम जो किसीको बहकाकर दैवीकोपका निश्चय करानेसे कियाजाय.

(५०८) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यसे कोई ऐसा काम कराए अथवा उसके करानेका उद्योग करे, जिसका करना उसपर कानूनानुसार उचित न हो अथवा किसी ऐसे कामके करनेमें चूक कराए अथवा उसके चूक करानेका उद्योग करे, जिसके करनेका वह कानूनानुसार अधिकारी है, उस मनुष्यको, यह निश्चय करनेके लिये बहकाने या बहकानेका उद्योग करनेके द्वारा, कि यदि वह मनुष्य उस कामको न करेगा जिसका कराना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है अथवा यदि उस काममें चूक न करेगा जिसका चूक कराना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है, तो अपराधीके किसी कामके द्वारा वह

मनुष्य या कोई और मनुष्य जिससे वह स्वार्थ रखता है ईश्वरका कोप होगा या कराया जायगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरके द्वार पर धरना देकर बैठे, यह बात निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि ऐसे बैठनेसे रमाशंकरको ईश्वरका कोप होगा, तो शिवशंकरने वह अपराध किया; जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ख) रमाशंकरने शिवशंकरको इस बातकी धमकी दी कि यदि शिवशंकर अमुक काम न करेगा; तो रमाशंकर अपने बच्चोंमेंसे किसी एकको ऐसी अवस्थाओंमें मार डालेगा कि जिससे यह बात निश्चय की जावे कि उस मारडालनेसे शिवशंकर पर ईश्वरका कोप होजावेगा, तो रमाशंकरने वह अपराध किया, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(५०९) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे कोई

किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे वचन कहना या सैन देना.

बात मुँहसे निकाले अथवा सैन दे या कुछ शब्द करै या वस्तु दिखलाए इस अभिप्रायसे कि वह स्त्री उस बात या शब्दको सुने अथवा उस सैन या वस्तुको देखे अथवा उस स्त्रीके परदेमें घुसजाय, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(५१०) जो कोई मनुष्य नशेकी अवस्थामें सर्व साधारणके आने जानेके किसी

सर्व साधारणके सामने किसी मतवाले मनुष्यकी कुचाल.

स्थानमें अथवा किसी ऐसे स्थानमें आ निकले जहां उसका पहुँचना मदाखलतबेजा (अनधिकार प्रवेश) है और वहां वह ऐसी रीतिपर वर्त्ताव करे कि उससे किसी मनुष्यको क्लेश पहुँचे, तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद चौवीस घंटेतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दश रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनों ही दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (३) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय तेईसवाँ २३.

(अपराध करनेके उद्योगके विषयमें)

५११) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेका उद्योग करे, जिसके बदलेमें इस संग्रहके अनुसार जन्म भरके देश निकालेका दंड अथवा कैदका दंड ठहराया गया है अथवा जो ऐसे अपराधके जाननेके कारणका उद्योग करे और ऐसे उद्योगमें कोई ऐसा काम करे जो उपरोक्त अपराधके होनेकी ओर झुकताहो, तो उस अवस्थामें कि इस संग्रहमें ऐसे उद्योगका कोई विशेष दंड न ठहराया गया हो—उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दंड या किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया हो और उस जन्मभरके देश निकाले या कैदकी मीआद उस मीआदकी आधीतक हो सकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये बड़ीसे बड़ी मीआद ठहराई गई है या वह जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके बदलेमें ठहराया गया है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उन अपराधोंके उद्योगका दंड जिनके लिये जन्म भरके देश निकाले या कैदका दंड ठहराया गया है.

उदाहरण।

(क) रमाशंकरने एक संदूक तोड़कर कुछ गहना चोरनेका उद्योग किया और इस प्रकार उस संदूकके खोलने पर उसको जानपड़ा कि उसमें कुछ गहना नहीं है; तो यहां उसने एक ऐसा काम किया; जो चोरीके अपराधकी ओर झुकता है और इसलिये रमाशंकर इस दफाके अनुसार अपराधी है।

(ख) रमाशंकरने शिवशंकरकी जेबमें हाथ डालकर उसकी जेबमेंसे कुछ निकालनेका उद्योग किया—परन्तु शिवशंकरकी जेबमें कुछ न होनेके कारण रमाशंकर इस उद्योगमें सफल न हुवा तो रमाशंकर इस दफाके अनुसार अपराधी है।

टीप—(१) इस अपराधकी तजवीज वही अदालत करेगी कि जो उद्योग किये हुए अपराधकी तजवीज कर सकती है (२) यदि उद्योग किया हुआ अपराध दस्तन्दाजी पोलीसके योग्य हो; तो इस अपराधमें दस्तन्दाजी पोलीस हो सकती है (३) वारंट या समन सबके पहिले जारी होता जैसा कि उस अपराधके लिये कि जिसका उद्योग किया गया. वारण्ट या समन जारी होगा (४) जमानत है, यदि यह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया, जमानतके योग्य हो (५) राजीनामा है यदि वह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया राजीनामेके योग्य होवे।

१ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५११ ज्ञातघातके उद्योगके अपराधमें सम्बन्ध नहीं रखती जिसका दण्ड दफा ३०७ में स्पष्ट रीतिपर लिखा है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १४ सफा ३८)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ७५ ऐसी सूरतोंमें सम्बन्ध न रक्खेगी जो दफा ५११ में आसकते है—जो अपराध दफा ५११ में दाखिल होवे, उनका दंड विना सम्बन्ध दफा७५के होना चाहिये। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा १२३)

३—जो बयान प्रश्नोत्तरकी भांति पुलीसके कर्मचारीके द्वारा दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार तहकीकात पोलीसके समयमें किया जावे, इस्तहकाकी है और वह जड किसी अपयश लगानेके अपराधकी सीमातक नहीं पहुंच सकती। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १६ सफा २३५)

४—किसी स्त्री पर यदि अनुचित आक्रमण किया जावे; तो वह बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधका उद्योग न होगा, जब तक कि अदालतको निश्चय न होजावे कि अपराधीने अपने दिलमें यह बात जान ली थी कि चाहे कुछ भी होजावे और चाहे कोई कैसी भी रोक करे, परंतु वह उस स्त्रीके साथ व्यभिचार करेगा (इ०ला० रि० बंबई जिल्द ५ सफा ४०३)

५—जो मनुष्य चोरीके अपराधमें दण्डित हुआ हो और यदि वह अपराधी चोरीके उद्योगमें फिरसे दंड पावे, तो उसे बढ़ा हुआ दंड दफा ७५ के अनुसार न मिलेगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ३५७)

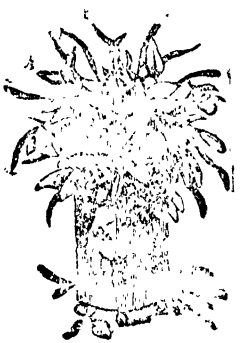

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवेंकटेश्वर" स्टीम् प्रेस—बंबई.

کتب خانہ

جامعہ عثمانیہ شعبۂ کتب خانہ

۱۔ ادارۂ کتب خانہ کی ممبری کے شرائط حسب ذیل ہیں:

۲۔ ممبر بننے کے لئے درخواست پیش کرنا ضروری ہے۔ درخواست کے ساتھ ایک ممبری فیس بھی ادا کرنا ہوگا۔

۳۔ ممبری کی فیس ۱۰ روپے ہے۔ ممبری کی مدت ایک سال ہے۔ ممبری کی مدت ختم ہونے پر ممبر کو ۱۰ روپے ادا کرنے ہوں گے۔

۴۔ ممبر کو کتاب لینے کے لئے ایک ضمانت دینا ہوگا۔ ضمانت کی رقم ۱۰ روپے ہے۔ ضمانت کی رقم ممبری کی مدت ختم ہونے پر واپس کی جائے گی۔

۵۔ ممبر کو کتاب لینے کے لئے ایک درخواست پیش کرنا ہوگا۔ درخواست میں کتاب کا نام، مصنف کا نام اور کتاب کا نمبر لکھنا ہوگا۔

۶۔ ممبر کو کتاب لینے کے لئے ایک ضمانت دینا ہوگا۔ ضمانت کی رقم ۱۰ روپے ہے۔ ضمانت کی رقم کتاب واپس کرنے پر واپس کی جائے گی۔

۷۔ ممبر کو کتاب لینے کے لئے ایک درخواست پیش کرنا ہوگا۔ درخواست میں کتاب کا نام، مصنف کا نام اور کتاب کا نمبر لکھنا ہوگا۔

۸۔ ممبر کو کتاب لینے کے لئے ایک ضمانت دینا ہوگا۔ ضمانت کی رقم ۱۰ روپے ہے۔ ضمانت کی رقم کتاب واپس کرنے پر واپس کی جائے گی۔

۹۔ ممبر کو کتاب لینے کے لئے ایک درخواست پیش کرنا ہوگا۔ درخواست میں کتاب کا نام، مصنف کا نام اور کتاب کا نمبر لکھنا ہوگا۔

۱۰۔ ممبر کو کتاب لینے کے لئے ایک ضمانت دینا ہوگا۔ ضمانت کی رقم ۱۰ روپے ہے۔ ضمانت کی رقم کتاب واپس کرنے پر واپس کی جائے گی۔